

स्व. पुण्यश्लोका साता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिसमे  
स्व. साहू शान्तिप्रसाद जैन द्वारा संस्थापित

एवं

उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीया श्रीमती रमा जैन द्वारा संपोषित

## भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालाके अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड़, तमिल भादि प्राचीन भाषाओंमें  
उपलब्ध भागमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक भादि विविध-विषयक  
जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उसका मूल और यथासम्भव  
अनुवाद भादिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन-मण्डारोंकी  
सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, कला एवं स्थापत्य, विशिष्ट  
विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन  
साहित्य-ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमालामें  
प्रकाशित हो रहे हैं।

ग्रन्थमाला सम्पादक

सिद्धान्ताचार्य पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री  
डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ

प्रधान कार्यालय : बी/४५-४७, कॅनॉट प्लेस, नयी दिल्ली-११०००१

मुद्रक सन्मति मुद्रणालय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-२२१०१०

स्थापना : फाल्गुन कृष्ण ९, वीर नि० २४७०, विक्रम सं० २०००, १८ फरवरी १९४४

सर्वाधिकार सुरक्षित

HARIBHĀDRASŪRI'S

# SRĀVĀKA PRAJÑĀPTI


## (SĀVĀYA PANNATI)

With

Introduction, Hindi Translation and Index of the verses etc.

*Edited by*

Pt. BAL CHANDRA SHASTRI



**BHARATIYA JNANPITH PUBLICATION**

---

VĪRA NIRVĀNA SAMVAT 2507 . V. SAMVAT 2038 : A. D. 1981

First Edition : Price Rs. 35/-

---

BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA  
MŪRTIDEVĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ  
FOUNDED BY

**LATE SAHU SHANTI PRASAD JAIN**  
IN MEMORY OF HIS LATE MOTHER SHRIMATI MURTIDEVI  
AND  
PROMOTED BY HIS BENEVOLENT WIFE  
**LATE SHRIMATI RAMA JAIN**

IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITED JAINA ĀGAMIC, PHILOSOPHICAL,  
PURĀNIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS  
AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRMŚA, HINDI,  
KANNĀḌA, TAMIL, ETC, ARE BEING PUBLISHED  
IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR  
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES.

ALSO  
BEING PUBLISHED ARE  
CATALOGUES OF JAINA-BHAṆḌARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES  
ON ART AND ARCHITECTURE BY COMPETENT SCHOLARS  
AND ALSO POPULAR JAINA LITERATURE

●  
General Editors

Siddhantacharya Pt. Kailash Chandra Shastri  
Dr. Jyoti Prasad Jain

●  
Published by

**Bharatiya Jnanpith**

Head Office · B/45-47, Connaught Place, New Delhi-110001

## प्रधान सम्पादकीय

सावयपण्णत्ति या श्रावकप्रज्ञप्ति अपने नामके अनुसार श्रावकाचारविषयक प्राचीन रचना है। यह प्राकृत गाथाबद्ध है और उसपर संस्कृत टीका है। न तो मूल ग्रन्थ में और न उसकी टीकामें ग्रन्थकारका तथा टीकाकारका नाम दिया है। फिर भी कुछ उल्लेखीके आधारपर, जिनका निर्देश प्रस्तावनामें किया गया है, श्रावकप्रज्ञप्तिको आचार्य उमास्वातिको कृति माना जाता है। यह उमास्वाति वही माने जाते हैं जिनकी कृति तत्त्वार्थसूत्र पाठभेदोंके साथ दिग्म्बर-श्वेताम्बर दोनों परम्पराओंमें मान्य है। यद्यपि तत्त्वार्थसूत्रके सातवें अध्यायमें वर्णित श्रावकाचार ही विस्तारसे इस ग्रन्थमें भी वर्णित है फिर भी दोनों कृतियोंका एककर्तृक होना संदिग्ध है। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि श्रावकप्रज्ञप्तिका आधार तत्त्वार्थसूत्रका सातवाँ अध्याय होना चाहिए। सम्प्रदर्शन, पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत तथा अन्तमें समाधिमरण यह पूर्ण श्रावकाचार समस्त जैन परम्पराको मान्य है। तत्त्वार्थसूत्रमें तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंको गुणव्रत और शिक्षाव्रतके रूपमें विभाजित न करके सातोंका निर्देश व्रतरूपमें किया है। किन्तु श्रावकप्रज्ञप्तिमें तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतके रूपमें उनका कथन किया है। तथा प्रथम दिग्व्रतके पश्चात् भोगोपभोगपरिमाण व्रतका कथन गुणव्रतोंमें और देशव्रतका कथन भोगोपभोगपरिमाण व्रतके स्थानमें शिक्षाव्रतोंमें किया है। यह दोनोंमें अन्तर है। स्व. पं. सुखलालजीने अपने तत्त्वार्थसूत्रके विवेचनके पाद टिप्पण में लिखा है—

‘सामान्यतः भगवान् महावीरकी समग्र परम्परामें अणुव्रतोंकी पाँच सख्या, उनके नाम तथा क्रममें कुछ भी अन्तर नहीं है। परन्तु उत्तरगुणरूपमें माने हुए श्रावकके व्रतोंके बारेमें प्राचीन तथा नवीन अनेक परम्पराएँ हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें ऐसी दो परम्पराएँ देखी जाती हैं—पहली तत्त्वार्थसूत्रकी और दूसरी जैनागमादि अन्य ग्रन्थोंकी। पहलीमें दिग्विरमणके बाद उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतको न गिनाकर देशविरमणव्रतको गिनाया है। दूसरीमें दिग्विरमणके बाद उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रत गिनाया है तथा देशविरमणव्रत सामायिकके बाद गिनाया है।’

पण्डितजीके उक्त कथनके प्रकाशमें यह स्पष्ट है कि श्रावकप्रज्ञप्तिकी रचना श्वेताम्बरमान्य आगमोंके अनुसार की गयी है अतः उसके रचयिता तत्त्वार्थसूत्रकारसे भिन्न होना चाहिए। दोनों कृतियोंमें भाषाभेद तो है ही। तत्त्वार्थसूत्रके श्वेताम्बरमान्य पाठपर जो भाष्य है—जिसे सूत्रकारकृत माना जाता है उसके अन्तमें कर्ताकी विस्तृत प्रशस्ति पायी जाती है किन्तु श्रावक प्रज्ञप्तिमें कर्ताका नाम तक नहीं है।

श्रावकप्रज्ञप्ति ( गा. १०७ ) में स्थूल प्राणिवधके दो भेद किये हैं—सकल्पसे और आरम्भसे। उनमेंसे प्रथम अणुव्रतका धारक श्रावक सकल्पसे ही त्याग करता है, आरम्भसे नहीं। इस प्रकारका भेद तत्त्वार्थसूत्र और उसकी टीकाओंमें उपलब्ध नहीं होता। रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें प्रथम अणुव्रतोंको सकर्षी हिंसाका त्यागी अवश्य कहा है। अमितगतितने अपने श्रावकाचारमें हिंसाके दो भेद किये हैं—आरम्भी और अनारम्भी। तथा लिखा है, जो घरवाससे निवृत्त है वह दोनों प्रकारकी हिंसाका त्याग करता है किन्तु जो गृहवासी है वह आरम्भी हिंसा नहीं छोड़ सकता।

अतः श्रावक प्रज्ञप्ति उत्तरकाल की रचना हीनी चाहिए ।

श्रावक प्रज्ञप्तिकी कई चर्चाएँ प. आशाधरके सागारधर्माभूतमें मिलती हैं और ये चर्चाएँ हेम-चन्द्राचार्यके योगशास्त्रमें भी हैं । योगशास्त्र प. आशाधरके सामने था यह तुलनात्मक अध्ययनसे स्पष्ट है, अतः आशाधरने श्रावकप्रज्ञप्तिको भी देखा हो यह असम्भव नहीं है ।

श्रावकप्रज्ञप्तिकी चर्चाएँ मननीय हैं । वह श्रावकाचारका एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है और उसमें ऐसी भी अनेक चर्चाएँ हैं जो दिग्भ्रर श्रावकाचारोमें नहीं पायी जाती । प्रस्तावनामें प. बालचन्द्रजीने उनका कथन किया है ।

१ गा. ७२ में जिनका ससार अर्घपुद्गलपरावर्त मात्र शेष रहा है उन्हें शुक्लपाक्षिक और शेषको कृष्णपाक्षिक कहा है ।

२. गाथा ७७ की टीकामें तीर्थंकरोंको भी स्त्रीलिंगसे सिद्ध हुआ कहा है किन्तु प्रत्येकवृद्धोंको पुल्लिंगी ही कहा है । अनुवादमें यह अश छूट गया है ।

३. कर्म और जीवमें कौन बलवान् है इसका निरूपण करते हुए कहा है—

कथ्यद् जीवो वक्तियो कथ्यद् कम्माद् हुंति वक्तियाहं ।  
जग्हा णता सिद्धा चिट्ठति मचमि वि अणता ॥१०१॥

यदि कही जीव बलवान् है तो कहीपर कर्म बलवान् है । क्योंकि अनन्त जीव सिद्धिको प्राप्त हो चुके हैं और अनन्त जीव ससारमें वर्तमान हैं ।

स्वामिकारितिकेयानुप्रेक्षाके कथनसे जिसमें केवल कर्मकी बलवत्ता बतलायी है, उक्त कथन अधिक संगत प्रतीत होता है ।

४ अहिंसाणुव्रतके सम्बन्धमें शंका-समाधानपूर्वक जो विवेचन किया गया है वह महत्त्वपूर्ण है । उसी को कुछ क्षलक पुरुषार्थसिद्धयुपायके अहिंसावर्णनमें पायी जाती है । वह वर्णन गाथा १०७ से २५९ तक है । इसमें एक शका यह की गयी है कि आत्मा तो नित्य है उसका विनाश होता नहीं तब अहिंसाव्रत निरर्थक क्यों नहीं है । इसके उत्तर में कहा है—

सत्पञ्जायविणासो दुक्खुप्पाओ अ सकिलेसो य ।  
एस वही जिण मणिओ तज्जेयव्वोपयत्तेण ॥१९१॥

इसी गाथाकी छाया सागारधर्माभूतके नीचे लिखे श्लोकमें है—

दु.खमुत्पद्यते जन्तोमनं संक्किश्यतेऽस्यते ।  
तत्पर्यायश्च यस्यां सा हिंसा हेया प्रयत्नतः ॥४-१३॥

जिसमें जीवको दुःख होता है, उसके मनमें सकलेश होता है और उसकी वह पर्याय नष्ट हो जाती है, उस हिंसा को प्रयत्न करके छोड़ना चाहिए ।

अहिंसा पालन के लिए—

पडिबुद्धजलगहण दारुय घण्णाहयाण तह च्चेव ।  
गहियाण वि परिभोगो विहीइ तसरक्खणट्ठाए ॥२५९॥





## प्रस्तावना

### १. प्रति-परिचय

१. अ—यह प्रति श्री ला. द. भा. संस्कृति विद्यामन्दिर अहमदाबादकी है। वह हमें श्री प. दलमुख भाई मालवणियाकी कृपासे प्राप्त हुई थी। उसकी लम्बाई-चौड़ाई १० $\frac{१}{२}$  × ४ इंच है। पत्रसंख्या उसकी ५१ है। अन्तिम ५२वाँ पत्र नष्ट हो गया है, जिसके स्थानपर मुद्रित प्रतिके आधारसे लिखकर दूसरा पत्र जोड़ दिया गया दिखता है। इसके प्रत्येक पत्रमें दोनो ओर १५-१५ पक्तियाँ हैं। प्रत्येक पक्तिमें लगभग ४५-५५ अक्षर हैं। प्रत्येक पत्रके ठीक मध्यमें कुछ स्थान रिक्त रखा गया है। प्रति देखनेमें सुन्दर दिखती है, पर है वह अत्यधिक अशुद्ध। इसके लेखकने उ, ओ, तु और नु, ए, प और य, त्त और न्त, त और न, च्छ, त्य, च, द और व, भ और स, सु और स्त तथा द् और द्ध इन अक्षरोंकी लिखावटमें प्रायः भेद नहीं किया है। इ के स्थानमें बहुधा ए लिखा गया है। आ ( ा ) और ए ( े ) मात्राके लिए बहुधा 'ऱ' इमी मात्राका उपयोग किया गया है। पूर्व समयमें ए की मात्राके लिए विवक्षित वर्णके पीछे 'ऱ' इसका उपयोग किया जाता रहा है। प्रस्तुत प्रतिमें यह पद्धति आ और ए के लिए अतिशय भ्रान्तिजनक रही है। जैसे—'वाहा' इमे 'वहो' के साथ 'वाहा' भी पढा जा सकता है। यदि इसे 'वऱहा' ऐसा इस रूपमें लिखा जाता तो प्रायः भ्रान्तिके लिए स्थान नहीं रहता। प्रतिमें बीच-बीचमें स्वेच्छापूर्वक लाल स्याहीसे दण्ड ( । ) दिये गये हैं। बहुधा गाथाके अन्तमें उसके पृथक्करणके लिए न कोई चिह्न दिया गया है और न संख्याक भी दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश पत्रोंमें बीच-बीचमें प्रायः १-२ पक्तियाँ लिखनेसे रह गयी हैं। कहीं-कहींपर तो कुछ आगेका और तत्पश्चात् उसके अनन्तर पीछेका पाठ अतिशय अव्यवस्थाके साथ लिखा गया है। ( उदाहरणार्थ देखिए गाथा ३२५ के पाठभेद )।

प्रतिका प्रारम्भ '॥६०॥ नम सिद्धेभ्य ॥' इस वाक्यके अनन्तर हुआ है। अन्तिम पत्रके नष्ट हो जानेसे उसमें लेखनकाल और लेखकके नाम आदिका निर्देश रहा या नहीं, यह ज्ञात नहीं होता।

२ प—यह प्रति भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इस्टीट्यूट पूनाकी है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई ११ × ४ $\frac{१}{२}$  इंच है। पत्रसंख्या उसकी २४ ( २४वाँ पत्र दूसरी ओर कोरा है ) है। इसके पत्रोंमें पक्तियोंकी संख्या अनियमित है—प्रायः २१-२८ पक्तियाँ पायी जाती हैं। प्रत्येक पक्तिमें लगभग ६०-७० अक्षर पाये जाते हैं। कागज पतला होनेसे स्याही कुछ फूट गयी है, इसलिए पढ़नेमें भी कहीं-कहीं कठिनाई होती है। यह भी अशुद्ध है तथा पाठ भी जहाँ-तहाँ कुछ लिखनेसे रह गये हैं, फिर भी पूर्व प्रतिकी अपेक्षा यह कुछ कम अशुद्ध है और पाठ भी कम हो छूटे हैं। गाथाओके अन्तमें गाथाक प्रायः २४५ ( पत्र १५ ) तक पाये जाते हैं, तत्पश्चात् वे उपलब्ध नहीं होते। जहाँ गाथाक नहीं दिये गये हैं वहाँ गाथाके अन्तमें दो दण्ड ( ॥ ) कहींपर दिये गये हैं और कहीं वे नहीं भी दिये गये हैं। इस प्रतिमें एकारकी मात्रा ( े ) इसी रूपमें दी गयी है, पर कहीं-कहीं उसके लिए अक्षरके पीछे दण्ड ( । ) का भी उपयोग किया गया है। 'ओ' को वहाँ 'उ' इस रूपमें लिखा गया है, जबकि पूर्व प्रतिमें उ और ओ दोनोंके लिए 'उ' ही लिखा गया है।

प्रतिका प्रारम्भ '॥ ८० ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ' इस वाक्यके अनन्तर किया गया है। अन्तिम पुष्पिका इस प्रकार है—॥ इति दिवप्रदा नाम श्रावकप्रज्ञप्तिटीका ॥ समाप्ता ॥ कृति सितपटाचार्य जिनभद्रपादसेवक-



स्याचार्य हरिभद्रस्येति ॥७॥ ॥ सवत् १५९३ वर्षे लिखितमिदं पुनं वाच्यमान मुनिवरैदिवर जीवात् ॥ ॥७॥ श्री स्तात् ॥ ॥ श्री' ॥ ॥

विशेष—हमें खेद है कि इस प्रतिसे पाठभेद ले लेनेपर भी वे प्रस्तुत सस्करणमें दिये नहो जा सके । कारण यह कि उनकी पाण्डुलिपि स्व. डॉ. ए. एन. उपाध्येजीके पाम कोल्हापुर भेजी गयी थी, पर वह वहाँसे वापस नहीं मिल सकी ।

## २. ग्रन्थ-परिचय

जैसा कि मंगलगाथाके पूर्व उसकी उत्पत्तिकामें टीकाकारके द्वारा सूचित किया गया है, प्रस्तुत ग्रन्थका नाम श्रावकप्रज्ञप्ति ( सावयपप्रति ) है । यह गाथाबद्ध ग्रन्थ प्राकृत भाषामें रचा गया है । गाथाओंकी समस्त संख्या ४०१ है । इनमें कुछ गाथाएँ प्राचीन ग्रन्थान्तरोंसे लेकर उसी रूपमें यहाँ आत्मसात् की गयी भी दिखती हैं ( जैसे—३५-३७, ६८, ११६-१८, २२३, २९९, ३२९ और ३९०-९१ आदि ) । जैसा कि ग्रन्थका नाम है, तदनुसार उसमें श्रावकधर्मके परिज्ञापनार्थ वारह प्रकारके श्रावकधर्मकी प्ररूपणा की गयी है । मंगलस्वरूप प्रथम गाथामें ही ग्रन्थकारने यह निर्देश कर दिया है कि मैं प्रकृत ग्रन्थमें गुरुके उपदेशानुसार वारह प्रकारके श्रावकधर्मको कहूँगा । इस वारह प्रकारके धर्मका मूल चूँकि सम्यक्त्व है और उसका सम्बन्ध कर्मसे है, इसीलिए यहाँ सर्वप्रथम मक्षेपमें कर्मका विवेचन करते हुए प्रमगवशा उस सम्यक्त्व और उसके विषयभूत जीवादि तत्त्वोंकी भी प्ररूपणा की गयी है । पश्चात् अणुन्नतादिस्वरूप उस श्रावकधर्मका यथाक्रमसे निरूपण किया गया है । स्थूलप्राणिवधविरतिके प्रसंगमें वहाँ हिंसा अहिंसाके विषयमें अनेक शका-समाधानके साथ विस्तारसे विचार किया गया है ( १०७-२५९ ) । सामायिक शिक्षापदके प्रसंगमें एक शकाके समाधानस्वरूप शिक्षा, गाथा, उपपात, स्थिति, गति, कषाय, बन्धक, वेदक, प्रतिपत्ति और अतिक्रम इन द्वारोंके आश्रयसे साधु और श्रावकके मध्यगत भेदको दिखलाया गया है ( २९५-३११ ) । साथ ही आगे यहाँ श्रावकके निवास, दिनचर्या, यात्रा और संलेखना आदिके विषयमें भी प्रकाश डाला गया है । ग्रन्थ इसके पूर्व संस्कृत टीकाके साथ ज्ञानप्रसारक मण्डल बम्बईसे सवत् १९६१ में प्रकाशित हो चुका है । उसका केवल संक्षिप्त गुजराती भाषान्तर भी ज्ञानप्रसारक मण्डल बम्बईसे सवत् १९६७ में प्रकाशित हुआ है ।

## ३. ग्रन्थकार

ग्रन्थमें कही ग्रन्थकारसे सम्बन्धित कुछ प्रशस्ति आदि नहीं है, इससे प्रस्तुत ग्रन्थका कर्ता कौन है, यह निर्णय करना कुछ कठिन प्रतीत होता है । जैसा कि ज्ञानप्रसारक मण्डल द्वारा प्रकाशित प्रकृत ग्रन्थके आमुखमें निर्देश किया गया है, ग्रन्थकी कुछ हस्तलिखित प्रतियोंके अन्तमें 'उमास्वाति विरचिता सावयपप्रज्ञप्ती समत्ता' यह वाक्य पाया जाता है<sup>१</sup> । इसके अतिरिक्त पचाशकके टीकाकार अभयदेव सूत्रिने 'वाचकतिलकेन श्रीमतोमास्वातिवाचकेन श्रावकप्रज्ञप्ती सम्यक्त्वादि श्रावकधर्मो विस्तरणामिहित' इस वाक्यके द्वारा वाचक उमास्वातिविरचित श्रावकप्रज्ञप्तिकी सूचना की है । इसी प्रकार धर्मबिन्दु के टीकाकार मुनिचन्द्रने भी वहाँ यह कहा है—तथा च उमास्वातिवाचकविरचितश्रावकप्रज्ञप्तिसूत्रम् । यथा—अतिथिसविभागो नाम अतिथयः साधवः, साध्य श्रावका आधिकाश्च, एतेषु गृहसुपागतेषु भक्त्याऽभ्युत्थानासनदान-पाद-प्रमार्जन-नमस्कारादिभिरर्चयिष्या यथाविभव-शक्ति-अन्न-पान-वस्त्रौषधालयादिप्रदानेन सविभाग कार्यं इति ( घ वि टीका ३-१८, पृ ३५ ) । इस सबसे वाचक उमास्वातिके द्वारा श्रावकप्रज्ञप्तिके रचे जानेका संकेत मिलता है । पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्ति ही वाचक उमास्वातिके

१ देखिए, 'अनेकान्त' वर्ष १८, किरण—१ में पृ १०—१४ पर 'श्रावकप्रज्ञप्तिका कर्ता कौन' शीर्षक लेख ।

द्वारा रची गयी है। सम्भव है उनके द्वारा सस्कृतमें कोई श्रावकप्रज्ञप्ति नामक ग्रन्थ रचा गया हो और वह वर्तमानमें उपलब्ध न हो। अथवा तत्त्वार्थाधिगमसूत्रके सातवें अध्यायमें जो श्रावकधर्मकी प्ररूपणा की गयी है उसे ही श्रावकप्रज्ञप्ति समझ लिया गया हो।

प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्तिके उमास्वाति द्वारा रचे जानेमें अनेक बाधक कारण हैं जो इस प्रकार हैं—

१ जैसा कि पाठक पीछे प्रतिपरिचयमें देख चुके हैं, प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्तिकी दो हस्तलिखित प्रतियाँ हमारे पास रही हैं—एक ला. द. भाई भारतीय विद्यासस्कृति मन्दिर अहमदाबादकी और दूसरी, जिसका लेखनकाल सवत् १५९३ है, माण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनाकी। इन दोनों ही प्रतियोंके आदि-अन्त में कही भी मूल ग्रन्थकारके नामका निर्देश नहीं किया गया है (पहली प्रतिका अन्तिम पत्र नष्ट हो गया दिखता है)।

२ धर्मबिन्दुकी टीकामें जिस श्रावकप्रज्ञप्तिके सूत्रको उद्धृत किया गया है वह प्राकृत गाथाबद्ध इस श्रावकप्रज्ञप्तिमें नहीं है। इतना ही नहीं, उस सूत्रमें जो साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाको अतिथि कहा गया है वह मूल श्रावकप्रज्ञप्तिमें तो सम्भव ही नहीं है, साथ ही वह उसकी हरिभद्रसूरि विरचित टीकामें भी नहीं है। उसकी टीकामें हरिभद्र सूरिके द्वारा ग्रन्थान्तरसे उद्धृत एक श्लोक के द्वारा जो अतिथिका लक्षण प्रकट किया गया है उसके अनुसार तो श्रावक और श्राविकाको अतिथि ही नहीं कहा जा सकता। हाँ, तदनुसार उन्हें अभ्यागत कहा जा सकता है। इस प्रकार धर्मबिन्दुकी टीकागत उक्त उल्लेखसे प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्ति उमास्वातिके द्वारा रची गयी सिद्ध नहीं होती।

३. वाचक उमास्वाति प्रायः सूत्रकार ही रहे दिखते हैं और वह भी सस्कृतमें, न कि प्राकृतमें। प्राकृतमें न उनका कोई अन्य ग्रन्थ उपलब्ध है और न कही अन्यत्र वैसा कोई संकेत भी मिलता है।

४ उमास्वाति विरचित तत्त्वार्थाधिगमसूत्रके ७वें अध्यायमें जिस श्रावकाचारकी प्ररूपणा की गयी है, उससे इस श्रावकप्रज्ञप्तिमें अनेक मतभेद पाये जाते हैं जो एक ही ग्रन्थकारके द्वारा सम्भव नहीं हैं। इन मतभेदोंको आगे तुलनात्मक विवेचनमें 'श्रावकप्रज्ञप्ति और तत्त्वार्थाधिगम' शीर्षकके अन्तर्गत देखा जा सकता है। वहाँ उनकी विस्तारसे चर्चा की गयी है।

इस प्रकारका कोई मतभेद उमास्वाति विरचित प्रशमरतिप्रकरणमें देखनेमें नहीं आता। उदाहरणार्थ तत्त्वार्थ सूत्रमें गुणव्रत और शिक्षापदका विभाजन किये बिना जिस प्रकार और जिस क्रमसे दिग्ब्रत आदि सात व्रतोंका निर्देश किया गया है उसी प्रकार और उसी क्रमसे उनका निर्देश प्रशमरतिमें भी किया गया है,<sup>१</sup> जब कि प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्तिमें उनका निर्देश गुणव्रत और शिक्षापदके रूपमें भिन्न क्रमसे किया गया है। यथा—

पचेत्र अणुञ्जयाइं गुणञ्जयाइं च हुति तिन्नेव ।

सिक्खाधयाइ चउरो सावणधम्मो दुवालसहा<sup>२</sup> ॥६॥

५ गाथा ३३४ में 'ता कह निज्जुत्ती' इस प्रकारसे आचार्य भद्रबाहु द्वितीय ( ५-६ठी शती ) विरचित निर्युक्तिका उल्लेख किया गया है जो कि वाचक उमास्वातिके बादकी रचना है।

६ उमास्वातिने अपने तत्त्वार्थ सूत्रके सातवें अध्यायमें, जहाँ कि श्रावकाचारकी प्ररूपणा की गयी

१ स्थूलवधानृत-चौर्य-परस्त्रीरस्यरतिवर्जित सतसम् ।

दिग्ब्रतमिह देशावकाशिकमनर्थदण्डविरतिं च ।

सामायिक च कृत्वा पौषधमुपभोगपारिमाण्य च ।

न्यायागत च कर्ष्यं विधिना पात्रेषु विनियोज्यम् ॥ प्रशमर, १०३-४ ।

२. गुणव्रत और शिक्षापदके विभाजनके लिए देखिए टीकामें गा २५० और २६२ की उरथानिका तथा गाथा २५०, २५४, २५६, २६२, ३१८-३१६, ३२१-३२२ और ३२६ ।

है, श्रावक प्रतिमाओका कोई निर्देश नहीं किया, जब कि श्रावकप्रज्ञप्ति ( ३७६ ) में उनका विघोष करणोयके रूपमें उल्लेख किया गया है ।

७ उमास्वातिके समक्ष सलेखनाके विषयमें कुछ मतभेद रहा नहीं दिखता—वहाँ ( ७-१७ ) उसे श्रावकके द्वारा ही अनुष्ठेय सूचित किया गया है, जब कि श्रावकप्रज्ञप्ति ( ३८२-३८४ ) में तद्विषयक मतभेद देखा जाता है । इस मतभेदस्वरूप वहाँ उस सलेखनामें सामु अघिकृत है यह भाव प्रकट किया गया है ।

इन वाचक कारणोको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्ति वाचक उमास्वातिके द्वारा रची गयी है । इसके विपरीत कुछ ऐसे कारण हैं, जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वोपज्ञ टीकाके साथ स्वयं हरिभद्र सूरिके द्वारा रची गयी है । वे कारण निम्न प्रकार हैं—

१—हरिभद्र सूरिकी प्रायः यह पद्धति रही है कि वे अभीष्ट ग्रन्थकी रचनाके पूर्वमें यह अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि मैं अमुक ग्रन्थको गुरुके उपदेशानुसार रचता हूँ ।

तदनुसार प्रकृत श्रावकप्रज्ञप्तिके प्रारम्भमें ( गाथा १ ) भी यही अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि मैं यहाँ बारह प्रकारके श्रावकधर्मको गुरुके उपदेशानुसार कहूँगा ।

इसके अतिरिक्त हिंसाजनक होनेसे जिनपूजाका निषेध करनेवालोके अभिमत, जो उन्होंने निराकरण किया है, वह गुरुके आश्रयसे किया है । यथा—

आह गुरु पूयाए कायवहो होइ जइ धि जिणाण ।

सह धि छई कायस्या परिणामविमुद्धि हेऊओ ॥ ३४६ ॥

पूर्व गाथा ३४५ के साथ यह गाथा समन्तभद्र विरचित स्वयम्भूस्तोत्रके इस पद्यसे कितनी प्रभावित है, यह भी ध्यान देने योग्य है । उससे इसका मिलान कीजिए—

पूज्यं जिनं श्वाचंयसो जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ ।

दोषाय नालं कणिका विपस्य न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ ॥ स्व. स्तो ५८

हरिभद्र सूरि समन्तभद्रके वाद हुए हैं । वा उमास्वातिके ऊपर समन्तभद्रका कुछ प्रभाव रहा हो, यह कहना शक्य नहीं दिखता । पर हरिभद्र सूरिके ऊपर उनका प्रभाव अवश्य रहा है—उनके शास्त्रवार्ता-समुच्चयके ७वें स्तवमें जो २ और ३ सख्याके अन्तर्गत दो कारिकाएँ हैं वे स्वामी समन्तभद्रकी आत्ममीमासा ( ५९-६० ) से वहाँ आत्मसात् की गयी हैं ।

इसके अतिरिक्त प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्तिकी गाथा १२२ का उत्तरार्ध<sup>२</sup> भी आत्ममीमासाकी उक्त कारिका<sup>३</sup> ६० से प्रभावित है ।

२—कहीं वे प्रकारान्तरसे यह भी कहते हैं कि अमुक विषयको मैं सूत्रनीति—श्रुत या परमागम—के अनुसार कहूँगा<sup>४</sup> ।

१ सपरुनगारड्वाए जिणवयणं गुरुवदेसतो गाउ ।

वोच्छामि समासेण पयड्ढरथं घम्मसगहणि ॥ ध स ३ ।

णमिऊण महावीर जिणपूजाए विहि पक्खामि ।

सखेनओ महुरथं गुरुवरसाणुसारेण ॥ पंचाशक १४५ ।

पंचाशकमें आगे २६६, ६६६ और ६४६ गाथाओं द्वारा भी यही भाव प्रकट किया गया है ।

२ खीरविगड्पच्चकलाणे दहियपरिभोगकिरियव्व ॥

३ पर्योन्नतो न दध्यत्ति न पर्योत्ति दधिपत्त ।

अगोरसन्नतो नोभे तस्मात्तत्त्व त्रयात्मकम् ॥

४-वेखिए पंचाशक गाथा १, ४४६, ६६६, ८४७ और ८६७ तथा षोडशक १६-१६ ।

३—कही वे अपनी प्रामाणिकता व निरभिमानताको व्यक्त करते हुए यह कहते हैं कि यदि यहाँ मेरे द्वारा अज्ञानताके वश कुछ आगमविरुद्ध व्याख्यान किया गया हो तो बहुश्रुत विद्वान् क्षमा करें ।

ये दोनो ( २-३ ) विशेषताएँ भी प्रकृत श्रावकप्रज्ञप्तिकी अन्तिम ( ४०१ ) गायामें प्रकट हैं ।

४—प्रकृत श्रावकप्रज्ञप्तिमें ऐसी बीसो गायामें हैं जो हरिभद्र सूरि द्वारा विरचित अन्य ग्रन्थोंमें प्रायः उसी क्रमसे उपलब्ध होती हैं । जैसे—धर्मसंग्रहणि, पंचाशकप्रकरण, समराइच्छकहा और श्रावकधर्मप्रकरण आदि । इसका विशेष स्पष्टीकरण आगे उन-उन ग्रन्थोंके साथ श्रावकप्रज्ञप्तिकी तुलना करते हुए किया जाने-वाला है, अतः जिज्ञासुजन वहीपर उसे देख लें ।

५—हरिभद्र सूरि विरचित पचाशक प्रकरणकी टीकामें अभयदेव सूरि ( १२वीं शती ) ने 'पूज्यैरे-कोक्तम्' ऐसा निर्देश करते हुए प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्तिकी 'सपत्तदसणाई' इत्यादि गायामें (२) को उद्धृत किया है । इससे यही प्रतीत होता है कि अभयदेव सूरि इसे हरिभद्रसूरि विरचित मानते रहे हैं ।

यहाँ यह आशंका हो सकती है कि हरिभद्र सूरिके द्वारा रचे गये ग्रन्थोंके अन्तमें किसी न किसी रूपमें 'विरह' शब्दका उपयोग किया गया है जो इस श्रावकप्रज्ञप्तिमें नहीं देखा जाता है । इसके समाधानमें यह कहा जा सकता है कि यद्यपि हरिभद्र सूरिके अधिकांश ग्रन्थोंमें उक्त 'विरह' शब्द अवश्य पाया जाता है, फिर भी उनके 'योगविशिका' आदि ऐसे भी ग्रन्थ हैं जहाँ उस 'विरह' शब्दका उपयोग नहीं हुआ है ।

इन कारणोंसे यही प्रतीत होता है कि प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्ति स्वयं हरिभद्रसूरिके द्वारा स्वोपज्ञ टीकाके साथ रची गयी है । उसके ऊपर जो संस्कृत टीका की गयी है वह हरिभद्र सूरिके द्वारा की गयी है, यह निर्विवाद सिद्ध है ।

इसमें यदि कुछ शंकास्पद है तो वह यह है कि प्रकृत श्रावकप्रज्ञप्तिकी टीकामें हरिभद्र सूरिने ग्रन्थ-कर्ताके लिए कही-कही 'तत्र चादावेवाचार्य' ( गायामें १ की उत्पानिका ) 'इत्ययमप्याचार्यो न हि न शिष्टः' ( गायामें १ की टीका ), 'अवयवार्थं तु महता प्रपञ्चेन ग्रन्थकार एव वक्ष्यति' ( गायामें ६ की टीका ), 'भावाथं तु स्वयमेव वक्ष्यति' ( गायामें ६५ की टीका ) तथा 'एतत् सर्वमेव प्रतिद्वार स्वयमेव वक्ष्यति ग्रन्थकारः' ( २९५ की टीका ) जैसे प्रथम पुरुषके सूचक पदोंका प्रयोग क्यों किया, जब कि वे स्वयं मूल ग्रन्थके भी निर्माता थे । इनके स्थानमें कहीपर वे ऐसे शब्दोंका भी उपयोग कर सकते थे कि जिससे ऐसा प्रतीत होता कि वे स्वयं अपने द्वारा निर्मित ग्रन्थपर टीका कर रहे हैं । पर इसमें कोई विशेष विरोध नहीं दिखता, क्योंकि टीकाकार ग्रन्थकार के रूपमें अन्य पुरुषके सूचक 'आह ग्रन्थकार' अथवा 'वक्ष्यति' जैसे पदोंका प्रयोग कर सकता है ।

## ४ विषय-परिचय

प्रस्तुत ग्रन्थ अपने सावयपन्नता ( श्रावकप्रज्ञप्ति ) इस नामके अनुसार श्रावकके कर्तव्य-कार्योंका विवेचन करनेवाला है । इसमें समस्त गायामें ४०१ हैं । यहाँ ग्रन्थकारने सर्वप्रथम मंगलके रूपमें अर्हन्त परमेष्ठियोंको नमस्कार करते हुए गुरुके उपदेशानुसार बारह प्रकारके श्रावकधर्मके प्ररूपणकी प्रतिज्ञा की है तथा उस धर्मके अधिकारी श्रावकका निरुक्तिके अनुसार यह स्वरूप बतलाया है—संप्राप्तदर्शनादियर्थं यति-जनात् प्रविद्विषस सामाचारी शृणोति तं श्रावकं ब्रुवते ।' अर्थात् जो सम्यग्दृष्टि जीव प्रतिदिन मुनिजनके पास सामाचारीको—शिष्ट जनोके आचारको—सुनता है वह श्रावक कहलाता है । 'संप्राप्तदर्शनादि' पदसे यह

१ यदिहोत्सूत्रमज्ञानाद् व्याख्यात तद् बहुश्रुतै ।

क्षन्तव्य कस्य समोहश्छद्मस्थस्य न जायते ॥ नन्दीसूत्रवृत्ति ( समाप्ति १ )

भाव प्रदर्शित किया गया है कि जिसने सम्यग्दर्शनको प्राप्त नहीं किया है ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव श्रावक कहलानेका अधिकारी नहीं है (२) । उक्त सामाचारिके सुननेसे जीवको जिन अपूर्व गुणोंकी प्राप्ति होती है उन गुणोंका भी यहाँ निर्देश कर दिया गया है ( ३-५ ) ।

वह श्रावकधर्म बारह प्रकारका है—५ अणुव्रत, ३ गुणव्रत, और ४ शिक्षापद ( या शिक्षाव्रत ) । इस श्रावकधर्मका मूल कारण चूँकि क्षायोपशमिकादि तीन भेदरूप सम्यग्दर्शन है, अतः ग्रन्थकारने प्रस्तुत श्रावकधर्मके निरूपणके पूर्व यहाँ उस सम्यग्दर्शनके निरूपणकी आवश्यकताका अनुभव करते हुए प्रथमतः उससे सम्बद्ध जीव व कर्मके सम्बन्धके निरूपणकी प्रतिज्ञा की है ( ७-८ ) व तत्पश्चात् कर्मकी मूल और उत्तर प्रकृतियोंका नामोल्लेख करते हुए उनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिकी प्ररूपणा की गयी है ( ९-३० ) ।

ज्ञानावरणादि आठ कर्म प्रकृतियोंमें मोहनोय कर्म प्रमुख है । उसकी उत्कृष्ट स्थिति—जीवके साथ सम्बद्ध रहनेकी कालमर्यादा—सत्तर कोड़ाकोडी सागरोपम प्रमाण निर्दिष्ट की गयी है । इस उत्कृष्ट कर्मस्थितिमेंसे जब धर्षण-धूर्णनके निमित्तसे—अनेक प्रकारके सुख-दुःखका अनुभवन करनेसे—एक कोड़ाकोडी मात्र स्थितिकी छोड़कर शेष सब क्षयको प्राप्त हो जाती है तथा अवशिष्ट रही उस एक कोड़ाकोडीमें भी जब पत्यके असह्यातवें भाग मात्र स्थिति और भी क्षयको प्राप्त हो तब इस बीच ग्रन्थ अभिन्नपूर्व रहती है ( ३१-३२ ) । जिस प्रकार वृक्षको ग्रन्थि ( गाँठ ) अतिशय दुर्भेद्य होती है—कुल्हाड़ी आदिके द्वारा बहुत कष्टके साथ काटी जाती है—उसी प्रकार कर्मोदयवश जीवका जा तीव्र राग-द्वेषस्वरूप परिणाम होता है वह भी उक्त ग्रन्थिके समान ही चूँकि अतिशय दुर्भेद्य होता है इसी कारण उसको 'ग्रन्थि' इस नामसे निर्दिष्ट किया गया है ।

भव्य और अभव्यके भेदसे जीव दो प्रकारके हैं । उनमें भव्य जीवोंके यथाप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ये तीनों ही करण सम्भव हैं, पर अभव्यके एक यथाप्रवृत्तकरण ही होता है । करणका अर्थ परिणाम है । जीवका जो परिणाम यथाप्रवृत्त है—अनादिकालसे कर्मक्षपणके लिए प्रवृत्त है—उसका नाम यथाप्रवृत्तकरण है । जिस प्रकार पर्वतीय नदीमें पडे हुए पाषाणखण्ड उपयोगसे रहित होते हुए भी परस्परके सघर्षण ( रगड ) से अनेक प्रकारके आकारमें परिणत हो जाते हैं उसी प्रकार इस यथाप्रवृत्तकरणके द्वारा जीव उक्त प्रकारकी विचित्र कर्म स्थितिवाले हुआ करते हैं । प्रकृत करणके आश्रयसे उत्कृष्ट कर्मस्थितिकी क्षीण करते हुए जब वह एक कोड़ाकोडी सागरोपममें भी पत्योपमके असह्यातवें भागसे हीन हो जाता है इस बीच अभिन्नपूर्व ग्रन्थि होती है ।

दूसरा अपूर्वकरण परिणाम स्थितिघात व अनुभागघात आदि रूप अपूर्व कार्यको—जो पूर्वमें कभी नहीं हुआ था—किया करता है । वह चूँकि अनादि कालसे अब तक जीवको कभी पूर्वमें नहीं प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे अपूर्वकरण कहा गया है । इस अपूर्वकरण परिणामके द्वारा पूर्वोक्त कर्मग्रन्थिका भेदन होता है । जिसकी निवृत्ति सम्यग्दर्शनके प्राप्त होने तक नहीं होती है उसका नाम अनिवृत्तिकरण है । यह तीसरा करण सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके अभिमुख हुए जीवके ही होता है । ये तीनों ही आत्मपरिणाम उत्तरोत्तर अधिकाधिक विशुद्धिको प्राप्त होते गये हैं । इनमेंसे अभव्य जीवोंके केवल एक यथाप्रवृत्तकरण ही हुआ करता है, शेष दो करण उनके सम्भव नहीं हैं । इस प्रकार अपूर्वकरणके द्वारा उस कर्मग्रन्थिके विदीर्ण हो जानेपर प्राणीको मोक्षके हेतुभूत उस सम्यग्दर्शनका लाभ होता है और तब वह उत्कृष्ट स्थितियुक्त कर्मको फिर कभी नहीं बाँधता है ( ३३ ) ।

यहाँ प्रसंगवश यह शका उपस्थित की गयी है कि जबतक जीवके उस सम्यग्दर्शनका लाभ नहीं हो जाता है तबतक चूँकि उसके बहुतर बन्ध होनेवाला है, अतएव उसके उस ग्रन्थिस्थान तक कर्मस्थितिकी होनता आदिका जो निर्देश किया गया है वह सम्भव नहीं है । इस शकाका तथा इसके ऊपरसे उद्भूत कुछ दूसरी शकाओका भी यहाँ अनेक दृष्टान्तोंके आश्रयसे समाधान किया गया है ( ३४-४२ ) ।

इस प्रकार प्रसंगप्राप्त कर्मके भेद, उनकी उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति तथा सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके साधनोकी प्ररूपणा करके आगे उस सम्यग्दर्शनके विविध भेदो और उसके अनुमापक उपशम-संवेगादिरूप कुछ बाह्य चिह्नोकी भी प्ररूपणा की गयी है ( ४३-५९ ) । तत्पश्चात् इस सबका उपसंहार करते हुए तत्त्वार्थ-श्रद्धानरूप उस सम्यग्दर्शनके विषयभूत जीवाजीवादि तत्त्वार्थो व उनके भेद-प्रभेदोका विशदतापूर्वक विवेचन किया गया है ( ६०-८३ ) ।

प्रकृत सम्यग्दर्शनका परिपालन करते हुए जिन पाँच अतिचारोका परित्याग करना चाहिए वे ये हैं— १ शका, २ काक्षा, ३ विविकित्सा, ४ परपापण्डप्रशसा और ५ परपापण्डसंस्तव । यहाँ प्रसंगप्राप्त इन अतिचारोके स्वरूप, उनकी अतिचारता और उनसे आविर्भूत होनेवाले पारलौकिक व ऐहिक दोषोका भी दिग्दर्शन कराया गया है । ऐहिक दोषोका कथन करते हुए यहाँ क्रमसे ये उदाहरण भी दिये गये हैं—१ पेयापेय (दो श्रेष्ठिपुत्र), २ राजामात्य, ३ विद्यासाधक श्रावक व श्रावक-पुत्री, ४ चाणक्य और सौराष्ट्र श्रावक ( ८६-९३ ) । गाथा ८६ में प्रयुक्त 'आदि' शब्दसे यहाँ इनके अतिरिक्त अन्य अतिचारोंकी भी सम्भावना प्रकट की गयी है । यथा—साधर्मिकानुपबृंहण और साधर्मिक-अस्थितोकरण आदि ( ९४-९५ ) ।

सातिचार सम्यग्दर्शन चूँकि मुक्तिका साधक नहीं हो सकता है, अतएव प्रकृत अतिचारोके परित्यागकी प्रेरणा करते हुए यहाँ उन अतिचारोंको असम्भावनाविषयक शकाको उपस्थित करके उसका सयुक्तिक समाधान किया गया है ( ९६-१०५ ) ।

इस प्रकार इस प्रासंगिक कथनको समाप्त करके प्रस्तुत बारह प्रकारके श्रावकधर्मके निरूपणका उपक्रम करते हुए यहाँ सर्वप्रथम स्थूलप्राणिवधविरमण आदि पाँच अणुव्रतोका निर्देश किया गया है व उनमें प्रथम स्थूलप्राणिघातविरमणरूप अणुव्रतका विवेचन करते हुए उस स्थूलप्राणिघातको सम्भावना सकल्प व आरम्भके द्वारा दो प्रकारसे बतलायी गयी है । गृहस्थ चूँकि आरम्भमें रत रहा करता है, अतएव वह उक्त स्थूलप्राणिवधका परित्याग केवल सकल्पपूर्वक कर सकता है । हाँ, यह अवश्य है कि आरम्भकार्यको भी वह इतनी सावधानीसे करता है कि उसमें निरर्थक प्राणिवध नही होता । प्रकृत अणुव्रतको वह मोक्षामिलाषी होकर गुरुके पादमूलमें चातुर्मास आदि रूप कुछ नियत काल तक अथवा जीवन पर्यन्तके लिए भी स्वीकार करता है ( १०६-१०८ ) । प्रसंग पावर यहाँ यह शका की गयी है कि जब श्रावकके परिणाम स्वयं देशविरतरूप होते हैं तब गुरुके समक्ष उस व्रतका ग्रहण करना निरर्थक एव गुरु व शिष्य दोनोके लिए दोषकारक है । इस शकाका युक्तिपूर्वक सुन्दर समाधान किया गया है ( १०९-११३ ) ।

तत्पश्चात् दूसरी शंका यह उठायी गयी है कि जो गुरु मन, वचन और काय तीनों प्रकारसे प्राणिघातका परित्यागी होकर पूर्णतया महाव्रती होता है वह यदि श्रावकको स्थूलप्राणातिपातका ही परित्याग कराता है तो इससे उसकी सूक्ष्मप्राणातिपातमें अनुमति समझनी चाहिए और तब इस प्रकारसे उसका अहिंसाव्रत कैसे सुरक्षित रह सकता है । इस शकाका समाधान यहाँ सूत्रकृतागका अनुसरण करके एक सेठके छह पुत्रोका दृष्टान्त देकर किया गया है ( ११४-११८ ) । इसी प्रकारकी और भी अनेकों शकाओको उपस्थित करके उनका युक्ति और आगमके आश्रयसे समाधान करते हुए प्रस्तुत स्थूलप्राणातिपातविरमण अणुव्रतका विशदतापूर्वक विस्तारके साथ विवेचन किया गया है ( ११९-२५६ ) । तत्पश्चात् उसका निर्दोष परिपालन करानेके उद्देश्यसे उसके पाँच अतिचारोका निर्देश करके उनके परित्यागके साथ त्रमरक्षणके लिए अन्यान्य प्रयत्न करनेकी ओर भी सावधान किया गया है ( २५७-२५९ ) ।

इस प्रकार प्रथम अणुव्रतका विस्तारसे निरूपण करके तत्पश्चात् यथाक्रमसे स्थूलमृषावादविरति, स्थूलअदत्तादानविरति, परदारपरित्याग व स्वदारसन्तोष और सचित्ताचित्त वस्तुविषयक इच्छापरिमाण इन शेष चार अणुव्रतोका ( २६०-२७९ ), दिग्व्रत, उपभोग-परिभोगपरिमाण और अनर्थदण्डविरति रूप तीन

गुणव्रतोका (२८०-२९१); तथा सामायिक, देशावकाशिक, पीपध्वजत और अग्नादिदान (अतिथिगविभाग) इन चार शिक्षापदोका (२९२-३२७) अतिचारोके उल्लेखपूर्वक वर्णन किया गया है। इस प्रकरणमें सस्कृत टीकाकारने कहीं पूर्वोक्ताचार्यविधि, कही वृद्धसम्प्रदाय और कही सामाधारो आदिका निर्देश करके आगमिक परम्पराके अनुसार यथास्थान इन व्रतो व उनके अतिचारोंका प्राय विस्तारके साथ स्पष्टीकरण किया है। सामायिकके प्रकरणमें यहाँ यह शक उठायो गयो है कि सामायिकको स्वीकार करनेवाला गृहस्थ जब कुछ समयके लिए समस्त सावध योगका परित्याग कर देता है तत्र उसे साधु ही समझना चाहिए। इसके उत्तरमें उस समय उसके इसकी असम्भावना प्रकट करके साधु और श्रावकके मध्यमें दो प्रकारको शिक्षा, 'सामाह्यमि उ कए' इत्यादि गाथा, उपपात, स्थिति, गति, कपाय, वन्य, वेदना, प्रतिपत्ति और अतिक्रम, इन द्वारोके द्वारा भेद बतलाया गया है (२९३-३११)। इस बारह प्रकारके श्रावकधर्ममें पाँच अणुव्रतो व तीन गुणव्रतोको यावत्कथिक—एक बार स्वीकार करके जीवनपर्यन्त परिपालनीय—और चार शिक्षापदोको इत्वर—अल्पकालिक—निर्दिष्ट किया गया है (३२८)।

गृहस्थ जो प्रत्याख्यान करता है उसके मन, वचन, फाय व कृत, कारित, अनुमोदना इनके पारस्परिक सयोगसे समस्त भग १४७ होते हैं। यहाँ यह आशका उठायो गयो है कि गृहस्थ चूँकि देशव्रतो है अत उसके जब अनुमत्तिका निषेध सम्भव नही है तब प्रकृत प्रत्याख्यानके वे १४७ भग कैसे हो सकते हैं। इस शकका भगवतीसूत्रके अनुसार समाधान करनेपर जो प्रत्याख्याननिर्युक्तिके आश्रयमे दूमरो शका उपस्थित हुई उसका तथा इसी प्रकारको अन्य शकाओका भी समुचित समाधान किया गया है (३२९-३३८)।

श्रावकको ऐसे स्थानपर रहना चाहिए जहाँपर साधुओका आगमन होता रहता हो, चैत्यालय हों और अन्य साधमिक बन्धुजन भी रहते हों (३३९-३४२)। वहाँ रहते हुए उसे विधिपूर्वक हो रहना चाहिए। यथा—प्रात कालमें उठनेके साथ नमस्कार मन्त्रका उच्चारण करते हुए शय्याको छोडना, व्रतादिकका अनुस्मरण करना व उसमें उपयुक्त होना, चैत्यवन्दना व गुह आदिकी वन्दना करते हुए विधिपूर्वक प्रत्याख्यानको ग्रहण करना, तत्पश्चात् चैत्यालयमें जाकर जिनपूजादि करना व ग्रहण किये हुए प्रत्याख्यानको साधुके समक्ष ग्रहण करना आदि। प्रसगवश यहाँ पूजाके विषयमें उठनेवाली शकाओका समाधान करके उसे अवश्य करणीय सिद्ध किया गया है (३४३-३५०)। तत्पश्चात् यहाँ गुरुकी साक्षीमें प्रत्याख्यानके ग्रहणमें क्या लाभ है इसे प्रकट करते हुए श्रावककी दैनिक चर्चाका तथा सोतेसे उठकर क्या विचार करना चाहिए, इसका वर्णन किया गया है (३५१-३६४)।

अन्तमें साधु व श्रावककी विहारविषयक सामाचारो (३६४-३७६), अन्य अनुपालन करने योग्य प्रतिमा आदि (३७६), मारणान्तिकी सल्लेखनाकी आराधना (३७७-३८५) और जिनोपदिष्ट क्षान्ति आदि गुणोंकी भावना, इत्यादि विशेष करणीय क्रियाओंका विवेचन (३८६-४००) करके अन्तमें ग्रन्थकारने यह भी निर्देश कर दिया है कि मैंने सूत्र, सूत्रकार एव आचार्यपरम्परासे प्राप्त तत्वका उद्धार मात्र किया है। यदि इसमें कदाचित् कुछ विरुद्ध हुआ हो तो परमागमके ज्ञाता क्षमा करें (४०१)।

## ५ दिग्मन्वर व श्वेताम्बर सम्प्रदायोमें श्रावकाचार-विषयक समानता

जैसा कि पाठक पीछे विषयपरिचय व तुलनात्मक विवेचनमें देख चुके हैं श्रावकाचारके विषयमें दि और श्वे सम्प्रदायोमें कोई विशेष मतभेद नही रहा, तद्विषयक समानता ही उनमें अधिक दिखती है। यथा—

१ श्रावकधर्मका अनुष्ठान सम्यक्त्वके ऊपर निर्भर है, इसे दोनों ही सम्प्रदायोमें समान रूपसे स्वीकार किया गया है। उम सम्यक्त्व-विषयक विवेचन भी प्राय दोनों सम्प्रदायोमें समान रूपमें उपलब्ध होता है।

२. पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इन बारह व्रतोंके स्वरूप आदिका विवेचन उक्त दोनों सम्प्रदायोंमें समान रूपमें किया गया है। गुणव्रत और शिक्षाव्रत इनके विषयमें जो कुछ मतभेद रहा है वह उन दोनों सम्प्रदायोंमेंसे प्रत्येकमें भी पाया जाता है। जैसे—दि. तत्त्वार्थसूत्र ( ७-२१ ) में जहाँ गुणव्रत और शिक्षाव्रतका भेद न करके सामान्यसे दिग्ब्रत, देशव्रत, अनर्थदण्डव्रत, सामायिक, प्रोपधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण और अतिथिसविभागव्रत इनका उल्लेख शीलव्रतों ( ७-२४ ) के रूपमें किया गया है, वहाँ रत्नकरण्डकमें दिग्ब्रत, अनर्थदण्डव्रत और भोगोपभोगपरिमाण इन तीनोंको गुणव्रत ( ६७ ) तथा देशावकाशिक, सामायिक, प्रोपधोपवास और वैयावृत्य ( अतिथिसविभागव्रत ) इन चारको शिक्षाव्रत ( ९१ ) कहा गया है। चारित्रप्रभृतमें शिक्षाव्रतोंके मध्यमें देशावकाशिकव्रतको ग्रहण न करके उसके स्थानमें सल्लेखनाको ग्रहण कर उन चारको शिक्षाव्रत कहा गया है ( २६ )। इस प्रकार चारित्रप्रभृतमें सल्लेखनाको बारह व्रतोंके ही अन्तर्गत कर लिया गया है। यह रत्नकरण्डककी अपेक्षा यहाँ इतनी विशेषता है।

दि. सम्प्रदायके अनुसार श्वे. सम्प्रदायसम्मत त. सूत्र ( ७-१६ व १९ ) में भी उक्त दिग्ब्रतादि सात व्रतोंका उल्लेख शीलव्रतोंके रूपसे ही किया गया है, गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंका विभाग नहीं किया गया। उवासगदसाओमें ( १-१२, पृ. ६ व १-५८, पृ. १२-१३ ) गुणव्रतका निर्देश न करके उक्त दिग्ब्रतादि सातका उल्लेख 'शिक्षापद' के नामसे किया गया है। परन्तु प्रस्तुत श्रा. प्र. ( गा. ६ तथा गा. २८० व २९२ की उत्थानिका ) आदिमें दिग्ब्रत, उपभोगपरिभोगपरिमाण और अनर्थदण्डव्रत इन तीनोंको गुणव्रत तथा सामायिक, देशावकाशिक, प्रोपधोपवास और अतिथिसविभाग इन चारको शिक्षाव्रत कहा गया है। उक्त सातों व्रतोंका क्रमविन्यास उवासगदसाओ और श्रा. प्र. आदिमें समान व त. सू. से कुछ भिन्न है। इस प्रकार देशावकाशिक या देशव्रतके विषयमें उक्त दोनों सम्प्रदायोंमें तथा प्रत्येकमें भी मतभेद रहा है।

३. किसी-किसी व्रतके अतिचारोंके विषयमें जैसे एक ही सम्प्रदायमें कुछ मतभेद उपलब्ध होता है वैसे ही वह उभय सम्प्रदायोंके मध्यमें भी देखा जाता है। यथा—दि. सम्प्रदायमें उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतके पाँच अतिचारोंके विषयमें त. सूत्र ( ७-३५ ) और रत्नकरण्डक ( ९० ) के मध्यमें जैसा मतभेद रहा है वैसे ही मतभेद श्वे. सम्प्रदायमें भी उक्त उपभोगपरिभोगपरिमाणके अतिचारोंके विषयमें त. सूत्र ( ७-३० ) और उवा. द ( १-५१ ) एवं श्रा. प्र ( २८७-२८८ ) के अनुसार भी कुछ अन्य प्रकारका रहा है। प्रोपधोपवास-विषयक अतिचारोंके विषयमें भी त. सू. ( ७-२९ ) और उवा. द. ( ५५ ) तथा श्रा. प्र. ( ३२३-३२४ ) के अनुसार कुछ मतभेद देखा जाता है।

विशेषता—१. श्रावकधर्मके अन्तर्गत मूल और उत्तर गुणोंका विभाग जैसा दि. सम्प्रदायमें देखा जाता है वैसे वह श्वे. सम्प्रदायमें दृष्टिगोचर नहीं होता। उदाहरणार्थ दि. सम्प्रदायके रत्नकरण्डक ( ६६ ) में पाँच अणुव्रतोंके साथ मद्य, मास और मधुके त्यागको आठ मूल गुण कहा गया है। पुरुषार्थसिद्धयुपाय ( ६१ ) में मद्य, मास, मधु और पाँच उदुम्बर फलोंके त्यागको आठ मूल गुण बतलाकर अहिंसाणुव्रतके संरक्षणार्थ प्रयत्नपूर्वक इनके परिपालनकी प्रेरणा की गयी है। आगे वहाँ ( ६२-७४ ) उक्त मद्यादि आठोंके दोषोंको कुछ विस्तारसे दिखलाते हुए उनका परित्याग कर देनेपर प्राणी जिनधर्मदेशनाके पात्र होते हैं, ऐसा भी स्पष्ट निर्देश किया गया है। सा. घ. ( २-३ ) में प्रथम पाक्षिक श्रावकके लिए ही जिनवाणीके श्रद्धान ( सम्यग्दर्शन ) पूर्वक उक्त पु. सि. में निर्दिष्ट उन मद्यादि आठोंके परित्यागको अहिंसाव्रतकी सिद्धिके लिए जायद्वयक बतलाया गया है। वहाँ ( २-३ व २-१८ ) इन मूल गुणोंके विषयमें जो कुछ छोटा मतभेद रहा है उसका भी उल्लेख कर दिया गया है। उपासकाध्ययन ( ३१४ ) और मा. घ. ( ४-४ ) में पाँच अणुव्रतों,

१ सा. घ. की इस श्लोक टीकामें मतान्तरके अतिभोजन करनेकी भी उल्लेख अणुव्रतके रूपमें किया गया है। यथा—इस्य पदस्यैव मद्गुणपरिभृत्ये। अत्रिचिन्नात्मभोजनमप्युच्यते। सा. घ. स्तो. टीका ४-४।



तीन गुणव्रतों और चार शिक्षाव्रतों इन चारह व्रतोंको श्रावकके उत्तरगुण कहा गया है। ये चूँकि मूल गुणोंके अनन्तर सेवनीय हैं तथा उनसे उत्कृष्ट भी हैं, इसीलिए उन्हें उक्त श्लोककी स्त्री टीकामें उत्तर गुण कहा गया है।

त भाष्यमें दिग्भ्रतादि सातको जो उत्तरव्रत कहा गया है, सम्भव है उससे भाष्यकारको अहिंसादि पाँच अणुव्रत मूलव्रतके रूपमें अभीष्ट रहे हों।<sup>१</sup>

२. पद्मनन्दपञ्चविंशति ( ६-७, ४०३ ) आदि कुछ दि. ग्रन्थोंमें देवपूजा, गुम्पासना, स्वाध्याय, सयम, तप और दान इन छहको प्रतिदिन अनुष्ठेय गृहस्थके छह आवश्यक कर्म कहा गया है। श्वे ग्रन्थोंमें कही ऐसे दैनिक आवश्यक कर्मोंका उल्लेख किया गया था नहीं यह मुझे देखनेमें नहीं आया।

३. श्रावकधर्मके अन्तर्गत ग्यारह प्रतिमाओंके पालनका उल्लेख उक्त दोनों ही सम्प्रदायोंमें किया गया है। सर्वप्रथम देशविरत रूपमें इन प्रतिमाओंके परिपालनका उल्लेख चारित्रप्राभृत ( २२ ) में दृष्टिगोचर होता है। इसके पश्चात्कालीन रत्नकरण्डक ( १३६-१४७ ) में श्रावकपद भेदोंके रूपमें उन ग्यारह प्रतिमाओंका निर्देश करते हुए पृथक्-पृथक् उनके स्वरूपको भी प्रकट किया गया है। बादके ती कितने ही दि. ग्रन्थोंमें—जैसे क्रांतिकेयानुप्रेक्षा, उपासकाव्ययन, चारित्रसार, अमितगतिश्रावकाचार, वसुनन्दिश्रावकाचार और सागारधर्माभृत आदिमें—उनका विवरण उपलब्ध होता है।

श्वेता० सम्प्रदायमें इनका निर्देश सक्षेपमें प्रस्तुत श्रा प्र में किया गया है ( ३७६ )। वहाँ टीकामें 'दसण-वय' इत्यादि रूपसे उनसे सम्बद्ध एक गाथाके प्रारम्भिक अंशको उद्धृत किया गया है। यह गाथा चारित्रप्राभृतमें इस प्रकार उपलब्ध होती है—

दसण वय सामाह्य पोसह सच्चित्त रायमत्ते च ।

यमारंभपरिग्गह अणुमण उद्धिट्ट देसविरदो य ॥२२॥

श्रा. प्र की टीकागत निर्देशके अनुसार वह गाथा इसी रूपमें हरिभद्रके सामने रही है या कुछ भिन्न रूपमें, यह कहा नहीं जा सकता। सम्भव है प्रत्याख्याननिर्युक्तिमें वह गाथा हो और वहाँसे हरिभद्रसूरिने उसके उत्तने अंशको उद्धृत किया हो, अथवा उक्त चारित्रप्राभृतसे ही उन्होंने उसे उद्धृत किया हो।

### ६ श्रा. प्र से सम्बद्ध पूर्वोत्तरकालवर्ती साहित्य

हम अब यहाँ यह विचार करना चाहेंगे कि प्रस्तुत श्रा प्र पर अपने पूर्ववर्ती किन-किन ग्रन्थोंका प्रभाव रहा है तथा उसका भी प्रभाव पश्चाद्वर्ती किन ग्रन्थोंपर रहा है। इसके लिए यहाँ तुलनात्मक दृष्टिसे कुछ विचार किया जाता है।

#### ( १ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और प्रवचनसार

प्रवचनसार यह एक आचार्य ( कुन्दकुन्द प्रथम शती प्राय ) विरचित आध्यात्मिक ग्रन्थ है। इसके तीसरे चारित्राधिकारमें निम्न गाथा उपलब्ध होती है—

अं अण्णाणी कम्मं खवेह् भवसयसहस्सकोडीहिं ।

तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेह् उस्सासमेत्तेण ॥३-२६॥

यह गाथा श्रा प्र. ( १५९ ) में इस प्रकार है—

जं नेरह्ओ कम्मं खवेह् बहुभाहिं वासकोडीहिं ।

तन्नाणी तिहिं गुत्तो खवेह् उसासमित्तेण ॥

१ पश्चिम दिग्भ्रतादिभिरुत्तरव्रतै सम्पन्नोऽगारीव्रती भवति। त भाष्य ७-१६।

दोनों गाथाओंका उत्तरार्ध सर्वथा समान है। पूर्वार्धमें प्र. सार में जहाँ 'अण्णाणी' है वहाँ आ. प्र. में उसके स्थानमें 'णेरइओ' है जो प्रसग के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। आ. प्र. में वहाँ प्रसग नारक जीवोका है, अतः 'अण्णाणी' के स्थानमें 'णेरइओ' पद उपयुक्त है। हरिभद्र सूरिने ध्यानशतककी अपनी टीकामें इस गाथाको उद्धृत किया है। वहाँ 'अन्नाणी' के स्थानमें आ. प्र. 'बहुआहि वासकोडीहि' ही पाठ है, 'नेरइओ' पाठ वहाँ नहीं है ( देखिए ध्या. श. गा. ४५ की टीका )। 'भवसयसहस्सकोडीहि' है। दोनों ही पाठ कालकी अधिकताके सूचक हैं। हो सकता है प्रकृत गाथा अन्यत्र कही निर्युक्तियो आदिके भी अन्तर्गत हो।

## ( २ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और मूलाचार

मूलाचार यह आचार्य वट्टकेर ( १-२ शती ) १ विरचित मुनिके आचारविषयक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। बारह अधिकारोंमें विभक्त इसके सातवें आवश्यक अधिकारमें सामायिक आवश्यकके प्रसगमें निम्न गाथा प्राप्त होती है—

सामाह्यस्मिं दु कदे समणो इर सावओ हवदि जम्हा ।

एदुणे कारणेण दु बहुसो सामाह्यं कुज्जा ॥७-३४

यह गाथा प्रकृत आ प्र ( २९९ ) में भी उपलब्ध होती है। विशेष इतना है कि मूलाचारमें जहाँ 'इर' है वहाँ आ. प्र. में उसके स्थानमें 'इव' है। आ प्र में प्रसग सामायिक शिक्षापदका है। वहाँ एक शकाके समाधानमें दो प्रकारकी शिक्षा, गाथा और उपपात आदि १० द्वारोंके ( २९५ ) आश्रयसे साधु और श्रावकके बीच भेद प्रकट किया गया है। उक्त गाथा 'गाया' नामक दूसरे द्वारके प्रसगमें प्राप्त होती है। इससे इतना तो निश्चित है कि वह मूल ग्रन्थकी गाथा न होकर ग्रन्थान्तरसे वहाँ प्रस्तुत की गयी है। प्रकृत गाथा आवश्यकनिर्युक्ति ( ५८४ ) और विशेषावश्यकमाष्य ( ३१७३ ) में भी उपलब्ध होती है। जिस शका ( २९३ ) के समाधानमें साधु और श्रावकके मध्यमें भेद दिखलाया गया है वह शंका यही थी कि श्रावक जब नियमित कालके लिए समस्त सावद्ययागका परित्याग कर चुकता है तब वह साधु ही है। मूलाचारमें जो 'इर ( किल )' पाठ है वह शकाके अनुरूप दिखता है।

## ( ३ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और तत्त्वार्थाधिगम सूत्र

वाचक उमास्वाति विरचित तत्त्वार्थाधिगमसूत्र ग्रन्थसे सक्षित होकर भी अर्थसे विशाल एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। वह दिग्म्बर व श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें लब्धप्रतिष्ठ है। उसमें मोक्षके मार्गभूत सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रिका विवेचन करते हुए प्रसगप्राप्त जीवादि सात तत्त्वो एव नय-प्रमाणादि विविध विषयोकी प्ररूपणा की गयी है। उसके सातवें अव्यायमें आस्रव तत्त्वका विचार करते हुए व्रतोकी प्ररूपणामें सामान्यसे व्रतके अणुव्रत और महाव्रत ये दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं<sup>१</sup>। वहाँ कहा गया है कि जो माया, मिथ्या व निदान इन तीन शल्यासे रहित हो वह व्रतो होता है<sup>२</sup>। वह अगारी—गृहमें निरत श्रावक—और अनगारी—गृहसे निवृत्त श्रमण—के भेदसे दो प्रकारका सम्भव है<sup>३</sup>। इनमें जिसके वे व्रत अणुरूपमें ( देशतः ) सम्भव होते हैं वह अगारी<sup>४</sup>—उपासक या श्रावक—कहलाता है। वह उन अणु-व्रतोके साथ दिग्भ्रतादि सात शीलो या उत्तरव्रतोसे सम्पन्न होता है<sup>५</sup>। उक्त बारह व्रतोका परिपालन करते हुए वह मारणान्तिकी सल्लेखनाका भी आरावक होता है<sup>६</sup>। इस प्रकार यहाँ श्रावकके बारह व्रतोके पश्चात्

अन्तमें अनुष्ठेय सल्लेखनाका भी उल्लेख करके आगे सम्यग्दृष्टि<sup>१</sup> और तत्पश्चात् यथाक्रमसे उन वारह व्रतोंके साथ सल्लेखनाके भी अतिचारोका निर्देश किया है<sup>२</sup> ।

तत्त्वार्थसूत्रसे श्रावकप्रज्ञप्तिकी विशेषता

प्रस्तुत श्रावक प्रज्ञप्तिमें इन व्रतोंकी विस्तारसे प्ररूपणा की गयी है । वहाँ अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो तत्त्वार्थसूत्र और उसके भाष्यसे<sup>३</sup> सर्वथा समानता रखते हैं, पर वहाँ कुछ ऐसे भी प्रसंग हैं जो उक्त तत्त्वार्थ-सूत्रसे अपनी अलग विशेषता रखते हैं । यथा—

१. तत्त्वार्थ सूत्रमें गुणव्रत और शिक्षाव्रतोका विभाग न करके सामान्यसे शीलव्रतोंके<sup>४</sup> रूपमें उन दिग्ब्रतादि सात व्रतोंका उल्लेख किया गया है तथा भाष्यमें उनका निर्देश उत्तरव्रतोंके रूपमें किया गया है<sup>५</sup> ।

परन्तु श्रावकप्रज्ञप्तिमें उक्त गुणव्रतो और शिक्षाव्रतोका विभाग स्पष्ट रूपमें किया गया है<sup>६</sup> । इसके अतिरिक्त तत्त्वार्थ सूत्रकी अपेक्षा श्रावकप्रज्ञप्तिमें उनका क्रमव्यत्यय भी देखा जाता है<sup>७</sup> ।

२. सम्यक्त्वके दूसरे अतिचारस्वरूप काक्षाका लक्षण तत्त्वार्थ भाष्यमें इस प्रकार कहा गया है—  
पेहलौकिक-पारलौकिकेषु विषयेऽशाशसा काक्षा । तत्त्वार्थ भाष्य ७-१८ ।

परन्तु श्रावकप्रज्ञप्तिमें उसका स्वरूप कुछ भिन्न रूपमें इस प्रकार कहा गया है—कला अन्नस-दसणग्गाहो<sup>८</sup> । गाथा ८७

३. तत्त्वार्थ सूत्र ( ७-२१ ) में सत्याणुव्रतके अतिचारोंमें जहाँ न्यासापहार और साकारमन्त्रभेदको ग्रहण किया गया है वहाँ श्रावकप्रज्ञप्ति ( २६३ ) में उनके स्थानमें सहसा-अभ्याख्यान और स्वदारमन्त्रभेद इन दो अतिचारोंको ग्रहण किया गया है ।

४. तत्त्वार्थसूत्र ( ७-२७ ) में जहाँ अनर्थदण्डव्रतके अतिचारोंमें 'असमीक्षयाधिकरण' को ग्रहण किया गया है वहाँ श्रावकप्रज्ञप्ति ( २९१ ) में उसके स्थानमें 'सयुक्ताधिकरण' को ग्रहण किया गया है ।

५. तत्त्वार्थ सूत्र ( ७-२९ ) में पौषधोपवासव्रतके अतिचार इस प्रकार कहे गये हैं—अप्रत्यवेक्षित-और अप्रमाजित उत्सर्गं, अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित आदान-निक्षेप, अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित सस्तारोपक्रमण, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान ।

परन्तु श्रा प्र ( ३२३-३२४ ) में ये अतिचार कुछ भिन्न रूपमें इस प्रकार निर्दिष्ट किये गये हैं—  
अप्रतिलेखित-दु प्रतिलेखित शय्या-सस्तारक, अप्रमाजित-दुप्रमाजित शय्या-सस्तारक, अप्रतिलेखित-दु प्रतिलेखित उचचारादिभू, अप्रमाजित-दुप्रमाजित उचचारादिभू और सम्यक् अननुपालन ।

१ सूत्र ७-१८ ।

२. तत्त्वार्थ सूत्र ७ १६-३२ ।

३ जैसे—अतिथिसंविभागो नाम न्यायागतानां कल्पनीयानामभ्युपनिषत्तानां [ च ] द्रव्याणां देशकाल-श्रद्धा सत्कार क्रमोपेतं पर्याऽऽत्मानुग्रहदुःखथा संयतेभ्यो दानमिति । तत्त्वार्थ भाष्य ७-१६ । नायागयाण अन्नाद्याण सह चैव कल्पणिज्जाणं । वेसद्व-सद्व-सन्नकार-कमजुय परमभक्षीए ॥ श्रावकप्रज्ञप्ति ३२५ ।

४ व्रत-शोलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् । तत्त्वार्थ सूत्र ७-१६ ।

५ रभिरश्च दिग्ब्रतादिभिरुत्तरव्रतै सम्पन्नोऽगारी व्रती भवति । तत्त्वार्थ भाष्य ७-१६ ।

६ श्रावकप्रज्ञप्ति ६ ।

७ तत्त्वार्थ भाष्य ( ७ १६ )—दिग्विरति, देशविरति, अनर्थदण्डविरति, सामायिक, पौषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण, अतिथिसंविभागव्रत । श्रावकप्रज्ञप्ति—दिग्ब्रत ( २८० ), उपभोगपरिभोगपरिमाण ( २८४ ), अनर्थदण्डविरति ( २८६ ), सामायिक ( २६२ ), वेशावकाशिक ( ३१८-१९ ), पौषधोपवास ( ३२१ ), अतिथिसंविभाग ( ३२५-३२६ ) ।

८ श्रावकप्रज्ञप्तिके अन्तर्गत यह गाथा भाष्यगाथाके रूपमें नितीथचूर्ण ( १-२४ ) में उसी रूपमें उपलब्ध होती है । तत्त्वार्थ सूत्रके वृत्तिका सिद्धसेन गणिने उक्त काँक्षाके लक्षणमें दर्शनको भी ग्रहण कर लिया है । यथा—प्रकथप्रिकर्षवृत्तिरत्वात् अत्यान्यदर्शने सर्ति प्राहोऽभिलापस्तद्विषय, आशासा प्रीतिरभिलाप काङ्क्षैरयन्थान्तरस्, दर्शनेषु वा । तथा चागमे—कला अण्णणद सणग्गाहो ।

६ त सूत्र व उसके भाष्य ( ७-१६ ) में पीषोपवासके उन आहारपीषवादि चार भेदोका उल्लेख नहीं किया गया जिनका निर्देश आ प्र. ( ३२१ ) में पीषोपवासके लक्षणके रूपमें ही किया गया है ।

७. इसी प्रकार दोनों ग्रन्थोंमें उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतके अतिचार भी कुछ भिन्न रूपमें पाये जाते हैं । जैसे—

सचित्त, सचित्तसम्बद्ध, सचित्तसमिश्र, अमिषव और दुष्पक्व आहार । त सू ७-३० ।

सवित्ताहार, सचित्तप्रतिवद्धाहार, अपक्व, दुष्पक्व और तुच्छोषविभक्षण । आ. प्र. २८६ ।

८. त सू. ( ७-३२ ) में सल्लेखनाके अतिचार जीविताशसा, मरणाशसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध और निदान ये पांच कहे गये हैं । परन्तु आ. प्र. ( ३८५ ) में वे इस प्रकार निर्दिष्ट किये गये हैं—इहलोकाशसाप्रयोग, परलोकाशसाप्रयोग, जीविताशसाप्रयोग, मरणाशसाप्रयोग और भोगाशसाप्रयोग ।

९. त सूत्र और उसके भाष्यमें श्रावककी दर्शन व व्रत आदि प्रतिमाओका कही कुछ निर्देश नहीं किया गया जब कि आ. प्र. ( ३७६ ) में उनका उल्लेख भी विशेष करणीयके रूपमें किया गया है ।

१०. त सूत्रमें बारह व्रतो और सल्लेखनाके पश्चात् दान व उसकी विशेषताका भी अलगसे निर्देश किया गया है । ( ७, ३३-३४ ) पर उसका विधान आ. प्र. में कही नहीं किया गया ।

#### ( ४ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और आचाराग

अगसाहित्यका निर्माता गौतम गणवर अथवा सुधर्मा स्वामीको माना जाता है । वर्तमानमे जो आचाराग आदिरूप अग साहित्य उपलब्ध है वह अपने यथार्थ स्वरूपमें उपलब्ध नहीं है । उसे साधुसमुदायकी स्मृतिके आधारपर वी. नि. स. ९८० के आसपास बलमीमें तोसरो वाचनाके समय आचार्य देवर्द्धि गणि ( ५वी शती ) के तत्त्वावधानमें पुस्तक रूपमें ग्रथित किया गया है ।

आचाराग यह १२ अगोमें प्रथम है । प्रकृत आ. प्र. ( ६१ ) जो 'ज मोण त सम्म' आदि गाथा अवस्थित है वह आचारागके सूत्र १५६ ( पृ. १९२ ) से प्रभावित है । इसकी टीकामें हरिभद्र सूरिने 'उक्त चाचारागे' ऐसा निर्देश करते हुए "ज मोण ति पासहा" आदि उक्त सूत्रको अपनी टीकामें उद्धृत भी कर दिया है । विशेष इतना है कि आचारागमें जो उसका पूर्वार्द्ध है वह यहाँ उत्तरार्द्धके रूपमें और जो वहाँ उत्तरार्द्ध है वह यहाँ पूर्वार्द्धके रूपमें उपलब्ध होता है ।

#### ( ५ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और सूत्रकृताग

सूत्रकृताग यह १२ अगोमें दूसरा है । वह दो श्रुतस्कन्धो मे विभक्त है । उसके द्वितीय श्रुतस्कन्धके अन्तर्गत नालन्दीय नामक अन्तिम अध्यायनमें इन्द्रभूति गणधरके द्वारा पाश्चात्यीय पेडालपुत्र उदक निर्गन्धके प्रदानानुसार गृहस्थधर्मकी प्ररूपणा की गयी है । प्रकृतमें आ प्र की गाथा ११५ में अहिंसागुत्रतके प्रसगमें एक शंकाका समाधान करते हुए किसी गृहपतिके पुत्र चोरोंके ग्रहण और मोचनका उदाहरण दिया गया है । इस गाथाकी टीकामें हरिभद्रसूरिने उससे सम्बद्ध कथानकको उद्धृत करते हुए यह कहा है कि यह केवल अपनी बुद्धिसे की गयी कल्पना नहीं है । सूत्रागमे भी यह कहा गया है—गाहावद्दसुयचोरगगहण-विमोक्षणयायेत्ति । ऐसी सूचना करते हुए उन्होंने आगे 'एतत्सप्राहक चेद गाथात्रयम्' ऐसा निर्देश करके उक्त कथानकसे सम्बद्ध उन तीन ( ११६-११८ ) गाथाओंका भी उल्लेख कर दिया है । इन गाथाओंमें उक्त कथानककी गतिमान सूचना मात्र करते हुए दृष्टान्तकी गति दाष्टान्तसे वैधायी गयी है । इस प्रकार श्रावक-प्रज्ञप्तिके अन्तर्गत वह सका-समाधान पूर्णतया सूत्राग ( २, ७, ७५, पृ. २६७-२६८ ) से प्रभावित है ।

आगे श्रा प्र ( ११९-१२३ ) में वादोके द्वारा नागरकवधका दृष्टान्त देते हुए सामान्यसे की जाने-वाली त्रसप्राणघातविरतिको अनिष्ट वतलाकर यह कहा गया है कि इसीलिए सामान्यसे त्रसप्राणघातविरतिको न कराकर विशेष रूपमें त्रसभूतप्राणघातविरतिको करना चाहिए ।

इस शकाका समाधान करते हुए आगे ( १२३-१३२ ) वादीके द्वारा उपन्यस्त 'भूत' शब्दके अर्थ-विषयक उपमा और तादर्थ्यरूप दो विकल्पोको उठाकर उन दोनों ही विकल्पोमें 'भूत' शब्दके उपादानको निरर्थक सिद्ध किया गया है । यह सब कथन भी उक्त सूत्रागसे प्रभावित है ।

विशेष इतना है कि सूत्रकृतागके टीकाकार शीलाकाचार्यने प्रसगप्राप्त उस सूत्र ( २, ७, ७५ ) को व्याख्यामें प्रकृतकथाको स्पष्ट करते हुए प्रथमत यह कहा है कि किसी गृहपतिके छह पुत्र थे । उन्होंने उस प्रकारके कर्मके उदयसे पिता व पितामहके क्रमसे चली आयी प्रचुर सम्पत्तिके होते हुए भी राजवशके भाण्डा-गारमें जाकर चोरी की । भवितव्यताके वश वे राजपुरुषों द्वारा पकड़ लिये गये ।

उक्त टीकाकार आगे प्रकृत कथानकके विषयमें मतान्तरको प्रकट करते हुए कहते हैं कि अन्य आचार्य प्रकृत कथानकका व्याख्यान इस रूपमें करते हैं—रत्नपुर नगरमें रत्नशेखर नामका राजा था । उसने सन्तुष्ट होकर रत्नमाला पटरानी आदि समस्त अन्त पुरको कौमुदी उत्सव मनानेके लिए इधर-उधर जाने-आनेकी अनुमति दी ।

इसी प्रसगमें श्रा. प्र की उक्त गाथा ( ११५ ) की टीकामें जो कथा दी गयी है उसमें निर्दिष्ट नाम आदि उससे कुछ भिन्न हैं । वहाँ कहा गया है—वसन्तपुर नगरमें जितशशु राजा व उसकी धारिणी नामकी पत्नी थी । किसी प्रकारसे रानीके ऊपर सन्तुष्ट होनेपर राजाने उससे कहा कि बोलो तुम्हारा क्या भला कर्हूँ । इसपर रानीने कहा कि रातमें इच्छानुसार घूम-फिरकर कौमुदी महोत्सव मनानेकी प्रसन्नता प्रकट कीजिए । राजाने उसे स्वीकार कर नगरमें यह घोषणा करा दी कि आज रातमें नगरके भीतर जो भी पुरुष रहेगा उसे मेरे द्वारा भयानक शारीरिक दण्ड दिया जायेगा । आगेकी कथाका प्रसग प्रायः समान है ।

इस प्रकार प्रकृत कथाके विषयमें तीन मत दृष्टिगोचर होते हैं । इनमें प्रथम मत सूत्रकृतागगत उक्त सूत्रके साथ सगतिको प्राप्त है । कारण यह कि सूत्रमें उल्लिखित चोरपदकी सार्थकता इसी मतसे घटित होती है ।

### ( ६ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और व्याख्याप्रज्ञप्ति

व्याख्याप्रज्ञप्ति ( भगवती सूत्र ) यह १२ अगोमें पाँचवाँ है । श्रा प्र ( ३३३ ) में गृहस्थधर्म सम्बन्धी १४७ प्रत्याख्यानभेदोंके प्रसगमें शकाके रूपमें कहा गया है कि कितने ही जैन मतानुसारी यह कहते हैं कि गृहस्थके कृत-कारितादिरूप तीन प्रकारके सावद्यका प्रत्याख्यान तीन प्रकारसे सम्भव नहीं है । इस मतका निराकरण करते हुए वहाँ कहा गया है कि तीन प्रकारसे तीन प्रकारके सावद्यका वह प्रत्याख्यान गृहस्थके भी सम्भव है, क्योंकि प्रज्ञप्ति—व्याख्याप्रज्ञप्ति—में उसका विशेष रूपमें निर्देश किया गया है । इस प्रकार यहाँ 'प्रज्ञप्ति' के नामसे ग्रन्थकारने व्याख्याप्रज्ञप्ति या भगवती सूत्रकी ओर संकेत किया है । टीकामें 'प्रज्ञप्ति' से 'भगवती' को ग्रहण किया गया है तथा वहाँ 'तिविह वि' इत्यादि रूपसे उस सूत्रकी ओर संकेत भी किया गया दिखता है । ग्रन्थ समक्ष न होनेसे हम उस सूत्रको नहीं खोज सके ।

### ( ७ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और उवासगदसाओ

उवासगदसाओ यह १२ अगोमें सातवाँ है । वह १० अध्यायनोंमें विभक्त है, जिनमें क्रमसे आनन्द आदि १० उपासकोंका जीवनवृत्त वर्णित है । उसके प्रथम अध्यायनमें जिस आनन्द उपासकका जीवनवृत्त है

वह श्रमण भगवान् महावीरकी धर्मसभामे पहुँचा । वहाँ उसने विनयपूर्वक भगवान्की वन्दना की और उनसे धर्मश्रवण किया । तत्पश्चात् उसने अपने मुण्डित होने—निर्ग्रन्थ दीक्षा लेने—की असमर्थता प्रकट करते हुए उनसे उपासक धर्मके ग्रहण करनेकी प्रार्थना की । तदनुसार भगवान्की अनुमति पाकर उसने उनके समक्ष बारह प्रकारके उपासक धर्ममेंसे प्राणातिपातादिरूप प्रत्येक व्रतका नामनिर्देश करते हुए किस व्रतका वह देश-रूपमें कहाँ तक पालन करेगा, इसका विशदतापूर्वक स्पष्टीकरण किया व तदनुसार प्रतिज्ञा की । इच्छापरिमाण नामक पाँचवें अणुव्रतमें तो उसने पृथक्-पृथक् सोना-चाँदी, गाय-भैस आदि, दासी-दास आदि, वस्त्राभूषण और भोजनके विविध प्रकारोंमें प्रत्येकका प्रमाण किया । इस प्रकार प्रस्तुत उवासगदसाओमें श्रावकके व्रतोका स्वरूप जिस प्रकारसे निदिष्ट किया गया है ठीक उसी प्रकारसे वह श्रावकप्रज्ञप्तिमें भी उपलब्ध होता है ।

उवासगदसाओमें श्रमण महावीरने आनन्द श्रावकको लक्ष्य करके सर्वप्रथम उसे श्रमणोपासकके रूपमें निरतिचार सम्यक्त्वके पालन करनेका उपदेश देते हुए उसके पाँच अतिचारोंका उल्लेख किया है ।

प्रस्तुत श्रा. प्र. में भी सर्वप्रथम ( गा २ ) श्रावकके स्वरूपका निर्देश करते हुए उसे सम्यक्त्वसे सम्पन्न होना अनिवार्य बतलाया है । आगे ( ८६ ) वहाँ सम्यक्त्वके जिन पाँच अतिचारोंका निर्देश किया गया है वे उवासगदसाओमें निदिष्ट ( १-४४ ) उन अतिचारोंसे सर्वथा समान हैं । यहाँ ( ८७-९९ ) उनका विस्तारसे विशदीकरण भी किया गया है ।

बारह व्रतोका स्वरूप व उनके अतिचार भी दोनों ग्रन्थोंमें प्रायः समान रूपमें उपलब्ध होते हैं । यथा—

विषय	उवा.	श्रा. प्र.
१. स्थूलप्राणातिपातविरति उसके अतिचार	१-४५ "	१०६-१०७ २५७-२५९
२. स्थूलमृषावादविरति अतिचार	१-४६ "	२६० २६३
३. स्थूलअदत्तादानविरति अतिचार	१-४७ "	२६५ २६८
४. स्वदारसन्तोष अतिचार	१-१६ व ४८ १-४८	२७०-२७१ २७३
५. इच्छापरिमाण अतिचार	१-४९ "	२७५-२७६ २७८
६. दिग्गत अतिचार	१-५० "	२८० २८३
७. उपभोगपरिभोगपरिमाण अतिचार	१-५१ "	२८४ २८६-२८८
८. अनर्थदण्डव्रत अतिचार	१-५२ "	२८९-२९० २९१
९. सामायिक अतिचार	१-५३ "	२९२ ३१२

आगे श्रा प्र ( ११९-१२३ ) में वादीके द्वारा नागरकवधका दृष्टान्त देते हुए सामान्यसे की जाने-वाली त्रसप्राणघातविरतिको अनिष्ट बतलाकर यह कहा गया है कि इसीलिए सामान्यसे त्रसप्राणघातविरतिको न कराकर विशेष रूपमें त्रसभूतप्राणघातविरतिको करना चाहिए ।

इस शकाका समाधान करते हुए आगे ( १२३-१३२ ) वादीके द्वारा उपन्यस्त 'भूत' शब्दके अर्थ-विषयक उपमा और तादर्थ्यरूप दो विकल्पोंको उठाकर उन दोनों ही विकल्पोंमें 'भूत' शब्दके उपादानको निरर्थक सिद्ध किया गया है । यह सब कथन भी उक्त सूत्रागसे प्रभावित है ।

विशेष इतना है कि सूत्रकृतागके टीकाकार शीलाकाचार्यने प्रसंगप्राप्त उस सूत्र ( २, ७, ७५ ) को व्याख्यामें प्रकृतकथाको स्पष्ट करते हुए प्रथमत यह कहा है कि किसी गृहपतिके छह पुत्र थे । उन्होंने उस प्रकारके कर्मके उदयसे पिता व पितागृहके क्रमसे चली आयी प्रचुर सम्पत्तिके होते हुए भी राजवशके भाण्डा-गारमें जाकर चोरी की । भवितव्यताके वश वे राजपुरुषों द्वारा पकड लिये गये ।

उक्त टीकाकार आगे प्रकृत कथानकके विषयमें मतान्तरको प्रकट करते हुए कहते हैं कि अन्य आचार्य प्रकृत कथानकका व्याख्यान इस रूपमें करते हैं—रत्नपुर नगरमें रत्नशेखर नामका राजा था । उसने सन्तुष्ट होकर रत्नमाला पटरानी आदि समस्त अन्त पुरको कौमुदी उत्सव मनानेके लिए इधर-उधर जाने-आनेकी अनुमति दे दी ।

इसी प्रसंगमें श्रा. प्र की उक्त गाथा ( ११५ ) की टीकामें जो कथा दी गयी है उसमें निर्दिष्ट नाम आदि उससे कुछ भिन्न हैं । वहाँ कहा गया है—वसन्तपुर नगरमें जितशत्रु राजा व उसकी धारिणी नामकी पत्नी थी । किसी प्रकारसे रानीके ऊपर सन्तुष्ट होनेपर राजाने उससे कहा कि बोलो तुम्हारा क्या मला कहूँ । इसपर रानीने कहा कि रातमें इच्छानुसार धूम-फिरकर कौमुदी महोत्सव मनानेकी प्रसन्नता प्रकट कीजिए । राजाने उसे स्वीकार कर नगरमें यह घोषणा करा दी कि आज रातमें नगरके भीतर जो भी पुरुष रहेगा उसे मेरे द्वारा भयानक शारीरिक दण्ड दिया जायेगा । आगेकी कथाका प्रसंग प्रायः समान है ।

इस प्रकार प्रकृत कथाके विषयमें तीन मत दृष्टिगोचर होते हैं । इनमें प्रथम मत सूत्रकृतागगत उक्त सूत्रके साथ सगतिको प्राप्त है । कारण यह कि सूत्रमें उल्लिखित चोरपदकी सार्थकता इसी मतसे घटित होती है ।

### ( ६ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और व्याख्याप्रज्ञप्ति

व्याख्याप्रज्ञप्ति ( भगवती सूत्र ) यह १२ अगोमें पाँचवाँ है । श्रा प्र ( ३३३ ) में गृहस्थधर्म सम्बन्धी १४७ प्रत्याख्यानभेदोंके प्रसंगमें शकाके रूपमें कहा गया है कि कितने ही जैन मतानुसारी यह कहते हैं कि गृहस्थके कृत-कारितादिरूप तीन प्रकारके सावद्यका प्रत्याख्यान तीन प्रकारसे सम्भव नहीं है । इस मतका निराकरण करते हुए वहाँ कहा गया है कि तीन प्रकारसे तीन प्रकारके सावद्यका वह प्रत्याख्यान गृहस्थके भी सम्भव है, क्योंकि प्रज्ञप्ति—व्याख्याप्रज्ञप्ति—में उसका विशेष रूपमें निर्देश किया गया है । इस प्रकार यहाँ 'प्रज्ञप्ति' के नामसे ग्रन्थकारने व्याख्याप्रज्ञप्ति या भगवती सूत्रकी ओर संकेत किया है । टीकामें 'प्रज्ञप्ति' से 'भगवती' को ग्रहण किया गया है तथा वहाँ 'तिविह पि' इत्यादि रूपसे उस सूत्रकी ओर संकेत भी किया गया दिखता है । ग्रन्थ समक्ष न होनेसे हम उस सूत्रको नहीं खोज सके ।

### ( ७ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और उवासगदसाओ

उवासगदसाओ यह १२ अगोमें सातवाँ है । वह १० अव्ययनोंमें विभक्त है, जिनमें क्रमसे आनन्द आदि १० उपासकोंका जीवनवृत्त वर्णित है । उसके प्रथम अव्ययनमें जिस आनन्द उपासकका जीवनवृत्त है

वह श्रमण भगवान् महावीरकी धर्मसभामें पहुँचा । वहाँ उसने विनयपूर्वक भगवान्की वन्दना की और उनसे धर्मश्रवण किया । तत्पश्चात् उसने अपने मुण्डित होने—निर्ग्रन्थ दीक्षा लेने—की असमर्थता प्रकट करते हुए उनसे उपासक धर्मके ग्रहण करनेकी प्रार्थना की । तदनुसार भगवान्की अनुमति पाकर उसने उनके समक्ष बारह प्रकारके उपासक धर्ममेंसे प्राणातिपातादिरूप प्रत्येक व्रतका नामनिर्देश करते हुए किस व्रतका वह देश-रूपमें कहाँ तक पालन करेगा, इसका विशदतापूर्वक स्पष्टीकरण किया व तदनुसार प्रतिज्ञा की । इच्छापरिमाण नामक पाँचवें अणुव्रतमें तो उसने पृथक्-पृथक् सोना-चाँदी, गाय-भैस आदि, दासी-दास आदि, वस्त्राभूषण और भोजनके विविध प्रकारोंमें प्रत्येकका प्रमाण किया । इस प्रकार प्रस्तुत उवासगदसाओंमें श्रावकके व्रतोंका स्वरूप जिस प्रकारसे निर्दिष्ट किया गया है ठीक उसी प्रकारसे वह श्रावकप्रज्ञप्तिमें भी उपलब्ध होता है ।

उवासगदसाओंमें श्रमण महावीरने आनन्द श्रावकको लक्ष्य करके सर्वप्रथम उसे श्रमणोपासकके रूपमें निरतिचार सम्यक्त्वके पालन करनेका उपदेश देते हुए उसके पाँच अतिचारोंका उल्लेख किया है ।

प्रस्तुत श्रा. प्र. में भी सर्वप्रथम ( गा. २ ) श्रावकके स्वरूपका निर्देश करते हुए उसे सम्यक्त्वसे सम्पन्न होना अनिवार्य बतलाया है । आगे ( ८६ ) वहाँ सम्यक्त्वके जिन पाँच अतिचारोंका निर्देश किया गया है वे उवासगदसाओंमें निर्दिष्ट ( १-४४ ) उन अतिचारोंसे सर्वथा समान हैं । यहाँ ( ८७-९९ ) उनका विस्तारसे विशदीकरण भी किया गया है ।

बारह व्रतोंका स्वरूप व उनके अतिचार भी दोनों ग्रन्थोंमें प्रायः समान रूपमें उपलब्ध होते हैं । यथा—

विषय	उवा	श्रा. प्र
१. स्थूलप्राणातिपातविरति उसके अतिचार	१-४५ "	१०६-१०७ २५७-२५९
२. स्थूलमृषावादविरति अतिचार	१-४६ "	२६० २६३
३. स्थूलअदत्तादानविरति अतिचार	१-४७ "	२६५ २६८
४. स्वदारसन्तोष अतिचार	१-१६ व ४८ १-४८	२७०-२७१ २७३
५. इच्छापरिमाण अतिचार	१-४९ "	२७५-२७६ २७८
६. दिग्ब्रत अतिचार	१-५० "	२८० २८३
७. उपभोगपरिभोगपरिमाण अतिचार	१-५१ "	२८४ २८६-२८८
८. अनर्थदण्डव्रत अतिचार	१-५२ "	२८९-२९० २९१
९. सामायिक अतिचार	१-५३ "	२९२ ३१२



१०. देशावकाशिक अतिचार	१-५४	३१८
११. पोषधोपवास अतिचार	१-५५	३२०
१२. अतिपिसविभाग अतिचार	१-५६	३२१-३२२
१३. संलेपना अतिचार	१-५७	३२३-३२४
	"	३२५
	"	३२७
	"	३२८-३२९
	"	३२९

### श्रावकप्रज्ञप्तिकी विशेषता—

यह प्रायः सुनिश्चित है कि किसी संक्षिप्त प्राचीन ग्रन्थके पश्चात् उसके आधारसे जो अन्य ग्रन्थ रचा जाता है देशकालकी परिस्थिति एवं ग्रन्थकारकी मनोवृत्तिके अनुसार उससे उसमें कुछ विदोषता रहा ही करती है। प्रकृतमें उवासगदसाओ यह एक अग्रश्रुतके अन्तर्गत ग्रन्थ है, भले ही उसे पुस्तकाङ्क पीछे किया गया हो, फिर भी उसके विषयविवेचनकी पद्धतिमें प्राचीनता देखी जाती है। यह प्रस्तुत श्रा प्र की रचनाका आधार हो सकता है। उससे श्रा प्र में जो कुछ विशेषताएँ दिसती हैं वे इस प्रकार हैं—

१ प्राणातिपातविरतिरूप प्रथम अणुग्रन्थके प्रसंगमें प्रकृत श्रा प्र. में अनेक शका-समाधानोंके साथ हिंसा-अहिंसाविषयक महत्त्वपूर्ण विचार भी किया गया है ( १०७-२५९ )।

२ चतुर्थ अणुग्रन्थके प्रसंगमें जहाँ उवासगदसाओमें स्वदारसन्तोषका ही विधान किया गया है वहाँ श्रा प्र में पापस्वरूप होनेसे परदारगमनका भी परित्याग कराया गया है ( २७०-२७१ )। यहाँ इस व्रतके दो रूप हो गये दिखते हैं—एक परदारपरित्याग और दूसरा स्वदारसन्तोष। टीकाकारके अभिप्रायानुसार परदारपरित्यागी वेश्याका परित्याग नहीं करता तथा स्वदारसन्तोषी वेश्यागमन नहीं करता।

३ उवा द में इच्छापरिमाणव्रतके अतिचारोका निर्देश इस प्रकार किया गया है—क्षेत्र-वास्तु-प्रमाणातिक्रम, हिरण्य-सुवर्णप्रमाणातिक्रम, द्विपद-चतुष्पदप्रमाणातिक्रम, घन-धान्यप्रमाणातिक्रम और कुप्य-प्रमाणातिक्रम। पर श्रा. प्र. में वास्तु, सुवर्ण, चतुष्पद और धान्य इनका निर्देश न करके उनके स्थानमें 'आदि' शब्दका उपयोग किया गया है। यथा—क्षेत्रादिप्रमाणातिक्रम, हिरण्यादिप्रमाणातिक्रम, घनादिप्रमाणातिक्रम और द्विपदादिप्रमाणातिक्रम। इससे ग्रन्थकारको सम्भवतः वास्तु, सुवर्ण, धान्य और चतुष्पदके अतिरिक्त तत्सम अन्य वस्तुएँ भी अभीष्ट रही हैं।

४. उवासगदसाओमें जहाँ दिग्गत आदि सात उत्तरव्रतोंका उल्लेख केवल 'शिक्षापद' के नामसे किया गया है ( सूत्र १२ व ५८ ) वहाँ श्रा. प्र. में दिग्गत, उपभोग-परिभोगपरिमाण और अनर्थदण्डविरमण इन तीनका उल्लेख गुणव्रतके नामसे तथा शेष सामायिक आदि चारका उल्लेख शिक्षापदके नामसे किया गया है ( देखिए गा ६, २८०, २८४, २८९, २९२, ३१८, ३२१, ३२६ और ३२८ )।

५ उ द में सामायिक शिक्षापदका स्वरूप संक्षेपमें प्रकट किया गया है, परन्तु प्रकृत श्रा प्र में उसका विवेचन बहुत कुछ विस्तारसे किया गया है। यहाँ सर्वप्रथम सावद्ययोगके परिवर्जन और असावद्य-योगके आसेवनकी सामायिकका स्वरूप प्रकट करते हुए यह आशका व्यक्त की गयी है कि सामायिकमें अधिष्ठित गृहस्थ जब परिमित समयके लिए समस्त सावद्य योगको पूर्णतया छोड़ देता है तब वस्तुतः उसे साधु ही मानना चाहिए। इस आशकाके उत्तरमें उसे साधु न मानते हुए यहाँ शिक्षा, गाथा, उपपात, स्थिति, गति, कषाय, बन्धक, वेदक, प्रतिपत्ति और अतिक्रम इन द्वारोंके आश्रयसे गृहस्थकी साधुसे भिन्नता प्रकट की गयी

है ( २९२-३११ ) । आगे यहाँ सामायिकके अतिचारस्वरूप मनोदुष्प्रणिवान आदिको भी पृथक्-पृथक् स्पष्ट किया गया है ( ३१२-३१७ ) ।

६. उ. द में जिन अपव्यानादि चार अनर्थदण्डोका परित्याग इच्छापरिमाणत्रय ( ४३ ) के प्रसगमें कराया गया है उनका परित्याग आ प्र. ( २८९ ) में अनर्थदण्डविरतिके अन्तर्गत कराया गया है । यह विधान इच्छापरिमाणकी अपेक्षा अनर्थदण्डविरतिसे अधिक सगत प्रतीत होता है ।

७. आ प्र में पीपघके प्रसगमें जिन आहारपीपघादि चार भेदोका उल्लेख किया गया है ( ३२१-३२२ ) उनका निर्देश उ. द. ( ५५ ) में नहीं किया गया ।

८. उ. द ( ५६ ) में चतुर्थ शिक्षापदका उल्लेख अथासत्रिभागके नामसे किया गया है जब कि आ प्र. ( ३२५-३२६ ) में उसके नामका कहीं कोई निर्देश नहीं किया गया, यहाँ उसका उल्लेख अन्तिम शिक्षापदके रूपमें किया गया है । टीकामें अवश्य उसका निर्देश अतिधिसविभागके नामसे किया गया है ( गा. ६ की उत्थानिका व गा. ३२६ ) ।

९. आ. प्र. में पूर्वोक्त १२ व्रतोंके पश्चात् श्रावकके निवाम, दिनचर्या, चैत्यचन्दन, प्रत्याख्यानग्रहण, चैत्यपूजा और विहारविषयक सामाचारीका निरूपण करते हुए अन्य अभियह और प्रतिमा आदिको भी अनुष्ठेय कहा गया है ।

### ( ८ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और प्रज्ञापना

श्यामार्य वाचक विरचित इस प्रज्ञापना (पन्नवणा) सूत्रको चौथा उपाग माना जाता है । वह प्रज्ञापना आदि ३६ पदोंमें विभक्त है । आ. प्र. की ५२वीं गाथामें यह कहा गया है कि 'समय' में सम्यक्त्वके अन्य जिन दस भेदोका निरूपण किया गया है वे प्रकृत क्षायोपशमिकादि भेदोसे भिन्न नहीं हैं—उनके ही अन्तर्गत हैं । 'समय' शब्दसे यहाँ सम्भवतः प्रकृत प्रज्ञापनासूत्रका अभिप्राय रहा है । वहाँ ११५-१३० गाथासूत्रोंमें सम्यक्त्वके उन दस भेदोका निरूपण किया गया है । आ. प्र. की इस गाथाकी टीकामें हरिभद्र सूरिने 'यथोक्त प्रज्ञापनायाम्' ऐसा निर्देश करते हुए उन दस भेदोके सूचक प्रज्ञापनागत 'निसग्गुवएसरुई' आदि गाथासूत्रको उद्धृत भी कर दिया है ।

### ( ९ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और उत्तराध्ययन

उत्तराध्ययन यह मूलसूत्रोंमें प्रथम माना जाता है । ३६ अध्ययनोंमें विभक्त यह किसी एककी रचना नहीं है । महावीर निर्वाणसे लेकर हजार वर्षोंके भीतर विभिन्न स्वविरोके द्वारा उसके उन अध्ययनोंका सङ्कलन किया गया दिखता है । इसके २८वें अध्ययनमें भी सम्यक्त्वके उन दस भेदोंकी प्ररूपणा की गयी है ( २८, १६-३१ ) जो शब्दशः उपर्युक्त प्रज्ञापनाके ही समान है ।

### ( १० ) श्रावकप्रज्ञप्ति और जीवसमास

जीवसमास यह एक प्राचीन ग्रन्थ है । किमके द्वारा रचा गया है, यह ज्ञात नहीं होता । इसमें सत्-शान्ति आठ अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे जीवसमासोकी प्ररूपणा की गयी है । आ. प्र. में गा. ६८ के द्वारा अनाहारक जीवोका निर्देश किया गया है । यह गाथा जीवसमास ( १-८२ ) में पायी जाती है । इने आचार्य

१. मध्यसमासके इन दस भेदोंका निरूपण इ. प्र. की ५२ वीं पंक्तिमें उनके साथ, श्यामार्यवाचिक ( ३.३२.२ ) आदि अन्य स्थलोंमें भी किया गया है ।

वीरसेन द्वारा पदखण्डागमकी टीका धवला (पृ. १. पृ. १५३) में उद्धृत किया गया है। यह गो. जीवकाण्ड (६६५) और प्रवचनसारोद्धार (१३१९) में भी उसी रूपमें उपलब्ध होती है।

### ( ११ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और प्रत्याख्याननिर्युक्ति

आचार्य भद्रबाहु द्वितीय (छठी शताब्दी) निर्युक्तिकारके रूपसे प्रसिद्ध है। उन्होंने आवश्यकसूत्र, दशवैकालिक, उत्तराख्यान, आचाराग, सूत्रशुताग, दशाश्रुत, कल्पसूत्र, व्यवहारसूत्र, सूर्यप्रज्ञप्ति और ऋषि-भाषित इन ग्रन्थोंकी निर्युक्ति करनेकी प्रतिज्ञा की है। प्रकृतमें आवश्यकसूत्रके छठे अध्यायनम्बरूप प्रत्याख्यान आवश्यककी निर्युक्ति अपेक्षित है। श्रा. प्र गा ३३४ में शकाकारने गृहस्थके लिए अनुमत्तिका निषेध है, उसे निर्युक्तिके आधारसे पुष्ट किया है। उसकी टीकामें हृम्भिद्र सूरिने 'निर्युक्ति' से प्रत्याख्याननिर्युक्ति अपेक्षित है, यह स्पष्ट कर दिया है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्तिकी रचनावा प्रमुख आधार आवश्यकनिर्युक्ति और आवश्यकचूर्ण रही है। दशवैकालिक चूर्ण (पृ २११) में भी कहा गया है कि इस बारह प्रकारके श्रावकधर्मका व्याख्यान प्रत्याख्याननिर्युक्तिके समान करना चाहिए—एतस्म वारनविहस्म सावगधम्मस्स वक्त्वाण जहा पच्चवक्खाणणिज्जुत्तीए। सम्यक्तरके शका आदि अतिचारोके स्पष्टीकरणमें श्रा प्र की टीकामें जो कथाएँ दी गयी हैं वे प्राय ज्योंकी त्यों आवश्यकचूर्ण (पृ २७९-२८१) में पायी जाती हैं। इसी प्रकार टीकामें जहाँ-तहाँ जो पूर्वोक्ताचार्योक्तविधि, वृद्धमम्प्रदाय और नामाचारी आदिके उल्लेखपूर्वक विवक्षित विषयका स्पष्टीकरण किया गया है वह भी सम्भवत आवश्यकचूर्णके अनुसार किया गया है। हृम्भिद्र सूरिने दशवैकालिक निर्युक्ति १८६ (पृ १०२) की अपनी टीकामें शका-काष्ठा आदि मम्यक्त्वके अतिचारोको स्पष्ट करते हुए 'उदाहरण चात्र पेयापेयकी यथावश्यके' ऐसी सूचना करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि इनका विवेचन जैसे आवश्यकसूत्रमें किया गया है वैसे ही प्रकृतमें नमसना चाहिए। ये उदाहरण वे ही हैं जो श्रा प्र गा. ९१ और ९३ की टीकामें दिये गये हैं।

### ( १२ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और निसीधचूर्ण

श्रा प्र की टीकाके अन्तर्गत सम्यक्त्वातिचारोसे सम्यद्ध जो कथाएँ आवश्यकचूर्णमें उपलब्ध होती हैं वे लगभग उसी रूपमें निसीधचूर्ण (१, पृ १५ आदि) और पचाशकचूर्ण (पृ. ४४) में भी उपलब्ध होती हैं। श्रा प्र की 'मसयकरण शका' आदि गाथा (८७) प्रकृत निसीधचूर्ण (१-२४) में भाव्यगाथाके रूपमें उपलब्ध होती है।

### ( १३ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और विशेषावश्यकभाष्य

विशेषावश्यकभाष्य यह जिनभद्रक्षमाश्रमण ( ७वीं शती ) विरचित एक महत्त्वपूर्ण विशाल ग्रन्थ है। वह आवश्यकसूत्रके अन्तर्गत प्रथम सामायिक अध्ययन मात्रपर लिखा गया है। उसमें आ भद्रबाहु विरचित निर्युक्तियोंकी विस्तारसे व्याख्या की गयी है। इसमें प्रसंगानुसार आगमके अन्तर्गत अनेक विषयोंका समावेश हुआ है।

प्रस्तुत श्रा. प्र में यथाप्रसंग चर्चित कितने ही विषय इस भाष्यसे प्रभावित हैं तथा उसकी कुछ गाथाएँ भी इसमें उसी रूपमें अथवा कुछ शब्दपरिवर्तनके साथ पायी जाती हैं। यथा—

वि. भाष्यमें सामायिक लाभके प्रसंगमें पत्य, गिरिसरित्, पिपोलिका, तीन मनुष्य, पथ, ज्वर, कोद्रव, जल और वस्त्र इनके दृष्टान्त दिये गये हैं ( वि मा. १२०१, नि १०७ )। आगे वहाँ इन दृष्टान्तोंको

यथाक्रमसे स्पष्ट भी किया गया है। श्रा. प्र. की गा ३५-३७ में पत्यका उदाहरण देकर बन्ध और निर्जराकी हीनाधिकताको दिखलाया गया है। ये तीनों गाथाएँ वि. भाष्यकी स्वोपज्ञ वृत्ति ( १२०२-३ ) में 'असयतस्य च बहुतरस्य चय अल्पतरस्य चापचय., यतोऽभिहितम्' यह कहते हुए उद्धृत की गयी हैं।

श्रा. प्र. की गा. ३१-३३ में यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि कर्मकी जो स्थिति पूर्वमें कही जा चुकी है उसमें जब जीव घर्षण और घूर्णनके निमित्तसे एक कोडाकोडीको छोडकर शेष सब सागरोपम कोडाकोडियोंको क्षीण कर देता है तथा शेष रही उस एक कोडाकोडी सागरोपम स्थितिमें भी जब स्तोत्र मात्र—पत्योपमके असंख्यातवें भाग—को और भी क्षीण कर देता है, तबतक जीवकी कर्मग्रन्थि—कर्मजनित घन राग-द्वेषरूप परिणाम—अभिन्नपूर्व ही रहता है। पश्चात् उसका अपूर्वकरण परिणामके द्वारा भेदन कर देनेपर परम पदके हेतुभूत सम्यक्त्वका नियमसे लाभ होता है। श्रा. प्र. का यह अभिप्राय विशेषावश्यक भाष्यकी ११८८-९६ गाथाओसे प्रभावित है। गा ३२ की टीकामें तो हरिभद्र सूरिने 'उक्त च तत्समयज्ञै.' ऐसा निर्देश करते हुए वि. भा. की 'गद्वित्ति सुदुग्धेओ' आदि गाथा ( ११९३ ) को उद्धृत भी कर दिया है। श्रा. प्र. की ये गाथाएँ वि. भाष्यमें उपलब्ध होती हैं—

गाथाश	श्रा. प्र.	वि. भा
केई भणति गिहिणो	३३३	४२६८
ता कह निज्जुत्तीए	३३४	४२६९
सम्मत्तम्मि य लद्धे	३९०	१२१९
एव अप्परिपड्ढिए	३९१	१२२०

### ( १४ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और धर्मसंग्रहण

ग्रन्थकारके सम्बन्धमें विचार करते हुए यह पहले कहा जा चुका है कि श्रा. प्र. में ऐसी बीसो गाथाएँ हैं जो हरिभद्रसूरि विरचित अन्य ग्रन्थोंमें अभिन्न रूपमें उसी क्रमसे पायी जाती हैं। उनमें प्रथमतः हम धर्मसंग्रहणको लेते हैं। यह हरिभद्र सूरिके द्वारा प्राकृत गाथाओमें रचा गया है। इसमें समस्त गाथासख्या १३६९ है। रचनाशैली प्राय. दार्शनिक है। यथाप्रसंग इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोकी चर्चा की गयी है। ऐसी यहाँ अनेक गाथाएँ हैं जो श्रावकप्रज्ञप्तिमें प्रसगानुसार उसी क्रमसे पायी जाती हैं। यथा—

धर्मस	श्रा. प्र.	धर्मस.	श्रा. प्र.
६०७-२३	१०-२६	७५४-६३	३३-४२
७४४-४७	२७-३०	७८०	१०१
७५१-५२	३१-३२	७९६-८१४	४३-६१

इस प्रकार दोनो ग्रन्थोंमें लगभग ५४ गाथाएँ समान रूपमें उपलब्ध होती हैं। इनमें गा. १०-२६ कर्मकी मूल-उत्तर प्रकृतियोसे, २७-३० कर्मस्थितिसे, ३१-३२ कर्मग्रन्थिसे, ३३-४२ सम्यक्त्वलाभ व तद्विषयक शका-समाधानसे, १०१ जीव व कर्मकी बलवत्तासे और ४३-६१ सम्यक्त्वभेद व उसके चिह्नोसे सम्बद्ध हैं।

### ( १५ ) श्रावकप्रज्ञप्ति व पंचाशक प्रकरण

पंचाशक यह हरिभद्रसूरि द्वारा विरचित ग्रन्थ श्रावकधर्म व जिनदीक्षाविधि आदि १९ पंचाशकोमें विभक्त है। गाथासख्या उसकी ९४० है। उसका प्रथम पंचाशक श्रावकधर्मसे सम्बद्ध है। अधिकांश गाथाएँ

वीरसेन द्वारा पट्टखण्डागमकी टीका घबला (पृ. १. पृ. १५३) में उद्धृत किया गया है। यह गो. जीवकाण्ड (६६५) और प्रवचनसारोद्धार (१३१९) में भी उसी रूपमें उपलब्ध होती है।

### ( ११ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और प्रत्याख्याननिर्युक्ति

आचार्य भद्रबाहु द्वितीय (छठी शताब्दी) निर्युक्तिकारके रूपसे प्रसिद्ध हैं। उन्होंने आवश्यकसूत्र, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, आचाराग, सूत्रकृताग, दशाश्रुत, कल्पसूत्र, व्यवहारसूत्र, सूर्यप्रज्ञप्ति और ऋषि-भाषित इन ग्रन्थोंकी निर्युक्ति करनेकी प्रतिज्ञा की है। प्रकृतमें आवश्यकसूत्रके छठे अध्यायनस्वरूप प्रत्याख्यान आवश्यककी निर्युक्ति अपेक्षित है। श्रा प्र गा ३३४ में शंकाकारने गृह्यके लिए अनुमतिको निषेध है, इसे निर्युक्तिके आधारसे पुष्ट किया है। उसकी टीकामें हरिभद्र सूरिने 'निर्युक्ति' से प्रत्याख्याननिर्युक्ति अपेक्षित है, यह स्पष्ट कर दिया है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्तिकी रचनाका प्रमुख आधार आवश्यकनिर्युक्ति और आवश्यकचूर्ण रही है। दशवैकालिक चूर्ण (पृ २११) में भी कहा गया है कि इस बारह प्रकारके श्रावकधर्मका व्याख्यान प्रत्याख्याननिर्युक्तिके समान करना चाहिए—एतस्म वारगविहस्म सावगधम्मस्स वनत्ताण जहा पच्चदध्वाणणज्जुत्तोए। सम्यक्त्वके शंका आदि कतिचारोके स्पष्टीकरणमें श्रा. प्र की टीकामें जो कयाएँ दी गयी हैं वे प्रायः प्योकी त्यों आवश्यकचूर्ण (पृ २७९-२८१) में पायी जाती हैं। इसी प्रकार टीकामें जहाँ-तहाँ जो पूर्वोक्ताचार्योक्तविधि, बुद्धाम्प्रदाय और मामाचारी आदिके उल्लेखपूर्वक विवक्षित विषयका स्पष्टीकरण किया गया है वह भी सम्भवतः आवश्यकचूर्णके अनुसार किया गया है। हरिभद्र सूरिने दशवैकालिक निर्युक्ति १८६ (पृ १०२) की अपनी टीकामें शंका-कादा आदि सम्यक्त्वके कतिचारोके स्पष्ट करते हुए 'उदाहरण चाप्र पेधापेयकी यमावश्यक' ऐसी सूचना करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि इनका विवेचन जैसे आवश्यकसूत्रमें किया गया है वैसे ही प्रकृतमें समझना चाहिए। ये उदाहरण वे ही हैं जो श्रा प्र गा ९१ और ९३ की टीकामें दिये गये हैं।

### ( १२ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और निसीथचूर्ण

श्रा प्र की टीकाके अन्तर्गत सम्यक्वातिचारोसे सम्यक्त्व जो कयाएँ आवश्यकचूर्णमें उपलब्ध होती हैं वे लगभग उसी रूपमें निसीथचूर्ण (१, पृ १५ आदि) और पचाशकचूर्ण (पृ ४४) में भी उपलब्ध होती हैं। श्रा प्र की 'ससयकरण शंका' आदि गाथा (८७) प्रकृत निसीथचूर्ण (१-२४) में भाष्यगाथाके रूपमें उपलब्ध होती है।

### ( १३ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और विशेषावश्यकभाष्य

विशेषावश्यकभाष्य यह जिनभद्रक्षमाश्रमण ( ७वीं शती ) विरचित एक महत्त्वपूर्ण विशाल ग्रन्थ है। वह आवश्यकसूत्रके अन्तर्गत प्रथम सामायिक अध्ययन मात्रपर लिखा गया है। उसमें आ भद्रबाहु विरचित निर्युक्तियोंकी विस्तारसे व्याख्या की गयी है। इसमें प्रसंगानुसार आगमके अन्तर्गत अनेक विषयोंका समावेश हुआ है।

प्रस्तुत श्रा प्र में यथाप्रसंग चर्चित कितने ही विषय इस भाष्यसे प्रभावित हैं तथा उसकी कुछ गाथाएँ भी इसमें उसी रूपमें अथवा कुछ शब्दपरिवर्तनके साथ पायी जाती हैं। यथा—

वि. भाष्यमें सामायिक लाभके प्रसंगमें पत्य, गिरिसरित्, पिपोलिका, तीन मनुष्य, पथ, ज्वर, कोद्रव, जल और वस्त्र इनके दृष्टान्त दिये गये हैं ( वि भा १२०१, नि १०७ )। आगे वहाँ इन दृष्टान्तोंके

यथाक्रमसे स्पष्ट भी किया गया है। आ. प्र. की गा ३५-३७ में पत्यका उदाहरण देकर बन्ध और निर्जराकी हीनाधिकताको दिखलाया गया है। ये तीनों गाथाएँ वि. भाष्यकी स्वोपज्ञ वृत्ति ( १२०२-३ ) में 'असयतस्य च बहुतरस्य चय अल्पतरस्य चापचय, यतोऽभिहितम्' यह कहते हुए उद्धृत की गयी हैं।

आ. प्र. की गा. ३१-३३ में यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि कर्मकी जो स्थिति पूर्वमें कही जा चुकी है उसमें जब जीव घर्षण और घूर्णनके निमित्तसे एक कोडाकोडीको छोड़कर शेष सब सागरोपम कोडाकोडियोंको क्षीण कर देता है तथा शेष रही उस एक कोडाकोडी सागरोपम स्थितिमें भी जब स्तोक मात्र—पत्योपमके असख्यातवें भाग—को और भी क्षीण कर देता है, तबतक जीवकी कर्मग्रन्थि—कर्मजनित घन राग-द्वेषरूप परिणाम—अभिन्नपूर्व ही रहता है। पश्चात् उसका अपूर्वकरण परिणामके द्वारा भेदन कर देनेपर परम पदके हेतुभूत सम्यक्त्वका नियमसे लाभ होता है। आ. प्र. का यह अभिप्राय विशेषावश्यक भाष्यकी ११८८-९३ गाथाओंसे प्रभावित है। गा ३२ की टीकामे तो हरिभद्र सूरिने 'उक्तं च तत्समयज्ञै' ऐसा निर्देश करते हुए वि. भा. की 'गद्वित्ति सुदुब्धेओ' आदि गाथा ( ११९३ ) को उद्धृत भी कर दिया है। आ. प्र. की ये गाथाएँ वि. भाष्यमें उपलब्ध होती हैं—

गाथाश	आ. प्र.	वि. भा
केई भणति गिहिणो	३३३	४२६८
ता कह निज्जुत्तीए	३३४	४२६९
सम्मत्तम्मि य लद्धे	३९०	१२१९
एव अप्परिपट्टिए	३९१	१२२०

### ( १४ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और धर्मसंग्रहणि

ग्रन्थकारके सम्बन्धमे विचार करते हुए यह पहले कहा जा चुका है कि आ. प्र. में ऐसी बीसो गाथाएँ हैं जो हरिभद्रसूरि विरचित अन्य ग्रन्थोंमें अभिन्न रूपमें उसी क्रमसे पायी जाती हैं। उनमें प्रथमतः हम धर्मसंग्रहणिको लेते हैं। यह हरिभद्र सूरिके द्वारा प्राकृत गाथाओंमें रचा गया है। इसमें समस्त गाथासख्या १३६९ है। रचनाशैली प्रायः दार्शनिक है। यथाप्रसंग इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोंकी चर्चा की गयी है। ऐसी यहाँ अनेक गाथाएँ हैं जो श्रावकप्रज्ञप्तिमें प्रसंगानुसार उसी क्रमसे पायी जाती हैं। यथा—

धर्मस	आ. प्र.	धर्मसं.	आ. प्र.
६०७-२३	१०-२६	७५४-६३	३३-४२
७४४-४७	२७-३०	७८०	१०१
७५१-५२	३१-३२	७९६-८१४	४३-६१

इस प्रकार दोनो ग्रन्थोंमें लगभग ५४ गाथाएँ समान रूपमें उपलब्ध होती हैं। इनमें गा. १०-२६ कर्मकी मूल-उत्तर प्रकृतियोंसे, २७-३० कर्मस्थितिसे, ३१-३२ कर्मग्रन्थिसे, ३३-४२ सम्यक्त्वलाभ व तद्विषयक शका-समाधानसे, १०१ जीव व कर्मकी बलवत्तासे और ४३-६१ सम्यक्त्वभेद व उसके चिह्नोंसे सम्बद्ध हैं।

### ( १५ ) श्रावकप्रज्ञप्ति व पचाशक प्रकरण

पचाशक यह हरिभद्रसूरि द्वारा विरचित ग्रन्थ श्रावकधर्म व जिनदीक्षाविधि आदि १९ पचाशकोंमें विभक्त है। गाथासख्या उसकी ९४० है। उसका प्रथम पचाशक श्रावकधर्मसे सम्बद्ध है। अधिकांश गाथाएँ

उसकी तथा कुछ अन्य पद्यात्मिकीं तथा प्र में जैसीकी तीरी पायी जाती हैं। इनमें पूर्वार्ध-उत्तरार्धसे मिलकर भी कोई गाथा बन गयी है, किसी-किसीमें एक-आध चरण गिन्ना है अथवा कुछ गद्यपरिवर्तन ही है। यहाँ ऐसी कुछ गाथाओंके एक दिये जा रहे हैं जो दोनों ग्रन्थोंमें समानरूपसे उपलब्ध होती हैं। इनमें पचाशकके गाथाके साधारण रूपसे तथा श्रा. प्र के गाथाके कोष्ठकमें दिये जा रहे हैं—

७ (१०६), ८ (१०७), ९ (१०८), १० (२५८), ११ (२६०), १२ (२६३), १३ (२६५-६६), १४ (२६२), १६ (२७३), २१ (२८९), २४ (२९३), २५ (२९२), २६ (३१२), २७ (३१८), २८ (३२०), २९ (३२१-२२), ३२ (३२७), ३९ (३२८), ४० (३७८), ४१ (३३९), ८२ (३४३), ५० (३४४ व ३६४), १८५ (३४५), १८८ (३४८), १८९ (३८९), १९० (३५०), ८५६ (२९९), ४५९ (३२१), ४६० (३२३)।

यहाँ यह स्मरणीय है कि पंचाशकमें केवल ५० गाथाओं द्वारा श्रावकधर्मकी प्ररूपणा की गयी है, जब कि श्रा. प्र में ४०१ गाथाओंके द्वारा उसकी प्ररूपणा की गयी है।

### ( १६ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और समराहचकहा

हरिभद्रसूरिके द्वारा विरचित समराहचकहा यह एक प्रसिद्ध पौराणिक कथाग्रन्थ है। इसमें उर्ज्जनके राजा समरादित्यके नौ पूर्व भवोंके चरित्रका चित्रण बड़ी कुशलतासे ललित भाषामें किया गया है। राजा समरादित्यका जीव प्रथम भवमें क्षितिप्रविष्ट नगरमें पूर्णचन्द्रके राजाके यहाँ गुणसेन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसी नगरमें एक यज्ञदत्त नामका पुरोहित रहता था। उसके एक अग्निशर्मा नामका कुलपुत्र था। उसे गुणसेन कौतूहलवश नचाता व गधेपर बैठाकर वादियोंकी मधुर ध्वनिके साथ राजमार्गमें घुमाया करता था। इससे पीडित होकर अग्निशर्मामें आर्जव कौण्डिन्य नामक तापस कुलपतिके आश्रममें जाकर तापस दीक्षा ले ली। आगे चलकर उत्तरोत्तर कुछ ऐसी ही अनपेक्षित घटनाएँ घटती गयीं कि जिससे वह अग्निशर्मा आगेके भवोंमें गुणसेनका महान् शत्रु हुआ। उसने उस समय क्षुधापरीपहसे पीडित होकर यह निदान किया कि यदि इस तपका कुछ फल हो सकता है तो उसके प्रभावसे मैं प्रत्येक जन्ममें गुणसेनका वध करूँगा।

एक दिन क्षितिप्रविष्ट नगरमें विजयसेन नामक आचार्यका शुभागमन हुआ। इस शुभ समाचारको जानकर गुणसेन राजा उनकी वन्दनाके लिए गया। वन्दनाके पश्चात् उसने विजयसेनाचार्यकी रूपसम्पदाको देखकर उनके विरक्त होनेका कारण पूछा। तदनुसार उन्होंने अपने विरक्त होनेकी घटना उसे कह सुनायी। उसका प्रभाव गुणसेनके हृदय-पटलपर अंकित हुआ। तब उसने उनसे शाश्वत स्थान और उसके साधक उपायके सम्बन्धमें प्रश्न किया। उत्तरमें उन्होंने परमपदको शाश्वत स्थान बतलाकर उसका साधक उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यस्वरूप धर्मको बतलाया। इस धर्मका उन्होंने गृह्णित्य और साधुव्रतके भेदसे दो प्रकारका बतलाकर उसकी मूल वस्तु सम्यक्त्व निर्दिष्ट किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह सम्यक्त्व अनादि कर्मसन्तानसे वेष्टित प्राणीके लिए दुर्लभ होता है। इस प्रसंगमें उन्होंने ज्ञाना-वरणादि आठ कर्मों व उनकी उत्कृष्ट एव जघन्य स्थितिका भी निर्देश किया। उक्त कर्मस्थितिके क्रमशः क्षीण होनेपर जब वह एक कोडाकोठी मात्र शेष रहकर उसमें भी स्तोत्र मात्र—पत्नीपमके असख्यातवें भाग प्रमाण—और भी क्षीण हो जाती है तब कही जीवको उस सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुआ करती है। इस प्रसंगमें जो वहाँ गद्यभाग उपलब्ध होता है उसकी तुलना श्रा. प्र. की गाथाओंसे की जा सकती है। दोनोंमें शब्दशः समानता है—

एयस्स उण दुविहस्स वि धम्मस्स मूलवत्थु सम्मत्तं । स. क. पृ ४३ ।

एयस्स मूलवत्थु सम्मत्तं त च गंठिमेयम्मि । आ प्र ७ ।

एवट्ठिह्यस्स इमस्स कम्मस्स अहापवत्तकरणेण जया घंसण-घोळणाए कहवि एगं सागरोवम-  
कोडाकोडिं मोत्तण सेसाओ खवियाओ हवति । स. क. पृ ४४ ।

एवट्ठिह्यस्स जया घंसण-घोळणनिमित्तओ कहवि ।

खविया कोडाकोडी सग्वा इक्कं पमुत्तणं ॥ आ प्र. ३१

वहाँ सम्यग्दृष्टिके परिणामकी विशेषताको दिखलाते हुए जो आठ गाथाएँ (७२-७९) उद्धृत की गयी हैं वे प्रस्तुत आ प्र में उसी क्रमसे ५३-६० गाथासख्यासे अंकित पायी जाती हैं ।

तत्पश्चात् वहाँ विजयसेनाचार्यके मुखसे यह कहलाया गया है कि पूर्वोक्त कर्मस्थितिमेंसे भी जब पल्योपमके असख्यातवें भाग मात्र स्थिति और भी क्षीण हो जाती है तब उस सम्यग्दृष्टि जीवको देशविरतिकी प्राप्ति होती है । इतना निर्देश करनेके पश्चात् वहाँ अतिचारोके नामनिर्देशपूर्वक पाँच अणुव्रतो, तीन गुणव्रतो और चार शिक्षाव्रतोका भी उल्लेख किया गया है । पश्चात् वहाँ यह कहा गया है कि इस अनुरूप कल्पसे विहार करके परिणामविशेषके आश्रयसे जब पूर्वोक्त कर्मस्थितिमेंसे उसी जन्ममें अथवा अनेक जन्मोंमें भी सख्यात सागरोपम मात्र स्थिति और भी क्षीण हो जाती है तब जीव सर्वविरतिरूप यतिधर्मको—क्षामा-मादंवादिरूप दस प्रकारके धर्मको—प्राप्त करता है । इस प्रसंगमें जो दो ( ८०-८१ ) गाथाएँ वहाँ उद्धृत की गयी हैं वे आ प्र. में ३९०-९१ गाथाकोमें उपलब्ध होती हैं । ये दोनो गाथाएँ सम्भवत विशेषावश्यक-भाष्य ( १२१९-२० ) से ली गयी हैं ।

यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रस्तुत आ. प्र. में जिस क्रमसे व जिस रूपमें श्रावकधर्म-का विस्तारके साथ विवेचन किया गया है, ठीक उसी क्रमसे व उसी रूपमें उसका विवेचन स. क. में गुणसेन राजाके प्रश्नके उत्तरमें आचार्य विजयसेनके मुखसे भी सक्षेपमें कराया गया है । स. क. का प्रमुख विषय न होनेसे जो वहाँ उस श्रावकधर्मकी सक्षेपमें प्ररूपणा की गयी है वह सर्वथा योग्य है । परन्तु वहाँ जिस पद्धतिसे उसकी प्ररूपणा की गयी है वह आ प्र की विवेचन पद्धतिसे सर्वथा समान है—दोनोंमें कुछ भी भेद नहीं पाया जाता है । इस समानताको स्पष्ट करनेके लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

१ जिस प्रकार आ प्र गा. ६ में श्रावकधर्मको पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतके भेदसे बारह प्रकारका निर्दिष्ट किया गया है उसी प्रकार स. क. में भी उसे बारह प्रकारका निर्दिष्ट किया गया है । यथा—

तथ गिहिधम्मो दुचारसविहो । तं जहा—पंच अणुव्वयाइं तिण्णि गुणव्वयाइं चत्तारि सिक्खाव्वयाइं  
ति । स. क. पृ ४३ ।

२ आ प्र. गा. ७ में यदि इस श्रावकधर्मकी मूल वस्तु सम्यक्त्वको बतलाया गया है तो स. क. में भी उसकी मूल वस्तु सम्यक्त्वको ही निर्दिष्ट किया गया है । यथा—

एयस्स उण दुविहस्स वि धम्मस्स मूलवत्थु सम्मत्तं । स. क. पृ. ४३ ।

३ आ. प्र. गा. ८-३० में जीव और कर्मके अनादि सम्बन्धकी उस सम्प्रवृत्तिका निमित्त बतलाकर जिस प्रकारसे आठों कर्मोंकी प्ररूपणा की गयी है ठीक उसी प्रकारसे स. क. में भी वह प्ररूपणा की गयी है । यथा—

तं पुणो अणाइकम्मसत्ताणवेडियस्स जन्तुणो दुल्लहं हवइ ति । तं च कम्मं अट्ठहा । तं जहा—  
णाणावरणिज्जं दरिसणावरणिज्जं .....सेसाणं भिन्नुमुहुत्तं ति । स. क. पृ. ४३-४४ ।



४ आगे श्रा. प्र. गा. ३१-३२ में जिस प्रकार घर्षण-घोलनके निमित्तसे उम उत्कृष्ट कर्मस्थितिके क्षीण होनेपर अभिन्नपूर्व ग्रन्थिका उल्लेख किया गया है उसी प्रकार स. क. में भी उसका उल्लेख किया गया है। यथा—

एवंठिह्यस्स य इमस्स कम्मस्स अहपवत्तकरणेण जया घसण-घोलगाए कहवि एगं सागरोवम-कोढाकोठिं मोत्तग सेसाभो खविद्याभो हर्यंति तीसे वि य णं थोवमित्ते खविए तथा घणराय-दोसप-रिणाम . कम्मगंठो हवह । स. क. पृ ४४ ।

५ श्रा प्र गा ३२ की टीकामें प्रसंगवश जिस प्रकार 'गठि त्ति सुदुब्भेओ' आदि विशेषावश्यकभाष्य-की गा ११९५ उद्धृत की गयी है उसी प्रकारसे वह स. क. ( पृ ४४ ) में भी उद्धृत की गयी है।

६ इसके अतिरिक्त जैसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है कि स. क. में प्रसंगानुसार जिन अनेकों गाथाओंको उद्धृत किया गया है वे प्रस्तुत श्रा. प्र. में उसी प्रकारसे उपलब्ध होती हैं। जैसे—श्रा. प्र. ५४-६० और स. क. ७५-८१ ( पृ ४५-४६ )।

### ( १७ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और पंचवस्तुक

हरिभद्रसूरि द्वारा विरचित इस पंचवस्तुक ग्रन्थमें समस्त गाथाएँ १७१४ हैं। इसके पाँच अधिकारोंमें प्रव्रज्याविधि, दैनिक अनुष्ठान, व्रतविषयक प्रस्थापना, अनुयोगगणानुज्ञा और संलेखना इन पाँच वस्तुओंकी प्ररूपणा की गयी है, इसीलिए पंचवस्तुक यह उसका सार्थक नाम है। श्रा. प्र. के अन्तर्गत ३५६-५९ ये चार गाथाएँ उक्त पंचवस्तुकमें १५३-५९ गाथाओंमें उपलब्ध होती हैं।

'जइ जिणमय पवज्जइ' इत्यादि गाथा पंचवस्तुकमें १७१वीं गाथाके रूपमें अवस्थित है। यह गाथा प्रस्तुत श्रा. प्र. की टीका ( ६१ ) में हरिभद्रके द्वारा उद्धृत की गयी है। उक्त गाथा समयप्राभृतकी अमृतचन्द्रसूरि द्वारा विरचित आत्मव्याप्ति टीका ( १२ ) में भी पायी जाती है। वहाँ उसका उत्तरार्ध कुछ भिन्न है।

### ( १८ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और धर्मबिन्दु

हरिभद्रसूरिविरचित यह धर्मबिन्दु प्रकरण एक सूत्रात्मक ग्रन्थ है, जो संस्कृतमें लिखा गया है। वह आठ अध्यायोंमें विभक्त है। गद्यात्मक समस्त सूत्रोंकी संख्या उसकी ५४२ है। प्रत्येक अध्यायके प्रारम्भ और अन्तमें ३-३ अनुष्टुप् श्लोक भी हैं, जिनकी संख्या ४८ है। इसके तीसरे अध्यायमें अणुव्रतादिरूप विशेष गृहस्थधर्मकी जो प्ररूपणा की गयी है वह प्रायः श्रा. प्र. के ही समान है। जैसे—

जिस प्रकार धर्मबिन्दुमें अणुव्रतादि द्वादशात्मक गृहस्थधर्ममें दिग्ब्रत, भोगोपभोगप्रमाण और अनर्थ-दण्डव्रत इन तीनको गुणव्रत ( ३-१७ ) तथा सामायिक, देशावकाशिक, पीपवोपवास और अतिथिसविभागव्रत इन चारको शिक्षापद ( ३-१८ ) निर्दिष्ट किया गया है उसी प्रकार श्रा. प्र. में भी उक्त दिग्ब्रतादि तीनको गुणव्रत ( २८०-२८४ व २८९ ) तथा उक्त सामायिक आदि चारको शिक्षापद ( ३९२, ३१८, ३२१ व ३२५-२६ ) कहा गया है। इनके स्वरूप और अतिचारो आदिका निरूपण भी दोनों ग्रन्थोंमें समान रूपमें पाया जाता है, जबकि तत्त्वार्थाधिगमसूत्र ( ७-१६ ) में इनका उल्लेख गुणव्रत और शिक्षापदके नामसे नहीं किया गया तथा क्रममें भी वहाँ कुछ भिन्नता है। इसके अतिरिक्त धर्मबिन्दुमें श्रावकके लिए नमस्कारमन्त्रके उच्चारणपूर्वक जागने ( ३-४३ ), विधिपूर्वक चैत्यवन्दन ( ३-४४ ), चैत्य-साधुवन्दन ( ३-५० ) गुरुके समीपमें प्रत्याख्यानके प्रकट करने और जिनवाणीके सुनने ( ३-५२ ) आदिका जिस प्रकार विधान किया गया है उसी प्रकार श्रा. प्रज्ञप्तियें भी कुछ आगे-नीछे इन सबका विधान किया गया है ( ३३९-५२ )।

### ( १९ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और प्र सा. की जयसेनवृत्ति

आ. कुन्दकुन्द विरचित प्रवचनसारके ऊपर आ जयसेन ( १२वीं शती ) की एक वृत्ति है । इसमें ( ३-१८ ) 'उच्चालयम्मि पाए' इत्यादि गाथाके साथ 'न य त्सस्स-त्तन्निमित्तो' इत्यादि दूसरी गाथा भी उद्धृत की गयी है । ये दोनों गाथाएँ प्रकृत आ. प्र में २२३-२४ गाथाकोमे उपलब्ध होती है ।

### ( २० ) श्रावकप्रज्ञप्ति और स्थानांगवृत्ति

अभयदेवसूरि ( १२वीं शती ) विरचित स्थानांगकी वृत्ति ( २,२,२९, पृ. ५५ ) में आ. प्र की 'जेसिमवड्ढो पुग्गल' इत्यादि गाथा ( ७२ ) को उद्धृत किया है ।

इसके अतिरिक्त उन्होंने पचाशककी अपनी वृत्तिमें भी आ. प्र. की 'सपत्तदसणाई' इत्यादि गाथा ( २ ) को 'पूज्यैरेवोक्तम्' इस आदरसूचक वाक्यके साथ उद्धृत किया है ।

### ( २१ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और योगशास्त्रविवरण

आचार्य हेमचन्द्र द्वारा विरचित ( १२-१३वीं शती ) योगशास्त्रके ऊपर उनके द्वारा स्वयं टीका की गयी है जो स्वो विवरणके नामसे प्रसिद्ध है । इसमें सम्यग्दर्शनके प्रसंगमें ( २-१५, पृ १८२-८३ ) उपशमसवेग आदिसे सम्बद्ध जिन पाँच गाथाओको उद्धृत किया गया है वे प्रस्तुत आ. प्र में ५५-५९ गाथाकोमें उपलब्ध होती हैं, जो सम्भवत वहीसे उद्धृत की गयी हैं । इसी प्रकार आ. प्र. की ३४८-४९ ये दो गाथाएँ भी वहाँ ( ३-१२०, पृ २०५ ) उद्धृत की गयी हैं ।

### ( २२ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और आव. सूत्रकी मलय वृत्ति

आवश्यकसूत्रगत निर्युक्तियोकी विस्तृत व्याख्या मलयगिरि ( १२-१३वीं शती ) सूरिके द्वारा अपनी वृत्तिमें की गयी है । वहाँ ( नि १०७, पृ. ११३-१४ ) पर आ. प्र. की क्रमसे ३५-४१ गाथाओंको उद्धृत किया गया है । इसी सिलसिलेमें ३९०-९१ गाथाओको भी उद्धृत किया गया है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये दोनों गाथाएँ विशेषावश्यकभागमें १२१९ व १२२० गाथाकोमें उपलब्ध होती है ।

उक्त मलयगिरि सूरिने 'जेसिमवड्ढो पुग्गल' इत्यादि आ. प्र की गाथा ( ७२ ) को अपनी पचसग्रहकी वृत्ति ( २-१३, पृ. ५४ ) में भी उद्धृत किया है ।

### ( २३ ) श्रावकप्रज्ञप्ति और सागारधर्मांमृत

सागारधर्मांमृत यह पं आशाधर ( १३वीं शती ) विरचित एक विस्तृत श्रावकाचारविषयक ग्रन्थ है । इसकी रचनामें प. आशाधरने अपने पूर्ववर्ती प्रायः सभी श्रावकाचार सम्बन्धी ग्रन्थोका—जैसे आ समन्तभद्र-विरचित रत्नकरण्डक, प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्ति अमृतचन्द्रसूरिविरचित पुरुषार्थसिद्धयुपाय, सोमदेव सूरिविरचित उपामकाध्ययन, आ. वसुनन्दी विरचित श्रावकाचार और हेमचन्द्रसूरिविरचित योगशास्त्र इत्यादिका—उपयोग किया है । यह ग्रन्थ आठ अध्यायोमें विभक्त है ।

प. आशाधरने सम्पूर्ण गृहस्थधर्मका एक श्लोक ( १-१२ ) में निर्देश करते हुए कहा है कि निर्मल सम्यक्त्व, निर्मल अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत तथा मरणसमयमें सल्लेखना, यह सम्पूर्ण गृहस्थधर्म है । पं आशाधरने उपलब्ध समस्त श्रावकाचारोका परिशीलन करके प्रकृत सागारधर्मांमृतकी रचनामें अपनी स्वतन्त्र बुद्धिका भी कुछ उपयोग किया है । उदाहरणार्थ उन्होंने श्रावकके पादिक, नैष्ठिक और साधक ये जो तीन भेद निर्दिष्ट किये हैं ( १-२० ) वे इस प्रकारसे सम्भवत हमरे ग्रन्थमें नहीं मिलेंगे ।

श्रा प्र. में सामान्यसे जिस बारह प्रकारके श्रावकधर्मकी प्ररूपणा की गयी है वह यहाँ नैष्ठिक (द्वितीय) श्रावकके धर्मके अन्तर्गत है। यहाँ नैष्ठिक—निष्ठापूर्वक श्रावकधर्मके परिपालक—श्रावकके दार्शनिक आदि ग्याग्ह स्थान—जिन्हें श्रावकप्रतिमा कहा जाता है—निर्दिष्ट किये गये हैं। (३, २-३)। इनमें प्रथम दार्शनिक श्रावकका वर्णन यहाँ तीसरे अध्यायमें विस्तारसे किया गया है।

दूसरे व्रती श्रावकके प्रसगमें पूर्वोक्त पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतरूप बारह प्रकारके श्रावकधर्मकी चर्चा चौथे और पाँचवें इन दो अध्यायोंमें की गयी है। छठे अध्यायमें द्वितीय (नैष्ठिक) श्रावककी दिनचर्याका निर्देश करते हुए अन्तमें उसे निर्वेदादिभावनाके लिए प्रेरित किया गया है। तीसरेसे लेकर ग्यारहवें श्रावक तककी प्ररूपणा यहाँ सातवें अध्यायमें की गयी है। अन्तिम आठवें अध्यायमें समाधिभरण (सल्लेखना) को सिद्ध करनेवाले तीसरे साधक श्रावकका विस्तारसे विवेचन किया गया है।

अब हम यहाँ श्रा प्र से इसकी कहीं तक समानता है, इसका सक्षेपमें विचार करना चाहेंगे। यहाँ यह स्मरणीय है कि प आशाधरने जिस योगशास्त्रका पर्याप्त उपयोग किया है उसका आधार प्रस्तुत श्रा प्र भी रही है। सर्वप्रथम यहाँ हम उस विशेषतापर विचार करेंगे जो श्रा प्र. में तो नहीं देखी जाती, पर यहाँ अनिवार्य रूपसे वह देखी जाती है। वह यह है—

श्रा प्र में कहीं किसी भी प्रसगमें उन मद्य, मास, मधु और रात्रिभोजन आदिकी चर्चा नहीं की गयी जिन्हें जैन सम्प्रदायमें निकृष्ट माना गया है। हाँ, उसकी टीका (२८५) में वृद्धसम्प्रदायके अनुसार उपभोग-परिभोगपरिमाणके प्रसगमें उत्सर्ग व अपवादके रूपमें भोजनके विधानकी दिखलाते हुए अशनादिरूप चार प्रकारके आहारमें उक्त मद्य, मास व मधु आदिका परिहार अवश्य कराया गया है। योगशास्त्रमें भी उनका हेयरूपमें विस्तृत वर्णन देखा जाता है (३, ६-७०)। इसी प्रकार इस सागारधर्माभूतमें भी यथाप्रसग उनकी निकृष्टताको बतलाकर उनके परिहारकी प्रेरणा की गयी है। यहाँ दूसरे अध्यायमें प्रथम पाशिक—देशसयमको प्रारम्भ करनेवाले—श्रावकके आठ मूलगुणोंमें ही उक्त मद्यादिकी सवोषताका विचार करते हुए उनका परित्याग कराया गया है (२, २-१९)। श्रावकप्रज्ञप्तिसे प्राचीन रत्नकरण्डक (६६) में भी उनके परित्यागको आठ मूलगुणोंके अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है तथा आगे चलकर भोगोपभोगपरिमाण-व्रतमें पुन उनके परित्यागकी प्रेरणा की गयी है। सा घ. में भी इसी प्रकारसे उनका भोगोपभोगपरिमाण-व्रतके प्रसगमें (५-१५) पुन परित्याग कराया गया है। इसके पूर्व प्रथम दार्शनिक श्रावकके लिए भी यहाँ उपर्युक्त मद्यादि तथा उनसे सम्बद्ध अन्य मद्यपायी आदिके ससर्ग आदिको भी हेय बतलाया गया है (३, ९-१३)।

प्रकृत श्रा प्रज्ञप्तिके साथ सा. घ की जो समानता दिखती है वह इस प्रकार है—

१ श्रा प्र और योगशास्त्रमें बारह व्रतोंके स्वरूप व उनके अतिचारोंका जिस प्रकारसे निरूपण किया गया है उसी प्रकार सा घ (अध्याय ४-५) में भी द्वितीय नैष्ठिक श्रावकके अनुष्ठानके रूपमें उनका निरूपण कुछ विस्तारसे किया गया है।

२ सा घ की स्वो टीकामें जो व्रतातिचारोंकी विशेष विकसित किया गया है वह प्रस्तुत श्रा प्र अथवा ऐसे ही किसी अन्य ग्रन्थके आधारसे किया गया है। कहीं-कहीं तो वह छायानुवाद-जैसा दिखता है। उदाहरणस्वरूप अहिंसाणुव्रतके अतिचारोंके प्रसगमें इस सन्दर्भका मिलान किया जा सकता है—

१ श्रावकके मूलगुणोंका निर्देश सम्भवत किसी श्वे० ग्रन्थमें नहीं किया गया है। हाँ, त भाष्य (७-१६) में जो दिग्गतादि सातको उत्तर व्रत कहा गया है उससे पाँच अणुव्रतों को मूल व्रत कहा जा सकता है।

तदश्रायं पूर्वाचायोक्तविधिः—वंधो दुविहो दुपयाणं चउप्पयाणं च अट्टाए अणट्टाए । अणट्टाए ण वट्टए वधिउं । अट्टाए दुविहो सावेक्खो णिरवेक्खो य । णिरवेक्खो णिच्चलं घणियं जं वधइ । सावेक्खो जं दामगंठिणा, ज च सक्केह पल्लवणगादिसु मुविउं छिदिउ वा । .....(श्रा प्र. २५८ की टीका )

अत्राय विधि—बन्धो द्विपदाना चतुष्पदाना वा स्यात् । सोऽपि सार्थकोऽनर्थको वा । तत्रानर्थक-स्तावच्छ्रावकस्य कर्तुं न युज्यते । सार्थकः पुनरसौ द्वेषा सापेक्षो निरपेक्षश्च । तत्र सापेक्षो यो दामग्रन्थ्यादिना विधीयते, यश्च प्रदीपनादिषु मोक्षयितुं छेत्तु वा शक्यते । निरपेक्षो यन्निश्चलमत्यर्थममो वध्यन्ते ..... ( सा. घ. स्वी टीका ४-१५ ) ।

यहाँ पूर्वोक्त श्रा. प्र. गत सन्दर्भके अधिकांश पदोक्त सस्कृतमें प्रायः रूपान्तर किया गया है व अभिप्राय दोनोंका सर्वथा समान है ।

३. श्रा. प्र. ( २६०-२६१ ) में सत्याणुव्रतके स्वरूपका निर्देश करते हुए कन्या-अलीक, गो-अलीक, भू-अलीक, न्यासहरण और कूटसाक्षित्वको परित्याज्य निर्दिष्ट किया गया है ।

सा घ ( ४-३९ ) में भी उसके स्वरूपको प्रकट करते हुए उन पाँचोंको प्रायः उन्ही शब्दोंमें गभित कर लिया गया है । उसकी स्वी. टीकामें पृथक्-पृथक् उनका स्वरूप भी उसी रूपमें निर्दिष्ट किया गया है ।

४. श्रा. प्र. गा. ३२६ की टीकामें अतिथिके स्वरूप प्रकट करते हुए कहा गया है कि जो भोजनके लिए भोजनकालमें उपस्थित हुआ करता है उसे अतिथि कहा जाता है । अपने निमित्तसे भोजनको निमित्त करनेवाले गृहस्थके लिए साधु ही अतिथि होता है । ऐसा निर्देश करते हुए वहाँ आगे 'तिथि-पर्वोऽसवाः सर्वे' इत्यादि श्लोकको उद्धृत किया गया है ।

सा घ. ( ५-४२ ) में उक्त अतिथि शब्दके निरुक्त अर्थको प्रकट करते हुए कहा गया है कि जो जानादिकी सिद्धिके कारणभूत शरीरकी स्थितिके निमित्त भोजनको प्राप्त करनेके लिए स्वयं श्रावकके घर जाता है ( यस्तनुस्थित्यर्थयान्नाय चरनेन स्वयम् भवति सोऽतिथिः ) वह अतिथि कहलाता है । प्रकारान्तरसे यहाँ यह भी कहा गया है कि अथवा जिसके लिए कोई तिथि नहीं है उसे अतिथि जानना चाहिए । यह कहते हुए प्रकृत श्लोककी स्वी. टीकामें उक्त 'तिथि-पर्वोऽसवाः सर्वे' इत्यादि श्लोकको भी उद्धृत किया गया है । यह प्रसंग उक्त श्रा. प्र. की टीकासे प्रभावित रहा दिखता है ।

५. श्रा. प्र. ( ३२९-३० ) में बारह व्रतोंको प्ररूपणाके पश्चात् गृहिप्रत्याख्यानके कृत, कारित व अनुमत इन तीन करणों तथा मन, वचन व काय इन तीन योगोंके साथ वर्तमान, भूत और भविष्यत् इन तीन कालोंके संयोगसे १४७ भगोंका निर्देश किया गया है ।

सा घ. ( ४-५ ) में भी सामान्यसे पाँच अणुव्रतोंके स्वरूपका निर्देश करते हुए कहा गया है कि मन, वचन, काय व कृत, कारित, अनुमत इनके आश्रयसे स्थूल वष आदिमे विरत होनेपर क्रमसे अहिंसा आदि पाँच अणुव्रत होते हैं । प्रकृत श्लोककी स्वी. टीकामें इसका स्पष्टीकरण करते हुए मन, वचन और काय इनमेंसे प्रत्येकके आश्रित कृत, कारित और अनुमत इनके संयोगसे ४९ भग दिखलाये गये हैं । वे चूँकि वर्तमान, भूत और भविष्यत् इन तीन कालोंसे सम्यक् रहते हैं; इसलिए उन्हें तीन कालोंसे गुणित करनेपर अहिंसाणुव्रतके वे समस्त भग १४७ ( ४९ × ३ ) होते हैं ।

इस प्रकार दोनों ग्रन्थोंके इस विवेचनमें पर्याप्त समानता है । विशेष उक्तना है कि श्रा. प्र. में जहाँ बारह व्रतोंका निरूपण कर चुकनेके पश्चात् प्रत्याख्यानके रूपमें प्रत्येक व्रतके वे भग दिखलाये गये हैं वहाँ सा घ. में प्रथम अहिंसाणुव्रतके प्रसंगमें इन ही भगोंको दिखलाकर उक्तसे समान सत्याणुव्रत आदि षोडश व्रतोंमें भी इनको योजित करनेका निर्देश कर दिया गया है । यथा—एते च भद्रा अहिंसाणुव्रत-षड्व्रतान्मारेत्स्वपि द्रष्टव्याः ।

इस प्रसंगमें श्रा. प्र. की टीकामें अन्यत्र कहींसे तीन गाथाओंको उद्धृत कर उनके द्वारा उक्त ४९ भगोंको तीन कालोसे वयो गुणा किया जाता है, इसका स्पष्टीकरण जिन शब्दोंमें किया गया है लगभग वैसे ही शब्दोंमें उसका स्पष्टीकरण सा घ की इस स्वी टीकामें भी इस प्रकारसे किया गया है—त्रिकाळ-विषयता चातोतस्य निन्दया साम्प्रतिकस्य संवरणेनातागतस्य च प्रत्याख्यानेनेति ।

६ श्रा. प्र गा ३४३-४४ में श्रावककी दिनचर्याको दिखलाते हुए कहा गया है कि प्रातः-समयमें नमस्कार मन्त्रके उच्चारणके साथ शयनसे उठकर 'मैं श्रावक हूँ' ऐसा स्मरण करते हुए व्रतादिमें योग देना चाहिए व विधिपूर्वक चैत्यवन्दन करके प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार प्रातः-कालीन कृत्यको स्वयं घरपर करके तत्पश्चात् चर्योकी पूजा आदि करे और तब साधुके समीपमें उस प्रत्याख्यानको प्रकाशित करे जिसे पूर्वमें स्वयं ग्रहण किया था।

लगभग यही अभिप्राय सा घ ( ६, १-११ ) में भी कुछ विस्तारसे प्रकट किया गया है। उसका प्रथम श्लोक यह है—

ब्राह्मे सुहृत् उस्थाय वृत्तपचनमस्कृषि ।

कोऽह को मम धर्म किं व्रत चेति परामृशेत् ॥

वैसे इस प्रसंगमें श्रावकप्रज्ञप्तिकी अपेक्षा योगशास्त्र ( ३-१२२ ) का अनुसरण सा. घ. में अधिक किया गया प्रतीत होता है।

७ श्रा प्र. ( २८५ ) में उपभोग-परिभोग-परिमाणव्रतके भोजन व कर्मकी अपेक्षा दो भेदोंका निर्देश करके आगेकी दो ( २८७-८८ ) गाथाओंमें कर्मके आश्रयसे अगारादि १५ निषिद्ध कर्मोंके परित्यागकी प्रेरणा की गयी है।

इस प्रसंगमें सा घ ( ५, २१-२३ ) में किन्ही श्वे. आचार्योंके अमिमतानुसार खरकर्म—प्राणिविघातक क्रूर कर्म—के व्रतका उल्लेख करते हुए वनजीविका व अग्निजीविका आदि उन १५ मलों ( अतिचारों ) के छोड़नेकी प्रेरणा की गयी है व आगे इसी प्रसंगमें यह कहा गया है कि ऐसा किउने ही श्वे. आचार्य कहते हैं। पर वह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे सावद्यकर्म अगणित हैं, अर्थात् उनकी कोई सीमा न होनेसे उक्त १५ कर्मोंका ही निषेध करना उचित नहीं है। फिर आगे विकल्परूपमें यह भी कह दिया है कि अथवा अतिशय जहद्विद्वियोंको लक्ष्य करके उनका प्रतिपादन करना भी उचित है।

इसका आधार सम्भवतः श्रा प्र. का उपर्युक्त प्रसंग रहा है। कारण यह कि वहाँ उपभोगपरिभोग-परिमाणव्रतके प्रसंगमें कर्मकी अपेक्षा उन पन्द्रह कर्मोंका उल्लेख करते हुए उक्तें हेय कहा गया है। वहाँ गा २८८ की टीकामें 'भावाद्यस्तु वृद्धसम्मदायाश्च अवसेयः, स चायम्' इस प्रकारकी सूचना करते हुए सम्भवतः आवश्यकचूर्णि द्वारा उन कर्मोंके स्वरूपको स्पष्ट किया गया है। पूर्वोक्त सा घ की टीकामें भी उनका स्वरूप लगभग उसी प्रकार निर्दिष्ट किया गया है। अन्तमें श्रा प्र. की उक्त टीकामें यह भी कहा गया है कि इस प्रकारके सावद्य कर्मोंका यह प्रदर्शन मात्र है—इसे उनकी सीमा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस प्रकारके बहुत-से सावद्य कर्म हेय हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है।

सा घ की स्वी टीकामें जो विकल्प रूपमें उक्त अभिप्राय प्रकट किया गया है वह श्रा प्र. की टीकागत उस अभिप्रायसे सर्वथा मिलता हुआ है।

८ बारह व्रतों, दिनचर्या और विहारादिविषयक सामान्यचारीके निरूपणके पश्चात् श्रा प्र ( ३७८-८५ ) में एक शका-समाधानके साथ अन्तिम अनुष्ठानस्वरूप सल्लेखनाकी भी प्ररूपणा की गयी है।

यह सल्लेखना या सल्लेखनाकी प्ररूपणा सा घ. के अन्तिम टिप्पे. अध्यायमें बहुत विस्तारसे की गयी है। पूर्वसूचित श्रावकके तीन भेदोंमें अन्तिम भेदभूत साधक श्रावकके लिए उसका वहाँ विधान किया गया है।

## ७ टीका और टीकाकार हरिभद्र सूरि

प्रस्तुत श्रावकप्रज्ञप्तिके ऊपर हरिभद्र सूरिके द्वारा एक सक्षिप्त टीका लिखी गयी है जो प्रस्तुत संस्करणमें मूल ग्रन्थके साथ प्रकाशित की जा रही है। जैसा कि टीकाका 'द्विप्रदा' यह नाम है, तदनुसार वह दिशाका बोधमात्र कराती है। उसमें प्राय व्याख्येय तत्त्वका विशेष स्पष्टीकरण न करके गाथागत पद-वाक्योंको उद्धृत करते हुए शब्दार्थमात्र किया गया है। अभिष्येयका अभिप्राय उसमें बहुत कम प्रकट किया गया है। उदाहरणार्थ इस गाथाकी टीकाको देखिए—

तं जाविह संपत्तो न जुञ्जए तस्स निग्गुणत्तणभो ।

बहुतरबन्धाओ खलु सुत्तविरोहा जभो भणिर्यं ॥३४॥

टीका—तं ग्रन्थिम्, यावदिह विचारे, सप्राप्तिर्न युज्यते न घटते, कुतः ? तस्य निर्गुणत्वात्— तस्य जीवस्य सम्यग्दर्शनादिगुणरहितत्वात्, निर्गुणस्य च बहुतरबन्धात्, खलुशब्दोऽवधारणे—बहुतर-बन्धादेव, इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यम्, सूत्रविरोधात् अन्यथा सूत्रविरोध इत्यर्थः, कथमिति आह—यतो भणितं यस्मादुक्तमिति ।

सर्वसाधारणके लाभके लिए टीकामें कुछ अधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता थी। पर हरिभद्रसूरिकी प्राय यह पद्धति ही रही है, भले ही चाहे वह स्वोपज्ञ टीका हो अथवा किसी अन्य ग्रन्थकार द्वारा निर्मित ग्रन्थकी टीका हो। हरिभद्र सूरिकी अपेक्षा मलयगिरि सूरि विरचित टीकाओमें कुछ विशेषता देखी जाती है। उन्होंने अपनी टीकाओमें व्याख्येय तत्त्वको यथासम्भव अधिक स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है। किन्तु हरिभद्र सूरिने जहाँ कुछ अधिक कहनेकी आवश्यकता समझी वहाँ अपनी ओरसे कुछ विशेष न कहकर पूर्व-परम्परासे प्राप्त सन्दर्भोंको जैसा का तैसा उद्धृत कर दिया है। ऐसा सम्भवत उन्होंने अपनी प्रामाणिकताको सुरक्षित रखनेकी दृष्टिसे किया है, ऐसा प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ प्रस्तुत श्रा. प्र. की ही गा १३ में निर्दिष्ट दर्शनावरणके निद्रादि भेदोंके स्वरूपको अपने शब्दोंमें न व्यक्त करके किसी प्राचीन ग्रन्थसे दो गाथाओंको उद्धृत करके उनके द्वारा प्रकट किया गया है। इसी प्रकार गा ९१ में 'पेयापेय' तथा गा. ९३ में राजा व अमात्य, विद्यासाधक श्रावक व श्रावकसुता, चाणक्य और सौराष्ट्र श्रावक ये पाँच उदाहरण शंका-काक्षादि अतिचारोंके स्पष्टीकरणमें दिये गये हैं। हरिभद्र सूरिने अपनी टीकामें इनकी कथाओंको अपने स्वयंके शब्दोंमें न लिखकर सम्भवत उन्हें किसी अन्य ग्रन्थसे उद्धृत कर दिया है। यही बात गा ११५ में निर्दिष्ट 'गाथापति-सुत-चोरग्रहण-मोचन' विषयक कथाके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। इस गाथाकी टीकाके अन्तमें तो उन्होंने अपनी प्रामाणिकताको सुरक्षित रखते हुए यह स्पष्ट भी कर दिया है कि यह अपनी बुद्धिसे कल्पना नहीं की गयी है, सूत्रकृतागमें वैसा कहा गया है, इत्यादि ।

इसो प्रकार आगे भी उन्होंने 'तत्र वृद्धसम्प्रदाय' ( २८३ ), 'तथा च वृद्धसम्प्रदाय.' ( २८५ ), 'भावार्थस्तु वृद्धसम्प्रदायादेव अवसेय, स चायम्' ( २८८ ), 'इह च सामाचारी, एत्थ सामायारी, एत्थ सामायारी, एत्थ वि सामायारी' ( २९१ ), 'एत्थ पुण सामायारी' ( २९२ ), 'भावत्थो पुण इमो' ( ३२२ ), 'एत्थ भावणा' ( ३२४ ), 'एत्थ सामायारी' ( ३२६ ), '... भणितमागमे, तच्चेद' ( ३८४ ) इत्यादि प्रकारकी सूचना करते हुए कितने ही सन्दर्भोंको उद्धृत किया है जो सम्भवत आवश्यकचूर्ण आदिके हो सकते हैं ।

### हरिभद्र सूरि

उपर्युक्त टीकाके कर्ता हरिभद्र सूरि है, यह निश्चित है। जैसी कि पीछे 'ग्रन्थकार' शीर्षकमें पर्याप्त विचार-विमर्शके साथ सम्भावना व्यक्त की गयी है, हरिभद्र सूरि मूल ग्रन्थके भी कर्ता ही सकते हैं ।

हरिभद्र सूरि जन्मत वैदिक धर्मानुयायी ब्राह्मण विद्वान् थे । निवासस्थान उनका चित्रकूट रहा है । उन्होने वैदिक साहित्यका गम्भीर अध्ययन किया था । सौभाग्यसे एक बार उन्हें याकिनी महत्तरा नामकी विदुषी साध्वीके दर्शनका सुयोग प्राप्त हुआ । उसके साथ जो उनकी धार्मिक चर्चा हुई उससे वे बहुत प्रभावित हुए । इस प्रकारमे वे वैदिक सम्प्रदायको छोड़कर जैनधर्ममें दीक्षित हो गये । उनके दीक्षादाता गुरु जिनदत्त सूरि रहे हैं । हरिभद्र सूरि विरचित आवश्यकसूत्रकी टीकाकी समाप्तिसूचक अन्तिम पुष्पिकामें उन्हें श्वे. आचार्य जिनभटके निगदानुसारी और विद्याघरकुलतिलक आचार्य जिनदत्तका शिष्य निर्दिष्ट किया गया है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हरिभद्र सूरिके विद्यागुरु जिनभट और दीक्षागुरु जिनदत्त रहे हैं । सस्कृत भाषाके तो वे पूर्वमें ही अधिकारी विद्वान् रहे हैं । परचात् जैनधर्ममें दीक्षित हो जानेपर उन्होने प्राकृतका भी अच्छा अभ्यास कर लिया था । उनकी जैनागमविषयक कुशलता स्तुत्य रही है । इतर दर्शनोका अध्ययन उनका पूर्वमें ही रहा है । इस प्रकार प्रखर प्रतिभासे सम्पन्न वे बहुश्रुत विद्वान् हुए । सस्कृत और प्राकृतके अधिकारी विद्वान् होनेसे उन्होने इन दोनों ही भाषाओंमें महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोकी रचना की है । दर्शन, साहित्य, न्याय और योग-जैमे अनेक विषयोमें उनकी प्रतिभा निर्बाध गतिसे सचार करती रही है । यही कारण है जो उनके द्वारा विरचित इन सभी विषयोके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । मूल ग्रन्थोकी रचनाके साथ उन्होने आवश्यकसूत्र, प्रज्ञापना और दशवैकालिक आदि अनेक आगम ग्रन्थोपर टीका भी की है । इन टीकाओंमें उन्होने सैकड़ो प्राचीन ग्रन्थोके उद्धरण दिये हैं, जिनसे उनकी बहुश्रुतताका परिचय सहजमें मिल जाता है ।

याकिनी महत्तराको उन्होने अपनी द्वितीय जन्मदात्री धर्ममाता माना है । उसके इस महोपकारकी स्मृतिस्वरूप उन्होने प्राय सभी स्वनिर्मित ग्रन्थो और टीकाओके अन्तिम पुष्पिका वाक्योंमें अपनेको श्वेताम्बर मतानुयायी याकिनी महत्तराका सन्तु निर्दिष्ट करके कृतज्ञताका भाव व्यक्त किया है ।

उनका समय ई सन् ७०० से ७७० माना जाता है । कुचलयमाला ( शक स ७००, ई सन् ७७८ ) के कर्ता उद्योतन सूरिके वे कुछ समकालीन रहे हैं । उनके द्वारा निर्मित कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ और टीकाएँ इस प्रकार हैं—

### मूल ग्रन्थ

१ धर्मसंग्रहणी	७ सम्बोध प्रकरण	१३ लोकतत्त्वनिर्णय
२ पचाशकप्रकरण	८ उपदेश पद	१४ सम्बोधसप्तति प्रकरण
३ पचवस्तुकप्रकरण	९ षड्दर्शनसमुच्चय	१५ सम्राड्चक्रहा
४ धर्मविन्दु प्रकरण	१० शास्त्रवार्तासमुच्चय	१६ योगविशिका
५ अष्टक प्रकरण	११ अनेकान्तजयपताका	१७ योगदृष्टिसमुच्चत
६ षोडशक प्रकरण	१२ अनेकान्तवादप्रवेश	१८ योगविन्दु

### टीका ग्रन्थ

१. नन्दीसूत्र	४ आवश्यक सूत्र	७ अनुयोगद्वार
२. पाक्षिक सूत्र	५. दशवैकालिक	८ ललितविस्तरा
३ प्रज्ञापना सूत्र	६ पचसूत्र	९. तत्त्वार्थवृत्ति



१ श्रीहरिभद्राचार्यस्य समयनिर्णय, पृ १-२३ ( जैन साहित्यशोधक समाज, पूना ) जैन साहित्य सशो भाग १, अंक १, पृ ५८ तथा 'जैन साहित्यका बृहद् इतिहास' भाग ३, पृ ३५६ ।

## विषय-सूची

### गाथांक

### विषय

- १ अरहन्तोकी वन्दनापूर्वक बारह प्रकारके श्रावकधर्मके कहनेकी प्रतिज्ञा ।
- २ श्रावकका निरुक्तिपूर्वक लक्षण ।
- ३-५ जिनवाणीके श्रवणसे प्राप्त होनेवाले गुण ।
- ६ पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतरूप बारह प्रकारके श्रावक धर्मका निर्देश ।
- ७ श्रावकधर्मकी मूल वस्तुके रूपमें सम्यक्त्वका उल्लेख तथा उसके तीन भेदोका निर्देश ।
- ८ सम्यक्त्वके प्रसंगमें प्रथमतः जीव एव कर्मके सयोगके कहनेकी प्रतिज्ञा ।
- ९ ज्ञानावरणादि कर्मोंसे सयुक्त अनादिनिघन जीवका निर्देश करते हुए कर्मके आठ भेदोकी सूचना ।
- १०-११ कर्मकी मूल प्रकृतियोंका नामनिर्देश ।
- १२-२६ यथाक्रमसे उनकी उत्तर प्रकृतियोंके नाम ।
- २७-३० अष्ट कर्मोंकी उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति ।
- ३१-३३ उक्त स्थितिसे युक्त कर्मकी स्थितिमें कुछ नियमित स्थितिके क्षीण होनेपर जीवके अभिन्नपूर्व ग्रन्थिके होनेका निर्देश करते हुए उसके भेदनमें सम्यक्त्वकी प्राप्तिकी सूचना ।
- ३४-४२ सम्यक्त्वप्राप्तिके विषयमें शका और उसका समाधान
- ४३ सम्यक्त्वके क्षायोपशमिकादि तीन भेदोका निर्देश करते हुए उसके कारक आदि अन्य भेदोकी सूचना ।
- ४४ क्षायोपशमिक सम्यक्त्वका स्वरूप ।
- ४५-४७ औपशमिक सम्यक्त्वका स्वरूप और उसकी प्राप्ति ।
- ४८ क्षायिक सम्यक्त्वका स्वरूप ।
- ४९ कारक और रोचक सम्यक्त्वका स्वरूप ।
- ५० दीपक सम्यक्त्वका स्वरूप ।
- ५१ मिथ्यात्व परमाणुओके उस प्रकारके क्षयोपशम आदिके कारण सम्यक्त्वकी विविग्रहता ।
- ५२ उपाधिके भेदसे सम्यक्त्वके अन्य दस भेदोका निर्देश । इन्हींमें उनके अन्तर्भावकी सूचना ।
- ५३-५९ आत्मपरिणामस्वरूप उस सम्यक्त्वके अनुनापक उपशम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिषय इन चिह्नोंके निर्देशपूर्वक उनका पृथक्-पृथक् लक्षण ।
- ६० सम्यग्दृष्टिके उक्त प्रशमादि परिणामोंसे सयुक्त होनेका निर्देश ।
- ६१ निदम्य नयकी अपेक्षा मुनिवृत्त और सम्यक्त्वकी अभेदम्पता तथा व्यवहार नयकी अपेक्षा सम्यक्त्व हेतुके भी सम्यक्त्वका निर्देश ।
- ६२ तत्त्वार्थश्रद्धानको सम्यक्त्वका लक्षण बतलाने हुए उसके होनेपर नियमतः प्रशमादिकोंके सद्भावकी सूचना ।



- ६३-६४ तत्त्वार्थोंके नामोल्लेखपूर्वक जीवके भेद-प्रभेद ।
- ६५ सप्तारी जीवोंकी प्ररूपणामें भव्यादि द्वारोंका निर्देश ।
- ६६-६७ भव्य द्वारमें भव्य-अभव्य जीवोंका स्वरूप ।
- ६८-६९ आहारक द्वारमें आहारक-अनाहारक जीवोंका निर्देश करते हुए उनके कालका उल्लेख ।
- ७०-७१ पर्याप्त द्वारमें अपर्याप्त और पर्याप्त जीवोंका उल्लेख ।
- ७२-७३ शुक्लपाक्षिक द्वारमें शुक्लपाक्षिक व कृष्णपाक्षिक जीवोंका स्वरूप व उत्पत्ति-स्थान ।
- ७४-७५ सोपक्रम द्वारमें निरूपक्रम और सोपक्रम जीवोंका उल्लेख ।
- ७६-७७ मुक्त जीवोंके तीर्थकरादि भेदोंका उल्लेख ।
- ७८ धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन चार अजीवोंका स्वरूप ।
- ७९ आत्मवका स्वरूप व उसके दो भेद ।
- ८० बन्धका स्वरूप व उसके चार भेद ।
- ८१ सवरका स्वरूप व उसके हेतु ।
- ८२ निर्जराका स्वरूप ।
- ८३ मोक्षका स्वरूप ।
- ८४-८५ इन तत्त्वार्थोंके श्रद्धान-अश्रद्धानसे होनेवाले गुणो व गुणामावकी सूचना ।
- ८६ सम्यक्त्वके शकादि पाँच अतिचार ।
- ८७ शका, काक्षा और विचिकित्साका स्वरूप ।
- ८८ परपापण्डप्रशसा और परपापण्डसस्तवका स्वरूप ।
- ८९-९१ शकाकी अतिचारताको प्रकट करते हुए उससे सम्भव पारलौकिक और ऐहिक दोषोंका दिग्दर्शन ।
- ९२-९३ कांक्षा आदि शेष चारकी अतिचारताको प्रकट करते हुए सोदाहरण उनके दोषोंका दिग्दर्शन ।
- ९४-९५ साधर्मिक-अनुपवृहण आदि अन्य अतिचारोंकी भी सूचना ।
- ९६ मुमुक्षुको इन अतिचारोंके छोड़ देनेकी प्रेरणा ।
- ९७ सम्यक्त्वरूप शुभ परिणामके होनेपर सवलेशके अभावमें अतिचारोंकी असम्भावनाविषयक शका ।
- ९८-९९ उक्त शकाका समाधान ।
- १००-१०५ इस प्रसंगमें शकाकारकी प्रतिशकाका समाधान करते हुए प्रमादके छोड़ देनेकी प्रेरणा ।
- १०६-१०७ पाँच अणुव्रतोंका निर्देश करते हुए प्रथम अणुव्रतका स्वरूप एव सकल्प तथा आरम्भसे होने-वाले वधमें सकल्पसे उसके छोड़ देनेकी प्रेरणा ।
- १०८ अणुव्रतग्रहणकी विधिका निर्देश करते हुए उसके पालनकी प्रेरणा ।
- १०९-११० शकाकार द्वारा देशविरति परिणामके होने व न होनेपर दोनों पक्षोंमें दोषोद्भावन ।
- १११-११३ शंकाकार द्वारा उद्भावित दोषोंका निराकरण ।
- ११४-११८ प्रथम अणुव्रतमें स्थूलप्राणातिपातका प्रत्याख्यान करानेवाले साधुके सूक्ष्मप्राणातिपातमें अनुमति-के होनेकी शकाको उठाते हुए उसका समाधान ।
- ११९-१२३ सामान्यसे त्रसघातविरतिके करानेपर त्रसकायसे स्थावरकायको प्राप्त हुए जीवोंके वधसे व्रतके भंग होनेकी सम्भावनाके कारण सामान्यसे करायी गयी त्रसघातविरतिकी सद्योप-बतलानेवालीका पूर्वपक्ष ।

- १२३-१३२ उपर्युक्त पूर्वपक्षका निराकरण ।
- १३३-१६३ पापके कारण संसारमें परिभ्रमण करनेवाले दुखी जीवोके वधकी निवृत्ति कराना उचित नहीं है, किन्तु सुखी जीवोके ही वधकी निवृत्ति कराना उचित है, इस संसारमोक्षकोके मतका अनेक शंका-समाधानपूर्वक निराकरण ।
- १६४-१७५ कुछ वादी आगन्तुक दोषोकी सम्भावनासे—जैसे हिंस्र सिंहादिके वधकी निवृत्तिसे उनके द्वारा किसी युगप्रधानके भक्षित होनेपर उसके अभावमें होनेवाली तीर्थहानिकी सम्भावनासे—प्राणि-वधकी निवृत्तिको पापजनक मानते हैं, उन अभिमतको प्रकट करते हुए उसका निराकरण ।
- १७६-१९१ जीवके नित्य-अनित्य व शरीरसे भिन्न-अभिन्न पक्षोंमें वधकी निवृत्तिको निर्विषय बतलानेवाले कितने वादियोंके अभिमतका अनेक शंका-समाधानपूर्वक निराकरण ।
- १९२-२०८ अकालमरणके असम्भव होनेसे प्राणिवधकी निवृत्तिको वन्ध्यापुत्रके मासभक्षणकी निवृत्तिके समान निरर्थक ठहरानेवालोके अभिप्रायको दिखलाते उसका निराकरण ।
- २०९-२२० अन्य कितने ही वादियोंका कहना है कि जिसने जो कर्म किया है उसे उसका फल सहकारी कारणोकी अपेक्षा करके अवश्य भोगना पड़ेगा, इस प्रकार उसके वधमें निमित्त होनेवाले वधकका कोई दोष नहीं है, अपराध उसी वध्य प्राणीका है जिसने उसके निमित्तसे मरनेका वैसा कर्म किया है, इसीलिए वध-निवृत्तिका कुछ फल सम्भव नहीं है । इन वादियोंके अभि-प्रायको स्पष्ट करते हुए उसका निराकरण ।
- २२१-२३४ कुछ वादियोंका अभिमत है कि बाल व कुमार आदिके वधमें अधिक कर्मका उपक्रम होनेसे पाप अधिक और वृद्ध आदिके वधमें कर्मका अल्प उपक्रम होनेसे पाप अल्प होता है, उनके इस अभिमतको स्पष्ट करते हुए उसका निराकरण ।
- २३५-२५५ अन्य कुछ का कहना है कि कृमि-पिपीलिका आदि प्राणियोंका वध सम्भव है, उनके वधकी निवृत्ति कराना उचित है, किन्तु नारक आदिका वध असम्भव है, उनके वधकी निवृत्तिका कुछ फल सम्भव नहीं है, उनके अभिमतको प्रकट करते हुए उसका निराकरण ।
- २५६ इस प्रकार मिथ्यादर्शनके वशीभूत होकर कितने ही वादी जो अयुक्तिसंगत मत व्यक्त करते हैं उसे निःसार समझ लेनेकी प्रेरणा ।
- २५७-२५९ व्रतको स्वीकार करके व उसके अतिचारोको जानकर उनके परिहारकी प्रेरणा करते हुए प्रथम अहिंसागुणव्रतके अतिचारोके निर्देशपूर्वक त्रसरक्षाके उपायोंका दिग्दर्शन ।
- २६०-२६४ द्वितीय अणुव्रतका स्वरूप और उसके अतिचार ।
- २६५-२६९ तृतीय अणुव्रतका स्वरूप और उसके अतिचार ।
- २७०-२७४ चतुर्थ अणुव्रतका स्वरूप और उसके अतिचार ।
- २७५-२७९ पाँचवें अणुव्रतका स्वरूप और उसके अतिचार ।
- २८०-२८३ प्रथम गुणव्रतका स्वरूप, उससे होनेवाला लाभ और उसके अतिचार ।
- २८४ द्वितीय गुणव्रतका स्वरूप ।
- २८५-२८६ द्वितीय गुणव्रतके दो भेदों का उल्लेख करते उसके अतिचारोंका निर्देश ।
- २८७-२८८ कर्माश्रित उपभोग-परिभोगपरिमाणके प्रसंगमें अगर कर्म आदि १५ अतिचारोका निर्देश ।
- २८९-२९१ तृतीय गुणव्रतका स्वरूप और उसके अतिचार ।
- २९२ प्रथम सामायिक शिक्षाव्रतका स्वरूप ।
- २९३-२९४ सामायिकमें अधिष्ठित श्रावकको साधुताके विषयमें शंका व उसका समाधान ।

- २९५-३११ दो प्रकारकी शिक्षा, गाथा, उपपात, स्थिति, गति, कषाय, बन्ध, वेदना प्रतिपत्ति और अतिक्रम इन दस द्वारों के आश्रयसे क्रमशः साधु और श्रावकके मध्यगत भेदका प्रदर्शन ।
- ३१२-३१७ सामायिक के पाँच अतिचारोंका स्वरूप ।
- ३१८-३२० द्वितीय देशावकाशिक शिक्षाव्रतका स्वरूप व उसके अतिचार ।
- ३२१-३२२ तृतीय शिक्षाव्रतका स्वरूप व उसके आहारपीपय आदि चार भेदोंमें प्रत्येकके देश व सर्वकी अपेक्षा दो भेदोंका निर्देश करते हुए उनमें सामायिकके करने व न करनेकी विशेषता ।
- ३२३-३२४ तृतीय शिक्षाव्रतके अतिचार ।
- ३२५-३२७ अन्तिम ( चतुर्थ ) शिक्षाव्रतका स्वरूप व उसके अतिचार ।
- ३२८ उक्त अणुव्रतादिमें यावत्कथिक कौन और इत्वर कौन, इसका निर्देश ।
- ३२९-३३१ श्रावकधर्ममें १४७ प्रत्याख्यान भेदों का निर्देश ।
- ३३२ उक्त प्रत्याख्यान भेदोंमें श्रावककी अनुमतिके विषयमें शका उसका समाधान ।
- ३३३-३३५ इस प्रसंगमें मतान्तरका उल्लेख व उससे सम्बद्ध अन्य श्ला-समाधान ।
- ३३६-३३८ मनसे करने, कराने व अनुमतिके विषयमें शका और उसका समाधान ।
- ३३९-३४२ श्रावक कैसे स्थान में निवास करे, उसकी विशेषताको प्रकट करते हुए उससे होनेवाले लाभका दिग्दर्शन ।
- ३४३-३४४ श्रावक सोतेसे उठते हुए क्या करे ।
- ३४५-३५० चैत्यपूजा में होनेवाले कुछ प्राणिवधसे तथा उससे पूज्योका कुछ उपकार भी न होनेसे उसका निषेध करनेवालोंकी आशकाका समाधान ।
- ३५१ धर्म गुहसाक्षिक होता है, इसीलिए पूर्वमें स्वयं ग्रहण किये गये प्रत्याख्यानके गुहसाक्षीमें पुनः ग्रहण करनेकी प्रेरणा ।
- ३५२-३६४ साधुके समीपमें धर्मको सुनकर तत्पश्चात् श्रावक क्या करे ।
- ३६४-३७५ विहारकालीन विधि ।
- ३७६ अन्य अभिग्रहोंके साथ प्रतिमादिकोंकी विधेयता ।
- ३७७ चारित्र्यमोहके उदयवश दीक्षाके अभावमें मरणकालके उपस्थित होनेपर विधिपूर्वक मारणान्तिक सलेखनाके आराधनका विधान ।
- ३७८-३८१ सलेखनाका आराधक श्रावक जब समस्त आरम्भ आदि क्रियाओंको छोड़ देता है, तब वह दीक्षाको ही क्यों नहीं स्वीकार करता, इस शकाका समाधान ।
- ३८२-३८४ कितने ही आगमसे अनभिज्ञ यह कहते हैं कि सलेखनाको चूँकि बारह प्रकारके गृहस्थधर्म नहीं कहा गया, इससे उसमें यतिको अचिक्रित समझना चाहिए, न कि गृहस्थको, इस अभिप्रायका निराकरण ।
- ३८५ सलेखनाके अतिचारोंका निर्देश करते हुए ससारपरिणामके चिन्तनकी प्रेरणा ।
- ३८६-४०० जन्मपरिणामादिरूप ससारपरिणामका चिन्तन किस प्रकार करे, इसे स्पष्ट करते हुए उससे होनेवाले लाभका दिग्दर्शन ।
- ४०१ ग्रन्थकार द्वारा अपनी निरभिमानताका प्रकट करना ।

# हरिमद्रसूरिविरचितवृत्तिसमन्विता श्रावकप्रज्ञप्तिः (सावयपन्नत्ती)

स्मरणं यस्य सत्त्वानां तीव्रपापौघशान्तये ।  
उत्कृष्टगुणरूपाय तस्मै श्रीशान्तये नमः ॥१॥

स्वपरोपकाराय श्रावकप्रज्ञप्त्याख्यप्रकरणस्य व्याख्या प्रस्तूयते । तत्र चादावेवाचार्यः शिष्ट-  
समयप्रतिपालनाय विघ्नविनायकोपशान्तये प्रयोजनादिप्रतिपादनार्थं चेदं गाथासूत्रमुपन्यस्तवान्—

अरहन्ते वदित्ता सावगधम्मं दुवालसविहं पि ।  
वोच्छामि समासेणं गुरुवणसाणुसारेणं ॥१॥

इह हि शिष्टानामयं समयो यदुत शिष्टाः क्वचिदिष्टे वस्तुनि प्रवर्तमानाः सन्त इष्टदेवता-  
नमस्कारपूर्वकं प्रवर्तन्त इति । अयमप्याचार्यो न हि न शिष्ट इत्यतस्तत्समयप्रतिपालनाय, तथा  
श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्तीति, उक्तं च—

श्रेयासि बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि ।  
अश्रेयासि प्रवृत्तानां क्वापि यान्ति विनायकाः ॥

इदं च प्रकरणं सम्यग्ज्ञानहेतुत्वाच्छ्रेयोभूतं वर्तते अतो माभूद्विघ्न इति विघ्नविनायकोप-  
शान्तये, तथा प्रेक्षापूर्वकारिणः प्रयोजनादिविरहेण न क्वचित्प्रवर्तन्त इत्यतः प्रयोजनादिप्रतिपादनार्थं  
च । तत्र अरहन्ते वदित्ता इत्यनेनेष्टदेवतानमस्कारमाह, अयमेव विघ्नविनायकोपशमहेतुः ।  
सावगधम्ममित्यादिना तु प्रयोजनादि त्रयम्, इति गाथासमुदायार्थः ॥

ग्रन्थको प्रारम्भ करते हुए आचार्य यहां सर्वप्रथम शिष्टाचारके परिपालन, विघ्नोके निरा-  
करण और प्रयोजन आदिको प्रकट करनेके लिए यह गाथासूत्र कहते हैं—

मै ( ग्रन्थकार ) अरहन्तोकी वन्दना करके गुरुके उपदेशानुसार संक्षेपमे बारह प्रकारके  
श्रावक धर्मको कहूँगा ।

विवेचन—शिष्ट जनको यह पद्धति रही है कि वे जब किसी अभीष्ट, कार्यमे प्रवृत्त होते हैं  
तब वे प्रथमतः अपने अभीष्ट देवको नमस्कार किया करते हैं । तदनुसार ग्रन्थकारने भी यहां  
सर्वप्रथम अपने अभीष्ट देव अरहन्तोको नमस्कार किया है । यह प्रायः प्रसिद्ध है कि श्रेयस्कर  
कार्यमे बहुतसे विघ्न आया करते है । वे विघ्न यहां कल्याणकर इस श्रावक प्रज्ञप्ति प्रकरणके रचनेमे

अवयवायस्तु अशोकाद्यष्टमहाप्रातिहार्यादिरूपां पूजामहंतीत्यहंन्तस्तीर्थंकरास्तानहंतः । वन्दित्वा अभिवन्द्य । श्रावका वक्ष्यमाणशब्दार्थाः, तेषां धर्मस्तम् । किंभूतम् ? द्वादश विधाः प्रकारा अस्थेति द्वादशविधस्तं द्वादशविधमपि संपूर्णं नाणुश्रुताद्येकदेशप्रतिबद्धमिति । वक्ष्येऽभिधास्ये । ततश्च यथोदितश्रावकधर्माभिधानमेव प्रयोजनम् । स एवाभिधीयमानोऽभिधेयम् । साध्य-साधनलक्षणश्च संबन्धः । तत्र साध्यः प्रकरणार्थः, साधननिदमेव वचनरूपापन्नमिति ॥ आह—यद्येवं नार्थोऽनेन, पूर्वार्थायैरेव यथोदितश्रावकधर्मस्य ग्रन्थान्तरेऽभिहितत्वात् । उच्यते—सत्यमभिहित, प्रपञ्चेन, इह तु संक्षेपरुचिसत्त्वानुग्रहायं समासेण संक्षेपेण वक्ष्ये । किं स्वमनीषि-कया ? नेत्याह—गुरूपदेशानुसारेण—गुणाति शास्त्रार्थमिति गुरुस्तस्माद्युपदेशो गुरूपदेशस्तदनु-सारेण तन्नीत्येत्यर्थः ॥१॥

श्रावकधर्मस्य प्रक्रान्तत्वात्तस्य श्रावकानुष्ठातृकत्वाच्छ्रावकशब्दार्थमेव प्रतिपादयति—

संपत्तदंसणाई पद्दियहं जहजणा सुणेई य ।

सामायारिं परमं जो खलु तं सावगं विन्ति ॥२॥

संप्राप्तं दर्शनादि येनासी संप्राप्तदर्शनादिः । दर्शनग्रहणात्सम्पद्दृष्टिरादिशब्दावणुश्रुतादिविपरि-ग्रहः । अनेन मिथ्यादृष्टेर्बुद्धासः । स इत्थंभूतः । प्रतिदिवसं प्रत्यहम् । यतिजनतासाधुलोकात् । शृणोतीति शृणोत्येव । किम् ? सामाचारीं परमाम् । तत्र समाचरणं समाचारः । शिष्टाचरितः क्रियाकलापः, तस्य भावो गुणवचनप्राप्त्याविभ्यः कर्मणि व्यञ्ज सामाचार्यम्, पुनः स्त्रीविवक्षायां

उपस्थित न हो, इस उद्देश्यसे ग्रन्थकतनि प्रथमतः अरहन्तोको नमस्कार किया है । जो अशोकवृक्ष आदि आठ प्रातिहार्यादि स्वरूप पूजाके योग्य होते हैं वे अरहन्त कहलाते हैं । यह 'अरहन्त' का निरुक्तार्थ है । इस प्रकार मंगलके करनेसे पूर्वोक्त शिष्ट जनको उस पद्धतिका परिपालन हो जाता है । ग्रन्थ रचनाका प्रयोजन श्रावक धर्मकी स्वरूपणा है, इसकी सूचना भी प्रकृत मंगल गायामे कर दी गयी है । साथ ही इस गायामें जो 'गुरूपदेशानुसारेण' यह निर्देश किया गया है उससे ग्रन्थ-कारने अपनी प्रामाणिकताको प्रकट करते हुए यह भी सूचना कर दी है कि मैं जो इससे श्रावक-धर्मका व्याख्यान कर रहा हूँ वह गुरु परम्परासे प्राप्त ही उस श्रावकधर्मका व्याख्यान कर रहा हूँ, न कि अपनी कल्पनासे । इस श्रावकधर्मके प्ररूपक अन्य ग्रन्थ भी यद्यपि ग्रन्थकारके समक्ष विद्यमान थे, पर उनसे संक्षेपमे रुचि रखनेवाले शिष्योको लाभ नहीं हो सकता था, इससे ग्रन्थ-कारने संक्षेपमे इस ग्रन्थके रचनेका उपक्रम किया है ॥१॥

आगे 'श्रावक' शब्दके अर्थका प्रतिपादन करते हैं—

जो सम्पद्दर्शन आदिको प्राप्त करके प्रतिदिन मुनि जनसे उत्कृष्ट सामाचारीको सुनता है उसे श्रावक कहते हैं ।

द्विवेचन—गायामे जो 'संपत्तदंसणाई' ऐसा कहा है उससे यह अभिप्राय प्रकट कर दिया है कि प्रकृत श्रावक धर्मके अनुष्ठानका अधिकारी सम्पद्दृष्टि श्रावक ही होता है, मिथ्यादृष्टि उसके अनुष्ठानका अधिकारी नहीं है । 'दर्शन' के साथ जो 'आदि' शब्दको ग्रहण किया गया है उससे अणुश्रुत आदिका ग्रहण भी अभीष्ट रहा है । शिष्ट जनके द्वारा आचरित जो क्रियाकलाप साधु

षिद्गौरादिभ्यश्चेति टाप् यस्येत्यकारलोपः, यस्य हल इत्यनेन तद्धित-यकारलोपः, परगमनं सामाचारी, तां सामाचारीम् । परमां प्रधानाम्<sup>३</sup>, साधु-श्रावकसंबद्धामित्यर्थः । यः खलु य एव शृणोति । तं श्रावकं ब्रुवते तं श्रावकं प्रतिपादयन्ति भगवन्तस्तोर्थंकरगणधराः । ततश्चायं पिण्डार्थः—अभ्युपेतसम्यक्त्वः प्रतिपन्नाणुव्रतोऽपि<sup>३</sup> प्रतिविषयं यतिभ्यः सकाशात्साधूनामगारिणां च सामाचारी शृणोतीति श्रावकः इति ॥२॥

सांप्रतं श्रवणगुणान् प्रतिपादयति—

नवनवसंवेगो खलु नाणावरणखओवसमभावो ।

तत्ताहिगमो यं तहा जिणवयणायन्नणस्स गुणा ॥३॥

नवनवसंवेगः प्रत्यग्रः प्रत्यग्रः संवेगः आर्द्रान्तःकरणता । मोक्षसुखाभिलाष इत्यन्ये । खलुशब्दः पूरणार्थः, संवेगस्य शेषगुणनिबन्धनत्वेन<sup>१</sup> प्राधान्यख्यापनार्थो वा । तथा ज्ञानावरणक्षयोपशम-भावः ज्ञानावरणक्षयोपशमसत्ता संवेगादेव । तत्त्वाधिगमश्च तत्त्वातत्त्वपरिच्छेदश्च । तथा जिन-वचनाकर्णनस्य तीर्थंकरभाषितश्रवणस्यैते गुणा इति । तीर्थंकरभाषिता चासौ सामाचारीति ॥३॥

किं च देह-स्वजन-वित्तप्रतिबद्धः कश्चिद्दृढवयो न शृणोतीत्येषाससारताख्यापनाय जिन-वचनश्रवणस्य सारतासुपदर्शयन्नाह—

न वि तं करेइ देहो न य सयणो नेय वित्तसंघाओ ।

जिणवयणसवणजणिया जं संवेगाइया लोए ॥४॥

और श्रावकसे सम्बद्ध होता है उसका नाम सामाचारी है । अभिप्राय यह है कि जिसने सम्यग्दर्शन-के साथ अणुव्रत आदिको स्वीकार कर लिया है तथा जो प्रतिदिन साधु जनसे मुनि व श्रावकके आचारको सुनता है उसे श्रावक समझना चाहिए ॥२॥

अब जिनागमके सुननेसे प्राप्त होनेवाले गुणोका निर्देश किया जाता है—

नवीन-नवीन संवेग, ज्ञानावरणका क्षयोपशम और तत्त्वका परिज्ञान ये जिनवचनके सुननेके गुण हैं ।

विवेचन—यहां जिन देवके द्वारा उपदिष्ट उस सामाचारीके सुननेसे क्या लाभ होता है, इसे स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि उत्तरोत्तर आविर्भूत होनेवाली हृदयकी निर्मलताके साथ नवीन नवीन संवेगका प्रादुर्भाव होता है । अन्तःकरणकी आर्द्रता—निर्मल परिणतिका—नाम संवेग है । अन्य आचार्योंके अभिमतानुसार मोक्षसुखकी जो अभिलाषा हुआ करती है उसे संवेग कहा जाता है । इस संवेगके साथ उक्त जिनवाणीके सुननेसे ज्ञानके आवारक ज्ञानावरण कर्मका विशिष्ट क्षयोपशम भी होता है, जिससे श्रोताको तत्त्व-अतत्त्वका विवेक भी प्रादुर्भूत होता है । यह उस जिनवाणीके सुननेका महान् लाभ है ॥३॥

निःसार शरीर आदिकी अपेक्षा जिनवचन श्रवणकी श्रेष्ठता—

लोकमें जिनवाणीके सुननेसे प्रादुर्भूत संवेग आदि जिस शाश्वतिक सुखको उत्पन्न करते हैं उसे न तो शरीर उत्पन्न कर सकता है, न कुटुम्बी जन उत्पन्न कर सकते हैं, और न धन-सम्पत्ति-का समुदाय भी उत्पन्न कर सकता है ।

१ म<sup>०</sup>ति डीप् (टाप्) यस्ये<sup>०</sup> । २. अ 'प्रधानाम्' नास्ति । ३. अ व्रतेपि । ४ हि । ५ अ गुणनवनवत्त्वेन ।

नापि तत्करोति देहो न च स्वजनो न च वित्तसघातः जिनवचनश्रवणजनिता यत्संवेगाद्यो लोके कुर्वन्ति । तथाहि—अशाश्वतः प्रतिक्षणभङ्गुरो देहः, शोकायासंकारणम्, क्षणिकसंगमश्च स्वजनः, अनिष्टतायासव्यवसायास्पदं च वित्तसघात इत्यसारता । तीर्थंकरभाषिताकर्णनोद्भूयाश्च संवेगाद्यो जाति-जरा-मरण-रोग-शोकाद्युपद्रवनातरहितापवर्गहेतव इति सारता । अतः श्रोतव्य जिनवचनमिति ॥४॥ अथवा—

होइ दढं अणुराओ जिणवयणे परमनिव्वुइकरम्मि ।

सवणाइगोयरो-तह सम्महिड्डिस्स जीवस्स ॥५॥

यद्वा किमनेन ? निसर्गत-एव भवति जायते । दृढमत्यर्थमनुरागः प्रीतिविशेषः । क्व ? जिनवचने तीर्थंकरभाषिते । किंविशिष्टे ? परमनिर्वृत्तिकरे उत्कृष्टसमाधिकरणशौले । किंगोचरो-

विवेचन—शरीर स्वभावतः अपवित्र, रोगोका स्थान व विनश्वर है । कुटुम्बी जनका संयोग भी सदा रहनेवाला नहीं है । जिस प्रकार पक्षी इधर-उधरसे आकर रात्रिमे किसी एक ही वृक्षके ऊपर निवास करते है और सवेरा हो जानेपर वे अपने-अपने कार्यके वश विभिन्न दिशाओमे चले जाते हैं उसी प्रकार माता-पिता, स्त्री व पुत्र आदि अपने-अपने कर्मके अनुसार कुछ समयके लिए एक कुटुम्बके रूपमे एकत्र अवस्थित रहते हैं तथा आयुके पूर्ण हो जानेपर वे यथासमय विभिन्न पर्यायोको प्राप्त होकर विभक्त हो जाते हैं ( इष्टोपदेश ८-५ ) । इसके अतिरिक्त जबतक परस्परमे एक दूसरेका स्वार्थ सघता है तबतक तो उनमे स्नेह बना रहता है, किन्तु स्वार्थके विघटित होनेपर उन्हीमे परस्पर शत्रुताका भाव भी उदित हो जाता है । इस प्रकारसे वे संव्लेशके भी कारण बन जाते हैं । धन भी वस्तुतः सुखका कारण नहीं है । प्रथम तो उस धनके उपार्जनमें अतिशय परिश्रम करना पड़ता है, इसके अतिरिक्त उसके उपार्जनमे न्याय-अन्यायका भी विवेक नहीं रहता । तत्पश्चात् सचित हो जानेपर उसके सरक्षणकी चिन्ता व्यथित करती है । फिर रक्षाका प्रयत्न करनेपर भी यदि वह चोर आदिके द्वारा अपहृत कर लिया जाता है तो अतिशय कष्टका कारण बन जाता है । ( क्षत्रचूडामणि २-६७ ) इसके अतिरिक्त जब परस्परमें उसके विभाजनका समय उपस्थित होता है तब वही पिता-पुत्र व भाई-भाईमे प्रबल वैरभावका भी कारण बन जाता है । इस प्रकार यथार्थताका विचार करनेपर उपर्युक्त शरीर, कौटुम्बिक जन और धन आदि चूँकि स्पष्टतः दुखके कारण है, अतएव वे असार ही हैं । इसके विपरीत जिनवाणीके श्रवणसे जो संवेग आदि प्रादुर्भूत होते है जन्म, जरा, मरण एव रोग-शोकादिको दूर कर चूँकि शाश्वतिक व निर्बाध मुक्तिसुखके कारण होते हैं, इसलिए वे ही वस्तुतः सारभूत हैं । यही कारण है जो यहाँ उन सारभूत संवेगादिकी प्राप्तिके लिए जिन वचनके श्रवणकी प्रेरणा की गयी है ॥४॥ अथवा—

सम्यग्दृष्टि जीवके उत्कृष्ट सुखकी कारणभूत जिनवाणीके सुनने आदि विषयक दृढ़ अनुराग स्वय होता है ।

विवेचन—पीछे गा. २ मे 'श्रावक' शब्दकी निरुक्तिपूर्वक यह बतलाया था कि जो यति जनसे धर्मको सुना करता है उसका नाम श्रावक है । तत्पश्चात् आगे गा ३ मे उस जिनवाणीके सुननेसे उत्पन्न होनेवाले गुणोका निर्देश करते हुए यह कहा गया था कि जिनवाणीके सुननेसे चूँकि संवेग आदि गुण प्रकट होते हैं, इसीलिए श्रावक उसके सुननेमे प्रवृत्त होता है । अब यहाँ

ऽनुरागो भवतीत्यत्राह—श्रवणादिगोचरः श्रवण-श्रद्धानानुष्ठानविषय इत्यर्थः । तथा तेन प्रकारेण । कस्येत्यत्राह—सम्यग्दृष्टेर्जीवस्य, प्रक्रान्तत्वाच्छ्रावकस्येत्यर्थः । अतोऽसौ श्रवणे प्रवर्तत एव । ततश्च शृणोतीति श्रावक इति युक्तम्, इति गाथाभिप्रायः ॥५॥

निरूपितः श्रावकशब्दार्थः । सांप्रतं द्वादशविधं श्रावकधर्ममुपन्यस्येति—

पंचैव अणुव्याहं गुणव्याहं च ह्येति तिन्नेव ।

सिक्खाव्याहं चउरो सावगधम्मो दुवालसहा ॥६॥

पञ्चेति सङ्ख्या । एवकारोऽवधारणे—पञ्चैव, न चत्वारि षड्वा । अणुनि च तानि व्रतानि चाणुव्रतानि, महाव्रतापेक्षया चाणुत्वमिति, स्थूलप्राणातिपाताविनिवृत्तिरूपाणीत्यर्थः । गुणव्रतानि च भवन्ति त्रीण्येव, न न्यूनाधिकानि वा । अणुव्रतानामेवोत्तरगुणभूतानि व्रतानि दिग्ब्रत-भोगोपभोगपरिमाणकरणानर्थदण्डविरतिलक्षणानि, एतानि च भवन्ति त्रीण्येव । शिक्षा-पदानि च शिक्षाव्रतानि वा—तत्र शिक्षा अभ्यासः, स च चारित्रनिबन्धनविशिष्टक्रियाकलाप-विषयस्तस्य पदानि स्थानानि, तद्विषयाणि वा व्रतानि शिक्षाव्रतानि । एतानि च चत्वारि सामायिक-देशावकाशिक-प्रोषवोपवासातिथिसविभागाख्यानि । एवं श्रावकधर्मो द्वादशधा द्वादश-प्रकार इति गाथासमासार्थः । अवयवार्थं तु महता प्रपञ्चेन ग्रन्थकार एव वक्ष्यति ॥६॥ तथा आह—

प्रकारान्तरसे यह दिखलाते हैं कि सम्यग्दृष्टि जीवका अनुराग उस जिनवाणीके सुनने, श्रद्धान करने और तदनुसार आचरण करनेमें स्वयमेव हुआ करता है । इसीसे वह उसके सुननेमें संवेगादि गुणो-की अपेक्षा न करके भी स्वयं प्रवृत्त होता है । इसलिए जो जिनवाणीको सुनता है वह श्रावक कहलाता है, यह जो श्रावकका लक्षण कहा गया था उसे सार्थक ही समझना चाहिए । यहाँ यह स्मरणीय है कि श्रावक सम्यग्दृष्टि ही होता है, बिना सम्यग्दर्शनके यथार्थतः कोई श्रावक नहीं हो सकता । इसका कारण यह है कि मिथ्यादृष्टि जीवके वैसा धर्मानुराग सम्भव नहीं है ॥५॥

इस प्रकार श्रावकके लक्षणको दिखलाकर अब उसके बारह प्रकारके धर्मका निर्देश किया जाता है—

पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इस प्रकारसे वह श्रावक धर्म बारह प्रकारका है ।

विवेचन—स्थूल हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म (मैथुन) और परिग्रह इसके परित्यागका नाम अणुव्रत है । ये अणुव्रत पांच ही होते हैं, हीनाधिक नहीं होते, यह गाथामें 'पंच' शब्दके साथ उपयुक्त 'एव' पदके द्वारा सूचित कर दिया गया है । 'अणुव्रत'में जो 'अणु' विशेषण है वह महाव्रतकी अपेक्षा इन व्रतकी अणुताको सूचित करता है । कारण यह कि श्रावकके ये व्रत मुनिके महाव्रतकी अपेक्षा अल्प मात्रामें ही हुआ करते हैं । वह मुनिके समान उक्त हिंसादि पापका पूर्ण रूपसे त्याग नहीं कर सकता, किन्तु स्थूल रूपमें ही वह उनका त्याग कर सकता है । इन अणुव्रतोंके उत्तर गुणस्वरूप व्रतोंका नाम गुणव्रत है । वे दिग्ब्रत, भोगोपभोगपरिमाणकरण और अनर्थदण्ड विरतिके भेदसे तीन ही हैं । 'शिक्षा' का अर्थ अभ्यास और 'पद' का अर्थ स्थान होता है । तदनुसार जो व्रत चारित्रसे सम्बद्ध विशिष्ट क्रियाकलापविषयक शिक्षाके स्थान होते हैं या उसको विषय करते उन्हें शिक्षापद या शिक्षाव्रत कहा जाता है । वे चार हैं—सामायिक, देशावकाशिक,



एयस्स मूलवत्थु सम्मत्तं तं च गंठिभेयम्मि ।

खयउवसमाइ तिविहं सुहायपरिणामरूवं तु ॥७॥

एतस्यानन्तरोपन्यस्तस्य श्रावकधर्मस्य । मूलवस्तु सम्यक्त्वम्—वसन्त्यस्मिन्नणुन्नतादयो गुणास्तद्भाववित्त्वेनेति वस्तु, मूलभूतं च तद्वस्तु च मूलवस्तु । किं तत् ? सम्यक्त्वम् । उक्तं च—  
मूल द्वार प्रतिष्ठानमाधारो भाजन निधिः ।

द्विषट्कस्यास्य धर्मस्य सम्यक्त्वं परिकीर्तितम् ॥१॥

तच्च सम्यक्त्वं ग्रन्थिभेदे वक्ष्यमाणलक्षणकर्मग्रन्थिभेदे सति भवति, नान्ययेति भावः । तच्च क्षायोपशमिकादिभेदात् त्रिविधम्—क्षायोपशमिकमौपशमिक क्षायिक च, यद्वा कारकादि । शुभात्मपरिणामरूपं तु—शुभः सकलेशर्वाजित आत्मपरिणामो जीवधर्मो रूप यस्य तच्छुभात्मपरिणामरूपम् । तुरवधारणे—शुभात्मपरिणामरूपमेव । अनेन तद्व्यतिरिक्तलिङ्गादिधर्मव्यवच्छेदमाह, व्यतिरिक्तधर्मत्वे तत् उपकारायोगादिति ॥७॥

जं जीवकम्मजोए जुज्जइ एयं अओ तयं पुण्वि<sup>३</sup> ।

वोच्छं तओ<sup>३</sup> कमेणं पच्छा तिविहं पि सम्मत्तं ॥८॥

प्रौषधोपवास और अतिथिसविभाग । इस प्रकारसे श्रावक धर्म बारह ( ५ + ३ + ४ ) प्रकारका है ॥६॥

अब उस श्रावक धर्मका आधार सम्यग्दर्शन है, इसे दिखलाते हैं—

इस बारह भेदरूप श्रावक धर्मकी मूल वस्तु सम्यक्त्व है । वह ग्रन्थिके—कर्मरूप गांठके—भेदे जानेपर सम्भव है । शुभ आत्मपरिणामस्वरूप वह सम्यक्त्व क्षायोपशमादिके भेदसे तीन प्रकारका है ।

विवेचन—यहां सम्यक्त्वको उपर्युक्त श्रावक धर्मकी मूल वस्तु कहा गया है । 'वसन्ति अस्मिन् अणुन्नतादयो गुणा इति वस्तु' इस निरुक्तिके अनुसार जिसके होनेपर अणुन्नत आदि रूप गुण निवास करते हैं उसे वस्तु कहा जाता है । तदनुसार जब उस सम्यक्त्वके होनेपर उसके आश्रयसे ही वे अणुन्नत आदि गुण रहते हैं और उसके बिना नहीं होते तब वैसी अवस्थामे उक्त सम्यक्त्वको श्रावक धर्मकी मूल वस्तु कहना सगत ही है । अभिप्राय यह है कि आत्माके शुभ परिणामस्वरूप वह सम्यक्त्व जब प्रकट हो जाता है तब कही अणुन्नतादिरूप वह श्रावक धर्म हो सकता है, उसके बिना उसका होना सम्भव नहीं है । जीव-अजीवादिरूप तत्त्राथीके श्रद्धानका नाम सम्यग्दर्शन है । वह अपूर्वकरण परिणामके द्वारा कर्मरूप गांठके भेदे जानेपर ही प्रादुर्भूत होता है, उसके बिना उसका होना सम्भव नहीं है । वह तीन प्रकारका है—क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक । अथवा प्रकारान्तरसे उसके ये अन्य तीन भेद भी निर्दिष्ट किये गये हैं—कारक, रोचक और व्यञ्जक । आगे इन सम्यक्त्व भेदोका कथन ग्रन्थकार स्वयं करनेवाले हैं ( ४३-५० ) । प्रकृतमे जो उस सम्यक्त्वको निर्मल आत्मस्वरूप बतलाया गया है उससे आत्मपरिणतिसे भिन्न बाह्य लिंग (वेष) आदिका निषेध कर दिया गया है । कारण यह है कि बाह्य लिंगादिस्वरूप मान लेनेपर उसके द्वारा आत्माका उपकार सम्भव नहीं है ॥७॥

वह सम्यक्त्व चूँकि जीव और कर्मका सम्बन्ध होनेपर ही घटित होता है, अतः पहले यहाँ उस जीव और कर्मके सम्बन्धके कथनकी प्रतिज्ञा—

१. अ धर्म्मलिंगव्यव । २. अ जुज्जए एय अउ तय पुठव । ३. अ तउ ।

यतो यस्मात् कारणात् । जीव-कर्मयोगे जीवकर्मसंबन्धे सति । युज्यते एतत् घटते इदं सम्यक्त्वम्, कर्मक्षयोपशमादिरूपत्वात् । अतोऽस्मात्कारणात् । तर्कं जीवकर्मयोगम् । पूर्वमादौ । वक्ष्येऽभिधास्ये । ततस्तदुत्तरकालम् । क्रमेण परिपाठ्या । पश्चात्त्रिविवमपि क्षायोपशमिकादि सम्यक्त्वं वक्ष्ये इति ॥८॥ तत्राह—

जीवो अणाइनिहणो नाणावरणाइकम्मसंजुत्तो ।

मिच्छत्ताइनिमित्तं कम्मं पुण होइ अट्टविहं ॥९॥

जीवतीति जीवः । असौ अनादिनिधनः अनाद्यपर्यवसित इत्यर्थः । स च ज्ञानावरणादि-कर्मणा समेकीभावेनान्योन्यव्याप्त्या युक्तः संबद्धो ज्ञानावरणादिकर्मसंयुक्तः । मिथ्यात्वादिनिमित्तं मिथ्यात्वादिकारणम्, मिथ्यादर्शनाविरति-प्रमाद-कषाय-योगा बन्धहेतव इति वचनात् । कर्म पुनर्ज्ञानावरणादि भवत्यष्टविधमष्टप्रकारमिति ॥९॥ तथा चाह—

पढमं नाणावरणं वीयं पुण होइ दंसणावरणं ।

तइयं च वेयणीयं<sup>१</sup> तहा चउत्थं च मोहणियं ॥१०॥

प्रथममाद्यम् । ज्ञानावरणम् आश्रियतेऽनेनावृणोतीति वावरणम्, ज्ञानस्यावरणं ज्ञानावरणम्, ज्ञानं मतिज्ञानादि । द्वितीयं पुनर्भवति दर्शनावरणम्—पुनःशब्दो विशेषणार्थः, सामान्यावबोध-वारकत्वात् । दर्शनं चक्षुर्दर्शनादि । तृतीयं च वेदनीयं—सातासातरूपेण वेद्यत इति वेदनीयम्, रूढशब्दात्पङ्कजादिवत् । तथा चतुर्थं कर्म किम्, अत आह मोहनीयम्—मोहयतीति मोहनीयम्, मिथ्यात्वादिरूपत्वादिति ॥१०॥

आऊअ नांमं गोयं चरमं पुण अंतराइयं होइ ।

मूलपयडीउ एया उत्तरपयडी अओ वुच्छं ॥११॥

यतः वह सम्यक्त्व जीव और कर्मका सम्बन्ध होनेपर घटित होता है, अत यहाँ पहले उस जीव और कर्मके सम्बन्धका निरूपण करेंगे और तत्पश्चात् क्रमसे उस तीन प्रकारके सम्यक्त्वका वर्णन किया जायेगा ॥८॥

जीवका ज्ञानावरणादि कर्मोंके साथ संयोग—

जीव अनादि व अनिधन होकर ज्ञानावरणादि कर्मोंसे संयुक्त है । मिथ्यात्व आदिके निमित्त-से बन्धको प्राप्त होनेवाला वह कर्म आठ प्रकारका है ॥९॥

कर्मकी आठ मूल प्रकृतियोंमे प्रथम चार प्रकृतियोंका नामोल्लेख—

प्रथम ज्ञानावरण, दूसरा दर्शनावरण, तीसरा वेदनीय और चौथा मोहनीय ॥१०॥

शेष चार मूल प्रकृतियोंका नामनिर्देश करते हुए उत्तर प्रकृतियोंके कथनकी प्रतिज्ञा—

आयु, नाम, गोत्र और अन्तिम अन्तराय, ये उस कर्मकी शेष चार मूल प्रकृतियाँ हैं । अब आगे उत्तर प्रकृतियोंका निरूपण करेंगे ॥११॥

आयुष्कं नाम गोत्रम्—तत्रैति याति वेत्यायुरननुभूतमेत्यनुभूतं च यातीत्यर्थः । सर्वमपि कर्मवन्भूतम्, तथापि प्रक्रान्तभवप्रबन्धाविच्छेदादायुष्कमेव गृह्यते, अस्ति च विच्छेदो मिथ्यात्वादिषु । तथा गत्यादिशुभाशुभनमनाम्नामयतीति नाम । तथा गां वाचं त्रायते इति गोत्रम् रूढिषु हि क्रिया कर्मव्युत्पत्त्यर्था । नार्यक्रियार्था इत्युच्चैर्भावादिनिबन्धनमद्बुष्टमित्यर्थः । चरमं पुनः पर्यन्तवर्ति, तत्पुनरन्तरायं भवति, वानादिविघ्नोऽन्तरायस्तत्कारणमन्तरायमिति । मूलप्रकृतय

विवेचन—प्रकृत सम्यग्दर्शन जीवका परिणाम है जो कर्मके क्षय-उपशम आदिके भेदसे तीन प्रकारका है, यह पहले (गा ७) कहा जा चुका है । इससे सिद्ध है कि उस सम्यग्दर्शनका सम्बन्ध जीव और कर्मके संयोगके साथ है । इसलिए उक्त सम्यग्दर्शनके परिज्ञानके लिए, ग्रन्थकार प्रथमतः कर्मकी प्ररूपणाको उपयोगी समझकर पहले कर्मका निरूपण कर रहे हैं, तत्पश्चात् वे यथाक्रमसे उक्त सम्यग्दर्शनके उन भेदोका निरूपण करेंगे, इसे उन्होंने गा. ८ में स्पष्ट कर दिया है । जो तीनों कालोमें द्रव्य व भाव प्राणोसे जीता है वह जीव कहलाता है । वह अनादि व अनिघन होकर ज्ञानावरणादि कर्मोसे सयुक्त है । उसके इस कर्मवन्धके कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग हैं । कर्म मूलमें आठ हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । वस्तु सामान्य-विशेषात्मक हैं । उनमें जो विशेष (-भेद) को विषय करता है उसे ज्ञान और जो सामान्य (अभेद) को विषय करता है, उसे दर्शन कहा जाता है । इनमें जो कर्म ज्ञानका आवरण करता है उसका नाम ज्ञानावरण और जो दर्शनका आवरण करता है उसका नाम दर्शनावरण कर्म है । जिसका वेदन सात, (सुख) और असात (दुख) रूपसे किया जाता है वह वेदनीय कर्म कहलाता है । यद्यपि इस निरुक्त लक्षणके अनुसार सब ही कर्म वेदनीय ठहरते हैं, फिर भी इस 'वेदनीय' सज्ञाको कर्मविशेषमें रूढ मान लेनेसे कुछ विरोध प्रतीत नहीं होता । लोकव्यवहारमें भी ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं । जैसे—पकज । 'पकाज्जातम् इति पकजम्' इस निरुक्तिके अनुसार 'पकज' का अर्थ कौचडसे उत्पन्न हुआ होता है । इस प्रकारसे जहाँ पकज (कमल) कौचडसे उत्पन्न है वही अन्य भी कितने ही वनस्पति उस कौचडसे उत्पन्न होते ऐसी अवस्थामें उक्त लक्षण यद्यपि अतिव्याप्त होता है तो भी 'पकज' को कमलमें रूढ मान लेनेसे कुछ दोष नहीं माना गया है । यही अभिप्राय प्रकृत 'वेदनीय' कर्मके विषयमें भी ग्रहण करना चाहिए । जो आत्माको मोहित करता है—सत्-असत् या हेय-उपादेयके विवेकसे विमुख करता है—उसे मोहनीय कहते हैं । 'एति याति वा इति आयुः' इस निरुक्तिके अनुसार जो कर्म अननुभूत होकर गाता है या अनुभूत होकर जाता है—निर्जीर्ण होता है—उसका नाम आयु है । उपर्युक्त 'वेदनीय' के समान उस 'मोहनीय' सज्ञाको भी कर्मविशेष (पांचवें कर्म) में रूढ समझना चाहिए । अभिप्राय यह है कि जिसके आश्रयसे जीवके भवप्रबन्धका विच्छेद नहीं हो पाता—जन्मसे मृत्यु पर्यन्त विवक्षित भवमें ही रहना पड़ता है—वह आयुकर्म कहलाता है । 'नामयतीति नाम' इस निरुक्तिके अनुसार जो कर्म शुभ या अशुभ गति आदि पर्यायोके अनुभवनके प्रति नमाता है उसे नामकर्म कहा जाता है । 'गा वाचं त्रायते इति गोत्रम्' इस निरुक्तिके अनुसार यद्यपि गोत्रका अर्थ वचनका रक्षण करनेवाला होता है, तो भी रूढिमें क्रियाका प्रयोजन कर्मव्युत्पत्ति है, अर्थक्रिया नहीं; ऐसा मानकर 'गोत्र' सज्ञाकी भी कर्मविशेषमें रूढ समझना चाहिए । अथवा 'गूयते शब्दते उच्चावचै शब्दः आत्मा यस्मात् तत् गोत्रम्' इस निरुक्तिके अनुसार जिसके आश्रयसे जीव ऊँच या नीच शब्दोसे कहा जाता है उसका नाम गोत्र है । इस प्रकार उसका 'गोत्र' यह नाम-सार्थक-भी-कहा जा सकता है । अथवा जो पर्यायविशेष ऊँचाया-नीच-कुलमें उत्पत्तिको प्रकट करनेवाली है उसका

एताः सामान्यप्रकृतय इत्यर्थः । उत्तरप्रकृतीरेतद्विशेषरूपा । अतो वक्ष्ये अत ऊर्ध्वमभिधास्य इति । क्रमप्रयोजनं प्रथमगुणघातादि, यथा कर्मप्रकृतिसंग्रहणामुक्तं तथैव द्रष्टव्यम्, ग्रन्थविस्तरभयाद्-स्तुतोऽप्रकान्तत्वाच्च न लिखितमिति ॥११॥ तथा—

पढमं पंचवियप्यं मद्सुयओहिमणकेवलावरणं ।

वीयं च नववियप्यं निद्रापण दंसणचउक्कं ॥१२॥

इह सूत्रक्रमप्रामाण्यात्प्रथममाद्यं ज्ञानावरणम् । पञ्चविकल्पमिति पञ्चभेदम् । तानेव भेदानाह—मति-श्रुतावधि-मनःकेवलावरणम्, मतिज्ञानाद्यावरणमित्यर्थः । द्वितीयं च दर्शनावरणं नवविकल्पं निद्रापञ्चकं दर्शनचतुष्कं चेति ॥१२॥ निद्रापञ्चकमाह—

निद्दा निद्दानिद्दा पयलां तद्द होइ पयलपयला य ।

थीणड्ढी अँ सुरुद्धा निद्दापणगं जिणाभिहियं ॥१३॥

नाम गोत्र है और उस रूपसे जिस कर्मका वेदन किया जाता है उसका नाम गोत्रकर्म है । दानादि-विषयक विघ्नका नाम अन्तराय है, इस अन्तरायके कारणभूत कर्मको भी अन्तराय कहा जाता है । अथवा 'अन्तरा एति अन्तरायः' इस निश्चितिके अनुसार जो जीव और दानादिके मध्यमे अन्तरा अर्थात् व्यवधान रूपसे उपस्थित होता है उसे अन्तराय कर्म जानना चाहिए । यहाँ ज्ञानावरणादि-का जो क्रम रहा है उसका प्रयोजन प्रथम गुणके घात आदिका रहा है । इसकी टीकामे हरिभद्र सूत्रिने यह सूचना कर दी है कि कर्मविषयक व्याख्यान कर्मप्रकृति संग्रहणी ग्रन्थमे विस्तारसे किया गया है, अतः विशेष जिज्ञासुओको उसे वहाँ देख लेना चाहिए । संक्षिप्त ग्रन्थ होनेसे यहाँ उसकी विस्तारसे चर्चा नहीं की गयी है । दूसरी बात यह भी है कि प्रस्तुत ग्रन्थ श्रावकाचारकी विशेष रूपसे प्ररूपणा करनेवाला है, इससे यहाँ कर्मकी विस्तृत प्ररूपणा प्रकरणसगत भी नहीं है ॥८-११॥

आगेकी गाथामें ज्ञानावरणके पांच भेदोको दिखलाते हुए दूसरे दर्शनावरणके नौ भेदोका निर्देश किया जाता है—

उपर्युक्त आठ कर्मोमे प्रथम ज्ञानावरण पांच प्रकारका है—मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण । दूसरे दर्शनावरणके नौ भेदोमे पांच निद्रा और चार दर्शन हैं ।

विवेचन—पांच इन्द्रियो और मनके आश्रयसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उनका नाम मतिज्ञान और जो उसका आवरण करता है उसका नाम मतिज्ञानावरण है । मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थके विषयमे जो विशेष ज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान और इसका जो आवरण करता है उसे श्रुतज्ञानावरण कहते हैं । इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा न करके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादा लिये हुए जो रूपी पदार्थविषयक ज्ञान होता है उसे अवधिज्ञान और उसके आवारक कर्मको अवधिज्ञानावरण कहा जाता है । इन्द्रिय व मनकी अपेक्षा न करके जो दूसरेके मनोगत भावका बोध होता है उसे मनःपर्ययज्ञान और उसके आवारक कर्मको मनःपर्ययज्ञानावरण कहते हैं । तीनों काल और तीनों लोक सम्बन्धी समस्त पदार्थोका जो अतीन्द्रिय व स्पष्ट बोध होता है उसका नाम केवलज्ञान और उसके आवारक कर्मका नाम केवलज्ञानावरण है ॥१२॥

अब पूर्व गाथामे निर्दिष्ट पांच निद्राओके नामोका निर्देश किया जाता है—

निद्रादीनां स्वरूपम्—

सुहृपडिवोहा निद्रा दुहृपडिवोहा य निद्रनिद्रा य ।  
पयला होइ ठियस्स उ पयलापयला य चक्कमओ ॥  
अइसकिलिट्टुकम्माणुवेयणे होइ थोणगिद्धी उ ।  
महनिद्रा दिण्णितियवावारपसाहणी पायम् ॥

अत्रेत्यंभूतेनिद्रादिकारणं कर्म अनन्तरं दर्शनविघातित्वाद्दर्शनावरणं ग्राह्यमिति ॥१३॥  
दर्शनचतुष्टयसाह—

नयणेयरोहिकेवलदंसणवरणं चउच्चिहं होइ ।

सायासाय दुभेयं च वेयणिज्जं मुणेयव्वं ॥१४॥

नयनेतरावधिकेवलदर्शनावरणं चतुर्विधं भवति । आवरण-शब्दः प्रत्येकमभिसंघष्यते । नयनं लोचनं चक्षुरिति पर्याया, ततश्च नयनदर्शनावरणं चक्षुर्दर्शनावरणं वेति चक्षुःसामान्योपयोगावरणमित्यर्थः । इतरग्रहणादचक्षुर्दर्शनावरणं शेषेन्द्रियदर्शनावरणमिति । एवमवधि-केवलयो-रपि योजनीयं । सातासातद्विभेद च वेदनीयं मुणितव्धं—सातवेदनीयमसातवेदनीयं च । आह्लाद-

निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और अतिशय भयानक स्त्यानर्द्धि ये बिन भगवान्के द्वारा पांच निद्राएँ कही गयी हैं ।

विवेचन—जिस निद्रामे प्राणी सुखपूर्वक जग जाता है उसका नाम निद्रा है । जिस निद्रामें प्राणी कठिनतासे जगता है उसे निद्रानिद्रा कहते हैं । जिस निद्रामें प्राणी बैठ-बैठा सो जाता है उसे प्रचला कहा जाता है । जिस निद्रामे प्राणी चलते-चलते सो जाता है वह प्रचलाप्रचला कहलाती है । अतिशय सविलष्ट कर्मका उदय होनेपर प्राणीको जो निद्रा आती है उसका नाम स्त्यानर्द्धि है । इस नीदकी अवस्थामें प्राणी सोते-सोते उठकर दिनमें चिन्तित दुष्कर व्यापारको भी प्रायः सिद्ध करता है । इस प्रकारकी इन पांच निद्राओके कारणभूत जो कर्म हैं उन्हें यथाक्रमसे उक्त निद्रादि पांच दर्शनावरण जानना चाहिए । ये सब प्राप्त दर्शनके विनाशक और अप्राप्त दर्शनके चूँकि रोधक हैं, इसलिए इन्हे दर्शनावरणके रूपमें ग्रहण किया गया है ॥१३॥

आगे चार दर्शनो और उनकी आवारक प्रकृतियोंके निर्देशके साथ साता-असातारूप दो वेदनीय प्रकृतियोंका भी निर्देश किया जाता है—

नयन ( चक्षु ) दर्शनावरण, इतर ( अचक्षु ) दर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवल-दर्शनावरण इस प्रकार ये चार दर्शनोके रोधक चार दर्शनावरण हैं । सातावेदनीय और असाता-वेदनीयके भेदसे वेदनीय कर्मको दो प्रकार जानना चाहिए ।

विवेचन—गाथासे उपयुक्त नयन शब्द चक्षु वाचक है । चक्षु इन्द्रियजन्य सामान्य उपयोगका जो आवरण किया करता है उसे चक्षुदर्शनावरण कहते हैं । चक्षुसे भिन्न अन्य इन्द्रियोसे होनेवाले सामान्य उपयोगके आवारक कर्मको अचक्षुदर्शनावरण कहा जाता है । इसी प्रकार अवधि और केवलरूप सामान्य उपयोगके रोधक कर्मको क्रमसे अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरण जानना चाहिए । धवला ( पु. ६, पृ. ३२ आदि ) मे आ वीरसेनके द्वारा दर्शन व उसके इन भेदोंका स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है—ज्ञानके उत्पादक प्रयत्नसे सबद्ध आत्मसवेदनका नाम दर्शन है, जिसे आत्मविषयक उपयोग कहा जा सकता है । चक्षु इन्द्रियजन्य ज्ञानके उत्पादक प्रयत्नसे

रूपेण यद्वेद्यते तत्सातवेदनीयम् । परितापरूपेण यद्वेद्यते तदसातवेदनीयम् । मुणितव्यं ज्ञातव्य-  
मिति ॥१४॥

दुविहं च मोहणियं दंसणमोहं चरित्तमोहं च ।

दंसणमोहं तिविहं सम्भेयरमीसवेयणियं ॥१५॥

द्वे विधेऽस्य तद्विद्विधं द्विप्रकारम् । चः समुच्चये । मोहनीयं प्राङ्निरूपितशब्दार्थम् ।  
द्वैविध्यमेवाह—दर्शनमोहनीयं चारित्रमोहनीयं च । तत्र दर्शनं सम्यग्दर्शनम्, तन्मोहयतीति  
दर्शनमोहनीयम् । चारित्रं विरतिरूपम्, तन्मोहयतीति चारित्रमोहनीयम् । तत्र दर्शनमोहनीयं  
त्रिविधं त्रिप्रकारं सम्यक्त्वेतर-मिश्रवेदनीयम् । सम्यक्त्वरूपेण वेद्यते यत्तत्सम्यक्त्ववेदनीयम् ।  
इतरग्रहणान्मिथ्यात्वरूपेण वेद्यते यत्तन्मिथ्यात्वरूपेण वेदनीयम् । मिश्रग्रहणात्सम्यग्मिथ्यात्वरूपेण वेद्यते  
यत्तत्सम्यक्त्वमिथ्यात्वरूपेण वेदनीयम् । एवमयं वेदनीयशब्दः प्रत्येकमभिसंबन्धयते । इदं च बन्धं  
प्रत्येकविधमेव सत्कर्मतया त्रिविधमिति । आह—सम्यक्त्ववेदनीयं कथं दर्शनमोहनीयम् ? न हि  
तद्दर्शनं मोहयति, तस्यैव दर्शनत्वात् । उच्यते—मिथ्यात्वप्रकृतित्वादतिचारसंभवादीपशक्तिकादि-  
मोहनाच्च दर्शनमोहनीयमिति ॥१५॥

सम्बद्ध आत्मसंवेदनमे 'मै रूपके देखनेमे समर्थ हूँ' इस प्रकारकी; सम्भावनाका जो कारण है उसे  
चक्षुदर्शन कहा जाता है । इसी प्रकार चक्षुसे भिन्न अन्य चार इन्द्रियो और मनके आश्रयसे होने-  
वाले ज्ञानके उत्पादक प्रयत्नसे सम्बद्ध आत्मसंवेदनका नाम अचक्षुदर्शन है । अवधिज्ञानके  
उत्पादक प्रयत्नसे सम्बद्ध आत्मसंवेदनको अवधिदर्शन कहते हैं । तीनों कालोसे सम्बद्ध अनन्त  
पर्यायोके साथ जो आत्मस्वरूपका संवेदन होता है वह केवलदर्शन कहलाता है (पु. १०, पृ ३१९)  
गाथामे जिन वेदनीयके दो भेदोका निर्देश किया गया है उनमे जिसका वेदन सुखस्वरूपसे होता है  
या जो सुखका वेदन कराता है उसे सातावेदनीय कहते हैं । इसी प्रकार जिसका वेदन दुखस्वरूपसे  
होता है या जो दुखका वेदन कराता है उसे असातावेदनीय जानना चाहिए ॥१४॥

आगे मोहनीय कर्मके मूल दो भेदोका उल्लेख करते हुए उनमे दर्शन मोहनीयके तीन  
भेदोका निर्देश किया जाता है—

दर्शनमोह और चारित्रमोहके भेदसे मोहनीय दो प्रकारका है । इनमे दर्शनमोह तीन  
प्रकारका है—सम्यक्त्व, इतर ( मिथ्यात्व ) और मिश्र ( सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ) वेदनीय ।

विवेचन—'दर्शन' से यहाँ सम्यग्दर्शन अभिप्रेत है । तत्त्वार्थश्रद्धानरूप उस सम्यग्दर्शनको  
जो मोहित किया करता है उसका नाम दर्शनमोह है । वह दर्शनमोह तीन प्रकारका है—सम्यक्त्व-  
वेदनीय, मिथ्यात्ववेदनीय और मिश्रवेदनीय । जिसका वेदन ( अनुभवन ) सम्यक्त्व रूपसे हुआ  
करता है उसे सम्यक्त्ववेदनीय कहते हैं । इसके विपरीत जिसका वेदन मिथ्यात्व—अतत्त्व-  
श्रद्धान—के रूपमे हुआ करता है उसका नाम मिथ्यात्ववेदनीय है । जिसका वेदन मिश्र  
रूपसे—सम्यक्त्व व मिथ्यात्व उभय रूपसे हुआ करता है उसे मिश्र ( सम्यक्त्व-मिथ्यात्व )  
वेदनीय कहा जाता है । यह दर्शनमोहनीय बन्धकी अपेक्षा तो एक ही प्रकारका है, पर सत्कर्मकी  
अपेक्षा वह पूर्वोक्त रूपमे तीन प्रकारका है । यहाँ यह शका उपस्थित होती है कि सम्यक्त्ववेदनीय  
स्वर्य सम्यक्त्वरूप होनेसे जत्र दर्शनको मोहित नहीं करती है तब उसे दर्शनमोहनीय कैसे कहा जा  
सकता है ? इसके उत्तरमे कहा जाता है कि मिथ्यात्व प्रकृति होनेसे चूँकि उसके आश्रयसे

दुविहं चरित्तमोहं कसाय तह नोकसायवेयणियं ।

सोलस-नवभेय पुण जहासंखं मुणेयव्वं ॥१६॥

द्विविधं द्विप्रकारम् । चारित्रमोहनीय प्राङ् निरूपितज्ञानार्थम् । कषायवेदनीयं तथा नोकषाय-वेदनीयं चेति । वेदनीयशब्द प्रत्येकमभिसद्वध्यते । तत्र क्रोधादिकषायरूपेण यद्वेद्यते तत्कषायवेदनीयम् । तथा स्त्रीवेदादिनोकषायरूपेण यद्वेद्यते तन्नोकषायवेदनीयम् । अस्त्यैव भेदानाह—षोडश-नवभेद पुनर्यथासङ्गचेन मुणितव्य षोडशभेदं कषायवेदनीयं नवभेदं नोकषायवेदनीयम् । भेदान-न्तरं वक्ष्यत्येवेति ॥१६॥ तत्र कषायभेदानाह—

अण अप्पच्चक्खाणा पच्चक्खाणावरणा य संजलणा ।

कोहमणमायलोहां पत्तेयं चउवियप्पत्ति ॥१७॥

अण इति सूचनात्सूत्रम् इति कृत्वा अनन्तानुबन्धिनो गृह्यन्ते, इह पारपर्यणानन्त भवमनु-बद्धु शीलं येषामिति अनन्तानुबन्धिनः उदयस्थाः सम्यक्त्वविघातिन इति कृत्वा । अविद्यमान-प्रत्याख्याना अप्रत्याख्याना, देशप्रत्याख्यान सर्वप्रत्याख्यानं च नैषामुदये लभ्यते इत्यर्थः । प्रत्या-ख्यानमावृण्वन्ति मर्यादाया ईषद्वेति प्रत्याख्यानावरणाः, आङ्मर्यादायामोषदर्थे वा—मर्यादायां

अतिचारको—सम्यक्त्वके मलिन होनेको—सम्भावना है इससे तथा औपशमिक और क्षायिक सम्यग्दर्शनको मोहित करनेके कारण भी उसे दर्शनमोहनीय कहा गया है ॥१५॥

आगे चारित्रमोहके दो भेदोका निर्देश करते हुए उन दो भेदोके अवान्तर भेदोकी संख्याका निर्देश किया जाता है—

चारित्रमोह दो प्रकारका है—कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीय । इनके यथाक्रमसे सोलह और नौ भेद जानना चाहिए ॥१६॥

अब पूर्वनिर्दिष्ट कषायवेदनीयके उन सोलह भेदोका निर्देश किया जाता है—

अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और सज्वलन इन चारोमे प्रत्येक क्रोध, मान, माया और लोभके रूपमे चार-चार प्रकारके हैं ।

विवेचन—जो विरतिरूप चारित्रको मोहित किया करता है उसका नाम चारित्रमोह है । वह कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीयके भेदसे दो प्रकारका है । इनमे जिसका वेदन क्रोधादि कषायके रूपसे हुआ करता है उसे कषायवेदनीय और जिसका वेदन स्त्रीवेदादि नोकषायके रूपसे हुआ करता है उसे नोकषायवेदनीय कहा जाता है । कषायके मूलमें चार भेद हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ । इनमें-से प्रत्येक अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और सज्वलनके भेदसे चार-चार प्रकारका है । गाथामे जो 'अण' शब्द प्रयुक्त हुआ है वह अनन्तानुबन्धी अर्थका सूचक है । जिनके आश्रयसे जीवके अनन्त भवोकी परम्परा चला करती है उन्हें अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कषाय कहा जाता है । जिनके उदित होनेपर जीवको देश प्रत्याख्यान और सर्वप्रत्याख्यान-का लाभ नहीं हो सकता है वे अप्रत्याख्यान क्रोधादि कहलाते हैं । प्रत्याख्यानावरणके अन्तर्गत 'आवरण' मे जो आङ् उपसर्ग है उसका मर्यादा भी अर्थ होता है और ईषत् अर्थ भी होता है । जो प्रत्याख्यानका आवरण करते हैं—उसे प्रकट नहीं होने देते हैं—उनका नाम प्रत्याख्यानावरण क्रोधादि है । ये मर्यादामे महाव्रतस्वरूप सर्वविरतिको ही आच्छादित करते हैं, न कि देशविरतिको । ईषत् अर्थमे भी वे सर्वविरतिको ही अल्प मात्रामें आच्छादित किया करते हैं, देशविरतिको

सर्वविरतिमावृण्वन्ति न देशविरतिम्, ईषदर्थेऽपि ईषद्वृण्वन्ति सर्वविरतिमेव न देशविरतिम् । देशविरतिश्च भूयसी, स्तोत्रादपि विरतस्य देशविरतिभावात् । च. समुच्चये । ईषत्परीषहादि-सन्निपातज्वलनात्संज्वलनाः, सम्-शब्द ईषदर्थे इति । एवं क्रोध-मान-माया-लोभाः प्रतीतस्वरूपाः । प्रत्येकं चतुर्विकल्पा इति क्रोधोऽनन्तानुबन्ध्यादिभेदाच्चतुर्विकल्पः, एवं मानादयोऽपीति । स्वरूपं चैतेषामित्यमाहः—

जल-रेणु-पुढवि-पव्वयराईसरिसो चउव्विहो कोहो ।

तिणसलयाकट्ठट्ठय-सेलत्थभोवमो माणो ॥१॥

माया-वलेहि-गोमुत्तिमिढसिगघणवसंमूलसमा ।

लोहो हल्लिद्द-खजण-कद्दम-किमिरागसारित्तो ॥२॥

पवख-चउम्मास-वच्छरजावजीवाणुगामिणो कम्मसो ।

देवनरतिरियनारयगतिसाहणहेयवो भणिया ॥३॥ इति

अधुना नोकषायभेदानाह—

इत्थीपुरिसनपुंसगवेयतिगं चैव होइ नायव्व ।

हास रइ अरइ भयं सोग दुंगंछा य छक्कं ति ॥१८॥

नही । कारण इसका यह है कि देशविरति बहुत-सी है, जो अल्पहिंसादिसे भी विरत होता है उसके देशविरतिका सद्भाव रहता है । 'संज्वलन'मे 'सम्' का ईषत् अर्थ है । तदनुसार जो परीषह आदिके होनेपर चारित्रवान्को भी किंचित् जलाते है—सन्तप्त किया करते हैं—वे सज्वलन क्रोधादि कहलाते हैं । अथवा 'सम्' का अर्थ एकीभाव भी होता है, तदनुसार जो चारित्रके साथ एकीभूत होकर जलते हैं—प्रकाशित रहते है—अथवा जिनके उदित रहनेपर भी चारित्र प्रकाश-मान रहता है—उसे वे नष्ट नहीं करते हैं—उनको संज्वलन क्रोधादि समझना चाहिए । यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब ये संज्वलन क्रोधादि चारित्रको नष्ट नहीं करते हैं तब उन्हें चारित्रमोहके अन्तर्गत क्यों किया गया ? इसका उत्तर यह है कि ये प्रमादको प्राप्त ( प्रमत्त ) संयतके चारित्रमे दोष उत्पन्न करते हैं व यथाख्यात चारित्रको प्रकट नहीं होने देते हैं, इसीलिए उन्हें चारित्रमोहके अन्तर्गत किया गया है । इन संज्वलन क्रोधादिका स्वरूप इस प्रकार कहा गया है—सज्वलन क्रोधका स्वभाव जलकी रेखाके सदृश, प्रत्याख्यान क्रोधका स्वभाव धूलिकी रेखा-जैसा, अप्रत्याख्यान क्रोधका स्वभाव पृथिवीकी रेखाके समान और अनन्तानुबन्धी क्रोधका स्वभाव पर्वत ( शिला ) की रेखा-जैसा है । उपर्युक्त चार प्रकारके मानका स्वभाव क्रमसे तूणशलाका ( तिनका ), काष्ठ, हड्डी और पत्थरके स्तम्भके समान उत्तरोत्तर अधिक कठोरताको लिये हुए है । उपर्युक्त चार प्रकारकी मायाका स्वभाव क्रमसे खुरपा, गोमूत्र, मेढके सीग और सघन बांसकी कुटिलताके समान उत्तरोत्तर अधिक कुटिलताको प्राप्त है । इसी प्रकार उक्त चार प्रकारके लोभका स्वभाव क्रमसे हलदी, खंजन पक्षी, कीचड़ और कृमिरागकी गहराईके समान उत्तरोत्तर तीव्रताको लिये हुए है । एक पक्ष, चार मास, एक वर्ष और जीवन पर्यन्त प्राणीका पीछा करनेवाला ये सज्वलनादि कषायें क्रमसे देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरकगतिकी कारण कही गयी हैं ॥१७॥

आगे पूर्वनिर्दिष्ट नोकषाय वेदनोयके नौ भेदोंका निर्देश किया जाता है—

स्त्री, पुरुष और नपुंसक ये तीन तथा हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा ये छह इस प्रकार ये नोकषाय वेदनोयके नौ भेद जानना चाहिए ।



स्त्रीपुरुषनपुंसकवेदत्रिक चैव भवति ज्ञातव्यम्, नोकषायवेद्यतयेति भावः । तत्र वेद्यत इति वेदः—स्त्रियं स्त्रीवेदोदयात्पुरुषाभिलाषः, पुरुषस्य पुरुषवेदोदयात्स्त्र्यभिलाषः, नपुंसकस्य तु नपुंसकवेदोदयादुभयाभिलाषः । हास्य रतिः अरतिर्भय शोको जुगुप्सा चैव षट्कमिति—तत्र सन्निमित्तमनिमित्तं वा हास्यं प्रतीतमेव । बाह्याभ्यन्तरेषु वस्तुषु प्रीतिः रतिः । एतेष्वेवाप्रीतिररतिः । भयं त्रासः । परिदेवनादिलिङ्गं शोकः । चेतनाचेतनेषु वस्तुषु व्यलीककरणं जुगुप्सा । यदुदयादेते हास्यादयो भवन्ति ते नोकषायाख्याः मोहनीयकर्मभेदा इति भावः । नोकषायता चैतेषामाद्यकषाय-त्रयविकल्पानुवर्तित्वेन । तथाहि—न क्षीणेषु द्वादशस्वमीषा भाव इति ॥१८॥

आउं च एत्थ कम्म चउव्विहं नवरं होइ नायव्वं ।

नारयतिरियनरामरगईभेयविभागओ भणियं ॥१९॥

आयुष्क च प्राङ्निरूपितशब्दार्थम्, अत्र प्रक्रमे । क्रियत इति कर्म । चतुर्विध चतुःप्रकारम् । भवति ज्ञातव्यं । नवरमिति निपातः स्वगतानेकभेदप्रदर्शनार्थं । चातुर्विध्यमेवाह—नारक-तिर्यङ्ग-न-

विवेचन—‘नोकषाय’ मे ‘नो’ का अर्थ ईषत् है । तदनुसार जिनका वेदन ईषत् कषायके रूपसे हुआ करता है उन्हे नोकषाय वेदनीय कहा जाता है । अथवा ‘नो’ को साहचर्यका बोधक मानकर यह भी कहा जा सकता है कि जो प्रथम बारह कषायोंके साथ रहा करती हैं व उन अनन्तानुबन्धी क्रोधादिरूप बारह कषायोंके क्षीण हो जानेपर जिनका सद्भाव नहीं पाया जाता है वे नोकषाय कहलाती हैं । उन स्त्रीवेदादि नोकषायके रूपमे जिसका वेदन किया जाता है उसे नोकषायवेदनीय समझना चाहिए । उसके नौ भेद हैं—स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा । जिसके उदय से स्त्रीके पुरुषकी अभिलाषा हुआ करती है उसे स्त्रीवेद कहते हैं । जिसके उदयसे पुरुषके स्त्रीकी अभिलाषा हुआ करती है उसे पुरुषवेद कहा जाता है । जिसके उदयसे स्त्री व पुरुष उभयकी अभिलाषा हुआ करती है उसका नाम नपुंसकवेद है । जिसके उदयसे प्राणीके किसी निमित्तको पाकर या बिना निमित्तके भी हँसी आती है वह हास्य कहलाता है । जिसके उदयसे बाह्य व अभ्यन्तर वस्तुओमे प्रीति हुआ करती है उसे रति और जिसके उदयसे उनमे अप्रीति ( द्वेष ) हुआ करती है उसे अरति कहा जाता है । जिसके उदयसे किसी निमित्तके मिलनेपर या बिना किसी निमित्तके ही प्राणी अपने सकल्पके अनुसार डरा करता है उसे भय नोकषाय कहा जाता है । जिसके उदयसे प्राणी किसी इष्ट जनके वियोग आदिमे अनेक प्रकारसे विलाप करता है वह शोक नोकषाय कहलाती है । जिसके उदयसे चेतन व अचेतन वस्तुओमे घृणा उत्पन्न होती है उसे जुगुप्सा नोकषाय कहा जाता है । इस प्रकार पूर्वोक्त सोलह कषाय और नौ नोकषाय ये सब मिलकर पचीस भेद चारित्र्य मोहनीय कर्मके हो जाते हैं ॥१८॥

अब क्रमप्राप्त आयुर्कर्मके भेदोका निर्देश किया जाता है—

यहां आयुर्कर्म चार प्रकारका जानना चाहिए । वह नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव इन गतिभेदोके विभागसे चार प्रकारका कहा गया है ।

विवेचन—जिसके उदयसे ऊर्ध्वगमन स्वभाववाले जीवका नारक पर्यायमें अवस्थान होता है उसे नारकायु, जिसके उदयसे उसका तिर्यंच पर्यायमे अवस्थान होता है उसे तिर्यंगाया, जिसके उदयसे उसका मनुष्य पर्यायमे अवस्थान होता है उसे मनुष्याया और जिसके उदयसे उसका देव

रामरगतिभेदविभागतो गतिभेदविभागेन । भणितमुक्तं तीर्थंकरगणवरैः । तद्यथा—नारकायुष्कं तिर्यगायुष्कं मनुष्यायुष्कं देवायुष्कमिति ॥१९॥

नामं दुचत्तमेयं गइजाइसरीरअंगुवंगे य ।

बंधण-संघायण-संघयण-संठाणनामं च ॥२०॥

नाम प्रागभिहितशब्दार्थं द्विचत्वारिंशत्प्रकारम् । भेदानाह— गतिनाम यदुदयात्तरकादि- गतिर्गमनम् । जातिनाम यदुदयादेकेन्द्रियादिजात्युत्पत्तिः । आह—स्पर्शनादीन्द्रियावरणक्षयोपशम- सद्भावादेकेन्द्रियादित्वं नाम औदधिको भावः । तत्कथमेतदिति । उच्यते—तदुपयोगादिहेतुः

पर्यायमे अवस्थान होता है उसे देवायु कहा जाता है । इस प्रकार ये आयुर्कर्मके चार भेद निर्दिष्ट किये गये हैं । गाथामे जो 'नवर' इस निपातको ग्रहण किया गया है वह नारकायु आदिके अन्य अवान्तर भेदोका सूचक है ॥१९॥

आगे नामकर्मके ४२ भेदोमे गतिको आदि लेकर सस्थान पर्यन्त आठ भेदोका निर्देश किया जाता है—

नामकर्म बयालीस प्रकारका है—उनमे १. गति, २. जाति, ३. शरीर, ४. अंगोपांग, ५. बन्धन, ६. संघातन, ७. संहनन और ८. संस्थान ये प्रथम आठ भेद हैं ।

विवेचन—जिसके उदयसे जीव नरकादि गतिको प्राप्त होता है उसे गति नामकर्म कहते हैं । वह नरकगति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति और देवगतिके भेदसे चार प्रकारका है । जिसके उदयसे जीव नरकगतिको प्राप्त होता है उसका नाम नरकगति नामकर्म है । इसी प्रकार शेष तीन गति-नामकर्मोंका भी स्वरूप समझना चाहिए । जिसके उदयसे जीव एकेन्द्रिय आदि जीवोमे उत्पन्न होता है उसे जातिनामकर्म कहा जाता है । अभिप्राय यह है कि जीवोमे जो एकेन्द्रियत्व आदिरूप सदृश परिणाम हुआ करता है उसका नाम जाति है । वह जिस कर्मके उदयसे हुआ करता है उसे भी कारणमे कार्यका उपचार करके जातिनामकर्म कहा जाता है । वह एकेन्द्रिय आदिके भेदसे पांच प्रकारका है । उनमे जिसके उदयसे जीव एकेन्द्रिय जातिमे उत्पन्न होता है वह एकेन्द्रिय जातिनामकर्म और जिसके उदयसे वह द्वीन्द्रिय जातिमे उत्पन्न होता है वह द्वीन्द्रिय जातिनामकर्म कहलाता है । इसी प्रकार त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जाति नामकर्मोंका भी स्वरूप समझना चाहिए । यहाँ शका उपस्थित होती है कि स्पर्शन आदि इन्द्रियावरणोंके क्षयोपशमके सदभावसे एकेन्द्रिय अवस्था होती है, ऐसी अवस्थामे उसे औदधिक कैसे माना जा सकता है ? इसके उत्तरमे कहा गया है कि क्षयोपशम उनके उपयोग आदिका कारण है तथा एकेन्द्रिय आदि संज्ञाका कारण नामकर्म है । ऐसा होनेसे यहाँ दोषको सम्भावना नहीं है । जिसके उदयसे जीवके औदारिक आदि शरीरका सदभाव होता है उसे शरीर नामकर्म कहते हैं । वह पांच प्रकारका है—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कामर्ण । जिसके उदयसे जीव औदारिक शरीरके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण कर उन्हें औदारिक शरीरके रूपमे परिणमाता है उसे औदारिक शरीर नामकर्म कहते हैं । इसी प्रकार शेष वैक्रियिक आदि चार शरीर नामकर्मोंका भी स्वरूप जानना चाहिए । जिसके उदयसे शिर आदि अंगोको और श्रोत्र आदि अंगोपांगोको रचना होती है वह अंगोपांग नामकर्म कहलाता है । शिर, वक्ष, पेट, पीठ, दो हाथ और ऊरु ( पाँव ) ये आठ हैं । अंगुलि आदिकोको उपांग और शेष ( अंगुलियोंके पर्व आदि ) को अंगोपांग माना जाता है । यह

क्षयोपशम एकेन्द्रियादिसंज्ञानिवन्धनं च नामेति न दोषः । शरीरनाम यदुदयादीदारिकादिशरीरभावः । अङ्गोपाङ्गनाम यदुदयावङ्गपाङ्गोनिवृत्तिः शिरःप्रभृतौन्यङ्गानि श्रोत्रादीन्यङ्गोपाङ्गानि । उक्तं च—  
सीसमुरोदरपिट्ठी दो बाहू ऊरुभयाय अट्ठगा ।

अगुलिमाह उवंगा अंगोवगाहं सेसाहं ॥

बन्धननाम यत्सर्वात्मप्रदेशैर्गृहीताना गृह्यमाणाना च पुद्गलानां सम्बन्धजनक अन्यशरीर-  
पुद्गलैर्वा जतुकल्पमिति । सघातननाम यदुदयादीदारिकादिशरीरयोग्यपुद्गलग्रहणे शरीररचना

अगोपाग नामकर्म औदारिक शरीरागोपाग, वैक्रियिक शरीरागोपाग और आहारक शरीरागोपागके भेदसे तीन प्रकारका है । जिसके उदयसे औदारिकशरीर रूपसे परिणत पुद्गलोका अग, उपाग और अगोपागोके रूपमे विभाजन होता है वह औदारिकशरीरागोपाग कहलाता है । इसी प्रकार वैक्रियिक और आहारक शरीरागोपाग नामकर्मोंका भी स्वरूप समझना चाहिए । तेजस और कार्मण इन दो शरीरोके अगोपागोंकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि वे जीवप्रदेशोके समान होते हैं । जिसके उदयसे समस्त आत्मप्रदेशोके द्वारा पूर्वमें ग्रहण किये गये तथा वर्तमानमे ग्रहण किये जानेवाले पुद्गलोका परस्पर अथवा अन्य शरीरगत पुद्गलोके साथ लाखके समान सम्बन्ध होता है उसका नाम बन्धन नामकर्म है । वह औदारिकशरीरबन्धन आदिके भेदसे पांच प्रकारका है । जिसके उदयसे समस्त आत्मप्रदेशोके द्वारा पूर्वमें ग्रहण किये गये तथा वर्तमानमे ग्रहण किये जानेवाले औदारिक शरीरगत पुद्गलोका परस्परमे तथा अन्य शरीरगत पुद्गलोंके साथ एकता रूप सम्बन्ध होता है उसे औदारिक शरीरबन्धन नामकर्म कहते हैं । इसी प्रकार शेष चार बन्धन नामकर्मोंका भी स्वरूप जानना चाहिए । जिसके उदयसे औदारिक आदि शरीरोके योग्य पुद्गलोका ग्रहण होनेपर उन शरीरोकी रचना होती है उसे सघातन नामकर्म कहते हैं । वह भी औदारिक आदि शरीरोके भेदसे पांच प्रकारका है । जिसके उदयसे औदारिक शरीरके योग्य पुद्गलोका ग्रहण होनेपर औदारिक शरीरकी रचना होती है उसे औदारिक शरीर सघातन नामकर्म कहा जाता है । इसी प्रकार शेष चार सघातन नामकर्मोंका भी स्वरूप जान लेना चाहिए । जो वज्र-ऋषभनाराच आदि सहननोका कारण है उसे सहनन नामकर्म कहा जाता है । वह छह प्रकारका है—वज्रर्षभनाराच, अर्धवज्रर्षभनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलिका और सृपाटिका सहनन नामकर्म । वज्रका अर्थ कीलिका, ऋषभका अर्थ परिवेष्टन पट्ट और नाराचका अर्थ उभयत. मर्कटबन्ध है । तदनुसार जिसका उदय होनेपर उभयत. मर्कटबन्धसे वैधो हुई व पट्टके आकार तीसरी हड्डीसे वेष्टित दो हड्डियोंके ऊपर उन तीनों हड्डियोंकी भेदक कीलिकासंज्ञक वज्र नामक हड्डी हुआ करती है उसे वज्रर्षभनाराचसहनन नामकर्म कहते हैं । जिस कर्मके उदयसे हड्डियोंके बन्धनविशेषमे वज्र, ऋषभ और नाराच आधे होते हैं उसे अर्धवज्रर्षभनाराचसहनन नामकर्म कहा जाता है । जिस कर्मके उदयमें हड्डियोंके बन्धनमे केवल उभयतः मर्कटबन्धरूप नाराच ही रहता है उसे नाराचसहनन नामकर्म कहते हैं । जिस कर्मका उदय होनेपर हड्डियोंके परस्पर बन्धनमे आधा नाराच ( मर्कटबन्ध ) रहता है उसे अर्धनाराचसहनन नामकर्म कहा जाता है । जिस कर्मके उदयसे हड्डियां परस्पर कीलिका मात्रसे सम्बद्ध रहा करती हैं उसका नाम कीलिका सहनन नामकर्म है । जिस कर्मका उदय होनेपर हड्डियां दोनों ओर चमड़े, स्नायु और माससे सम्बद्ध रहा करती हैं वह सृपाटिकासहनन नामकर्म कहलाता है । जो कर्म चतुरस्रादिरूप शरीर सस्थानका कारण है उसे सस्थान नामकर्म कहा जाता है । वह समचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमण्डल,

भवति-संहनननाम वज्ररूपभनाराचादिसंहनननिमित्तम् । संस्थाननाम समचतुरस्रादिसंस्थान-  
कारणम् । चः समुच्चय इति गाथार्थः ॥२०॥

तह वज्रगंधरसफासनामगुरुलघु य बोद्धव्यं ।

उवघायपराघायाणुपुव्विऊसासनामं च ॥२१॥

तथा वर्णनाम यद्दद्यात्कृष्णादिवर्णनिवृत्तिः । एवं गन्ध-रस-स्पर्शेष्वपि स्वभेदापेक्षया भावनी-  
यमिति । अगुरुलघु च बोद्धव्यं अत्रानुस्वारदीर्घत्वेऽलाक्षणिके सुखोच्चारणार्थं तूपन्यस्ते । तत्रागुरु-

साचि, सादि या स्वाति, कृब्ज, वामन और हण्ड संस्थानके भेदसे छह प्रकारका है । जिसके उदयसे प्राणियोंके समचतुरस्रसंस्थान उत्पन्न होता है उसे समचतुरस्रसंस्थान नामकर्म कहते हैं । समचतुरस्रसंस्थान वह कहलाता है जिसमें प्राणियोंके शरीरके अवयव चारों दिशाओमें सामुद्रिक शास्त्रमें निर्दिष्ट प्रमाणसे युक्त होते हैं—हीनाधिक प्रमाणवाले नहीं होते । जिसके उदयसे न्यग्रोध ( वटवृक्ष ) के आकारमें नाभिके ऊपरके सब अवयव समचतुरस्रसंस्थानरूप समुचित प्रमाणसे युक्त होते हैं, पर नीचेके अवयव ऊपरके अवयवोंके अनुरूप नहीं होते हैं उसे न्यग्रोधपरिमण्डल-संस्थान-नामकर्म कहते हैं । जिसके उदयसे नाभिके नीचेके सब अवयव समचतुरस्रसंस्थानस्वरूप सुन्दर, पर ऊपरका भाग तदनुरूप नहीं होता है उसे साचि, सादि या स्वातिसंस्थान नामकर्म कहा जाता है । सादि या साचिका अर्थ शालमली वृक्ष होता है । उसके आकारमें शरीरके अवयवोंकी रचना होनेसे इस संस्थानको साचि या सादि संस्थान कहा गया है । तत्त्वार्थवार्तिक ( ८, ११, ८ ) और धवला ( पृ. ६, पृ. ७१ ) आदिमें जहाँ इसका उल्लेख 'स्वातिसंस्थान' के नामसे किया गया है वहाँ 'स्वाति' से सांपकी बामी या शालमली वृक्षको भी ग्रहण किया गया है । अभिप्राय प्रायः वही रहा है । जिसके उदयसे शिर, ग्रीवा व हाथ-पाँव आदिके यथोक्त प्रमाणमें होनेपर भी वक्ष, उदर व पीठ आदि तदरूप न होकर प्रचुर पुद्गलके संचयसे युक्त होते हैं उसे कृब्जसंस्थान नामकर्म कहते हैं । जिसके उदयसे वक्ष और पेट आदि योग्य प्रमाणमें होते हैं, पर हाथ-पाँव छोटे होते हैं वह वामनसंस्थान नामकर्म कहलाता है । जिसके उदयसे शरीरके सब ही-अवयव ठीक प्रमाणमें न होकर बेडौल होते हैं उसका नाम हण्डसंस्थान है ॥२०॥

इस प्रकार नामकर्मके प्रथम आठ भेदोंका निर्देश करके अब आगे उसके वर्णादि अन्य नौ भेदोंका निर्देश किया जाता है—

१० वर्ण, १० गन्ध, ११ रस, १२ स्पर्श, १३ अगुरुलघु, १४ उपघात, १५ पराघात, १६ क्षानुपूर्वी और १७ उच्छ्वास ये उसके आगेके अन्य नौ भेद हैं ।

विवेचन—इनका पृथक्-पृथक् स्वरूप इस प्रकार है—जिसके उदयसे शरीरमें कृष्ण आदि वर्णोंकी रचना होती है उसे वर्ण नामकर्म कहते हैं । वह कृष्ण, नील, रक्त, पीत और शुक्लके भेदसे पाँच प्रकारका है । इनमें जिसके उदयसे शरीरमें कृष्णवर्णका प्रादुर्भाव होता है वह कृष्णवर्ण नामकर्म कहलाता है । इसी प्रकार नील आदि चारों नामकर्मोंको भी स्वरूप समझ लेना चाहिए—जिसके उदयसे शरीरमें गन्धका प्रादुर्भाव होता है उसे गन्ध नामकर्म कहा जाता है । वह दो प्रकारका है—सुरभिगन्ध नामकर्म और असुरभिगन्ध नामकर्म । जिसके उदयसे शरीरमें सुरभिगन्ध ( सुगन्ध ) का प्रादुर्भाव होता है उसे सुरभिगन्ध और जिसके उदयसे शरीरमें असुरभिगन्ध ( दुर्गन्ध ) का प्रादुर्भाव होता है उसे असुरभिगन्ध नामकर्म कहते हैं । जिसके उदयसे शरीरमें रसका प्रादुर्भाव होता है उसे रस नामकर्म कहना चाहता है । वह गतिभेद, कटुक, कषाय, आम्ल

लघुनाम यदुदयान्न गुरुर्नापि लघुर्भवति देह इति एकान्ततदभावे सदा निमज्जनोर्ध्वगमनप्रसंगः । उपघातनाम यदुदयादुपहन्यते । परघातनाम यदुदयात्परानाहन्ति । आनुपूर्वीनाम यदुदयादपान्तरालगती नियतदेशमनुश्रेणिगमनम्, नियत एवाङ्गविन्यास इत्यन्ये । उच्छ्वासनाम यदुदयाद्दृच्छ्वास-निःश्वासी भवतः । आह—यद्येवं पर्याप्तिनाम्नः ष्वोपयोग इति ? उच्यते—पर्याप्तिः करणशक्तिः उच्छ्वासनामवत् एव तस्मिन्वृत्तौ सहकारिकारणं इषुक्षेपणशक्तिमतो धनुर्ग्रहणशक्तिवत् । एवमन्यत्रापि भिन्नविषयता सूक्ष्मधिधावसेया । चः समुच्चये इति ॥२१॥

और मधुर रस नामकर्मके भेदसे पाँच प्रकारका है । इनमें जिसके उदयसे शरीरमें तिक्त (तीखा) रसका प्रादुर्भाव होता है वह तिक्त रस नामकर्म कहलाता है । इसी प्रकार शेष कटुक आदि चार-चार रस नामकर्मोंका भी स्वरूप जानना चाहिए । जिसके उदयसे शरीरमें स्पर्शका प्रादुर्भाव होता है उसे स्पर्श नामकर्म कहा जाता है । वह कर्कश, मद्, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत और उष्ण नामकर्मके भेदसे आठ प्रकारका है । इनमें जिसके उदयसे शरीरमें कर्कश ( कठोर ) स्पर्शका प्रादुर्भाव होता है वह कर्कश नामकर्म कहलाता है । इसी प्रकार शेष मृदु आदि सात स्पर्श नामकर्मोंका भी स्वरूप जानना चाहिए । जिसके उदयसे शरीर न तो भारी होता है और न हलका भी उसे अगुरुलघु नामकर्म कहते हैं । यदि यह कर्म न होता तो प्राणीके शरीरके निमज्जन—नीचे गिर जाने—अथवा ऊर्ध्वगमनका प्रसंग दुर्निवार होता । जिसके उदयसे प्राणी अपने शरीरके भीतर बढ़नेवाले प्रतिजिह्वा, गलवृन्द और चोर दाँत आदि अवयवोंके द्वारा पोडाको प्राप्त होता है उसे उपघात नामकर्म कहा जाता है । जिसके उदयसे प्राणी दूसरोका घात किया करता है वह परघात नामकर्म कहलाता है । जिसके उदयसे प्राणी अपान्तरालगति ( विग्रहगति )में श्रेणिके अनुसार नियत देशको जाता है उसका नाम आनुपूर्वी नामकर्म है । अन्य किन्ही आचार्योंके मतानुसार जिसके उदयसे निर्माण नामकर्मके द्वारा निर्मित शरीरके अग-उपांगोंके विनिवेश क्रमका नियमन होता है उसे आनुपूर्वी नामकर्म कहा जाता है । अन्य किन्ही आचार्योंके अभिमतानुसार आनुपूर्वी या आनुपूर्व्य नामकर्म वह कहलाता है जिसके कि उदयसे विग्रहगतिमें वर्तमान जीवके पूर्व शरीरके आकारका विनाश नहीं होता ( स सि ८-११ ) । इस प्रकार आनुपूर्वीके लक्षणके विषयमें अनेक उपलब्ध होते हैं । ( देखिए जैन लक्षणवालोमें 'आनुपूर्वी' और 'आनुपूर्व्य' ये दो शब्द ) । वह आनुपूर्वी नामकर्म नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यंगगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वीके भेदसे चार प्रकारका है । जिसके उदयसे नरकभवके अभिमुख हुए जीवके विग्रहगतिमें पूर्व शरीरका आकार बना रहता है—वह नष्ट नहीं होता है—उसे नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी कहते हैं । गर्ग-महर्षि विरचित कर्मविपाक (१२२) के अनुसार नरकायका उदय होनेपर मोडा लेकर गमन करते हुए जीवके उस विग्रहवाली गतिमें नरकानुपूर्वीका उदय होता है, ऋजुगतिमें उसका उदय नहीं होता । इसी प्रकार शेष तीन आनुपूर्वियोंके स्वरूपको भी समझना चाहिए । जिस कर्मके उदयसे उच्छ्वास और निःश्वास होते हैं वह उच्छ्वास नामकर्म कहलाता है । यहाँ शंका उपस्थित होती है कि यदि उच्छ्वास-निःश्वास उच्छ्वास नामकर्मके उदयसे होते हैं तो फिर उच्छ्वास पर्याप्तिका उपयोग कहाँ होगा ? इसके उत्तरमें कहा जाता है कि पर्याप्ति तो करणशक्ति है जो उच्छ्वास नामकर्मसे युक्त जीवके ही उसकी रचनामें सहकारी कारण है । इसके लिए यह उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार बाणके चलानेकी शक्तिसे युक्त धनुषधारीके धनुष ग्रहणकी शक्ति उसमें सहायक होती है ॥२१॥

अब उस नामकर्मके आतप आदि आगेके अन्य नौ भेदोंका निर्देश किया जाता है—

आयवउज्जोयविहायगई<sup>१</sup> य तसथावराभिहाणं च ।

बायरसुहुमं पज्जत्तापज्जत्तं च नायव्वं ॥२२॥

आतपनाम यदुदयादातपवान् भवति पृथिवीकाये आदित्यमण्डलादिवत् । उद्योतनाम यदुदयाद्युद्योतवान् भवति खद्योतकादिवत् । विहायोगतिनाम यदुदयाच्चक्रमणम् । इदं च द्विविधं प्रशस्ताप्रशस्तभेदात् । प्रशस्तं हंस-गजादीनाम्, अप्रशस्तमुष्ट्रादीनामिति । त्रसनाम यदुदयाच्चलनं स्पन्दनं च भवति । त्रसत्वमेवान्ये । स्थावराभिवानं चेति स्थावरनाम यदुदयादस्पन्दनो भवति । स्थावर एवान्ये । चः समुच्चये । बादरनाम यदुदयाद्बादरो भवति, स्थूर इत्यर्थः । इन्द्रियगम्य इत्यन्ये । सूक्ष्मनाम यदुदयात्सूक्ष्मो भवति अत्यन्तश्लक्ष्णः, अतीन्द्रिय इत्यर्थः । पर्याप्तकनाम यदुदयादिन्द्रियादिनिष्पत्तिर्भवति । अपर्याप्तकनाम उक्ताविपरीतं यदुदयात्सपूर्णपर्याप्त्यानिवृत्तनं त्वाहारशरीरेन्द्रियपर्याप्त्यानिवृत्तरपि । यस्मादागामिभवायुष्कं बध्वा त्रियते सर्व एव दोहनः, तच्चाहार-शरीरेन्द्रियपर्याप्त्या पर्याप्तानामेव बध्यत इति ॥२२॥

१८ आतप, १९ उद्योत, २० विहायोगति, २१ त्रस, २२ स्थावर नामक, २३ बादर, २४ सूक्ष्म, २५ पर्याप्त और २६ अपर्याप्त, इस प्रकार यहाँ तक उसके २६ भेद हो जाते हैं ।

विवेचन—इन आतप आदिका पृथक् स्वरूप इस प्रकार है—

जिसके उदयसे पृथिवीकायमे जीवका शरीर सूर्यमण्डलके समान आतपसे युक्त होता है उसे आतप नामकर्म कहते हैं । जिसके उदयसे जुगुनू आदिक समान जीवका शरीर उद्योतसे युक्त होता है उसे उद्योत नामकर्म कहा जाता है । जिसके उदयसे जीवका गमन होता है वह विहायागति नामकर्म कहलाता है । वह प्रशस्त और अप्रशस्तके भेदसे दो प्रकारका है । इनमे प्रशस्त विहायागति-का उदय हंस और हाथी आदिके तथा अप्रशस्त विहायागतिका उदय ऊँट आदिके हुआ करता है । जिसके उदयसे चलना और परिस्पन्दन होता है वह त्रस नामकर्म कहलाता है । अन्य आचार्योंके मतानुसार इस त्रस नामकर्मके उदयसे केवल त्रसत्व—त्रस अवस्था ही—होती है । जिसके उदयसे प्राणी स्पन्दनसे रहित होता है उसे स्थावर नामकर्म कहा जाता है । अन्य आचार्योंके अभिमतानुसार इस स्थावर नामकर्मके उदयसे जीव स्थावर—स्थिर स्वभाववाला—ही होता है । जिसके उदयसे जीवका शरीर बादर ( स्थूल ) होता है उसे बादर नामकर्म कहते हैं । अन्य आचार्योंके अभिप्रायानुसार जिसके उदयसे जीव इन्द्रियगात्र होता है उसे बादर नामकर्म कहा जाता है । जिसके उदयसे जीवका शरीर सूक्ष्म, अर्थात् अतिशय श्लक्ष्ण या अतीन्द्रिय होता है उसका नाम सूक्ष्म नामकर्म है । जिसके उदयसे इन्द्रिय आदिकी उत्पत्ति होती है उसे पर्याप्त नामकर्म कहते हैं । इसके विपरीत जिसके उदयसे समस्त पर्याप्तियोंका निवृत्ति ( रचना या उत्पत्ति ) नहीं होता है उसे अपर्याप्त नामकर्म कहा जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि अपर्याप्त नामकर्मका उदय होनेपर आहार, शरीर और इन्द्रिय पर्याप्तियोंकी निवृत्ति तो सम्भव है, पर समस्त पर्याप्तियोंका निवृत्ति उसके उदयमे सम्भव नहीं है । इसका कारण यह है कि सब ही प्राणी आगामी भवको आयुको बाँध करके ही मरते हैं और उस आयुका बन्ध आहार, शरीर और इन्द्रिय पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके ही होता है ॥२२॥

अब उसके प्रत्येक आदि आगेके दस भेदोंका निर्देश किया जाता है—

१. अ उज्जोवविहायगती । २. अ बायरसुहुत्तमपज्जत्ता० । ३. अ तथाहारशरीरेन्द्रियपर्याप्तानामेव ।

पत्तये साधारण-थिरमथिरसुहासुहं च नायव्णं  
सुभगदुभगनामं सुसर तह दुसरंचेव ॥२३॥

प्रत्येकनामं यदुदयादेको जीव एकमेव शरीरं निवर्तयति । साधारणनामं यदुदयात् बहुवो जीवा एकं शरीरं निवर्तयन्ति । स्थिरनामं यदुदयाच्छरीरावयवानां शिरोऽस्थिन्दन्तादीनां स्थिरस्ता भवति । अस्थिरनामं यदुदयात्तदवयवानामेव चलता भवति कर्णजिह्वादीनाम् । शुभाशुभं च ज्ञातव्यम् — तत्र शुभनामं यदुदयाच्छरीरावयवानां शुभता, यथा शिरसः । विपरीतमशुभनामं, यथा पादयोः । तथा शिरसा स्पृष्टस्तुष्यति, पादाहतस्तुष्यति । कामिनीव्यवहारे व्यभिचार इति चेत् न, तस्य मोहनोर्यनिवन्धनत्वात्, वस्तुस्थितिश्चेह चिन्त्यत इति । सुभगनामं यदुदयात्काम्यो भवति । तद्विपरीतं च दुर्भगनामेति । सुस्वरनामं यदुदयात्सौस्वर्यं भवति श्रोतुः प्रीतिहेतुः । तथा दुःस्वरं चैवेति सुस्वरनामोक्तविपरीतमिति ॥२३॥

आइज्जमणाइज्जं जसक्कित्तीनाममजसक्कित्ती य ।

निम्माणनाममउलं चरमं तिस्थयरनामं च ॥२४॥

आदेयनामं यदुदयादादेयो भवति—यच्चेष्टते भाषते वा तत्सर्वं लोकः प्रमाणीकरोति ।

२७ प्रत्यक, २८ साधारण, २९ स्थिर, ३० अस्थिर, ३१ शुभ, ३२ अशुभ, ३३ सुभग, ३४ दुर्भग, ३५ सुस्वर और ३६ दुःस्वर जानना चाहिए । इस प्रकार यहाँ तक प्रकृत नाम कर्मके ३६ भेद ही जाते हैं ।

विवेचन—इनका पृथक् स्वरूप इस प्रकार है—जिसके उदयसे एक जीव एक ही शरीरकी रचना करता है उसे प्रत्येक नामकर्म कहते हैं । जिसके उदयसे बहुतसे जीव एक शरीरको रचना करते हैं उसे साधारण नामकर्म कहा जाता है । जिसके उदयसे शरीरके अवयवभूत सिर, हड्डी और दाँत आदिकी स्थिरता होती है उसे स्थिर नामकर्म तथा जिसके उदयसे उस शरीरके कान और जीभ आदि अवयवकी ही अस्थिरता या चचलता होती है उसे अस्थिर नामकर्म कहा जाता है । जिसके उदयसे शरीरगत अवयवकी उत्तमता, जैसे शिरको उत्तमता होती है वह शुभ नामकर्म और इसके विपरीत जिसके उदयसे उन अवयवोंमें—जैसे पाँवोंमें—हीनता होती है वह अशुभ नामकर्म कहलाता है । लोकव्यवहारमें यह देखा भी जाता है कि यदि किसीका सिरसे स्पर्श किया जाता है तो वह प्रसन्न होता है तथा इसक विपरीत यदि किसीको पाँवसे ताडित किया जाता है तो वह रुष्ट होता है । जिसके उदयसे प्राणी दूसरोके द्वारा अभिलषनीय या प्रशंसनीय होता है उसे सुभग और इसके विपरीत जिसके उदयसे वह दूसरोके द्वारा अनभिलषनीय या निन्दनीय होता है उसे दुर्भग नामकर्म कहते हैं । जिसके उदयसे प्राणाका सुन्दर स्वर श्रोताको प्रीतिका कारण होता है वह सुस्वर और इसक विपरीत जिसके उदयसे उसका स्वर श्रोताको अप्रीतिकर होता है वह दुःस्वर नामकर्म कहलाता है ॥२३॥

अब प्रकृत नामकर्मके शेष रहे आदेय आदि छह भेदोका निर्देश किया जाता है—

३७ आदेय, ३८ अनादेय, ३९ यश.कीर्ति, ४० अयश.कीर्ति, ४१ निर्माण और ४२ अन्तिम अनुपम तीर्थकर नामकर्म । इस प्रकार उस नामकर्मके गा २०-२४ में निर्दिष्ट ४२ भेद हो जाते हैं ।

विवेचन—जिसके उदयसे प्राणी दूसरोके लिए ग्राह्य होता है उसे आदेय नामकर्म कहा

तद्विपरीतमनादेयम् । यशःकीर्तिनाम यदुदयाद्यशःकीर्तिभावः । यशःकीर्त्योर्विशेषः—दानपुण्यफला  
कीर्तिः, पराक्रमकृत-यशः । अयशःकीर्तिनाम चोक्तविपरीतम् । निर्माणनाम यदुदयात्सर्वजीवानां  
जाती अङ्गोपाङ्गनिवेशो भवति । जातिलिङ्गाकृतिव्यवस्थानियम इत्यन्ये । अनुल प्रधानम् । चरमं  
प्रधानत्वात्सूत्रक्रमप्रामाण्याच्चेति । तीर्थकरनाम यदुदयात्सदेवमनुष्यासुरस्य जगतः पूज्यो भवति ।  
चः समुच्चये इति ॥२४॥

गोयं च द्विविधमेयं उच्चगोयं तदेव नीयं च ।

चरमं च पचमेयं पन्नत्तं वीतरायोहि ॥२५॥

गोत्रं प्रादुर्निहपितशब्दार्थं भवति । द्विविधं द्विप्रकारम् । उच्चगोत्रं तथैव नीचं चेति  
नीचगोत्रं च । तत्रोच्चगोत्रं यदुदयादज्ञानी विरूपोऽपि सत्कुलमात्रादेव पूज्यते । नीचगोत्रं तु  
यदुदयाज्ज्ञानादियुक्तोऽपि निन्द्यते । चरमं च पर्यन्तवति च सूत्रक्रमप्रामाण्यात् । पञ्चभेदं पञ्च-  
प्रकारम् । प्रज्ञप्तं प्ररूपितं वीतरायैर्हृद्भिरिति ॥२५॥

तं दानलाभभोगोपभोगविरियतरायं जाण ।

चित्त पोग्गलरुवं विन्नेयं सन्वमेवेयं ॥२६॥

तदान-लाभ-भोगोपभोग-वीर्यन्तरायं जानीहि । तत्र दानान्तरायं यदुदयात्सति दातव्ये  
जातिं है । इस कर्मका उदय होनेपर प्राणां जेसो कुछ प्रवृत्त करता है बालता है उस सबको लोग  
प्रमाण करते हैं, इसके विपरीत जिसके उदयसे प्राणा दूसरोके लिए अग्राह्य होता है वह अनादेय  
नामकर्म कहलाता है । इस कर्मका उदय होनेपर प्राणा युक्तिसंगत बोलता है, फिर भी लोग उसे  
प्रमाण नहीं करते तथा आदरके योग्य होनेपर भी उसका आदर नहीं किया जाता । जिसके  
उदयसे प्राणोका यश और कीर्ति फेलती है उसका नाम यश-कीर्ति नामकर्म है । दान जनित पुण्यके  
फलसे कीर्ति और पराक्रमके प्रभावसे यशका प्रादुर्भाव होता है, यह इन दोनोंमे भेद समझना  
चाहिए । उसके विपरीत जिस कर्मके उदयसे प्राणोका यश व कीर्तिका प्रसार नहीं होता है उसे  
अयश-कीर्ति नामकर्म कहा जाता है । जिसके उदयसे सब जावोकी जातिमे अग-उपागोका निवेश  
होता है उसे निर्माण नामकर्म कहत है । अन्य किन्ही आचार्योंक मतानुसार जो जाति, लिंग और  
आकृतिका नियमन करता है उस निर्माण नामकर्म कहा जाता है । जिसका उदय होनेपर जीव देव,  
मनुष्य और असुरोसे परिपूर्ण समस्त लोकका पूज्य हाता है उस तीर्थकर नामकर्म कहते हैं ॥२४॥

अब गोत्र कर्मके दो भेदोंको दिखलाते हुए अन्तराय कर्मके भेदोंकी सख्याका निर्देश किया  
जाता है—

गोत्रकर्म दो प्रकारका है—उच्चगोत्र और नीचगोत्र । अन्तिम अन्तराय कर्म वीतराय  
जिनके द्वारा पांच प्रकारका कहा गया है । पूर्वोक्त गोत्र कर्मके दो भेदोमे जिसके उदयसे जीव  
अज्ञानी व विरूप होकर भी केवल उत्तम कुछके कारण पूजा जाता है उसे उच्चगोत्र और जिसके  
उदयसे वह ज्ञानादि गुणोसे सम्पन्न होता हुआ भी निन्दाका पात्र बनता है उसे नीचगोत्र कहा  
जाता है ॥२५॥

आगे अन्तराय कर्मके पूरे निर्दिष्ट पांच भेदोका नामनिर्देश किया जाता है—

उस अन्तरायको दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य अन्तरायके रूपमे पांच प्रकारका



प्रतिप्राहके च पात्रविशेषे दानफलं च जानन्नोत्सहते दातुम् । लाभान्तरायं तु यदुदयात्सत्यपि प्रसिद्धे दातरि तस्यापि लभ्यस्य भावे याञ्चाकुशलोऽपि न लभते । भोगान्तरायं तु यदुदयात्सति विभवे अन्तरेण विरतिपरिणाम न भुवते भोगान् । एवमुपभोगान्तरायमपि । नवर भोगोपभोगयोरेवं विशेषः—सकृद्भुज्यत इति भोगः आहार-माल्यादिः, पुनः पुनरुपभुज्यत इत्युपभोगः भवन-बलयादिः<sup>१</sup> । उक्तं च—

सह भुज्जइ त्ति भोगो<sup>२</sup> सो उण आहार-फुल्लमाईसु ।

उवभोगो उ पुणो पुण उवभुज्जइ भुवणव-लयाई<sup>३</sup> ॥

वीर्यान्तरायं तु यदुदयान्तिरुजो वयस्यश्चात्पवीर्यो भवति । चित्रं पुद्गलरूपं विज्ञेयं सर्वमेवेदम्—चित्रमनेकरूपं चित्रफलहेतुत्वात्, पुद्गलरूपं परमाण्वात्मकं न वासनादिरूपममूर्तमिति, विज्ञेयं ज्ञातव्यं भिन्नालम्बनं पुनः क्रियाभिधानमदृष्टमेव । सर्वेदं ज्ञानावरणादि कर्मेति ॥२६॥

एयस्स एगपरिणामसंचियस्स उ ठिई समरकाया ।

उक्कोसेयरभेया तमहं वुच्छं समासेणं ॥२७॥

एतस्य चानन्तरोदितस्य कर्मणः । एकपरिणामसंचितस्य । तु-शब्दस्य विशेषणार्थत्वात्प्रायः क्लिष्टैकपरिणामोपात्तस्येत्यर्थः । स्थितिः समाख्याता सासारिकाशुभफलदातृत्वेनावस्थानम् । उक्तभागम इति गम्यते । उत्कृष्टेतरभेदादुत्कृष्टा जघन्या च समाख्यातेति भावः । ता स्थितिमहं

जानना चाहिए । यह सब ही ज्ञानावरणादि रूप कर्म पुद्गल परमाणुस्वरूप अनेक प्रकारका जानना चाहिए ।

विवेचन—इन पाँच अन्तराय कर्मोंका स्वरूप इस प्रकार है—जिसके उदयसे देने योग्य द्रव्य और ग्रहण करनेवाले विशिष्ट पात्रके रहते हुए तथा दानके फलको जानता हुआ भी जीव देनेके लिए उत्साहित नहीं होता है उस दानान्तराय कहते हैं । जिसके उदयसे प्रसिद्ध दाता और उसके पास प्राप्त करने योग्य वस्तुके होनेपर भा तथा माँगनेमें निपुण होता हुआ भी प्राणी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त नहीं कर पाता है उसका नाम लाभान्तराय है । जिसके उदयसे जीव वैभवके होनेपर भी तथा विरतिरूप परिणामके न होते हुए भी भोगोंको नहीं भोग सकता है वह भोगान्तराय कहलाता है । इसी प्रकार उपभोगरूप वस्तुओंके होनेपर तथा विरतिरूप परिणामके न होनेपर भी जिसके उदयसे जीव उनका उपभोग नहीं कर पाता है उसे उपभोगान्तराय कहते हैं । जो वस्तु एक ही बार भागनेमें आता है उसे भोग कहा जाता है—जैसे आहार व माला आदि । इसके विपरीत जो वस्तु बार-बार भागनेमें आता है उसे उपभोग कहा जाता है—जैसे महल व चूड़ों आदि आभूषण । जिसके उदयसे प्राणी नीरोग व योग्य अवस्थाको प्राप्त होकर भी हीन वार्यवाला हुआ करता है उसका नाम वीर्यान्तराय है । प्रस्तुत कर्म चूँकि अनेक प्रकारके फलको दिया करता है इसीलिए उसे यहाँ चित्र—अनेक प्रकारका—कहा गया है । साथ ही उसे पुद्गलरूप कहकर उसका अमूर्तिकता को प्रकट करते हुए वासनादि रूपताका निषेध भी कर दिया गया है ॥२६॥

आगे इस कर्मकी स्थितिके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—

एक परिणामसे संचित—क्लिष्ट एक परिणाम से उपाजित—इस कर्मकी जो आगममें

वक्ष्ये अहमित्यात्मनिर्देशे, वक्ष्येऽभिधास्ये । समासेन संक्षेपेण, न तूत्तरप्रकृतिभेदस्थितिप्रतिपादन-  
प्रपञ्चेनेति ॥२७॥

आइल्लाणं तिन्हं चरमस्स य तीस कोडिकोडीओ ।

आयराण मोहणिज्जस्स सत्तरी होइ विन्नेया ॥२८॥

आद्यानां त्रयाणां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीयानां चरमस्य च सूत्रक्रमप्रामाण्यात्पर्यन्त-  
वर्तिनोऽन्तरायस्येति त्रिशत्सागरोपमकोटिकोट्यः<sup>३</sup> । अतराणामिति सागरोपमानाम् । मोहनीयस्य  
सप्रतिर्भवति विज्ञेया सागरोपमकोटिकोट्य इति ॥२८॥

नामस्स य गोयस्स य वीसं उक्कोसिया ठिई भणिया ।

तित्तीससागराइं परमा आउस्स बोद्धव्वा ॥२९॥

नाम्नश्च गोत्रस्य च विंशतिः, सागरोपमकोटिकोट्य इति गम्यते । उत्कृष्टा स्थितिर्भणिता  
सर्वोत्तमा स्थितिः प्रतिपादिता तीर्थकर-गणधरैरिति । त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमानि परमा प्रधानायु-  
कर्मणा बोद्धव्येति ॥२९॥

अधुना जघन्यामाह—

वेयणियस्स य वारस नामागोयार्ण अट्ट उ मुहुत्ता ।

सेसाण अहन्नठिई भिन्नमुहुत्तं विणिदिट्ठा ॥३०॥

वेदनीयस्य कर्मणो जघन्या स्थितिरिति योगः, द्वादशमुहूर्ताः । नामगोत्रकर्मणोरष्टौ मुहूर्ताः,  
इत्थं मुहूर्तशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । द्विघटिको मुहूर्तः । शेषाणां ज्ञानावरणादीनाम् । जघन्या  
स्थितिर्भिन्नमुहूर्तं विनिदिष्टान्तर्मुहूर्तं प्रतिपादितेति ॥३०॥ प्रकृतयोजनायाह—

उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके भेदसे दो प्रकारकी स्थिति कही गयी है उसे-में ( ग्रन्थकार ) संक्षेपसे—  
केवल मूल प्रकृतियोंके ही आश्रयसे—कहूंगा ॥२७॥

अब कृत प्रतिज्ञाके अनुसार उस कर्मस्थितिका निरूपण करते हुए यहाँ प्रथम तीन कर्मोंके  
साथ अन्तिम अन्तराय और मोहनीय कर्मकी भी उत्कृष्ट स्थितिका निर्देश किया जाता है—

आदिके तीन—ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय—की तथा अन्तिम अन्तराय व मंत्री  
उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागरोपम है । मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडाकोडी  
सागरोपम प्रमाण जानना चाहिए । कर्म जितने समय तक सांसारिक शुभाशुभ फलके दातारूपसे  
अवस्थित रहता है उतने समय प्रमाणको उसकी स्थिति जानना चाहिए ॥२८॥

आगे शेष तीन कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका निर्देश किया जाता है—

नाम और गोत्र कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोडाकोडी सागरोपम कही गयी है । आयु-  
कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तैंतीस सागरोपम मात्र जानना चाहिए ॥२९॥

अब उन कर्मोंकी जघन्य स्थितिका निर्देश किया जाता है—

जघन्य स्थिति वेदनीय कर्म बारह मुहूर्त, नाम व गोत्र कर्मकी आठ मुहूर्त तथा शेष—  
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, आयु और अन्तराय—कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्त मात्र कही गयी  
है ॥३०॥

एवं ठिड्यस्स जया घंसण-घोलणनिमित्तओ कहंवि ।

खविया कोडाकोडी सव्वा इक्कं पमुत्तणं ॥३१॥

एवंस्थितेरस्य कर्मणः । यदा यस्मिन् काले । घर्षण घूर्णननिमित्ततो नानायोनिषु चित्रसुख-  
दुःखानुभवनेनेत्यर्थ । कथमपि केनचित्प्रकारेण । क्षपित्ताः प्रलयं नीताः । कोटिकोट्यः सर्वाज्ञाना-  
वरणादिसंबन्धिन्य एकां विमुच्य विहायेति ॥३१॥

नीई वि य थोवमित्ते 'खविए इत्थंतरम्मि जीवस्स ।

हवइ हु अभिन्नपुव्वो गंठी एवं जिणा वेत्ति ॥३२॥

तस्या अपि च सागरोपमकोटिकोट्याः स्तोकमात्रे पत्योपमासङ्घेयभागे । क्षपितेऽपनीते ।  
अत्रान्तरेऽस्मिन् भागे । जीवस्यात्मनः । भवति-अभिन्नपूर्वो [हु] शब्दस्यावधारणार्थत्वाद्भवहितो-  
पन्यासाच्चवाभिन्नपूर्व एव । ग्रन्थिरिव ग्रन्थिर्दुःखेनोद्वेष्ट्यमानत्वात् । एव जिना ब्रुवत एवं तीर्थकराः  
प्रतिपादयन्तीति । उक्तं च तत्समयज्ञैः—

गट्ठि त्ति सुदुब्भेउ कक्खडघणरुढगूढगट्ठि व्व ।

जीवस्स कम्मजणिओ घणरागदोसपरिणामो ॥ इति ॥३२॥

भिन्नंमि तंमि लाभो जायइ परमपयहेउणो नियमा ।

सम्मत्तस्स पुणो तं वंधेण न वोळइ कयाइ ॥३३॥

भिन्नेऽपूर्वकरणेन विदारिते । तस्मिन् ग्रन्थावात्मनि लाभः प्राप्तिर्जायते संपद्यते । परमपद-  
हेतोर्मोक्षकारणस्य । नियमान्नियमेनावश्यभावतयेत्यर्थः । कस्य ? सम्यक्त्वस्य वक्ष्यमाणस्वरूपस्य ।

इस प्रकार प्रसंगप्राप्त कर्मकी संक्षेपमें प्ररूपणा करके अब आगेकी दो गाथाओंमें प्रकृतकी  
योजनाके लिए यह कहा जाता है—

इस प्रकारकी स्थितिवाले उस कर्मकी स्थितिमें जब किसी प्रकारसे घर्षण और घोलन  
( घूर्णन ) के निमित्तसे एक कोडाकोडीको छोड़कर शेष सब कोडाकोडियोंको क्षीण कर दिया जाता  
है तथा शेष रही उस एक कोडाकोडी मात्र स्थितिमें भी जब स्तोक् मात्र—पत्योपमके अस्मृत्यात्तत्र  
भागकी और भी—क्षीण कर दिया जाता है; इस बीचमें ग्रन्थि अभिन्नपूर्व ही रहती है, ऐसा जिन  
भगवान् कहते हैं ॥३१-३२॥

आगे यह सूचित किया जाता है कि सम्यक्त्वकी प्राप्ति इस ग्रन्थिके भेदे जानेपर ही सम्भव है;  
उस ग्रन्थिके भेदे जानेपर नियमसे मोक्षके कारणभूत सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है।  
तत्पश्चात् सम्यग्दर्शनसे युक्त हुआ जीव उस ग्रन्थिका कर्मबन्धके द्वारा कभी अतिक्रमण नहीं  
करता है—उत्कृष्ट स्थितिसे युक्त कर्मोंको नहीं बंधता है ।

विवेचन—ग्रन्थिका अर्थ गांठ होता है । जिस प्रकार किसी वृक्षविशेषकी कठोर व सघन  
सूखी गांठ तोड़नेके लिए अतिशय कष्टप्रद होती है, अथवा रस्सी आदिमें लगायी गयी दृढ़तर गांठ  
खोलनेमें क्लेशकर होती है, उसी प्रकार ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरीयकी सहायतासे  
मोहनीयकर्मके द्वारा निमित्त जो दृढ़तर राग-द्वेषरूप परिणाम 'अतिशय दुर्भेद्य' होता है उसे यहाँ  
ग्रन्थिके समान दुर्भेद्य होनेके कारणे ग्रन्थि कहा गया है । पूर्वमें ( "२८-२९" ) जो ज्ञानावरणादि  
कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति निर्दिष्ट की गयी है उसे अघःकरण परिणामको प्राप्त यह जीव जब घर्षण-

पुनस्तं ग्रन्थिमवाप्तसम्यग्दर्शनः सन् बन्धेन कर्मबन्धेन । न व्यवलीयते नातिक्रामयति । कदाचित्कस्मिंश्चित्काले । न ह्यसावुत्कृष्टस्थितौनि कर्माणि बध्नाति, तथाविधपरिणामाभावादिति ॥३३॥

अत्राह—

तं जाविह संपत्ती न जुञ्जए तस्स निग्गुणत्तणओ ।

बहुतरबंधाओ खलु सुत्तविरोहा जओ भणियं ॥३४॥

तं ग्रन्थिम् । यावद्विह विचारे । संप्राप्तिर्न युज्यते न घटते । कुतः ? तस्य निर्गुणत्वात्तस्य जीवस्य सम्यग्दर्शनादिगुणरहितत्वात् । निर्गुणस्य च बहुतरबन्धात् । खलुशब्दोऽवधारणे—बहुतरबन्धादेव । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यम् । सूत्रविरोधादन्यथा सूत्रविरोध इत्यर्थः । कथमिति आह—यतो भणितं यस्मादुक्तमिति ॥३४॥ किमुक्तमित्याह—

पल्ले महइमहल्ले कुंभं पक्खिवइ सोहए नालिं ।

अस्संजए अविरए बहु बंधइ निज्जरे थोवं ॥३५॥

पल्लवत्पल्लवस्तस्मिन् पल्ले । महति<sup>१</sup> महल्ले अतिशयमहति । कुम्भं लाटदेशप्रसिद्धमानरूपम्, धान्यस्येति गम्यते । प्रक्षिपति स्थापयति । सोधयति<sup>२</sup> नालिं गृह्णाति सेतिकाम् । एष दृष्टान्तोऽयमर्थोपनयः—योऽसंयत सकलसम्यक्त्वादिगुणस्थानेष्वसंयतत्वान्मिथ्यादृष्टिः परिगृह्यते । अविरतः काकमांसादेरप्यनिवृत्तः । बहु बध्नाति निर्जरयति स्तोत्रं स्तोत्रतरं क्षपयति, निर्गुणत्वात् । गुणनिबन्धना हि विनिष्टनिर्जरति ॥३५॥

घूर्णनके निमित्तसे—नाना योनियोमे अनेक प्रकारके दुख-सुखका अनुभव करते हुए—उत्तरोत्तर क्षीण करता हुआ जब एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण कर देता है तथा शेष रही इस एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थितिमे भी जब पल्योपमके असख्यातवें भाग मात्रको और भी क्षीण कर देता है तब-तक भी वह ग्रन्थि अभिन्नपूर्व—पूर्वमे कभी न भेदी गयी के रूपमे—ही अवस्थित रहती है । पश्चात् जो जीव उसके भेदनेमे समर्थ होता है वह जब उसे अपूर्वकरण परिणामके द्वारा भेदता है—निर्मूल कर देता है—तब कही उसे अनिवृत्तिकरणके आश्रयसे मुक्तिका कारणभूत वह सम्यक्त्व प्राप्त होता है । इस सम्यक्त्वके प्राप्त हो जानेपर फिर कभी [वह उपर्युक्त उत्कृष्ट स्थितिसे सयुक्त कर्मको नही बांधता है ॥३३॥

यहां शकाकार कहता है—

ग्रन्थि तक यहाँ उसकी प्राप्ति घटित नहीं होती, क्योंकि तब तक जीवके निर्गुण—सम्यग्दर्शनादि गुणोसे रहित—होनेके कारण अधिकसे अधिक कर्मबन्ध होनेवाला है । और यदि ऐसा न माना जाये तो आगमका विरोध दुर्निवार होगा, क्योंकि आगममे ऐसा कहा गया है ॥३४॥

आगममे क्या कहा गया है, इसे आगे तीन गाथाओ द्वारा स्पष्ट करते हुए प्रथमतः उदाहरणपूर्वक असंयतके कर्मबन्धको प्रकट किया जाता है—

अतिशय महान् पल्ल ( कुठिया—धान्य रखनेके लिए मिट्टीसे निर्मित एक बड़ा बर्तन ) मे कुम्भ ( लाट देश प्रसिद्ध धान्य मापनेका एक उपकरण ) को तो स्थापित करता है और नालि

१. अ 'च' नास्ति । २. अ कथमित्यत्राह । ३. अ पक्खिवए सोहइ । ४. अ अविरइ । ५. महते । ६. अ साधयति ।

पल्ले महइमहल्ले कुंभं सोहेइ पक्खिवे नालिं ।

जे संजए पमत्ते बहु निज्जरे बंधए थोवं ॥३६॥

पल्ले अतिशयमहति । कुम्भं सोधयति प्रक्षिपति नालिम् । एष दृष्टान्तोऽयमर्थोपनयः—यः संयतः सम्यग्दृष्टिरोषट्प्रमादवान् प्रमत्तसयत एव, नान्ये । बहु निर्जरयति बध्नाति स्तोक, सगुणत्वादिति ॥३६॥

पल्ले महइमहल्ले कुंभं सोहेइ पक्खिवइ न किंचि ।

जे संजए अपमत्ते बहु निज्जरे बंधइ न किंचि ॥३७॥

पल्लेऽतिशयमहति कुम्भं सोधयति प्रक्षिपति न किंचित् । एष दृष्टान्तोऽयमर्थोपनयः—यः संयतोऽप्रमत्तः प्रमादरहितः साधुरित्यर्थः । बहु निर्जरयति, बध्नाति न किंचिद्विशिष्टतरगुणत्वात्

( एक छोटा माप ) को निकालता है । इसी प्रकारसे असयत—मिथ्यादृष्टि जीव—जो काकमास आदिके व्रतसे भी रहित है वह बहुत कर्मको बांधता है और निर्जरा थोड़े कर्मको करता है ॥३५॥

प्रमत्त सयतके लिए एक दूसरा उदाहरण—

अतिशय महान् पल्यके भीतरसे कुम्भको निकालता है और नालिको स्थापित करता है । ठीक इसी प्रकारसे प्रमत्त सयत जीव बहुत कर्मको निर्जरा करता है, पर बांधता थोड़े कर्मको है ॥३६॥

अप्रमत्त सयतके लिए अन्य एक उदाहरण—

अतिशय महान् पल्यके भीतरसे कुम्भको निकालता है, पर स्थापित उसमें कुछ नहीं करता है । ठीक इसी प्रकारसे अप्रमत्त संयत जीव कर्मको निर्जरा तो बहुत करता है, पर बांधता कुछ भी नहीं है ॥३७॥

विवेचन—शंकाकारका अभिप्राय यह है कि जब तक वह अभिन्नपूर्वं ग्रन्थि विद्यमान है इस बीच जो कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिको क्षीण करते हुए उसे एक कोड़ाकोड़ी सागरोपमसे भी कुछ ( पल्योपमका असख्यातवाँ भाग ) हीन करनेको प्रक्रिया दिखलायी गयी है ( ३१-३२ ) वह योग्य नहीं है । इसका कारण यह है कि जीव जबतक सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे हीन रहता है तबतक उसके अधिकाधिक ही कर्मबन्ध हुआ करता है । ऐसी स्थितिमें उसके लिए उक्त प्रकारसे उत्कृष्ट कर्मस्थितिका हीन करना सम्भव नहीं है । ऐसा स्वीकार न करनेपर आगमसे विरोध दुर्निवार होगा । कारण यह कि आगममें ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार किसी धान्य रखनेके बड़े बर्तनमें कुम्भ प्रमाण धान्यके रखने और नालि प्रमाण उसमेंसे निकालने उसमें उत्तरोत्तर नियमसे अधिक धान्यका सचय होता है उसी प्रकार सर्वथा व्रतसे रहित असंयत मिथ्यादृष्टि जीव कर्मको बांधता तो बहुत है और निर्जरा उसको थोड़ी करता है । अतः उसके कर्मका सचय अधिक ही होनेवाला है । इस स्थितिमें उसके उक्त प्रकारसे कर्मस्थितिका हीन होना सम्भव नहीं है । इसके साथ आगममें यह भी कहा गया है कि उसी धान्यके बर्तनमेंसे यदि कुम्भ प्रमाण धान्यको निकाला जाता है और नालि प्रमाण उसमें रखा जाता है तो जिस प्रकार उस बर्तनमें धान्यका प्रमाण उत्तरोत्तर हीन होता जाता है उसी प्रकार अप्रमत्त सयत जीव कर्मको निर्जरा तो बहुत करता है, पर बांधता कम है, इस प्रकारसे उसके कर्मकी हानि उत्तरोत्तर अवश्य होनेवाली है ।

बन्धकारणाभावादिति ॥३७॥ गुरुराह—

एयमिह ओहविसयं भणियं सन्वे न एवमेव त्ति ।

अस्संजओ उ एवं पडुच्च ओसन्नभावं तु ॥३८॥

एतदिति पल्ले महइमहल्ले इत्यादि । इहास्मिन् धिचारे । ओघविषयं सामान्यविषयम् । भणितमुक्तम् । सर्वे न एवमेवेति सर्वे नैवमेव बध्नन्ति । अस्त्यैव विषयमुपदर्शयति—असंयतस्त्वेवं मिथ्यादृष्टिरेव एवं बध्नाति, नान्य इति । असावपि प्रतीत्याङ्गीकृत्य । ओसन्नभावं बाहुल्य-भावम् । तुरवधारणे—ओसन्नभावमेव, न तु नियममिति ॥३८॥ नियमे वोपमाह—

पावह् वंधाभावो उ अन्नहा पोगगलाणभावाओ ।

इय युद्धिगहणओ ते सन्वे जीवेहि जुज्जंति ॥३९॥

प्राप्नोति वापद्यते । बन्धाभावस्तु बन्धाभाव एव । अन्यथान्येन प्रकारेण सर्वे असंयता एवं बध्नन्तीत्येवंलक्षणोऽन । किमित्यत्रोपपत्तिमाह—पुद्गलानामभावाद्बध्यमानानां कर्मपुद्गलानाम-संभवात् । तेषामेवाभावे उपपत्तिमाह—इति वृद्धिग्रहणतः एवमनन्तगुणरूपतया वृद्धिग्रहणेन । ते

इसके अतिरिक्त उसी वर्तनमे-से कुम्भ प्रमाण धान्यको निकाला जाता है और रखा उसमें कुछ भी नहीं जाता है तब जिस प्रकार यथासमय वह वर्तन धान्यसे रहित हो जाता है ठीक उसी प्रकार-से जो अप्रमत्त संयत जीव कर्मकी निर्जरा तो बहुत करता है और बाँधता कुछ भी नहीं है वह कर्मसे यथासमय मुक्त हो जाता है । प्रकृत अप्रमत्त संयतके बन्ध इसलिए नहीं होता कि वह बन्धके कारणभूत मिथ्यादर्शनादिसे रहित हो चुका है । इस आगमके आवारसे उक्त शंकाकारका यह कहना है कि मिथ्यादृष्टि जीवके सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे रहित होनेके कारण जब कर्मका अधिकाधिक ही बन्ध होनेवाला है तब ऊपर बतलायी गयी कर्मस्थितिकी हानि उसके सम्भव नहीं है ॥३४-३७॥

आगे इस शंकाका समाधान किया जाता है—

उक्त प्रकारसे आगममें जो बन्ध और निर्जराके क्रमका निर्देश किया है वह सामान्यसे किया गया है । कारण कि सब जीव इसी प्रकारसे कर्मको नहीं बाँधते हैं, किन्तु व्रत रहित मिथ्या-दृष्टि असंयत ही उस प्रकारसे कर्मको बाँधता है । वह भी बहुलताकी अपेक्षासे वैसे बाँधता है—सब ही मिथ्यादृष्टि असंयत उस प्रकारसे नहीं बाँधते हैं ॥३८॥

यैसा न माननेपर जिस आपत्तिकी सम्भावना है उसे जागे प्रकट करते हैं—

मिथ्यादृष्टि असंयत भी बहुलतामें ही अधिकाधिक कर्मोंको बाँधते हैं, यदि ऐसा न माना जाये तो बन्ध योग्य पुद्गलको अभाव हो जानेके कारण बन्धके अभावका प्रगग अनिवार्य प्राप्त होगा । इसका कारण यह है कि उक्त प्रकार अनन्तगुणों वृत्तिके साथ कर्मपुद्गलके ग्रहण किये जानेपर ये सब पुद्गल जीवोंके साथ सम्बन्धको प्राप्त हो सकते हैं ।

विदेघन—पूर्वोक्त शंकाके समाधानमें यहाँ यह कहा गया है कि आगममें जो अनंयतके अधिकाधिक कर्मबन्धका निर्देश किया गया है वह सामान्यसे किया गया है । इसका आभिप्राय यह हुआ कि सभी असंयत जीव उक्त प्रकारसे कर्मोंका बन्ध नहीं किया करते हैं, किन्तु अनंयत मिथ्यादृष्टि जीव ही उक्त क्रमसे कर्मका बन्ध अधिक और निर्जरा उसकी श्रद्धा मात्रामें किया

कर्मपुद्गलाः सर्वे जीवैर्व्युज्यन्ते कालान्तरेण सर्वे जीवैः सवध्यन्ते, प्रभूततरग्रहणादल्पतरमोक्षाच्च, सहस्रमिव प्रतिदिवसं पञ्चरूपकग्रहणे<sup>१</sup> एकरूपकमोक्षे<sup>२</sup> च दिवसत्रयान्त पुरुषशतेनेति ॥३९॥  
आह चोदकः—

मोक्षो ऽसंखिज्जाओ कालाओ ते अ जं जिएहितो ।

भणिया णंतगुणा खलु न एस दोसो तओ जुत्तो ॥४०॥

मोक्षः परित्यागः । असङ्ख्येयात्कालादसङ्ख्येयेन कालेन उत्कृष्टतस्तेषां कर्मपुद्गलानाम्, तत ऊर्ध्वं कर्मस्थितेः प्रतिषिद्धत्वात् । ते च कर्माणवः । यतो यस्माज्जीवेष्वयः सर्वेष्व एव । भणिताः प्रतिपाविता अनन्तगुणाः । खलुशब्दस्यावधारणार्थत्वादनन्तगुणा एव । नैव दोषोऽनन्तरो-  
दितो बन्धाभावप्राप्तिकाललक्षणः । ततो युक्तो बहुतरबन्धः, प्रभूततरग्रहणेऽल्पतरमोक्षे च सत्यपि तेषामनन्तत्वात् स्तोककालाच्च मोक्षादिति । न हि शीर्षप्रहेलिकान्तस्य राशेः प्रतिदिवसं पञ्च-

करता है । मिथ्यादृष्टि असंयतके लिए भी यह ऐकान्तिक नियम नहीं है, वह भी बहुलतासे उस प्रकारके अधिक कर्मबन्धको करता है, नियमतः वैसा नहीं करता । यदि ऐसा न मानकर यही माना जाये कि सभी असंयत जीव नियमसे कर्मके बन्धको अधिक और निर्जरा थोड़ी किया करते हैं तो फिर अनन्तगुणित वृद्धिसे कर्मबन्धके होनेपर बध्यमान वे सब कर्मपुद्गल कालान्तरमे जीवोके साथ सम्बद्ध हो जायेंगे । कारण यह कि उनका ग्रहण तो प्रचुरतर मात्रामे होता है और निर्जरा अल्पतर मात्रामे होती है । तब वैसी अवस्थामें सब कर्मपुद्गलोके समाप्त हो जानेपर अनिवार्यतः कर्मबन्धके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा । उदाहरणस्वरूप हजार सख्यामसे प्रतिदिन यदि सौ पुरुषोके द्वारा पांच-पांच अंक ग्रहण किये जाते हैं और एक-एक छोडा जाता है तो वह राशि तीन दिनके भीतर ही समाप्त हो जानेवाली है । अतएव उक्त आगमका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि सभी असंयत जीव उक्त क्रमसे अधिक कर्मबन्धको नहीं करते है, किन्तु असंयत मिथ्यादृष्टि ही और वह भी बहुलतासे उक्त प्रकार अधिक कर्मबन्धको करता है । इस प्रकार शंकाकारके द्वारा प्रदर्शित वह दोष सम्भव नहीं है ॥३८-३९॥

इसपर शकाकार पुन यह कहता है—

उन कर्मपुद्गलोका मोक्ष तो असंख्यात कालमे ही होता है, जब कि वे ( कर्मपुद्गल ) सब जीवोसे अनन्तगुणे कहे गये हैं । ऐसी परिस्थितिमे यह जो दोष दिया गया है कि उन पुद्गलोके समाप्त हो जानेसे बन्धका अभाव प्राप्त होगा, वह उचित नहीं है ।

विवेचन—शंकाकारकी पूर्वं शकाका निरसन करते हुए यह कहा गया था कि आगममे जो वह बन्धकी प्रक्रिया निर्दिष्ट की गयी है वह सामान्यसे निर्दिष्ट की गयी है, विशेषरूपमे केवल कोई-कोई असंयत मिथ्यादृष्टि जीव और वह भी बहुलतासे, न कि नियमसे, प्रचुरतर कर्मपुद्गलोको बांधता है, सभी असंयत उस प्रकारसे नहीं बांधते । ऐसा न होनेपर उक्त प्रकारकी बन्ध प्रक्रियासे कालान्तरमे सब कर्मपुद्गलोके समाप्त हो जानेसे बन्धके अभावका प्रसंग अनिवार्य होगा । इस समाधानको असंगत ठहराता हुआ वह शंकाकार पुन यह कहता है कि बन्धयोग्य वे सब पुद्गल जब समस्त जीवराशिसे अनन्तगुणे हैं तथा मोक्ष ( निर्जरा ) उनका असंख्यात कालके भीतर ही हो जाता है, क्योंकि असंख्यात काल ( सत्तर कोडाकोड़ी सागरोपम ) से अधिक कर्मस्थिति सम्भव नहीं है, तब वैसी अवस्थामे न वे समाप्त हो हो सकते हैं और न इसीलिए बन्धका अभाव भी

ग्रहणे एकरूपकमोक्षे च सति वर्षशतेनापि पुरुषशतेन योगो भवति, प्रभूतत्वात् । एवं दार्ष्टान्तिके भावनीयमिति ॥४०॥ इत्थं चोदकेनोक्ते सति गुरुराह—

ग्रहणमणंताण न किं जायइ समएण ता कहमदोसो ।

आगम संसाराओ न तद्दा णंताण ग्रहणं तु ॥४१॥

ग्रहणं कर्मपुद्गलानामादानम् । अनन्तानामत्यन्तप्रभूतानाम् न किमिति गाथाभङ्गभया-  
द्व्यत्ययः—किं न जायते समयेन, जायत एवेत्यर्थः । समयः परमनिकृष्टः काल उच्यते । यतश्चैवं  
तत्कथमदोषो दोष एव, शीर्षप्रहेलिकान्तस्यापि राशेः प्रतिदिवसं शतभागमात्रमहाराशिग्रहणेऽल्प-  
तरमोक्षे च वर्षशतादारत एव पुरुषशतेन योगोपपत्तेः । एव दार्ष्टान्तिकेऽपि भावना कार्या ।  
स्यादेतदागमसंसारान्न तथानन्तानां ग्रहणं तु । आगमस्तावत् “जाव ण अयं जीवे एयइ धेयइ चलइ  
फदइ ताव णं अट्टविहबन्वए वा सत्तविहबन्धए वा छत्तविहबन्धए वा एगविहबन्धए वा” इत्यादि ।

सम्भव है । उदाहरणार्थं शीर्ष प्रहेलिकान्त राशि ( असंख्येय कालकी पराकाष्ठा ) मे-से प्रतिदिन  
सौ पुरुषोके द्वारा पाँच रूपोके ग्रहण करने और एक रूपके छोड़नेपर उनका संयोग सौ वर्षमे भी  
उनके साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि वे प्रचुर प्रमाणमे बने रहनेवाले हैं । यही प्रक्रिया उन कर्म-  
पुद्गलोके बन्ध-मोक्षकी भी है । तदनुसार प्रचुर कर्मपरमाणुओके बने रहनेसे बन्धका अभाव कभी  
हो नहीं सकता—वह निरन्तर चलता रहनेवाला है ॥४०॥

शंकाकारके इस कथनपर उक्त दोषकी असम्भवताका परिहार करते हुए उसकी तद-  
वस्थताको प्रकट करनेपर शंकाकारका पुनः स्पष्टीकरण—

क्या प्रतिसमयमे अनन्त कर्मपुद्गलोका ग्रहण नहीं होता है ? होता ही है । तब वैसे  
अवस्थामे पूर्वोक्त बन्धाभाव रूप दोषकी कैसे टाला जा सकता है ? नहीं टाला जा सकता है—  
वह तो तदवस्थ रहनेवाला है । इसपर शंकाकार पुनः कहता है कि आगम व संसारसे भी वैसे  
अनन्त कर्मपुद्गलोका ग्रहण सम्भव नहीं है ।

चिन्तेन—वादीके द्वारा बहुतर बन्धके स्वीकार करनेपर उस परिस्थितिमे बन्धके  
अभावका प्रसंग पूर्वमे दिया गया था । इसपर वादीने यह कहकर कि वे कर्मपुद्गल समस्त  
जीवोसे अनन्तगुणें हैं और मोक्ष उनका असंख्यात कालमे ही हो जाता है, उक्त बन्धाभावके  
प्रसंगका निराकरण किया था । इसपर यहाँ उस बन्धाभावके प्रसंगको तदवस्थ ठहराते हुए यह  
कहा जा रहा है कि जब प्रत्येक समयमे अनन्त कर्म पुद्गलोका ग्रहण होता है तब उस अवस्थामे  
उन कर्म पुद्गलोकी समाप्ति सुनिश्चित है । अतः कालान्तरमे कर्मपुद्गलोके अभावमे जो बन्धके  
अभावका प्रसंग दिया गया है उसका निराकरण नहीं किया जा सकता—वह तदवस्थ रहनेवाला  
है । शीर्ष प्रहेलिकान्त राशिमे-से भी यदि प्रतिदिन सौवे भागमात्र महाराशिको ग्रहण किया जाता  
है और अल्पतर राशिको छोड़ा जाता है तो वह सौ वर्षके पूर्व ही सौ पुरुषोसे सम्बद्ध हो जावेगी  
व आगेके लिए कुछ नहीं रहेगा । इस उदाहरणसे भी पूर्वोक्त बन्धके अभावका प्रसंग निर्बाध सिद्ध  
होता है । इसपर वादीका कहना है कि आप जो प्रत्येक समयमे अनन्त पुद्गलोका ग्रहण बतलाते  
हैं वह असंगत है, क्योंकि उसकी सिद्धि न तो आगमसे होती है और न संसारके स्वरूपसे भी  
होती है । आगममे यही कहा है कि जबतक यह जीव आता-जाता व चलता-फिरता है तबतक  
वह आठो प्रकारके, सात प्रकार आयुको छोड़ करके, छह प्रकार आयु और मोह को छोड़ करके



संसारस्तु प्रतिसमयबन्धकसत्त्वरूपसंसृतिरूपः प्रतीत एव । एवमागमात्संसारान्त्वं न तथानन्तानां ग्रहणमेव भवति यथा बध्यमानकर्मपुद्गलाभावाद् बन्धाभाव एवेति ॥४१॥ एवं पराभिप्राय-  
माशङ्क्याह—

आगम मुख्यात् ण किं विसेसविसयत्तणेण<sup>३</sup> सुत्तस्स ।

तं जाविह संपत्ती न घटइ तम्हा अदोसो<sup>४</sup> उ ॥४२॥

आगममोक्षात् किं न विशेषविषयत्वेन सूत्रस्य 'पल्ले' इत्यादिलक्षणस्य । तं ग्रन्थि यावविह विचारे संप्राप्तिर्न घटते । द्वौ प्रतिषेधौ प्रकृतमर्थं गमयत इति कृत्वा घटत एव । तस्माददोषस्तु यस्मादेवं तस्मादेव दोष एव न भवति य उक्तस्तं यावविह संप्राप्तिर्न युज्यते इत्यादि । तत्रागम-  
स्तावत् "सम्मत्तमि उ लद्धे" इत्यादि । मोक्षस्तु प्रकृष्टगुणानुष्ठानपूर्वकः प्रसिद्ध एव । अतो

अथवा एक प्रकार ( मात्र वेदनीय ) के कर्मका बन्धक है; इत्यादि । रहा संसार सो वह प्रतिसमय बन्ध व सत्त्वरूप प्रतीत ही है । इस प्रकार जब उक्त आगम और संसारसे अनन्त कर्म पुद्गलोका ग्रहण ही सम्भव नहीं है तब भला उन बध्यमान कर्मपुद्गलोका अभाव कैसे हो सकता है, जिससे प्रसंग प्राप्त उस बन्धके अभावका निराकरण किया जा सके । इस प्रकार उस दोषके बने रहनेसे उपर्युक्त आगमका यही अभिप्राय सगत माना जायेगा कि सभी असयत जीव बहुतर कर्मका बन्ध नहीं करते, किन्तु असयत मिथ्यादृष्टि ही, और वह भी बहुलतासे, बहुतर कर्मका बन्ध करता है । इस प्रकार पूर्वोक्त कर्मस्थितिकी हानि निर्वाध सिद्ध होती है ॥४१॥

इस प्रकार शंकाके रूपसे वादीके अभिप्रायकी प्रकट करके आगे उसका प्रतिवाद किया जाता है—

पूर्वोक्त आगम (३५-३७) का विशेष विषय होनेके कारण आगम और मोक्षसे उस ग्रन्थि पर्यन्त इस विचार कोटिमें क्या उसकी प्राप्ति घटित नहीं होती है ? अवश्य घटित होती है । इस कारण उसकी प्राप्तिमें जो दोष दिया गया था वह चरितार्थ नहीं होता ।

विवेचन—पूर्वमें (३४) वादीने कहा था कि ग्रन्थि पर्यन्त विचार किये जानेके प्रसंगमें कर्मकी पूर्वोक्त हानिके साथ अपूर्वकरण परिणामके द्वारा उस ग्रन्थिके भेदे जानेपर सम्यक्त्वका लाभ होता है, यह जो कहा गया है वह योग्य नहीं है, क्योंकि वैसा माननेपर आगम (३५-३७) से विरोध होनेवाला है । इस प्रकार वादीके द्वारा प्रदर्शित उस आगम विरोधका निरसन करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि पूर्वोक्त आगममें जो प्रचुरतर कर्मबन्धका निर्देश किया गया है वह सामान्यसे कहा गया है । विशेष रूपमें उसका यही अभिप्राय है कि असंयत मिथ्यादृष्टि ही उक्त प्रकारसे प्रचुरतर कर्मका बन्धक है और वह भी बहुलतासे ( अधिकांशमें ) है, न कि नियमित । अतएव आगमसे जो विरोध दिखलाया गया है वह उचित नहीं है । इसके विपरीत आगम (३८९-९१) से ही यह सिद्ध है कि गुणोके सामर्थ्यसे बन्धके ह्रास और पूर्वबद्ध कर्मके क्षयसे मोक्ष होता है । इस प्रकार सम्यक्त्वका लाभ ही जानेपर पत्योपम पृथक्त्व कालमें श्रावक भी हो जाता है, इत्यादि । मोक्ष प्रकृष्ट गुणोके अनुष्ठान पूर्वक होता है, यह भी प्रमाणसिद्ध है । इससे यही स्वीकार करना चाहिए कि उक्त आगमका विशेष विषय रहा है, जिसका कि पूर्वमें निर्देश किया जा चुका है । यदि ऐसा न हो तो आगे (३७) उसी आगममें जो यह भी कहा गया

१. अ बधकर्मत्वसंसृतिरूप प्रतीत एवमात्संसारान्त्वं । २. अ विसयत्तणेण । ३. अ आदोसो ।

४. अ संप्राप्तिम घटते ।

यथोक्तविशेषविषयमेव तत्सूत्रमिति इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यम् । अन्यथा तदधिकारोक्तमेव “पक्खि वे न किञ्चि” इत्येतद्विच्छद्यते । अप्रमत्तसंयतस्यापि बन्धकत्वात् । यथोक्तम्—

अपमत्तसंजयाणं बंधद्विती होइ अट्टमुहुत्ता ।

उक्कोसा उ जहन्ना भिन्नमुहुत्तं नु विन्नेया ॥१॥ इत्यादि

तस्मादोषविषयमेवैतदिति ॥४२॥

अवसितमानुषङ्गिकम्, अधुना प्रकृतं सम्यक्त्वमाह—

संमत्तं पि य तिविहं खओवसमियं तहोवसमियं च ।

खइयं च कारगाइ व पन्नत्तं वीयरागेहिं ॥४३॥

सम्यक्शब्दः प्रशंसार्थः अविरोधार्थो वा, तद्भावः सम्यक्त्वम्, प्रशस्तः मोक्षाविरोधी वात्मधर्म इत्यर्थः । अपि तत्त्रिविधं एतच्चोपाधिभेदात् त्रिप्रकारम् । अपि-शब्दाच्छ्रावकधर्मस्य प्रकृतत्वात्तच्चारित्रमप्योघतोऽणुव्रत-गुणव्रत-शिक्षापदभेदात् त्रिविधमेव । च-शब्दः स्वगतानेकभेद-समुच्चयार्थः । उक्तं च—तं च पंचहा सम्मत्तं उवसमं सासायणं खओवसमं वेदयं थइयं । त्रैविध्यमुपदर्शयति—क्षायोपशमिकं तथोपशमिकं क्षायिकं च । कारकादि वा कारकं आदि ख ३ शब्दाद्वोचक-व्यञ्जकपरिग्रहः । एतच्च वक्ष्यत्येवेति न प्रतस्यते । इदं च प्रज्ञप्तं प्ररूपितं वीतरागै-रर्हंङ्गि-रिति ॥४३॥

है कि अप्रमत्त संयत निर्जरा बहुत करता है और बांधता कुछ भी नहीं है वह विरोधको प्राप्त होता है, क्योंकि आगममे अप्रमत्तसंयतको भी बन्धक कहा गया है (गा. ४२ की टीका) । इससे यही सिद्ध होता है कि आगममें वैसा सामान्य से ही निर्देश किया गया है । यदि उक्त प्रकारसे होनेवाली कर्मकी हानि व ग्रन्थिभेदको न माना जाये तो सम्यक्त्वके साथ मोक्ष भी असम्भव हो जायेगा, क्योंकि अन्यथा उस बन्धकी परम्परा तो चलती ही रहेगी । इस प्रकारसे विचार करनेपर वादीके द्वारा प्रदर्शित दोष प्रकृतमे लागू नहीं होता ॥४२॥

इस प्रकार प्रसंगप्राप्त जीव और कर्मके सम्बन्धकी प्ररूपणा करके प्रकृत सम्यक्त्वका विवेचन करते हुए उसके तीन भेदोका निर्देश किया जाता है—

वीतराग सर्वज्ञके द्वारा सम्यक्त्वको भी तीन प्रकारका कहा गया है—क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक । अथवा वह कारक आदि (रोचक और व्यजक) के भेदसे भी तीन प्रकारका कहा गया है ।

विवेचन—‘सम्यक्’ शब्दके आगे ‘भाव’ अर्थमे ‘त्व’ प्रत्यय होकर ‘सम्यक्त्व’ शब्द निष्पन्न हुआ है । सम्यक् शब्दका अर्थ प्रशंसा अथवा अविरोध है । तदनुसार प्रशस्त अथवा मोक्षके अविरोधी आत्मधर्मको सम्यक्त्वका स्वरूप समझना चाहिए । वह सम्यक्त्व कर्मरूप उपाधिके भेदसे तीन प्रकारका है—क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक । गाथामें जो ‘अपि (भी)’ शब्द प्रयुक्त हुआ है उससे यहाँ श्रावक धर्मका प्रकरण होनेसे उसके चारित्रिके भी इन तीन भेदोकी सूचना कर दी गयी है—अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षापद । प्रकृत गाथामें ही उस ‘अपि’ शब्दके आगे जो ‘च’ शब्दका भी उपयोग किया गया है वह सम्यक्त्वके अन्तर्गत अन्य अनेक भेदोका समुच्चायक है । जैसे उसके ये पांच भेद—उपशम, सासादन, क्षायोपशम, वेदक और क्षायिक; इत्यादि ॥४३॥

साप्रतं क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वमभिधित्सुराह—

मिच्छत्तं जमुदिन्नं तं खीणं अणुद्वयं<sup>१</sup> च उवसंतं ।

मीसीभावैपरिणयं वेयिज्जंतं<sup>३</sup> खओवसमं ॥४४॥

मिथ्यात्व नाम मिथ्यात्वमोहनीय कर्म तत् । यदुदीर्णं यदुद्भूतशक्ति, उदयावलिकाया व्यवस्थितमित्यर्थं । तत्क्षीण प्रलयमुपगतम् । अनुदितं च अनुदीर्णं चोपशान्तम् । उपशान्तं नाम विष्कम्भितोदयमपनीतमिथ्यात्वस्वभाव च, विष्कम्भितोदयं शेषमिथ्यात्वमपनीतमिथ्यात्वस्वभाव मदनकोद्भवोदाहरणत्रिपुञ्जिन्यायशोधित सम्यक्त्वमेव । गाह—इह विष्कम्भितोदयस्य मिथ्यात्व-स्थानुदीर्णता यक्ता, न पुनः सम्यक्त्वस्य, विपाकेन वेदनात् । उच्यते—सत्यमेतत्, किं त्वपनीत-मिथ्यात्वस्वभावत्वात्स्वरूपेणानुदयात्तस्याप्यनुदीर्णोपचार इति । यद्दानुदीर्णत्वं मिथ्यात्वरथैव युज्यते, न तु<sup>१</sup> सम्यक्त्वस्य । कथम् ? मिथ्यात्व यदुदीर्णं तत् क्षीणम् । अनुदीर्णमुपशान्तं चेति च-शब्दस्य

आगे गायामे निर्दिष्ट सम्यक्त्वके उन तीन भेदोमे क्षायोपशमिक सम्यक्त्वके स्वरूपका निर्देश किया जाता है—

जो मिथ्यात्व मोहनीय उदयको प्राप्त है वह क्षीण हो चुका और जो उदयको प्राप्त नहीं है व उपशान्त है, इस प्रकार मिश्रभाव—क्षय व उपशमरूप उभय अवस्था—मे परिणत होकर अनुभवमे भी जो आ रहा है उसका नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है ।

विवेचन—जो सम्यक्त्व अपने रोधक मिथ्यात्वके क्षयोपशमसे प्रादुर्भूत होता है वह क्षायो-पशमिक सम्यक्त्व कहलाता है । गायामे उस मिथ्यात्वके क्षयोपशमके स्वरूपको प्रकट करते हुए कहा गया है कि जो मिथ्यात्व उदयावलीमे प्रविष्ट है वह क्षयको प्राप्त हो चुका और अनुदित है—उदयावलीमे प्रविष्ट नहीं है वह उपशान्त है । उपशान्तका अर्थ है उदयका निरोध व उसके मिथ्यात्व स्वभाव—सम्यक्त्वके प्रतिबन्धक स्वरूप—का हट जाना । जिस प्रकार चक्कीमे दलनेसे कोदो ( एक नुच्छ धान्य ) के तीन भाग हो जाते हैं—भूसा, कण और चूरा, उसी प्रकार परिणाम विशेषसे उस मिथ्यात्वके भी तीन भाग हो जाते हैं—मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और मिश्र ( सम्यग्-मिथ्यात्व ) । इनमे जो मिथ्यात्व स्वभावको छोड़कर शुद्धिको प्राप्त होता हुआ प्रदेशरूपसे उदयको प्राप्त है वह सम्यक्त्व ही है । अभिप्राय यह है कि उदय प्राप्त मिथ्यात्वके क्षय, उदयमे नहीं प्राप्त हुए उसीके उपशम तथा मिथ्यात्व स्वभावसे रहित होकर प्रदेशोदयके रूपमें वर्तमान उसके उदय; इस प्रकारकी उस मिथ्यात्वकी अवस्थाका नाम क्षयोपशम है । इस क्षयोपशमके आश्रयसे होनेवाले सम्यक्त्वको क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहा जाता है । यहाँ यह शका हो सकती है कि जिस मिथ्यात्वका उदय रुका हुआ है उसे तो अनुदीर्ण कहना सगत है, किन्तु जो सम्यक्त्व विपाकरूपसे अनुभवमे आ रहा है उसे अनुदीर्ण कैसे कहा जा सकता है ? इसके समाधानमे कहा गया है कि यह ठीक है, परन्तु उसे जो अनुदीर्ण कहा गया है वह मिथ्यात्व स्वभावसे रहित होकर अपने स्वरूपसे उदयमे न आनेके कारण उपचारसे कहा गया है । वस्तुतः अनुदीर्ण तो मिथ्यात्वको ही कहना चाहिए, न कि सम्यक्त्वको । इस अभिप्रायके अनुसार गायामे सगतिको बैठते हुए टोकामे कहा गया है कि जो मिथ्यात्व उदीर्ण है वह क्षयको प्राप्त है और जो उदयको प्राप्त नहीं है वह उपशान्त है, इस प्रकार अनुदीर्ण एव उपशान्त मिथ्यात्वको सम्यक्त्व कहा गया है । तदनुसार

१ अ अणुदीय । २ अ मीसभाव । ३ अ वेयिज्जत । ४ अ 'न तु' अतोऽप्रे 'मिथ्यात्वमुपशान्तं च' पर्यन्त पाठो नोपलभ्यते ।

व्यवहितप्रयोगः । ततश्चानुदीर्णं मिथ्यात्वमुपशान्तं च सम्यक्त्वं परिगृह्यते । भावार्थं पूर्ववत् । तदेवं मिश्रीभावपरिणतं क्षयोपशमस्वभावमापन्नम् । वेद्यमानमनुभूयमानं मिथ्यात्वं प्रदेशानुभवेन सम्यक्त्वं विपाकेन क्षयोपशमाभ्यां निवृ[र्वृ]त्तमिति कृत्वा क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वमुच्यते । आह—इदं सम्यक्त्वमौदयिको भावः, मोहनोद्योदयभेदत्वात्, अतोऽप्युक्तमस्य क्षायोपशमिकत्वम् ? न, अभि-  
प्रायापरिज्ञानात्सम्यक्त्व हि सांसिद्धिकमात्मपरिणामरूपं ज्ञानवत्, न तु क्रोधादिवत् कर्माणुसंपर्कजम् । तथा हि—तावति मिथ्यात्वघटनपटले क्षीणे तथानुभवतोऽपि स्वच्छाभ्रकल्पान् सम्यक्त्वपरमाणून् तथाविधसवितृप्रकाशवत् सहज एवासौ तत्परिणाम इति । क्षायोपशमनिष्पन्नश्चायम्, तमन्तरेणा-  
भावात् न ह्युदीर्णक्षयादनुदीर्णोपशमव्यतिरेकेणास्य भावः । क्रोधादिपरिणामः पुनरुपधानसामर्थ्या-  
पादितस्फटिकमणिरक्षततावदसहज इति । आह—यदि परिणामः सम्यक्त्वं ततो मिश्रीभावपरिणतं वेद्यमानं क्षायोपशमिकमित्येतद्विरुध्यते मोहनोद्योदयोरेव मिश्रीभावपरिणतयोर्वेद्यमानत्वात् ? न विरुध्यते, तथाविधपरिणामहेतुत्वेन तयोरेव सम्यक्त्वोपचारात् । कृतं विस्तरेणेति ॥४४॥

क्षायोपशमिकानन्तरमौपशमिकमाह—

उवसमगंसेडिगयस्स होइ उवसामियं तु सम्मत्तं ।

जो वा अकयतिपुंजो अखवियमिच्छो लहइ सम्मं ॥४५॥

मिश्र अवस्थासे परिणत—क्षय व उपशम स्वभावको प्राप्त—एव वेद्यमान—प्रदेशानुभवसे अनुभूय-  
मान सम्यक्त्वको क्षय और उपशमसे निवृत्त होनेके कारण क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहा गया है ।  
यहाँ फिर यह शका होती है कि मोहनोद्योका उदयभेद होनेके कारण उस सम्यक्त्वको औदयिक  
भावके अन्तर्गत होना चाहिए, तब ऐसी अवस्थामें उसे क्षायोपशमिक कहना असंगत है । इसके  
उत्तरमें कहा गया है कि सम्यक्त्व ज्ञानके समान आत्माका परिणाम है, वह कुछ क्रोधादिके  
समान कर्मपरमाणुओके सम्पर्कसे नहीं उत्पन्न होता है । इसीलिए उसे औदयिक नहीं कहा जा  
सकता । जिस प्रकार सघन काले मेघसमूहके हट जानेपर कुछ स्वच्छ मेघोके रहते हुए भी सूर्यका  
कुछ स्वाभाविक प्रकाश फैला रहता है उसी प्रकार मिथ्यात्वके हट जानेपर सम्यक्त्वपरमाणुओका  
अनुभव होनेपर भी वह सम्यक्त्वरूप आत्माका स्वाभाविक परिणाम क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है,  
उदीर्णके क्षय और अनुदीर्णके उपशमरूप क्षयोपशमके बिना उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है । इससे  
भिन्न कर्मरूप उपाधिके सामर्थ्यसे उत्पन्न होनेवाले क्रोध आदि परिणाम स्वाभाविक नहीं हैं,  
किन्तु जपाकुसुम आदि उपाधिके आश्रयसे उत्पन्न होनेवाली स्फटिक मणिकी लालिमाके समान  
वे अस्वाभाविक हैं । यहाँ फिर यह शका होती है कि यदि सम्यक्त्व आत्माका परिणाम है तो  
उसे क्षायोपशमिक कहना असंगत है, क्योंकि मिश्रीभावपरिणत उक्त दोनों मोहनोद्योके भेद ही  
तो उसमें वेद्यमान है । इसके समाधानमें कहा गया है कि उस प्रकारके आत्मपरिणामके हेतु होनेसे  
उन दोनोंको ही उपचारसे सम्यक्त्व कहा गया है, अतः उसमें कुछ विरोध नहीं है ॥४३-४४॥

अब औपशमिक सम्यक्त्वका निरूपण करते हुए वह किसके होता है, यह आगेकी गाथामें  
दिखलाते हैं—

जो उपशम श्रेणिपर आरूढ है उसके औपशमिक सम्यक्त्व होता है, अथवा जिसने  
मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और उभय ( सम्यग्मिथ्यात्व ) रूपसे तीन पुंज नहीं किये है या मिथ्यात्वका  
क्षय नहीं किया है वह औपशमिक सम्यक्त्वको प्राप्त करता है ॥४५॥

उपशमकश्रेणिगतस्य औपशमिकीं श्रेणिमनुप्रविष्टस्य । भवत्यौपशमिकमेव सम्यक्त्वम् । तुरवधारणे । अनन्तानुबन्धिना दर्शनमोहनीयस्य चोपशमेन निर्वृत्तमिति कृत्वा औपशमिकम् । यो वा अकृतत्रिपुञ्जस्तथाविधपरिणामोपेतत्वात्सम्पद्मिथ्यात्वोभयानिर्वर्तितत्रिपुञ्ज एव । अक्षयित्-मिथ्यात्वोऽक्षीणमिथ्यात्वदर्शनः, क्षायिकव्यवच्छेदार्थमेतत् । लभते प्राप्नोति सम्यक्त्वम्, तदप्यौपशमिकमेवेति ॥४५॥

अमुमेवार्थं स्पष्टयन्नाह—

शीणंमि उद्भूतंमि अ अणुद्भूजते अ सेसमिच्छते ।

अतोमुद्भूतमित्तं उवसमसम्भं लहइ जीवो ॥४६॥

क्षीण एवोदीर्णं, अनुभवेनैव भुक्त इत्यर्थः । अनुदीर्यमाणे च मन्दपरिणामतया उदयम-गच्छति सति । कस्मिन् ? शेषमिथ्यात्वे, विष्कम्भितोदय इत्यर्थः । अन्तर्मुहूर्तमात्रं कालम्, तत् ऊर्ध्वं नियामकाभावेन नियमेन मिथ्यात्वप्राप्तेः । एतावन्तमेव कालमिति किम् ? औपशमिकं सम्यक्त्व लभते जीव इति ॥४६॥

इदमेव दृष्टान्तेन स्पष्टतरमभिधित्सुराह—

ऊसरदेसं दड्ढिल्लयं व विज्झाह वणदवो पप्प ॥

इय मिच्छस्साणुदए उवसमसम्भं लहइ जीवो ॥४७॥

ऊपरदेशं ऊपरविभागम् । ऊपर नाम यत्र तृणादेरसंभवः । दग्धं वा पूर्वमेवाग्निना । विधायति वनदवो दावानलः प्राप्य । कुतः ? तत्र दाह्याभावात् । एष दृष्टान्तोऽप्यसर्थोपनयः—

औपशमिक सम्यक्त्व कब और कितने कालके लिए होता है, यह आगे स्पष्ट किया जाता है—

उदयावलीमे प्रविष्ट मिथ्यात्वके क्षीण हो जाने और शेष मिथ्यात्वके उदयको न प्राप्त होने-पर जीव अन्तर्मुहूर्त मात्र काल तक उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करता है ॥४६॥

आगे औपशमिक सम्यक्त्वको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता है—

जिस प्रकार ऊपर—तृणादिकी उत्पत्तिके अयोग्य—अथवा जले हुए प्रदेशको पाकर दावानल स्वयं बुझ जाता है उसी प्रकार मिथ्यात्वके उदयाभावमे जीव उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करता है ॥४७॥

विवेचन—चार अनन्तानुबन्धी कषायो और दर्शनमोहनीयका उपशम होनेपर जो तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप सम्यक्त्व प्रादुर्भूत होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहा जाता है । वह उपशम श्रेणिपर आरूढ हुए जीवके होता है । गा ४५ में जो 'तु' शब्दको ग्रहण किया गया है उससे यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि उपशम श्रेणिमे वह औपशमिक ही सम्यक्त्व होता है, न क्षायिक व क्षायोपशमिक । इसके अतिरिक्त जिस जीवने उस प्रकारके परिणामसे युक्त होनेके कारण दर्शन-मोहनीयके सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और उभय ( सम्यग्मिथ्यात्व ) रूप तीन खण्ड नहीं किया है और मिथ्यात्वका क्षय भी नहीं किया है उसके भी वह औपशमिक सम्यक्त्व होता है । मिथ्यात्वका क्षय-कर देनेपर क्षायिक सम्यक्त्व होता है, न कि औपशमिक । अतः उस क्षायिक सम्यक्त्वकी व्यावृत्ति-के लिए यहाँ 'जिसने मिथ्यात्वका क्षय नहीं किया है' इतना विशेष कहा गया है । यह सम्यक्त्व उस अवस्थामे होता है जब कि उदयावलीमे प्रविष्ट मिथ्यात्वका अनुभवपूर्वक क्षय हो जाता है तथा शेष मिथ्यात्व उदयमे नहीं रहता है । काल उसका अन्तर्मुहूर्त मात्र है । कारण इसका यह

इय एवं तथाविधपरिणामात् मिथ्यात्वस्यानुदये सति औपशमिकं सम्यक्त्वं लभते जीव इति । वनदवकल्पं ह्यत्र मिथ्यात्वम्, ऊषरादिदेशस्थानीयं तथाविधपरिणामकण्डकमिति । आह—क्षायोपशमिकादस्य को विशेष इति उच्यते—तत्रोपशान्तस्यापि मिथ्यात्वस्य प्रदेशानुभवोऽस्ति, न त्वौपशमिके । अन्ये तु व्याचक्षते—श्रेणिमध्यवर्तिन्येवौपशमिके प्रदेशानुभवो नास्ति, न तु द्वितीये; तथापि तत्र सम्यक्त्वाण्वनुभवाभाव एव विशेष इति ॥४७॥

औपशमिकानन्तरं क्षायिकमाह—

क्षीणे दंसणमोहे तिविहंमि वि भवनियाणभूर्यमि ।

निप्पच्चवायमउलं सम्मत्तं खाइयं होइ ॥४८॥

क्षपकश्रेणिमनुप्रविष्टस्य सतः क्षीणे दर्शनमोहनीये एकान्तेनैव प्रलयमुपगते । त्रिविधेऽपि मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्व-सम्यक्त्वभेदभिन्ने । किंविशिष्टे ? भवनिदानभूते भवन्त्यस्मिन् कर्मवशवर्तिनः प्राणिन इति भवः संसारस्तत्कारणभूते । निःप्रत्यपायम् । अतिचारापायरहितम् । अतुलमनन्यसदृशम्, आसन्नतया मोक्षकारणत्वात् । सम्यक्त्वं प्राङ्निरूपितशब्दार्थं क्षायिक भवति, मिथ्यात्वक्षयनिबन्धनत्वात् इति ॥४८॥

है कि अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् नियामक न होनेसे जीव नियमसे मिथ्यात्वको प्राप्त हो जाता है । उक्त औपशमिक सम्यक्त्वको स्पष्ट करते हुए यहाँ यह दृष्टान्त दिया गया है कि जिस प्रकार ऊषर देशको अथवा पूर्वमे जले हुए भूमिप्रदेशको पाकर वनाग्नि दाह्य तृणादिके अभावमे स्वयमेव शान्त हो जाती है उसी प्रकार ऊषर देश जैसे परिणामको पाकर मिथ्यात्वरूप वनाग्निके उपशान्त हो जानेपर जीव औपशमिक सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । पूर्वोक्त क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमे उपशमको प्राप्त हुए मिथ्यात्वका प्रदेशोदय रहता है, परन्तु प्रकृत औपशमिक सम्यक्त्वमे वह नहीं रहता, यह इन दोनोंमे विशेषता है, अन्य आचार्योंकी व्याख्याके अनुसार उस उपशान्त मिथ्यात्वका प्रदेशोदय केवल उपशम श्रेणिके मध्यवर्ती औपशमिक सम्यक्त्वमे नहीं रहता है, किन्तु द्वितीय औपशमिकमे वह रहता ही है । फिर भी उसमे सम्यक्त्व परमाणुओके अनुभागका अभाव विशेष ही हुआ करता है ॥४५-४७॥

आगे क्रमप्राप्त क्षायिक सम्यक्त्वके स्वरूपका निर्देश किया जाता है—

संसारके कारणभूत तीनों ही प्रकारके दर्शन मोहके क्षयको प्राप्त हो जानेपर अपाय रहित ( निर्बाध ) अनुपम क्षायिक सम्यक्त्व होता है ।

विवेचन—संसारपरिभ्रमणका कारण दर्शनमोहनीय कर्म है । कारण यह कि सम्यक्त्वका विघातक होनेसे वह जीवको सत्-असत् व हेय-उपादेयका विवेक प्रकट नहीं होने देता । गाथामे संसारका पर्यायवाची भव शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'भवन्ति अस्मिन् कर्मवशवर्तिनः प्राणिनः इति भवः' इस निरुक्तिके अनुसार जिसमें प्राणी कर्मके वशीभूत हुआ करते हैं उसका सार्थक नाम भव है । उक्त दर्शनमोहनीय मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके भेदसे तीन प्रकारका है । क्षपकश्रेणिपर आरूढ हुए जीवके जब यह तीनों प्रकारका दर्शन मोहनीय कर्म सर्वथा विलीन हो जाता है तब उसके प्रकृत क्षायिक सम्यक्त्व प्रादुर्भूत होता है । यह निर्मल सम्यक्त्व सब प्रकारकी विघ्न-बाधाओसे रहित होकर मोक्षका निकटवर्ती कारण है, इसीलिए उसे अतुल ( अनुपम ) कहा गया है । गाथामे यद्यपि सामान्यसे इतना मात्र कहा गया है कि तीनों प्रकारके दर्शनमोहके

क्षायिकानन्तर कारकाद्याह—

जं जह भणियं तं तह करेइ सइ जंमि कारगं तं तु ।

रोयगसम्मत्तं पुण रुइमित्तरं मुणेयव्वं ॥४९॥

यद्यथा भणितं सूत्रेऽनुष्ठानं तत्तथा करोति सति यस्मिन् । सम्यग्दर्शने परमशुद्धिरूपे । कारकं तत्तु कारयतीति कारकम् । रोचकसम्यक्त्वेष पुनः रुचिमात्रकरं मुणितव्यम्, विहितानुष्ठाने तथाविधशुद्धचभावात्, रोचयतीति रोचकम् ॥४९॥

सयमिह मिच्छद्दिट्ठी <sup>१</sup>धम्मकहाईहि दीवइ परस्स ।

सम्मत्तमिणं दीवग कारणफलभावओ नेयं ॥५०॥

स्वयमिह <sup>२</sup>मिथ्यादृष्टिरभव्यो भव्यो वा कश्चिद्द्वारमर्दकवत् । अथ च धर्मकथादिभिर्धर्मकथया मातृस्थानानुष्ठानेनातिशयेन वा केनचिद्दीपयतीति प्रकाशयति । परस्य श्रोतुः । सम्यक्त्वमिदं व्यञ्जकम् । आह—मिथ्यादृष्टेः सम्यक्त्वमिति विरोधः । सत्यम्, किन्तु कारणफलभावतो ज्ञेयं तस्य हि मिथ्यादृष्टेरपि यः परिणामः स खलु प्रतिपत्तसम्यक्त्वस्य कारणभावं प्रतिपद्यते तैर्द्वावभावित्वात्तस्य, अतः कारणे एव कार्योपचारात्सम्यक्त्वाविरोधः यथायुध<sup>३</sup>तमिति ॥५०॥

क्षोण हो जानेपर क्षायिक सम्यक्त्व होता है । पर उसकी व्याख्या करते हुए हरिभद्र सूत्रिने इतना विशेष कहा है कि क्षपक श्रेणिमे प्रविष्ट होते हुए जीवके दर्शनमोहनीयका क्षय होनेपर वह क्षायिक सम्यक्त्व होता है । षट्खण्डागम ( १, १, १४५—पु. १, पृ ३९६ ), सर्वार्थसिद्धि ( १-८ ) और तत्त्वार्थवार्तिक ( ९, ७, १२ ) आदिमे इस क्षायिक सम्यक्त्वका सद्भाव चतुर्थ असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली ( चौदहवें ) गुणस्थान तक बतलाया गया है ॥४८॥

अब पूर्वनिर्दिष्ट ( ४३ ) कारकादि सम्यक्त्व भेदोमे कारक और रोचक इन दोका स्वरूप कहा जाता है—

जिस सम्यक्त्वके होनेपर प्राणी आगममें जिस अनुष्ठानको जैसा कहा गया है उसे उसी प्रकारसे करता है उसका नाम कारक सम्यक्त्व है । अभिप्राय यह है कि जो सम्यक्त्व 'कारयतीति कारकम्' इस निरुक्तिके अनुसार आगमविहित अनुष्ठानको उसी रूपमे कराता है उसे कारक सम्यक्त्व कहते हैं । रोचक सम्यक्त्वको रुचिमात्र करनेवाला जानना चाहिए । इसका अभिप्राय यह है कि आगमविहित अनुष्ठानके करनेमे जीव यद्यपि उस प्रकार की बुद्धिके अभावमे असमर्थ होता है, तो भी इस सम्यक्त्वके होनेपर उसके उक्त अनुष्ठान-विषयक रुचि अवश्य रहती है । इससे उसका 'रोचक' यह सार्थक हो नाम है ॥४९॥

आगे दीपक सम्यक्त्वका स्वरूप कहा जाता है—

प्राणी यद्यपि स्वयं मिथ्यादृष्टि है, फिर भी वह धर्मकथा आदिके द्वारा दूसरेके सम्यक्त्वको प्रकाशित करता है, ऐसे सम्यक्त्वको कारण-कार्यभावसे दीपक जानना चाहिए ।

विवेचन—इसका अभिप्राय यह है कि कोई जीव यद्यपि भव्य या अभव्य होकर स्वयं मिथ्यादृष्टि होता है फिर भी वह धर्मचर्चाके आश्रयसे, माता जैसे विशिष्ट अनुष्ठानसे अथवा किसी अतिशय विशेषसे दूसरेके सम्यक्त्वको प्रकट करता है । उसकी इस प्रकारकी परिणतिको कारणमें

१. अधम्मकहादीहि । २. अ मिथ्यादृष्टिरभव्यो वा । ३. अ<sup>०</sup>ते ताहि भावित्वात्तस्य ।

समस्तस्यैव भावार्थमुपदर्शयति—

तच्चिह्नखओवसमओ तेसिमणूणं अभावओ चैव ।

एवं विचित्तरूवं सनिर्वधणमो मुणैयव्वं ॥५१॥

तद्विधक्षयोपशमतस्तेषामणूनाम्, मिथ्यात्वाणूनामित्यर्थः । अभावतश्चैव तेषामेवेति वर्तते । एव विचित्ररूपं क्षायोपशमिकादिभेदेनेति भावः । सनिर्वधनमेव सकारणं मुणितव्यम् । तथाहि— त एव मिथ्यात्वपरमाणवस्तथाविधात्मपरिणामेन क्वचित्तथा शुद्धिमापद्यन्ते यथा क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वं भवति, तत्रापि क्वचित्सातिचारं कालापेक्षया, क्वचिन्निरतिचारम्, अपरे तथा यथोपशमिक, क्षयादेव क्षायिकमिति ॥५१॥

अपरेऽप्यस्य भेदाः संभवन्तीति कृत्वा तानपि सूचयन्नाह—

किं चेहुवाहिभेया दसहावीमं परूवियं समए ।

ओहेण तंपिमेसिं भेयाणमभिन्नरूवं तु ॥५२॥

किं चेहोपाधिभेदादाज्ञादिविशेषणभेदादित्यर्थः । दशधापीदं दशप्रकारमप्येतत्सम्यक्त्वं प्ररूपितं समये आगमे । यथोक्तं प्रज्ञापनायाम्—

निसग्गुवएसरुई आणरुई सुत्तवीयरुइमेव ।

अभिगमवित्थाररुई किरियासखेवधम्मरुई ॥

कार्यका उपचार करके दीपक सम्यक्त्व कहा गया है । लोकव्यवहारमे धोको आयु इसीलिए कहा जाता है कि वह उस आयुकी स्थिरताका कारण है, स्वयं आयु नहीं है । यही अभिप्राय इस दीपक सम्यक्त्वके विषयमे भी समझना चाहिए ॥५०॥

आगे इस सभीके आशयको दिखलाते हैं—

उन मिथ्यात्व परमाणुओके उस प्रकारके अभावसे भी इस प्रकारके विचित्र स्वरूपवाले उस सम्यग्दर्शनको सकारण ही जानना चाहिए । अभिप्राय यह है कि जीवके उस जातिके परिणाम विशेषसे मिथ्यात्व मोहनीयके परमाणु किसीके इस प्रकारकी शुद्धिको प्राप्त होते हैं कि जिसके आश्रयसे सातिचार अथवा निरतिचार क्षायोपशमिक सम्यक्त्व प्रादुर्भूत होता है । तथा किसीके औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है । उनके ही क्षयसे किन्हींके क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है ॥५१॥

आगे इस सम्यक्त्वके जो अन्य भेद भी सम्भव हैं उनकी सूचना की जाती है—

उपर्युक्त भेदोके अतिरिक्त उपाधिके भेदसे इस सम्यक्त्वको आगममे दस प्रकारका भी कहा गया है । वह भी सामान्यसे पूर्वोक्त क्षायोपशमिकादि भेदोसे अभिन्न स्वरूपवाला है—उनसे भिन्न नहीं है, उन्हीके अन्तर्गत है ।

विवेचन—प्रज्ञापना ( गा. ११५ ) व उत्तराध्ययन ( २८-१६ ) आदि आगम ग्रन्थोमे दर्शनआर्यके प्रसंगमे सम्यक्त्वके उपर्युक्त क्षायोपशमिकादि व कारकादि भेदोके अतिरिक्त अन्य दस भेद भी निर्दिष्ट किये गये हैं । उनको पूर्वोक्त भेदोसे भिन्न नहीं समझना चाहिए—वे यथा-

१. अ सुणिवधणमो । २. अ क्षायोपशमकास्तेषां । ३. अ किं चेहुवायभेया दसहावि सपरूविह सम ए ।

४. अ प्रज्ञापनाया आणारुइसुत्तर इत्यादि । निसग्गुव ।



आह—तदेवेह कस्मान्नोक्तमिति । उच्यते—ओघेन सामान्येन तदपि दशप्रकारममीषां भेदानां क्षायोपशमिकादीनामभिन्नरूपमेव, एतेषामेव केनचिद्भेदेन भेदात् । संक्षेपारम्भश्चायम्, अतो न तेषामभिधानमिति ॥५२॥

सम्भव उक्त क्षायोपशमिकादि भेदोमे-से किसी-किसीके अन्तर्गत हो सकते हैं । प्रकृत ग्रन्थके सश्रिप्त होनेके कारण उन दस भेदोका निरूपण यहाँ नहीं किया गया है । वे दस भेद ये हैं—निसर्गरुचि, उपदेशरुचि, आज्ञारुचि, सूत्ररुचि, बीजरुचि, अभिगमरुचि, विस्ताररुचि, क्रियारुचि, सक्षेपरुचि और धर्मरुचि । इनका स्वरूप क्रमशः इस प्रकार है—(१) जो परमार्थ स्वरूपसे जाने गये जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आसन्न और सवरके विषयमें आत्मसम्मतमतिसे—परोपदेश निरपेक्ष जाति-स्मरणादिरूप प्रतिभासे—रुचि या श्रद्धा करता है वह निसर्गदर्शन आर्य कहलाता है । प्रकारान्तरसे भी इसके लक्षणमे यह कहा गया है कि जो जिनदृष्ट चार प्रकारके पदार्थोंके विषयमे 'वह इसी प्रकारका है, अन्यथा नहीं है' ऐसा श्रद्धान करता है उसे निसर्गरुचि दर्शन आर्य जानना चाहिए । यह लक्षण प्रज्ञापना व उत्तराध्ययनके अनुसार निर्दिष्ट किया गया है । तत्त्वार्थाधिगम-भाष्य ( १-३ ) मे निसर्गसम्यग्दर्शनके स्वरूपको दिखलाते हुए कहा गया है कि जीव स्वकृत कर्मके वश अनादिकालसे चतुर्गतिस्वरूप ससारमे परिभ्रमण करता हुआ अनेक प्रकारसे पुण्य-पापके फलका अनुभव कर रहा है, ज्ञान-दर्शनोपयोगरूप स्वभाववाले उसके उन-उन परिणामाध्यवसायस्थानान्तरोको प्राप्त होते हुए अनादि मिथ्यादृष्टि होनेपर भी परिणामविशेषसे उस प्रकारका अपूर्वकरण होता है कि जिससे बिना किसी प्रकारके उपदेशके सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है, उसके इस सम्यग्दर्शनका नाम ही निसर्गसम्यग्दर्शन है । तत्त्वार्थवातिक ( १, ३, ८ ) में कहा गया है कि जिस प्रकार कुरुक्षेत्रमे कही पर बाह्य पुरुषप्रयत्नके बिना ही सुवर्ण उत्पन्न होता है उसी प्रकार बाह्य पुरुषके उपदेशपूर्वक जो जीवादि पदार्थोंका अधिगम होता है उसके बिना ही जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे निसर्गसम्यग्दर्शन कहते हैं । (२) अन्य किसी छद्मस्थ या जिनके द्वारा उपदिष्ट जीव-अजीवादि पदार्थोंका जो श्रद्धान करता है उसे उपदेशरुचि जानना चाहिए । तत्त्वार्थवातिक ( ३-३६ ) के अनुसार तीर्थंकर और बलदेव आदिके चरितके उपदेशके आश्रयसे जिनके तत्त्वश्रद्धा उत्पन्न होती है उन्हें उपदेशरुचि दर्शनआर्य कहा जाता है । (३) जिसका राग, द्वेष, मोह व अज्ञान हट चुका है तथा जिसके जिनवाणीके आश्रयसे तत्त्वविषयक रुचि प्रादुर्भूत हुई है उसका नाम आज्ञारुचि है । (४) जो सूत्रका अध्ययन करता हुआ अंगश्रुतसे अथवा बाह्यश्रुतसे सम्यक्त्वका अवगाहन करता है उसे सूत्ररुचि जानना चाहिए । (५) एक पदके आश्रयसे जिसका सम्यक्त्व—तत्त्वरुचि—पानीमें डाले गये एक तेलबिन्दुके समान अनेक पदोमे फैलती है उसे बीजरुचि कहा जाता है । (६) जिसने अर्थस्वरूपसे ग्यारह अंग, प्रकीर्णक और दृष्टिवादरूप श्रुतज्ञानको देख लिया है—अभ्यस्त कर लिया है—उसे अभिगमरुचि कहते हैं । (७) अग-पूर्व श्रुतके विषयभूत जीवादि पदार्थ विषयक प्रमाण-नयादिके आश्रयसे विस्तारपूर्वक किये जानेवाले निरूपणसे जिन्हे श्रद्धान प्राप्त हुआ है वे विस्ताररुचि दर्शन आर्य कहलाते हैं ( त वा. ३, ३६, २ ) । (८) दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय और तपविनयके विषयमें तथा समिति व गुप्तियोंके विषयमे जो अन्त.करणपूर्वक अनुष्ठानविषयक रुचि होती है उसका नाम क्रियारुचि है । (९) अनभिगृहीत मिथ्यादृष्टिको सक्षेपरुचि जानना चाहिए । वह प्रवचनमे विशारद ( कुशल ) न होकर शेष मिथ्यामतोके विषयमें अनभिगृहीत होता है—उनके आश्रयसे मिथ्यात्वको नहीं ग्रहण करता है । (१०) जो जिनप्रणीत श्रुतधर्म, अस्तिकायधर्म, और चारित्रधर्मका श्रद्धान करता है उसे धर्मरुचि जानना चाहिए ॥५२॥

इदं च सम्यक्त्वमात्मपरिणामरूपत्वाच्छब्दस्थेन दुर्लक्ष्यमिति लक्षणमाह—

तं उवसमसंवेगाइएहि लक्खिज्जई उवाएहिं ।

आयपरिणामरूपं वज्झेहिं पसत्थजोगेहिं ॥५३॥

तत्सम्यक्त्वमुपशमसंवेगादिभिरिति — उपशास्त्ररूपशमः, संवेगो मोक्षाभिलाषः, आदिशब्दा-  
न्निर्वेदानुकम्पास्तिक्यपरिग्रहः । लक्ष्यते चिह्न्यते एभिरुपशमादिभिर्बाह्यैः प्रशस्तयोगैरिति सबन्धः ।  
बाह्यवस्तुविषयत्वाद्बाह्याः, प्रशस्तयोगाः शोभनव्यापारास्तैः । किंविशिष्टं तत्सम्यक्त्वम् ? आत्म-  
परिणामरूपं जीवधर्मरूपमिति ॥५३॥ तथा चाह—

इत्थं य परिणामो खलु जीवस्स सुहो उ होइ विन्नेओ ।

किं मलकलंकमुकं कणगं भुवि सामलं होइ ॥५४॥

अत्र च सम्यक्त्वे सति । किम् ?, परिणामोऽध्यवसायः । खलुशब्दोऽवधारणार्थः—जीवस्य  
शुभ एव भवति विज्ञेयो न त्वशुभः । अथवा किमत्र चित्रमिति ? प्रतिवस्तूपमामाह—किं  
मलकलङ्करहितं कनकं भुवि ध्यामलं भवति ? न भवतीत्यर्थः । एवमत्रापि मलकलङ्कस्थानीयं  
प्रभूतं विलष्टं कर्म, ध्यामलत्वतुल्यस्त्वशुभपरिणामः, स प्रभूते विलष्टे कर्मणि क्षीणे जीवस्य न  
भवति ॥५४॥

प्रशमादीनामेव बाह्ययोगत्वमुपदर्शयन्नाह—

आगे दुर्लक्ष्य आत्मपरिणामरूप उस सम्यक्त्वके अनुमापक कुछ चिह्नोका निर्देश किया  
जाता है—

आत्मपरिणामस्वरूप वह सम्यक्त्व बाह्य प्रशस्त व्यापाररूप उपशम व सवेग आदि  
उपायोसे लक्षित होता है—जाना जाता है ॥५३॥

इसे स्पष्ट करते हुए आगे उसके कारणका निर्देश किया जाता है—

कारण इसका यह है कि इस सम्यक्त्वके होनेपर जीवका परिणाम ( व्यापार या आचरण )  
उत्तम ही होता है—निन्द्य आचरण उसका कभी नहीं होता है । सो ठीक भी है, क्या लोकमे  
कभी मल-कलंक—कीट-कालिमासे रहित सुवर्णं मलिन हुआ है ? नहीं ।

विवेचन—प्रकृत सम्यक्त्व अतीन्द्रिय आत्माका परिणाम है, अतः छद्मस्थके लिए उसका  
परिज्ञान नहीं हो सकता । इससे यहाँ उसके परिचायक कुछ बाह्य चिह्नोका निर्देश किया गया  
है । वे चिह्न ये हैं—प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य । ये सब बाह्य प्रवृत्ति रूप हैं ।  
जिस जीवके उक्त सम्यक्त्व प्रादुर्भूत हो जाता है उसकी बाह्य प्रवृत्ति प्रशस्त होती है, वह कभी  
निन्द्य आचरण नहीं करता । इसीसे उक्त प्रशम-सवेगादिरूप प्रवृत्तिको देखकर उसके आश्रयसे  
किसीके उस सम्यक्त्वका अनुमान किया जा सकता है । इनके होते हुए वह सम्यक्त्व ही भी  
सकता है और कदाचित् नहीं भी हो सकता है, पर इनके बिना उस सम्यक्त्वका अभाव सुनिश्चित  
समझना चाहिए । कारण इसका यह है कि वैसी प्रवृत्ति अन्तःकरण पूर्वक न होकर कदाचित्  
कपटसे भी की जा सकती है ॥५४॥

आगे उन प्रशमादिकोके स्वरूपका निरूपण करते हुए प्रथमतः प्रशमके स्वरूपको प्रकट  
किया जाता है—

पयईह व कम्माणं वियाणिउं वा विवागमसुहं ति ।

अवरद्धे वि न कुप्पइ उवसमओ सन्वकालं पि ॥५५॥

प्रकृत्या वा सम्यक्त्वानुवेदकजीवस्वभावेन वा । कर्मणां कषायनिवन्धनानाम् । विज्ञाय वा विपाकमशुभमिति । तथाहि—कषायाविष्टोऽन्तमुहूर्तेन यत्कर्म वर्धनाति तदनेकाभिः सागरोपमकोटा-कोटिभिरपि दुःखेन वेदयतीत्यशुभो विपाकः, एतत् ज्ञात्वा, किम् ? अपराद्धयेऽपि न कुप्यति अपराध्यत इति अपराध्यः प्रतिकूलकारी, तस्मिन्नपि कोपं न गच्छत्युपशमतः उपशमेन हेतुना । सर्वकालमपि यावत्सम्यक्त्वपरिणाम इति ॥५५॥ तथा—

नरविबुधेश्वरसुखं दुःखं चिय भावओ य मन्नंतो<sup>३</sup> ।

संवेगओ न सुखं सुत्तणं किंचि पत्थेइ ॥५६॥

नर-विबुधेश्वरसौख्य चक्रवर्तीन्द्रसौख्यमित्यर्थः । अस्वाभाविकत्वात् कर्मजनितत्वात्साव-सानत्वाच्च दुःखमेव । भावतः परमार्थतो मन्यमानः । संवेगतः संवेगेन हेतुना । न मोक्षं स्वाभा-विकजीवरूपमकर्मजमपर्यवसानं<sup>४</sup> मुक्त्वा किञ्चित्प्रार्थयतेऽभिलषतीति ॥५६॥

सम्यक्त्वसे विभूषित जीव उपशम ( प्रशम ) के आश्रयसे स्वभावतः अथवा कर्मोंके अशुभ विपाकको जानकर सदा अपराधी प्राणीके ऊपर भी क्रोध नहीं किया करता है ।

विवेचन—सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेनेपर जीवका स्वभाव इस प्रकारका हो जाता है कि यदि कोई प्राणी प्रतिकूल होकर उसका अनिष्ट भी करता है तो भी वह उसके ऊपर कभी क्रोध नहीं करता । ऐसे समयमें वह यह भी करता है कि क्रोधादि कषाय ही तो कर्मबन्धके कारण हैं । कषायके वशीभूत होकर प्राणी अन्तर्मुहूर्तमें जिस कर्मको बांधता है उसके फलको वह अनेक कोडाकोडी सागरोपम काल तक कष्टके साथ सहता है । इस प्रकार कर्मके अशुभ फलको जानकर वह अपराध करनेवालेके ऊपर भी जब क्रोध नहीं करता है तब भला वह निरपराध प्राणीके ऊपर तो क्रोध कर ही कैसे सकता है ? इस प्रकारसे जो सम्यक्त्वके प्रभावसे उसके क्रोधादि कषायोकी स्वभावतः उपशान्ति होती है उसीका नाम प्रशम है ॥५५॥

अब क्रमप्राप्त संवेगका स्वरूप कहा जाता है—

सम्यग्दृष्टि जीव संवेगके निमित्तसे चक्रवर्ती और इन्द्रके सुखको भी यथार्थमें दुःख ही मानता है । इसीसे वह मोक्षको छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं चाहता है ।

विवेचन—यथार्थ सुख उसे ही कहा जा सकता है जहाँ कुछ भी आकुलता न हो । चक्रवर्ती और इन्द्र आदिका सुख स्थायी नहीं है—विनश्वर है, अतः वह आकुलतासे रहित नहीं हो सकता । इसीलिए सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्र व चक्रवर्ती आदिके सातावेदनीयजन्य उस सुखको विनश्वर व पापका मूल जानकर दुःख ही मानता है । वास्तविक सुख परावलम्बनके बिना होता है । कर्मोदयके बिना प्राप्त होनेवाला स्वाधीन व शाश्वतिक वह सुख मोक्षमें ही सम्भव है । अतएव सम्यग्दृष्टि जीव क्षणनश्वर, पराधीन व परिणाममें दुःखोत्पादक सासारिक सुखकी अभिलाषा न करके निर्बाध व शाश्वतिक सुखके स्थानभूत मोक्षकी ही अभिलाषा करता है । इस मोक्षको अभिलाषाका नाम ही संवेग है जो उस सम्यक्त्वके प्रकट होनेपर स्वभावतः होता है ॥५६॥

१ अ पद्धी इव । २ अ अविद्धे । ३ अ उ । ४ अ मकर्मजपर्यवसाना ( अत्र 'मुक्त्वा किंचि' इत्यतोऽप्रे ५७ तमगाथाया' टीकान्तर्गत 'सर्वेष्वेव निर्वेश' पर्यन्त पाठ स्वलितोऽस्ति ) ।

नारयतिरियनरामरभवेसु निव्वेयओ वसइ दुक्खं ।

अक्यपरलोयमग्गो ममत्तविसवेगरहिओ वि ॥५७॥

नारक-तिर्यङ्नरामरभवेषु सर्वेष्वेव । निर्वेदतो निर्वेदेन कारणेन वसति दुःखम् । किंविशिष्टः सन् ? अकृतपरलोकमार्गः अकृतसदनुष्ठान इत्यर्थः । अथ हि जीवलोकं परलोकानुष्ठानमन्तरेण सर्वमेवासारं मन्यते इति । ममत्वविषयवेगरहितोऽपि तथा ह्ययं प्रकृत्या निर्ममत्व एव भवति, विदिततत्त्वत्वादिति ॥५७॥ तथा—

दट्ठूण पाणिनिवहं भीमे भवसागरंमि दुक्खत्तं ।

अविसेसओ णुकुपं दुहावि सामत्थओ कुणइ ॥५८॥

दृष्ट्वा प्राणिनिवहं जीवसंघातम् । क्व ? भीमे भयानके । भवसागरे संसारसमुद्रे । दुःखात् शरीर-मानसैर्दुःखैरभिभूतमित्यर्थः । अविशेषतः सामान्येनात्मीयेतरविचाराभावेनेत्यर्थः । अनुकम्पां दयाम् द्विधापि द्रव्यतो भावतश्च—द्रव्यतः प्राशुकपिण्डादिदानेन, भावतो मार्गयोजनया । सामर्थ्यतः स्वशक्त्यनुरूपं करोतीति ॥५८॥

सन्नइ तमेव सच्चं निस्संकं जं जिणेहि पन्नत्तं ।

सुहपरिणामो सव्वं कंक्खाइविसुत्तियारहिओ ॥५९॥

आगे निर्वेदका स्वरूप कहा जाता है—

ममत्तरूप विषयके वेगसे रहित भी प्राणी परलोकके मार्गको न करके—उत्तम परलोकके कारणभूत सदाचरणको न करके निर्वेदके आश्रयसे नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव पर्यायोमे दुःखपूर्वक रहता है ।

विवेचन—नारक, तिर्यंच और कुमानुष अवस्थाका नाम निर्वेद है (दशवे. निर्युक्ति २०३) । तत्त्वार्थाधिगमभाष्यकी सिद्धसेन गणि विरचित वृत्ति (१-३) के अनुसार विषयोमे जो अनासक्ति होती है उसे निर्वेद कहा गया है । यहीपर आगे (७-७) पुनः यह कहा गया है कि शरीर, भोग, संसार और विषयोसे जो विमुखता, उद्वेग अथवा विरक्ति होती है उसका नाम निर्वेद है । प्रकृत गाथाका अभिप्राय यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव निर्वेदके आश्रयसे नारक आदि भवोमे दुःखपूर्वक रहता है । वह ममत्वभावसे रहित होता हुआ भी यद्यपि उत्तम परलोकके योग्य आचरण नहीं कर पाता है, फिर भी वह उन्हे कष्टकर मानता है व उनको ओरसे विमुख रहता है ॥५७॥

आगे अनुकम्पाके स्वरूपको दिखलाते हैं—

सम्यग्दृष्टि जीव भयानक संसाररूप समुद्रमे दुःखोसे पीड़ित प्राणिसमूहको देखकर बिना किसी विशेषताके—समानरूपसे—यथाशक्ति द्रव्य व भावके भेदसे दोनों प्रकारकी अनुकम्पाको करता है । अभिप्राय यह है कि चारो गतियोमे परिभ्रमण करते हुए प्राणी अनेक प्रकारके शारीरिक व मानसिक दुःखोसे पीड़ित रहते हैं । उन्हे इस प्रकार दुःखी देखकर सम्यग्दृष्टि जीव स्वभावतः उनके दुःखको अपना समझता हुआ यथायोग्य उन्हे प्रासुक भोजनादि देकर जहाँ द्रव्यसे अनुकम्पा करता है वहाँ उन्हे सन्मार्गमे लगाकर वह भावसे भी अनुकम्पा करता है । यह अनुकम्पाका कार्य वह अपना व परका भेद न करके सभीके प्रति समान रूपसे करता है । उपर्युक्त प्रशमादिकके समान यह भी उसके सम्यक्त्वका परिचायक है ॥५८॥

१. अ तथा प्र° । २. अ तत्त्वादिति । ३. अ विसोत्तियारहिठ ।

मन्यते प्रतिपद्यते । तदेव सत्यं निःशङ्कं शङ्कारहितम् । यज्जिनैः प्रज्ञप्तं यत्तीर्थंकरैः प्रतिपादितम् । शुभपरिणामः सन् साकल्येनानन्तरोदितसमस्तगुणान्वितः । सर्वं समस्त मन्यते, न तु किञ्चिन्मन्यते किञ्चिन्नेति; भगवत्यविश्वासायोगात् । पुनरपि स एव विशिष्यते । किंविशिष्टः सन् ? कांक्षादिविश्रोतसिकारहितः काक्षा अन्योन्यदर्शनग्राह इत्युच्यते, आविशब्दाद्विचिकित्सापरिग्रहः, विश्रोतसिका तु संयम-शस्यमङ्गोक्त्याध्यवसायसलिलस्य विश्रोतो गमनमिति ॥५९॥

उपसंहरन्नाह—

एवंविधपरिणामो सम्मद्दिष्टी जिणेहि पन्नत्तो ।

एसो य भवसमुद्दं लंघइ थोवेण कालेण ॥६०॥

एवंविधपरिणाम इत्यनन्तरोदितप्रज्ञमादिपरिणामः । सम्यग्दृष्टिजिनैः प्रज्ञप्त इति प्रकटार्थः । अस्यैव फलमाह—एष च भवसमुद्गं लंघयति अतिक्रामति । स्तोकेन कालेन, प्राप्तवीजत्वाद्बुद्धकृष्टतोऽप्युपार्धपुद्गलपरावर्तान्तः सिद्धिप्राप्तेरिति ॥६०॥

अब सम्यग्दृष्टिके आस्तिक्य गुणके अस्तित्वको दिखलाते हैं—

आस्तिक्य आदि रूप शुभ परिणामसे युक्त सम्यग्दृष्टि जीव कांक्षा आदि विश्रोतसिका—प्रतिकूल प्रवाह—से रहित होकर जिनदेवके द्वारा जो भी वस्तुका स्वरूप कहा गया है उस सभीको सत्य मानता है ।

विवेचन—जीवादि पदार्थं यथासम्भव अपने-अपने स्वभावके साथ वर्तमान है, इस प्रकारकी बुद्धिका नाम आस्तिक्य है, ( त. वा. १, २, ३० । 'आत्मा आदि पदार्थं समूह है' इस प्रकारकी बुद्धि जिसके होती है उसे आस्तिक और उसको इस प्रकारकी परिणतिको आस्तिक्य कहा जाता है । यह गुण सम्यग्दृष्टि जीवमे स्वभावतः होता है । जिन भगवान्के द्वारा जीवादि पदार्थोंका जैसा स्वरूप कहा गया है उसे ही वह यथार्थ मानता है । कारण यह कि वह यह जानता है कि जिन भगवान् सर्वज्ञ व वीतराग हैं, अतः वे वस्तुस्वरूपका अन्यथा कथन नहीं कर सकते । असत्य वही बोलता है जो या तो अल्पज्ञ ही या राग-द्वेषके वशीभूत हो । सो जिन भगवान्मे इन दोनोंका ही अभाव है । अतएव उनसे असत्यभाषणकी सम्भावना नहीं की जा सकती । ऐसा सम्यग्दृष्टिके दृढ विश्वास हुआ करता है । यही आस्तिक्य गुणका लक्षण है । सम्यग्दृष्टि जीव इस आस्तिक्य गुण के साथ पूर्वनिर्दिष्ट प्रशम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पासे युक्त होता है । साथ ही वह सम्यक्त्वको मलिन करनेवाले कांक्षा व विचिकित्सा आदि अतिचारोंसे रहित भी होता है । इन अतिचारोंका स्वरूप ग्रन्थकारके द्वारा आगे स्वयं निर्दिष्ट किया जानेवाला है । ( ८७-८८ ) । यहाँ कांक्षा आदिको विश्रोतसिका कहा गया है । उसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार खेतमे बोयी गयी फसलकी वृद्धिके लिए उसका जलसे सिंचन किया जाता है, पर सिंचनके लिए उपयुक्त जलका प्रवाह यदि विपरीत दिशामें जानेवाला हो तो उससे फसलका संरक्षण व सवर्धन नहीं हो सकता है, ठीक इसी प्रकार संयमका संरक्षण व सवर्धन करनेवाला वह सम्यक्त्व यदि कांक्षा आदिसे मलिन हो रहा हो तो उससे स्वीकृत संयमका संरक्षण व सवर्धन नहीं हो सकता है । इसीसे सम्यग्दृष्टिको उनसे रहित कहा गया है ॥५९॥

अब इस सबका उपसंहार किया जाता है—

इस प्रकार जिन देवके द्वारा सम्यग्दृष्टि जीवको उक्त प्रकारके प्रशम-सवेगादिरूप शुभ परिणामोंसे युक्त कहा गया है । इस प्रकारकी उत्तम परिणतिसे युक्त यह सम्यग्दृष्टि ही थोड़े

एवंविधमेव सम्यक्त्वं इत्येतत्प्रतिपादयन्नाह—

जं मोणं तं सम्मं जं सम्मं तमिह होइ मोणं ति ।

निच्छयओ इयरस्य उ सम्मं सम्मत्तहऊ वि ॥६१॥

मन्यते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनिः तपस्वी, तद्भावो मौनम्, अविकलं मुनिवृत्तमित्यर्थः । यन्मौनं तत्सम्यक् सम्यक्त्वम् । यत्सम्यक् सम्यक्त्वं तद्विह भवति मौनमिति । उक्तं चाचाराङ्गे—

जं मोणं ति पासहा तं सम्मं ति पासहा ।

जं सम्म ति पासहा तं मोणं ति पासहा ॥ इत्यादि

निश्चयतः परमार्थेन निश्चयनयमतेनैव एतदेवमिति,

जो जहवायं न कुणइ मिच्छाद्वही तओ हु को अन्नो ।

वड्ढेइ य मिच्छत्तं परस्स सकं जणेमाणो ॥

इत्यादिवचनप्रामाण्यात् । इतरस्य तु व्यवहारनयस्य सम्यक्त्वं सम्यक्त्वहेतुरपि अहंच्छासनप्रीत्यादि, कारणे कार्योपचारात् । एतदपि शुद्धचेतसा पारम्पर्येणापवर्गहेतुरिति । उक्तं च—

समयमे अधिकसे अधिक उपार्धपुद्गलपरावर्त कालके भीतर ही ससाररूप समुद्रको लांघता है— वह भयानक चतुर्गतिस्वरूप ससारसे शीघ्र मुक्त हो जाता है ॥६०॥

आगे मुनिधर्मको ही सम्यक्त्वका निर्देश किया जाता है—

यथार्थमे यहाँ निश्चयनयकी अपेक्षा जो मुनिका चारित्र है वह सम्यक्त्व है और जो सम्यक्त्व है वह मुनिका चारित्र है । पर व्यवहार नयकी अपेक्षा सम्यक्त्वका जो कारण है उसे भी सम्यक्त्व कहा जाता है ।

विवेचन—प्रकृत गाथामे निश्चय और व्यवहार इन दोनो नयोकी अपेक्षा सम्यक्त्वके स्वरूपको दिखलाते हुए कहा गया है कि निश्चयसे जो मुनिधर्म है वही सम्यक्त्व है और जो सम्यक्त्व है वही मुनिधर्म है—दोनोंमे कुछ भेद नहीं है । कारण यह कि निश्चयसे आत्म-पर-विवेकका होना ही सम्यक्त्व है जो उस मुनिधर्मसे भिन्न नहीं है । इस आत्म-परविवेकके प्रकट हो जानेपर प्राणीको हेय और उपादेयका ज्ञान होता है, जिसके आश्रयसे वह पापाचरणको छोड़कर समयमे प्रवृत्त होता है । 'मन्यते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनि.' इस निश्चितके अनुसार मुनिका अर्थ है तीनो कालकी अवस्थाको समझनेवाला तपस्वी । इसीसे निश्चयनयकी अपेक्षा इन दोनोमे भेद नहीं किया गया । टीकामे इसकी पुष्टि आचाराग सूत्र ( १५६, पृ १९२ ) से की गयी है । जो यथार्थ आचरण नहीं करता है उससे अन्य मिथ्यादृष्टि और कौन हो सकता है ? उसे ही मिथ्यादृष्टि जानना चाहिए । ऐसा मिथ्यादृष्टि शकाको उत्पन्न करता हुआ दूसरेके भी मिथ्यात्वको बढ़ाता है । व्यवहारनयसे जो जिनशासन विषयक अनुराग आदि सम्यक्त्वके कारण है उन्हे भी कारणमे कार्यके उपचारसे सम्यक्त्व कहा जाता है, क्योंकि परम्परासे वे भी मुक्तिके कारण हैं । जैनशासनकी यह एक विशेषता है कि वहाँ वस्तुतत्त्वका विचार दुराग्रहको छोड़कर अनेकान्त दृष्टिसे—निश्चय व व्यवहार नयोके आधारसे—किया गया है । परस्पर सापेक्ष इन दानो नयोके बिना वस्तुके स्वरूपको यथार्थमे समझा ही नहीं जा सकता । इसीसे आगम मे यह कहा गया है कि जो आत्महितैषी भव्य जीव जिनमतको स्वीकार करता

जह जिणमय पवज्जह ता मा ववहारनिच्छए मुयह ।

ववहारनयउच्छेए तित्थुच्छेओ जओऽवस्स ॥ इत्यादीनि ॥६१॥

वाचकमुख्येनोक्तम्—तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् । तदपि प्रशमाविलिङ्गमेवेति दर्शयन्नाह—

तत्तत्थसद्दहाणं सम्मत्तं तंमि पसममाईया ।

पढमकसाओवसमादविकखया हुंति नियमेण ॥६२॥

तत्त्वार्थश्रद्धानं<sup>१</sup> सम्यक्त्वम् । तस्मिन् प्रशमादयोऽनन्तरोदिताः । प्रथमकषायोपशमाद्य-  
पेक्षया भवन्ति नियमेन । अयमत्र भावार्थः—न ह्यनन्तानुबन्धिक्षयोपशमादिमन्तरेण तत्त्वार्थश्रद्धानं  
भवति । सति च तत्क्षयोपशमे तदुदयवद्भयः सकाशादपेक्षयास्य प्रशमादयो विद्यन्ते एवेति तत्त्वार्थ-  
श्रद्धानं सम्यक्त्वमित्युक्तम् ॥६२॥

के एते तत्त्वार्था इत्येतदभिधित्सयाह—

जीवाजीवासवबंधसवरा निज्जरा य मुक्खो य ।

तत्तत्था ईत्थं पुण दुविहा जीवा समक्खाया ॥६३॥

जीवाजीवासवबन्धसवरा निर्जरा च मोक्षश्च तत्त्वार्था इति । एषां स्वरूपं वक्ष्यते ।  
असमासकरणं गथाभंगभयार्थं निर्जरामोक्षयोः फलत्वेन प्राधान्यरूपापनार्थं चेति । अत्र  
पुनस्तत्त्वार्थचिन्तायाम् । द्विविधा जीवाः समाख्यातास्तीर्थंकरणधरैरिति ॥६३॥

हे उसे व्यवहार और निश्चयनयोको नही छोडना चाहिए । इसका कारण यह है कि व्यवहार  
नयके छोड़ देनेपर जैसे तीर्थका—धर्मप्रवर्तनका—विनाश अवश्यम्भावी है 'वैसे ही निश्चयनयके  
छोड देनेपर तत्त्वका—वस्तुव्यवस्थाका—विनाश भी अनिवार्य है । अतः तत्त्वको समझनेके लिए  
मुख्यता व गौणता या विवक्षा व अविवक्षाके आधारसे यथासम्भव उक्त दोनो नयोका उपयोग  
अवश्य करना चाहिए ॥६१॥

आगे वाचक उमास्वातिके द्वारा जिस सम्यग्दर्शनका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धानं निर्दिष्ट किया  
गया है वह प्रशम-संवेगादिका हेतु है, इसे दिखलाते हैं—

जीवाजीवादि तत्त्वार्थोंके श्रद्धानका नाम सम्यग्दर्शन है । उसके हो जानेपर प्रथम कषाय-  
के उपशम आदिकी अपेक्षासे पूर्वोक्त प्रशम-सवेग आदि नियमसे होते हैं ।

विवेचन—तत्त्वार्थाधिगम सूत्र ( १-२ ) मे जीव-अजीव आदि सात तत्त्वार्थोंके श्रद्धानको  
सम्यग्दर्शन कहा गया है । जिस जीवके तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप यह सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाता है  
उसके पूर्वोक्त प्रशम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य ये गुण नियमसे होते हैं । इसका  
कारण यह है कि वह तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन प्रथम अनन्तानुबन्धी कषायके उपशम, क्षय  
अथवा क्षयोपशमके होनेपर ही होता है—उसके बिना नहीं होता । उक्त प्रशमादि भी प्रकृत  
कषायके उपशमादिकी अपेक्षा रखते हैं । यही कारण है जो उसके उदय युक्त जीवोके असम्भव  
वे प्रशमादि भाव सम्यग्दर्शनके नियमसे होते हैं । इस प्रकार सम्यग्दर्शनके अविनाभावी वे  
प्रशमादिक उस ( सम्यग्दर्शन ) के परिचायक होते हैं ॥६२॥

आगे उन तत्त्वार्थोंका निर्देश किया जाता है—

१ अ 'तत्त्वार्थश्रद्धानं' इत्यतोऽग्नेऽग्निम- 'तत्त्वार्थश्रद्धानं' पदपर्यन्त पाठ स्खलितोऽस्ति । २. अ त एते  
वत्त्वार्था इति तदभि<sup>०</sup> । १. अ एत्थ ।

द्वैविध्यमाह—

संसारिणो य मुक्ता संसारी छन्विहा समासेण ।

पृथ्वीकाइअमादि तसकायंता पुढोभेया ॥६४॥

च-शब्दस्य व्यवहित उपन्यासः—संसारिणो मुक्ताइचेति । तत्र संसारिणः षड्विधाः षट्-प्रकाराः । समासेन जातिसक्षेपेणेति भावः । षड्विधत्वमेवाह—पृथिवीकायिकादयस्त्रसकायान्ताः । यथोक्तम्<sup>१</sup>—पृथ्वीकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणस्सइकाइया तसकाइया पृथग्भेवा इति स्वातन्त्र्येण पृथग्भिन्नस्वरूपाः, न तु परमपुरुषविकारा इति ॥६४॥

जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये वे तत्त्वार्थ हैं । इनमें जीव दो प्रकारके कहे गये हैं । इनका स्वरूप आगे कहा जानेवाला है ॥६३॥

आगे वे दो प्रकारके जीव कौनसे हैं, इसका निर्देश किया जाता है—

जीव दो प्रकारके हैं—संसारी और मुक्त । इनमे संसारी जीव संक्षेपमे पृथिवीकायिकको आदि लेकर त्रसकाय पर्यन्त पृथक्-पृथक् भेदवाले छह प्रकारके हैं ।

विवेचन—यहां जीवोके सामान्यसे दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं—संसारी और मुक्त । जन्म और मरणका नाम संसार है । जो जीव निरन्तर जन्म और मरणको प्राप्त होते हुए तिर्यंच, मनुष्य, नारक और देव भवोका अनुभव किया करते हैं उन्हे संसारी कहा जाता है । इसके विपरीत जो जीव समस्त ज्ञानावरणादि कर्मोंसे रहित होकर उस जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्त हो चुके हैं वे मुक्त—सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं । उनमे यहां जातिकी अपेक्षा संसारी जीवोके छह भेद कहे गये हैं—पृथिवीकायिक, अष्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रसकायिक । इस प्रकारसे यहां सामान्यसे संसारी जीवोके छह भेदोका निर्देश करके उनमें स्थावर जीव कौन हैं और त्रस कौन है, इसे स्पष्ट नहीं किया गया । उनके विषयमे कुछ मतभेद रहा है । यथा—तत्त्वार्थभाष्यसम्मत सूत्रपाठके अनुसार जहां तत्त्वार्थसूत्र ( २, १३-१४ ) मे पृथिवी, अम्बु और वनस्पति इनको स्थावर तथा तेज, वायु और द्वीन्द्रिय आदि जीवोको त्रस कहा गया है वहां उसी तत्त्वार्थसूत्र ( २, १३-१४ ) मे सर्वार्थसिद्धिसम्मत सूत्रपाठके अनुसार पृथिवी, अप्, तेज, वायु और वनस्पति इनको स्थावर तथा द्वीन्द्रिय आदि जीवोको त्रस कहा गया है । प्रकृत तत्त्वार्थसूत्र व उसके भाष्यमे उन दोनोके स्वरूपका कोई निर्देश नहीं किया गया है । सर्वार्थसिद्धि ( २, १३-१४ ) मे त्रस व स्थावर जीवोके स्वरूपका निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि जो जीव त्रस नामकर्मके वशीभूत हैं वे त्रस और जो स्थावर नामकर्मके वशीभूत है वे स्थावर कहलाते हैं । इन नामकर्मोंके भी स्वरूपको दिखलाते हुए यही कहा गया है कि जिसके उदयसे द्वीन्द्रिय आदि जीवोमे जन्म होता है उसे त्रस नामकर्म और जिसके उदयसे एकेन्द्रिय जीवोमे जन्म होता है उसे स्थावर नामकर्म कहा जाता है । लगभग यही अभिप्राय तत्त्वार्थवार्तिककारका भी रहा है ( २, १२, १ व ३ तथा ८, ११, २१-२२ ) । इन दोनो ग्रन्थोमे इस मान्यताका निषेध किया गया है कि जो जीव चलते हैं वे त्रस और जो स्थानशील—गमन-क्रियासे रहित—होते हैं वे स्थावर कहलाते है । इसका कारण वहां आगमका विरोध बतलाया गया है । इसे स्पष्ट करते हुए वहां यह कहा गया है कि आगममे कायमार्गणाके द्वीन्द्रियसे लेकर अयोगिकेवली पर्यन्त त्रस जीवोका अस्तित्व कहा गया है । तत्त्वार्थवार्तिक ( २, १२, २-५ ) मे



संसारिण एव प्रतिपादयन् द्वारगाथामाह—

भव्वाहारगपञ्जत्तसुक्कसोवक्कमाउया चैव ।

सप्पडिपक्खा एए भणिया कमट्टमहणेहि ॥६५॥

त्रस्त—‘उद्वेगके वश—होकर अन्यत्र गमन करनेवालोको त्रस कहना चाहिए’ इस शंकाका समाधान करते हुए कहा गया है कि वेसा माननेपर जो जीव गर्भमे स्थित हैं, अण्डज है, मूर्च्छित हैं अथवा सोये हुए हैं; इत्यादिके बाह्य भयके निमित्तके उपस्थित होनेपर गमन क्रिया चूँकि सम्भव नहीं है, अतएव उनके अत्रसत्व ( त्रसभिन्नता ) का प्रसग अनिवार्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार स्थानशील—एक ही स्थानपर स्वभावतः स्थित रहनेवाले—जीवोको स्थावर मान लेनेपर वायु, तेज और जल इनका देशान्तरमे गमन देखे जानेसे उनके अस्थावरत्व ( स्थावरभिन्नता ) का प्रसग भी दुर्निवार होगा। इसपर यदि यह कहा जाये कि वायु आदिके अस्थावरता तो अभीष्ट ही है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस अवस्थामें उनके आगमकी अनभिज्ञता प्रकट होती है। इसका कारण यह है कि सत्प्ररूपणामे कायानुवादसे द्वीन्द्रियसे लेकर अयोगिकेवली पर्यन्त त्रस जीवोका सद्भाव कहा गया है, ऐसी आगमकी व्यवस्था है। वह सत्प्ररूपणाका सूत्र इस प्रकार है—

तसकाइया वोइदियप्पहुडि जाव अजोगिकेवलित्ति । षट्खण्डागम १, १, ४४—प्र. १, पृ. २७५ ।

तत्त्वार्थाधिगमभाष्यके आधारसे तत्त्वार्थाधिगमसूत्र ( २-१२ ) के टीकाकार सिद्धसेन गणिका भी यही अभिप्राय रहा है कि त्रस नामकर्मके उदयसे जीव त्रस और स्थावर नामकर्मके उदयसे जीव स्थावर होते हैं। इस प्रकारसे उन्होंने पृथिवी आदि पाँचोको ही स्थावर माना है।

तत्त्वार्थाधिगमभाष्य ( ८-१२ ) मे त्रस व स्थावर नामकर्मोंके प्रसगमें इतना कहा गया है कि जो कर्म त्रस पर्यायका निवर्तक है उसे त्रस नामकर्म और जो स्थावर पर्यायका निवर्तक है उसे स्थावर नामकर्म कहते हैं। वहाँ त्रस और स्थावर पर्यायका कुछ स्पष्टीकरण नहीं किया गया।

योगशास्त्रके स्वो विवरण ( १-१६ ) मे भूमि, अप्, तेज, वायु और महीरुह ( वनस्पति ) इन एकेन्द्रिय जीवोको स्थावर कहा गया है। इसी प्रकार प्रज्ञापनाकी मलयगिरि विरचित वृत्ति ( २९३, पृ. ४७४ ) में स्थावर नामकर्मके स्वरूपका निर्देश करते हुए कहा गया है कि जिसके उदयसे उष्णतासे सन्तप्त होनेपर भी उस स्थानके छोड़नेमे असमर्थ पृथिवी, अप्, तेज, वायु और वनस्पति जीव हुआ करते हैं वह स्थावर नामकर्म कहलाता है। जीवाभिगम सूत्रकी मलयगिरि विरचित वृत्ति ( ९, पृ. ९ ) में त्रस जीवोके स्वरूपको दिखलाते हुए कहा गया है कि जो उष्ण आदिसे सन्तप्त होते हुए विवक्षित स्थानसे त्रस्त—उद्विग्न होकर छाया आदिके आसेवनार्थ स्थानान्तरको जाते हैं वे त्रस कहलाते हैं। इस व्युत्पत्तिसे त्रस नामकर्मके उदयके वशवर्ती जीव ही त्रसरूपसे ग्रहण किये जाते हैं, शेष—स्थावर नामकर्मके उदयके वशवर्ती जीव नहीं ॥६४॥

अब आगेकी गाथामे उन दस द्वारोका निर्देश किया जाता है जिनके द्वारा प्रकृत संसारी जीवोकी यथा क्रमसे प्ररूपणा की जानेवाली है—

भव्या आहारकाः पर्याप्ताः, शुक्ला इति शुक्लपाक्षिकाः, सोपक्रमायुषश्चैव सप्रतिपक्षा एते भणिताः । तद्यथा—भव्याश्चाभव्याश्चाहारकाश्चेत्यादि । कैर्भणिता इत्याह । अष्टकर्ममथनैः तीर्थकरैरिति गाथाक्षरार्थः ॥ भावार्थं तु स्वयमेव वक्ष्यति ॥६५॥

तत्राद्यद्वारमाह—

भव्या जिणेहि भणिया इह खलु जे सिद्धिगमणजोगाउँ ।

ते पुण अणाइपरिणामभावओ हुंति नायव्वा ॥६६॥

भव्या जिनैर्भणिता इह खलु ये सिद्धिगमनयोग्यास्तु—इह लोके य एव सिद्धिगमनयोग्याः खलुशब्दस्यावधारणार्थत्वात् तुशब्दोऽप्येवकारार्थः—योग्या एष । न तु सर्वे सिद्धिगामिन एव । यथोक्तम् “भव्या वि न सिञ्जिस्तन्ति केइ” इत्यादि । भव्यत्वे निबन्धनमाह—ते पुनरनादि-परिणामभावतो भवन्ति ज्ञातव्याः । अनादिपारिणामिरुभव्यभावयोगाद् भव्या इति ॥६६॥

विवरीया उ अभव्वा न कयाइ भवन्नवस्स ते पारं ।

गच्छिसु जंति व तथा तत्तु च्चिय भावओ नवरं ॥६७॥

विपरीतास्त्वभव्याः । तदेव विपरीतत्वमाह—न कदाचिद्भवार्णवस्य संसारसमुद्रस्य ते पारं पर्यन्तं गतवन्तो यान्ति वा, वाशब्दस्य विकल्पार्थत्वात् यास्यन्ति वा । तथेति कुतो निमित्ता-

आठ कर्मोंको निर्मूल कर देनेवाले तीर्थकरोंके द्वारा ये ससारी जीव यथाक्रमसे अपने प्रतिपक्ष—अभव्य, अनाहारक, अर्याप्त, कृष्णपाक्षिक और निरूपक्रमायु—के साथ भव्य, आहारक, पर्याप्त, शुक्ल ( शुक्लपाक्षिक ) और सोपक्रमायुके भेदसे दस प्रकारके कहे गये हैं ॥६५॥

आगे भव्यत्व द्वारका निरूपण करते हुए प्रथमतः भव्योका स्वरूप निर्दिष्ट किया जाता है— यहाँ लोकमे जो जीव सिद्धि ( मुक्ति ) प्राप्त करनेके योग्य है उन्हे जिन भगवान्ने भव्य कहा है । वे अनादि पारिणामिक भावसे भव्य होते हैं, ऐसा समझना चाहिए ।

विवेचन—जिन जीवोमे सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्रको प्रकट करके मोक्ष करनेकी योग्यता है उन्हे भव्य कहा जाता है । वे अनादि पारिणामिक भावभूत भव्यत्वके आश्रयसे भव्य होते हैं, न कि किसी कर्मके उदयादिकी अपेक्षा । यहाँ गाथामे उपयुक्त ‘खलु’ और ‘तु’ शब्द अवधारणार्थक है । इससे यह समझना चाहिए कि जो मुक्ति गमनके योग्य ही होते हैं उन्हे यहाँ भव्य कहा गया है । इसका अभिप्राय यह है कि मुक्ति गमनके योग्य उन भव्योमे सभी मुक्तिको जाननेवाले नहीं है । आगममें भी यह कहा गया है कि मुक्ति प्राप्त करने योग्य होते हुए कुछ भव्य भी उस मुक्तिको प्राप्त नहीं करेंगे ॥६६॥

अब अभव्योका स्वरूप कहा जाता है—

पूर्वोक्त भव्योसे विपरीत अभव्य है । वे कभी संसाररूप समुद्रके पार न गये हैं और न जाते हैं । भव्योके समान वे अभव्य भी उसी भावसे—अनादि पारिणामिक अभव्यत्व भावसे—होते हैं ।

विवेचन—जिन जीवोमे मुक्ति प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है वे अभव्य कहलाते हैं । वैसी योग्यता न होनेसे वे तीनों कालोमे कभी भी मुक्तिको प्राप्त नहीं कर सकते । गाथामे यद्यपि मुक्ति प्राप्त न करनेके विषयमे अतीत और वर्तमान कालका ही निर्देश किया गया है, फिर भी उसमे प्रयुक्त विकल्पार्थक ‘वा’ शब्दसे भविष्यत् कालकी भी सूचना कर दी गयी है । इससे यही समझना

दिति आह—तत एव भावात् तस्मादेव अनादिपारिणामिकादभव्यत्वभावादिति भावः । नवरमिति साभिप्रायकम्, अभिप्रायश्च नवरमेतावता वैपरीत्यमिति ॥६७॥

भव्यद्वारानन्तरमाहारकद्वारमाह—

विग्रहगइमावन्ना केवलिणो समुहया अजोगी य ।

सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारगा जीवा ॥६८॥

विग्रहगतिमापन्ना अपान्तरालगतिवृत्तय इत्यर्थः । केवलिनः समवहताः समुद्घातं गताः । अयोगिनश्च केवलिन एव शैलेश्यवस्थायामिति । सिद्धाश्च मुक्तिभाजः । एतेऽनाहारकाः, ओजाद्या-  
हाराणामन्यतमेनाप्यसौ नाहारयन्तीत्यर्थः । शेषा उक्तविलक्षणाः । आहारका जीवा ओज-लोम-  
प्रक्षेपाहाराणा यथासंभवं येन केनचिदाहारेणेति ॥६८॥ तेऽपि यावन्तं कालमनाहारकाः तास्तथा-  
भिघातुकाम आह—

चाहिए कि अभव्य जीव उस प्रकारकी योग्यता न होनेसे तीनो ही कालोमें कभी मुक्त नहीं हो सकते, उनका ससार अनादि अनन्त है ॥६७॥

आगे कौन जीव आहारक होते हैं और कौन अनाहारक, इसे स्पष्ट किया जाता है—

विग्रहगतिको प्राप्त, समुद्घातगत केवली, अयोगिकेवली और सिद्ध जीव ये अनाहारक होते हैं । शेष सब जीव आहारक होते हैं ।

विवेचन—औदारिक, वैक्रियिक और आहारक इन तीन शरीरो तथा छह पर्याप्तियोंके योग्य पुद्गलपिण्डका नाम आहार है । जो जीव इस आहारको ग्रहण करते हैं वे आहारक और जो उसे नहीं ग्रहण करते हैं वे अनाहारक कहलाते हैं । विग्रहका अर्थ शरीर है, शरीरके लिए—  
पूर्व शरीरको छोड़कर नवीन शरीर धारण करनेके लिए जो जीवकी गति होती है उसे विग्रहगति कहते हैं । अथवा विग्रहका अर्थ मोड़ भी होता है, इस मोड़से युक्त या उसकी प्रधानतासे जो गति होती है उसे विग्रहगति जानना चाहिए । इस विग्रहगतिमें वर्तमान जीव उस आहारको नहीं ग्रहण करते हैं । दण्ड, कपाट, प्रतर ( मन्थ ) और लोकपूरणके भेदसे केवलिसमुद्घात चार प्रकारका है । उनमें प्रतर, लोकपूरण और पुनःप्रतर ( लौटते हुए ) इनमें वर्तमान सयोगिकेवली प्रकृत-  
समुद्घातके तीसरे, चौथे और पांचवें समयमें आहारको ग्रहण नहीं करते । शैलेश्य-शैलेश ( मेरु पर्वत ) के समान निश्चलता—अवस्थाको प्राप्त अयोगिकेवली और सिद्ध परमात्मा भी उक्त आहारको नहीं ग्रहण किया करते हैं । इनको छोड़कर शेष सब जीव ओज, लोम और प्रक्षेप इन आहारोमें-से यथासंभव किसी आहारके ग्रहण करनेके कारण आहारक होते हैं । जिस प्रकार अतिशय तपे हुए बर्तनको पानीमें डालनेपर वह सब प्रदेशोंके द्वारा पानीको ग्रहण किया करता है, अथवा तपे हुए घीमें प्रथम समयमें छोड़ा गया अपूप ( पुआ ) जिस प्रकार सब प्रदेशोंसे घीको ग्रहण किया करता है, उसी प्रकार अपर्याप्त अवस्थामें प्रथमोत्पत्तिके समय जीव अन्तर्मुहूर्त काल तक कर्मण शरीरके द्वारा जो सब प्रदेशोंसे पुद्गलोको ग्रहण किया करता है, इसका नाम ओज आहार है । शरीर पर्याप्तिके पश्चात् जीव बाहरी चमडीसे रोमोंके द्वारा जिस आहार ( पुद्गल-  
पिण्ड ) को ग्रहण किया करता है उसे लोमाहार कहा जाता है । कवल ( घ्रास ) के रूपमें जिस भोजन-पान आदिका मुखके भीतर प्रक्षेप किया जाता है वह प्रक्षेपाहार या कवलाहार कहलाता है । उपर्युक्त विग्रहगतिमें वर्तमान आदि चार प्रकारके जीवोंको छोड़कर अन्य सब जीव इन तीन प्रकारके आहारोमें-से किसी न किसी आहारको ग्रहण किया करते हैं, इसीसे उन्हें आहारक कहा जाता है ॥६८॥

एगाइ तिनिसमया तिन्नेवऽन्तोमुहुत्तमित्तं<sup>१</sup> च ।

साई अपज्जवसियं कालमणाहारगा<sup>२</sup> कमसो ॥६९॥

एकाद्यांस्त्रीन् समयान् विग्रहगतिमापन्ना अनाहारकाः । उक्तं च—एकं द्वौ वानाहारकः इति । वाशब्दास्त्रिसमयग्रहः । त्रीनेव समयाननाहारकाः समुद्घाते केवलिनः । यथोक्तम्—

कार्मणशरीरयोगी चतुर्थके पञ्चमे तृतीये च ।

समयत्रयेऽपि तस्मिन् भवत्यनाहारको नियमात् ॥१॥

अन्तर्मुहूर्तं चानाहारका अयोगिकेवलिनः, तत ऊर्ध्वमयोगिकेवलित्वाभावादपवर्गप्राप्तेः । साद्यपर्यवसितं कालमनाहारकाः सिद्धा व्यक्त्यपेक्षया तेषां सादित्वादपर्यवसितत्वाच्च । अत एवाह क्रमश एवभूतेनैव क्रमेणेति गाथार्थः ॥६९॥

व्याख्यातमाहारकद्वारम्, सांप्रतं पर्याप्तकद्वारमाह —

नारयदेवा तिरिमणुय गब्भया जे असंखवासाऊ ।

एए यँ अपज्जत्ता उववाए चैव बोद्धव्वा ॥७०॥

नारकाश्च देवाश्च नारकदेवास्तथा तिर्यङ्मनुष्याः तिर्यञ्चश्च मनुष्याश्चेति विग्रहः । गर्भजा गर्भव्युत्क्रान्तिकाः, संमूर्च्छिमव्यवच्छेदार्थमेतत् । ते च सङ्ख्येयवर्षायुषोऽपि भवन्ति, तद्व्यवच्छेदार्थमाह—येऽसङ्ख्येयवर्षायुषा<sup>३</sup> इति । एते चापर्याप्ता आहार-शरीरेन्द्रिय-प्राणापान-भाषा-मनःपर्याप्तिभौ रहिताः । उपपात एव उत्पद्यमानावस्थायामेव बोद्धव्या विज्ञेयाः, न तूत्तर-कालं पर्याप्ता लब्धितोऽपीति ।

पूर्वगाथामे निर्दिष्ट विग्रहगतिको प्राप्त आदि वे जीव कितने समय तक अनाहारक रहते हैं, इसे आगेकी गाथा द्वारा स्पष्ट किया जाता है—

वे क्रमसे एकको आदि लेकर तीन समय तक, तीन ही समय, अन्तर्मुहूर्त मात्र और सादि-अपर्यवसित काल अनाहारक रहते हैं ।

दिवेचन—पूर्व गाथामे जिस क्रमसे अनाहारक जीवोका निर्देश किया गया है, प्रकृत गाथामे उसी क्रमसे उनके अनाहारक कालका निर्देश किया गया है । तदनुसार यह अभिप्राय हुआ कि विग्रहगतिको प्राप्त जीव एक समय, दो समय अथवा तीन समय अनाहारक रहते हैं । इसकी पुष्टि “एक द्वौ त्रीन् वानाहारकाः” इस सूत्र ( त. सू. २-३१ ) से भी होती है । प्रशमरति प्रकरण ( २७५-७६ ) के अनुसार समुद्घातको प्राप्त केवली कार्मण काययोगसे युक्त होते हुए तीसरे, चौथे और पांचवें इन तीन समयोमे अनाहारक होते हैं । अयोगिकेवली अन्तर्मुहूर्त काल अनाहारक होते हैं, तत्पश्चात् वे मुक्तिको प्राप्त कर लेते हैं । सिद्ध ( मुक्त ) जीव मुक्त होनेके अनन्तर अनन्त-काल अनाहारक रहते हैं । इस प्रकार उनका अनाहारक रहनेका काल सादि अपर्यवसित है ॥६९॥

आगे पर्याप्तक द्वारकी प्ररूपणा करते हुए जो जीव उपपात कालमे ही अपर्याप्त होते हैं, उनका निर्देश करते हैं—

नारक, देव और असख्येय वर्षायुषक ( भोगभूमिज ) गर्भज तिर्यंच व मनुष्य ये उपपात कालमे ही—उत्पन्न होते समय अपर्याप्त होते हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥७०॥

१. अ तिनिवि गुत्तोमुहुत्तमेत वा । २. अ सादी अपज्जवसीय काले मणाहारणा । ३. अ ‘असखवासाऊ’ नास्ति । ४ अ ‘य’ नास्ति । ५. अतोऽग्नेऽग्निमगाथायाष्टीकान्तर्गतं. ‘सख्येयवर्षायुषश्च’ पर्यन्तं. पाठ स्वलितोऽस्ति ।

सेसा उ तिरियमणुया लद्धिं पप्पोववायकाले य ।

उभओ वि अ भइअव्वा पज्जत्तियरेत्ति जिणवयणं ॥७१॥

शेषास्तु तिर्यङ्मनुष्याः सम्मूर्च्छनजाः सङ्ख्येयवर्षायुषश्च गर्भजाः । किम् ? लब्धिं प्राप्य पर्याप्तकाललब्धिमधिकृत्य । उपपातकाले चोत्पद्यमानावस्याया च । किम् ? उभयतोऽपि भाज्या विकल्पनीयाः पर्याप्तका इतरे वापर्याप्तकाः । एतद्रुक्तं भवति—लब्धितोऽपि पर्याप्ता अपर्याप्तका अपि भवन्ति । उपपातावस्थाया त्वपर्याप्तका एव । इति जिनवचनं इत्येष आगम इति ॥७०-७१॥

व्याख्यात पर्याप्तकद्वारं, तदनन्तरं शुक्लपाक्षिकद्वारमाह—

जेसिमवद्धोपुग्गलपरियट्ठो सेसओ उ संसारो ।

ते सुक्कपक्खिआ खलु अहिण पुण किण्हपक्खीयाँ ॥७२॥

येषामुपार्धपुद्गलपरावर्त एव शेषः संसारस्तत ऊर्ध्वं सेत्स्यन्ति ते शुक्लपाक्षिकाः क्षीणप्राय-संसाराः । खलुशब्दो विशेषणार्थः—प्राप्तदर्शना वा अप्राप्तदर्शना वा सन्तीति विशेषयति । अधिके पुनरुपार्धपुद्गलपरावर्ते संसारे कृष्णपाक्षिकाः, क्रूरकर्माणि इत्यर्थः । पुद्गलपरावर्तो नाम त्रैलोक्य-

अव उन शेष जीवोका निर्देश किया जाता है जो लब्धिको प्राप्त होकर और उपपात कालमे भी पर्याप्त व अपर्याप्त होते हैं—

शेष—सम्मूर्च्छन जन्मवाले और संख्येय वर्षायुष्क—तिर्यंच व मनुष्य लब्धिको प्राप्त करके और उत्पत्तिकालमे भी पर्याप्त व अपर्याप्त दोनो रूपोमे विकल्पके योग्य हैं—वे कदाचित् पर्याप्त भी होते हैं व कदाचित् अपर्याप्त भी होते हैं, ऐसा आगम वचन है ।

विवेचन—जो जीव आहार, शरीर, इन्द्रिय, प्राणापान, भाषा और मन इन पर्याप्तियोसे रहित होते हैं वे अपर्याप्त तथा जो यथासम्भव उनसे सहित होते हैं वे पर्याप्त कहलाते हैं । नारक, देव और असंख्यात वर्षको आयुवाले ( भोगभूमिज ) तिर्यंच व मनुष्य ये उत्पन्न होनेके समयमें ही अन्तर्मूर्हतं काल तक अपर्याप्त (निवृत्त्यपर्याप्त) होते हैं, तत्पश्चात् वे उक्त पर्याप्तियोसे पूर्ण होकर पर्याप्त हो जाते हैं । उपर्युक्त देवादिकोको छोडकर शेष रहे सम्मूर्च्छन जन्मवाले तथा संख्यात वर्षकी आयुवाले ( कर्मभूमिज ) गर्भज तिर्यंच और मनुष्य ये उत्पत्तिकालमे तो अपर्याप्त ही होते हैं, पर पर्याप्तकाललब्धिकी अपेक्षा वे पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं—उनमेसे कितने ही जन्म ग्रहणके पश्चात् अन्तर्मूर्हतंमे अपने योग्य पर्याप्तियोको पूरा करके पर्याप्त हो जाते हैं और कितने ही मरणको प्राप्त होते हुए उन पर्याप्तियोको पूर्ण न कर सकनेके कारण अपर्याप्त ( लब्ध्यपर्याप्त ) ही बने रहते हैं ॥७०-७१॥

आगे शुक्लपाक्षिक द्वारका निरूपण करते हुए शुक्लपाक्षिक व कृष्णपाक्षिक जीवोका स्वरूप कहा जाता है—

जिनका संसार उपार्धपुद्गलपरावर्त मात्र शेष रहा है वे शुक्लपाक्षिक और जिनका संसार उससे अधिक शेष रहा है वे कृष्णपाक्षिक कहलाते हैं ।

विवेचन—तीनो लोकोमे अवस्थित समस्त पुद्गलोको औदारिक आदि शरीरोके रूपसे ग्रहण कर लेनेमे जितना काल बीतता है उतने कालका नाम पुद्गलपरावर्त है । अर्धपुद्गल परावर्तसे कुछ कम कालको उपार्धपुद्गल परावर्त कहा जाता है । जिन जीवोका संसार प्रायः

गतपुद्गलानामौदारिकादिप्रकारेण ग्रहणम् । उपार्धपुद्गलपरावर्तस्तु किञ्चिन्मूतोऽर्धपुद्गलपरावर्तं इति ॥७२॥

एतद्द्वारोपयोग्ये च वक्तव्यताशेषमाह—

पायमिह क्रूरकम्मा भवसिद्धिया वि दाहिणिल्लेसु ।

नेरइय-तिरिय-मणुया सुरा य ठाणेषु गच्छंति ॥७३॥

प्राय इह क्रूरकर्माणः, बाहुल्येनैतदेवमिति दर्शनार्थं प्रायोग्रहणम् । भवसिद्धिका अप्येकभव-  
मोक्षयायिनोऽपि । दक्षिणेषु नारकतिर्यङ्मनुष्याः सुराश्च स्थानेषु गच्छन्ति । अत एवोक्तम्—  
“दाहिणदिशामिए किह्लपक्खिए नेरइए” इत्यादि । एतदुक्तं भवति—नरक-भवन-द्वीप-समुद्र-  
विमानेषु दक्षिणदिशामोक्षव्यवस्थितेषु कृष्णपाक्षिका नारकादय उत्पद्यन्ते इति । आह—भारतावि-  
तीर्थकरादिभिर्व्यभिचारः ? न, तेषां प्रायोग्रहणेन व्युदासादिति ॥७३॥

शुक्लपाक्षिकद्वारानन्तरं सोपक्रमायुर्द्वारमाह—

देवा नेरइया वा असंखवासाउआ य तिरि-मणुया ।

उत्तमपुरिसाँ य तहा चरमसरीरा य निरुवक्कमा ॥७४॥

क्षयको प्राप्त होनेवाला है उनका नाम शुक्लपाक्षिक है । ऐसे शुक्लपाक्षिक जीव, चाहे सम्यग्दर्शन-  
को प्राप्त कर चुके हैं अथवा उसे न भी प्राप्त किया हो, अधिकसे अधिक कुछ कम अर्धपुद्गल-  
परावर्तकाल तक हो संसारमे रहते हैं, तत्पश्चात् वे नियमसे मुक्तिको प्राप्त कर लेते हैं । इनके  
विपरीत जो अतिशय क्रूर कर्म करनेवाले जीव हैं उन्हें कृष्णपाक्षिक कहा जाता है । उनके संसार-  
परिभ्रमणका काल अर्धपुद्गलपरावर्तसे अधिक होता है ॥७२॥

आगे कृष्णपाक्षिक जीवोके उत्पत्तिस्थानका निर्देश किया जाता है—

भवसिद्धिक होते हुए भी जो नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव प्रायः क्रूर कर्म करनेवाले  
होते हैं वे दक्षिण स्थानोमे जाते हैं ।

विवेचन—इसका अभिप्राय यह है कि प्रायः क्रूर कर्म करनेवाले नारक, तिर्यंच, मनुष्य  
और देवोमे यदि एक भवमे मोक्षगामो भी हो तो भी वे दक्षिण दिशाभागमे अवस्थित नारकबिलो,  
भवनवासी देवोके भवनो, द्वीपो, समुद्रो और विमानोमे उत्पन्न हुआ करते हैं । यहाँ यह शका  
हो सकती थी कि द्वीपके दक्षिण दिशागत भरत क्षेत्रादिमे तो तीर्थकर आदि भी उत्पन्न होते हैं,  
पर वे क्रूर कर्म करनेवाले नहीं होते; अतः यह कहना ठीक नहीं है कि दक्षिणदिशागत स्थानोमे  
क्रूर कर्म करनेवाले जीव उत्पन्न होते हैं । इस शकाको लक्ष्यमे रखते हुए गाथामे ‘प्रायः’ शब्दको  
ग्रहण किया गया है । उसका अभिप्राय है कि अधिकाशमे क्रूर कर्म करनेवाले जीव उन स्थानोमे  
उत्पन्न होते हैं । इससे प्रकृतमे उत्तम प्रवृत्ति करनेवाले उन तीर्थकरो आदिकी व्यावृत्ति हो जाती  
है ॥७३॥

अब क्रमप्राप्त सोपक्रमायु द्वारका निरूपण करते हुए निरूपक्रम कौन होते हैं, इसका निर्देश  
करते हैं—

देव, नारक, असख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच व मनुष्य, उत्तम पुरुष और चरमशरीरो ये सब  
जीव निरूपक्रमायुष्क होते हैं ।

देवा नारकाश्चैते सामान्येनैव । असङ्घघेयवर्षायुषश्च तिर्यङ्मनुष्या एतेन सङ्घघेय-  
वर्षायुषा व्यवच्छेदः । उत्तमपुरुषाश्चक्रवर्त्यादयो गृह्यन्ते । चरमशरीराश्चाविशेषेणैव तीर्थं-  
करावयः । निरुपक्रमा इत्येते निरुपक्रमायुष एव अकालमरणरहिता इति ॥७४॥

सेसा संसारत्या भइया सोवक्क्रमा व इयरे वा ।

सोवक्क्रम-निरुवक्क्रमभेओ भणितो समासेणं ॥७५॥

शेषाः संसारस्या अनन्तरोदितध्वतिरिक्ताः सख्येयवर्षायुषं अनुत्तमपुरुषा अचरमशरीराश्च ।  
च एते भाज्या विकल्पनीयाः । कयम् ? सोपक्रमा वा इनरे वा कवाचित् सोपक्रमा कदाचिन्नि-  
रुपक्रमा उभयमप्येतेषु संभवतीति सोपक्रम-निरुपक्रमभेवो भणितः । समासेन सक्षेपेण, न तु कर्म-  
भूमिजादिविभागविस्तरेणेति ॥७५॥

विवेचन—आयुके विघातक विप, अग्नि व शस्त्र आदिरूप कारणकलापका नाम उपक्रम  
है । इस उपक्रमसे जो जीवरहित होते हैं उन्हें निरुपक्रमायुष्क कहा जाता है । वैसे कारण-  
कलापसे भी उनका कभी अकालमें मरण सम्भव नहीं है । गाथामें निर्दिष्ट देव आदि इसी प्रकारके  
जीव हैं, जिनका कभी अकालमें मरण सम्भव नहीं है । जम्बूद्वीप, घातकोखण्ड और पुष्कराध्वंद्वीप  
इन अढाई द्वीपोंमें स्थित पांच देवकुरु, पांच उत्तरकुरु, छवण और कालोद समुद्रोंमें अवस्थित  
एकोरुक आदि मनुष्योंके निवासस्थानभूत अन्तरद्वीप, पांच हैमवत, पांच हरिवर्ष, पांच रम्यक  
और पांच हैरण्यवत इन अकर्मभूमियोंमें उत्पन्न होनेवाले, मनुष्य व तिर्यंच, अढाई द्वीपोंके आगे  
असख्यात द्वीप समुद्रोंमें अवस्थित तिर्यंच तथा पांच भरत और पांच ऐरावत रूप कर्मभूमियोंके  
भीतर भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय कालवर्ती मनुष्य व तिर्यंच ये सब असख्यात वर्षोंकी आयुवाले  
होते हैं जो नारकी और देवोंके समान कभी अकालमें मरणको प्राप्त नहीं होते । चक्रवर्ती, बलदेव  
और वासुदेव ये उत्तम पुरुष माने जाते हैं । चरम शरीरसे अभिप्राय उस अन्तिम शरीरसे उसी  
भवमें मुक्तको प्राप्त कर लेनेवाले जीवोंका है । चरमशरीरी उन्हें इसलिए कहा जाता है कि अब  
आगे उन्हें अन्य शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा, यही उनका अन्तिम शरीर है जिससे वे मुक्तिको  
प्राप्त कर लेनेवाले हैं । टोकामें चरमशरीरियोंमें सामान्यसे तीर्थंकर आदिकोको ग्रहण किया  
गया है । तत्त्वार्थाधिगमभाष्य ( २-५२ ) में तीर्थंकरोंको उत्तम पुरुषोंमें सम्मिलित किया गया है ।  
साथ ही वहाँ चरमशरीरियोंको सोपक्रमायु और निरुपक्रमायु दोनों कहा गया है, जब कि प्रकृत  
गाथामें उत्तम पुरुष और चरमशरीरी दोनोंको निरुपक्रम ही कहा गया है । यह गाथा मूल  
तत्त्वार्थाधिगमसूत्रका अनुसरण करनेवाली प्रतीत होती है ॥७४॥

आगे उपर्युक्त देवादिकोंके अतिरिक्त शेष सब संसारी जीवोंमें दोनों प्रकारके होते हैं, इसे  
स्पष्ट किया जाता है—

उपर्युक्त देवादिकोंसे शेष रहे ससारी जीव—सख्यात वर्षोंकी आयुवाले ( कर्मभूमिज )  
मनुष्य व तिर्यंच, अनुत्तम पुरुष तथा अचरम शरीरी ये—सोपक्रम और निरुपक्रम दोनोंमें विकल्प-  
नीय हैं—वे कदाचित् सोपक्रम ( अकालमरणवाले ) और कदाचित् निरुपक्रम भी होते हैं । इस  
प्रकार संक्षेपमें यहाँ सोपक्रम और निरुपक्रमका भेद कहा गया है ॥७५॥

उक्तं सोपक्रमद्वारम्, तदभिधानाच्च संसारिणो जीवाः । सांप्रतं मुक्तानभिधित्तुराह—  
मुक्ता अणेगभेया तित्थ-तित्थयर-तदियरा चैव ।

सय-पत्तेयविबुद्धा बुहवोहिय सन्नगिहिल्लिगे ॥७६॥

मुक्ताश्च सिद्धाः, ते चानेकभेदा अनेकप्रकाराः तीर्थतीर्थकरतदितरे चेति, अनेन सूचनात्-  
सूत्रमिति कृत्वा तीर्थसिद्धा अतीर्थसिद्धास्तीर्थकरसिद्धा अतीर्थकरसिद्धाश्च गृह्यन्ते । तत्र तीर्थे  
सिद्धास्तीर्थसिद्धाः । तीर्थं पुनश्चातुर्वर्णः श्रमणसंघः प्रथमगणधरो वा । तथा चोक्तं—तित्थं  
भंते तित्थं तित्थगरे तित्थं गोयमा अरह ताव नियमा तित्थकरे तित्थं पुण चाउव्वन्नो समणसंघो  
पढमगणधरो वा इत्यादि । ततश्च तस्मिन्नुत्पन्ने ये सिद्धास्ते तीर्थसिद्धाः । अतीर्थे सिद्धा अतीर्थ-  
सिद्धास्तीर्थान्तरसिद्धा इत्यर्थः । श्रूयते च—जिणतरे साहुवोच्छेउ त्ति । तत्रापि जातिस्मरणादिना  
अवाप्तापवगंमार्गाः सिध्यन्ति एवम्, मरुदेवीप्रभृतयो वा अतीर्थसिद्धास्तदा तीर्थस्यानुत्पन्नत्वात् ।  
अतीर्थकरसिद्धा अन्ये सामान्यकेवलिनः । स्वयंप्रत्येकबुद्धा इत्यनेन स्वयंबुद्धसिद्धाः प्रत्येकबुद्ध-  
सिद्धाश्च गृह्यन्ते । तत्र स्वयंबुद्धसिद्धाः स्वयंबुद्धाः सन्तो ये सिद्धाः । प्रत्येकबुद्धसिद्धाः प्रत्येकबुद्धा-  
स्सन्तो ये सिद्धा इति । अथ स्वयंबुद्ध-प्रत्येकबुद्धयोः कः प्रतिविशेष इति । उच्यते—बोध्युपधि-  
श्रुतलिङ्गकृतो विशेषः । तथाहि—स्वयंबुद्धा बोह्यप्रत्ययमन्तरेणैव बुध्यन्ते, प्रत्येकबुद्धास्तु न

इस प्रकार उपर्युक्त पांच द्वारोमे संसारी जीवोकी प्ररूपणा करके अब मुक्त जीवोका  
निरूपण कियो जाता है—

मुक्त जीव अनेक प्रकारके हैं—तीर्थसिद्ध, तीर्थकरसिद्ध, तदितरसिद्ध—अतीर्थसिद्ध व  
अतीर्थकरसिद्ध, स्वयंबुद्धसिद्ध, प्रत्येकबुद्धसिद्ध, बुद्धबोधितसिद्ध, स्वर्लिंगसिद्ध, अन्यर्लिंगसिद्ध और  
गृहर्लिंगसिद्ध ।

विवेचन—जो जीव आठ प्रकारके कर्मरूप बन्धनसे छूट चुके हैं वे मुक्त कहलाते हैं । यह  
मुक्त जीवोका सामान्य लक्षण है, इस सामान्य स्वरूपकी अपेक्षा उनमे परस्पर कुछ भेद नहीं  
है । पर सिद्धिके अन्य-अन्य कारणोकी अपेक्षा उनमे कुछ भेद भी है । वह इस प्रकारसे—  
(१) तीर्थसिद्ध—जो किसी तीर्थकरके तीर्थमे सिद्ध हुए हैं—आठ कर्मोंसे निर्मुक्त हुए हैं—वे  
तीर्थसिद्ध कहलाते है । तीर्थनाम चातुर्वर्णं श्रमणसंघ अथवा प्रथम गणधरका है । इस प्रकारके  
तीर्थके उत्पन्न होनेपर जो सिद्ध हुए है उन्हे तीर्थसिद्ध कहा जाता है । (२) अतीर्थसिद्ध—  
जो अतीर्थमे, तीर्थके अन्तरालमे, सिद्ध हुए हैं वे अतीर्थसिद्ध कहलाते है । आगममे भी  
सुना जाता है कि जिनोके अन्तरालमे साधुओका व्युच्छेद—उनकी परम्पराका अभाव—  
हुआ है । इस प्रकारके अतीर्थमे जो जातिस्मरण आदिके आश्रयसे मोक्षमार्गको पाकर सिद्ध  
होते हैं उन्हे, अथवा मरुदेवी आदिके समान जो तीर्थके उत्पन्न होनेके पूर्व ही मुक्तिको प्राप्त  
हुए हैं उन्हे अतीर्थसिद्ध कहा जाता है । (३) तीर्थकरसिद्ध—तीर्थकरसिद्ध तीर्थकर ही हुआ  
करते हैं । (४) अतीर्थकरसिद्ध—तीर्थकरसे भिन्न जो अन्य सामान्य केवली मुक्तिको प्राप्त हुए हैं  
वे अतीर्थकरसिद्ध कहलाते हैं । (५) स्वयंबुद्धसिद्ध—जो स्वय ही प्रबोधको प्राप्त होकर मुक्तिको  
प्राप्त होते हैं उन्हे स्वयंबुद्धसिद्ध कहा जाता है । (६) प्रत्येकबुद्ध सिद्ध—प्रत्येक बुद्ध होकर—एक  
अपनी आत्माके आश्रयसे—जो सिद्ध होते हैं वे प्रत्येकबुद्धसिद्ध कहलाते हैं । यहाँ शका हो सकती  
है कि इस प्रकारका लक्षण करने पर स्वयंबुद्ध और प्रत्येकबुद्धमे क्या विशेषता रहेगी ? इसके



तद्विरहेण, श्रूयते च बाह्यप्रत्ययवृषभादिसव्यपेक्षा करकंडवादीनां प्रत्येकबुद्धानां बोधिरिति । उपधिस्तु स्वयंबुद्धानां द्वादशविधः पात्रादिः, प्रत्येकबुद्धानां तु नवविधः प्रावरणवर्जः । स्वयंबुद्धानां पूर्वाधीतश्रुतेऽनियमः, प्रत्येकबुद्धानां नियमतो भवत्येव । लिङ्गप्रतिपत्तिः स्वयंबुद्धानामाचार्य-सन्निधावपि भवति, प्रत्येकबुद्धानां तु देवता प्रयच्छतीत्यलं विस्तरेण । बुद्धबोधिता इति बुद्धबोधितसिद्धाः, बुद्धा आचार्यस्तैर्वोधिताः सन्तो ये सिद्धास्ते इह गृह्यन्ते । स्वान्य-गृहिलिङ्गा इति स्वलिङ्गसिद्धा अन्यलिङ्गसिद्धा गृहिलिङ्गसिद्धाः । तत्र स्वलिङ्गसिद्धा द्रव्यलिङ्गं प्रति रजोहरण-गोच्छकधारिणः । अन्यलिङ्गसिद्धाः परित्राजकादिलिङ्गसिद्धाः । गृहिलिङ्गसिद्धा मरु-देवीप्रभृतय इति ॥७६॥

इत्थीपुरिसनपुंसग एगाणेग तह समयभिन्ना य ।

एसो जीवसमासो इतो इयरं पवक्खामि ॥७७॥

एते च सर्वेऽपि केचित् स्त्रीलिङ्गसिद्धाः केचित् पुल्लिङ्गसिद्धाः केचिन्नपुंसकलिङ्गसिद्धाः । आह—किं तीर्थंकरा अपि स्त्रीलिङ्गसिद्धा भवन्ति ? भवन्तीत्याह—यत उक्तं सिद्धप्राभूते—सव्वत्थोवा तित्थगरिसिद्धा, तित्थगरितित्थे नोतित्थसिद्धा असङ्खयेयगुणा, तित्थगरितित्थे णोतित्थगरिसिद्धाउ असङ्खयेयगुणाउ तित्थगरितित्थे णोतित्थगरिसिद्धा असङ्खयेयगुणा इति । न

समाधानमे कहा गया है कि उन दोनोंमे बाधि, उपाधि, श्रुत और लिंग जनित विशेषता होती है । जैसे—स्वयंबुद्ध जहां बाह्य निमित्तके बिना ही प्रबोधको प्राप्त होते हैं, वहां प्रत्येकबुद्ध बिना बाह्य निमित्तके प्रबुद्ध नहीं होते, करकण्डु आदि प्रत्येकबुद्धोके बोधिकी प्राप्ति बाह्य निमित्तभूत वृषभ आदिकी अपेक्षासे सुनी भी जाती है । उपाधि जहां स्वयंबुद्धोके पात्र आदि बारह प्रकारकी होती है वहां प्रत्येकबुद्धोके वह प्रावरणको छोडकर नौ प्रकारकी होती है । स्वयंबुद्धोके पूर्व अधीत श्रुतके विषयमे कुछ नियम नहीं है, प्रत्येकबुद्धोके वह नियमसे होता ही है । स्वयंबुद्धोके लिंगकी प्रतिपत्ति आचार्यके समीपमे भी होती है, पर प्रत्येक बुद्धोके लिए उसे देवता प्रदान करती है । इस प्रकार उन दोनोंमे भेद है ही । (७) बुद्धबोधितसिद्ध—जो बुद्धो ( आचार्यो ) से प्रबोधको प्राप्त होते हुए मुक्तिकी प्राप्त हुए हैं उन्हें बुद्धबोधितसिद्ध कहा जाता है । (८) स्वलिङ्गसिद्ध—जो द्रव्यलिङ्गकी अपेक्षा रजोहरण और गोच्छक ( पात्र पोछनेका वस्त्रखण्ड ) को धारण करते हुए मुक्त हुए हैं उन्हे स्वलिङ्गसिद्ध जानना चाहिए । (९) अन्यलिङ्गसिद्ध—जो परित्राजक आदि अन्य साधुओके वेषको धारण करते हुए सिद्धिकी प्राप्त हुए हैं वे अन्यलिङ्गसिद्ध कहलाते हैं । (१०) जो गृहस्थके वेषमे मुक्त हुए हैं उन्हें गृहिलिङ्गसिद्ध कहा जाता है—जैसे मरुदेवी आदि ॥७६॥

आगे उपर्युक्त सभी मुक्त जीवोको कुछ अन्य भी विशेषताओको प्रकट किया जाता है—

उनमे कुछ स्त्रीलिङ्गसिद्ध, पुरुषलिङ्गसिद्ध व नपुंसकलिङ्गसिद्ध, कुछ एकसिद्ध व अनेकसिद्ध तथा समय भिन्न—कुछ प्रथमसमयसिद्ध व अप्रथमसमयसिद्ध; इस प्रकारसे भी उनमे भेद है । इस प्रकार जीवोका यह सक्षेप है । आगे अजीव समासको कहता हूँ ।

विवेचन—इन सब मुक्त जीवोमें कुछ स्त्रीलिङ्गसे सिद्ध हुए हैं, कुछ पुल्लिङ्गसे सिद्ध हुए हैं और कुछ नपुंसकलिङ्गसे सिद्ध हुए हैं । यहाँ शंका की जा सकती है कि तीर्थंकर भी क्या स्त्रीलिङ्गसे सिद्ध होते हैं ? इसके उत्तरमें कहा जाता है कि हाँ, तीर्थंकर भी स्त्रीलिङ्गसे सिद्ध होते हैं । कारण यह कि सिद्धप्राभूतमे सिद्धोके अल्पबहुत्वके प्रसंगमें ऐसा कहा गया है—तीर्थंकरोसिद्ध सबसे

१. अ°सो एत्तो इय प । २. अ केचिन्नपुसगसिद्धा ग्रहिलिङ्गसिद्धा इत्याह कि । ३ अ असखेजगुगा ।

नपुंसकलिङ्गे सिद्धाः। प्रत्येकबुद्धास्तु पुँलिङ्गा एव। एकानेक इति—एकसिद्धा अनेकसिद्धाश्च। तत्रैकसिद्धा एकस्मिन् समये एक एव सिद्धः। अनेकसिद्धा एकस्मिन् समये द्वयादयो यावदष्टशतं सिद्धमिति। उक्तं च—

बत्तीसा अडयाला सट्ठी बावत्तरी य बोधव्या।

चुलसीई छन्नउइ दुरहिय अट्ठत्तरसयं च ॥

तथा समयभिन्नाश्चेति—प्रथमसमयसिद्धा अप्रथमसमयसिद्धा इत्यादि। तत्र अप्रथमसमयसिद्धाः परस्परसिद्धिविशेषणप्रथमसमयवर्तिनः सिद्धत्वद्वितीयसमयवर्तिन इत्यर्थः, त्रयादिषु तु द्विसमयसिद्धादयः प्रोच्यन्ते। यद्वा सामान्येन प्रथमसमयसिद्धाभिधानं<sup>१</sup> विशेषतो द्विसमयादिसिद्धाभिधानमिति। आह—तीर्थतीर्थसिद्धभेदद्वय एवान्तर्भावादलं शेषभेदैरिति, न आद्यभेदद्वयादेवोत्तरभेदाप्रतिपत्तेः, शिष्यमतिविकान्नायंश्च शास्त्रारम्भ इति। एष उक्तलक्षणो जीवसमाप्तो जीवसंक्षेप, उक्त इति वाक्यशेषः। अत ऊर्ध्वमजीवसमाप्तं प्रवक्ष्यामीति गाथायः ॥७७॥

धम्ममाधम्मागासा पुग्गल चउहा अजीव मो एए।

गइठिइअवगाहेहिं फासाईहिं च गम्मंति ॥७८॥

अल्प हैं, तीर्थकरीतीर्थमे नोतीर्थसिद्ध उनसे असंख्यातगुणे है, तीर्थकरीतीर्थमे नोतीर्थकरीसिद्ध उनसे असंख्यातगुणे है, तीर्थकरीतीर्थमे नोतीर्थकरसिद्ध उनसे असंख्यातगुणे हैं। इससे सिद्ध है कि तीर्थकरीके रूपमे स्त्रीलिंगसे भी सिद्ध होते हैं व उनका तीर्थ भी चलता है। उन्ही मुक्त जीवोमे कितने ही एकसिद्ध व कितने ही अनेकसिद्ध होते हैं—एक समयमे जो एक ही सिद्ध होता है उसे एकसिद्ध तथा एक समयमे जो दोको आदि लेकर एक सौ आठ तक सिद्ध होते हैं उन्हे अनेकसिद्ध कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि सिद्धिगमनमे जब अधिकसे अधिक छह मासका अन्तर होता है तब शेष आठ समयोमे छह सौ आठ जीव निरन्तर सिद्ध होते हैं। वे इस प्रकारसे—प्रथम समयमे बत्तीस, द्वितीय समयमे अड़तालीस, तृतीय समयमे साठ, चतुर्थ समयमें बहत्तर, पाँचवें समयमे चौरासी, छठे समयमे छियानबे, सातवें समयमे एक सौ आठ और आठवें समयमे एक सौ आठ ( ३२ + ४८ + ६० + ७२ + ८४ + ९६ + १०८ + १०८ = ६०८ )। यहाँ अन्तमे ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकारसे जीव तत्त्वका संक्षेपमे निरूपण किया गया है ( ६३-७७ )। आगे अजीव तत्त्वका वर्णन किया जाता है। साक्षात् सिद्धिकी अपेक्षा प्रथमसमयसिद्ध कहलाते हैं तथा परम्परासिद्धिकी अपेक्षा सिद्ध होनेके द्वितीय आदि समयवर्ती जीवोको अप्रथमसमयसिद्ध कहा जाता है। अथवा सामान्यसे प्रथमसमयसिद्ध और विशेषरूपसे द्वितीयादि समयसिद्ध कहा गया है, यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए। यहाँ शका उपस्थित होती है कि जब उपर्युक्त मुक्त जीवोका अन्तर्भाव तीर्थसिद्ध और अतीर्थसिद्ध इन दो प्रथम भेदोमे ही होता था तब शेष भेदोका निरूपण क्यों किया गया ? उसका उत्तर यह है कि आदिके उन दो भेदोसे आगेके भेदोका ज्ञान नहीं हो सकता था तथा शास्त्रका आरम्भ शिष्योकी बुद्धिके विकासके लिए किया जाता है। इसीलिए उनका पृथक्से कथन किया गया है ॥७७॥

अब कृत प्रतिज्ञाके अनुसार अजीव तत्त्वका व्याख्यान करते हुए धर्माधर्मादि चार अजीव द्रव्योका परिचय कराया जाता है—

तत्र धर्माधर्माकाशा गति-स्थित्यवगाहैर्गम्यन्ते, पुद्गलाश्च स्पर्शादिभिः । असमासकरणं धर्मादीना त्रयाणामप्यमूर्तत्वेन भिन्नज्ञातीयख्यापनार्थम् । इत्येष गाथाक्षरार्थः । भावार्थस्तु धर्मादिग्रहणेन पदैकदेशेऽपि पदप्रयोगदर्शनाद्धर्मास्तिकायादयो गृह्यन्ते । स्वरूपं चैतेषाम् —

जीवाना पुद्गलाना च गत्युपष्टम्भकारणम् ।

धर्मास्तिकायो ज्ञानस्य दीपश्चक्षुष्मतो यथा ॥

जीवाना पुद्गलानां च स्थित्युपष्टम्भकारणम् ।

अधर्मं पुरुषस्येव तिष्ठासोरवनिस्समा ॥

जीवाना पुद्गलाना च धर्माधर्मास्तिकाययो ।

वादरापां घटो यद्वदाकाशमवकाशदम् ॥

स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दा मूर्तस्वभावकाः ।

सघातभेदनिष्पन्नाः पुद्गला जिनदेशिताः ॥

इति कृतं विस्तरेण ॥७८॥

उक्ता अजीवाः सांप्रतमास्रवद्वारमाह—

काय-वय-मणोकिरिया जोगो सो आसवो सुहो सो अ ।

पुन्नस्स मुण्येयव्वो चिवरीओ होइ पावस्स ॥७९॥

धर्म, अधर्म, आकाश और काल इस प्रकारसे अजीव चार प्रकारका है । ये धर्मादि अजीव यथाक्रमसे गति, स्थिति, अवगाह और स्पर्श आदिकोसे जाने जाते हैं ।

विवेचन—गाथामे उपयुक्त धर्म आदि शब्दोसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकायको ग्रहण करना चाहिए । कारण यह कि पदके एक देशमें भी पदका प्रयोग देखा जाता है । धर्मास्तिकायका परिज्ञान जीव-पुद्गलोकी गतिसे, अधर्मास्तिकायका उनकी स्थितिसे, आकाशका उनके अवगाहनसे तथा पुद्गलोका स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णके द्वारा होता है । यहाँ गाथामे धर्म, अधर्म और आकाश इन पदोंके मध्यमे द्वन्द्व समास करके भी जो पुद्गल शब्दको पृथक् रखा गया है—उसके साथ समास नहीं किया गया है । उससे यह सूचित किया गया है कि उक्त धर्मादि तीन अमूर्त अस्तिकाय उस मूर्त पुद्गल अस्तिकायसे भिन्न है । उनका स्वरूप इस प्रकार है—जिस प्रकार चक्षु इन्द्रियसे युक्त प्राणीके लिए पदार्थोंके देखनेमे दीपक उदासीन कारण होता है उसी प्रकार जो गतिपरिणत जीवो और पुद्गलोके गमनमे अप्रेरक कारण होता है उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं । इसी प्रकार जैसे ठहरनेके इच्छुक पुरुषके लिए पृथिवी अप्रेरक कारण होती है वैसे ही जो स्थितिपरिणत जीवो व पुद्गलोके स्थित होनेमे अप्रेरक कारण होता है उसका नाम अधर्मास्तिकाय है । जिस प्रकार घडा स्थूल जलको स्थान दिया करता है उसी प्रकार जो जीवो, पुद्गलो तथा धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायको स्थान देता है वह आकाश कहलाता है । जो स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्दसे युक्त होते हुए मूर्त स्वभावके धारक होकर संघात, भेद और सघात-भेदसे उत्पन्न होते हैं उन्हें जिन देवने पुद्गल कहा है ॥७८॥

आगे क्रमप्राप्त आस्रव तत्त्वका स्वरूप कहा जाता है—

काय, वचन और मनकी क्रियाका नाम योग है । इस योगको आस्रव कहा जाता है । पुण्य कर्मके उस आस्रवको शुभ और पापके उस आस्रवको विपरीत ( अशुभ ) जानना चाहिए ।

कायवाङ्मनःक्रिया योगः क्रिया कर्म—व्यापार इत्यनर्थान्तरम् । युज्यते इति योगः, युज्यते वानेन करणभूतेनात्मा<sup>१</sup> कर्मणेति योगो व्यापार एव । स आस्रवः, आस्रवत्यनेन कर्मत्यास्रवः सरःसलिलावाहिस्रोतोवत् । शुभः स चास्रवः पुण्यस्य मुणितब्धो विपरीतो भवति पापस्येति । आत्मनि कर्माणुप्रवेशमात्रहेतुरास्रव इति ॥७९॥

उक्त आस्रवः, सांप्रतं बन्ध उच्यते<sup>२</sup>—

सकषायत्ता जीवो जोगे कम्मस्स पुग्गले लेइ ।

सो वंधो पयइठिईअणुभागपएसभेओ ओ<sup>३</sup> ॥८०॥

कषायाः क्रोधादयः, सह कषायैः सकषायः, तद्भावः तस्मात् सकषायत्वाज्जीवो योग्यानु-  
चितान् । कर्मणः ज्ञानावरणादेः । पुद्गलान् परमाणून् । लात्यादत्ते गृह्णातीत्यनर्थान्तरम् । स  
बन्धः—योऽसौ तथास्थित्या त्वादानविशेषः स बन्ध इत्युच्यते । स च प्रकृतिस्थित्यनुभाव-प्रदेशभेद  
एव भवति । प्रकृतिबन्धो ज्ञानावरणादिप्रकृतिरूपः । स्थितिबन्धोऽस्यैव जघन्येतरा स्थितिः । अनु-  
भावबन्धो यस्य यथायत्यां विपाकानुभवनमिति । प्रदेशबन्धस्त्वात्मप्रदेशैर्योगस्तथा कालेनैव  
विशिष्टविपाकरहितं वेदनमिति ॥८०॥

विवेचन—क्रियाका अर्थ व्यापार है । 'युज्यते अनेनेति योगः' इस निरुक्तिके अनुसार जीव  
जिस व्यापारके द्वारा कर्मसे सम्बद्ध होता है उस काय, वचन और मनके व्यापारका नाम योग  
है । इस योगको ही आस्रव कहा जाता है । कारण यह कि 'आस्रवति अनेन कर्म इति आस्रवः'  
इस निरुक्तिके अनुसार जिसके द्वारा तालाबमें पानीको लानेवाले स्रोतके समान आत्मामे कर्म  
आता है उसे आस्रव कहा जाता है । यह आस्रव शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकारका है । उनमे  
पुण्य कर्मका जो आस्रव होता है उसे शुभ और पाप कर्मका जो आस्रव होता है उसे अशुभ आस्रव  
कहते हैं । यह आस्रव केवल आत्मामे कर्मपरमाणुओका प्रवेश कराता है ॥७९॥

आगे बन्ध तत्त्वका स्वरूप कहा जाता है—

कषाय सहित होनेके कारण जीव जो कर्मके योग्य पुद्गलोको ग्रहण किया करता है उसे  
बन्ध कहते हैं । वह प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे चार प्रकारका है ।

विवेचन—जिस प्रकार सन्तप्त लोहेके गोलेको पानीमे डालनेपर वह सब ओरसे पानीको  
ग्रहण किया करता है उसी प्रकार क्रोधादि कषायोसे सन्तप्त हुआ जीव जो सब ओरसे कर्मके  
योग्य पुद्गलोको ग्रहण किया करता है उसे बन्ध कहा जाता है । वह चार प्रकारका है—प्रकृति-  
बन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध । इनमे ज्ञानावरणादि रूप स्वभावको लिये हुए  
जो कर्म पुद्गलोका जीवके साथ सम्बन्ध होता है, इसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं । ज्ञानावरणादि रूप  
उन पुद्गलोके मूल व उत्तर प्रकृतियोंके रूपमे आत्मामे साथ सम्बद्ध रहनेके उत्कृष्ट और जघन्य  
कालको स्थितिबन्ध कहा जाता है । उन्ही कर्मपुद्गलोमें जो हीनाधिक फलदान शक्तिका प्रादुर्भाव  
होता है, जिसे आगामी कालमे यथासमय भोगा जाता है, उसका नाम अनुभागबन्ध है । इन्ही  
कर्मपरमाणुओका आत्मामे प्रदेशोके साथ जो एकक्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध होता है तथा समयानुसार  
विशिष्ट विपाकसे रहित वेदन किया जाता है, यह प्रदेशबन्ध कहलाता है । उक्त चार प्रकारके  
बन्धमे प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योगके आश्रयसे तथा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध कषायके  
आश्रयसे हुआ करते हैं ॥८०॥

१. अ वानेन प्रकारेण भूतेनात्मा । २. अ वधोच्यते । ३. अ पयतिट्टित्तिअणु । ४. अ भेद उ ।

उक्तो बन्ध इदानीं सवरमाह—

आसवनिरोह संवर समिर्द्गुत्ताइएहि नायव्वो ।

कमाणणुवायाणं भावत्थो होइ एयस्स<sup>१</sup> ॥८१॥

आश्रवनिरोधः संवरः—आश्रव उक्त एव, तस्मिन्निरोधः कात्स्न्येन निश्चयतः सर्वसंवर उच्यते । शेषो व्यवहारसंवर इति । स समिति-गुप्त्यादिभिर्ज्ञातव्यः । उक्तं च—स समितिगुप्ति-धर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः इत्यादि । कर्मणामनुपादानं भावार्थो भवत्येतस्य संवरस्य । इह यावानेवाशः कर्मणामनुपादानहेतुर्धर्मादीनां<sup>२</sup> तावानेवेह गृह्यते, शेषस्य तपस्येवान्तर्भावात् तस्य च प्रागुपात्तक्षयनिमित्तत्वादिति । अत्र बहु वक्तव्यम्, तत् नोच्यते, गमनिकामात्रत्वादारम्भ-स्येति ॥८१॥

उक्तः संवरः, सांप्रतं निर्जरोच्यते—

तवसा उ निज्जरा इह निज्जरणं खवणनासमेगट्ठा ।

कम्माभावापायणमिह निज्जरमो जिना<sup>३</sup> विंति ॥८२॥

तपसा तु निर्जरा इह—अनशनादिभेदभिन्नं तपः तेन प्रागुपात्तस्य कर्मणो निर्जरा भवति । निर्जराशब्दार्थमेवाह—निर्जरणं क्षपणं नाश इत्येकार्थाः पर्यायशब्दा इति । नानादेशजविनेयगण-प्रतिपत्त्यर्थं अज्ञातज्ञापनार्थं चैतेषामुपादानमदृष्टमेव । अस्या एव भावार्थमाह—कर्मभावापादान-मिह निर्जरा जिना ब्रुवते प्रकटार्थमेतदिति ॥८२॥

अब बन्धके अनन्तर सवरके स्वरूपका निर्देश किया जाता है—

समिति और गुप्ति आदिके द्वारा जो पूर्वोक्त आस्रवका निरोध होता है उसे सवर जानना चाहिए । नवीन कर्मोंका ग्रहण न होना संवर है, यह उसका भावार्थ है ।

विवेचन—जैसा कि तत्त्वार्थसूत्र ( ९-२ ) में निर्देश किया गया है, वह संवर—कर्म-गमनका निरोध—गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्रिके आश्रयसे होता है । वह सर्वसंवर और व्यवहारसंवरके भेदसे दो प्रकारका है । कर्मगमके कारणभूत मिथ्यात्वादि परिणामोका पूर्णतया अभाव हो जानेपर जो संवर होता है उसे निश्चयसे सर्वसंवर कहा जाता है, जो बादर व सूक्ष्म योगके निरोधके समय होता है । शेष—चारित्र्यप्रतिपत्तिके प्रारम्भसे लेकर शेष समयमें जो संवर होता है वह—व्यवहारसंवर कहलाता है । यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि उक्त गुप्ति-समिति आदिका जितना अंश कर्मोंके न आनेका कारण होता है उतने मात्र अंशको ही सवरके रूपमें ग्रहण करना चाहिए, शेष अंशको—जो कर्मनिर्जराका कारण हो—तपके अन्तर्गत जानना चाहिए ॥८१॥

अब निर्जराका निरूपण करते हैं—

तपसे निर्जरा होती है । निर्जरण, क्षपण और नाश ये समानार्थक शब्द हैं । तदनुसार कर्मोंके अभावके आपादनको यहाँ जिन भगवान् निर्जरा कहते हैं ।

विवेचन—इच्छाके निरोधको तप कहा जाता है । वह बाह्य और अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है । उनमें अनशन व ऊनोदर आदिको बाह्य तप तथा प्रायश्चित्त व विनय आदिको अभ्यन्तर तप जानना चाहिए । इस तपके द्वारा जो पूर्वसंचित कर्मका देशतः क्षय—आत्मासे पृथग्भाव—होता है उसे निर्जरा कहा गया है ॥८२॥

१ अ होइ कायस्स । २ सर्वसंवररोच्यते । ३ अ हेतोर्धर्मादीना । ४ अ णियर सो जिणा ।

उक्ता निर्जरा, इदानीं मोक्षमाह—

नीसेसकम्मविगमो मुक्खो जीवस्स सुद्धरुवस्स<sup>१</sup> ।

साइ<sup>२</sup> अपज्जवसाणं अवावाहं अवत्थाणं ॥८३॥

निःशेषकर्मविगमो मोक्षः, कृत्स्नकर्मक्षयात्मोक्ष इति वचनात् जीवस्य शुद्धस्वरूपस्य कर्म-संयोगापादितरूपरहितस्येत्यर्थः । साद्यपर्यवसानं अद्यावाद्यं व्यावाधावजितमवस्थानमवस्थितिः जीवस्यासौ मोक्ष इति । साद्यपर्यवसानता चेह व्यक्त्यपेक्षया, न तु सामान्येन । मोक्षस्यापि अनादिमत्त्वमिति ॥८३॥

उक्तं तत्त्वम्, अधुना प्रकृतं योजयति—

एयमिह सद्वहंतो सम्मदिट्ठी तओ अ नियमेण ।

भवनिच्चेयगुणाओ पसमाइगुणासओ होइ ॥८४॥

एतदनन्तरोदितं जीवाजीवादि, इह लोके प्रवचने वा, श्रद्धाघानः एवमेवेदमित्याद्वान्तःकरण-तया प्रतिपद्यमानः सम्यग्दृष्टिभिर्धीयते विपरीतदर्शनादिति, तत्रैव नियमेनासाववश्यंतया, भव-निर्वेदगुणात् संसारनिर्वेदगुणेन, प्रशमादिगुणाश्रयो भवति उक्तलक्षणानां प्रशमादिगुणानामाधारो भवति । भवति चैत्थंज्ञाने संसारनिर्वेदगुणः, तस्माच्च प्रशमादयः । प्रतीतमेतदिति ॥८४॥

अस्यैव व्यतिरेकमाह—

आगे अन्तिम मोक्ष तत्त्वका स्वरूप कहा जाता है—

समस्त कर्मोंके विगम—आत्मासे पृथक् हो जाने—का नाम मोक्ष है जो शुद्धरूप—कर्मके संयोगसे प्राप्त विभाव भावसे रहित स्वाभाविक स्वरूपसे युक्त—जीवके सादि-अपर्यवसन निर्बाध अवस्थानरूप है ।

विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जीवके साथ जबतक कर्मका सम्बन्ध रहता है तबतक उसका स्वाभाविक स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता, वह समस्त ज्ञानावरणादि कर्मोंके आत्मासे पृथक् हो जानेपर ही प्रादुर्भूत होता है । यह जो जीवके शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति है उसीका नाम मोक्ष है । यह मोक्षरूप जीवकी अवस्था सादि होकर अनन्तकाल तक रहनेवाली है तथा बाधक कर्मोंके हट जानेसे वह निराकुल निर्बाध सुखसे सम्पन्न है ॥८३॥

इस प्रसंगप्राप्त जीवादि तत्त्वोका व्याख्यान करके अब सम्यग्दृष्टिके स्वरूपका निर्देश करते हुए उसके गुणोंको प्रकट किया जाता है—

इस प्रकारसे यहाँ श्रद्धानं करता हुआ—प्रवचनमे प्रतिपादित जीवादि तत्त्व 'इसी प्रकार हैं, अन्यथा नहीं हैं' इस प्रकार निर्मल अन्तःकरणसे श्रद्धानं करनेवाला—जीव सम्यग्दृष्टि होता है । वह संसारसे होनेवाली विरक्तिरूप गुणसे नियमतः पूर्वोक्त ( ५३-६० ) प्रशमादि गुणोंका आश्रय ( भाजन ) होता है ॥८४॥

आगे इससे विपरीत अवस्थामे क्या स्थिति होती है, इसे स्पष्ट किया जाता है—

१. अ अद्धरुवस्स । २. अ सोइ । ३. अ अतोओ 'जीवस्यासौ मोक्ष'पर्यन्त पाठः स्वलितोऽस्ति ।

४. अ प्रकृते ।

विवरीयसद्हाणे मिच्छाभावाओ नत्थि केइ गुणा ।

अणभिनिवेसो उ कयाइ होइ सम्मत्तहेऊ वि ॥८५॥

विपरीतश्रद्धाने उक्तलक्षणानां जीवादिपदार्थानामन्यथा श्रद्धाने । मिथ्याभावात् सन्ति केचन गुणाः, सर्वत्रैव विपर्ययादिति भावः । विपरीतश्रद्धानेऽप्यनभिनिवेशस्तु एवमेवैतदित्यनघ्यवसायस्तु कदाचित्कस्मिंश्चित्काले, यद्वा कदाचित् न नियमेनैव भवति । सम्यक्त्वहेतुरपि जायते सम्यक्त्वकारणमपि । यथेन्द्र-नागादीनामिति ॥८५॥

इदं च सम्यक्त्वमतिचाररहितमनुपालनीयमिति अतस्तानाह—

सम्मत्तसइयारा संका कंखा तहेव वितिगिच्छा ।

परपासंडपसंसा संथवमाई य नायच्वा ॥८६॥

सम्यक्त्वस्य प्राङ्निरूपितशब्दार्थस्यातिचारा अतिचरणानि अतिचारा असदनुष्ठानविशेषाः यैः सम्यक्त्वमतिचरति विराधयति वा । ते च शकादयः । तथा चाह—शका कांक्षा तथैव विचिकित्सा परपाण्डप्रशंसा संस्तवादयश्च ज्ञातव्याः । आदिशब्दादनुपबृंहणोऽस्थिरीकरणदिपरिग्रहः । शंकादीनां स्वरूपं वक्ष्यत्येवेति ॥८६॥

ससयकरण संका कंखा अन्नदंसणग्गाहो ।

संतंमि वि वितिगिच्छा सिज्झिज्ज न मे अय अट्टो ॥८७॥

सशयकरणं शङ्का—भगवदहंतप्रणीतेषु पदार्थेषु घर्मास्तिकायादिष्वत्यन्तगहनेषु मतिदोर्बल्यात्सम्यगनवधार्यमाणेषु संशय इत्यर्थः । किमेव स्यान्नैवमिति । सा पुनर्द्विभेदा देश-सर्वभेदात् ।

जैसा कि जीवादि तत्त्वोका स्वरूप कहा गया है, उसके विपरीत श्रद्धान करनेपर मिथ्याभावके कारण कोई भी गुण नहीं होते । किन्तु अनभिनवेश—विपरीत श्रद्धाके होनेपर भी 'यह इसी प्रकार ही है' ऐसे दुराग्रहरूप मध्यवसायका अभाव—किसी समय या अनियत रूपमें सम्यक्त्वका कारण भी हो जाता है । जैसे—इन्द्र-नागादिकोंके ॥८५॥

आगे सम्यक्त्वके अतिचारोका निर्देश किया जाता है—

शका, काक्षा, उसी प्रकार विचिकित्सा, परपाण्डप्रशंसा और संस्तव इत्यादि उस सम्यक्त्वके अतिचार—उसको मलिनित करनेवाले दोष जानना चाहिए । अतिचारसे अभिप्राय ऐस असदाचरणविशेषोका है जिनसे उस सम्यक्त्वकी विराधना होती है । आदि शब्दसे यहाँ अनुपबृंहण एव अस्थिरीकरण आदि अन्य अतिचारोकी भी सूचना की गयी है ॥८६॥

अब आगेकी गाथा द्वारा उक्त अतिचारोमे प्रथम तीन अतिचारोंका स्वरूप कहा जाता है—

पूर्वोक्त जीवादि तत्त्वोके विषयमे सन्देह करनेका नाम शका है । भिन्न-भिन्न दर्शनो (मतो) के विषयमे अभिलाषा रखना, यह काक्षाका लक्षण है । समोचीन पदार्थके विषयमें भी जो 'यह अर्थ मुझे सिद्ध होगा या नहीं' इस प्रकारसे फलके विषयमे व्यामोह होता है, इसे विचिकित्सा कहा जाता है ।

विवेचन—भगवान् जिनेन्द्र देवके द्वारा उपदिष्ट पदार्थोंमे जो घर्मास्तिकाय आदि अत्यन्त गहन पदार्थ हैं उनके विषयमे बुद्धिकी दुर्बलतासे ठीक ठोक निश्चय न हो सकनेके कारण 'क्या यह

१ अ सथवमादी । २ अ 'बृहणास्थि-' इत्यतोऽप्रेऽग्निमगाथायाद्योऽन्तर्गत 'भगवदहंतप्रणीते-' पर्यन्तः पाठः स्वलितोऽस्ति ।

देशशङ्का देशविषया, यथा किमयमात्माऽसद्बुध्यैयप्रदेशात्मकः स्यादथ निःप्रदेशो निरवयवः स्यादिति । सर्वशङ्का पुनः सकलास्तिकायव्रात एवं किमेवं स्यान्नैवमिति । कांक्षाऽन्योन्यदर्शनप्राहः सुगतादिप्रणीतेषु दर्शनेषु ग्राहोऽभिलाष इति । सा पुनर्द्विभेदा देश-सर्वभेदात् । देशविषया एकमेव सौगतं दर्शनमाकाक्षति—चित्तजयोऽत्र प्रतिपादितोऽयमेव च प्रधानो मुक्तिहेतुरिति, अतो घटमानकमिदं न दूरापेतमिति । सर्वकांक्षा तु सर्वदर्शनान्येव कांक्षति<sup>१</sup>—अहिंसाप्रतिपादनपराणि सर्वाण्येव कपिल-कणभक्षाक्षपाद-मतानि इह लोके च नात्यन्तक्लेशप्रतिपादनपराणि, अतः शोभनान्ये-वेति । सत्यपि विचिकित्सा—सिद्ध्येत् न मेऽयमर्थ इति । अयमत्र भावार्थः—विचिकित्सा मति-विभ्रमो युक्त्यागमोपपन्नेऽध्यर्थे फल प्रति संमोहः किमस्य महत्तपःक्लेशायासस्य सिकताकण-कवलकल्पस्य कनकावल्यादेरायत्या<sup>२</sup> मस फलसपद्भुविष्यति किं वा नेति । उभयथेह क्रियाः फलवत्यो निष्फलाश्च दृश्यन्ते कृषोबलानाम् । न चेयं शङ्कातो न भिद्यते इत्याशङ्कनीयम्, शंका हि सकलासकलपदार्थभावत्वेन द्रव्य-गुणविषया, इयं तु क्रियाविषयैव । तत्त्वतस्तु सर्वं एते प्रापो

इसी प्रकार है या वैसा नहीं है' इस प्रकारका जो सन्देह रहता है, इसे शंका कहा जाता है । यह सम्यक्त्वको मलिन करनेवाला उसका एक अतिचार है । अतिचार, व्यतिक्रम और स्खलित ये समानार्थक शब्द हैं । अभिप्राय यह है कि विवक्षित व्रतादिसे देशतः स्खलित होना या उसे प्रति-कूल आचरणके द्वारा मलिन करना, इसे अतिचार समझना चाहिए । वह शंका देशशंका और सर्वशंकाके भेदसे दो प्रकारकी है । 'क्या यह आत्मा असख्यातप्रदेशवाला है अथवा प्रदेशोसे रहित निरवयव है' इस प्रकार उक्त अस्तिकायोमेसे किसी एकके विषयमे सन्देह बना रहना, इसका नाम देशशंका है । सभी अस्तिकायोके विषयमे ही 'क्या इस प्रकार है अथवा वैसा नहीं है' इस प्रकारका जो सन्देह बना रहता है उसे सर्वशंका कहते हैं । बुद्ध आदिके द्वारा प्रणीत दर्शनविषयक अभिलाषाका नाम कांक्षा है । वह देशकांक्षा और सर्वकांक्षाके भेदसे दो प्रकारकी है । इन दर्शनोंमे किसी एक ही बौद्ध आदि दर्शनविषयक जो अभिलाषा होती है वह देशकांक्षा कहलाती है । जैसे— बौद्ध दर्शनमे चित्तके जयका प्रतिपादन किया गया है, यही मुक्तिका प्रमुख कारण है, अतः वह युक्तिसगत है; इस प्रकार एक बौद्ध दर्शनकी ही अभिलाषा करना । कपिल, कणाद और अक्षपाद आदि महर्षियोंके द्वारा प्रणीत सभी दर्शन अहिंसाका प्रतिपादन करनेवाले हैं तथा उनमे अतिशय क्लेशका भी प्रतिपादन नहीं किया गया है, अतः वे उत्तम हैं; इस प्रकार सभी दर्शनविषयक अभिलाषाको सर्वकांक्षा कहा जाता है । यह उस सम्यक्त्वका दूसरा अतिचार है । यह अर्थ मुझे सिद्ध हो सकता है या नहीं, इस प्रकारसे युक्ति व आगमसे संगत यथार्थ भी पदार्थके विषयमे जो फलकी प्राप्तिविषयक बुद्धिभ्रम होता है उसे विचिकित्सा कहते हैं । इस प्रकारकी विचिकित्साके वशीभूत हुआ प्राणी यह विचार करता है कि बालुकणोके ग्रासके समान महान् तपजनित क्लेश और परिश्रमके जनक जो यह कनकावली आदि तप हैं उनसे भविष्यमे क्या मुझे कुछ फलसम्पत्ति प्राप्त होगी या नहीं, कारण यह कि किसानो आदिकी क्रियाएँ सफल और निष्फल दोनों प्रकारकी देखी जाती हैं, इत्यादि । इस प्रकारके बुद्धिभ्रमसे उस सम्यग्दर्शनकी विराधना होती है । यह सम्यग्दर्शनका तीसरा अतिचार है । यहाँ यह शंका हो सकती है कि इस प्रकारके बुद्धिभ्रमको शंकासे भिन्न नहीं कहा जा सकता, अतः उससे इसका पृथक् निर्देश करना उचित नहीं है । इसके समाधानमे यह कहा गया है कि वह शंकाके अन्तर्गत नहीं हो सकती । इसका कारण यह है कि

१. अ कायव्रतते । २ अ 'सर्वदर्शनान्येव काक्षति' इत्येतावान् पाठो नास्ति । ३. अ सिद्धित । ४. अ प्रति सम्मो प्रतिपादनपराण्यवाह किमस्य । ५. अ कनकोवत्यो आयात्या ।



मिथ्यात्वमोहनीयोदयतो भवन्तो जीवपरिणामविशेषाः सम्यक्त्वातिचारा उच्यन्ते । न सूक्ष्मेक्षिका  
अत्र कार्येति । अथवा विचिकित्सा विद्वज्जुगुप्सा—विद्वान्साः साधवो विदितसंसारस्वभावाः  
परित्यक्तसर्वसङ्गास्तेषां जुगुप्सा निन्दा । तथाह—तेऽस्नानात्प्रस्वेदजलधिलन्तमलिनत्वात् दुर्गन्ध-  
वपुषो भवन्ति, तान्निन्दति, को दोषः स्याद्यदि प्राशुकेन वारिणाङ्गप्रक्षालनं कुर्वीरन् भगवन्त इति ।  
इयमपि न कार्या, देहस्यैव परमार्थतोऽशुचित्वादिति ॥८७॥

परपाषण्डपसंसा सकाङ्गमिह वन्नवाओ उ ।

तेहिं सह परिचओ जो स सथवो दोइ नायव्वो ॥८८॥

परपाषण्डानां सर्वज्ञप्रणीतपाषण्डव्यतिरिक्तानां प्रशसेति समासः, प्रशंसनं प्रशंसा स्तुति-  
रित्यर्थः । तथा चाह—शाक्यादीनामिह वर्णवादस्तु । शाक्या रक्तभिक्षुः आदिशब्दात्परिव्राजका-  
दिपरिग्रहः । वर्णवादः प्रशसोच्यते—पुण्यभाज एते सुलब्धमेभिर्मानुजं जन्म दयालव एत इत्यादि ।  
तेः परपाषण्डैरनन्तरोदितैः सह परिचयो यः स सस्तवो भवति ज्ञातव्यः, परपाषण्डसंस्तव इत्यर्थः ।  
संस्तव इह सवादजनितः परिचयः संवसन-भोजनालापादिलक्षणः परिगृह्यते, न स्तरूप । तथा  
च लोके प्रतीत एव सपूर्वः स्तोतिः परिचय इति “असस्तुतेषु प्रसभं भयेषु” इत्यादौ इति ॥८८॥

शका जहाँ समस्त व असमस्त पदार्थोंक आश्रित होनेसे द्रव्य और गुणको विषय करती है वहाँ  
यह विचिकित्सा क्रियाको हो विषय करती है, यह उन दोनोमे भेद समझना चाहिए । वास्तवमें  
तो मिथ्यात्व मोहनीयके उदयसे होनेवाले ये सब जीवके परिणाम विशेष सम्यक्त्वके अतिचार कहे  
जाते हैं, अतः उनके विषयमे इतना सूक्ष्म विचार करना योग्य नहीं है । अथवा विचिकित्साको  
विद्वज्जुगुप्साके रूपमे ग्रहण करना चाहिए । विद्वान्से यहाँ अभिप्राय उन साधुओका है जो संसारके  
स्वभावको जानकर समस्त परिग्रहका परित्याग कर चुके हैं, उनकी इस प्रकारसे निन्दा करना  
कि स्नान न करनेके कारण इनका शरीर पसीनेके पानासे मलिन व दुर्गन्धको फैलानेवाला है, यदि  
ये प्रासुक जलसे शरीरको धो लिया करें तो क्या दोष होगा, इत्यादि । यह विद्वज्जुगुप्सा भी चूँकि  
उस सम्यक्त्वको मलिन करनेवाली है अतः उसका भी परित्याग करना उचित है । वास्तवमें तो  
शरीर स्वभावतः स्थय अपवित्र है, उसे स्नानादिके द्वारा बाह्यमे ही कुछ स्वच्छ किया जा सकता  
है, भीतरी भागमे तो वह मल-मूत्रादि अपवित्र पदार्थोंसे परिपूर्ण ही रहनेवाला है ॥८७॥

आगे उस सम्यग्दर्शनके अन्य दो अतिचारोका स्वरूप कहा जाता है—

शाक्य आदिकोंके वर्णवाद ( प्रशंसा ) का नाम परपाषण्डप्रशंसा है । उन्हीके साथ जो  
परिचय होता है उसे परपाषण्डसंस्तव जानना चाहिए ।

विवेचन—पाषण्डका अर्थ पापको खण्डित करनेवाला सदाचरण या समय होता है । इस  
प्रकारके संयमसे जो सम्पन्न होते हैं उन्हें यथार्थतः साधु समझना चाहिए । इनसे भिन्न अन्य  
शाक्य ( रक्तभिक्षु ) व परिव्राजक आदिकों परपाषण्ड कहा गया है । उनको जो प्रशंसा की जाती है  
कि ये बहुत भाग्यशाली हैं, इन्हें सुन्दर मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ है, ये दयालु होते हैं, इसे परपाषण्ड-  
प्रशंसा नामक उस सम्यग्दर्शनका चौथा अतिचार जानना चाहिए । इन्ही परपाषण्डोंके साथ जो  
एक साथ रहने, भोजन करने व सम्भाषण करने आदिरूप संवादजनित परिचय किया जाता है  
उसे परपाषण्डसंस्तव कहा जाता है । संस्तवसे यहाँ उक्त प्रकारके परिचयको ही ग्रहण करना  
चाहिए, न कि स्तुतिरूप स्तवको । यह उसका पाँचवाँ अतिचार है ॥८८॥

१ सकाङ्गमिह वन्नवादो उ । २. अ प्रससेति प्रससा समास । ३. अ 'एव सपू' इत्यतोऽग्रे 'अधुना शकादी-  
नामतिचारतामाह' पर्यन्त पाठस्मृतितोऽस्ति ।

अधुना शंकादीनामतिचारतामाह—

संकाए मालिन्नं जायइ चित्तस्स पच्चओ अ जिणे ।

सम्मत्ताणुचिओ खलु इइ अइआरो भवे संका ॥८९॥

शङ्कायामुक्तलक्षणयायां सत्याम् ? मालिन्यं जायतेऽवबोधश्चद्व्याप्रकाशमङ्गीकृत्य ध्यामलत्वं जायते । कस्य ? चित्तस्य । अन्तःकरणस्याप्रत्ययश्च अविश्वासश्च । क्व ? जिनेऽर्हति । जायत इति वर्तते । न ह्याप्तया प्रतिपन्नवचने संशयसमुद्भवः । सम्यक्त्वानुचितः खलु अयं च भगवत्प्रत्ययः सम्यक्त्वानुचित एव, न हि सम्यक्त्वमालिन्यं तदभावमन्तरेणैव भवति । इत्येवमनेन प्रकारेण । अतिचारो भवति शङ्का, सम्यक्त्वस्येति प्रक्रमाद्गम्यते । अतिचारश्चेह परिणामविशेषान्नयमत-भेदेन वा सत्येतस्मिन् तस्य स्वलनमात्रं तदभावो वा ग्राह्यः । तथा चान्यैरप्युक्तम्—

एकस्मिन्नप्यर्थे संदिग्धे प्रत्ययोऽर्हति हि नष्टः ।

मिथ्या च दर्शनं तत्स चादिहेतुर्भवगतीनाम् ॥ इति ॥८९॥

प्रतिपादितं शङ्काया अतिचार त्वम् । अधुना दोषमाह—

नासइ इमीइ नियमा तत्ताभिनिवेशं मो सुकिरिया य ।

तत्तो अ बंधदोसो तम्हा एयं विवज्जिज्जा ॥९०॥

आगे शंकाको अतिचार क्यों माना गया, इसे स्पष्ट किया जाता है—

शंकासे चित्तकी मलिनता होती है तथा सर्वज्ञ जिनके विषयमें अविश्वास भी उत्पन्न होता है । यह सम्यक्त्वके लिए अनुचित ही है । इसी कारण वह शंका सम्यग्दर्शनका अतिचार है ।

विवेचन—आप्त ( विश्वस्त ) स्वरूपसे जिस वचनको स्वीकार किया गया है उसके विषयमें कभी अविश्वास नहीं उत्पन्न होता, और यदि वह उत्पन्न होता है तो विश्वास चला जाता है । इस प्रकार जिनवाणीविषयक सन्देह जिनदेवके विषयमें अविश्वासका सूचक है । वह तत्त्वार्थ-श्रद्धानरूप उस सम्यक्त्वका विराधक है । इससे चित्त भी मलिन होता है—उसका ज्ञान व श्रद्धारूप प्रकाश घूमिल होता है । कारण यह कि वीतराग सर्वज्ञ जिनके विषयमें जबतक अविश्वास उत्पन्न न हो तबतक सम्यक्त्व मलिन हो नहीं सकता । इस कारण सम्यक्त्वकी विराधक या उसे मलिन करनेवाली होनेसे शंकाको उस सम्यक्त्वका अतिचार कहा गया है । सम्यक्त्वके होते हुए परिणाम विशेषसे अथवा नयविषयक मतभेदके कारण उससे स्वलित होना अथवा उसका अभाव होना, इसे अतिचार समझना चाहिए । अन्योके द्वारा भी यह कहा गया है कि यदि एक भी अर्थके विषयमें सन्देह उत्पन्न होता है तो अरहन्तके विषयमें विश्वास नष्ट हो जाता है और दर्शन मिथ्या हो जाता है । अरहन्त विषयक वह अविश्वास चतुर्गतिस्वरूप संसारमें भ्रमण करने-का प्रमुख हेतु होता है ॥८९॥

आगे उस शंकाको दोषरूप भी दिखलाते हैं—

इस शंकाके रहनेपर नियमतः तत्त्वविषयक अभिनिवेश—सम्यक्त्वपरिणाम—और उत्तम क्रिया ( सदाचरण ) भी नष्ट होती है । इस कारण उससे बन्धका दोष—कर्मबन्धका अपराध—होता है, इसलिए उसे छोड़ना चाहिए ।

नश्यत्यनया शंकया हेतुभूतया, अस्यां वा सत्याम् । नियमान्निग्रमेनावश्यंतया । तत्त्वाभि-  
निवेशः सम्यक्त्वाध्यवसायः, श्रद्धाभावादानुभवसिद्धमेतत् । मो इति पूरणार्थो निपातः । सुक्रिया  
च शोभना चात्यन्तोपयोगप्रधाना क्रिया च । नश्यति, श्रद्धाभावात् । एतदपि अनुभवसिद्धमेव ।  
ततश्च तस्माच्च तत्त्वाभिनिवेश-सुक्रियानाशात् । बन्धदोषः कर्मबन्धापराधः । यस्मादेव तस्मा-  
देनां शङ्का विवर्जयेत् । ततश्च मुमुक्षुणा व्यपगतशङ्केन सता मतिदोर्वल्यात्संशयास्पदमपि जिन-  
वचनं सत्यमेव प्रतिपत्तव्यं, सर्वज्ञाभिहितत्वात्तदन्यपदार्थवदिति ॥९०॥

उक्तः पारलौकिको दोषः, अधुनेहलौकिकमाह—

इह लोगम्मि वि दिट्ठो संकाए चेव दारुणो दोसो ।

अविसयविसयाए खलु पेयापेया उदाहरणं ॥९१॥

इह लोकेऽप्यास्तां तावत्परलोक इति । दृष्ट उपलब्धः । शङ्काया<sup>१</sup> एव सकाशाद् । दारुणो  
दोषः रौद्रोऽपराधः । किमविशेषणशङ्कायाः । नेत्याह—अविषयविषयायाः खलु<sup>२</sup> । खलुशब्दोऽव-  
धारणे । अविषयविषयाया एव । अविषयो नाम यत्र शङ्का न कार्येव ।

पेयापेयावुदाहरणं<sup>३</sup> । तच्चेदम्—जहा एगंमि नगरे एगस्स सेट्ठिस्स दोन्नि पुत्ता लेहसालाए  
पढन्ति । सिणेहयाए तेत्ति<sup>४</sup> माया मा कोइ मुच्छिही अप्पसागारिए मइमेहाकारि<sup>५</sup> ओसहपेयं देहि ।  
तत्थ परिभुजमाणो चेव एगो चित्तेइ गूणं मच्छियाउ एयाउ । तस्स य संकाउ पुणो पुणो वमंतस्स

विवेचन—सर्वज्ञ व वीतराग जिनेन्द्रके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वके विषयमें सन्देहके रहनेपर  
तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व और अशुभके परिहारापूर्वक शुभ प्रवृत्ति रूप चारित्र्य भी नष्ट होता  
है । साथ ही सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञानकी यथार्थता भी नष्ट होनेवाली है । इस प्रकार शकाके  
द्वारा कर्मबन्धके रोधक रत्नत्रयके अभावमें मिथ्यात्व व अविरति आदिके निमित्तसे कर्मका बन्ध  
अवश्यम्भावो है । यह जो बड़ा अपराध उस शकाके द्वारा होनेवाला है वह उस शकाका दोष है ।  
इस प्रकार शकाको अनर्थ परम्पराका मूल कारण जानकर उसका परित्याग करना श्रेयस्कर है ।  
छद्मस्थ होनेसे यदि बुद्धिकी मन्दतासे किसी सूक्ष्म तत्त्वका निर्धारण नहीं होता है तो यह समक्ष-  
कर कि सर्वज्ञ वीतराग प्रभु अन्यथा व्याख्यान नहीं कर सकते, अत उनके द्वारा उपदिष्ट वस्तु-  
स्वरूप यथार्थ है, इस प्रकार सन्देहसे रहित होकर उसपर विश्वास करना योग्य है ॥९०॥

इस प्रकार शकासे होनेवाले पारलौकिक दोषकी सूचना करके अब उसके द्वारा होनेवाले  
इस लोक सम्बन्धी अहितको दिखलाते हैं—

अविषय—शकाके अयोग्य विषय—को विषय करनेवाली उस शकाके ही आश्रयसे इस  
लोकमें भी भयानक दोष देखा गया है । इसके लिए पेय-अपेयका उदाहरण प्रसिद्ध है ।

विवेचन—जो विषय शकाके योग्य हो उसमें यदि शका रहती है तो उचित है । किन्तु जो  
विषय शकाके योग्य नहीं है या जहाँ शका नहीं रहनी चाहिए वहाँ भी यदि वह शका बनी रहती  
है तो वह हानिकर ही होती है । इसकी पुष्टिमें यहाँ पेय-अपेयका उदाहरण दिया गया है । यथा—  
किसी एक नगरमें एक सेठ रहता था । उसकी पत्नी एक पुत्रकी जन्म देकर मरणको प्राप्त हो  
गयी । तब उसने दूसरा विवाह कर लिया । इस दूसरी पत्नीके भी एक पुत्र हुआ । उसके वे  
दोनों पुत्र लेखशालामें पढते थे । भोजनके समय पाठशालासे आकर वे दोनों घरके भीतर प्रविष्ट

१ अ पेयापया । २ अ शक्या । ३ अ 'खलु' नास्ति । ४ अ पेयापायावुदाहरण । ५ अ सणेहयाए  
एत्तेत्ति । ६ अ मुच्छिही अत्थसोगारिए या मएमेहाकरि ।

वग्गुलीवाही जाओ, मओ य, इहलोगभोगाण अणाभागी जाओ । अवरो न माया अहियं चित्तेइ  
त्ति णिस्संको पियइ, णिरएण य गहिओ विज्जाकलाकलावो, इहलोगियभोगाण य, आभागी  
जाउ त्ति । उपनयस्तु कृत एवेति ॥९१॥

सांप्रतं कांक्षादिष्वतिचारत्वमाह—

एवं कंखाईसु वि अइयारत्तं तहेव दोषा य ।

जोइज्जा नाए पुण पत्तेयं चेव बुच्छामि ॥९२॥

एवं कांक्षादिष्वपि यथा शङ्कायामतिचारत्वम् । तथैव दोषाश्च योजयेत् । यतः कांक्षायामपि मालिन्यं जायते चित्तस्य, अप्रत्ययश्च जिने, भगवता प्रतिषिद्धत्वात् । एवं विचिकित्सादिष्वपि भावनोयम् । तस्मान्न कर्तव्याः कांक्षादयः । ज्ञातानि पुनः प्रत्येकमेव कांक्षादिषु वक्ष्येऽभिघास्य इति २ ॥९२॥

रायामच्चो विज्जासाहगसड्ढगसुया य चाणक्को ।

सोरट्टसावओ<sup>३</sup> खलु नाया कंखाइसु हवन्ति ॥९३॥

तत्र कांक्षायां राजामात्यो—राजकुमारामच्चो य अस्सेणावहरियाँ अडॉवि पविट्टा छुहा-

हुए । उस समय माताने उन्हे मासकणोसे स्फोटित—उड़दके दानोसे छोका गया—एक पेय दिया । तत्र उनमेसे जिसकी माता मर चुकी थी वह उसे लेकर विचार करता है कि ये निश्चित ही मक्खियाँ हैं । इस शकाके साथ पान करनेपर उसे बार-बार वान्ति हुई व वग्गुलि व्याधि ( रोगविशेष ) हो गयी, जिससे वह मरणको प्राप्त होकर इस लोक सम्बन्धी भोगोसे वंचित हो गया । इसके विपरीत दूसरा पुत्र विचार करता है कि माता कभी अहितको नहीं सोच सकती, अतः वह मक्खियोको कैसे दे सकती है ? इस प्रकारसे वह उसे उत्तम पेय समझता हुआ नि शक होकर पी लेता है । ऐसा करनेपर वह नीरोग रहकर विद्याकलापको ग्रहण करता हुआ इस लोक सम्बन्धी भोगोका भोक्ता होता है ॥९१॥

आगे शंकाके समान अन्य कांक्षा-आदिको भी अतिचार व दोषरूप जानना चाहिए, यह निर्देश किया जाता है—

इसी प्रकार—शकाके समान—कांक्षा आदि अन्य अतिचारोके विषयमें भी अतिचारता और उसी प्रकारसे दोषोकी भी योजना करना चाहिए । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार शकासे चित्तको मलिनता और भगवान् जिनेन्द्रके विषयमें अविश्वासका भाव होनेसे वह सम्यक्त्वके अतिचाररूप है उसी प्रकार उस चित्तकी मलिनता और जिन भगवान्पर अविश्वासके जनक होनेसे उन कांक्षा आदिकोकी भी सम्यक्त्वके अतिचाररूप जानना चाहिए । गाथाके अन्तमें ग्रन्थकार उनमेसे प्रत्येकके उदाहरण कहनेका निर्देश करते हैं ॥९२॥

तदनुसार आगे क्रमसे उन कांक्षा आदिके उदाहरणोका निर्देश किया जाता है—

पूर्वोक्त कांक्षा आदिकोके विषयमें ये उदाहरण हैं—राजा व अमात्य, विद्यासाधक श्रावक व श्रावकसुता, चाणक्य और सौराष्ट्रश्रावक ।

विषेचन—गाथोक्त इन उदाहरणोमे प्रथम राजा और अमात्यका उदाहरण कांक्षासे सम्बद्ध है । उसकी कथा इस प्रकार है—किसी समय राजा और उसका कुमार अमात्य घोड़ेके

१. सु दोषाद्व । २. अ<sup>०</sup>पु विघास्य इति । ३. अ<sup>०</sup>दुसद् [इड] गो । ४. अ राजाकुमारामयो य आसेणा ।

परद्वृ वणफलाणि<sup>१</sup> खायन्ति । पडिणियत्ताणं राया चित्तेइ लड्डुइय-पूयलगमाईणि सम्वाणि खामि । आगया दोवि जणा । रन्ना सूयारा भणिया जं लोए पयरइ तं सव्वं सव्वे<sup>२</sup> रघेह<sup>३</sup> । तेहि रंघित्ता उवट्टवियं<sup>४</sup> रन्नो सो राया पेच्छरायेदिट्ठं करेइ कप्पडियावल्लिह<sup>५</sup> षाडिज्जंति एवं मिट्टस्स अवगासे होइ त्ति कणग कुंडगाईणि उंडेराणि वि खइयाणि । तेहि सूलेण ममो । अमच्चेण पुण वमण-विरेयणाणि कयाणि सो<sup>६</sup> भोगाणं आभागी जाओ त्ति ।

विचिकित्सायां विद्यासाधकसावगो नदीसरवरगमणं दिव्वगंधाणं देवसंसग्गेण<sup>७</sup> मित्तस्स पुच्छणं विज्जाए पदाणं साहणं मसाणे चउपायगसिक्कयं हेट्टा इंगालखायरोयस्तलो अट्टसयवारा परिजवित्ता पादो सिक्कगस्स च्छिज्जइ । एवं दोओ तइओ य च्छिज्जइ । चउत्थे छिन्ने आगासेण वच्चइ । तेण सा विज्जा गहिया । कालचउट्टसिरत्ति साहेइ मसाणे । चोरो य णयरारक्खिएहि<sup>८</sup> पारदो (पेल्लिओ)<sup>९</sup> परिभममाणो तत्थेव अइगओ । ताहे वेडेउं मसाणं ठिया पभाए घिप्पिही ।

द्वारा अपहृत होकर जंगलके भीतर प्रविष्ट हुए । वहाँ दोनो भूखसे व्याकुल होकर वनके फलोको खाते हैं । वापस आते समय राजा सोचता है कि लड्डू और पूयलग आदि सब खाऊंगा । दोनोंके घर आ जानेपर राजाने रसोइयोको बुलाकर कहा कि जो-जो लोकमे उत्तम भोज्य पदार्थ प्रचलित हैं उन सबको रांधो । आज्ञानुसार उन रसोइयोने सब रांधकर राजाके सामने उपस्थित कर दिया । तब राजा काक्षाके वश होकर... .. (?) इस प्रकारसे मीठेके लिए अवकाश प्राप्त होगा, ऐसा विचार करते हुए कणग व कुंडग आदि तथा उंडेरो (?) को भी खा डाला । उनसे उत्पन्न हुई शूलकी वेदनासे व्यथित होकर वह मर गया । परन्तु अमात्यने काक्षासे रहित होकर वमन व विरेचन करते हुए उन दूषित फलो आदिको उदरसे बाहर निकाल दिया । इससे वह जीवित रहकर भोगोका भोका हुआ । इस उदाहरणमे उक्त प्रकारसे कांक्षा और अनाकाक्षाके फलको प्रगट किया गया है ।

तीसरे अतिचारमे विचिकित्सा और विद्वज्जुगुप्साके रूपमे दो विकल्प हैं । यहाँ दोनोंके ही पृथक्-पृथक् उदाहरण दिये गये हैं । उनमे प्रथम उदाहरणभूत विद्यासाधक श्रावकका कथानक इस प्रकार है—एक श्रावक नन्दीश्वर द्वीपको गया था । उसके शरीरका दिव्य गन्ध हो गया । इस दिव्य गन्धको देखकर उसके एक मित्र श्रावकने उससे पूछा । उत्तरमें उसने यथार्थ स्थिति कहकर उसे वह विद्या दे दो व उसके साधनेकी विधिको समझाते हुए कहा कि इसे श्मशानमे जाकर सिद्ध करना पड़ता है । इसके लिए वहाँ चार पादोका सीका बांधकर व उसके नीचे खदिर वृक्षकी लकडीकी अग्नि और शूल आदि अस्त्रोको रखकर उस सीकेपर चढ जाना चाहिए । पश्चात् उसके ऊपर स्थित रहकर एक सौ आठ बार मन्त्रको जपते हुए उसके एक-एक पादको काटना चाहिए । इस क्रमसे पहले, दूसरे और तीसरे पादके कट जानेपर जब चौथा पाद काटा जायेगा तब आकाशसे गमन होता है—आकाशगामिनो विद्या सिद्ध हो जाती है । इस प्रकार कहनेपर मित्र श्रावकने विद्याको ग्रहण कर लिया । फिर वह उसे सिद्ध करनेके लिए कृष्ण-चतुर्दशीके दिन श्मशानमे जाकर निर्दिष्ट विधिके अनुसार उसके सिद्ध करनेमे प्रवृत्त हुआ । इस

१ सु वणफलादिणि । २ अ त सव्वे सव्व । ३ अ उवट्टविय वि ए रन्नो । ४ अ राया पेत्य ( च्छ ) णयदिट्ठं करेइ कप्पडियावल्लिह । ५ अ विरेयणाणि सो । ६ गवाण सधमेण । ७ अ साहण समाहेण च्च । ८ अ (पेल्लिओ) नास्ति ।

सो<sup>१</sup> य भमंतो तं विज्जासाहंगं पेच्छइ । तेण पुच्छिओ सो भणइ विज्जं साहेमि । चोरो भणइ केण ते दिण्णा । सो भणइ सावगेणं । चोरेण भणिय इमं दव्वं गिण्हाहि, विज्जं देहि । सो सड्ढो विचिकित्सइ<sup>२</sup> सिज्जेज्जा न व इत्ति । तेणं दिग्घा । चोरो चित्तेइ सावगो कीडियाएवि पावं नेच्छइ, सच्चमेयं । सो साहिउमारद्धो,<sup>३</sup> सिद्धा । इयरो सलोद्धो ( सलुत्तो ) गहिउ<sup>४</sup> । तेण आगासगएण लोगो भेसिओ, ताहे सो मुक्को । दोवि सावगा जाय त्ति ॥

विद्वज्जुगुप्सायां श्रावकसुताउदाहरणे एगो सेट्टो पव्वंते वल्लइ ( तल्लइ ) । तस्स<sup>५</sup> धूया-विवाहे कहवि साहुणो आगया । सा पिउणा भणिया—पुत्तिए, पड्डिलाभेहि साहुणो । सा मडियपसाहिया पड्डिलाभेइ । साहूण जल्लागघो तीए आघातो । सा चित्तेइ—अहो अणवज्जो भट्टारगेहि धम्मो देसिओ, जइ पुण फासुएण पाणीएण ण्हाएज्जा को दोसो होज्जा । सा तस्स ट्ठाणस्स अणालोइय अपडिक्कंता कालं काळणं रायगिहे गणियापाढे<sup>६</sup> समुप्पन्ना । गवभगया

प्रकार सीका बांधने आदिकी समस्त क्रियाको करके वह यह निश्चय नहीं कर सका कि विद्या सिद्ध होगी भी या नहीं । इस बीच एक चोर, जिसका पीछा नगरके आरक्षक ( कोतवाल आदि ) कर रहे थे, भागता हुआ वहाँ आया । नगरारक्षकोने श्मशानको घेरकर वहाँ स्थित होते हुए विचार किया कि इसे सवेरे गिरफ्तार कर लेंगे । उधर चोरने वहाँ घूमते हुए उस श्रावकको अस्थिरचित्त देखकर उससे पूछा कि यह क्या कर रहे हो । इसपर उत्तरमे श्रावकने कहा कि मैं विद्याको सिद्ध कर रहा हूँ । तब चोरके पुनः यह पूछनेपर कि इसे तुम्हे किसने दिया है श्रावकने कहा कि इसे मेरे एक मित्र श्रावकने दिया है । इसपर चोर बोला कि इस द्रव्य ( हार ) को ले लो और विद्या मुझे दे दो । तब 'वह मुझे सिद्ध होगी या नहीं' इस प्रकार बुद्धिभ्रमसे युक्त श्रावकने उसे वह विद्या दे दी । चोरने विचार किया कि श्रावक क्रीड़ामे भी पापको इच्छा नहीं करता है, यह सत्य है । इस प्रकार स्थिरचित्त होकर चोरने उसे सिद्ध करना प्रारम्भ कर दिया । वह उसे सिद्ध भी हो गयी । उधर प्रातःकालके हो जानेपर नगरारक्षकोने चोरके द्वारा दिये गये उस द्रव्यके साथ श्रावकको चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया, तब उस विद्याके प्रभावसे आकाशमे गये हुए उस चोरने नगरारक्षकोको डराया-धमकाया । इस प्रकार उससे भयभीत होकर उन्होंने उसे छोड़ दिया । तब दोनो ही श्रावक हो गये । इस प्रकार विचिकित्साके कारण श्रावक<sup>७</sup>जिस विद्याको सिद्ध नहीं कर सका वह उस चोरको विचिकित्साके अभावमे अनायास ही सिद्ध हो गयी ।

द्वितीय विकल्पभूत विद्वज्जुगुप्साके उदाहरणमे श्रावकसुताका कथानक इस प्रकार है— एक सेठ प्रत्यन्त ( अनार्यदेश ) मे रहता था । उसकी पुत्रीके विवाहके समय कहीसे साधु आये । तब पिताने पुत्रीसे भोजन आदिके द्वारा उनका स्वागत करनेके लिए कहा । तदनुसार वह वस्त्रा-भूषणादिसे सुसज्जित होकर उनके स्वागतके लिए उद्यत हुई । उस समय उसे साधुओके पसीनेसे मलिन शरीरसे फैलती हुई दुर्गन्ध सूँघनेमे आयी । तब उसने विचार किया कि भगवान्ने निर्मल धर्मका उपदेश दिया है । यदि ये प्रासुक जलसे स्नान कर लिया करें तो कौनसा दोष होगा । इस प्रकार उसने साधुओकी निन्दा की । तत्पश्चात् वह साधुनिन्दाजनित उस अपराधकी आलोचना व प्रतिक्रमण न करके मरणको प्राप्त होती हुई राजगृह नगरके भीतर एक वेश्याके पेटमे आयी ।

१. अ पमाए वहि सो । २. अ केण इ दिण्णा । ३. सु सो विचिकिच्छइ । ४. अ सोहेउमारद्धा । ५. अ इयरो सलुत्तो गहिओ । ६. अ पव्वंते तस्सइ तस्स । ७. अ लोइय पडिक्कंता । ८. अ गणि-यापोढे ।

चेव अरइं जणेइ, गन्मसाडणेहि<sup>१</sup> य ण सडइ । जाया समाणी उज्जि[ज्जि]या । सा गंधेण तं वनं वासेइ । सेणियो तेण पदेसेण णिगच्छइ सामिणो वंदिउ । सो खंवावारी तीए गंधं ण सहइ । रन्ना पुच्छयं किं एयं । तेहिं कहियं दारियाए गंधो । गंतूणं दिट्ठा भणइ एस एवै पढम पुच्छ त्ति । गओ वदित्ता पुच्छइ । तओ भगवया तीए उट्ठणपारियावणिययै कहिया । तओ राया भणइ — कहिं एसा पचचणुभविस्सइ सुह वा दुखं वा । सामी भणइ — एएण कालेण वेइयं, इयाणिं सा तव चेव भज्जां भविस्सइ अगमाहसी । अट्ट सवच्छराणि जाय तुब्भं रममाणस्स पट्टीएहं सो लीलं काहिइ, तं जाणिज्जसुववित्ता गओ । सा य अवगयगघा आहीरेण गहिया, संवड्ढिया जोव्वणत्या जाया । कोमुइचार मायाए सम भागया । अभओ सेणियो य पच्छन्ता कोमुइचार पेच्छति । तीए दारियाए अंगफासेण सेणियो य अजोववन्तो । नाममुद्द दसिया । तीए वधइ । अभयस्स कहियं नाममुद्दा हरिया, मग्गाहि । तेण मणुस्सा दारेहिं वद्धेहिं ठविया । एककेकं माणुस्सं पलोएऊण णीणिज्जइ । सा दारिया दिट्ठा चोरित्ति गहिया परिणीया य । अन्नया य वस्सोकेण रमंति रायणं राणियाउ, पोत्तेण वाहिति । इयरी पोत्त दाउ विलग्गा

वह गर्भमे स्थित होती हुई ही अरति ( खेद ) को उत्पन्न कर रही थी । गर्भ गिरानेवालोके द्वारा प्रयत्न करनेपर भी वह गिरी नहीं । अन्तमे उत्पन्न होनेके साथ ही उसका परित्याग कर दिया गया । तब वह जिस वनमें स्थित थी उसे दुर्गन्धसे व्याप्त कर रही थी । एक समय राजा श्रेणिक भगवान् महावीरको वन्दनाके लिए जाता हुआ वहाँसे निकला । उसका सैन्य समूह उसकी दुर्गन्धको नहीं सह सका । तब राजा श्रेणिकने पूछा किय ह दुर्गन्ध कहाँसे आ रही है । उत्तरमें सैनिकोंने कहा कि यह महान् दुर्गन्ध एक लड़कीके शरीरसे आ रही है । तब उसने जाकर उस लड़कीको देखा और कहा कि भगवान् महावीरके समक्ष मेरा यही प्रथम प्रश्न रहेगा । तत्पश्चात् श्रेणिकने जाकर भगवान् महावीरकी वन्दना की व उनसे उस दुर्गन्धके विषयमें प्रश्न किया । उत्तरमे भगवान्ने उसके परितापजनक कर्मबन्धकी उत्पत्तिकी कथा—पूर्वोक्त मुनिनिन्दाका वृत्त—कह दिया । पश्चात् श्रेणिकने पुन. प्रश्न किया कि वह कितने काल तक सुख अथवा दुःखका अनुभव करेगी । इसपर महावार स्वामीने कहा कि इतने कालमे उसने अपने उस पूर्वजित कर्मका फल भोग लिया है । अब वह तुम्हारी पत्नी होकर पटरानी भी होंगी । आठ वर्ष तुम्हे रमाते हुए तुम्हारे पृष्ठ भागपर हंसीलियोकी (?) करेगी, इससे तुम जान सकोगे कि यह वही है । अन्तमें श्रेणिक महावीर स्वामीकी वन्दना कर चला गया । तत्पश्चात् वह दुर्गन्धसे रहित हो गयी । तब उसे एक अहीर ( ग्वाला ) ने ग्रहण करके उसका सवर्धन किया । इस प्रकारसे वह यौवन अवस्थाको प्राप्त हो गयी । एक समय वह शरत् पूर्णिमाके उत्सवको देखनेके लिए माताके साथ आयी थी । उस समय अभयकुमार और राजा श्रेणिक छिपकर उस उत्सवको देख रहे थे । उस समय उस लड़कीके शरीरका स्पर्श हो जानेसे श्रेणिक उसके ऊपर आसक्त हो गया । तब उसने अपने नामसे अकित अंगूठीको उसके वस्त्रसे बांध दी और अभयकुमारसे कहा कि मेरे नामकी अंगूठी खो गयी है, तुम उसको खोज करो । इसपर अभयकुमारने द्वारोपर मनुष्योको नियुक्त कर दिया । वे प्रत्येक मनुष्यको देखकर जाने देते थे । उन्हे वह लड़की मुँदरीके साथ दिखी, जिसे चोर समझकर पकड़ लिया । अन्तमे राजा श्रेणिकने उसके साथ विवाह कर लिया । .....राजाको

१. सु गन्मसाडणेहि । २. अ एसेव । ३. अ तठ भगवती तू उट्ठणे पारिया वेणिया । ४. अ सा ते च भज्जा । ५. अ पट्टीए हसोलीण काहिए त । ६. अ नासामुद्द दसया तिए ।

रन्ता सरियं मुक्का य पव्वइया ।

परपाषण्डप्रशंसायां चाणक्यः । पाटलिपुत्रे चाणक्यो, चंद्रगुप्तेण भिक्षुकाण वित्ती हरिया । ते तस्स धम्मं कहेति । राया तुस्सइ चाणक्यं पलोएइ, ण पसंसइ, तेण न देइ । तेहि चाणक्य-भज्जा उलगिया । तीए सो करणीं गाहिउ । तेहि कहिए भणियं सुहासियं । रन्ता तं च अन्नं च दिन्नं । वीयदिवसे चाणक्यो भणइ किस ते दिन्न । राया भणइ तुह्येहि पसंसियंति । सो भणइ ण मे पसंसियंति सव्वारंभपव्वता कहोय पत्तियावेनि । पच्छाठिउ केत्तिया एरिसंति ।

परपाषण्डसंस्तवे सौराष्ट्रश्रावकः । सो दुम्भिवखे भिक्षुएहि समं पयट्ठो भत्तं से देति । अन्नया विसूइयाए मओ । चीवरेण पच्छाइओ अविमुद्धोहिणा पासण भिक्षुगाण दिव्ववाहाए आहारदाणं । सावगाण खिसा । जुगपहाणाण कहण विराहियगुणो ति आलोयणं नमोकार-पठणं पडिबोहो केत्तिया एरिसन्ति ॥९३॥

स्मरण हो गया । तब उसने उसे छोड़ दिया । इस प्रकारसे मुक्त होकर उसने दोक्षा स्वीकार कर ली । यह उस मुनिनिन्दाका परिणाम था जो उसे कुछ समय तक दुर्गन्धा होकर कष्ट सहना पड़ा ।

परपाषण्ड प्रशंसामे चाणक्यका उदाहरण दिया गया है । उसकी कथा इस प्रकार है— पाटलिपुत्र नगरमे चाणक्य नामका विद्वान् ब्राह्मण रहता था । राजा चन्द्रगुप्तने भिक्षुओकी आजीविकाको अपहृत कर लिया था । वे उसे धर्मका उपदेश करते थे । राजा सन्तुष्ट होकर चाणक्यकी ओर देखता था । परन्तु वह उनकी प्रशंसा नहीं करता था । इससे राजा उन्हें कुछ नहीं देता था । तब भिक्षुओने चाणक्यकी पत्नीकी सेवाशुश्रूषा की..... उनके द्वारा कहनेपर उसने कहा यह सुभाषित है तब राजाने उसे दिया और दूसरोकी भी दिया । दूसरे दिन चाणक्यने राजासे पूछा कि उनको ध्यो दिया । उत्तरमे राजाने कहा कि तुमने प्रशंसा की थी, इसलिए दिया है । इसपर चाणक्यने कहा कि मैने प्रशंसा नहीं की । कारण यह कि जो सब प्रकारके आरम्भमें प्रवृत्त हैं वे लोगोंके विश्वासपात्र कैसे हो सकते हैं ? इससे उसे पश्चात्ताप हुआ । ऐसे कितने हैं ?

पाँचवें पाषण्डसस्तव अतिचारके विषयमे सौराष्ट्र देशके श्रावकका उदाहरण दिया गया है । उसका कथानक इस प्रकार है—वह श्रावक दुर्भिक्षके समय भिक्षुओके साथ प्रवृत्त होकर उन्हें भोजन देता था । पश्चात् किसी अन्य समयमे उसे विसूचिका रोग हो गया, जिससे पीड़ित होकर वह मृत्युको प्राप्त हो गया । तब उसे वस्त्रसे आच्छादित कर दिया गया । उस समय उसने अविशुद्ध ( विभग ) अवधिज्ञानके द्वारा भिक्षुओको दिव्य ( देवता निर्मित ) भोजनका दान, श्रावककोकी निन्दा तथा युगप्रधान आचार्योंके कथनकी विराधनाको देखा । इससे वह आलोचना-पूर्वक नमस्कार मन्त्रका पाठ करता हुआ प्रतिबोधको प्राप्त हुआ । ऐसे जन कितने हैं ? विरले ही होते हैं ॥९३॥

१. अ अन्नाया य वम्मोकेण रमति रायाण राणियाउ पुणंते वाहिये इयरो पुत्तं दाऊ वि गल्ला रन्ता सरीय मुक्का ।
२. अत्तस्सइ ।
३. अ पुलोयइ ।
४. अ इ ति ण देइ ।
५. अ भज्जा उलगिया तीए ।
६. अ सुहासीय ।
७. अ वीयदिन्न से चाणक्यो भणइ तुह्येहि पसंसियंति ।
८. अ पच्छाविउ केत्तिया ।
९. अ दिव्ववाहाए दाण ।
१०. अ आभोगण ।



अन्ने वि य अह्यारा आइसदेणं, सइया इत्थ ।

साहंमिअणुववृहणमथिरीकरणाइया ते उ ॥९४॥

अन्ये ऽपि चातिचारा आदिशब्देन सूचिता अत्र—अत्रेति सम्यक्त्वाधिकारे 'सम्मत्तस्सइ-यारा' इत्याविद्वारागाथायामादिशब्देनोल्लिङ्गिता इत्यर्थः । समानधार्मिकानुपवृंहणास्थिरीकरणा-दयस्ते तु—अनुस्वारो ऽलाक्षणिकः, समानधार्मिको हि सम्यग्दृष्टेः साधुः साध्वी श्रावकः श्राविका च । एतेषा कुशलमार्गप्रवृत्तानामुपवृंहणा कर्तव्या । धन्यस्त्व पुण्यभाक्त्वं कर्तव्यमेतद्यद्भवतार-व्यमिति तद्भाव उपवृंहितव्यः । अनुपवृंहणे ऽतिचारः । एव सद्धर्मानुष्ठाने विषोदन् धर्म एव स्थिरीकर्तव्यः । अकरणे ऽतिचारः । आदिशब्दात्समानधार्मिकवात्सल्य-तीर्थप्रभावनापरिग्रहः । समानधार्मिकस्य ह्यापदगतोद्धरणादिना वात्सल्यं कर्तव्यं । तदकरणे ऽतिचारः । एवं स्वशक्त्या धर्मकथादिभिः प्रवचने प्रभावना कार्या । तदकरणे ऽतिचार इति ॥९४॥

आगे पूर्व गाथा ८६ मे उपयुक्त 'आदि' शब्दसे सूचित कुछ अन्य अतिचारोका भी निर्देश किया जाता है—

'सथवमाई य नायव्वा' यहाँ ( ८६ ) उपयुक्त आदि शब्दके द्वारा अन्य भी अतिचारोकी सूचना की गयी है । वे साधर्मिक-अनुपवृ हण और साधर्मिक-अनुपगूहन आदि हैं ।

विवेचन—पूर्व गा ८६ मे शका आदि पाँच अतिचारोका निर्देश करके 'आदि' शब्दके द्वारा जिन अन्य अतिचारों की सूचना की गयी है वे साधर्मिक-अनुपवृ हण, साधर्मिक-अस्थितिकरण, साधर्मिक-अवात्सल्य और अतीर्थप्रभावना आदि हैं । साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका ये समान धर्मका आचरण करनेके कारण सम्यग्दृष्टिके लिए साधार्मिक हैं । सम्यग्दृष्टिको श्रेयस्कर मार्गमे प्रवृत्त इन सबकी 'आप धन्य व विशेष पुण्यशाली हैं, आपने जो यह सद्गुण आरम्भ किया है वह स्तुत्य है, उसे पूरा करना ही चाहिए' इत्यादि रूपसे प्रशंसा करके उनके उत्साहको बढ़ाना चाहिए । यह सम्यक्त्वका उपवृ हण नामका एक गुण ( अग ) है, जिसके आश्रयसे वह पुष्ट होता है । इसके न करनेपर उस सम्यक्त्वको मलिन करनेवाला उसका साधर्मिक अनुपवृ हण नामका अतिचार होता है । जो साधर्मिक समीचीन धर्मके आचरणसे खिन्न है व उसमें प्रमाद करता है उसे सदुपदेश आदिके द्वारा उसमे दृढ़ करना चाहिए । यह सम्यक्त्वका स्थितिकरण नामका एक गुण है, जिससे वह पुष्ट होता है । इसके विपरीत यदि सम्यग्दृष्टि धर्मसे च्युत होते हुए स्वयं अपनेको या अन्यको उसमे स्थिर नहीं करता है तो वह उसके सम्यक्त्वको क्लृप्त करनेवाला साधर्मिक अस्थिरीकरण नामका एक अतिचार होता है । सम्यग्दृष्टिका यह भी कर्तव्य है कि जिस प्रकार गाय अपने बछड़ेसे स्वाभाविक प्रेम किया करती है उसी प्रकार वह अपने साधर्मिक जनोसे निश्छल अनुराग करता हुआ उनकी आपत्ति आदिको यथासम्भव दूर करे । यह सम्यक्त्वका पोषक उसका एक वात्सल्य नामका गुण है । यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका सम्यक्त्व साधर्मिक-अवात्सल्य नामक अतिचारसे दूषित होता है । सम्यग्दृष्टिके द्वारा जो यथाशक्ति धर्मकथा आदिके द्वारा तीर्थको—जैन शासनको—प्रसिद्ध किया जाता है, यह सम्यक्त्वका तीर्थ-प्रभावना नामका एक गुण है । उससे सम्यग्दर्शन पुष्ट होता है । यदि सम्यग्दृष्टि ऐसा नहीं करता है तो उसके सम्यक्त्वको दूषित करनेवाला तीर्थ प्रभावना नामका अतिचार होता है ॥९४॥

तथा चाह—

नो खलु अप्परिवडिए निच्छयओ मइलिए व समत्ते ।

होइ तओ परिणामो जत्तो णुववृहणाईया ॥९५॥

न खल्विति 'नैव । अप्रतिपतितेऽनपगते । निश्चयतो निश्चयनयमतेन मलिनीकृते वा व्यवहारनयमतेन । सम्यक्त्वे उक्तलक्षणे भवति तकः परिणामो जायते भावात्मस्वभावः यतो यस्मात्परिणामादनुपवृंहणादयो भवन्तीति । उक्ताः सम्यक्त्वातिचाराः । एते मुमुक्षुणा वजनीयाः ॥९५॥ किमिति—

जं साइयारमेयं खिप्पं नो मुक्खसाहगं भणिअं ।

तम्हा मुक्खट्ठी खलु वज्जिज्ज इमे अईयारे ॥९६॥

यद्यस्मात् । सातिचारं सदोषमेतत्सम्यक्त्वं क्षिप्रं शीघ्रम् । न मोक्षसाधकं नापवर्गनिर्वर्तकम् । भणितं तीर्थकरणधरैः, निरतिचारस्यैव विशिष्टकर्मक्षयहेतुत्वात् । तस्मात् मोक्षार्थी अपवर्गार्थी खल्विति खलुशब्दोऽवधारणे मोक्षार्थ्यैव । वज्रयेन्न कुयदितानतिचारान् शङ्कादीनिति ॥ १९६॥

आह सुहे परिणामे पइसमयं कम्मखवणओ कह णु ।

होइ तह संकिलेसो जत्तो एए अईयारा ॥९७॥

आगे इसीको स्पष्ट किया जाता है—

निश्चयसे उस सम्यक्त्वके पतित न होनेपर—तदवस्थ रहते हुए—अथवा अमलिनित—दूषित न होनेपर—वह परिणाम नहीं होता है जिसके कि आश्रयसे उक्त अनुपवृंहण आदि अचिचार हुआ करते हैं ।

विवेचन—प्रकृत गाथाको व्याख्यामे यह कहा गया है कि निश्चय नयको अपेक्षा यदि वह सम्यक्त्व पतित नहीं होता है अथवा व्यवहार नयके मतसे यदि वह मलिन किया जाता है तो उस प्रकारका आत्मपरिणाम ही नहीं उत्पन्न होता कि जिससे उपर्युक्त अनुपवृंहणादि अतिचार सम्भव हो सकें । गाथामे 'निच्छयओ मइलिए' इस पाठमे ग्रन्थकारको सम्भवतः 'अमलिए (ऽमलिए)' ऐसा पाठ अभीष्ट रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है । तदनुसार उसका यह अभिप्राय निकलता है कि उपर्युक्त अनुपवृंहण आदिके आश्रयसे या तो वह सम्यक्त्व पतित हो जाता है या फिर मलिनित होता है, इसीलिए उन्हे भी उस सम्यक्त्वके अतिचार सममना चाहिए ॥९५॥

आगे इन अतिचारोके छोड देनेके लिए प्रेरणा की जाती है—

अतिचार सहित यह सम्यक्त्व चूँकि शीघ्र ही मोक्षका साधक नहीं ऐसा तीर्थकर एवं गणधर आदिके द्वारा कहा गया है, इसीलिए मोक्षके अभिलाषी भव्य जीवको इन अतिचारोंका परित्याग करना चाहिए ॥९६॥

यहाँ शंकाकार कहता है कि शुभ परिणामके होनेपर जब प्रतिसमय कर्मका क्षय होता है तब भला वैसा सफल कैसे हो सकता है कि जिमसे ये अतिचार सम्भव हो सकें ।

एवं सात्त्विकारे सम्यक्त्वे उक्तं सति पर आह—शुभे परिणामे सम्यक्त्वे सति प्रशमसंवेगादिलक्षणे । प्रतिसमयं समयं समयं प्रति । कर्मक्षपणतः विशिष्टकर्मक्षपणात् मिथ्यादृष्टेः सकाशात् सम्यग्दृष्टिर्विशिष्टकर्मक्षपणक एवेत्युक्तम् । कथं केन प्रकारेण ? नु इति क्षेपे । भवति तथा संक्लेशो जायते चित्तविभ्रमः । यतोय स्मात्संक्लेशादेते शंकादयोऽतिचारा भवन्ति ततश्चानुत्थानमेवैतेषामिति पराभिप्रायः—अत्र गुरुर्भणति ॥१९७॥

नाणावरणादुदया तिव्वविवागा उ भंसणां तैसिं ।

सम्मत्तपुग्गलाणं तहासहावाउ किं न भवे ॥१९८॥

ज्ञानावरणाद्युदयात् । किंविशिष्टात् ? तीव्रविपाकात्, न तु मंदविपाकात्तस्मिन् सत्यपि अतिचारानुपपत्तेः, सम्यग्दर्शनिनामपि मन्दविपाकस्य तस्य उदयात्, अतस्तीव्रानुभावादेव । भ्रंशना स्व-स्वभावच्युतिरूपा । तेषां सम्यक्त्वपुद्गलानाम् । तथास्वभावत्वान्मिथ्यात्वदलित्वात् । जायत इति वाक्यशेषः । अतः किं न भवत्यसौ संक्लेशो यत एतेऽतिचारा भवन्त्येवेत्यभिप्रायः । उषतं च प्रज्ञापनाया कर्मप्रकृतिपदे बन्धचिन्तायाम् कहन्नं भते जीवे अट्टकम्मपगणीउ बंधइ ? गोयमा, णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं दंसणावरणिज्जं कम्मं नियच्छइ । दंसणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदयेणं दंसणमोहणिज्जं कम्मं नियच्छइ । दंसणमोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं मिच्छत्तं णियच्छइ । मिच्छत्तेणं उदिन्नेणं एवं खलु जीवे अट्टकम्मपगणीउ बंधइत्तिं ॥१९८॥ तत्र—

विवेचन—शकाकारका अभिप्राय यह है कि पूर्वमें ( गा. ५३-६० ) यह स्पष्ट कहा जा चुका है कि सम्यक्त्व यह आत्माका परिणाम है । उसके प्रादुर्भूत होनेपर सम्यग्दृष्टिकी प्रशम-सवेगादिरूप समस्त बाह्य प्रवृत्ति उत्कृष्ट ही होती है । अतः प्रशमादि परिणामस्वरूप उस सम्यक्त्वके होते हुए वैसा संक्लेश ही ही नहीं सकता कि जिसके आश्रयसे वे शंकादि अतिचार सम्भव हो सकें । इतना ही नहीं, उस सम्यक्त्वके प्रभावसे तो मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा सम्यग्दृष्टिके विशिष्ट कर्मक्षय भी होता है । ऐसी स्थितिमें जब वे अतिचार सम्यग्दृष्टिके सम्भव ही नहीं हैं तब उनके परित्यागकी प्रेरणा करना निरर्थक है ॥१९७॥

आगे इस शकाका समाधान किया जाता है—

तीव्र विपाकवाले ज्ञानावरणादिके उदयसे उन सम्यक्त्वरूप पुद्गलोकी भ्रंशना होती है— वे अपने स्वभावसे भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वैसा उनका स्वभाव है । अतएव उस प्रकारका संक्लेश क्या नहीं हो सकता है ? अवश्य हो सकता है ।

विवेचन—अभिप्राय यह है कि ज्ञानावरणादि कर्मोंका जब तीव्र विपाकसे युक्त उदय होता है तब वे सम्यक्त्वरूप पुद्गल मिथ्यात्वके प्रदेशरूप होनेसे अपने स्वभावसे च्युत हो जाते हैं । अतएव उनसे उक्त अतिचारोका जनक संक्लेश हो सकता है । हां, यह अवश्य है यदि उन ज्ञानावरणादिका उदय मन्द विपाकसे सयुक्त होता है तो उसके होनेपर भी वे सम्यक्त्वपुद्गल अपने स्वभावको नहीं छोड़ते हैं, अतः वैसा अवस्थामे सम्यग्दृष्टि जीवोके भी उन अतिचारोकी सम्भावना नहीं रहती । परन्तु उनके तीव्र विपाकोदयमे वैसा संक्लेश सम्भव है, अतः उसके आश्रयसे होनेवाले अतिचारोका परित्याग कराना उचित ही है ॥१९८॥

१. अ यस्मा संक्लेशादयो अतिचारा । २. अ उ तन्नणो । ३. अ अतोऽप्रे 'सम्यक्त्वपुद्गलानाम् । तथा' पर्यन्त पाठस्त्रुटितोऽस्ति । ४. अ बंधइ ।

नेगेतेणं चिय जे तदुदयभेया<sup>१</sup> कुणंति ते<sup>२</sup> मिच्छं ।

तत्तो हुंतिइयारा<sup>३</sup> वज्जेयव्वा पयत्तेणं ॥९९॥

नैकान्तेनैव न सर्वथैव । ये तदुदयभेदा<sup>४</sup> ज्ञानावरणाद्युदयप्रकाराः । कुर्वन्ति तान् सम्यक्त्व-  
पुद्गलान् मिथ्यात्वं, अपि तु भ्रंशनामात्रमेव । तत्तस्मात् ज्ञानावरणाद्युदयाद् । भवन्त्यतिचाराः  
शङ्कादयः, ते च वर्जयितव्याः प्रयत्नेनेति ॥९९॥

जे नियमवेयणिज्जस्स उदयओ होन्ति, तह क्हं ते उ<sup>५</sup> ।

वज्जिज्जंति इह खलु, सुद्धेणं जीवविरिणं ॥१००॥

स्यादेतत् ये शङ्कादयो नियमवेदनीयस्य ज्ञानावरणादेरुदयतो भवन्ति । तथा तेन प्रकारेण ।  
कथं पुनस्ते वर्जन्ते । इह प्रक्रमे प्रस्तावे खलुशब्दादन्यत्रापि चारित्रादौ तत्कर्मणो अफलत्वप्रस-  
ङ्गात्, इति आशङ्क्याह—शुद्धेन जीववीर्येण कथंचित्प्रादुर्भूतेन प्रशस्तेनात्मपरिणामेनेति ॥१००॥

अमुमेवार्थं समर्थयन्नाह—

कत्थइ जीवो बलीओ, कत्थइ कम्माइ हुंति बलियाइं ।

जम्हा णंता सिद्धा, चिद्धंति भवंमि वि अणंता ॥१०१॥

आगे उसमे और भी कुछ विशेषता प्रकट की जाती है—

पूर्वोक्त ज्ञानावरणादिके जो उदयभेद हैं वे उन सम्यक्त्वपुद्गलोको सर्वथा मिथ्यात्वरूप  
नही करते है—सम्यक्त्व स्वभावसे च्युत होनेरूप केवल भ्रशना मात्र वे करते है । इसलिए उनके  
निमित्तसे वे अतिचार ही होते हैं—सम्यक्त्व नष्ट नही होता । अतः प्रयत्नपूर्वक उन अति-  
चारोका परित्याग करना चाहिए ॥९९॥

इसपर उपस्थित हुई शंकाको प्रकट कर उसका समाधान किया जाता है—

जो वे शकादि अतिचार नियमसे अनुभव करने योग्य उन ज्ञानावरणादि कर्मोंके उदयसे  
होते हैं उन्हें कैसे छोडा जा सकता है ? नही छोडा जा सकता है । इस शंकाके समाधानमे कहा  
जा रहा है कि उन्हें शुद्ध जीवके सामर्थ्यसे छोडा जा सकता है ।

विवेचन—शंकाकारका अभिप्राय है कि जब उन ज्ञानावरणादि कर्मोंके उदयजन्य फलको  
अवश्य ही भोगना पडता है तब उनके उदयसे होनेवाले उन अतिचारोको कैसे छोडा जा सकता  
है ? नही छोडा जा सकता है—उन्हे सहना ही पडेगा । और यदि बिना अनुभव किये उन्हे छोडा  
जा सकता है तो इस प्रकारसे चारित्र आदिको दूषित करनेवाले कर्मके भी निष्फल होनेका प्रसंग  
दुनिवार होगा । तब वैसी स्थितिमे उनके परित्यागका यह उपदेश निरर्थक सिद्ध होता है । इस  
शंकाके समाधानमे यहाँ यह कहा गया है कि किसी प्रकारसे उत्पन्न हुए जीवके प्रशस्त परिणामसे  
उन्हे बिना फलानुभवनके भी छोडा जा सकता है ॥१००॥

आगे इसीको स्पष्ट किया जाता है—

यदि कहीपर जीव बलवान् होता है तो कहीपर कर्म भी बलवान् हुआ करते हैं । यही  
कारण है जो अनन्त जीव मुक्तिको प्राप्त हो चुके हैं और अनन्त जीव संसारमे ही स्थित है ।

१. अ तदुदयभेया । २. अ ए । ३. अ होतइयारा । ४. अ सर्वथैव ये तदुदयभेदज्ञाना<sup>०</sup> । ५. अ क्हं  
तेहं उ । ६. अ रुद्धभवतो ।

क्वचिज्जीवो बली स्ववीर्यंतः क्लिष्टकर्माभिभवेन सम्यग्दर्शनाद्यवाप्त्या अनन्तानां सिद्धत्व-  
श्रवणात् । क्वचित्कर्माणि भवन्ति बलवन्ति यस्मादेवं वीर्यवन्तोऽपि<sup>१</sup> ततोऽनन्तगुणाः कर्मानु-  
भावतः संसार एव तिष्ठन्ति प्राणिन इति । तथा चाह—यस्मादनन्ताः सिद्धास्तिष्ठन्ति । भवेऽप्य-  
नन्ता इति ॥१०१॥ एतदेव प्रकटयति—

अचंचंतदारुणां कम्मां खवित्तु जीवविरिणं ।

सिद्धिमणंता सत्ता पत्ता जिणवयणजणिणं ॥१०२॥

अत्यन्तदारुणानि क्लिष्टविपाकानि । कर्माणि ज्ञानावरणादीनि । क्षपयित्वा जीववीर्येण  
प्रलयं नीत्वा शुभात्मपरिणामेन । सिद्धिं मुक्तिम् । अनन्ताः सत्त्वा. प्राप्ताः जिनवचनजनितेन  
जीववीर्येण । इह वैराग्यहेतुः सर्वमेव वचनं जिनवचनमुच्यत इति ॥१०२॥

ततो णंतगुणा खलु कम्मेण विणिज्जिआ इह अडंति ।

सारीरमाणसाणं दुक्खाणं पारमलहंता ॥१०३॥

ततः सिद्धिमुपगतेभ्यः सकाशादनन्तगुणा एव कर्मणा विनिर्जिताः सन्त इह संसारेऽटन्ति,  
यस्मादनाविमतापि [कालेनैकस्य निगोदस्यानन्तभागः सिद्धः, <sup>२</sup>असङ्घचेयाश्च निगोवा इति ।

विवेचन—अभिप्राय यह है कि जीवोमे बहूतसे इतने बलवान् होते हैं कि वे वाधक कर्मोंको  
नष्ट करके प्राप्त हुए सम्यग्दर्शनादि गुणोंके प्रभावसे मुक्तिको प्राप्त कर लेते हैं । ऐसे अनन्ते जीव  
हैं जिनका वृत्तान्त शास्त्रोमे सुना जाता है । इसके विपरीत अनन्ते जीव ऐसे भी हैं जो अपनेसे  
बलिष्ठ उन कर्मोंसे अभिभूत होकर संसारमे ही परिभ्रमण कर रहे हैं । ऐसे संसारमे परिभ्रमण  
करनेवाले जीव उन सिद्धिको प्राप्त हुए जीवोंसे अनन्त गुणे हैं ॥१०१॥

आगे इसे और भी स्पष्ट करते हुए उसी जीववीर्यको दिखलाते हैं—

जिन भगवान्के वचनसे—परमागमके प्रसादसे—उत्पन्न जीवके सामर्थ्यसे—अपने निर्मल  
आत्मपरिणामके आश्रयसे—क्लेशजनक भयानक विपाकसे युक्त कर्मोंका क्षय करके अनन्त जीव  
सिद्धि ( मुक्ति ) को प्राप्त हो चुके हैं । यहाँ वैराग्यके कारणभूत सभी वचनको जिनवचन समझना  
चाहिए ॥१०२॥

आगे कर्मकी भी बलिष्ठताको दिखलाते हैं—

ऊपर निर्दिष्ट उन मुक्तिप्राप्त जीवोंसे अनन्तगुणे ऐसे भी जीव हैं जो कर्मसे जीते जाकर—  
उसके वशीभूत होकर—शारीरिक और मानसिक दुखोंके पारको न पाकर यहाँ संसारमे ही  
परिभ्रमण कर रहे हैं ।

विवेचन—यहाँ कर्मकी बलवत्ताको प्रकट करते हुए यह कहा गया है कि जितने जीव  
अपनी आत्मशक्तिको प्रकट करके उसके आश्रयसे मुक्तिको प्राप्त हो चुके हैं उनसे भी अनन्तगुणे  
जीव दुर्निवार उन ज्ञानावरणादि कर्मोंसे अभिभूत होकर चतुर्गतिस्वरूप संसारमें परिभ्रमण  
करते हुए ज्वर व कोढ़ आदि रोग जनित अपरिमित शारीरिक कष्टोंको तथा इष्टविद्योग व अनिष्ट-  
सयोग आदि जनित मानसिक कष्टोंको भी सह रहे हैं । आगममे कहा गया है कि एक ही निगोद-  
शरीरमे जितने जीव अवस्थित होते हैं उनके अनन्तवें भाग ही अनादि कालसे अब तक सिद्ध हुए  
हैं । फिर ऐसे निगोदशरीर तो असंख्यात हैं जिनमे रहनेवाले अनन्तानन्त जीव अनन्त कालमे

१. अ वीर्यवतोपि । २. अ निगोदस्यानन्तभावः सिद्धो अस<sup>०</sup> ।

कथमटन्तीत्यत्राह—शारीरमानसानां दुःखानां पारमलभमानाः । तत्र शारीराणि ज्वरकुष्ठादीनि, मानसानीष्टवियोगादीनि ॥१०३॥ उपसंहरन्नाह—

तम्हा निचचसईए बहुमाणेणं च अहिगयगुणंमि ।

पडिवक्खदुगंच्छाए परिणइ आल्लोयणेणं च ॥१०४॥

यस्मादेवं तस्मान्नित्यस्मृत्या सदा अविस्मरणेन । बहुमानेन च भावप्रतिबन्धेन च<sup>१</sup> । अधि-  
कृतगुणे सम्यक्त्वाद्दो । तथा प्रतिपक्षजुगुप्सया मिथ्यात्वाद्युद्वेगेन । परिणत्यालोचनेन च तेषामेव  
मिथ्यात्वादीनां दारुणफला एते इति विपाकालोचनेन चेति ॥१०४॥

तीर्थंकरमत्तीए सुसाहुजणपज्जुवासणाए य ।

उत्तरगुणसद्धाए अपमाओ होइ कायव्वो ॥१०५॥

तथा तीर्थंकरभवत्या परमगुरुविनयेन । सुसाधुजनपर्युपासनया च भावसाधुसेवनया ।  
तथोत्तरगुणश्रद्धया च सम्यक्त्वे सत्यगुन्नताभिलाषेण, तेषु सत्सु महाव्रताभिलाषेणेति भावः ।  
एवमेतेन प्रकारेणाप्रमादो भवति कर्तव्य एवमप्रमादवान्निमवेदनीयस्यापि कर्मणोऽपनयति  
शक्तिमित्येष श्रद्धस्य जीववीर्यस्य करणे उपाय इति ॥१०५॥

भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं । इसे कर्मकी ही बलवत्ता समझना चाहिए । इस प्रकार कहीं जीवकी  
बलवत्ता और कहीं कर्मकी बलवत्ताका विचार करनेपर उपयुक्त शंकाका समाधान हो जाता  
है ॥१०३॥

अब आगेकी दो गाथाओ द्वारा इसका उपसहार किया जाता है—

इसलिए—उस ससारपरिभ्रमणसे छुटकारा पानेके लिए—अधिकारप्राप्त उन सम्यक्त्व  
आदि गुणोके विषयमे सदा स्मरण रखने, उनके प्रति आदरका भाव रखने, उनके प्रतिपक्षभूत  
मिथ्यात्व आदिकी ओरसे उद्विग्न रहने और उनके (मिथ्यात्व आदिके) परिणाम—दुःखोत्पादकता-  
का विचार करनेसे प्रमादको दूर करना चाहिए ॥१०४॥ इसके अतिरिक्त—

तीर्थंकरकी भक्ति—कल्याणकारी जिनेन्द्र व सद्गुरु आदिके गुणोमे अनुराग, उत्तम साधु-  
जनोकी उपासना और उत्तर गुणोकी श्रद्धासे भी प्रमादको दूर करना चाहिए ।

विवेचन—यह पूर्वमे (१००) कहा जा चुका है कि जीववीर्यसे—जीवकी आत्मशक्तिके  
द्वारा—नियमसे अनुभवके योग्य भी कर्मके विपाकको क्षोण किया जा सकता है । वह आत्मशक्ति  
किस प्रकारसे प्राप्त की जा सकती है, इसे स्पष्ट करते हुए यहाँ कहा गया है कि मोक्षके उपायभूत  
सम्यक्त्व आदि गुणोका स्मरण उनके प्रति विनयका व्यवहार, मिथ्यात्व आदि संसारपरिभ्रमणके  
कारणोसे उद्वेग, उनके दुष्परिणामका विचार, वीतराग जिनेन्द्र आदि परमगुरुओके गुणोमे अनु-  
राग, उत्तम साधुजनोका सेवा, तथा सम्यक्त्वके प्रादुर्भूत हो जानेपर अणुन्नतोकी अभिलाषा व  
उनके होनेपर महाव्रतोकी अभिलाषा, इत्यादि ये ऐसे उपाय हैं जिनके आश्रयसे प्रमादको दूर कर  
उस आत्मशक्तिको प्रकट किया जा सकता है ॥१०५॥

१. अ ज्वरकुष्ठादीनिति उपसंहरन्नाह । २. अ भावप्रबन्धेन । ३. अ सुसाहुगुणपज्जुवासणाए । ४ अ सत्सु  
व्रताभि । ५. अ एवमेनेन ।

साप्रत द्वादशप्रकार श्रावकधर्ममुपन्यस्यता यद्व्युत्तं पञ्चाणुन्नतादीनोति तान्यभिधित्सुराह—  
पंच उ अणुव्वयाइं थूलगपाणिवहविरमणाईणि ।

तत्थ पढमं इमं खलु पन्नत्तं वीयरामेहिं ॥१०६॥

पञ्च त्वणुन्नतानि—तुरेवकारार्थः । पञ्चैव । अणुत्वमेषा सर्वविरतिलक्षणमहाव्रतापेक्षया । तथा चाह—स्थूरप्राणवधविरमणादीनि स्थूरकप्राणिप्राणवधविरमणमादिशब्दात्स्थूरमृषावादादिपरिग्रहः । तत्र तेष्वणुन्नतेषु । प्रथममाद्यमिदं खल्विति इदमेव वक्ष्यमाणलक्षणं, शेषाणामस्यैव वस्तुत उत्तरगुणत्वात् । प्रज्ञप्तं वीतरागै प्ररूपितमहंद्भिरिति ॥१०६॥

थूलपाणि[ण] वहस्स[रस]विरई, दुविहो अ सो व्हो होइ ।

संकप्पारंभेहि य, वज्जइ संकप्पथो विहिणा ॥१०७॥

स्थूरकप्राणवधस्य<sup>३</sup> विरति स्थूरा एव स्थूरका द्वीन्द्रियादयस्तेषां प्राणाः शरीरेन्द्रियोच्छ्वासायुर्वल्लक्षणास्तेषां वधः जिघासनं तस्य विरतिर्निवृत्तिरित्यर्थः । द्विविधश्चासौ वधो भवति । कथम् ? संकल्पारम्भस्याम् । तत्र व्यापादनाभिसधिः संकल्पः, कृष्यादिकस्त्वारम्भः । तत्र वर्ज-

अब वाग्रह प्रकारके श्रावक धर्मके निरूपणका उपक्रम करते हुए पूर्वमें (६) जिन अणुन्नतादिका निर्देश किया गया था उनमें प्रथमतः पांच अणुन्नतोंको प्रकट किया जाता है—

स्थूल प्राणिवधविरमणको आदि लेकर अणुन्नत पांच ही हैं । उनमें वीतराग जिनके द्वारा प्रथम अणुन्नत इसे कहा गया है जिसका कि स्वरूप आगेकी गाथामें निर्दिष्ट किया जा रहा है ।

विवेचन—स्थूल प्राणिवधविरमण, स्थूल मृषावादविरति, स्थूल अदत्तादानविरति, परदार-परित्याग व स्वदारसन्तोष तथा पांचवां इच्छापरिमाण इस प्रकार ये वे पांच अणुन्नत हैं । इन व्रतोमें जो 'अणु' यह विशेषण दिया गया है वह सर्वविरतिरूप महाव्रतोकी अपेक्षासे दिया गया है । उसका अभिप्राय यह है कि महाव्रतोमें जिस प्रकारसे प्राणिवधादिरूप पांच पापोंका परित्याग सर्वथा—मन, वचन, काय व कृत, कारित, अनुमोदनासे—किया जाता है उस प्रकार प्रकृत अणुन्नतोमें उनका सर्वथा परित्याग नहीं किया जाता, किन्तु देशतः ही उनका त्याग किया जाता है । कारण यह कि आरम्भादि गृहकार्योंको करते हुए गृहस्थके उनका पूर्ण रूपसे त्याग करना शक्य नहीं है, वह तो स्थूल रूपमें ही उनका परित्याग कर सकता है ॥१०६॥

जैसा कि पूर्व गाथामें संकेत किया गया है, अब आगेकी गाथा द्वारा उस प्रथम अणुन्नतका स्वरूप कहा जाता है—

स्थूल प्राणियोंके वधसे विरत होनेका नाम स्थूलप्राणिवधविरति अणुन्नत है । वह वध सकल्प और आरम्भके भेदसे दो प्रकारका है । उसमें प्रकृत प्रथम अणुन्नतका धारक श्रावक आगमोक्त विधिके अनुसार सकल्पसे ही उस वधका परित्याग करता है ।

विवेचन—स्थूल नामकर्मके उदयसे जिनका शरीर स्थूल ( प्रतिघात सहित ) होता है उन्हें स्थूल और सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे जिनका शरीर सूक्ष्म ( प्रतिघात रहित ) होता है उन्हें सूक्ष्म कहा जाता है । प्रकृतमें स्थूल प्राणियोंसे अभिप्राय द्वीन्द्रियादि जीवोंका है । उनके शरीर, इन्द्रिय, उच्छ्वास, आयु और बल प्राणोंके विघातका परित्याग करना, इसे स्थूल प्राणवधविरति कहते हैं । यह उन पांच अणुन्नतोमें प्रथम है । प्रथम अणुन्नती श्रावक उस वधका परित्याग सकल्पसे ही

१ अ 'स्थूरप्राणवध' इत्यतोऽग्नेऽग्निम'प्राणवध' पर्यन्तः । पाठ स्वलितोऽस्ति । २. अ प्राणिवेद्यस्य ।

यति संकल्पतः परिहरति असौ श्रावकः प्राणवर्ध<sup>१</sup> संकल्पेन, न त्वारम्भतोऽपि, तत्र नियमात् प्रवृत्तेः । विधिना प्रवचनोक्तेन वर्जयति, न तु यथाकथंचिदिति ॥१०७॥ स चायं विधिः—

उवउत्तो गुरुमूले संविग्गो इत्तरं व इयरं वा ।

अणुदियहमणुसरंतो पालेइ विसुद्धपरिणामो ॥१०८॥

उपयुक्तोऽन्तःकरणेन समाहितः । गुरुमूले आचार्यसन्निधौ । संविग्गो मोक्षसुखाभिलाषी न तु रिद्धिकामः । इत्तरं चातुर्मासादिकालावधिना । इतरद्वा यावत्कथिकमेव । प्राणवर्धं वर्जयतीति वर्तते । एवं वर्जयित्वानुदिवसमनुस्मरन्, स्मृतिमूलो धर्म इति कृत्वा । पालयति विशुद्धपरिणामः, न पुनस्तत्र चेतसापि प्रवर्तत इति ॥१०८॥ अत्रार्ह—

देशविरहपरिणामे सइ<sup>३</sup> किं गुरुणा फलस्सभावाओ ।

उभयपल्लिमथदोसो निरत्थओ मोहलिंगं तु ॥१०९॥

इह श्रावको यदाणुव्रतं प्रतिपद्यते तदास्य देशविरतिपरिणामः स्याद्वा न वा ? किं चात, उभयथापि दोषः । तमेवाह । देशविरतिपरिणामे सति । स्वत एव तथाविधाणुव्रतरूपाध्यवसाये सति किं गुरुणा । किमाचार्येण यत्संनिधौ तद्गृह्यते । कुतः ? फलस्याभावात्तत्सन्निधावपि । प्रतिपत्तुः स एव फललाभः, स च स्वत एव संजात इत्यफलागुरुमार्गणा । किं च उभयपल्लिमन्थ-

करता है । निरन्तर आरम्भमे प्रवृत्त रहनेवाला वह गृहस्थ श्रावक आरम्भसे उसका परित्याग नहीं कर सकता है । प्राणिविघातका जो अभिप्राय रहता है उसका नाम सकल्प है । आरम्भसे अभिप्राय खेती आदि कार्योंका है । इस प्रकार गृहमे स्थित रहते हुए श्रावक उस आरम्भको नहीं छोड़ सकता है, अतः उसके आरम्भजनित हिंसाका होना अनिवार्य है । हाँ, यह अवश्य है कि आरम्भ कार्यको करते हुए भी वह उसे सावधानीके साथ करता है, तथा निरर्थक आरम्भसे भी बचता है । पर संकल्पपूर्वक वह कभी प्राणिविघात नहीं करता इस प्रकारसे उसका वह स्थूल प्राणवधविरति अणुव्रत सुरक्षित रहता है ॥१०७॥

अब जिस विधिके साथ व्रतको स्वीकार किया जाता है उस आगमोक्त विधिका निर्देश किया जाता है—

व्रतका इच्छुक श्रावक मोक्षसुखकी इच्छासे गुरुके पादमूलमे उपयोगसे युक्त ( सावधान ) होकर नियत काल—चातुर्मास आदि—के लिए अथवा जीवन पर्यन्तके लिए स्वीकृत व्रतका प्रतिदिन स्मरण करता हुआ पालन करता है ॥१०८॥ यहाँ शंका—

व्रतके इच्छुक श्रावकके देशविरति परिणामके होनेपर गुरुसे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका कुछ फल नहीं है । इसके अतिरिक्त गुरु और शिष्य दोनोंके ही उस व्यर्थ व्यापारका दोष भी होता है, जो निरर्थक व मोहका हेतु है ।

विवेचन—यहाँ शंकाकारका कहना है कि इस प्रथम अणुव्रतके इच्छुक श्रावकके उस देश-विरतिके ग्रहणका परिणाम है या नहीं है । यदि है तो फिर आचार्यके समीपमे उसके ग्रहण करने-का क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं, क्योंकि वैसे परिणामके होनेपर गुरुकी समीपताके बिना भी वह उसका पालन करनेवाला ही है । इससे गुरुका व्रतको ग्रहण करना और शिष्यका गुरुके

१ अ प्राणिवर्ध । २. अ प्रवर्तत इत्यताह । ३. अ सति । ४ अ 'चात' नास्ति । ५. अ भावात्सन्निधावपि प्रतिपत्तु स एव सज्ञान इत्यफला ।



दोषः तथाविधानुव्रतरूपाध्यवसाये सत्येव गुरुसनिधौ तत्प्रतिपत्त्यभ्युपगमे उभयोराचार्यशिष्योर्मु-  
घाव्यापारदोषः । स च निरर्थको मोहलिंग एव न हि असूढस्य प्रयोजनमन्तरेण प्रवृत्तिरिति ॥१०९॥

द्वितीयं विकल्पमुरुरीकृत्याह—

दुन्दुह्विय मुसावाओ तयभावे पालनस्स वि अभावो ।

न य परिणामेण विणा इच्छिज्जइ पालनं समए ॥११०॥

यदि न देशविरतिपरिणाम एव तर्हि द्वयोरपि प्रतिपत्तुप्रतिपादकयोः शिष्याचार्ययोः ।  
मृषावादः शिष्यस्यासदभ्युपगमाद्गुरोश्चासदभिधानादिति । किं च तदभावे देशविरतिपरिणाम-  
स्याभावे । पालनस्यापि व्रतसरक्षणस्याप्यभावः । एतदेव स्पष्टयन्ति—न च नैव । परिणामेनान्त-  
रोदितेन । विना इष्यतेऽभ्युपगम्यते । पालनं सरक्षण, व्रतस्थेति प्रक्रमाद् गम्यते । समये सिद्धान्ते,  
परमार्थेन तस्यैव व्रतत्वादिति ॥११०॥

एव पराभिप्रायमाशङ्क्य पक्षद्वयेऽप्यदोष इत्यावेदयन्नाह—

समीपमे उसे ग्रहण करना, इस प्रकारकी वह दोनोकी प्रवृत्ति निरर्थक सिद्ध होनेके साथ अज्ञानता-  
की भी सूचक है, क्योंकि कोई भी विचारशील व्यक्ति प्रयोजनके बिना किसी कार्यमें प्रवृत्त नहीं  
होता है ॥१०९॥

आगे शकाकार दूसरे पक्षमें भी दोषको दिखलाता है—

वह कहता है कि यदि स्वोक्त देशविरतिके पालनका उसका परिणाम नहीं है तो शिष्य  
और गुरु दोनोके ही असत्यभाषणका प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि उस व्रतके पालनके परिणामके  
अभावमें उसका पालन करना सम्भव नहीं है । आगममें भी परिणामके बिना व्रतका पालन  
स्वीकार नहीं किया गया है ।

विवेचन—व्रतके इच्छुक श्रावकके उसके पालनका परिणाम है या नहीं, उन दो विकल्पो-  
में-से प्रथम विकल्पमें गुरुकी समीपताको शकाकार निरर्थक बता चुका है । अब दूसरे विकल्पमें  
भी दोषको दिखलाते हुए वह कहता है कि यदि व्रतके पालनका परिणाम नहीं है तो गुरुके  
समीपमे व्रतके ग्रहण करनेपर उन दोनोके असत्यवादका प्रसंग प्राप्त होता है । कारण यह कि उस  
देशविरति व्रतके परिणामके बिना ही जब शिष्य उसे ग्रहण कर रहा है तब स्पष्ट ही उसका वह  
आचरण असत्यतासे परिपूर्ण है । साथ ही व्रतपालनका परिणाम न होनेपर भी गुरु जो उसे व्रत  
दे रहा है, यह उसका भी प्रकटमें असत्य आचरण है । इसके अतिरिक्त जब शिष्यके उस व्रतके  
पालनका परिणाम ही नहीं है तब वह उसका पालन भी क्यों करेगा ? नहीं करेगा । आगममें  
भी परिणामके बिना व्रतका ग्रहण करना व कराना स्वीकार नहीं किया गया । इस प्रकार  
व्रतको ग्रहण करनेवाले श्रावकके चाहे उसके पालनका परिणाम ही भी और चाहे वह न भी  
हो, दोनो ही अवस्थामें गुरुकी समीपता निरर्थक सिद्ध होती है । इस प्रकारसे शकाकारने गुरुके  
समीपमे व्रतके ग्रहणकी निरर्थकताको सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है ॥११०॥

अब शंकाकारके द्वारा उभय पक्षमें दिये गये दोषोका निराकरण करते हुए गुरुकी समीपता-  
का प्रयोजन बतलाते हैं—

१. अ दोण्हवि । २. अ ण परि ।

संते विय परिणामे गुरुमूलपवज्जणंमि एस गुणो ।

दढया<sup>१</sup> आणाकरणं कम्मखओवसमवुड्ढी य ॥१११॥

सत्यपि च परिणामे देशविरतिरूपे । गुरुमूलप्रतिपादने आचार्यसन्निधौ प्रतिपत्तिकरणे । एष गुण एषोऽभ्युच्चयः । यद्गुण दृढता तस्मिन्नेव गुणे दाढ्यं । तथाज्ञाकरणं अहंदाज्ञासंपादनम्, यतस्तस्यैष उपदेशो गुरुसन्निधौ व्रतग्रहणं कार्यमिति । तथा कर्मक्षयोपशमवृद्धिश्च तथाकरणे दाढ्यार्ज्ञासंपादनशुभपरिणामतः अधिकतरक्षयोपशमोपत्तेरिति ॥१११॥

इय अहिए फलभावे न होइ उभयपलिमंथदोसो उ ।

तयभावम्मि वि दुन्हवि<sup>२</sup> न मुसावाओवि गुणभावा ॥११२॥

इय एवमधिके फलभावे पूर्वावस्थातः अभ्यधिकतरायां फलसत्तायाम्, न भवति न जायते । उभयपलिमन्यदोषः शिष्याचार्ययोर्मुंघाव्यापारदोष<sup>३</sup> इत्यर्थः । एवं परिहृतः प्रथमो विकल्पः । द्वितीयमधिकृत्याह—तदभावेऽपि देशविरतिपरिणामाभावेऽपि । द्वयोरपि प्रत्याख्यातु-प्रत्याख्याप-यित्रोर्गुरु-शिष्ययोः । न मृषावाद्दोषपि प्राक्चोदितः । कुतो गुणभावाद्गुणसंभवादिति ॥११२॥

गुणभावमेवाह—

तग्गहणउ च्चिय तओ जायइ कालेण असठभावस्स ।

इयरस्स न देयं चिय सुद्धो छलिओ वि जइ असठो ॥११३॥

शिष्यके देशविरतिके पालनका परिणाम होनेपर भी गुरुके समीपमे उसे स्वीकार करनेपर यह गुण ( लाभ ) है—ऐसा होनेपर उक्त व्रतके परिपालनमें दृढता होती है, साथ ही उससे जिनाज्ञाका भी पालन हो जाता है । कारण यह कि 'गुरुके समीपमे ही व्रतको स्वीकार करना चाहिए' ऐसी जिनागमकी आज्ञा है । इसके अतिरिक्त दृढतापूर्वक व्रतके पालन करने और उस जिनाज्ञाका सम्पादन करनेसे कर्मके क्षयोपशममे वृद्धि भी होती है ॥१११॥

इस प्रकार गुरुके समीपमे व्रतके ग्रहणके लाभको दिखलाकर आगे शकाकारके द्वारा निर्दिष्ट गुरु व शिष्य दोनोंके उस व्यापारकी निरर्थकता व असत्यभाषण दोषोंका निराकरण किया जाता है—

इस प्रकार गुरुके समीपमें व्रतके ग्रहणसे अधिकतर फलके सद्भावमे गुरु व शिष्य दोनोंके उस व्यापारकी निरर्थकताका वह दोष प्रकृतमे सम्भव नहीं है । व्रतपरिपालनपरिणामके न होने-पर जो दूसरे पक्षमे दोनोंके लिए असत्यवादका दोष प्रकट किया गया था वह भी सम्भव नहीं है । कारण यह कि गुरुके समीपमे व्रतके ग्रहणसे गुणकी ही सम्भावना विशेष है, इसीलिए दोनोंके उस कार्यको असत्यतापूर्ण नहीं कहा जा सकता ॥११२॥

आगे वह गण कौन-सा है, इसे ही स्पष्ट किया जाता है—

यदि व्रतको ग्रहण करनेवाला श्रावक शठता ( धूर्तता ) से रहित है तो विधिपूर्वक गुरुके समीपमे उसके ग्रहणसे ही समय पाकर उसके उम स्वीकृत व्रतके पालनका वह परिणाम भी हो सकता है । इतरको—शठतासे युक्त धूर्त व्यक्तिको—व्रतका देना अवश्य योग्य नहीं है । पर यदि कोई धूर्त प्रत्याख्यान करानेवाले सरल हृदय साधुको धोखा देता है तो भी वह साधु शठतासे रहित होनेके कारण शुद्ध ही है—उसे व्रतके देनेमे कोई दोष नहीं है ।

तद्ग्रहणत एव विधिना गुरुसन्निधौ व्रतग्रहणादेव । तको जायते कालेन असौ देशविरति-  
परिणामो भवति कालेन तत् गुरुसन्निधिकारणत्वादित्यर्थः । किंविशिष्टस्य ? अशठभावस्य  
श्राद्धस्य सत्त्वस्य । शठविषय दोषमाशङ्क्याह—इतरस्य शठस्य<sup>१</sup> न देयमेव—व्रतम्, अस्थानदाने  
भगवदाशातनाप्रसङ्गात् । तदज्ञानविषय दोषमाशङ्क्याह<sup>२</sup>— शुद्धं छलितोऽपि यतिरशठः छद्मस्य-  
प्रत्यपेक्षणया<sup>३</sup> कृतयत्नो मायाविना कथंचिद्व्यसितोऽपि विप्रतारितोऽप्याजं व. साधुरदोषवानेव,  
आज्ञानतिक्रमादिति ॥११३॥

अपरस्त्वाह—

स्थूलगपाणाइवायं पञ्चकखंतस्स कह न इयरंमि ।

होइणुमइ जइस्स वि तिविहेर्ण तिदंडविरयस्स ॥११४॥

स्थूलकप्राणातिपातं द्वौन्द्रियादिप्राणजिघासनम् । प्रत्याचक्षणस्य तद्विषयां निवृत्ति कार-  
यतः । कथ नेतरस्मिन् कथं न सूक्ष्मप्राणातिपाते । भवत्यनुमतिर्यंतेर्भवत्येवेत्यभिप्रायः । किं-  
विशिष्टस्य यतेस्त्रिविधेन त्रिदण्डविरतस्य मनसा वाचा कायेन सावद्यं प्रति कृत-कारितानुमति-

विवेचन—इन सबका अभिप्राय यह है कि आचार्यके समीपमे विधिपूर्वक व्रतके ग्रहण करने  
पर उसका परिपालन दृढताके साथ होता है । साथ ही जिनागमका जो यह विधान है कि गुरुकी  
साक्षीमे व्रतको ग्रहण करना चाहिए, उसका अनुसरण करनेसे जिनदेवके प्रति श्रद्धाभाव भी प्रगट  
होता है । इस सरल परिणतिके कारण बाधक कर्मका कुछ विशेष क्षयोपशम भी होता है । यदि  
कदाचित् व्रतको स्वीकार करनेवालेका उसके पालनका परिणाम भी न हो तो भी यदि वह सरल-  
हृदय है तो गुरुकी समीपतामे ग्रहण करनेसे कभी उसका परिणाम भी उसके पालनका हो सकता  
है । हाँ, यदि वह धूर्त है और गुरुको उसकी धूर्तताका पता लग जाता है तो निश्चित ही उसे  
व्रत नहीं ग्रहण कराना चाहिए, अन्यथा जिनकी आशातना प्रसंग दुर्निवार होगा । पर यदि सरल  
हृदय साधुको उसकी धूर्तताका पता नहीं चलता है तो व्रतके ग्रहण करानेमे वह विशुद्ध परिणाम-  
वाला होनेके कारण दोषका भागी नहीं होता । इस प्रकार गुरुके समीपमे व्रतके ग्रहणसे इतने  
लाभके होनेपर गुरु व शिष्यको इस प्रक्रियाको न तो व्यर्थ ठहराया जा सकता है और न उनके  
इस विशुद्ध आचरणमें असत्यवादका भी प्रसंग दिया जा सकता है ॥१११-१३॥

इस प्रसंगमे अन्य कोई शका करता है—

जो यति तीन प्रकारसे त्रिदण्डसे विरत है—मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनु-  
मोदनसे पापका परित्याग कर चुका है—वह जब किसीको स्थूल प्राणियोंके प्राणविघातका  
प्रत्याख्यान कराता है तब उसकी अनुमति इतरमे—स्थूल प्राणियोंसे भिन्न सूक्ष्म प्राणियोंके  
विघातमे—कैसे अनुमति न होगी ?

विवेचन—जो महाव्रती मुनि मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे स्वयं  
समस्त सावद्य कर्मका परित्याग कर चुका है वह यदि किसीको स्थूल प्राणियोंके विघातका व्रत  
ग्रहण कराता है तो उससे यह सिद्ध होता है कि उसकी सूक्ष्म प्राणियोंके विघातविषयक  
अनुमति है । अन्यथा वह स्थूलोंके साथ सूक्ष्म प्राणियोंकी भी हिंसाका परित्याग क्यों नहीं कराता ।

१ अ इतरशठस्य । २ अ प्रसगात् विषमाशक्याह । ३. अ यतिरशब्द छद्मस्यप्रपेक्षणया । ४. अ होयणु-  
मतो जइस्सा तिविहेण । ५ अ भवत्यनुमतिर्भवत्ये ।

धिरतस्य । तथा चान्यत्रापि निषिद्ध एव यतेरेषं जातीयोऽर्थः । यत उक्तम्—'माणुमती केरिसा तुम्हे त्ति ॥११४॥

अत्र गुरुराह—

अविहीए होइ च्चिय विहीइ नो सुयविसुद्धभावस्स ।

गाहावइसुअचोरग्रहण-मोअणा इत्थ नायं तु ॥११५॥

अविधिना भवत्येव अणुव्रतग्रहणकाले सम्यगनाख्याय संसारासारताख्यापनपुरःसरं साधुधर्मं प्रमादतोऽणुव्रतानि यच्छतो भवत्येवानुमतिः । विधिना पुनः साधुधर्मकथनपुरःसरेण । नेति न भवत्यनुमतिः । किंविशिष्टस्य ? श्रुतविशुद्धभावस्य तत्त्वज्ञानान्मध्यस्थस्येत्यर्थः । अस्मिन्नेवार्थे दृष्टान्तमाह—गृहपतिसुतचोरग्रहण-मोचनं अत्र ज्ञातमिह उदाहरणमित्यर्थः । तच्चेदम्—

वसंतउरं नगरं, जिपसत्तू राया, धारिणी देवी, दणट्टातिसएण (?) परितुट्ठो<sup>३</sup> से भत्ता ।

इस प्रकार सूक्ष्म प्राणियोकी हिंसाविषयक अनुमतिके होनेपर उसका महाव्रत भंग होता है । यह शंकाकारका अभिप्राय है ॥११४॥

आगे इस शंकाका समाधान किया जाता है—

यदि स्थूल प्राणियोके घातका प्रत्याख्यान करानेवाला वह यति आगमोक्त विधिके बिना उसे उसका प्रत्याख्यान कराता है तो निश्चित ही उसकी सूक्ष्म प्राणियोके घातमे अनुमति होती है । पर श्रुतसे विशुद्ध अन्तःकरणवाला वह यदि विधिपूर्वक ही उसे उसका प्रत्याख्यान कराता है तो सूक्ष्म प्राणियोके घातमें उसकी अनुमति नहीं हो सकती । यहाँ चोरके रूपमे पकडे गये गृहपतिके पुत्रोके ग्रहण और मोचनका उदाहरण है ।

विवेचन—प्रत्याख्यान करानेको सामान्य विधि यह है कि जो आत्महितैषी व्रतको ग्रहण करना चाहता है उसे आचार्य प्रथमतः ससारकी असारताको दिखलाकर साधुधर्मका उपदेश दे । इसपर यदि व्रतग्रहणका इच्छुक श्रावक साधुधर्मके ग्रहणमे अपनी असमर्थताको प्रकट करता है तो फिर उस स्थितिमे उसे अणुव्रतोका उपदेश देकर प्रथम अणुव्रतको ग्रहण कराते हुए स्थूल प्राणियोकी हिंसाका परित्याग करावे । इस विधिके अनुसार ही यदि आचार्य प्रथम अणुव्रतमें प्राणियोकी हिंसाका परित्याग कराता है तो उसकी सूक्ष्म प्राणियोके घातमे अनुमति नहीं हो सकती । पर यदि वह इस प्रत्याख्यान विधिकी उपेक्षा कर उसे प्रारम्भमे ही अणुव्रतोका उपदेश देते हुए स्थूल प्राणियोकी हिंसाका परित्याग कराता है तो उसके लिए अवश्य ही उस सूक्ष्म जीवोके घातविषयक अनुमतिका प्रसंग प्राप्त होता है । आचार्य अमृतचन्द्रने प्रथमतः मुनिधर्मका उपदेश न देकर गृहस्थधर्मका उपदेश करनेवाले साधुको अल्पबुद्धि कहकर उसे निग्रहका पात्र बतलाया है ( पु. सि. १७-१८ ) । विधिपूर्वक स्थूल जीवोकी हिंसाका प्रत्याख्यान करानेवाले आचार्यकी अनुमति सूक्ष्म प्राणियोके घातमें कैसे नहीं होती है, इसके स्पष्टीकरणमे यहाँ एक सेठके छह पुत्रोका उदाहरण दिया जाता है जो चोरीके अपराधमे पकडे गये थे व जिनमेसे एक बड़े पुत्रको ही सेठ छुडा सका था । वह कथा इस प्रकार है—

वसन्तपुर नगरमे एक जितशत्रु नामक राजा राज्य करता था । उसकी पत्नीका नाम

१. अ 'अ' नास्ति । २. अ मोचनार्थं ज्ञातमिह । ३. अ देवी णट्टा तुसिएण परितुट्ठा ।

भणिया य णेण, भण किं ते पियं कीरउ । तोए भणियं—कोमुदीए अंतेउराणं जहिच्छापयारेण निसि ऊत्सवपसाउत्ति । पडिसुयमणेण । समागओ सो दिवहो । कारावियं च अणेण भोसणं जहा जो एत्थ अज्ज पुरिसो वसिही तस्स मए सारीरो णिग्गहो कायव्वो, उग्गदंडो य रायत्ति । ततो णिग्गया<sup>१</sup> सव्वे पुरिसा । णवरमेगस्स सेट्ठिणो छ पुत्ता सव्वहारवावडयाए ल्हु ण णिग्गया । ढक्किया पओलियो<sup>२</sup> । भएण तत्थेव्वं खुसिया वत्तो रयणीऊसवो । वीयदिवहे य पउत्ता चारिया गवेसह को ण णिग्गउत्ति<sup>३</sup> । तेहिं निउण्णवुद्धीए गवेसिऊण साहिय रन्तो, अमुगसेट्ठिस्स छसुया ण णिग्गय त्ति । कुवियो राया । भणियं चाणेण वावाएह ते<sup>४</sup> दुरायारे । गहिया<sup>५</sup> ते<sup>६</sup> रायपुरिसेहिं । एयं वायं णिऊण णरवईसमीवं समागओ तेसि पिया<sup>७</sup> । विन्नतो य णेण<sup>८</sup> राया—देव, खमसु एग्गमवराहं, एयह एकवारं मम एए मा अन्तो वि एवं काहित्ति ण मुयई राया । पुणो पुणो भन्नमाणेण मा कुलखओ भवउ त्ति मुक्को से जेट्ठपुत्तो, वावाइया इयरे । ण य समभावस्स सव्वपुत्तेसु सेट्ठिस्स सेसवावायणेसु अणुमई त्ति । एस विटठतो । इमो एयस्स उवणओ—रायातुल्लो सावगो, वावाइज्जमाणवणियतुल्ला जीवणिकाया, पियतुल्लो साह, विन्नवणतुल्ला अणुवयगहणकाले साधुवम्मदेसणा । एव च असुयणे वि सावगस्स, ण साधुस्स

धारिणी देवी था । एक समय रानी धारिणी देवीके दनट्टातिशय(?)से सन्तुष्ट होकर राजाने उससे पूछा कि बोल तेरा कौन-सा अभीष्ट पूरा किया जावे ? इसपर उसने कहा कि पूर्णिमाके दिन रातमें इच्छानुसार धूम-फिरकर अन्तःपुरकी रानियोंको कौमुदी ( रजनी ) उत्सव मनानेकी प्रसन्नता प्रकट कीजिए । राजाने उसे स्वीकार कर लिया । वह उत्सवका दिन आ गया । तब राजाने नगरमें यह घोषणा करा दी कि आज जो पुरुष यहाँ रहेगा उसे मैं शारीरिक दण्ड कराऊँगा वो भयानक होगा । राजाकी इस घोषणाको सुनकर सब पुरुष नगरसे निकल गये, केवल एक सेठके छह पुत्र व्यवहार कार्यमें व्यापृत होनेसे शोघ्न नहीं निकल सके । पश्चात् जब उन्होंने राजाकी उस घोषणापर ध्यान दिया तब भयभीत होकर वे वही छिप गये । रजनी उत्पव समाप्त हो गया । दूसरे दिन गुप्तचरोको इस बातके खोजनेमें प्रवृत्त किया गया कि कौन पुरुष नगरसे नहीं निकला है । उन्होंने अपने बुद्धिचातुर्यसे खोजकर राजासे कह दिया कि अमुक सेठके छह पुत्र नहीं निकले । इसपर राजा क्रोधको प्राप्त हुआ । तब उसने कहा कि उन दुराचारियोंको मार डालो । तदनुसार राजपुरुषोंने उनको पकड लिया । इस वृत्तको जानकर उनका पिता राजाके समीप गया । उसने राजासे प्रार्थना की कि हे देव ! इनके एक अपराधको क्षमा कर दीजिए और इन मेरे पुत्रोंको छोड़ दीजिए । परन्तु राजा 'अन्य भी कोई ऐसे अपराधको न करे' इस विचारसे उन्हें नहीं छोड़ रहा था । जब सेठने बार-बार कहा तब 'वंशका क्षय न हो' इस विचारसे राजाने उसके बड़े पुत्रको छोड़ दिया और शेष पाँच पुत्रोंको प्राणदण्ड दे दिया । सेठ अपने उन छहों पुत्रोंमें समान अनुराग रखता था । पर राजाने जब उन सबको न छोड़ा तब सेठने एक बड़े पुत्रको छुड़ाया । इससे सेठकी अन्य पुत्रोंके घातमें अनुमति नहीं रही, बाध्य होकर ही उसे एक पुत्रको छुड़ाना पडा । यह दृष्टान्त है । इसका उपनय इस प्रकार है—प्रकृतमें श्रावक राजाके समान है, जीवनिकाय मारे जानेवाले सेठ पुत्रोंके समान है, साधु पिताके समान है तथा अणुव्रत ग्रहणके समयमें साधुके द्वारा दिया जानेवाला उपदेश सेठको विज्ञप्तिके समान है । इस प्रकार श्रावकके असुजन ( धूर्त ) होनेपर

१. अ उग्गदजोराय त्ति णिग्गया । २. अ ढक्किया पलीउ । ३. अ तत्थेण । ४. अ को णिग्गउत्ति । ५. अ 'ते' नास्ति । ६. म गहियो रायं । ७. अ 'ते' नास्ति । ८. अ समागउ सिधिया । ९. अ य णेय ।

दोसो । न चैतत्स्वमनीषिकया परिकल्पितम् । उक्तं च सूत्रकृताङ्गैः—गाहावइसुयचोरगहणवि-  
मोक्खणयाएत्ति । एतत्संग्राहकं चेदं गाथात्रयम्—

देवीतुट्ठो राया ओरोहस्स निसि ऊसवपसाओ ।

घोसण नरनिग्गमणं छव्वणियसुयाणनिखेवो ॥११६॥

चारियकहिए वज्झा मोएइ पिया न मिल्लई राया ।

जिइमुयणे समस्स उ नाणुमई तस्स सेसेसु ॥११७॥

राया सट्ठो वणिया काया साहू य तेसि पियतुल्लो ।

मोयइ अविसेसेणं न मुयइ सो तस्स किं इत्थ ॥११८॥

एतद्गतार्थमिति न व्याख्यायते णवरमोरोहो अंतेउरं भन्नइ ।

सांप्रतमन्यद्वादस्थानकम्<sup>३</sup>—

भो वह दोष उस श्रावकका ही है, साधुका कुछ दोष नहीं है । यह वृत्तान्त कुछ हमारी बुद्धिके द्वारा कल्पित नहीं है, क्योंकि सूत्रकृतागमे कहा भो है—गाहावइसुयचोरगहणविमोक्खण-  
याएत्ति ।

इस वृत्तान्तकी संग्राहक ये तीन गाथाएँ हैं—

राजा अपनी पटरानीपर सन्तुष्ट हुआ, इससे उसने उसकी इच्छानुसार रातमें उत्सव मनानेके विषयमें अन्तःपुरकी प्रसन्नता प्रकट की । इसके लिए उसने पुरुषोंके लिए नगरसे बाहर निकल जानेके विषयमें घोषणा करा दी । उस समय छह वणिकपुत्र नगरके बाहर नहीं निकल सके ॥११६॥

गुप्तचरोके कहनेपर राजाने उनका वध करनेकी आज्ञा दे दी । तब पिता उनको छुडाता है, पर राजा उन्हें नहीं छोड़ता है । तब सब पुत्रोंके विषयमें समान भाव रखनेवाला सेठ ज्येष्ठ पुत्रको छुडाता है । इससे उसकी शेष पाँच पुत्रोंके वधमें कुछ अनुमति नहीं रही ॥११७॥

राजा श्रावक जैसा है, वणिकपुत्र जीवनिकाय जैसे हैं, साधु उनके पिता जैसा है । पिता समान रूपसे सबको छुडाना चाहता है, पर राजा नहीं छोड़ता है । इस परिस्थितिमें सेठका क्या दोष है ? अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सेठ अपने सभी पुत्रोंको छुडाना चाहता है, पर उसके बहुत प्रार्थना करनेपर भी जब राजा उन्हें नहीं छोड़ता है तब सब पुत्रोंमें समबुद्धि होता हुआ भी वह एक बड़े पुत्रको ही छुडाता है । इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसको अन्य पुत्रोंके वध करानेमें अनुमति रही है । ठीक इसी प्रकार साधु श्रावकसे स्थूल व सूक्ष्म सभी जीवोंके वधको छुडाना चाहता है, पर श्रावक जब समस्त प्राणियोंके वधके छोड़नेमें अपनी असमर्थता प्रकट करता है तब वह उससे स्थूल प्राणियोंके ही वधका प्रत्याख्यान कराता है । इससे समस्त प्राणियोंमें समबुद्धि उस साधुके अन्य सूक्ष्म प्राणियोंके वधविषयक अनुमतिकी प्रसंग कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता ॥११८॥

अब जिनको उक्त त्रस प्राणियोंके घातका वह व्रत अभीष्ट नहीं है उनके अभिप्रायको स्पष्ट किया जाता है—

तसपाणघायविरहं ततो थावरगयाण वहभावा ।

नागरगवहनिविचीनायाओ केइ नेच्छति ॥११९॥

त्रसप्राणघातविरतिं द्वीन्द्रियादिप्राणव्यापत्तिनिवृत्तिम् । ततस्तस्मात् त्रसकायात् । स्थावर-  
गताना पृथिव्यादिसमुत्पन्नानाम् । वधभावाद्दद्यापत्तिसभवान्नागरकवधनिवृत्तिज्ञाततो नागरकवध-  
निवृत्त्युदाहरणेन । केचन वादिनो नेच्छन्ति नाम्युपगच्छन्तीति गायक्षरार्थः ॥११९॥

भावार्थं त्वाह—

पच्चक्खायंमि इहं नागरगवहम्मि निग्गयं पि तओ ।

त वहमाणस्स न किं जायइ वहविरइभंगो उ ॥१२०॥

प्रत्याख्याते इह परित्यक्ते अत्र । कस्मिन् ? नागरकजिघासने । निर्गतमपि निःक्रान्तमपि ।  
ततो नगरात् । तं नागरकम् । घ्नतो व्यापादयतोऽन्यत्रापि । न किं जायते वधविरतिभङ्गः  
प्रत्याख्यानभङ्गो जायत एवेति ॥१२०॥

इत्थ दृष्टान्तमभिधाय अधुना दार्ष्टान्तिकयोजना कुर्वन्ताह—

इय अविसेसा तसपाणघायविरहं काउ तं ततो ।

थावरकायमणुगयं वहमाणस्स धुवो भंगो ॥१२१॥

इय एवमविशेषात्सामान्येनैव त्रसप्राणघातविरतिमपि कृत्वा तं त्रसम् । ततस्त्रसकायात्  
द्वीन्द्रियादिलक्षणात् । स्थावरकायमणुगत विचित्रकर्मपरिणामात्पश्चात्पृथिव्यादिषूत्पन्नम् । घ्नतो  
व्यापादयतो ध्रुवो भङ्गोऽवश्यमेव भङ्गो निवृत्तेरिति । संभवति चैतद्यत्त्रसोऽपि मृत्वा श्रावका-  
रम्भविषये स्थावर-प्रत्यागच्छति, स च त व्यापादयतीति ॥१२१॥

ततश्च विशेष्यप्रत्याख्यान कर्तव्यमनवद्यत्त्वाविति । आह च—

कितने ही वादी नागरिकवधकी निवृत्तिके उदाहरणसे उस त्रस प्राणियोके घातकी विरति-  
को इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं कि उससे त्रस अवस्थाको छोड़कर स्थावरोंमें उत्पन्न हुए उन  
त्रस जीवोंके घातकी सम्भावनासे स्वीकृत व्रत भंग हो सकता है ॥११९॥

आगे पूर्वनिर्दिष्ट उस नागरिकवधनिवृत्तिन्यायको ही स्पष्ट किया जाता है—

यहाँ किसीके द्वारा नागरिकवधका प्रत्याख्यान करनेपर जब नगरसे निकले हुए किसीका  
वह वध करता है तब क्या उसका वह वधका व्रत भंग नहीं हो जाता है? वह भंग होता ही  
है ॥१२०॥

अब इस दृष्टान्तकी योजना दार्ष्टान्तिके साथ की जाती है—

इस प्रकार सामान्य रूपसे त्रसप्राणघातविरतिको करके उससे—द्वीन्द्रियादिरूप त्रस  
परिणामसे—स्थावरकायको प्राप्त हुए उस त्रसका घात करते हुए श्रावकका वह व्रत निश्चित ही  
भंग होता है ॥१२१॥

इसलिए वादीके अभिमतानुसार विशेषित करके प्रत्याख्यान करना चाहिए, तभी वह  
निर्दोष रह सकता है । किस प्रकारसे विशेषित करे, इसे वह आगे स्पष्ट करता है—

तसभूयपाणविरई<sup>१</sup> तब्भावमि वि न<sup>३</sup> होइ भंगाय ।

खीरविगइपच्चक्खातद<sup>४</sup>हियपरिभोगकिरिय व्व<sup>५</sup> ॥१२२॥

त्रसभूतप्राणविरतिस्त्रसपर्यायाध्यासितप्राणवधनिवृत्तिः । तद्भावेऽपि स्थावरगतव्यापत्ति-  
भावेऽपि । न भवति प्रत्याख्यानभङ्गाय, विशेष्यकृतत्वात् । किं वत् ? क्षीरविकृतिप्रत्याख्यातृ-  
दधिपरिभोगक्रियावत् । न हि क्षीरविकृतिप्रत्याख्यातुर्दधिपरिभोगक्रिया प्रत्याख्यानभङ्गाय,  
क्षीरस्यैव दधिरूपत्वापत्तावपि विशेष्यप्रत्याख्यानादिति ॥१२२॥

उपसंहरन्नाह—

त्रसभूत—त्रस पर्यायसे अधिष्ठित प्राणियोंके वधका व्रत त्रस पर्यायसे स्थावरको प्राप्त उन  
प्राणियोंका वध करनेपर भी विनाशके लिए नहीं होता है । जैसे दूधरूप विकार ( गोरस ) का  
प्रत्याख्यान करनेपर दहीरूप विकारका उपभोग करते हुए वह विनाशके लिए नहीं होता  
है ॥१२२॥

विवेचन—वादोका अभिप्राय यह है कि यदि सामान्यसे त्रस प्राणियोंके घातका व्रत  
कराया जाता है तो वैसी अवस्थामे जो द्वाद्वियादि त्रस जाव मरकर स्थावरोमे उत्पन्न हुए हैं  
उनका आरम्भमे प्रवृत्त हुआ श्रावक घात कर सकता है । इस प्रकार स्थावर अवस्थाको प्राप्त हुए  
उन त्रस जीवोंका घात होनेपर श्रावकका वह व्रत भंग हो जाता है । इसके लिए नागरिकवधकी  
निवृत्तिका उदाहरण भी है—जैसे किसीने यह नियम किया कि 'मैं किसी नागरिकका घात नहीं  
करूंगा' । ऐसा नियम करनेपर यदि वह नगरसे बाहर निकले हुए किसी नागरिकका वध करता  
है तो जिस प्रकार उसका वह व्रत भंग हो जाता है उसी प्रकार जिस श्रावकने सामान्यसे 'मैं त्रस  
जीवोंका घात नहीं करूंगा' इस प्रकारके व्रतको स्वीकार किया है वह जब त्रस पर्याय को छोड़कर  
स्थावर पर्यायको प्राप्त हुए उन त्रस जीवोंका प्रयोजनके वश घात करता है तब उसका भी वह  
व्रत भंग होता है । और यह असम्भव भी नहीं है, क्योंकि कुछ त्रस जाव मरणको प्राप्त होकर  
उस त्रस पर्यायसे स्थावर पर्यायका प्राप्त हो सकते हैं । अतः सामान्यसे त्रस जीवोंके घातका व्रत  
कराना उचित नहीं है । तब किस प्रकारके विशेषणसे विशेषित उन त्रस जीवोंके घातका व्रत  
कराना उचित है, इसे स्पष्ट करता हुआ वादो कहता है कि 'भूत' शब्दसे विशेषित त्रसभूत—त्रस  
पर्यायसे अधिष्ठित—उन त्रसोंके विघातका व्रत करानेपर त्रस पर्यायको छोड़कर स्थावरोमे उत्पन्न  
हुए उन जीवोंका घात करनेपर भी वह उसका स्वीकृत व्रत भंग होनेवाला नहीं है । कारण यह  
कि तब वे त्रसभूत—त्रस पर्यायसे अधिष्ठित नहीं रहे । इसके लिए वादोके द्वारा उदाहरण दिया  
गया है कि जिस प्रकार कोई मनुष्य क्षीरभूत गोरसका प्रत्याख्यान करके यदि दहीका उपभोग  
करता है तो उसका वह व्रत भंग नहीं होता है । कारण यह कि गोरसके रूपमे दोनोंके समान  
होनेपर भी दही क्षीरभूत नहीं रहा । यहाँ अभिप्राय प्रकृतमे समझना चाहिए ॥११९-२२॥

आगे वादो अपने अभिमतका उपसंहार करता है तथा सिद्धान्त पक्ष द्वारा उसके निरा-  
करणका उपक्रम किया जाता है—



तम्हा विसेसिऊणं इय विरई इत्थ होइ कायच्वा ।

अब्भक्खाणं दुन्ह विं इय करणे नावगच्छंति ॥१२३॥

यस्मादेव तस्माद्विशिष्यं भूतशब्दोपादानेन । इय एवं । विरतिर्निवृत्तिरत्र प्राणातिपाते भवति कर्तव्या, अन्यथा भङ्गप्रसङ्गात् । इति पूर्वपक्षः । अत्रोत्तरमाह—अभ्याख्यान तद्गुणशून्यत्वेऽपि तद्गुणाम्युपगमलक्षणम् । द्वयोरपि प्रत्याख्यात् प्रत्याख्यापयित्रोराचार्यश्रावकयोः । इयकरणे भूतशब्दसमन्वितप्रत्याख्यानासेवने । नावगच्छन्ति नावबुध्यन्ते पूर्वपक्षवादिन इति ॥१२३॥

तथा चाह—

ओवंमे तादत्थे व हुज्ज एसित्थं भूयसदो त्ति ।

उभओ पओगकरणं न संगयं समयनीईएँ ॥१२४॥

औपम्ये तादर्थ्ये वा भवेदेषोऽत्र प्रत्याख्यानविधौ भूतशब्द इति । उभयथापि प्रयोगकरणस्य न संगतम् । समयनोत्या सिद्धान्तव्यवस्थयेति गायकशरार्थं । ॥१२४॥ भावार्थमाह—

ओवंमे देसो खलु एसो सुरलोयभूय मो एत्थ ।

देसुं च्चिय सुरलोगो न होइ एवं तसा तेवि ॥१२५॥

औपम्ये उपमाभावे भूतशब्दप्रयोगो यथा—देशः खल्वेष लटदेशादिः ऋष्यादिगुणोपेतत्वात्सुरलोकोपमः मो इत्यवधारणार्थो निपातः—सुरलोकभूत एव । अत्रास्मिन् पक्षे । देश एव सुरलोको न भवति, तेनोपमीयमानत्वाद्देशस्य एव त्रसास्ते ऽपि यद्विषया निवृत्तिः क्रियते ते ऽपि त्रसा न भवन्ति, त्रसभूतत्वात् त्रसैषपमीयमानत्वादिति ॥१२५॥ ततः किमित्याह—

इसलिए—उक्त दाषको दूर करनेके लिए विशेषताके साथ—‘भूत’ शब्दके उपादानपूर्वक—त्रसभूत प्राणियोंके घातका यहाँ ब्रत कराना चाहिए, न कि सामान्यसे त्रस प्राणियोंके घातका । इस प्रकार यहाँ तत्र वादीने अपने पक्षको स्थापित किया है । आगे ( १२३ उत्तरार्ध ) उसका निराकरण करते हुए कहा जाता है कि ऐसा करनेपर भूत शब्दसे विशेषित उन त्रस जीवोंके घातका प्रत्याख्यान करनेपर—विवक्षित गुणसे रहित होनेपर भी उसी गुणके स्वीकार करनेरूप जिस अभ्याख्यानका प्रसंग दाषको—प्रत्याख्यान करनेवाले व उसके करानेवालेको प्राप्त होता है उसे वे वादी नहीं समझते हैं ॥१२३॥

आगे इसीको स्पष्ट किया जाता है—

यह ‘भूत’ शब्द या तो उपमा अर्थमें व्यवहृत होना है या तादर्थ्यमें । सो आगम व्यवस्थाके अनुसार दोनों ही प्रकारसे उसका प्रयोग करना संगत नहीं है ॥१२४॥

आगे उसके अभिप्रायको स्पष्ट किया जाता है—

उपमा अर्थमें जैसे—यहाँ यह देश निश्चित ही ‘सुरलोकभूत’ है । ऐसा कहनेपर वह देश ही कुछ सुरलोक नहीं हो जाता है । इसी प्रकार प्रकृतमें ‘त्रसभूत’ कहनेपर वे त्रस जीव भी—जिनके घातका प्रत्याख्यान कराया जाता है—त्रस नहीं रहेगे, किन्तु त्रसकी समानताको प्राप्त हो जावेंगे जो वादीकी भी अभीष्ट नहीं है ॥१२५॥

इससे क्या हानि होनेवाली है, इसे आगे बतलाया जाता है—

अतसवहनिवृत्तीए थावरघाए वि पावए तस्स ।

वहविरइभंगदोसो अतसत्ता थावराणं तु ॥१२६॥

उक्तन्यायादत्रसवधनिवृत्तौ<sup>१</sup> सत्याम् । स्थावरवधेऽपि कृते । प्राप्नोति तस्य निवृत्तिकर्तुर्वध-  
विरतिभङ्गदोषः । कुतः ? अत्रसत्वात्स्थावराणामेव अत्रसाश्च त्रसभूता भवन्तीति ॥१२६॥

अवसितः औपम्यपक्ष.<sup>५</sup>, सांप्रतं तादर्थ्यपक्षमाह—

तादर्थ्ये पुण एसो सीईभूयमुदगंति निदिट्ठो ।

तज्जाइअणुच्छेया न य सो तसथावराणं तु ॥१२७॥

इस प्रकार अत्रसवधकी निवृत्तिके होनेपर अर्थात् उपमार्थक 'भूत' शब्दसे विशेषित करने-  
पर जो यथार्थमे त्रस है । वे तो त्रस नहीं रहेगे, किन्तु जो त्रसके समान हैं—अत्रस हैं—वे त्रस  
माने जायेंगे, इस प्रकार वह त्रसवधनिवृत्ति न होकर अत्रसवधनिवृत्ति ही प्रसक्त होगी । ऐसा  
होनेपर स्थावर जीवोके घातमे भी उस अत्रसवधनिवृत्ति व्रतके भंग होनेका प्रसंग अनिवार्य प्राप्त  
होगा, क्योंकि वे घाते जानेवाले स्थावर अत्रस ( त्रसभिन्न ) ही तो है ॥१२६॥

विवेचन—वादीने सामान्यसे त्रसजीवोके वधका प्रत्याख्यान करनेपर व्रतके भंग होनेका  
प्रसंग प्रदर्शित करते हुए जो उसके परिहारार्थ 'भूत' शब्दसे त्रसको विशेषित करनेकी प्रेरणा की  
थी उसे असगत बतलाते हुए यहाँ वादीसे पूछा गया है कि 'भूत' शब्दका प्रयोग उपमा और  
तादर्थ्य ( तदर्थता या तद्रूपता ) इन दो अर्थोंमे हुआ करता है । इनमेसे यदि उसका प्रयोग  
आपको उपमा अर्थमे अभीष्ट है तो उससे आपका अभीष्ट सिद्ध न होकर अनिष्टताका ही प्रसंग  
प्राप्त होनेवाला है । उदाहरणार्थ 'यह देश ( लाट आदि ) सुरलोकभूत है' यहाँ उपमा अर्थमे  
उस भूत शब्दका उपयोग हुआ है । उससे देश कुछ स्वयं सुरलोक नहीं हो जाता । किन्तु वह  
ऋद्धि आदि गुणोसे सम्पन्न होनेके कारण सुरलोकके समान है, यही अभिप्राय प्रकट होता है ।  
इसी प्रकार प्रकृतमे भी त्रसके साथ उपमार्थक उस भूत शब्दका उपयोग करनेपर 'त्रसभूत' से  
जिन त्रस जीवोके घातका प्रत्याख्यान कराना अभीष्ट है वे स्वयं त्रस न रहकर त्रस समान हो  
जानेसे अत्रसत्व ( त्रसभिन्नता ) को प्राप्त हो जायेंगे । तब उस स्थितिमे प्रकृत त्रसवधका  
प्रत्याख्यान अत्रसवध प्रत्याख्यानके रूपमे परिणत हो जावेगा । इस प्रकार अनिष्टका प्रसंग प्राप्त  
होनेपर तदनुसार प्रयोजनवश स्थावर जीवोके घातमे प्रवृत्त होनेपर उसका वह अत्रसत्ववध-  
निवृत्ति व्रत अवश्य भंग हो जानेवाला है । कारण यह कि उपमार्थक उस भूत शब्दके उपयोगसे  
वे त्रसभूत स्थावर भी त्रस समान ( अत्रस ) सिद्ध होते हैं । इस प्रकार उनका घात होनेपर प्रसंग-  
प्राप्त वह अत्रसवधनिवृत्ति व्रत भी सुरक्षित नहीं रह सका—भंग हो गया । यह वादीके लिए  
अनिष्ट प्रसंग प्राप्त होता है । इससे त्रसके साथ उपमार्थक उस भूत शब्दका उपयोग असगत ही  
ठहरता है ॥१२३-२६॥

अब दूसरे विकल्पमे भी दोष दिखलाया जाता है—

१. अ त्थावरत्थाए वि पावती । २ अ अस्या गाथाया अयमुत्तरार्धभागं स्वलितोऽस्ति । ३ अ न्यायादत्र  
सवधनिवृत्तौ ('उक्त' नास्ति) । ४. अ अत्र स्थावरा । ५. अ भवति । ६. अ औपम्य पक्ष ।

तादर्थ्ये पुनस्तदर्थभावे पुनरेष भूतशब्दप्रयोगः, शीतीभूतमुदकमुष्णं सत्पर्यायान्तरमापन्नम् । इति निर्दिष्टस्तल्लक्षणज्ञैः एवं<sup>२</sup> प्रतिपादितः, तज्जात्यनुच्छेदात् अत्रापि तदुदकजात्यनुच्छेदेनैवोष्णं सच्छीतीभूतम् । न चासौ जात्यनुच्छेदस्त्रस-स्थावरयोर्भिन्नजातित्वादिति ॥१२७॥

सिय जीवजाइमहिगिच्च अत्थि किं तीइ अपडिकुट्ठाए ।

भूअगहणेवि एवं दोसो अणिवारणिज्जो ओ ॥१२८॥

स्याज्जीवजातिमधिकृत्यास्ति जात्यनुच्छेदः, द्वयोरपि जीवत्वानुच्छेदादित्याशङ्क्याह—किं तया जीवजात्या अप्रतिकुष्टया अनिषिद्धया, न तेन जीवजातिवधविरतिः कृता येन सा चिन्त्यते । ततश्च भूतग्रहणेऽप्येवमुक्तन्यायात् दोषोऽनिवारणीय एवेति ॥१२८॥ किं च—

तसभूयावि तसच्चिय जं ता किं भूयसइगहणेणं ।

तवभावओ अ सिद्धे हंत<sup>३</sup> विसेसत्थभावम्मि ॥१२९॥

त्रसभूता अपि वस्तुस्थित्या त्रसा एव, नान्ये । यद्यस्मादेवं तत्तस्मात् । किं भूतशब्दग्रहणेन, न किञ्चिदित्यर्थः । तद्भावात् एव<sup>४</sup> त्रसभावत् एव सिद्धे हन्त विशेषार्थभावे<sup>५</sup> त्रसपर्यायलक्षणे न हि त्रसपर्यायशून्यस्य त्रसत्वमिति ॥१२९॥ किं च—

तादर्थ्यमे उस 'भूत' शब्दका प्रयोग करनेपर जैसे 'यह शीतीभूत जल उष्ण है' ऐसा कहा जाता है, यहाँ जो शीतीभूत जल उष्णताको प्राप्त हुआ है उसमे जलत्व जातिका विनाश नहीं हुआ है—शीत भी जल ही था और उष्ण भी जल ही है, इस प्रकार जलपना दोनो ही अवस्थाओं-में समानरूपसे बना रहता है । इसीलिए यहाँ तादर्थ्यमे उस 'भूत' शब्दका प्रयोग संगत है । वैसे ही यदि उस 'भूत' शब्दका प्रयोग प्रकृतमे त्रसके साथ किया जाता है तो यहाँ जातिका अविनाश सम्भव नहीं है, क्योंकि त्रस और स्थावर ये दोनो भिन्न जातियाँ हैं । इस प्रकार प्रकृतमें तादर्थ्यके असम्भव होनेपर त्रसके साथ उस 'भूत' शब्दका प्रयोग संगत नहीं कहा जा सकता ॥१२७॥

आगे प्रकृतमे भी जातिके अविनाशविषयक शंकाको उठाकर उसका भी समाधान किया जाता है—

यदि कहा जाये कि प्रकृतमे भी—त्रस और स्थावर जीवोमे भी—जीव जातिका अविनाश है ही तो इसके समाधानमे कहा जाता है कि ठीक है, उसका निषेध नहीं किया गया है, परन्तु उस अनिषिद्ध जीव जातिसे प्रकृतमे क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ जीवजातिके वधका प्रत्याख्यान नहीं कराया गया है, किन्तु त्रसवधका प्रत्याख्यान कराया गया है । अतएव तादर्थ्यमे भी उस 'भूत' शब्दका प्रयोग असंगत है । इस प्रकार 'भूत' शब्दके ग्रहणमें भी दोषका निवारण नहीं किया जा सकता है ॥१२८॥ दूसरे—

भूत शब्दके ग्रहण करनेपर चूँकि त्रसभूत भी वे जीव त्रस ही तो होंगे, अन्य तो नहीं हो सकते, अतएव उस भूत शब्दके ग्रहणसे क्या लाभ है ? कारण यह कि त्रसभावसे ही जब विशेष अर्थता—त्रस पर्याय—सिद्ध है तब खेद है कि उस भूत शब्दके ग्रहणसे कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं है, क्योंकि त्रस पर्यायसे रहित जीवोमे त्रसता सम्भव नहीं है ॥१२९॥

आगे प्रकारान्तरसे भी त्रस व स्थावर जीवोमे भेदको प्रकट किया जाता है—

१ शेषशब्दभूतप्रयोग । २ अं स्तल्लक्षणरेव । ३. अ तसावओ च सिद्धे हित । ४. अ तद्भाव एव । ५ अ एव सिद्धे हित वशेशार्थभावे ।

थावरसंभारकडेण कम्मणा<sup>१</sup> जं च थावरा भणिया ।

इयरेणं तु तसा खलु इत्तो<sup>२</sup> च्चिय तेसि भेओउ ॥१३०॥

स्थावरसंभारकृतेन<sup>३</sup> पृथिव्यादिनिचयनिर्वर्तितेन । कर्मणा । यच्च यस्माच्च स्थावरा भणिताः, परममुनिभिरिति गम्यते । इतरेण तु अससंभारकृतेनैव । त्रसाः खल्विति त्रसा एव, खलुशब्दस्यावधारणार्थत्वात् । अत एवास्मादेव निमित्तभेदात्तयोस्त्रसस्थावरयोर्भेदः, तस्मिन् सति अनर्थको भूतशब्द इति ॥१३०॥

इदानीं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकपयोर्वेषम्यमाह—

नागरगंमि वि गामाइसंकमे अवगयंमि तब्भावे ।

नत्थि हु वहे वि भंगो अणवगए किमिह गामेण ॥१३१॥

नागरकेऽपि दृष्टान्ततयोपन्यस्य इदं विन्यते—ग्रामादिसक्रमे तस्य किमसौ नागरकभावो-  
ऽपैति वा न वा ? यद्यपैति ततो ग्रामादिसक्रमे सति । अपगते तद्भावे नागरकभावे । नास्त्येव वधेऽपि भङ्गः प्रत्याख्यानस्य तथाभिसन्धेः । अथ नापैत्यत्राह—अनपगते आपुरुषमभिसन्धिना अनिवृत्ते नागरकभावे । किमिह ग्रामेण तत्रापि वधविरतिविषयस्तथापुरुषभावानिवृत्तेरिति ॥१३१॥

इसके अतिरिक्त स्थावरसंभारकृत—पृथिवी आदि निकाय रूपसे निर्वर्तित—कर्मके निमित्तसे चूँकि स्थावर कहे गये हैं तथा इसके विपरीत त्रस नामकर्मके निमित्तसे त्रस कहे गये हैं, इसी कारणसे उन दोनोमे भेद है । इस प्रकारसे भी उन दोनोमे भेदके होनेपर उसके लिए भूत शब्दका प्रयोग करना निरर्थक है ॥१३०॥

अब पूर्वमें वादीके द्वारा जो नागरिकवधका दृष्टान्त दिया गया था उसकी विषमता दिखलाते हैं—

वादीके द्वारा दृष्टान्तरूपसे उपस्थित किये गये नागरिकके ग्राम आदिमे पहुँचनेपर यदि उसकी नागरिकता नष्ट हो जाती है तो फिर उसके वधमे भी व्रत भंग होनेवाला नहीं है और यदि वहाँ भी उसकी नागरिकता बनी रहती है तो फिर ग्रामसे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? कुछ भी नहीं ।

विवेचन—वादीने नागरिकका दृष्टान्त देते हुए यह कहा था (११९) कि जिस प्रकार नगरसे बाहर ग्राम आदिमें गये हुए नागरिकका वध करनेपर नागरिकवधका प्रत्याख्यान करनेवाले-  
का व्रत भंग होता है उसी प्रकार मरणको प्राप्त होकर त्रस पर्यायसे स्थावर पर्यायको प्राप्त हुए त्रस जीवोंका वध करनेपर त्रसवधका प्रत्याख्यान करनेवाले श्रावकका भी वह व्रत भंग होता है, अतः विशेषताके साथ त्रसवधका प्रत्याख्यान कराना चाहिए, न कि सामान्य रूपसे । इसपर यहाँ वादीसे यह पूछा गया है कि नगरके बाहर जानेपर उसकी नागरिकता नष्ट होती है या तदवस्थ बनी रहती है ? यदि वह नष्ट हो जाती है तब तो उसका वहाँ वध करनेपर भी उसका वह नागरिकवधका व्रत भंग नहीं होता है, क्योंकि वह उस समय नागरिक नहीं रहा—उसकी नागरिकता वहाँ वादीके अभिप्रायानुसार समाप्त हो जाती है । इसपर यदि यह कहा जाये कि उसकी नागरिकता वहाँ भी बनी रहती है तो फिर गाँवमे जानेके निर्देशसे क्या लाभ है, क्योंकि नागरिकताके वहाँ भी तदवस्थ रहनेसे वह वहाँ भी उसके लिए अवध्य है । इस प्रकार वादीके द्वारा उपन्यस्त वह नागरिकवधका दृष्टान्त यहाँ लागू नहीं होता ॥१३१॥

१. अ कम्मणा । २. अ एत्तो । ३. अ थावरसहारकृतेन ।

न य सइ तसभावंमि थावरकायगयं तु सो वहइ ।

तम्हा अणायमेयं मुद्धमइविलोहणं नेयं ॥१३२॥

न च सति त्रसभावे नैव विद्यमान एव त्रसत्वे । स्थावरकायगतमसौ हन्ति<sup>१</sup>, अपरित्यक्तं त्रसत्वे स्थावरकायगमनाभावात् । तस्मादज्ञातमेतत् उक्तन्यायादनुदाहरणमेतत् ।<sup>२</sup> मुग्धमतिविलो-  
भनं ज्ञेयं ऋजुमतिविस्मयकरं ज्ञातव्यमिति ॥१३२॥

इदानीम् अन्यद्वादस्थानकम्—

अन्ने उ दुहियसत्ता संसारं परिअडंति पावेण ।

वावाएयव्वा खलु ते तवखवणट्टया विंति<sup>३</sup> ॥१३३॥

अन्ये तु संसारमोचका ब्रुवन्ते इति योगः । किं ब्रुवत इत्याह—दुःखितसत्त्वाः कृमि-पिपीलि-  
कादयः । संसारं पर्यटन्ति संसारमवगाहन्ते । पापेनापुण्येन हेतुना<sup>४</sup> । यतश्चैवमतो व्यापादयितव्या  
खलु ते । खल्वित्यवधारणे—व्यापादयितव्या<sup>५</sup> एव ते दुःखितसत्त्वाः । किमर्थमित्याह—तत्क्षपणार्थं  
पापक्षपणनिमित्तमिति ॥१३३॥

ता पाणवहनिवित्ती नो अविसेसेण होइ कायव्वा ।

अवि अ सुहिएसु अन्नह करणिज्जनिसेहणे दोसो ॥१३४॥

इसीको आगे कुछ और स्पष्ट किया जाता है—

इसके अतिरिक्त त्रसघातका प्रत्याख्यान करनेवाला वह श्रावक त्रस अवस्थाके रहनेपर कुछ  
उस स्थावरकायको प्राप्त हुए जीवका घात नहीं करता है । इसलिए यह नागरिकवधका उदा-  
हरण वस्तुतः उदाहरण न होकर मूढबुद्धियोंको लुब्ध करनेवाला अनुदाहरण ही समझना चाहिए ।

विवेचन—यह पूर्वमे (१३०) कहा जा चुका है कि जिन जीवोंके त्रस नामकर्मका उदय  
रहना है वे त्रस कहलाते हैं । इससे जो जीव मरणको प्राप्त होते हुए स्थावरकायको प्राप्त होते  
हैं वे त्रस नहीं रहते, किन्तु स्थावर नामकर्मके उदयसे स्थावर होते हैं । इस प्रकार त्रस पर्यायिके  
विनष्ट हो जानेपर यदि त्रस प्राणिवधका प्रत्याख्यान करनेवाला कोई श्रावक प्रयोजनवश उनका  
घात करता है तो इससे उसका वह व्रत भंग होनेवाला नहीं है । वादीके अभिमतानुसार 'भूत'  
शब्दका प्रयोग करनेपर भी वे त्रस नहीं हो सकते, किन्तु स्थावर नामकर्मके उदयसे वे स्थावर ही  
रहनेवाले हैं । कारण यह कि त्रस पर्यायिके रहते हुए कोई जीव स्थावर हो ही नहीं सकता । इससे  
यह निश्चित है कि नागरिकवधका वह उदाहरण यथार्थमे उदाहरण नहीं है । इस प्रकार प्रथम  
अणुव्रतको ग्रहण कराते हुए जो श्रावकसे त्रस प्राणियोंके वधका प्रत्याख्यान कराया जाता है वह  
सर्वथा निर्दोष है, यह सिद्ध होता है ॥१३२॥

अब यहाँ अन्य वादियोंके अभिमतको दिखलाते हैं—

अन्य कितने ही वादी ( संसारमोचक ) यह कहते हैं कि दुखी प्राणी चूँकि पापसे संसारमें  
परिभ्रमण करते हैं अतएव उनका उस पापके क्षयके निमित्त घात करना चाहिए ॥१३३॥

इससे उन वादियोंको क्या अभीष्ट है, इसे आगेकी गाथा द्वारा स्पष्ट किया जाता है—

इससे प्राणियोंके प्राणवधका प्रत्याख्यान बिना विशेषताके—सामान्यसे—नहीं कराना

१. अ हवती । २. अ मुखमति<sup>१</sup> । ३. अ इदानीं द्वादशस्थानकं । ४. अ वेत्ति । ५. अ व्रतते । ६. अ हेतुना  
नायचस्सैवं । ७. अ धारणे व्यापादनीया एव ।

यस्मादेवं तत्तस्मात् । प्राणवधनिवृत्तिर्नाविशेषेण भवति कर्तव्या, अपि च सुखितेषु सुखित-  
विषये कर्तव्या, तद्व्यापादन एव दोषसंभवात् । अन्यथा यद्येवं न क्रियते ततः । करणीयनिषेधने  
दोषः कर्तव्यो हि परलोकाधिना दुःखितानां पापक्षयः, तन्निवृत्तिकरणे प्रब्रज्यादिदाननिवृत्ति-  
करणवद्दोष इत्येष पूर्वपक्षः ॥१३४॥

अत्रोत्तरमाह—

तद्वद्वभावे पावकखओ त्ति न उ अट्टज्जाणओ बंधो ।

तेसिमिह किं प्रमाणं नारगनाओवगं वयणं ॥१३५॥

तथा तेन प्रकारेण । वधभावे व्यापत्तिकरणे । पापक्षय एव न त्वार्तध्यानतो बन्धस्तेषां  
दुःखितानामपि । किं प्रमाणम् ? न किञ्चिदित्यर्थः । अत्राह—नारकन्यायोपगं वचनं नारकन्यायानु-  
सारि वचनं प्रमाणमिति ॥१३५॥

एतदेव भावयति—

तेसिं वहिज्जमाण वि परमाहम्मिसुरेहि<sup>१</sup> अणवरयं ।

रुद्धज्जाणगयाण वि न तहो बधो जहा विगमो ॥१३६॥

चाहिए, किन्तु सुखी जीवोके विषयमे उस वधके प्रत्याख्यानको कराना चाहिए, अन्यथा कर्तव्य  
कार्यका निषेध करनेपर दोषका होना अनिवार्य है ।

विवेचन—इस प्रसंगमे ससारमोचकोका कहना है कि सामान्यसे प्राणियोंके वधका परि-  
त्याग कराया जाता है वह उचित नहीं है । परित्याग वास्तवमे सुखी जीवोके वधका कराना  
चाहिए था, न कि कृमि-पिपीलिका आदि उन दुखी जीवोके वधका भी जो पापके कारण ससारमे  
परिभ्रमण कर रहे हैं । कारण यह कि उनके वधसे जिस पापके कारण वे ससारमे परिभ्रमण कर  
रहे हैं उस पापका क्षय होनेवाला है । अतएव यह कर्तव्य कार्यके अन्तर्गत है । इस वस्तुस्थितिके  
होनेपर भी यदि सुखी व दुखीकी विशेषता न करके सामान्यसे ही प्राणियोंके प्राणवधका परित्याग  
कराया जाता है तो इससे दुखी प्राणियोंके वधका भी, जो अवश्य करणीय था, निषेध हो जाता  
है । इस अवश्य करणीय कार्यका निषेध करना, यह ऐसा दोषजनक है जैसा कि दीक्षा आदि  
सत्कार्योंका निषेध । इस अषराधसे बचनेके लिए विशेषताके साथ सुखी जीवोके ही वधका  
परित्याग कराना उचित है, न कि दुखी जीवोके वधका, क्योंकि जावत रहनेपर वे उस पापसे  
छुटकारा नहीं पा सकते हैं ॥१३३-३४॥

वादीके इस पूर्वपक्षके निषेधके प्रसंगमें वादीका प्रत्युत्तर—

इस पूर्वपक्षके प्रसंगमे वादीसे पूछा जाता है कि उस प्रकारसे दुखी जीवोका वध करनेपर  
उनके पापका क्षय ही होगा, किन्तु आर्तध्यानके निमित्तसे उनके कर्मका बन्ध नहीं होगा, इसमे  
क्या प्रमाण है ? इस प्रश्नके प्रत्युत्तरमे वादी कहता है कि उसमे नारकन्यायका अनुसरण करने-  
वाला वचन ही प्रमाण है ॥१३५॥

आगे वादी इस नारकन्याय वचनको ही स्पष्ट करता है—

परम अधार्मिक सुरोंके द्वारा—अतिशय सविलष्ट, अम्ब व अम्बरीष आदि पन्द्रह प्रकारके  
असुरकुमार देवोके द्वारा—निरन्तर पीड़ित किये जानेपर रौद्रध्यानको प्राप्त होनेपर भी उन

तेषां नारकाणाम् । वध्यमानानां हन्यमानानामपि । कैः ? परमाधार्मिकसुरैरम्बाविभिः । अनवरतं सततम् । रौद्रध्यानगतानामपि न तथा बन्धो यथा विगमः कर्मणो दुःखानुभवादिति गार्थः ॥१३६॥

कथमेतन्निश्चीयत इत्यत्राह—

नरगाउर्वंधविरहा अणतरं तंमि अणुववत्तीओ ।

तदभावे वि य खवण परुप्परं दुक्खकरणाओ ॥१३७॥

नरकायुर्वन्धविरहात् न कदाचिन्नारको नरकायुर्वन्धनाति । अत्रैव युक्तिमाह—अनन्तरं नरकोद्वर्तनसमनन्तरमेव तस्मिन्नरक एवानुत्पत्तेरनुत्पादात्—न चाव्यवहितमुत्पद्यत इति सिद्धान्तः । ततश्च यथेद न वध्नाति तथान्यदपीत्यभिप्रायः । तदभावेऽपि च परमाधार्मिकाद्य-भावेऽपि च पङ्कादिपृथिवीषु । क्षपण कर्मणस्तेषां परस्परं दुःखकरणादन्योन्यपीडाकरणेन, परस्परो-दीरितदुःखा इति वचनात् नान्यनिमित्त क्षपणमिति ॥१३७॥

स्यादप्रतिष्ठाने नान्यनिमित्तमित्येतद्विशङ्क्याह—

अपइट्ठाणमि वि संकिलेसओ चैव कम्मखवणं त्ति ।

न हि तयभावंमि सुरो तत्थ वि य खवेइ तं कम्मं ॥१३८॥

नारकियाके वैसा बन्ध नहीं होता जैसा कि निर्जरा हातो है । अभिप्राय यह है कि तीसरे नरक तक असुरकुमार ( भवनवासियोको एक जाति ) देवोके द्वारा सताये जानेपर रौद्रध्यानके वशी-भूत होनेपर भी वहाँ नारकियोके कर्मका बन्ध तो अल्प होता है, पर दुःखानुभवनसे उसकी निर्जरा ही अधिक होती है । इस नारकन्यायसे सिद्ध है कि दुखी जीवोका वध करनेपर उनके पापका क्षय अधिक होता है ॥१३६॥

इसका कैसे निश्चय किया जा सकता है कि उनके पापका क्षय अधिक होता है, इसे वादीके द्वारा आगे स्पष्ट किया जाता है—

उन नारकियोके नारकायुका बन्ध नहीं होता है, इसीसे निश्चित है कि उनके पापका क्षय हो जाता है । नारकायुका बन्ध न होनेका भी कारण यह है कि अनन्तर—नरकसे निकलकर अव्यवहित अगले भवमे—वे नरकमे उत्पन्न नहीं होते । कर्म सिद्धान्तमे भी नारकियोके नारकायुके बन्धका निषेध किया गया है । यहाँ यह शंका हो सकती थी कि चौथी आदि पृथिवियोमे, जहाँ असुरकुमारोका गमन सम्भव नहीं है, वहाँ उन नारकियोके पापका क्षय कैसे होता है, इस आशंकाको हृदयंगम करके वादी कहता है कि वहाँ उन नारकियोके पापका क्षय परस्परमें एक दूसरेको दिये जानेवाले दुःखके अनुभवनसे होता है ॥१३७॥

अप्रतिष्ठान नरकमे कर्मक्षपणका अन्य निमित्त तो नहीं है, तब वहाँ वह कैसे होता है, इस शंकाका उत्तर वादी आगे देता है—

सातवी पृथिवीमे स्थित अप्रतिष्ठान नरकमे सकलेशसे ही—वहाँ उत्पन्न होनेपर जन्म-भूमिसे नीचे गिरकर ऊपर उछलने आदिके कष्टके अनुभवनसे ही—वहाँके नारकियोका कर्मक्षय

१. अ मपि के सुरैरैषादिभिः । २. अ तयभावे । ३. अ स्या प्रतिष्ठाने नानिमित्त क्षपणमिति स्यात्प्रतिष्ठाने नानिमित्तमित्येतदा ।

अप्रतिष्ठानेऽपि सप्तमनरकपृथिवीनरके<sup>१</sup> । संकलेशत एव तथोत्क्षेपनिपातजनितदुःखादेव । कर्मक्षयणमिति, नान्यथा । न यस्मात्तदभावे संकलेशाभावे । सुरो देवस्तत्रापि नरके यथासभवं कथंचिद्गतः सन् । चशब्दादन्यत्र च संकलेशरहितः । क्षययति तत्कर्म यत्प्रवाहतो नरकवेदनीय-मिति ॥१३८॥

उपसंहारसाह—

तम्हा ते ब्रह्माणो अट्टज्ज्ञाणाइसं जणंतो वि ।

तवकम्मक्खयहेऊं न दोसवं हीइ णायव्वो ॥१३९॥

यस्मादेवं तस्मात्तान् दुःखितान् प्राणिनः । धनन् व्यापादयन् । आतंघ्यानादिकं जनयन्त आर्त-रौद्रध्यानं चित्रं च संकलेशं कुर्वन्पि । तेषां कर्मक्षयहेतुस्तेषां दुःखितानां कर्मक्षयनिमित्त-मिति कृत्वा । न दोषवान् भवति ज्ञातव्यः संसारमोचक इति अयमपि पूर्वपक्षः ॥१३९॥

अत्रोत्तरमाह—

होता है । यही कारण है जो उस संकलेशके अभावमे वहाँ पहुँचा हुआ नारकी उस कर्मका क्षय नहीं करता है ।

विवेचन—वादीके कहनेका अभिप्राय यह है कि सातवी पृथिवीगत अप्रतिष्ठान नरकमे स्थित नारकियोंके नरकमें अनुभव करने योग्य उस कर्मके क्षयका यद्यपि दूसरा कोई निमित्त नहीं है फिर भी वहाँ नारक बिलके ऊपर स्थित जन्मभूमिमे उत्पन्न नारकी उस ऊँची जन्मभूमिसे स्वभावतः नीचे गिरकर गंदकी तरह पुनः-पुनः उछलते हैं और गिरते हैं । इससे जो उन्हे महान् कष्ट होता है उसीके अनुभवनसे उनके उस कर्मका क्षय होता है । यही कारण है जो नरकोमे कुछ समयके लिए जानेवाले देवोंके उस जातिके संकलेशके न होनेसे उस कर्मका क्षय नहीं होता ॥१३८॥

आगे वादो इस सबका उपसंहार करता है—

इस कारण उन दुखी जीवोंका वध करनेवाला व्यक्ति उनके आर्त और रौद्र ध्यानको उत्पन्न करता हुआ भी उनके पापके क्षयका ही वह कारण होता है । इसीलिए वह दोषवान् ( अपराधी ) नहीं है, ऐसा जानना चाहिए ।

विवेचन—संसारमोचकोका मत है कि जो कीट-पतंग आदि दुखी जीव हैं वे संसारमे परिभ्रमण करते हुए दुख भोग रहे हैं । उनका वध करनेसे वे उस दुखसे छुटकारा पा सकते हैं । इस प्रकार मारे जानेपर उनके यद्यपि आर्त व रौद्ररूप दुर्ध्यान हो सकता है, फिर भी चूँकि मार देनेपर उनके पापका क्षय होता है, इसीलिए मारनेवाला दोषी नहीं होता. अपितु उनके पापके क्षयका कारण ही वह होता है । इस वस्तुस्थितिके होनेपर प्रथम अणुव्रतमे सामान्यसे स्थूल प्राणियोंके घातका प्रत्याख्यान न कराकर विशेषरूपमे सुखी प्राणियोंके ही प्राणघातका प्रत्याख्यान करना चाहिए । अन्यथा, दुखी प्राणियोंके भी प्राणघातका परित्याग करानेसे वे जीवित रहकर उस पापजनित दुखको दीर्घ काल तक भोगते रहेगे, जबकि इसके विपरीत मारे जानेपर वे उस पापसे छुटकारा पा जावेंगे । इस प्रकार यहाँ संसारमोचकोने अपने पक्षको स्थापित किया है ॥१३९॥

आगे उसका निराकरण करते हुए वादीसे यह पूछते हैं कि उनके कर्मक्षयणसे घातको क्या लाभ होनेवाला है—



चिद्वुत्ता ता इह अन्नं तदवगमणे तस्स को गुणो होइ ।

कम्मवखुत्ता त्ति तं तुह किंकारणं विणिद्दिद्वं ॥१४०॥

तिष्ठतु तावदिह प्रक्रमेऽन्यद्वक्तव्यम् । तत्क्षणे दुःखितसत्त्वकर्मक्षणे तस्य क्षेपयितु-  
दुःखितसत्त्वव्यापादकस्य । को गुणो भवति, न हि फलमनपेक्ष्य प्रवर्तते प्रेक्षावानिति । अथैवं  
मन्यसे कर्मक्षय इति कर्मक्षयो गुण इत्याशङ्क्याह—तत्कर्मं तव हे वादिन् किंकारण किंनिमित्तं  
निर्दिष्टं प्रतिपादितं शास्त्रं इति ॥१४०॥

अन्नाणकारणं जइ तदवगमा चेव अवगमो तस्स ।

किं वहकिरियाएँ तओ विवज्जओ तीइ अह हेऊ ॥१४१॥

अज्ञानकारण अज्ञाननिमित्तं यदि, एतदाशङ्क्याह—तदवगमादेवाज्ञाननिवृत्तेरेवावगमस्तस्य  
निवृत्तिस्तस्य कर्मणः, कारणाभावात् कार्याभाव इति न्यायात् । किं वधक्रियया, ततः अप्रतिपक्षत्वा-  
त्तस्या विपर्ययः तस्या वधक्रियायाः अथ हेतुरवधक्रियैवेति ॥१४१॥ एतदाशङ्क्याह—

मुत्ताण कम्मबंधो पावइ एव निरत्थगा मुत्ती ।

अह तस्स पुन्नबंधो तओ वि न अंतरायाओ ॥१४२॥

मुक्तानां कर्मबन्धः प्राप्नोति, तस्यावधक्रियानिमित्तत्वात् मुक्तानां चावधक्रियोपेतत्वात्,  
एवं निरर्थका मुक्तिर्बन्धोपद्रुतत्वात् । अथैव मन्यसे—तस्य दुःखितसत्त्वव्यापादकस्य । पुण्यबन्धो  
गुणो न तु कर्मक्षय इत्येतदाशङ्क्याह—तकोऽपि न असावपि गुणो नान्तरायात्कारणादिति ॥१४२॥

इस प्रसंगमें अन्य कथन तो रहे, हम वादीसे पूछते हैं कि उन दुखी जीवोंके कर्मक्षयमें  
उनका वध करके कर्मक्षय करानेवालेको क्या लाभ है ? इसके उत्तरमें यदि कहा जाये कि उसको  
उसके कर्मके क्षयका होना ही लाभ है तो इसपर पुनः प्रश्न किया जाता है कि तुम्हारे मतानुसार  
उस कर्मका कारण आगममें क्या निर्दिष्ट किया गया है जिसका क्षय अभीष्ट है ॥१४०॥

आगे इसी प्रसंगमें और भी उत्तर-प्रत्युत्तरका क्रम चल रहा है—

इसपर वादी कहता है कि उस कर्मका कारण अज्ञान है । इसके उत्तरमें वादीसे कहा  
जाता है कि तब तो उस अज्ञानके विनाशसे ही उस कर्मका क्षय हो सकता है, अर्थात् कारणके  
अभावसे कार्यका अभाव होता है, ऐसा जब न्याय है तब तदनुसार कारणभूत उस अज्ञानके दूर  
करनेसे ही कार्यभूत कर्मका विनाश सम्भव है । ऐसी स्थितिमें उन दुखी जीवोंका वध करनेसे  
क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? उससे वधको कुछ भी लाभ होनेवाला नहीं है । इसपर वादी  
कहता है कि उस वधक्रियाका विपर्यय—उन दुखी जीवोंका वध न करना—ही उस कर्मबन्धका  
कारण है ॥१४१॥

आगे वादीके द्वारा निर्दिष्ट उस कर्मबन्धको कारणभूत अवध क्रियामें दोष दिखलाते हैं—

यदि वादी अवध क्रियाको कर्मबन्धका कारण मानता है तो वैसे अवस्थामें मुक्त जीवोंके  
कर्मबन्धका प्रसंग अनिवार्य प्राप्त होनेवाला है, क्योंकि उनके द्वारा किसी भी प्राणीका वध नहीं  
किया जाता है । तब ऐसी स्थितिमें मुक्ति निरर्थक हो जावेगी । इसका परिहार करते हुए वादी  
कहता है कि उस वधको उन दुखी जीवोंके वधसे पुण्यका बन्ध होता है । इसका भी निरसन

एतदेव भावयति—

वहमाणो ते नियमा करेह वहपुन्नमंतरायं से ।

ता कह पु तस्स पुन्नं तेसिं वखवणं व हेऊओ ॥१४३॥

एतन् व्यापादयंस्तान् दुःखितसत्त्वान् । नियमादवश्यमेव करोति निर्वर्तयति असौ व्यापादकः । वधपुण्यान्तरायममीषां दुःखितसत्त्वानाम्, जीवन्तो हि तेऽन्यदुःखितवधेन पुण्यं कुर्वन्ति । व्यापादने च तेषां अन्यवधाभावात्पुण्यान्तरायम्<sup>१</sup> । यस्मादेवं तत्तस्मात्कथं<sup>२</sup> नु तस्य व्यापादकस्य पुण्यं, नैवेत्यर्थः । कुतः ? अहेतुकत्वादिति योगः । न ह्यन्यपुण्यान्तरायकरणं पुण्यहेतुरिति सिद्ध एव हेतुः । दृष्टान्तमाह—तेषां क्षपणवत् तेषां दुःखितसत्त्वानां व्यापाद्यमानानां कर्मक्षपणवदिति ।

करते हुए कहा जाता है कि उसके वह पुण्यबन्ध भी सम्भव नहीं है, क्योंकि इस प्रकारसे वह दुखी जीवोंका वध करके उनके पुण्यबन्धमे अन्तराय करता है ॥१४२॥

वह कैसे अन्तराय करता है, इसे आगे स्पष्ट किया जाता है—

कारण इसका यह है कि वह उनका वध करता हुआ उनके अन्य जीवोंके वधसे होनेवाले पुण्यके बन्धमे अन्तराय करता है । और तब वैसी स्थितिमे—दूसरोंके पुण्यबन्धमे स्वयं अन्तराय बन जानेपर—उस वधकके पुण्यका बन्ध कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता है । जैसे उनके कर्मक्षयमे—जो दूसरोंके कर्मक्षयमे स्वयं अन्तराय करता है उसके कर्मका क्षय भी जिस प्रकार असम्भव है । इस प्रकार वादीने जिसे पुण्यबन्धका हेतु माना है वह वस्तुतः अहेतु है—उसका हेतु नहीं है ॥१४३॥

विवेचन—संसारमोचकोंके पूर्वोक्तमतका निराकरण करते हुए यहाँ उनसे पूछा गया है कि तुम जो दुखी जीवोंके कर्म क्षयार्थ उनके वधमे वधकर्ताके कर्मक्षयका लाभ मानते हो वह युक्तिसंगत नहीं है । इसका कारण यह है कि कारणके अभावमे कार्यका अभाव होता है, ऐसा न्याय है । तदनुसार यहाँ यह विचारणीय है कि उस कर्मका कारण क्या है ? यदि उस कर्मका कारण अज्ञान माना जाता है तब तो उसका क्षय उस अज्ञानके विनष्ट हो जानेपर ही सम्भव है, न कि दुखी जीवोंके उस वधसे; क्योंकि वह उसका प्रतिपक्षभूत नहीं है । जो कर्मका प्रतिपक्षभूत होगा उसीसे उसका विनाश हो सकता है । इसलिए प्राणिवधको कर्मक्षयका कारण मानना न्याय-संगत नहीं है । इसपर यदि वादी यह कहे कि कर्मका कारण दुखी जीवोंके वधका न करना ही है, तो ऐसा कहना भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि वैसा माननेपर मुक्त जीवोंके कर्मबन्धका प्रसंग अनिवार्य प्राप्त होगा । इसका कारण यह है कि तुम ( संसारमोचक ) जिस अवघक्रियाको कर्मबन्धका कारण मानते हो उससे वे मुक्त जीव सहित हैं—उनके द्वारा कभी किसी जीवका वध सम्भव नहीं है । फिर जब इस प्रकारसे मुक्त जीवोंके भी कर्मबन्ध होने लगा तब उस मुक्तिका प्रयोजन ही क्या रहा ? वह निरर्थक सिद्ध होती है । इसपर वादी यदि यह कहता है कि दुखी जीवोंके वधसे वधकर्ताके कर्मका क्षय तो नहीं होता है, किन्तु उससे उसके पुण्यका बन्ध होता है, तो उसकी यह मान्यता भी युक्तिके विरुद्ध है । इसका कारण यह है कि वादी जब यह स्वीकार करता है कि दुखी जीवोंके वधसे वधकर्ताके पुण्यका बन्ध होता है तब वैसी स्थितिमे जिन जीवोंका वह वध करता है वे भी यदि जीवित रहते तो अन्य जीवोंका वध

१. अ सत्त्वाना जीवाना ते अन्यं । २. अ तेषामन्यभावा पुण्यातराया । ३. अ 'तत्तस्मात् क' इत्यतोऽग्रे 'भीखा दु खितसत्त्वाना' इत्यादि-पुण्यातराय' पर्यन्त पूर्वलिखितसंदर्भः पुन पुन. प्रतिलिखितोऽस्ति ।

अयमत्र भावार्थः—दुःखितसत्त्वव्यापत्त्या कर्मक्षय इत्यभ्युपगमः, ततश्च व्यापाद्यमानानामन्य-  
व्यापादनाभावादहेतुकत्वात्फुतः कर्मक्षय इति ॥१४३॥

अह सगयं वहणं चिय हेऊ तस्स त्ति किं परवहेणं ।

अप्पा खलु हंतव्वो कम्मवखयमिच्छमाणेणं ॥१४४॥

अथैवं मन्यसे—स्वगतमात्मगतम् । हननमेव जिघांसनमेव । हेतुस्तस्य कर्मक्षयस्यैतदा-  
शङ्क्याह इति किं परवधेन एवं न किञ्चित्परव्यापादनेनात्मैव हन्तव्यः कर्मक्षयमिच्छता, स्वगत-  
वधस्यैव तन्नमित्तत्वादिति ॥१४४॥

अह उभयवखयहेऊ बहु त्ति नो तस्स तन्नमित्ताओ ।

अविरुद्धहेउजस्सं य न निवित्ती इयरभावे वि ॥१४५॥

अथैवं मन्यसे—उभयक्षयहेतुर्वधः व्यापाद्य व्यापादककर्मक्षयहेतुर्व्यापादनम्, कर्तुं-कर्मभावेन  
तदुभयनिमित्तत्वादस्येत्येतदाशङ्क्याह—नैतदेवम् । फुतः ? तस्य कर्मणस्तन्निमित्तत्वात्तद्विरुद्ध-  
वधक्रियाजन्यत्वात् । यदि नामैवं ततः किमिति ? अत्राह—अविरुद्धहेतुजस्य च निवृत्तिहेतुत्वा-  
भिमताविरुद्धकारणजन्यस्य च वस्तुनो न निवृत्तिर्न विनाशः । इतरभावेऽपि विनाशकारणाविरोधि-  
पदार्थभावेऽपीति ॥१४५॥ एतदेव भावयति ।

करके पुण्यका बन्ध कर सकते थे । इस प्रकारसे जो उन जीवोंके पुण्यबन्धमें स्वय अन्तराय  
बनता है उसके भला पुण्यका बन्ध कैसे हो सकता है ? असम्भव है वह, क्योंकि दूसरोंके पुण्य-  
बन्धमें अन्तराय करना कभी पुण्यबन्धका हेतु नहीं हो सकता । यहाँ जो कर्मक्षयका उदाहरण  
दिया गया है उसका अभिप्राय यह है कि दुखी जीवोंके वधसे कर्मका क्षय होता है, इस मान्यताके  
अनुसार कर्मक्षयके लिए जिन जीवोंका वध किया जा रहा है वे भी जीवित रहनेपर अन्य जीवों-  
का वध करके अपने कर्मका क्षय कर सकते थे । इस प्रकार जो अन्य जीवोंके कर्मक्षयमें अन्तराय  
बन रहा है उसके कर्मका क्षय असम्भव ही है । इससे सिद्ध होता है कि दूसरोंके कर्मक्षयमें बाधक  
होना स्वयके कर्मक्षयका हेतु नहीं हो सकता । इससे यह निष्कर्ष निकला कि दुखी जीवोंके वधसे  
वधकतकि न तो कर्मका क्षय सम्भव है और न पुण्यका बन्ध भी सम्भव है । इसके अतिरिक्त  
दुखी जीवोंके वधसे उनके पापका क्षय होता है, इसका निराकरण भी आगे (१५६ आदि) किया  
जानेवाला है ॥१४०-४३॥

आगे आत्मवध कर्मक्षयका कारण है, इस वादीके अभिमतका निराकरण किया जाता है—

यदि वादीको यह अभीष्ट है कि अपना वध ही उस कर्मक्षयका हेतु है तो वैसी स्थितिमें  
अन्य प्राणियोंके वधसे क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? कुछ भी नहीं, उक्त मान्यताके अनुसार  
तो कर्मक्षयकी इच्छा करनेवालेको निश्चयसे अपना ही घात करना उचित है, क्योंकि, वही तो  
कर्मक्षयका कारण है ॥१४४॥

आगे वादीके अभिप्रायान्तरका भी निषेध किया जाता है—

यदि वादी यह कहना चाहता है कि वह वध वध्य और वधक दोनोंके ही कर्मक्षयका  
कारण है तो ऐसा कहना भी सगत नहीं है, क्योंकि वह कर्म उसी वधके निमित्तसे बाँधा जाता  
है । इम प्रकार वह वध जिस कर्मका अविरुद्ध हेतु है वह कर्म अपने विनाशके कारणके अविरोधो

१ अ अतोऽग्रे ऽग्निम 'कर्मक्षय'पदपर्यन्त पाठ स्वलितोऽस्ति । २ अ हेउस्स । ३ अ °व्यापादन कम्म-  
क्षतभावेन दुभयमित्तत्वादस्ये ।

हिमजणियं सीयं चिय अवेइ अनलाओ नायवो वेइ ।

एवं अणब्भुवगमे अइप्पसंगो बला होइ ॥१४६॥

हिमजनित शीतमेवापैत्यनलात्, शीतकारणविरोधित्वादनलस्य । नातपोऽपैति, तत्कारणा-  
विरोधित्वादनलस्य । एवमनभ्युपगमे कारणविरोधिनः सकाशाग्नित्ववृत्तिरित्यनङ्गीकरणे । अति-  
प्रसङ्गो बलाद् भवति तन्निवृत्तिवत्तदन्यनिवृत्तिलक्षणा अव्यवस्था नियमेनापद्यत इति ॥१४६॥

एतदेवाह—

तन्मावंमि अ जं किंचि वत्थु जत्तो कुओ वि न हविज्जा ।

एवं च सव्वऽभावो पावइ अन्नुन्नविक्खाए ॥१४७॥

तद्भावेऽपि चातिप्रसङ्गभावे च । यत्किंचिदत्र वस्तुजातम् । यतः कुतश्चित्सकाशात् भवेत्,  
अप्रतिपक्षादपि निवृत्त्यभ्युपगमात् । अत्रानिष्टमाह—एव च सति सर्वाभावः प्राप्नोति अशेषपदार्था-

पदार्थके रहनेपर भी उस अविरोध हेतुभूत वधसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है—उसका  
विनाश विरोध कारणसे ही सम्भव है, न कि अविरोध कारणसे ॥१४५॥

इसीको आगे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है—

हिम (बर्फ) से उत्पन्न हुआ शैत्य ही अग्निके निमित्तसे नष्ट होता है, आतप उसके निमित्त-  
से नष्ट नहीं होता है । इस सामान्य नियमको न माननेपर अतिप्रसंग अनिवार्य होगा ।

विवेचन—यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि जो जिसके कारणका विरोधी होता है उसकी  
समीपतामे वह नष्ट हो जाता है । जैसे—अग्नि यदि शीतताके कारणभूत हिमकी विरोधी है तो  
उसकी समीपतामे वह हिमसे उत्पन्न हुई शीतता स्वभावतः नष्ट होती हुई देखी जाती है । इसके  
विपरीत जो जिसके कारणका विरोधी नहीं होता है उसकी समीपताके होनेपर भी वह उसके  
आश्रयसे नष्ट नहीं होता है । जैसे—वहो अग्नि चूँकि आतपकी कारणभूत सूर्यको किरणोंकी  
विरोधी नहीं है, इसीलिए उसके समीप रहनेपर भी वह आतप ( उष्णता ) नष्ट नहीं होता है ।  
प्रकृतमे वधक्रिया चूँकि कर्मके कारणभूत अज्ञान आदिकी विरोधी नहीं है इसीलिए उस वधक्रिया-  
के आश्रयसे वह अज्ञानजनित कर्म नष्ट नहीं हो सकता है । इतना स्पष्ट होनेपर भी यदि उपर्युक्त  
सर्वसम्मत सिद्धान्तको नहीं स्वीकार किया जाता है तो फिर जिस किसीके भी सद्भावमे जो भी  
कोई नष्ट हो सकता है, इस प्रकारसे जो अव्यवस्था होनेवाली है उसका निवारण नहीं किया जा  
सकता है ॥१४६॥

आगे उस अतिप्रसंगसे होनेवाली अव्यवस्थाको दिखलाते हैं—

और उस अतिप्रसंगके सद्भावमे जो कोई भी वस्तु जिस किसीके निमित्तसे नहीं हो  
सकेगी । तब वैसी स्थितिमे परस्परकी अपेक्षासे सब ही पदार्थोंके अभावका प्रसंग बलात्  
प्राप्त होगा ।

विवेचन—इसका अभिप्राय यह है कि किसी वस्तुका विनाश उसके विरोधीके द्वारा ही  
होता है, जैसे शीतका विनाश उसकी विरोधी अग्निके द्वारा । पर वादी जब इस स्वभावसिद्ध  
नियमको न मानकर अविरोधी पदार्थके निमित्तसे भी विवक्षित वस्तुका विनाश स्वीकार करता  
है तब वैसी अवस्थामें जो किसी वस्तुकी उत्पत्तिका कारण है वह तो अविरोधी होता हुआ भी

भाव आपद्यते । कुतोऽन्योन्यापेक्षया अविरोधिनमध्यन्यमपेक्ष्यान्यस्य निवृत्तिरन्यं चान्यस्येति शून्यतापत्तिरिति ॥१४७॥

अहं तं अहेतुगं चिय क्वं नु अत्थि त्ति अवगमो क्वं य ।

नागासमाइयाणं कुओविं सिद्धो इह विणासो ॥१४८॥

अथैवं मन्यसे तत्कर्महेतुकमेव निर्हेतुकमेवेत्येतदाशङ्क्याह—कथं त्वस्तीति नैवास्ति, तव हेतुत्वात् खरविषाणादिवत् । आकाशादिना अहेतुकेन सता व्यभिचारमाशङ्क्याह—अपगमः कथं विनाशश्च कथमस्येति । एतदेव भावयति—नाकाशादीनां नाकाशधर्मास्तिकायप्रभृतीनाम् । कुतश्चिल्लकुटादेः सिद्ध इह विनाशः, अहेतुकत्वेन नित्वत्वाविति ॥१४८॥

इत्तु च्चिय असफलत्ता नो कायव्वो वहु त्ति जीवाणं ।

वहहेतुगं चिय तयं क्वं निवित्ती तओ तस्स ॥१४९॥

अतोऽपि चाहेतुककर्माविनाशित्वेन<sup>१</sup> । अफलत्वात् कर्मक्षयफलशून्यत्वात् । न कर्तव्यो वधो जीवानामिति । वधहेतुकमेव तत्स्याद्वधनिमित्तमेव तत्कर्मैत्येतदाशङ्क्याह—कथं केन प्रकारेण ।

वादीके अभिमतानुसार विनाशका कारण सम्भव है । इस परिस्थितिमें किसी वस्तुकी उत्पत्ति तो होती नहीं और विनाश उनका होता रहेगा, तब इस प्रकारसे समस्त वस्तुओका अभाव हो जानेपर शून्यताका प्रसंग दुर्निवार होगा । इससे विरोधीके द्वारा ही किसी वस्तुका विनाश मानना उचित है न कि अविरोधीके द्वारा । इस प्रकार प्राणिवध अविरोधी होनेसे कर्मके क्षयका कारण नहीं हो सकता ॥१४७॥

आगे कर्मको अहेतुक माननेपर उसके विषयमें भी दोष दिखलाते हैं—

यदि वादीके अभिमतानुसार वह कर्म अहेतुक है—कारणसे रहित है—तो वह 'हे' ऐसा कैसे कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता—वैसा स्वीकार करनेपर उसका खरविषाण आदिके समान निर्हेतुक होनेसे अस्तित्व ही समाप्त हो जावेगा । इसपर यदि यह कहा जाये कि निर्हेतुक आकाशादिके समान उसके अस्तित्वमें कुछ बाधा सम्भव नहीं है, तो इसपर कहा गया है कि तब उसका विनाश कैसे होगा ? नहीं हो सकेगा । अभिप्राय यह है कि अहेतुक नित्य आकाश व धर्मास्तिकाय आदिका जिस प्रकार किसी दण्ड आदिके द्वारा विनाश सिद्ध नहीं है उसी प्रकार उस अहेतुक कर्मका भी आपके मतानुसार विनाश नहीं हो सकेगा ॥१४८॥

इसका क्या परिणाम होगा, इसे आगे स्पष्ट किया जाता है—

इससे—नित्य आकाश आदिके समान उस कर्मका विनाश न हो सकनेके कारण—निष्फळ होनेसे जीवोंके वधको नहीं करना चाहिए । इसपर यदि यह कहा जाये कि वह कर्म वधहेतुक ही है तो इसके उत्तरमें वादीसे कहा गया है कि वैसा होनेपर वधके आश्रयसे होनेवाले उस कर्मकी निवृत्ति उसी वधके द्वारा कैसे हो सकती है ? नहीं हो सकती है ।

विवेचन—यह पूर्वमें कहा जा चुका है कि यदि वादी कर्मको अकारणक मानता है तो उसका नित्य आकाश आदिके समान विनाश असम्भव हो जायेगा । और जब इस प्रकारसे उसका विनाश ही असम्भव होगा तब वादीने जो अपना अभिमत प्रकट करते हुए यह कहा था कि दुखी जीवोंके वधसे उनके कर्मका क्षय होता है, यह असगत ठहरता है । इसीलिए कर्मक्षयके उद्देश्यसे

१. अ भोगासमाइण कुइयो । २. अ एत्तो । ३. अ कायव्वो वाहो त्ति । ४. अ कम्मविनाशहेतुत्वेन ।

निवृत्तिर्व्यावृत्तिस्ततस्तस्माद्द्वधात्तस्य कर्मणः । न हि यद्यतो भवति तत्त एव न भवति, भवना-  
भावप्रसङ्गादिति ॥१४९॥

तम्हा पाणवधोवज्जियस्स कम्मस्स वखवणहेउत्ता ।

तव्विरई कायव्वा संवररूव त्ति नियमेणं ॥१५०॥

यस्मादेवं वधहेतुकमेव तत्तस्मात् । प्राणवधोपार्जितस्य कर्मणः क्षपणहेतुत्वात्तद्विरति-  
वधविरतिः कर्तव्या संवररूपेति वधविरतिविशेषणा नियमेनावश्यतयेति ॥१५०॥

किं च—

सुहिएसु वि वहविरई कह कीरइ नत्थि पावमह तेसु ।

पुन्नवखओ वि हु फलं तब्भावे मुत्तिविरहाओ ॥१५१॥

सुखितेष्वपि प्राणिषु । वधविरतिर्व्यापादननिवृत्तिः । किं क्रियते भवद्भिः ? नास्ति पापं  
क्षपणीयमथ तेषु सुखितेषु पुण्यनिमित्तत्वात्सुखस्य, एतदाशङ्क्याह—पुण्यक्षयोऽपि तद्व्यापत्ति-  
जनितः फलमेव, अतस्तेष्वपि वध[धा] विरतिप्रसङ्गः । कथं पुण्यक्षयः फलम् ? तद्भावे पुण्यभावे  
मुक्तिविरहात् मोक्षाख्यप्रधानफलाभावात् पुण्यापुण्यक्षयनिमित्तत्वात्तस्येति ॥१५१॥

अह तं सयं चिय तओ खवेइ इयरं पि किं व एमेव ।

कालेणं खवइ च्चिये उवक्कमो कीरइ वहेण ॥१५२॥

जीवोका कभी वध नहीं करना चाहिए । इसपर याद वादी उस कर्मको अहेतुक न मानकर उसे  
वधके निमित्तसे मानना चाहे तो वह भी असंगत होगा । कारण यह कि जो जिसके निमित्तसे  
उत्पन्न होता है वह उसीके निमित्तसे कभी नष्ट नहीं हो सकता है, यह एक अनुभवसिद्ध बात  
है । तदनुसार जीववधके आश्रयसे बँधनेवाला कर्म कभी उसी जीववधसे नष्ट नहीं हो  
सकता है ॥१४९॥

इससे जो निष्कर्ष निकलता है, उसे आगे दिखलाते हैं—

इसलिए प्राणवधसे उपार्जित कर्मके क्षयकी कारण होनेसे नियमतः संवरस्वरूप उस  
वधकी विरति ( परित्याग ) करना ही उचित है । अभिप्राय यह है कि जिसके आश्रयसे कर्म  
आता है उसे आस्रव और उसके निरोधको सवर कहा जाता है । तदनुसार प्राणवधसे चूँकि कर्म  
आता है, अतः उसके निरोधस्वरूप सवरका कारण होनेसे उस प्राणवधका परित्याग करना ही  
श्रेयस्कर है ॥१५०॥

वादीने सुखी जीवोके वधकी विरतिको जो अवश्यकरणीय कहा था उसके भी विषयमे  
आगे दोष दिखलाते हैं—

सुखी जीवोके वधकी विरतिको भी किस लिए किया जाता है ? उसे भी नहीं करना  
चाहिए । इसपर वादी यदि यह कहता है कि उनके क्षय करनेके योग्य पाप नहीं है, इसीलिए  
उनके वधकी विरति करायी जाती है । इसके उत्तरमे यह कहा गया है कि उनके पुण्य तो है  
जिसके निमित्तसे वे सुखको प्राप्त हैं, अतः वादीके मतानुसार पुण्यका क्षय भी उनके वधका फल  
ठहरता है । कारण यह कि पुण्यके सद्भावमें भी मुक्ति प्राप्त होनेवाली नहीं है, क्योंकि वह मुक्ति  
पुण्य और पाप दोनोंका क्षय होनेपर ही सम्भव है ॥१५१॥

अथैवं मन्यसे—तत्पुण्यं स्वयमेव तत्र आत्मनैवासी सुखितः । क्षपयत्यनुभवेनैव वेदयतीत्ये-  
तदाशङ्क्याह—इतरदपि पाप किं न एवमेव किं न स्वयमेव दु खितः क्षपयति, क्षपयत्येवेत्यर्थः ।  
अथैव मन्यसे—कालेन प्रदीर्घेण क्षपयत्येव, नात्रान्यथाभावः । उपक्रमः क्रियते वधेन तस्यैव प्रदीर्घ-  
कालवेद्यस्य पापस्य स्वल्पकालवेद्यत्वमापाद्यते व्यापत्तिकरणेनेति ॥१५२॥

एतदाशङ्क्याह—

इयरस्स किं न कीरइ सुहीण भोगंगसाहणेणेवं ।

न गुणं त्ति तमि खविण सुहभावो चैव तत्तुत्तिं ॥१५३॥

इतरस्येति पुण्यस्य । किं न क्रियते उपक्रमः ? सुखिनां भोगाङ्गसाधनेन काश्मीरादेः  
कुंकुमादिसपादनेन ? अथैव मन्यसे—एवमुपक्रमद्वारेण न गुण इति तस्मिन् पुण्ये क्षपिते । कुतः ?  
सुखभावादेव तत् इति ततः पुण्यात्सुखस्यैव प्रादुर्भावादिति ॥१५३॥

एतदाशङ्क्याह—

निरुवमसुखो सुखो न य सह पुन्ने तओ त्ति किं न गुणो ।

पावोदयसदिट्ठो इयरमि उ निच्छओ केण ॥१५४॥

निरुपमसौख्यो मोक्षः, सकलाबाधानिवृत्तेरुभयसिद्धत्वात् । न च सति पुण्ये तकोऽसौ,  
पुण्यक्षयनिमित्तत्वात्तस्य । इति एवं कथं न गुणः ? पुण्योपक्रमकरणे गुण एव । अथैवं मन्यसे

सुखी जीवोके पुण्यक्षयके विषयमे वादीके अभिमतको दिखलाते हुए उसका निराकरण—

सुखी जीव उस पुण्यको स्वय ही क्षीण करता है, अर्थात् सुखोपभोगपूर्वक वह उस पुण्यका  
क्षय स्वय करता है, अतः उसके लिए उसका वध अनावश्यक है, ऐसा यदि वादीका अभिमत है  
तो उसके उत्तरमे यह भी कहा जा सकता है कि इसी प्रकारसे दुखी जीव भी अपने पापको  
दु खोपभोगपूर्वक क्यों नहीं स्वय क्षीण कर दे ? इसपर यदि वादी यह कहे कि वह उस पापको  
क्षीण तो करता ही है, पर उसे वह दीर्घकालमे क्षीण कर पावेगा, जब कि वधके द्वारा उसका  
उपक्रम किया जाता है—दीर्घकालमें भोगने योग्य उसे अल्पकालमे भोगने योग्य कर दिया  
जाता है । इससे दुखी जीवोके वधका परित्याग कराना उचित नहीं है, किन्तु सुखी जीवोके वधका  
परित्याग कराना उचित है । इस प्रकार वादीने अपने अभिमतको व्यक्त किया है ॥१५२॥

वादीके इस अभिमतका निराकरण व उसपर वादीकी पुन. आशका—

इसके उत्तरमें यहाँ कहा गया है कि सुखी जीवोके भोगोपभोगके साधनभूत कश्मीरी कुकुम  
आदिको सम्पादित कराकर उनके पुण्यका भी उपक्रम क्यों नहीं कराया जाता ? इसपर वादीका  
कहना है कि उससे—उपक्रम द्वारा पुण्यका क्षय करानेसे—कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि उस पुण्यसे  
उनको सुखकी ही प्राप्ति होनेवाली है, अत. दुखी जावोके पापका उपक्रम कराना ही उचित है, न  
कि सुखा जीवोके पुण्यका उपक्रम कराना ॥१५३॥

आगे वादीकी इस शंकाका समाधान किया जाता है—

मोक्ष अनुपम सुखसे संयुक्त है, वह पुण्यके रहते हुए सम्भव नहीं है, इस प्रकार उपक्रम  
द्वारा उस पुण्यका क्षय करानेमे लाभ क्यों नहीं है ? मोक्ष प्राप्त करा देना ही उसका बड़ा लाभ  
है । इसपर वादी यदि यह कहे कि पुण्यका उपक्रम करनेपर वह पापके उदयसे सन्दिग्ध है, अर्थात्

१. अ किन्तु एवमेव दु खित पयत्येवेत्यर्थः । २. अ वेद्यकालस्य स्वल्पः । ३. अ गुणो । ४. अ ततो  
त्ति । ५. अ सोक्खो मोक्खो ण य सति । ६. अ सदिट्ठो । ७. अ सकलावधा । ८. अ नेव सति ।

पापोदयसंदिग्धोऽसौ न ह्यत्र निश्चय उपक्रमेण पुण्ये क्षपिते तस्य मोक्ष एव भविष्यति न तु पापोदय इति, एतदाशङ्क्याह—इतरस्मिन् तु दुःखितपापक्षपणे निश्चयः केन यदुत तस्यैवमेवार्थो न पुनरनर्थ इति ॥१५४॥

एतदेव भावयति—

दुहिओ वि नरगगामी वहिओ सो अवहिओ वहू अन्ने ।

वहिऊण न गच्छिऊजा कयाइ ता कह न सदेहो ॥१५५॥

दुःखितोऽपि मत्स्यबन्धादिनरकगामी हतः सन् कदाचित्स्यादिति योगः, नरकसंवर्तनीयस्य कर्मणः आसकलनसम्भवात्, वेद्यमानोपक्रमे च तदुदयप्रसङ्गात् । स एवाहतोऽव्यापावितः सन् बहूनन्यान् दुःखितान् हत्वा त्वन्मतेनैव पापक्षयान्न गच्छेत् कदाचित् । यस्मादेवं तस्मात्कथं न संदेहः ? दुःखितपापक्षपणेऽपि संदेह एवेति ॥१५५॥

अधुना प्रागुपन्यस्तं नारकन्यायमधिकृत्याह—

नेरइयाण वि तह देहवेयणातिसयभावओ पायं ।

नार्इवसंकिलेसो समोहयाणं व विन्नेओ ॥१५६॥

नारकानामप्युदाहरणतयोपन्यस्तानाम् । तथा तेन प्रकारेण नरकवेदनीयकर्मोदयजनितेन । देहवेदनातिशयभावतः शरीरवेदनायास्तोत्रभावेन । प्रायो बाहुल्येन । नातीवसंक्लेशः क्रूरादि-

पुण्यका उपक्रम करानेपर उसके मोक्ष ही होगा और पापका उदय नहीं होगा, यह सन्देहापन्न है, अतः पुण्यका उपक्रम कराना उचित नहीं है । इस प्रकार वादीके कहनेपर उत्तरमे यह भी कहा जा सकता है कि दुखी जीवोके पापका उपक्रम करानेपर भविष्यमे उनके पापका उदय न होकर पुण्यका ही उदय होगा, जिससे वे दुखी न होकर सुखी ही होंगे, इसका निश्चय भी कैसे किया जा सकता है ? नहीं किया जा सकता है । अतः वध करके उपक्रम द्वारा उनके पापका क्षय कराना भी युक्तिसंगत नहीं है ॥१५४॥

इसे ही आगे स्पष्ट किया जाता है—

दुखी जीव—मछलियोंके घातक धोवर आदि—भी मारे जाकर कदाचित् नरकगामी हो सकते हैं तथा इसके विपरीत वे न मारे जाकर—जीवित रहते हुए—आपके मतानुसार अन्य बहुतसे जीवोका वध करके कदाचित् पापका क्षय ही जानेसे नरकमें न भी जायें । इस परिस्थिति-मे दुखी जीवोके पापक्षयमे कैसे सन्देह नहीं है ? उसके विषयमे भी वह सन्देह तदवस्थ है ॥१५५॥

आगे वादीने जिस नारकन्यायके अनुसार दुखी जीवोके वधको उचित बतलाया था उस नारकन्यायके सम्बन्धमे विचार किया जाता है—

नारकी जीवोके भी उस प्रकारसे—नरकमें वेदनके योग्य कर्मके उदयसे—जो अतिशय तीव्र शारीरिक वेदना होता है उसके निमित्तसे वेदनासमुद्घातको अथवा मूर्च्छाको प्राप्त जीवोके समान प्रायः अत्यन्त सकलेश नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए ।

विवेचन—वादीने पूर्वमें ( ३५-३८ ) नारकियोंका उदाहरण देते हुए दुखी जीवोके वधसे उनके पाप कर्मका क्षय होता है, इस अपने अभिमतको पुष्ट किया था । उसे दूषित करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि नारकी जीवोको भी प्रायः अतिशय तीव्र शरीरकी वेदनासे अभिभूत होनेके मूर्च्छाको प्राप्त हुए जीवोके समान अन्तःकरणके व्यापारसे रहित हो जानेके कारण अतिशय



परिणामलक्षणः । समवहतानामिव विज्ञेयः वेदनातिशयेनान्तःकरणव्यापाराभिभवादिति ॥१५६॥  
एतदेवाह—

इत्थ वि समोहया मूढचेयणा वेयणाणुभवखिन्ना ।

तंमिच्चित्तकिरिया न संकिलिस्संति<sup>३</sup> अन्नन्त<sup>४</sup> ॥१५७॥

अत्रापि तिर्यग्लोके । समवहता वेदनासमुद्घातेनावस्थान्तरमुपनीताः । मूढचेतना विशिष्ट-  
स्वव्यापाराक्षमचैतन्या । वेदनानुभवखिन्नाः तीव्रवेदनासंवेदनेन श्रान्ताः । तन्मात्रचित्तक्रिया  
वेदनानुभवमात्रचित्तव्यापाराः । न सक्लिश्यन्ते न रागादिपरिणामं यान्ति । अन्यत्र स्रयादौ,  
तत्रैव निरोधादिति ॥१५७॥

ता तिव्वरागदोसाभावे बंधो वि पयणुओ तेसिं ।

सम्मोहओ<sup>५</sup> च्चिय तहा खओ वि पेगंतमुक्कोसो<sup>६</sup> ॥१५८॥

यस्मादेवं तत्तस्मात् । तीव्ररागद्वेषाभावे बन्धोऽपि प्रतनुस्तेषां समवहतानाम्, निमित्त-  
दौर्बल्यात् । सम्मोहत एव तथा क्षयोऽपि बन्धस्य नैकान्तोत्कृष्टस्तेषां सम्यग्ज्ञानादिविशिष्ट-  
तत्कारणाभावादिति ॥१५८॥

सकलेश नही होता है । अतएव पूर्वमे जो यह कहा गया है कि अधम असुरकुमार देवोके द्वारा  
अथवा परस्परमे एक दूसरेको दिये गये दुखको सहते हुए नारकियोके रौद्रध्यानको प्राप्त होनेपर  
भी बन्धकी अपेक्षा कर्मको निर्जरा ही अधिक होती है, वह युक्तिसंगत नही है ॥१५६॥

आगे इसे ही पुष्ट किया जाता है—

यहाँपर—मध्यलोक—में भी वेदनासमुद्घातको प्राप्त होकर अवस्थान्तरको प्राप्त होनेपर  
जिनकी चेतना—अन्तःकरणका व्यापार—किसी कार्यके करनेमे असमर्थ हो चुका है ऐसे जीव  
वेदनाके अनुभवसे व्याकुल होकर केवल उसी वेदनाके अनुभवमें अपने चित्तके व्यापारको संलग्न  
करते हैं, इसीसे अन्यत्र—अन्य विषयोमे—संकलेशको प्राप्त नही होते हैं ॥१५७॥

इसका क्या परिणाम होता है, इसे आगे स्पष्ट करते हैं—

इसीलिए—तीव्र वेदनाके अनुभवसे—चेतनाके विमूढ होनेके कारण—तीव्र राग-द्वेषके  
अभावमे उनके मूच्छा<sup>१</sup>के निमित्तसे बन्ध भी अतिशय कम होता है तथा उस कर्मका क्षय भी  
सर्वथा उत्कृष्ट नही होता ।

विवेचन—लाकमे देखा जाता है कि जो प्राणी तीव्र वेदनासे अभिभूत होते हैं वे मूर्छित हो  
जाते हैं, इससे उनका चित्त एकमात्र वेदनाके अनुभवमे संलग्न रहनेके कारण अन्य विषयोमें  
राग-द्वेषको प्राप्त नही होता । इसीलिए उनके बन्ध जैसे कम होता है वैसे ही निर्जराके कारणभूत  
विशिष्ट सम्यग्ज्ञानादिके अभावमें कर्मकी निर्जरा भी कम ही होती है । यही बात उन नारकियोंके  
विषयमें भी समझना चाहिए । वे भी वेदनासे अभिभूत होकर जब अन्यत्र राग-द्वेषसे रहित होते हैं  
तब उनके भी बन्ध और निर्जरा अल्प मात्रामें ही सम्भव है । अतएव वादोका जो यह कहना  
है कि नारकियोके जैसे कर्मका बन्ध कम और पापका क्षय अधिक<sup>२</sup> होता है वैसे ही दुखी जीवोका  
वध करनेसे उनके भी बन्ध कम और पापका क्षय अधिक सम्भव है, यह युक्तिसंगत  
नही है ॥१५८॥

१. अ तम्मत्त । २. अ सकिलेसति । ३. अ 'अन्नन्त' नास्ति । ४. अ समोहउ । ५. अ<sup>०</sup> मुक्कोसो ।

यथा नोत्कृष्टक्षयस्तथा चाह—

जं नेरइओ कम्मं खवेइ बहुआहि वासकोडीहिं ।

तन्नाणी तिहि गुत्तो खवेइ ऊसासमित्तेण ॥१५९॥

यन्नारकः कर्म क्षपयति बह्वीभिर्वर्षकोटीभिस्तथा दुःखितः सन् क्रियामात्रक्षपणात् तज्ज्ञानी तिसृभिर्गुंमिभिर्गुंमः क्षपयत्युच्छ्वासमात्रेण, संवेगादिशुभपरिणामस्य तत्क्षयहेतोस्तो ब्रह्मत्वात् ॥१५९॥

निगमयन्नाह—

एएण कारणेणं नेरइयाणं पि पावकम्माणं ।

तह दुक्खियाण वि इहं न तहा बंधो जहा विगमो ॥१६०॥

एतेनानन्तरोदितेन कारणेन नारकाणामपि पापकर्मणां तथा तेन प्रकारेण दुःखितानामपीह विचारे न तथा बन्धो यथा विगमः, प्रायो रौद्रध्यानाभावादिति ॥१६०॥

अह उ तहाभावंपि हु कुणइ वहंतो न अन्नहा जेण ।

ता कायव्वो खु तओ नो तप्पडिवक्खबंधाओ ॥१६१॥

उनके उत्कृष्ट क्षय क्यों नहीं होता, इसका कारण आगे बतलाया जाता है—

जिस कर्मको नारकी जीव बहुत-सी वर्षकोटियोमे—अनेक करोड वर्षोंमे—क्षीण करता है उसे ज्ञानी जीव तीन गुणियोसे सुरक्षित होकर उच्छ्वास मात्र कालमे ही क्षीण कर देता है। अभिप्राय यह है कि कर्मक्षयका कारण सम्यग्ज्ञानके साथ संवेगादिरूप शुभ परिणाम हैं। उनके होनेपर सम्यग्ज्ञानी जीव जिस क्लिष्ट कर्मका क्षय अल्प समयमे ही कर डालता है उसका क्षय नारकी जीव उक्त परिणामोंके बिना असह्य वेदनाका अनुभव करते हुए करोडों वर्षोंमे भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वादीके द्वारा दिया गया नारकियोंका वह उदाहरण प्रकृतमें लागू नहीं होता ॥१५९॥

इससे निष्कर्ष क्या निकला, इसे आगे प्रकट किया जाता है—

इस कारण पापकर्मसे संयुक्त नारकियोंके तथा दुखी जीवोंके भी यहाँ—प्रकृत विचारमे—वैसा बन्ध नहीं होता जैसा कि विनाश होता है। अभिप्राय यह है कि जैसे अतिशयित वेदनासे व्यथित नारकियोंके अधिक संक्लेश न होनेके कारण न बन्ध अधिक होता है और न पापकर्मका क्षय भी अधिक होता है वैसे ही दुखी जीवोंके भी वधजनित मूर्छाकी अवस्थामें रौद्रध्यानके अभावमे न बन्ध अधिक होता है और न पापक्षय भी उत्कृष्ट होता है। इसीलिए पापक्षयके उद्देश्यसे दुखी जीवोंका वध करना कभी उचित नहीं ठहरता ॥१६०॥

आगे वादीके द्वारा जो पुनः शंका की जाती है उसका भी समाधान किया जाता है—

इसपर वादी कहता है कि जिस कारण वध करता हुआ प्राणी उस प्रकारके भावको—अल्प बन्धके साथ कर्मक्षयको कारणभूत मूर्छाको—भी करता है, क्योंकि उसके बिना कर्मक्षय सम्भव नहीं है, इसीलिए उस वधको करना ही चाहिए। इसके समाधानमे यह कहा गया है कि वैसा हो नहीं सकता। कारण यह कि वधसे कर्मक्षयके माननेपर उसके प्रतिपक्षभूत अवधसे—वध न करनेसे—बन्धका प्रसंग प्राप्त होता है।

अथैवं मन्यसे—तथाभावमपि सम्मोहभावमपि प्रतनुबन्धेन कर्मक्षयहेतुं करोति । घनन्नेव व्यापादयन्नेव, नान्यथा । येन कारणेन । तत्तस्मात्कर्तव्य एव तको वध इत्याशङ्क्याह—नो नैतदेवं । तत्प्रतिपक्षवन्धाद्वधप्रतिपक्षोऽवधस्तस्माद्वन्धादन्यथावधात्तत्क्षयानुपपत्तिरविरोधादिति ॥१६१॥

एवं च मुत्तबंधादौ इहं पुव्ववन्निया<sup>१</sup> दोसा ।

अणिवारणिज्जपसरा अब्भुवगमवाहगा नियमा ॥१६२॥

एवं चावधाद्वन्धापत्तो । मुक्तवन्धादय इह पूर्ववर्णिता दोषा अनिवारितप्रसरा अन्धुपगम-  
बाधका वधात्कर्मक्षय इत्यङ्गीकृतविरोधिनो नियमेन अवश्यतयेति ॥१६२॥

उपसंहरन्नाह—

इय एवं पुव्वावरलोगविरोहाइदोससयकलिय ।

मुद्धजणविम्हयकरं<sup>३</sup> मिच्छत्तमलं पसंगेणं ॥१६३॥

इय एवमेतत्पूर्वापरलोकविरोधादिदोषगतकलितं मुग्धजनविस्मयकरं संसारमोचकमतं  
मिथ्यात्वम् अलं पर्याप्तं प्रसङ्गेनेति<sup>४</sup> ॥१६३॥

विवेचन—यहां वादी शका करता है कि जब दुखी जीवोका वध किया जाता है तब वे मूर्छाको प्राप्त हो जाते हैं । इस मूर्छाकी अवस्थामे उनके अल्प बन्धके संकलेशके अभावमे साथ कर्मका क्षय होता है । इस कारण उनका वध करना श्रेयस्कर है, क्योंकि वधके बिना उनके कर्मक्षयका अन्य कोई कारण सम्भव नहीं है । वादीकी इस शंकाके समाधानमें यहां यह कहा गया है कि वैसा सम्भव नहीं है । इसका कारण यह है कि कर्मका बन्ध और क्षय ये दो कार्य परस्पर विरुद्ध हैं, अतः इनके कारण भी परस्पर भिन्न होने चाहिए । ऐसी परिस्थितिमें वादी यदि वधसे कर्मका क्षय मानता है तो कर्मबन्धका कारण उसका प्रतिपक्षी अवध—वधका न करना—ठहरता है । यह वादीके लिए अनिष्टका प्रसंग है । इसे टालनेके लिए यदि वादी अवधको कर्मबन्धका कारण नहीं मानना चाहता है तो फिर वह वध कर्मक्षयका भी कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि विरोधी ही विवक्षित वस्तुके विनाशका कारण होता है । तदनुसार वध कुछ कर्मका विरोधी नहीं है ॥१६१॥

उपर्युक्त अवधसे कर्मबन्धके प्रसंगमे और क्या अनर्थ हो सकता है, इसे भी आगे स्पष्ट किया जाता है—

इस प्रकार—अवधसे कर्मबन्धका प्रसंग प्राप्त होनेपर—मुक्त जीवोके भी कर्मबन्धका प्रसंग अनिवार्य होगा, इत्यादि जिन दोषोका वर्णन पूर्वमे किया जा चुका है उनके प्रसारको नहीं रोका जा सकेगा । ये सब दोष 'वधसे कर्मका क्षय होता है,' इस वादीकी मान्यतामे नियमसे बाधक हैं ॥१६२॥

अब आगे इस प्रकरणका उपसंहार करते हैं—

इस प्रकारसे पूर्वापर विरोध और लोक विरोध आदि सैकड़ो दोषोसे युक्त यह मिथ्यात्व—संसारमोचकोका मिथ्यामत केवल मूढ जनोके लिए आश्चर्यवकित करनेवाला है—वास्तवमें वह असंगत व अहितकर होनेसे आत्महितैषियोके लिए अग्राह्य है ॥१६३॥

१ अ प्रतिपक्षबधो सत्तस्माद्वधा<sup>१</sup> । २ अ वधादहो अहे पुव्वन्निया । ३ अ अतोअो टीकागत 'विस्मयकर'  
पदपर्यन्त पाठ स्थलितोऽस्ति । ४ अ 'प्रसङ्गेनेति' नास्ति ।

अधुनान्यद्वादस्थानकमाह—

अन्ने आर्गतुगदोससंभवा विंति वहनिवृत्तीओ ।

दोण्ह वि जणाण पावं 'समयंमि अदिट्टपरमत्था ॥१६४॥

अन्ये वादिनः आगन्तुकदोषसंभवात्कारणात् । भ्रुवते । किम् ? वधनिवृत्तेः सकाशाद्द्वयोरपि जनयोः प्रत्याख्यातु-प्रत्याख्यापयित्रोः । पापं समये आगमे । अदृष्टपरमार्था अनुपलब्ध-भाषार्था इति ॥१६४॥

आगन्तुकदोषसंभवमाह—

सन्ववहसमत्थेणं पडिवन्नाणुव्वएण सिंहाई ।

ण घाईओ त्ति तेणं तु घाइतो जुगप्पहाणो उ ॥१६५॥

सर्ववधसमर्थेन, सिंहादिक्रूरसत्त्वव्यापादनक्षमेण । प्रतिपन्नाणुव्रतेन सता । सिंहादिः सिंहः शरभो वा । न घातित इति । तेन तु सिंहादिना । घातितो, युगप्रधानोऽनुयोगधर एक एवाचार्यः । संभवत्येतदिति ॥१६५॥

तत्तो तित्थुच्छेओ धणियमणत्थो पभूयसत्ताणं ।

ता कह न होइ दोसो तेसिमिह निवित्तिवादीणं ॥१६६॥

अब इस प्रकरणको समाप्त कर आगे अन्य किन्ही वादियोंके अभिमतको दिखलाते हुए उसका निराकरण किया जाता है—

आगममें परमार्थको न देखनेवाले—परमागमके रहस्यको न समझनेवाले—अन्य कितने ही वादी वधकी निवृत्तिसे होनेवाले आगन्तुक—भविष्यमे आनेवाले—दोषोकी सम्भावनासे प्रत्याख्यान करनेवाले और उसे करानेवाले इन दोनों ही जनोके पाप बतलाते हैं ॥१६४॥

उक्त आगन्तुक दोषोको स्पष्ट करते हुए आगे अहिंसाणुव्रतके ग्रहणसे क्या अनर्थ हो सकता है, इसे दिखलाते हैं—

समस्त दुष्ट प्राणियोंके वधमे समर्थ किसी श्रावकने अणुव्रतको स्वीकार कर लेनेके कारण सिंह आदि हिंस्र प्राणीका घात नहीं किया । उधर उस सिंहने किसी युगप्रधान—अनुयोगके धारक परम हितैषी साधु—का घात कर डाला ।

विवेचन—अभिप्राय यह है कि श्रावक यद्यपि सिंह आदि किसी भी दुष्ट प्राणीका घात कर सकता था, पर अणुव्रतमे प्राणवधनिवृत्तिको स्वीकार कर लेनेसे वह उक्त सिंह आदिका वध नहीं करता है । उधर वह सिंह आदि जीवित रहकर किसी लोकोपकारक साधुका भक्षण कर लेता है । इस प्रकार उक्त साधुसे जो बहुतसे भव्य जीवोका उपकार होनेवाला था उससे वे वंचित हो जाते हैं । इसलिए वादीके अभिमतानुसार प्राणवधकी निवृत्ति कराना उचित नहीं है ॥१६५॥

युगप्रधानके घातसे क्या अनर्थ होनेवाला है, इसे आगे स्पष्ट किया जाता है—

उससे—युगप्रधानके घातसे—बहुतसे आत्महितैषी जीवोका अतिशय अनर्थ करनेवाला तीर्थंका—धर्मप्रवर्तनका—विनाश होनेवाला है । इससे उन निवृत्तिवादियोंके लिए दोष कैसे नहीं होता है ?

१. अ जणाण भावं । २. अ णो घाइउ त्ति ।

ततस्तस्मादाचार्यघातात्तीर्थोच्छेदः घनितमत्यर्थमनर्थः प्रभूतसत्त्वानां दशनाद्यनवाप्या मुमुक्षूणाम् । यतश्चैवं तत्तस्मात् । कथं न भवति दोषः । तेषां प्रत्याख्यातृप्रत्याख्यापयितृणाम् । इह विनाशकरणे । निवृत्तिवादिनां भवत्येवेति ॥१६६॥

तम्हा नेव निवृत्ती कायव्वा अवि य अप्पणा चेव ।

अद्धोचियमालोचिय अवि रुद्धं होइ कायव्वं ॥१६७॥

यस्मादेवं तस्मान्नेव निवृत्तिः कार्या अपि चात्मनैवाद्धोचितं कालोचितमालोच्य अवि रुद्धं भवति कर्तव्यं यद्यस्याभवस्थाया परलोकोपकारीति एषः पूर्वपक्षः ॥१६७॥

अत्रोत्तरमाह—

सीहवहरक्खिओ सो उड्डाहं किंपि कह विं काऊणं ।

किं अप्पणो परस्स य न होइ अवगारहेउ त्ति ॥१६८॥

एवमपि दोषसंभवे नन्विदमपि संभवति—सिंहवधरक्षितोऽसावाचार्य उड्डाहमुपघातम् ।

विवेचन—वादीका अभिप्राय यह है कि यदि श्रावकको अणुव्रतमे प्राणवधनिवृत्ति न करायी गयी होती तो वह उस युगप्रधानके घातक उस सिंह आदिका वध करके उसकी रक्षा कर सकता था । इस प्रकार जीवित रहनेपर वह बहुतसे जीवोको सदुपदेश देकर उन्हे सम्यक्त्व आदि ग्रहण करा सकता था, जिससे उनका कल्याण होनेवाला था । किन्तु उसके असमयमें मर जानेमे उसके द्वारा जो उन प्राणियोंका हित होनेवाला था उससे वे वंचित रह जाते हैं । यह अपराध प्राणवधका प्रत्याख्यान करनेवाले और करानेवाले दोनोंका है । अतः इस आगन्तुक दोषकी सम्भावनासे प्राणवधका प्रत्याख्यान करना व कराना उचित नहीं है, यह उस वादीका अभिप्राय है ॥१६६॥

इससे वादीको क्या अभीष्ट है, इसे वह आगे प्रकट करता है—

इस कारण प्राणवधनिवृत्ति नहीं कराना चाहिए । किन्तु स्वयं ही समयोचित आलोचनाको करके जिसमें किसी प्रकारका विरोध सम्भव न हो ऐसा आचरण करना चाहिए ।

विवेचन—वादी अपने अभिमतका उपसंहार करता हुआ कहता है कि इस प्रकारसे जो लोकका अहित होनेवाला है उसके संरक्षणकी दृष्टिसे किसीको प्राणवधका प्रत्याख्यान नहीं कराना चाहिए । यदि कभी लोकहितकी दृष्टिसे किसी क्रूर प्राणीका घात भी करना पड़े तो उसे करके समयानुसार यथायोग्य आलोचनापूर्वक प्रायश्चित्त ग्रहण करके अपनेको दोषसे मुक्त करना ही उचित है । इस प्रकार वादीने यहाँ ( १६४-६७ ) अपने पक्षको स्थापित किया है ॥१६७॥

वादीके उक्त अभिमतका निराकरण करते हुए आगे उक्त युगप्रधानसे अहितकी भी सम्भावना प्रकट की जाती है—

सिंहके वधसे रक्षित वह युगप्रधान क्या किसी परस्त्रीसेवनादिरूप निकृष्ट आचरणको किसी प्रकारसे—किल्बिष कर्मके उदयसे—करके अपने व अन्यके अपकारका कारण नहीं हो सकता था? यह भी सम्भव था ।

विवेचन—अभिप्राय यह है कि वादीने जिस प्रकार आगन्तुक दोषको सम्भावनामे प्रकृत युगप्रधानके जीवित रहनेपर उसके द्वारा होनेवाले लोककल्याणकी सम्भावना व्यक्त की है, ठीक

किमपि योषिदासेवनादिकम् । कथमपि क्लिष्टकर्मोदयात् कृत्वा । किमात्मनोऽज्बोधिलाभनिवर्तनीय-  
कर्मबन्धहेतुत्वेन । परस्य च श्रावकादेविवपरिणामकरणेन । न भवत्यपकारहेतुर्भवत्येवेति ॥१६८॥

किं इयं न तित्थहाणी किं वा वहिओ न गच्छई नरयं ।

सीहो किं वा सम्मं न पावई जीवमाणो उ ॥१६९॥

किमेवं न तीर्थहानिस्तीर्थहानिरेव । किं वा वधितो व्यापादितः क्रूराशयत्वान्न गच्छति  
नरकं सिंहो गच्छत्येव । किं वा सम्यक्त्वं न प्राप्नोति जीवन् सिंहोऽतिशयवत्साधुसमीपे संभवति  
प्राप्तिरिति ॥१६९॥

किं वा तेणावहिओ कहिंचि अहिमाइणा न खजेजा ।

सो ता इहंपि दोसो कहं न होइ त्ति चितमिणं ॥१७०॥

किं वा तेन सिंहेनाहतोऽव्यापादितः सन् । कथंचिद्रजन्यां प्रमादादह्यादिना सर्पेण गोमसेन  
वा । न खाल्ये त स आचार्यः ? संभवति सर्वमेतत् । यस्मादेवं तस्मादिहापि दोषो भवदभिमतः  
कथं न भवतीति चिन्त्यमिदं विचारणीयमेतदिति ॥१७०॥

यतश्चैवमतः—

उसी प्रकार आगन्तुक दोषकी ही सम्भावनासे यहाँ उसके समाधानमे भी यह कहा जा रहा है  
कि सिंहके वधसे बचकर वह साधु किसी निकृष्ट आवरणको करके क्लिष्ट कर्मको बांधता हुआ  
क्या उसके उदयसे स्वयं अपना अहित नहीं कर सकता था ? यह भी सम्भव था । इसी प्रकार वह  
कुमार्गका उपदेश करके क्या दूसरे जीवोके अहितका भी कारण नहीं बन सकता था ? यह भी  
असम्भव नहीं था । तात्पर्य यह है कि आगन्तुक दोषकी सम्भावनासे किसी भी प्राणीका वध  
करना न्यायसंगत नहीं है । कारण यह कि आगन्तुक दोषकी सम्भावनामे जहाँ लोककल्याण हो  
सकता है वहाँ उसकी सम्भावनासे अपना व दूसरोका अहित भी हो सकता है ॥१६८॥

उससे और भी क्या अनर्थ हो सकता है, इसे आगे स्पष्ट किया जाता है—

इस प्रकार—सिंहसे बचकर निकृष्ट आचरण करनेपर—भी, क्या उस युगप्रधानके द्वारा  
तीर्थकी हानि नहीं हो सकती थी ? इस प्रकारसे भी वह तीर्थहानि हो सकती थी । अथवा क्या  
इस प्रकारसे मारा जाकर वह सिंह दुष्ट अभिप्रायके कारण नरकको नहीं जा सकता है ? अवश्य  
जा सकता है । अथवा वही सिंह जीवित रहकर क्या सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त कर सकता है ?  
जीवित रहकर वह किसी अतिशयवान् साधुके समीपमें उस सम्यक्त्वको पा करके आत्मकल्याण  
भी कर सकता है । इस कारण आगन्तुक दोषकी सम्भावनासे सिंहादिक किसी भी प्राणीका वध  
करना उचित नहीं है ॥१६९॥ इसके अतिरिक्त—

अथवा उक्त आचार्य सिंहके द्वारा न मारा जाकर क्या किसी प्रकार—अंधेरी रातमें  
प्रमादके वश होकर—सर्प आदिके द्वारा नहीं खाया जा सकता है ? यह भी सम्भव है । इस प्रकार  
यहाँ भी—सिंहसे बचाये जानेपर भी—कैसे दोष नहीं हो सकता है ? सिंहसे उसके बचाये जानेपर  
भी उपर्युक्त दोष सम्भव है । इस प्रकार वादोका उपर्युक्त कथन सोचनीय है—वह युक्तिसंगत  
नहीं है ॥१७०॥

आगे आगन्तुक दोषोकी सम्भावनासे समस्त लोकव्यवहारका भी छोप हो सकता है, इसे  
दिखलाते हैं—

१. अ न तीर्थहानिरेव । २. अ भाइणो न हज्जेजा । ३. अ विसूइगादीण संभवं तत्थ किं दोसो ।

सन्वयवित्तिअभावो पावइ एवं तु अन्नदाने वि ।

तत्तो विसूइयाई न संभवतित्थ किं दोसा ॥१७१॥

सर्वप्रवृत्त्यभावः प्राप्नोत्येवमागन्तुकदोषसंभवात् । एवं च सत्यन्नदानेऽपि न प्रवर्तितव्यम् । अपि-शब्दाददानेऽपि । ततोऽन्नदानादेर्विसूचिकादयो विसूचिका मरणम् अदाने प्रद्वेषतो घनहरण-ध्यापादनादयो न सम्भवन्त्यत्रान्नदानादौ किं दोषाः ? संभवन्त्येवेति ॥१७१॥

तथा—

सयमवि य अपरिभोगो एत्तो च्चिय एवं गमणमाई वि ।

सन्वं न जुज्जइ च्चिय दोसासंक्रान्तिवित्तीओ ॥१७२॥

स्वयमपि चापरिभोगोऽन्नादेः । अत एवागन्तुकदोषसंभवादेव । एवं गमनाद्यपि गमन-मागमनमवस्थानम् । सर्वं न युज्यते एव दोषाशक्रान्तिवृत्तेः गच्छतोऽपि कण्ठकवेधादिसंभवादा-गच्छतोऽपि अवस्थानेऽपि गृहपातादिसंभवदर्शनादिति ॥१७२॥

इस प्रकार—आगन्तुक दोषकी सम्भावनासे—समस्त प्रवृत्तिके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है । वैसी अवस्थामें आहारके देनेमें भी क्या उससे विसूचिका आदि दोषोकी सम्भावना नहीं होती है ? उनकी सम्भावना भी बनी रहती है ।

विवेचन—जैसीकी वादोकी मान्यता है तदनुसार तो किसी भी कार्यका करना सम्भव न होगा, क्योंकि प्रयोजनके वश जो भी जिस कार्यको करना चाहेगा उसमें किसी न किसी आगन्तुक दोषकी सम्भावना बनी ही रहनेवाली है । उदाहरणार्थ यदि कोई किसी साधुको आहार देना चाहता है तो उसमें भी विसूचिका ( अजीर्ण विशेष ) रोग आदि आगन्तुक दोषकी सम्भावना बनी रहती है । कारण यह कि किन्हीं प्राणियोंके उस भोजनसे अजीर्ण आदि रोग उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं । इस आगन्तुक दोषको सम्भावनासे यदि कोई उसे नहीं देना चाहे तो उसमें भी भोजनके प्राप्त न होनेसे उसके अभिलाषीके द्वारा घनके अपहरण व प्राणघात आदिकी सम्भावना बनी रहती है । यदि कोई प्रयोजनवश रेल अथवा बस आदिके द्वारा बाहर जाना चाहे तो उसमें अपघात आदिके होनेकी शंका रह सकती है । इस प्रकार आगन्तुक दोषके भयसे कोई किसी भी कार्यमें प्रवृत्त नहीं हो सकेगा । परिणाम यह होगा कि इस प्रकारसे तो समस्त लोकव्यवहार भी ठप्प हो जायेगा ॥१७१॥

उस आगन्तुक दोषकी शकासे स्वयको भी दुर्गति हो सकती है, यह आगे दिखलाते हैं—

उक्त आगन्तुक दोषके भयसे भोजन आदिका उपभोग स्वयं भी नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त उसके भयसे गमन आदि—कहीं अन्यत्र जाना, आना व अवस्थित रहना आदि—सभी कुछ करनेके अयोग्य ठहरेंगे, क्योंकि उन सभीमें दोषकी शका दूर नहीं हो सकती है । जैसे—जाने-आनेमें कांटे आदिके द्वारा वेधे जाने व स्थित रहनेमें घरके गिर जानेका भय, इत्यादि रूपसे सर्वत्र भय बना रहनेवाला है ॥१७२॥

१ अ अदाने पि प्रद्वेषतो ।

२. विसूचिकाका लक्षण—

सूचीभिरिव गात्राणि तुदन् संतिष्ठतेऽनिल ।

यस्याजीर्णसा वृद्धी विसूचीति . निगद्यते ॥

अणिवृत्ति वि हु एवं कह कायव्व त्ति भणियदोषाओ ।

आलोयणं पि अवरहसंभवाओ ण जुत्तं ति ॥१७३॥

अनिवृत्तिरप्येवं कथं कर्तव्येति भणितदोषादेनिवृत्तित एव राजमयूरादिव्यापादनेन दोषसंभवात् । आलोचनमपि प्रागुपदिष्टम् आत्यन्तिककार्यविघ्नत्वात् किमप्येते आलोचयन्तीति चान्यापकारप्रवृत्तेरपराधसंभवान्न युक्तमेवेति ॥१७३॥

उपसंहरन्नाह—

इय अणुभवलोकागमविरुद्धमेयं न नायसमयाणं ।

मइविब्भमस्स हेऊ वयणं भावत्थनिस्सारं ॥१७४॥

इय एवं अनुभवलोकागमविरुद्धमेतत्—निवृत्तीं परिणामशुद्धचनुभवादनुभवविरुद्धम्, समुद्रादिप्रतरणादिप्रवृत्तेर्लोकविरुद्धम्, यस्य कस्यचिद्विधानादागमविरुद्धम् एतत्पूर्वपक्षवादिवचनमिति योगः । न ज्ञातसमयानां नावगतसिद्धान्तानां मतिविभ्रमस्य हेतुः कथमेतच्छोभन मतिविप्लवस्य कारणम्, किंविशिष्टं वचनम् ? भावार्थनिस्सारं अभिप्रेतगर्भार्थशून्यमिति ॥१७४॥

उक्त दोषसे अनिवृत्ति भी कैसे रह सकती है, इसे आगे स्पष्ट किया जाता है—

जिन दोषोका निर्देश किया जा चुका है उन्ही दोषोके कारण अनिवृत्ति—प्राणवधका अप्रत्याख्यान—भी कैसे किया जा सकता है ? वह भी सम्भव नहीं होगा । इसके अतिरिक्त अपराधकी सम्भावनासे आलोचना करना भी, जिसका कि निर्देश वादीके द्वारा पूर्वमे (१६७) किया गया है, योग्य नहीं होगी ॥१७३॥

उपर्युक्त वादीका अभिमत अनुभव आदिके भी विरुद्ध है, इसका निर्देश आगे किया जाता है—

वादीका यह कथन अनुभव, लोक और आगमके भी विरुद्ध है । इसलिए वह आगमके ज्ञाताजनोके लिए बुद्धिभ्रमका कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि वह वचन भावार्थसे निःसार है—यथार्थ वस्तुस्वरूपके प्रतिपादनसे रहित है ।

विषेचन—अन्य कितने ही वादियोके द्वारा यह कहा जाता है कि प्राणवधकी निवृत्तिसे चूँकि कितने ही आगन्तुक दोषोकी सम्भावना है, इसलिए उसकी निवृत्तिको ग्रहण करने और करानेवाले दोनोके ही लिए वह पापजनक है । उनका यह कहना अनुभव, लोक और आगमसे विरुद्ध है । इसका कारण यह है कि जितने अंशमे प्राणातिपातादि पापोका परित्याग किया जाता है उतने अंशमे परिणामोमे अधिक निर्मलताका अनुभव होता है । इसलिए उस प्राणवधकी निवृत्तिको पापजनक बतलाना उस अनुभवके विरुद्ध है । लोकमे कितने ही साहसी पुरुष समुद्र आदको पार करते हुए देखे जाते हैं, अतः मरणादि रूप आगन्तुक दोषोकी सम्भावनासे उक्त निवृत्तिको पापोत्पादक कहना, यह लोकके विरुद्ध है । उस प्राणवधादिकी निवृत्तिका आगममे जहाँ तहाँ विधान किया गया है, अतः उसे आगन्तुक दोषोकी शंकासे पापजनक बतलाना आगमके भी विरुद्ध है । इसीलिए जिन्होंने आगमके आश्रयसे वस्तुके यथार्थ स्वरूपको समझ लिया है उनको बुद्धि तो तत्त्वविचारसे रहित इस अनुभव, लोक और आगम विरुद्ध कथनसे भ्रमित होनेवाली नहीं है, पर जो मन्दबुद्धि जन हैं वे कदाचित् भ्रमको प्राप्त हो सकते हैं । इसलिए उक्त



यस्मादेवम्—

तम्हा विसुद्धचित्ता जिणवयणविहीइ दोवि सद्दाला ।

वहविरइसमुच्चुत्ता पावं छिंदंति धिइवल्लिणो ॥१७५॥

तस्माद्विसुद्धचित्तौ अपेक्षारहितौ<sup>१</sup> जिनवचनविधिना प्रवचनोक्तेन प्रकारेण । द्वावपि प्रत्याख्यातु-प्रत्याख्यापयितारौ । श्रद्धावन्तौ वधविरतिसमुद्युक्तौ यथाशक्त्या पालनोद्यतौ । पापं छिन्तः कर्म क्षपयतः । धृतिबलिनौ अप्रतिपतितपरिणामाविति ॥१७५॥

सांप्रतमन्यद्वादस्यानकम्—

निच्चाण वहाभावा पयइअणिच्चाण चेव निन्विसया ।

एगतेणेव इहं वहविरइं केइ मन्नंति ॥१७६॥

जीवा. किल नित्या वा स्युरनित्या वेत्युभययापि दोषः—नित्यानां वधाभावात्, प्रकृत्य-नित्यानां चैव स्वभावभङ्गुराणां चैव वधाभावात् । निर्विषया निरालम्बना । एकान्तेनैव । अत्र पक्षद्वये । का वधविरतिः ? संभवाभावात् । केचन वादिनो मन्यन्त इति ॥१७६॥

एतदेव भावयति—

कथनमें यहाँ अनेक दोषोको दिखलाया गया है । आगन्तुक दोषोकी सम्भावनासे तो कभी किसीके द्वारा कोई कार्य ही नहीं किया जा सकता है ॥१७४॥

आगे इसका उपसंहार किया जाता है—

इसलिए—अनुभवादिकसे विरुद्ध होनेके कारण वादीके उपयुक्त कथनको हेय<sup>१</sup> जानकर चित्तकी विशुद्धि पूर्वक श्रद्धान करनेवाले दोनो—प्रत्याख्याता और प्रत्याख्यान करानेवाला ये दोनों—ही जिनागमोक्त विधिके साथ वधकी विरतिमें उद्यत होकर धैर्यके बलसे पापको नष्ट करते हैं ॥१७५॥

आगे दूसरे किन्ही वादियोके अभिमतको प्रकट करते हुए वादीकी ओर उस प्रसंग प्राप्त वधविरतिको निर्विषय ठहराया जाता है—

वादीके अभिमतानुसार नित्य जीवोके वधके असम्भव होनेसे तथा प्रकृतिसे अनित्य जीवोके स्वयं विनश्वर होनेके कारण वह वधकी विरति सर्वथा निर्विषय है—उसका कोई विषय ( वध्य ) ही नहीं है । इसीलिये कितने ही वादो उस विरतिको निरर्थक मानते हैं ।

विवेचन—यहाँ वादी वधविरतिको निरर्थक ठहराता हुआ यह पूछता है कि जीव नित्य हैं या अनित्य ? यदि वे नित्य हैं—एक ही स्वभावसे सदा अवस्थित रहनेवाले हैं—तब तो उनका वध हो ही नहीं सकता । और यदि उनका वध होता है तो वैसी स्थितिमें उनकी नित्यताकी हानि होती है, क्योंकि उत्पन्न व विनष्ट न होकर सदा एक ही स्वरूपसे स्थित रहना, यह नित्यताका लक्षण है । तब यदि उन्हें अनित्य स्वीकार किया जाता है तो स्वभावतः जो नष्ट होनेवाले हैं उनका भी वध कैसे सम्भव है ? उनका भी वध सम्भव नहीं है । इस प्रकार उक्त दोनो ही पक्षोंमें जब वधकी सम्भावना नहीं है तब उस वधकी विरति करना निरर्थक है ॥१७६॥

आगे वादी अपने इसी अभिप्रायको स्पष्ट करता है—

एगसहावो निच्चो तस्स कह वहो अणिच्चभावाओ ।

पयइअणिच्चस्स वि अन्नहेउभावाणवेक्खाओ ॥१७७॥

एकस्वभावोऽप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकधर्मा नित्यः । तस्य कथं वधः जिघांसनमनित्यभावा-  
दत्तादवस्थो नानित्यत्वापत्तेरित्यर्थः । प्रकृत्यनित्यस्यापि स्वभावतोऽप्यनित्यस्य । कथं वध इति  
वर्तते । कथं च नेत्याह—अन्यहेतुभावानपेक्षातः<sup>१</sup> स्वव्यतिरिक्तहेतुसत्तानपेक्षत्वात्, तत्स्वभावत्वे  
च स्वत एव निवृत्तेरिति ॥१७७॥

प्रक्रान्तोपचयमाह—

किं च सरीरा जीवो अन्नो णन्नो व हुज्ज जइ अन्नो ।

ता कह देहवहंमि वि तस्स वहो घटविणासेव्व ॥१७८॥

किं चान्यच्छरीरात्सकाशाज्जीवोऽन्योऽन्यो वा भवेत् द्वयो गतिः । किं चातः यद्यन्यस्तत्-  
कथम् देहवधे प्रकृतिविकारत्वेनार्थान्तरभूतदेहविनाशे तस्य जीवस्य वधो नैवेत्यर्थः, घटविनाश  
इव—न हि घटे विनाशिते जीववधो दृष्टः, तदर्थान्तरत्वादिति ॥१७८॥

द्वितीयं विकल्पमधिकृत्याह—

अह उ अणन्नो देह<sup>२</sup> व्व सो तओ सव्वहा विणस्सिज्जा<sup>३</sup> ।

एवं न पुण्णपावा वहविरई किंनिमित्ता मे ॥१७९॥

अथ त्वनन्यः शरीराज्जीव इत्येतदाशङ्क्याह—देह इवासौ ततः अनन्यत्वाद्धेतोः सर्वथा  
विनश्येत् । शरीरं च<sup>४</sup> विनश्यत्येव, न परलोकयायि । एवं च न पुण्यपापे, भोक्तुरभावात् । वध-

जो सदा एक ही स्वभावसे स्थित रहता है उसे नित्य माना जाता है, तदनुसार उसका  
वध कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । अन्यथा, अनित्यताका प्रसंग दुर्निवार प्राप्त होगा । इससे  
यदि उक्त जीवको अनित्य माना जाता है तो जो प्रकृतिसे अनित्य है—स्वभावतः क्षणनश्वर है—  
उसका भी वध कैसे सम्भव है ? उसका भी वध सम्भव नहीं है, क्योंकि वह अपने विनाशमे किसी  
अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं रखता । इस प्रकार जैसे नित्य माननेपर उन जीवोका वध सम्भव  
नहीं वैसे ही अनित्य माननेपर भी उनका वध नहीं सम्भव है । ऐसी अवस्थामे उनके वधकी  
विरति करना व कराना निरर्थक है ॥१७७॥

आगे वादी जीवको शरीरसे भिन्न माननेपर उसके वधकी असम्भवताको प्रकट करता है—

इसके अतिरिक्त जीव क्या शरीरसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि वह शरीरसे भिन्न है तो  
शरीरका वध करनेपर उससे भिन्न उस जीवका वध कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता, क्योंकि  
जैसे घटका विनाश करनेपर उससे भिन्न जीवका कभी विनाश नहीं होता है वैसे ही शरीरके  
विनष्ट होनेपर उससे भिन्न जीवका विनाश नहीं हो सकता ॥१७८॥

आगे शरीरसे उसे अभिन्न माननेपर भी वादी दोष दिखलाता है—

वह कहता है—यदि जीव शरीरसे अभिन्न है तो जैसे शरीर सर्वथा विनष्ट हो जाता है  
वैसे ही उस शरीरसे अभिन्न जीव भी सर्वथा विनष्ट हो जावेगा । तब इस प्रकारसे—शरीरके  
समान ही उस जीवके सर्वथा नष्ट हो जानेपर परलोकमे गमनके असम्भव हो जानेसे—निराश्रय

विरतिः किंनिमित्ता भे भवतां विरतिवादिनामिति । एष पूर्वपक्षः ॥१७९॥

अत्रोत्तरमाह—

निष्ठाणिच्चो जीवो भिन्नाभिन्नो ह तह शरीराओ ।

तस्स वहसंभवाओ तच्चिरई<sup>१</sup> कहमविसया उ ॥१८०॥

एकान्तनित्यत्वादिभेदप्रतिषेधेन नित्यानित्यो जीवो द्रव्य-पर्यायरूपत्वात् । भिन्नाभिन्नश्च तथा शरीरात्, तथोपलब्धे अन्यथा दृष्टेष्टविरोधात् । तस्य वधसंभवाद्धेतोस्तद्विरतिवधविरतिः । कथमविषया ? नैवेत्यर्थः ॥१८०॥

नित्यानित्यत्वव्यवस्थापनायाह—

पुण्य और पापका भी सद्भाव न रहेगा । तब वैसी अवस्थामे उस वधकी विरतिका आपके यहाँ— वधकी विरतिको अभीष्ट माननेवालोके यहाँ—प्रयोजन ही क्या रहेगा ? प्रयोजनके बिना वह निरर्थक ही सिद्ध होती है । इस प्रकार वादीने इन १७६-७९ गाथाओमें अपने पक्षको स्थापित किया है ॥१७९॥

आगे वादीके उपर्युक्त अभिमतका निराकरण करते हुए वधकी सम्भावना प्रकट की जाती है—

वह जीव कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य भी है । इसी प्रकार वह शरीरसे कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न भी है । इस प्रकारसे उसका वध सम्भव है । अतएव उसके वधकी विरतिको अविषय कैसे कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता ।

विवेचन—वादीने जीव नित्य है या अनित्य इन दो विकल्पोमे वधकी असम्भावना प्रगट की थी । इसी प्रकार वह शरीरसे भिन्न है या अभिन्न इन दो विकल्पोको उठाकर उनमें भी उस वधकी असम्भवताको प्रगट किया था । यहाँ उसके उत्तरमे यह कहा गया है कि जीव न तो सर्वथा नित्य है और न सर्वथा अनित्य भी है, किन्तु वह द्रव्य दृष्टिसे जहाँ नित्य है वही वह पर्याय दृष्टिसे अनित्य भी है । अभिप्राय यह है कि जो स्वाभाविक चेतना गुण ( ज्ञान दर्शन ) है उसका कभी किसी भी पर्यायमें जीवके अवस्थित रहनेपर विनाश सम्भव नहीं है । इस अपेक्षासे जीव नित्य है । साथ ही 'अमुककी मृत्यु हो गयी तथा अमुकके पुत्रका जन्म हुआ है' इत्यादि पर्यायकी प्रघानतासे चूँकि लोकमे व्यवहार देखा जाता है, अतः पर्यायकी विवक्षासे वह अनित्य भी है । इस प्रकार जीवके कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य माननेमे कोई विरोध नहीं है । इसी प्रकार जीवको संसारमें सदा शरीरके आश्रित देखा जाता है तथा शरीरके आश्रयसे किये जानेवाले शुभ-अशुभ कामोसे वह पुण्य-पापको उपाजित करता है व यथासमय उसके फलको भी भोगता है, इस अपेक्षा उसे कथंचित् शरीरसे अभिन्न माना गया है । साथ ही जीव जहाँ स्वभावतः चेतन व अमूर्तिक है वही वह शरीर जड़ ( चेतनासे रहित ) व मूर्तिक है, इस प्रकार स्वरूप-भेदके कारण उन दोनोंमें कथंचित् भेद भी है । इससे वादीके द्वारा उपर्युक्त एकान्त पक्षोंमें दिये गये दोषोके सम्भव न होनेसे वह वध जब सम्भव है तब उसकी विरतिको निर्विषय नहीं कहा जा सकता है ॥१८०॥

आगे इस नित्यता व अनित्यताको ही स्पष्ट किया जाता है—

निष्वाणिञ्चो संसार-लोगववहारओ मुणेयव्वो ।

न य एगसहावंमी संसाराई<sup>१</sup> घडंति त्ति ॥१८१॥

नित्यानित्यो जीव इति गम्यते । कुतः ? संसाराल्लोकव्यवहारतो मुणितव्यः—त एव सत्त्वा नरकं व्रजन्तीत्यादि संसारात्, गत आगत इति लोकव्यवहाराच्च विज्ञेय इति । विपक्ष-व्यवच्छेदार्थमाह—न चैकस्वभावे न च नित्याद्येकधर्मिण्येवात्मनि संसारावयो घटन्त इति गाथा-समुदायार्थः ॥१८१॥

अधुना अवयवार्थमाह—

निच्चस्स सहावंतरमपावमाणस्स कह णु संसारो ।

जंमाणंतरनट्टस्स चैव एगंतओ मूलो ॥१८२॥

नित्यस्याप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकस्वभावेन हेतुना, स्वभावान्तरमप्राप्नुवतः सदैवैकरूपत्वात्, कथं नु संसारो नैव विचित्रत्वात्तस्य । जन्मानन्तरनष्टस्यैव च सर्वथोत्पत्त्यनन्तरापवर्गिणः । एकान्त-तोऽमूलः तस्यैव तथापरिणामवैकल्यत एकान्तेनैवाकारणः कुतः संसार इति ॥१८२॥

एत्तो च्चिय ववहारो गमणागमणाइ लोगसंसिद्धो ।

न घडइ जं परिणामी तम्हा सो होइ नायव्वो ॥१८३॥

अत एवानन्तरोद्धितादेकान्तनित्यत्वादेहेतोर्व्यवहारो गमनागमनाविर्न घटते, एकत्रैक-

संसार और लोकव्यवहारके कारण जीवको कथंचित् नित्य-अनित्य जानना चाहिए । कारण यह कि उसके नित्य व अनित्य आदि एक स्वभाववाला होनेपर वे संसार आदि घटित नहीं होते हैं ।

विवेचन—संसार अर्थात् जन्म-मरणको प्राप्त होते हुए चतुर्गतिमे परिभ्रमण करनेका नाम संसार है । यह संसार जीवके एक रूपमे अवस्थित होनेपर घटित नहीं होता है । वह जब अपने स्वाभाविक शान्त स्वरूपको छोडकर राग-द्वेषके वशीभूत होता है तब यथासम्भव नरकादि गतिको प्राप्त होकर सुख-दुखको भोगता है । इस प्रकार अपने चैतन्य स्वभावको न छोडता हुआ ही उन गतियोमे परिभ्रमण करता है । तथा जो वहाँ गया था वह आ गया है, इत्यादि प्रकारका लोकव्यवहार भी नित्यता व अनित्यताके एकान्त पक्षमे सम्भव नहीं है । इस प्रकारके संसार व लोकव्यवहारको देखते हुए जीवकी अपेक्षाकृत नित्यता व अनित्यता दोनो सिद्ध होते हैं ॥१८१॥

आगे जीवको एक स्वभाव माननेपर वह संसार घटित नहीं होता है, यह प्रकट करते हैं—

जो नित्य होता है वह दूसरे स्वभावको प्राप्त नहीं होता है, कारण यह कि उत्पत्ति व विनाशसे रहित वह सदा एकरूप ही रहता है । ऐसी परिस्थितिमे उसके वह संसार कैसे सम्भव हो सकता है ? असम्भव होगा वह । इसके विपरीत अनित्य पक्षमे जन्मके अनन्तर ही विनष्ट होनेवाले उस जीवके संसारका मूल कारण ही नहीं सम्भव होगा । अभिप्राय यह है कि जीवके क्षणभंगुर मानने पर जो हिंसादि पापको करता है वह तो अनन्तर पूर्वं क्षणमे विनष्ट हो चुका । तब उस परिस्थितिमें जब उसके फलको वह भोग ही नहीं सकता है तब उसके भी संसारकी सम्भावना कैसे की जा सकती है ? पाप या पुण्यका आचरण एक करे और फल उसका दूसरा भोगे, यह हास्यास्पद ही होगा ॥१८२॥

स्वभावस्याध्यासितवेशव्यतिरेकेण वेदान्तराध्यासायोगात् अन्यत्र च तस्यैवाभावेनापरानुत्पत्तेरिति । आदिशब्दात्स्थान-शयनासनभोजनादिपरिग्रहः । यद्यस्मादेव तस्मात् । परिणाम्यसावात्मा भवति ज्ञातव्यः । परिणामलक्षणं चेदम् —

परिणामो ह्यर्थान्तरगमनं न तु सर्वथा व्यवस्थानम् ।

न च सर्वथा विनाशः परिणामस्तद्विदामिष्टः ॥१॥ इति ॥१८३॥

एतदेव भावयति—

जह कंचणस्य कंचणभावेण अवद्वियस्स कडगाई ।

उप्पज्जंति विणस्संति चैव भावा अणेगविहा ॥१८४॥

यथा काञ्चनस्य सुवर्णस्य । काञ्चनभावेन सर्वभावानुयायिन्यां सुवर्णसत्तया । अवस्थितस्य कटककादयः कटक-केयूर-कर्णालकारादयः । उत्पद्यन्ते आविर्भवन्ति, विनश्यन्ति च तिरोभवन्ति च । भावा. पर्यायाः । अनेकविधा अन्यव्य व्यतिरेकवन्तः स्वमवेदनसिद्धा अनेकप्रकारा इति ॥१८४॥

कथञ्चित् नित्य-अनित्य माननेके विना लोकव्यवहार भी घटित नहीं होता, इसे आगे स्पष्ट किया जाता है—

इसीसे—जीवको सर्वथा नित्य या अनित्य माननेके कारण—गमनागमनादिरूप लोकप्रसिद्ध व्यवहार भी घटित नहीं हो सकता है । इसीलिए वह परिणामी है, ऐसा जानना चाहिए ।

विवेचन—जीवको सर्वथा नित्य माननेपर जो गमन, आगमन, अन्य स्थानसे आकर स्थित होना, शयन, आसन और भोजन आदिका व्यवहार लोकमे देखा जाता है वह भी घटित नहीं होगा । कारण इसका यह है कि गमन क्रिया करते हुए एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानेमे एक-रूपता ( नित्यता ) रह नहीं सकती, स्थितिरूप अवस्थाको छोड़कर जब वह गमन क्रियासे परिणत होगा तभी वह अन्य अभीष्ट स्थानपर पहुँच सकेगा । यही अभिप्राय आगमन आदि अन्य व्यवहारके विषयमें समझना चाहिए । इसके विपरीत जो उस जीवको सर्वथा अनित्य मानता है उसके मतमे भी उपर्युक्त गमनागमनादिका व्यवहार नहीं बन सकता । कारण यह कि यह सब व्यवहार कालक्रमकी अपेक्षा रखता है, अतः जीवको क्षणभंगुर माननेपर अनेक समयोंमें निषेध होनेवाला वह सब व्यवहार कार्य बन नहीं सकता । इसीलिए जीवको सर्वथा नित्य या अनित्य न मानकर परिणमन स्वभाववाला मानना चाहिए । पदार्थका न सर्वथा अवस्थित रहना और न सर्वथा विनष्ट होना, किन्तु उसका अवस्थान्तरको प्राप्त होना, यही परिणमनका लक्षण है । उदाहरणार्थ सुवर्णके कडेको तुड़वाकर उसकी साँकल बनवानेमें जहाँ कडेरूप पर्यायिका विनाश व साँकलरूप पर्यायिकी उत्पत्ति होती है वही उन दोनों अवस्थाओंमे सुवर्णरूपता बराबर बनी रहती है, न उसका विनाश होता है और न उत्पाद ही होता है, यही उस सुवर्णकी परिणमन-शौलता है । इस परिणमनस्वभावको जीवमे ही नहीं, बल्कि चेतन-अचेतन सभी पदार्थोंमे अनिवार्यरूपसे समझना चाहिए । तब ही लोकमें प्रचलित सब व्यवहार बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता ॥१८३॥

आगे ग्रन्थकार इसी अभिप्रायको उक्त उदाहरणके द्वारा स्वयं व्यक्त करते हैं—

जिस प्रकार सुवर्णरूपसे सभी अवस्थाओंमे अवस्थित सुवर्णकी अनेक प्रकारकी—कटक, केयूर और कर्णफूल आदि—अवस्थाएँ उत्पन्न होती हैं और विनष्ट भी होती हैं ॥१८४॥

एवं च जीवद्वयस्स द्वयपज्जवविसेसभइयस्स ।

निच्चत्तमणिचत्तं च होइ णाओवलभंतं ॥१८५॥

एवं च जीवद्वयस्य । किंविशिष्टस्य ? द्वय-पर्यायविशेषभक्तस्यानुभवसिद्धया उभयरूपतया विकल्पितस्य । नित्यत्वमनित्यत्वं च भवति न्यायोपलभ्यमानम् । पृथग्विभक्तिकरणं द्वयोरपि निमित्तभेदख्यापनार्थम् । न्यायः पुनरिह नारकाद्यवस्थानुमित्यो भिन्नास्वपि जीवान्वय उपलभ्यते, तस्मिन्च नारकादिभेद इति ॥१८५॥

द्वितीयपक्षमधिकृत्याह—

एगंतेण शरीरादन्नत्ते तस्स तक्कओ बंधो ।

न घडइ न य सो कत्ता देहादत्थंतरभूओ ॥१८६॥

एकान्तेन सर्वथा । शरीरादन्वयत्वे अभ्युपगम्यमाने । तस्य जीवस्य । किम् ? तत्कृतो बन्धः

इसी प्रकार द्वय व पर्यायरूप विशेषोमे विभक्त जीव द्वयकी नित्यत्व व अनित्यत्व रूप अवस्था न्यायसे उपलब्ध होती है ।

विवेचन—प्रमुखतासे नयके दो भेद स्वीकार किये गये हैं—एक द्रव्याधिक और दूसरा पर्यायाधिक । इनमे जिसका प्रयोजन द्रव्य रहता है, अर्थात् जो पर्यायको गौण कर द्रव्यकी मुख्यतासे वस्तुको ग्रहण किया करता है, उसे द्रव्याधिक नय कहते हैं और जो द्रव्यको गौण कर पर्यायकी प्रमुखतासे वस्तुको ग्रहण किया करता है उसे पर्यायाधिक नय कहते हैं । प्रकृतमे जीवका द्रव्य जीवत्व या चेतना है, इसकी प्रमुखतासे जब उसका विचार किया जाता है तब उसे कथंचित् नित्य कहा जाता है । कारण यह कि नर-नारकादिरूप जितनी भी जीवकी अवस्थाएँ हैं उन सभीमे उस चेतनाका अन्वय रहता है, नर-नारकादिरूप अवस्थाका विनाश होनेपर भी कभी उस चेतनाका विनाश नहीं होता, अन्यथा जडताका प्रसंग अनिवार्य प्राप्त होगा । इसके विपरीत जब उस द्रव्यको गौण कर पर्यायकी प्रमुखतासे उस जीवका विचार किया जाता है तब उक्त नर-नारकादि पर्यायोके उत्पन्न व विनष्ट होनेके कारण उस जीवकी पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा कथंचित् अनित्य भी कहा जाता है । इस प्रकार अपेक्षाकृत उसके नित्य व अनित्य माननेमे कोई विरोध नहीं है । लोकव्यवहारमे भी यही दृष्टि रहती है । जैसे—एक ही व्यक्तिको अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता और अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र कहा जाता है । इसमे किसी प्रकारका विरोध नहीं माना जाता । उक्त दोनों नयोके बिना वस्तुतः तत्त्वका विचार ही सम्भव नहीं है । इस प्रवादीके द्वारा जो नित्य पक्षमे या अनित्य पक्षमे दोष दिये गये हैं उनके प्रकृतमे सम्भव न होनेसे वह वधकी विरति सार्थक ही है, निरर्थक नहीं है ॥१८५॥

आगे दूसरे पक्षमे जो वादीके द्वारा दोष प्रदर्शित किये गये हैं उनका भी निराकरण करते हुए शरीरसे जीवके सर्वथा भिन्न माननेमे दोष दिखलाते हैं—

जीवको शरीरसे सर्वथा भिन्न माननेपर उसके शरीरके आश्रयसे किया गया बन्ध घटित नहीं होगा, इसके अतिरिक्त शरीरसे सर्वथा भिन्न होकर वह कर्ता भी नहीं हो सकता है ।

विवेचन—प्राणी शरीरके आश्रयसे जब प्राणघातादिरूप पापाचरणमे प्रवृत्त होता है तब उसके बन्ध होता है । पर वादीके मतानुसार यदि वह शरीरसे सर्वथा भिन्न है तो उस अवस्थामे

जीवस्य शरीरनिवर्तितो बन्धो न घटते, न हि स्वत एव गिरिशिखरपतितपाषाणतो जीवघाते देवदत्तस्य बन्ध इति । स्यादर्थान्तरस्यापि तत्करणकर्तृत्वेन बन्ध इत्येतदाशङ्क्याह—न चासौ कर्ता वेहादर्थान्तरभूतः, निःक्रियत्वान्मुक्तादिभिरतिप्रसङ्गादिति ॥१८६॥

स्यादेतत्प्रकृतिः करोति, पुरुष उपभुक्त इत्येतदाशङ्क्याह—

अन्नकयफलवभोगे अहृत्पसगो अचेयणं क्वह य ।

कुण्ड तक् तदभावे भुंजइ य क्वहं अमुत्तो त्ति ॥१८७॥

अन्यकृतफलोपभोगे प्रकृत्यादिनिवर्तितफलानुभवेऽभ्युपगम्यमाने<sup>१</sup>ऽतिप्रसङ्गः, भेदाविशेषे-  
ऽन्यकृतस्यान्यानुभवप्रसङ्गात् वास्तवसंबन्धाभावात् । अचेतनं च कथं करोति तत्प्रधानम्, किञ्चिद-  
ध्यवसायशून्यत्वात् घटवत् । न हि घटस्यापराप्रेरितस्य क्वचित्करणमुपलब्धम् । न च प्रेरकः पुरुषः,  
उदासीनत्वादेकस्वभावत्वाच्च । तदभावे भोग्याभावे शरीराभावे वा । भुक्ते च कथं अमूर्तं इति

उसके शरीरके आश्रयसे होनेवाला वह कमबन्ध घटित नहीं हो सकेगा । यदि कहो कि शरीरसे उसके भिन्न होनेपर भी शरीरके द्वारा को गयी क्रियासे उसके बन्ध माना जाता है, सो यह कहना भी ठाक नहीं है । कारण यह कि ऐसा माननेपर पर्वतके शिखरसे स्वयं नीचे गिरे हुए पाषाणसे किन्हीं जीवोंका घात होनेपर उससे देवदत्तके कर्मबन्धका प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि भिन्नता दोनों जगह समान है—वादीके मतानुसार जैसे जीवसे भिन्न शरीरके आश्रयसे उस जीवके बन्ध होता है उसी प्रकार देवदत्तस भिन्न उस पाषाणको क्रियासे देवदत्तके भी बन्ध होना चाहिए । पर वह वादीको भी इष्ट नहीं है । इसपर यदि वादी यह कहे कि यद्यपि जीव शरीरसे भिन्न है, फिर भी जीवको प्रेरणा पाकर ही चूँकि शरीरमें क्रिया होती है इसलिए कारणकर्तृत्वरूपसे उसके बन्ध मानना उचित है, तो यह कहना भी ठाक नहीं है, क्योंकि शरीरसे भिन्न होनेपर वह स्वयं तो क्रियासे रहित है, अतः निष्क्रिय होनेसे वह कर्ता नहीं हो सकता । और यदि निष्क्रिय होते हुए भी उसके बन्ध माना जाता है तो मुक्त आदि जीवोंके साथ अतिप्रसंग प्राप्त होता है—निष्क्रिय होते हुए उनके भी बन्ध होना चाहिए । परन्तु उनके बन्ध होना वादीको भी अभीष्ट नहीं है ॥१८६॥

यदि वादी इसे अभीष्ट मानकर यह कहे कि कर्ता तो प्रकृति है, पुरुष तो मात्र भोक्ता है, तो उसका समाधान आगे किया जाता है—

अन्य ( प्रकृति ) के द्वारा किये गये कार्यके फलका उपभोग माननेपर अतिप्रसंग अनिवार्य होगा । दूसरे, जब वह प्रकृति ( प्रधान ) अचेतन है तब वह कर भी कैसे सकती है ? नहीं कर सकती है । इसके अतिरिक्त उसके—भोग्य अथवा शरीरके—अभावमें वह अमूर्तिक पुरुष भोग भी कैसे सकता है ? नहीं भोग सकता है ।

विवेचन—साख्य मतमें प्रकृतिको कर्ता और पुरुषको भोक्ता माना गया है । इस अभिमत-  
को दूषित करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि यदि प्रकृतिके द्वारा किये गये कर्मके फलको पुरुष भोगता है, ऐसा माना जाता है तो इसमें अव्यवस्था होनेवाली है—उदाहरणार्थ देवदत्तके शरीरके द्वारा किये गये कर्मका फल जिनदत्तके भोगनेमें आ सकता है । कारण यह कि जैसे देवदत्तका शरीर उस देवदत्तसे भिन्न है वैसे ही वह जिनदत्तसे भी भिन्न है । ऐसी अवस्थामें देवदत्तके

१ कुण्ड तन्वतयभावे । २ अ 'भ्युपगम्यमाने' इत्यतोऽप्रे X एतच्चिह्न दत्त्वा 'किञ्चिदध्यवसायशून्यत्वा' पर्यन्तोऽग्निमसदर्भो न लिखितोऽत्र दृश्यते ।

बुद्धिप्रतिबिम्बोदयरूपोऽपि भोगो न युज्यते, अमूर्तस्य प्रतिबिम्बाभावात् । भावेऽपि मुक्तादिभिरति-  
प्रसङ्गः । न च सन्निहितमपि किञ्चिदेव प्रतिबिम्ब्यते न सर्वं तत्त्वभावमिति, विशेषहेत्वभावात् ।  
अलं प्रसङ्गेन ॥१८७॥

किं च—

न य चेयणा वि अणुभवसिद्धा देहंमि पावई एवं ।

तीए विरहंमि दहं सुहदुक्खाई न जुज्जंति ॥१८८॥

न च चेतनापि अनुभवसिद्धा स्पृष्टोपलब्धिद्वारेण देहे प्राप्नोति । एवमेकान्तभेदे सति ।  
न हि घटे काष्ठादिना स्पृष्टे चैतन्यम्, वेद्यते च देह इति । तस्याश्चेतनायां विरहे चाभावे च ।  
दृढमत्यर्थम् । सुख-दुःखादयो न युज्यन्ते<sup>३</sup>, न हि पाषाणप्रतिमायां सुखादयोऽचेतनत्वादिति ॥१८८॥

शरीरके आश्रयसे किये गये कर्मका फल देवदत्तको ही भोगना पड़े और जिनदत्तको नहीं भोगना पड़े, यह नियमव्यवस्था कैसे रह सकती है ? उपर्युक्त मान्यतामे वह सब प्रचलित नियमव्यवस्था भंग हो सकती है । कारण यह कि पुरुषसे सर्वथा भिन्न उस प्रकृतिका उसके साथ कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं माना गया । तब वैसी अवस्थामे वह स्वयं अचेतन होनेसे कुछ कर भी कैसे सकता है ? लोकमे अचेतन ( जड़ ) वस्तुओमे जो क्रिया देखी जाती है वह किसो चेतनकी प्रेरणासे ही देखी जाती है । जैसे—रेल व मोटर आदिमें । यदि कहा जाये कि वह प्रकृति भी चेतन पुरुषको प्रेरणा पा करके कार्यको करती है, सो यह कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि साख्य मतानुसार पुरुष उदासीन व सर्वथा एक ही स्वभाववाला है, उसके स्वभावमे परिणमन कुछ होता नहीं है और उस परिणमनके बिना प्रेरणा करना असम्भव है । अन्यथा, उसके अनित्यताका प्रसंग अनिवार्य प्राप्त होनेवाला है । उसके अतिरिक्त पुरुष जब प्रकृतिसे सर्वथा भिन्न है तब अमूर्तिक होनेसे वह शरीरके बिना भोक्ता भी कैसे हो सकता है ? शरीरके बिना वह भोग भी नहीं कर सकता है । यदि कहा जाये कि बुद्धिके प्रतिबिम्बका जो उदय है वही पुरुषका भोग है तो यह कहना भी असंगत होगा । कारण यह कि प्रतिबिम्बका मूर्तिक दर्पण आदिपर ही पड़ना सम्भव है, न कि अमूर्तिक उस पुरुषपर । यदि अमूर्तिक पर भी प्रतिबिम्ब माना जाता है तो फिर अमूर्तिक मुक्तजीवोमे भी उक्त प्रतिबिम्बकी सम्भावना रहनेसे उन्हे भी भोक्ता मानना पड़ेगा । समीपस्थ होनेपर भी किसीके ऊपर प्रतिबिम्ब पड़े और किसीके ऊपर वह न पड़े, यह नियमव्यवस्था कैसे बन सकती है ? नहीं बन सकती, क्योंकि उसका नियामक कोई विशेष हेतु नहीं है ॥१८७॥

जीवसे शरीरके सर्वथा भिन्न होनेपर उसमे चेतना व सुख-दुःख आदि भी सम्भव नहीं है—

इस प्रकारसे शरीरसे जीवके सर्वथा भिन्न होनेपर—अनुभवसिद्ध चेतना भी शरीरमे नहीं प्राप्त होती । तथा उस चेतनाके अभावमे सुख-दुःख आदि भी सर्वथा नहीं हो सकते ।

विवेचन—यह अनुभवसिद्ध है कि शरीरके कोमल गादी आदिका स्पर्श होनेपर सुखका अनुभव तथा तीक्ष्ण कांटे आदिका स्पर्श होनेपर दुःखका अनुभव होता है । परन्तु जब शरीरको आत्मासे सर्वथा भिन्न माना जाता है तब आत्मासे भिन्न उस शरीरके चेतनासे रहित होनेके कारण उक्त गादी आदि अथवा कांटे आदिका स्पर्श होनेपर भी सुख-दुःखका वेदन नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार कि जड़ घटके कोमल या कठोर किसी वस्तुका स्पर्श होनेपर उसे सुख-दुःखका वेदन नहीं हुआ करता है । पाषाण निर्मित मनुष्यको मूर्तिमे भी अचेतन होनेसे कभी सुख-दुःखका



यदि न युज्यन्ते नाम का 'हानिरित्येतदाशङ्क्याह—

सग-चंदण-विस-सत्थाइजोगओ तस्स अह य दीसंति ।

तव्भावमि वि तच्चिन्नवत्थुपगए ण एवं तु ॥१८९॥

त्वक्-चन्दन-घष शस्त्रावियोगतस्तस्य शरीरस्याथ च दृश्यन्ते स्वकीयेऽनुभवेन अन्यदीये रोमाञ्चाग्लिङ्गत इति । विपक्षे वाधामाह—तद्भावेऽपि स्रगाविभावेऽपि । तच्चिन्नवस्तुप्रगते आत्मभिन्नघटादिवस्तुसंगते न एव सुखादयो दृश्यन्ते । न हि घटे स्रगाविभिर्चाचितेऽपि देवदत्तस्य सुखादय इति ॥१८९॥

उपसंहारसाह—

अनुन्नाणुगमाओ भिन्नाभिन्नो तओ सरीराओ ।

तस्स य वहंमि एवं तस्स वहो होइ नायन्वो ॥१९०॥

अन्योन्यानुगमाज्जीव शरीरयोरन्यानुवेधाद्भिन्नाभिन्नोऽसौ जीवः शरीरात् । आह—अन्योन्य-रूपानुवेधे इतरैतररूपापत्तिस्ततश्च<sup>१</sup>

नामूर्तं मूर्तता याति मूर्तं नायात्यमूर्तताम् ।

द्रव्य द्विष्वपि कालेषु ऋयते नात्मरूपतः ॥

वेदन नहीं होता । परन्तु कोमल या कठोर वस्तुका सम्बन्ध होनेपर शरीरमे चूँकि सुख-दुःखका वेदन अवश्य होता है इसीलिए वह आत्मासे सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता ॥१८८॥

आगे इसी अभिप्रायको स्पष्ट किया जाता है—

परन्तु माला व चन्दन आदि इष्ट वस्तुओंके संयोगसे और विष व शस्त्र आदि अनिष्ट वस्तुओंके संयोगसे उस शरीरके वे सुख-दुःख अवश्य देखे जाते हैं—अपने शरीरमे जहाँ उनका वेदन अपने अनुभवसे सिद्ध है वही दूसरेके शरीरमे उनका वेदन रोमाच आदि हेतुके आश्रयसे अनुमित है । इसके विपरोत देवदत्त आदिकी आत्मासे भिन्न घट आदिसे उक्त माला आदिका सम्बन्ध होनेपर कभी देवदत्त आदिको उस प्रकारसे सुख-दुःख आदिका अनुभव नहीं होता है । इससे सिद्ध होता है कि जिस प्रकार जीवसे घट-पटादि पदार्थ सर्वथा भिन्न हैं उस प्रकारसे शरीर जीवसे सर्वथा भिन्न नहीं है, किन्तु उन दोनोंमे कथञ्चित् अभेद भी है ॥१८९॥

आगे इसका उपसंहार करते हुए निष्कर्ष प्रवट किया जाता है—

इसलिए परस्परमे अनुप्रविष्ट होनेके कारण उसे ( जीवको ) शरीरसे कथञ्चित् भिन्न और कथञ्चित् अभिन्न मानना चाहिए । इस प्रकार शरीरका वध करनेपर उस जीवके वधको जानना चाहिए ।

विवेचन—जिस प्रकार दूधमे पानीके मिलनेपर वे दोनो एक दूसरेमे अनुप्रविष्ट होकर एकक्षेत्रावगाह्रूपसे रहते हैं व इसीलिए उन दोनोमे साधारण जनके लिए भेद परिलक्षित नहीं होता है, पर स्वभावतः वे दोनो पृथक्-पृथक् ही हैं, अथवा सुवर्णमे ताँबेके मिलानेपर जिस प्रकार उन दोनोमे साधारण जनको भिन्नताका बोध नहीं होता, किन्तु हैं वे दोनो स्वभावतः पृथक् पृथक्, यही कारण है जो सुवर्णकार रासायनिक प्रक्रियासे उनको अलग-अलग कर देता है ।

१. अ युज्यते नाम क नो हानिं । २. अ तच्चिन्नवत्तगए । ३. अ त्तिस्ततज्ज । ४. अ नामूर्तं नायाति मूर्तता ।

इति वचनाद्भगवन्मतविरोधः ? न, भगवद्बोद्धदानात्<sup>१</sup> बालदानात् । नह्यनुभवविरुद्ध-  
वस्तुवादी भगवान्, नयविषयत्वात् । तस्य च शरीरस्य वधे घाते । एवमुक्तन्यायाज्जीवानुवेध-  
सिद्धौ तस्य जीवस्य वधो भवति ज्ञातव्य इति ॥१९०॥

अधुना वधलक्षणमेवाह—

तप्पज्जायविणासो दुक्खुप्पाओ अ संकिलेसो य ।

एस व्हो जिणभणिओ तज्जेयव्वो पयत्तेणं ॥१९१॥

तत्पर्यायविनाशः मनुष्यादिजीवपर्यायविनाशः, दुःखोत्पादश्च व्यापाद्यमानस्य चित्तसंक्लेशश्च  
क्लिष्टचित्तोत्पादश्चात्मनः । एष वधो व्यस्तः समस्तो वा ओघतो जिनभणितः तीर्थकरोक्तो  
वर्जयितव्यः प्रयत्नेनोपयोगसारेणानुष्ठानेनेति ॥१९१॥

इदानीमन्यद्वादस्थानकम्—

अन्ने अकालमरणस्सभावओ वहनिवित्तिमो मोहा ।

वंझासुअपिसियासणनिवित्तिजुल्लं ववँइसंति ॥१९२॥

ठीक इसी प्रकारसे जीव और शरीर एकक्षेत्रावगाहरूप होकर एक दूसरेके प्रदेशोमे अनुप्रविष्ट होते हुए स्थित रहते हैं । इससे उनमे कथंचित् अभेद होकर भी वस्तुतः भेद ही है । उनके इस भेदका अनुभव सम्यग्दृष्टिको होता है, मिथ्यादृष्टिको नहीं होता । यहाँ यह शका हो सकती है कि जब वे दोनो एक दूसरेके प्रदेशोमे अनुप्रविष्ट हैं तो उनमें इतरेतररूपताका प्रसंग प्राप्त होता है—वैसी अवस्थामें जीवको शरीर और शरीरको जीव हो जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त आगममे जो यह कहा गया है कि अमूर्त द्रव्य कभी मूर्त नहीं होता और मूर्त द्रव्य कभी अमूर्त नहीं होता है, इस आगमविरोधको भी वैसी अवस्थामे कैसे टाला जा सकता है ? नहीं टाला जा सकता । इसके उत्तरमे यहाँ यह कहा जा रहा है कि आगममे जो वैसा कहा गया है वह यथार्थ है, उसमे कुछ विरोध नहीं है । सर्वज्ञ वीतरागके द्वारा जो कुछ कहा गया है वह अनुभवसिद्ध है, अनुभवके विरुद्ध आगममे कुछ नहीं कहा गया । वह सब कथन नयसापेक्ष है । यथा—व्यवहारमे शरीरसे पृथक् जीवको नहीं देखा जाता तथा उस शरीरके आश्रयसे उसे सुख-दुखका वेदन भी होता है, इसलिए व्यवहार नयकी अपेक्षा जीव व शरीरमे कथंचित् अभेद माना गया है । परन्तु जीव जहाँ चेतन है वहाँ वह शरीर जड है—चेतनामे शून्य है, इसी प्रकार जहाँ स्वभावतः वर्णादिसे विरहित होकर अमूर्त है वहाँ वह शरीर वर्णादिसे सहित होकर मूर्त है । इस प्रकार निश्चयनयकी अपेक्षा स्वरूपभेद होनेसे उन दोनोमे कथंचित् भेद भी है । इसीलिए शरीरके वधसे उसमे सम्बद्ध जीवका वध अवश्य होनेवाला है । यही उस आगमका रहस्य है ॥१९०॥

आगे उस वधका ही लक्षण कहा जाता है—

जिससे जीवकी उस पर्यायिका—मनुष्य व हिरण आदि अवस्था विशेषका—विनाश होता है, उसे दुख उत्पन्न होता है, तथा परिणाममे संक्लेश होता है उसे जिन भगवान्के द्वारा वध कहा गया है । उसे प्रयत्नपूर्वक छोड़ना चाहिए ॥१९१॥

अब जो अकालमरणको नहीं मानते हैं उनके अभिमतानुसार वधकी असम्भवताको प्रकट किया जाता है—

अन्ये वादिनः स्वकृतकर्मफलं प्रत्युपभोगभावेन अकालमरणस्याभावाद्द्वघनिवृत्तिमेव मोहा-  
द्धेतोर्वन्ध्यासुतपिशिताशननिवृत्तितुल्यां व्यपविशन्ति—वन्ध्यासुतस्यैवाभावात्तत्पिशितस्याप्यभावः,  
पिशितं मासमुच्यते, तदभावाच्च कृतस्तस्याशनं भक्षणम् ? असति तस्मिन्निविषया तस्मिन्निवृत्तिः ।  
एवमकालमरणाभावेन वधाभावाद्द्वघनिवृत्तिरपीति ॥१९२॥

एतदेव समर्थयति—

अज्ज्ञीणे पुत्रकए न मरइ झीणे य जीवइ न कोइ ।

सयमेव ता कह वहो उवक्कमाओ वि नो जुत्तो ॥१९३॥

अक्षीणे पूर्वकृते आयुष्कर्मणि । न स्त्रियते कश्चित्, स्वकृतकर्मफलं प्रत्युपभोगाभाव-  
प्रसङ्गात् । क्षीणे च तस्मिन् जीवति न कश्चित्, अकृताभ्यागम-कृतनाशप्रसङ्गात्<sup>१</sup> । स्वयमेवा-  
त्मनैवैतदेवमिति । तत्तस्मात्कथं वधो निमित्ताभावात् ? नास्त्येवेत्यभिप्रायः । कर्मोपक्रमाद्-  
भविष्यतीत्येतदाशङ्क्याह—उपक्रमादपि अपान्तराल एव तत्सथलक्षणान्न युक्त इति ॥१९३॥

अत्रैवोपपत्तिमाह—

कम्मोवक्कामिज्जइ अपत्तकालं पि जइ तओ पत्ता ।

अकयागम-कयनासा मुक्खाणासासया<sup>३</sup> दोसा ॥१९४॥

अन्य कितने ही वादो अकालमरणके अभावसे उस वधकी निवृत्तिको अज्ञानताके कारण  
वन्ध्यापुत्रके मासके भक्षणकी निवृत्तिके समान बतलाते हैं ।

विवेचन—कितने ही वादो यह मानते हैं कि प्राणी जो भी कर्म बांधता है उसका पूरा फल  
भोग लेनेके पश्चात् ही वह यथासमय निर्जोर्ण होता है । तदनुसार जिस जीवने जितने काल  
प्रमाण आयु कर्मकी बांधा है उतने काल उसके फलको भोग लेनेपर ही वह समयानुसार नष्ट  
होती है, पूर्वमें उसका विनाश सम्भव नहीं है । इस प्रकार जब प्राणीके अकालमें मरनेकी  
सम्भावना ही नहीं है तब उसके वधकी निवृत्ति कराना इस प्रकार हास्यास्पद है जिस प्रकार कि  
वन्ध्यापुत्रके मासके भक्षणकी निवृत्ति कराना । अभिप्राय यह है कि जब बाँझ स्त्रीके पुत्रका होना  
ही असम्भव है तब उसका मास भी आकाशके फूलके समान असम्भव होगा । ऐसी अवस्थामें  
जिस प्रकार उसके मासके भक्षणका त्याग कराना अज्ञानतासे परिपूर्ण है उसी प्रकार अकालमें  
किसी भी जीवके मरनेकी सम्भावना न होनेसे उसके वधका परित्याग कराना भी अज्ञानतासे  
परिपूर्ण होगा ॥१९२॥

उक्त वादो आगे अपने इसी अभिमतका समर्थन करता है—

पूर्वकृत आयुर्कर्मके क्षीण न होनेपर कोई जीव मरता नहीं है तथा उसके क्षयको प्राप्त ही  
जानेपर कोई स्वय ही जीवित नहीं रह सकता है । फिर ऐसी अवस्थामें वध कैसे हो सकता है ?  
वैसी अवस्थामें उस वधकी सम्भावना ही नहीं रहती । यदि कहा जाये कि उपक्रमसे वह वध हो  
सकता है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उपक्रमसे भी वह वध योग्य नहीं है ॥१९३॥

उपक्रमसे वह वध क्यों योग्य नहीं है, इसके लिए वादो आगे युक्ति देता है—

यदि समयके प्राप्त होनेके पूर्व भी कर्मका उपक्रम कराया जा सकता है तो इससे अकृतका  
अभ्यागम—उसकी प्राप्ति—और कृतका नाश तथा मोक्षके विषयमें आश्वासता ये दोष प्राप्त होते हैं ।

१ अ मरणाभावाद्द्वघनिवृत्तिरपीति । २. अ जीवित न कश्चित् कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गात् । ३. अ  
मोक्खाणोसासया ।

कर्मोपक्राम्यते अर्धमागं एव क्षयमुपनीयते । अप्रामकालमपि स्वविपाकापेक्षया यदि । ततः प्राप्तावकृतागम-कृतनाशौ—अपान्तराल एव मरणादकृतागमः, प्रभूतकालोपभोग्यस्थारत<sup>१</sup> एव क्षयात्कृतनाशः । मोक्षानाश्वासता अतः मोक्षेऽनाश्वासता अनाश्वासभावः मृत्युवत्<sup>२</sup> अकृतस्यापि कर्मणो भावाशङ्कानिवृत्तेः कृतस्यापि च कर्म [ कर्मणः ] क्षयश्च नाशसंभवात् । एत एव दोषा इति एष पूर्वपक्षः ॥१९४॥

अधुनोत्तरपक्षमाह—

न हि दीर्घकालियस्स वि नासो तस्साणुभूइओ<sup>३</sup> खिप्यं ।

बहुकालाहारस्स वं दुयमग्गियरोगिणो भोगो ॥१९५॥

न हि नैव । दीर्घकालिकस्यापि प्रभूतकालवेद्यस्यापि उपक्रमतः स्वल्पकालवेदनेऽपि नाशः । तस्य कर्मणः । अनुभूतितः क्षिप्रं समस्तस्यैव शीघ्रमनुभूते । अत्रैव निदर्शनमाह—बहुकाला-हारस्येव सेतिका-पलभोगेन<sup>४</sup> वर्षशताहारस्येव । द्रुतं शीघ्रमग्निकरोगिणो भस्मकव्याधिमतो भोगः,

द्विवेचन—जो वादी अकालमरणको स्वीकार नहीं करते हैं उनका कहना है कि प्राणोने जितनी स्थिति प्रमाण-आयुर्कर्मको पूर्वमें बाँधा है उसको उतनी स्थितिके क्षीण हो जानेपर ही जीव मरणको प्राप्त होता है, इसके पूर्व वह नहीं मरता है । तथा आयुर्कर्मकी स्थितिके क्षीण हो जानेपर प्राणी कभी जीवित नहीं रह सकता है । इस प्रकार वह अन्य किसी निमित्तके बिना स्वयमेव मरणको प्राप्त होता है । ऐसी स्थितिमें जब वधकी सम्भावना ही नहीं है तब उस वधकी निवृत्ति कराना मूर्खतापूर्ण ही होगा । इसपर यदि कोई वादोसे यह कहे कि उपक्रमसे—विष-शस्त्रादिरूप आयुके अपवर्तनके निमित्तसे—उम आयुर्कर्मका क्षय नियत स्थितिके पूर्वमें भी कराया जा सकता है तो वह भी योग्य नहीं है, क्योंकि समयके प्राप्त होनेके पूर्वमें ही यदि आयुका क्षय होता है तो इससे अकृत-आगम और कृतनाश दोष उपस्थित होते हैं । कारण यह कि जितने काल प्रमाण आयुको किया गया था उतनी आयुस्थितिके भोगे बिना ही चूँकि प्राणी वाचमे ही उपक्रमसे मरणको प्राप्त हो जाता है, इसलिए यह तो अकृतागम हुआ तथा दीर्घ काल तक जिस आयुर्कर्मको भोगना चाहिए था उसका पूर्वमें ही विनाश हो गया, यह कृतका नाश हुआ । इस प्रकार उपक्रमसे बीचमें ही आयुर्कर्मका विनाश माननेपर ये दो दोष बलात् उपस्थित होते हैं । साथ ही मोक्षके विषयमें भी इस प्रकारसे कोई अश्वासन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बीचमें हुए मरणके समान अकृत कर्मके सद्भावकी शंका बनी रहनेके साथ कृत कर्मके नाशकी भी सम्भावना बनी रहती है । इस प्रकार प्रसंगप्राप्त इन दोषोके कारण जब अकालमरणकी सम्भावना नहीं है तब किसी प्राणीका वध किया ही नहीं जा सकता है । ऐसी स्थितिमें उस वधको निवृत्ति कराना निरर्थक व अज्ञानतापूर्ण ही कही जायेगी । इस प्रकारसे वादीने अपने पक्षको स्थापित किया है ॥१९२-१९४॥

अब इस अभिमतका निराकरण करते हुए दीर्घकालिक कर्मका भी शीघ्र नाश हो सकता है, इसे स्पष्ट किया जाता है—

वादीका वह कथन युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि लम्बे समय तक भोगे जानेवाले उस कर्मका उपक्रमके वश शीघ्र ही भोगनेमें आ जानेसे नाश हो जाता है । जैसे—बहुत काल तक उपभोगके

१. अ भोग्यस्थातरत । २. अ मोक्षानासाश्रयता अत एव मोक्षे अनाश्वासस्तदभाव. मृत्युवत् । ३. अ भूतिउ ।

४. अ वि दुयमग्गीयं । ५. अ पलाभोगेन ।

स हि तमेकदिवसेनैव<sup>१</sup> भुंक्ते व्याधिसामर्थ्यात् । न च तत्र किञ्चिन्नश्यति संपूर्णभोगात् । एवमुप-  
क्रमकर्मभोगोऽपि योज्यमिति ॥१९५॥

एतदेवाह—

सत्त्वं च पएसतया भुज्जइ कम्ममणुभावओ भइयं ।

तेणावस्साणुभवे के कयनासादओ तस्स ॥१९६॥

सर्वं च प्रदेशतया कर्मप्रदेशविचटन-क्षपणलक्षणया । भुज्यते<sup>२</sup> कर्म । अनुभावतो भाज्यं  
विकल्पनीयम् । विपाकेन तु कदाचिद्भुज्यते कदाचिन्नेति, क्षपकश्रेणिपरिणामादावन्यथापि  
<sup>३</sup>भोगसिद्धेरन्यथा निर्मोक्षप्रसङ्गात् । तेन कारणेन । अवश्यानुभवे प्रदेशतया नियमवेदने । के  
कृतनाशादयः ? नैव कृतनाशादय इति ॥१९६॥

किं च—

उदयक्खयक्खओवसमोवसमा जं च कंमुणो भणिया ।

दव्वाइपंचयं<sup>४</sup> पइ जुत्तमुवक्कामणैमओ वि ॥१९७॥

उदय-क्षय-क्षयोपशमोपशमाः यच्च यस्मात्कारणात्<sup>५</sup> कर्मणो भणितास्तोर्यकरणधरैः ।

योग्य आहारक अग्नि ( भस्मक ) रोगी शीघ्र ही भोग लेता है । अभिप्राय यह है कि जिस  
प्रकार सौ वर्ष तक चलनेवाले आहारको भस्मकरोगी एक ही दिनमे खाकर समाप्त कर देता है  
उसी प्रकार उपक्रमके वश दीर्घ काल तक भोगे जानेवाले कर्मका विनाश शीघ्र हो जाता  
है ॥१९५॥

आगे इसीको स्पष्ट करते हैं—

वह कर्म प्रदेशरूपसे तो सब ही भोगनेमे आ जाता है, पर अनुभाग रूपसे वह भाज्य है—  
विपाकके रूपमे वह कदाचित् भोगा भी जाता है और कदाचित् नहीं भी भोगा जाता है । इस  
कारण उसका अवश्य अनुभव कर लेनेपर वादीके द्वारा उद्भावित वे कृतनाशादिक दोष कहीं  
सम्भव है ? उनकी सम्भावना यहाँ सर्वथा नहीं है ।

विवेचन—अभिप्राय यह है कि जब उस कर्मको उपक्रमके वश प्रदेशस्वरूपसे पूरा भोग  
लिया जाता है व उसका कुछ शेष नहीं रहता है तब वादीने अकृताभ्यागम, कृतनाश और मोक्ष-  
विषयक अनाश्वासत्तारूप जिन दोषोको उद्भावित किया था उनकी सम्भावना नहीं है । विपाक-  
स्वरूपसे जो उसे भाज्य कहा गया है, इसका कारण यह है कि क्षपकश्रेणिमे अपूर्वकरणादि विशिष्ट  
परिणामोंके द्वारा उसके विपाकका वेदन अन्य रूपमे भी हुआ करता है । यदि ऐसा न हो तो बन्ध  
व निर्जराके क्रमके निरन्तर चालू रहनेपर मोक्ष कभी न हो सकेगा । इस प्रकार विपाकरूपसे  
भले ही उसका अन्यथा वेदन हो, पर प्रदेशरूपसे जब वह पूरा भोग लिया जाता है तब उक्त  
कृतनाशादि दोष सम्भव नहीं है ॥१९६॥ इसके अतिरिक्त—

कर्मके विषयमें चूँकि उदय, क्षय, क्षयोपशम और उपशम कहे गये हैं इसलिए भी द्रव्य  
आदि पाँचके निमित्तसे उपक्रम कराना योग्य है—

विवेचन—आगममे कर्मकी उदयादिरूप विविध अवस्थाओका निर्देश किया गया है । वे

१ अ व्याधिमातो भोगे सति तदेक सति तदेकदिवसेनैव । २ अ कम्मा । ३. अ क्षपणकश्रेणोपरिणा-  
मोदवेच्यथा भोगे । ४. अ दव्वातिपंचयं । ५ अ मतो । ६ अ यस्माच्च कारणात् ।

द्रव्यादिपञ्चकं प्रति द्रव्यं क्षेत्रं कालं भवं भावं च प्रतीत्य । यथा—द्रव्यं माहिषं दधि, क्षेत्रं जांगलम्, कालं प्रावृद्धलक्षणम्, भवमेकेन्द्रियादिकम्, भावमौदयादिकमालस्यादिकं वा प्रतीत्योदयो निद्रा-वेदनीयस्य । एवं व्यत्ययाना क्षयादियोजना कार्या । युक्तमुपक्रामणमतोऽपि अनेन कारणं कर्मण उपक्रमो युज्यत इति इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यम् ॥१९७॥

अन्यथेदमनिष्टमापद्यते इति दर्शयन्नाह—

जइ याणुभूइओ च्चिय खविज्जए कम्म नन्नहाणुमयं ।

तेणासंखभवाज्जियनाणागइकारणत्तणओ ॥१९८॥

यदि चानुभूतित एव विपाकानुभवेनैव । क्षप्यते कर्म, नान्यथानुमतमुपक्रमद्वारेण । तेन प्रकारेणासङ्ख्यातभवार्जितनानागतिकारणत्वात् कर्मणः असङ्ख्यातभवार्जितं हि विचित्रगति-हेतुत्वान्नारकादिनानागतिकारणमेव भवतीति ॥१९८॥

तत्र—

नाणाभवानुभवणाभावा एगंमि पज्जएणं वा ।

अणुभवओ बंधाओ मुक्खाभावो स चाणिट्ठो ॥१९९॥

नानाभवानुभवनाभावादेकस्मिन् । तथाहि—नानुपक्रमतो नारकादिनानाभवानुभवनमेक-स्मिन् भवे । पर्यायतो वानुभवतः विपाकानुभवक्रमेण वा क्षपयतः । बन्धादिति नारकादिभवेषु चारित्राभावेन प्रभूततरबन्धान्मोक्षाभाव आपद्यते, स चानिष्ट इति ॥१९९॥

जब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके आश्रयसे हुआ करती हैं तब उस कर्मका उपक्रम युक्ति-संगत ही है । उदाहरणार्थ—निद्रा दर्शनावरणका उदय द्रव्यमे भँसके दही, क्षेत्रमे जांगल, कालमे वर्षाकाल, भवमे एकेन्द्रियादि अवस्था और भावमें औदयिकादि भाव या आलस्य आदिके आश्रयसे हुआ करता है । इसी प्रकार विपरीत रूपसे उसके क्षय आदिको भी जानना चाहिए । इस कारण-से भी कर्मका उपक्रम मानना उचित है ॥१९७॥

आगे उपक्रमके बिना जो अनिष्टका प्रसंग प्राप्त होता है उसे दिखलाते हैं—

यदि अनुभवनसे ही कर्मका क्षय होता है, अन्य प्रकारसे—उपक्रमके बिना—उसका क्षय नहीं माना जाता है तो उस प्रकारसे असख्यात भवोमे उपार्जित नाना गतियोंके कारणभूत उस कर्मके फलका एक भवमे भोगना अशक्य होगा ॥१९८॥

अशक्य कैसे होगा, इसे आगे स्पष्ट किया जाता है—

कारण यह कि एक भवमे अनेक भावोका अनुभव करना सम्भव नहीं है । अथवा पर्याय-से—विपाकके क्रमसे—कर्मका यदि अनुभव किया जाये तो बन्धका प्रसंग अनिवार्य प्राप्त होता है, तब वैसी स्थितिमे मोक्षका अभाव हो जायेगा, जो इष्ट नहीं है ।

विवेचन—जैसा कि वादीको अमोष्ट है तदनुसार अनुभागके क्रमसे फलके भोग लेनेपर ही कर्म क्षयको प्राप्त होता है, उपक्रमसे वह क्षोण नहीं होता; ऐसा माननेपर यह एक आपत्ति उपस्थित होती है कि असख्यात भवोमे जिस कर्मको उपार्जित किया गया है वह उन अनेक गतियोंका कारण होगा, जिनका उपक्रमके बिना एक भवमे अनुभव करना असम्भव है । इसपर यदि यह कहा जाये कि विपाकके क्रमसे अनुभव करते हुए ही उसका क्षय सम्भव है तो यह

निदर्शनगर्भमुपपत्त्यन्तरमाह—

किञ्चिदकाले वि फल पाइज्जइ पच्चए य कालेण ।

तह कम्मं पाइज्जइ कालेण विपच्चए चन्नं ॥२००॥

किञ्चिदकालेऽपि पाककालावारतोऽपि । फलमात्रफलादि । पाच्यते गर्ताप्रक्षेप-कोद्रवपलाल-  
स्थगनादिनोपायेन । पच्यते च कालेन किञ्चित्त्रस्यमेव स्वकालेन पच्यते । यथेदं तथा कर्म  
पाच्यते उपक्राम्यते<sup>१</sup> विचित्रैरुपक्रमहेतुभिः । कालेन विपच्यते चान्यत् विशिष्टानुपक्रमहेतून् विहाय  
विपाककालेनैव विपाक गच्छतीति ॥२००॥

दृष्टान्तान्तरमाह—

भिन्नो जहेह कालो तुल्ले वि पहंमि गइविसेसाओ ।

सत्ये व गहणकालो मइमेहाभेयओ भिन्नो ॥२०१॥

भिन्नो यथेह कालो ऽर्धप्रहरादिलक्षणस्तुल्येऽपि पथि समाने योजनादौ मार्गे । गतिविशेषाद्  
गमनविशेषेण शीघ्रगतिरर्धप्रहरेण गच्छति, मध्यमः प्रहरेणेत्यादि । शास्त्रे वा व्याकरणादौ  
ग्रहणकालो मतिमेधाभेदाद्भिन्नः कश्चिद्द्वादशभिर्द्वेषैः तदधीते, कश्चिद्वर्षद्वयेनेत्यादि ॥२०१॥

एष दृष्टान्तोऽयमर्थोपनयः—

भी उचित नहीं होगा, क्योंकि यथाक्रमसे नारकादि भवोंमें उसका अनुभव करते हुए वहाँ चारित्र्य-  
के सम्भव न होनेसे उत्तरोत्तर बन्ध ही अधिक होनेवाला है । ऐसी अवस्थामें बन्धकी  
उस प्रक्रियाके चालू रहनेपर मोक्षकी प्राप्ति असम्भव हो जावेगी जो वादोको भी इष्ट नहीं  
होगी ॥१९८-१९९॥

इसके लिए दृष्टान्तपूर्वक अन्य युक्ति भी दी जाती है—

आम आदि कोई फल अकालमें भी—पाक—कालके पूर्वमें भी गड्ढेमें या कोदोके पलाल  
आदिमें रखकर कृत्रिम उपायसे—पका लिया जाता है, और कोई फल बाहरी उपायके बिना  
वृक्षपर ही संलग्न रहकर समयपर भी पकता है । उसी प्रकारसे कोई कर्म तपश्चरण आदि रूप  
उपक्रमके विविध कारणोंके द्वारा अपनी स्थितिके पूर्वमें विपाकको प्राप्त करा दिया जाता है तथा  
अन्य कोई कर्म उपक्रमके बिना समयके अनुसार ही विपाकको प्राप्त होता है ॥२००॥

आगे दूसरा दृष्टान्त भी उपस्थित करते हैं—

जिस प्रकार मार्गके लम्बाईमें समान होनेपर भी पथिकोंकी गतिकी भिन्नतासे उसके पूरा  
करनेमें भिन्न-भिन्न समय लगता है—शीघ्र गतिवाला पुरुष जहाँ उसे घण्टे-भरमें पूरा कर लेता  
है वही मन्द गतिवाला उसे डेढ़-दो घण्टोंमें पूरा कर पाता है । अथवा जैसे व्याकरण आदि  
विषयक किसी शास्त्रके अध्ययनमें बुद्धि व मेधाकी भिन्नतासे भिन्न समय लगता है—कोई तीक्ष्ण-  
बुद्धि शिष्य जहाँ उसे छह मासमें पढ़ लेता है वही मन्दबुद्धि शिष्य उसीको वर्ष-भरमें या उससे  
भी अधिक समयमें पढ़ पाता है ॥२०१॥

आगे इन दृष्टान्तोंसे दार्ष्टान्तिकी समानता प्रकट की जाती है—

१. अ<sup>०</sup>मेव कालेन । २. अ<sup>०</sup>उपक्रम्यते । ३. अ<sup>०</sup>भिन्ने । ४. अ<sup>०</sup>'जहे-' इत्यतोऽग्रे टीकागत 'लक्षणस्तुल्ये'  
पदपर्यन्त पाठ. स्वलितोऽस्ति । ५. अ<sup>०</sup>मार्गगति ।

तह तुल्लंमि वि कम्मं परिणामाइकिरियाविसेसाओ ।

भिन्नो अणुभवकालो जिट्ठो मज्झो जहन्नो य ॥२०२॥

तथा तुल्येऽपि कर्मणि कर्मद्रव्यतया । परिणामादिक्रियाविशेषात्तीव्र-तीव्रतरपरिणाम-  
बाह्यसंयोगक्रियाविशेषेण । भिन्नोऽनुभवकालः कर्मणः । कथम् ? ज्येष्ठो मध्यो जघन्यश्च—  
ज्येष्ठो निरुपक्रमस्य यथावद्वेदनकालः, मध्यस्तस्यैव तथाविधतपश्चरणभेदेन, जघन्यः क्षपकश्रेण्य-  
नुभवनकालः शैलेस्यनुभवनकालो वा; तथाविधपरिणामबद्धस्य तत्तत्परिणामानुभवनेन, अन्यथा  
विरोध इति ॥२०२॥

दृष्टान्तान्तरमाह<sup>३</sup>—

जह वा दीहा रज्जू उज्झइ कालेण पुंजिया खिप्यं ।

वियओ<sup>४</sup> पडो वि सूसइ पिंडीभूओ उ कालेणं ॥२०३॥

उसो प्रकार कर्मके समान होनेपर भी परिणाम आदि क्रियाविशेषसे उसके अनुभवका  
काल उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य रूपसे भिन्न हुआ करता है ।

विवेचन—अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार वृक्षसे सलग्न आम आदि फल स्वाभाविक  
रूपसे कुछ लम्बे समयमें पक पाते हैं, पर उन्हीं फलोंको जब वृक्षसे तोड़कर पलाल आदिके मध्यमें  
रख दिया जाता है तब वे फल कुछ जल्दी ही पक जाते हैं । अथवा किसी नगरविशेषको जाने-  
वाले मार्गको दूरीको मन्द गतिसे जानेवाला पुरुष उस मार्गसे चलकर विलम्बसे नगरमें पहुँचता  
है, किन्तु शीघ्र गतिसे जानेवाला अन्य पुरुष उसी मार्गसे चलकर पूर्व पुरुषकी अपेक्षा शीघ्र ही  
नगरमें जा पहुँचता है । अथवा जिस प्रकार मन्दबुद्धि शिष्य जिस व्याकरणादि विषयक ग्रन्थ  
को पढ़कर दीर्घकालमें समाप्त कर पाता है उसे ही पढ़कर तीव्र बुद्धिवाला शिष्य शीघ्र समाप्त कर  
देता है । ठीक इसी प्रकारसे जो कोई कर्म जिस स्थिति और अनुभागके साथ बाँधा गया है वह  
उपक्रमके बिना स्वाभाविक रूपमें उतनी स्थिति व अनुभागके भोग लेनेपर ही सविपाक निर्जरासे  
निर्जीर्ण होता है । यह उसका उत्कृष्ट काल है । पर उक्त स्थिति व अनुभागके साथ बाँधा गया  
वही कर्म उपक्रमके वश तपश्चरण विशेषसे बद्ध स्थिति और अनुभागको होन कर समयके पूर्व ही  
निर्जराको प्राप्त करा दिया जाता है । इस उसका मध्यम काल कहा जायेगा । वही कर्म क्षपकश्रेणि  
आरूढ़ हुए सयतके परिणामोकी विशेषतासे अतिशय हीन स्थिति व अनुभागके रूपमें भोगा जाता  
है, अथवा शैलेशी अवस्थामें अयोगकेवलीके वह कर्म सर्वजघन्य स्थिति व अनुभागके साथ ही  
निर्जीर्ण होता है । यदि ऐसा न माना जाये तो मुक्तिकी प्राप्ति भी असम्भव हो जावेगी । इसे  
उसका जघन्य समझना चाहिए । इस प्रकार परिणामोकी विशेषताके अनुसार कर्म जब बन्धकी  
अपेक्षा भिन्न स्वरूपसे अनुभवमें आता है तब पूर्वोक्त अकृतागम व कृतनाशादि दोषोकी सम्भा-  
वना नहीं है ॥२००-२०२॥

आगे रस्सी व वस्त्रका भी दृष्टान्त दिया जाता है—

१. अ 'परिणामा' इत्यतोऽग्ने टीकागत 'परिणामा' पर्यन्त पाठ स्वलितोऽस्ति । २ अ यथावद्वेदन° ।

३. अ दृष्टान्तमाह । ४. अ वियतो ।



यथा वा दीर्घा रज्जुः पर्यन्तदीपिता सती तथाक्रमेणैव दह्यते, कालेन प्रदीर्घेणेति भावः । पुञ्जिता क्षिप्र शीघ्रमेव दह्यते । विततः पटो वा जलाद्रोऽपि शुष्यति । क्षिप्रमिति वर्तते । पिण्डी-भूतस्तु कालेन शुष्यति प्रदीर्घेणेति हृदयम्, न च तत्राधिकं जलमिति ॥२०३॥

अत्राह—

नणु तं न जहोवचियं तद्हाणुभवओ कयागमाईया ।

तप्पाओगं चिय तेण तं चियं सज्झरोगुं व्व ॥२०४॥

नन्वेवमपि तत्कर्म । न यथोपचित तथानुभवतः वर्षशतभोग्यतयोपचितं उपक्रमेणारादेवानु-भवतोऽकृतागमादयस्तदवस्था एव । अत्रोत्तरमाह—तत्प्रायोग्यमेवोपक्रमप्रायोग्यमेव तेन तच्चित्तं वद्धम् । किंवदित्याह—साध्यरोगवत् साध्यरोगो हि मासादिवेद्योऽप्यौषधैरपान्तराल एवोपक्रम्यत इति ॥२०४॥

तथा चाह—

अणवकमओ नासइ कालेणोवकमेण खिप्पं पिं ।

कालेणैवासज्झो सज्झासज्झ त्हां कम्मं ॥२०५॥

अनुपक्रमत. औषधोपक्रममन्तरेण । नश्यत्यपैति । कालेनात्मीयेनैव । उपक्रमेण क्षिप्रमपि नश्यति । साध्ये रोगे इय स्थितिः । कालेनैवासाध्य उभयमत्र न सभवति । साध्यासाध्य तथा कर्म साध्ये उभयम्, असाध्ये एक एव प्रकार इति ॥२०५॥

अथवा जिस प्रकार क्रमसे जलती हुई लम्बी रस्सी दीर्घ कालमे जल पाती है, पर वही पुंजित ( इकट्ठा ) कर देनेपर शीघ्र हो भस्म हो जाता है, अथवा जैसे फैलाया गया गोला वस्त्र भी शीघ्र सूख जाता है, पर वही पिण्डाभूत ( इकट्ठा ) होनेपर दीर्घ कालमें सूख पाता है ॥२०३॥

आगे वादीके द्वारा की गयी शकाको दिखलाकर उसका समाधान किया जाता है—

यहाँ वादी कहता है कि जीवने जिस प्रकारसे कर्मका सचय नहीं किया है उस प्रकारसे यदि वह उसका अनुभव करता है तो वे अकृताभ्यागम आदि दोष तदवस्थ रहनेवाले हैं—उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है । इस शकाके समाधानमें कहा जाता है कि जीवने उसके योग्य—उपक्रमके योग्य—हो उसे सचित किया है, जैसे साध्य रोग ॥२०४॥

इसे आगे स्पष्ट किया जाता है—

कर्म उपक्रमके बिना समयानुसार ही विनष्ट होता है, वही उपक्रमके द्वारा शीघ्र भी नष्ट हो जाता है । जैसे—असाध्य रोग समयपर ही नष्ट होता है, किन्तु साध्य रोग समयपर भी नष्ट होता और उससे पूर्व भी । यही स्थिति साध्य व असाध्य कर्मके विषयमे भी जानना चाहिए ।

चिन्तेन—अभिप्राय यह है कि कर्मको सौ या दो सौ वर्ष आदि कालमें भोगनेके योग्य जिस अवस्थामे बाँधा गया है वह उस रूपमे न नष्ट होकर यदि उसके पूर्व भी उपक्रमके द्वारा नष्ट होता है तो उस अवस्थामे पूर्वमे दिये गये अकृताभ्यागम आदि दोष तदवस्थ ही रहेगे । इस शकाके उत्तरमे यहाँ यह कहा गया है कि जिस प्रकार साध्य रोग उपक्रमके बिना समयपर ही नष्ट होता है, किन्तु वह उपक्रमके द्वारा—औषधि आदिके आश्रयसे—समयके पूर्व भी नष्ट होता

साध्यासाध्ययोरेव स्वरूपमाह—

सोवक्कममिह सज्झं इयरमसज्झं ति होइ नायव्वं ।

सज्झासज्झविभागो एसो नेओ जिणाभिहिओ ॥२०६॥

सोपक्रममिह साध्यम्, 'तथाविधपरिणामजनितत्वात् । इतरन्निरूपक्रमसाध्यमेव भवति ज्ञातव्यम् । साध्यासाध्यविभागः एष ज्ञेयो जिनाभिहितस्तीर्थकरोक्त इति ॥२०६॥

निगमयन्नाह—

आउस्स उवक्कमणं सिद्धं जिणवयणओ य सद्धेयं<sup>१</sup> ।

जं छउमत्थो सम्मं नो केवल्लिए मुणइ भावे ॥२०७॥

आयुष उपक्रमणं सिद्धमुक्तन्यायात् । जिनवचनाच्च भवति श्रद्धेयम् । किमित्यत्रोपपत्तिमाह—  
यद्यस्माच्छब्दस्थः अर्वाग्दर्शी । सम्यग्शेषधमपिक्षया । न केवलज्ञानगम्यान् मुणति भावान् जानाति पदार्थानिति ॥२०७॥

प्रकृतयोजनायाह<sup>२</sup>—

एयस्स य जो हेऊ सो वहओ तेण तन्नित्ति य<sup>३</sup> ।

वंझासुयपिसियासणनिवित्तितुल्ला कं होइ ॥२०८॥

हुआ देखा जाता है उसी प्रकार साध्य—उपक्रमके योग्य बांधा गया—कर्म भी उपक्रमके बिना तो समयपर ही नष्ट होता है, किन्तु उपक्रमके वश वह बांधी गयी स्थितिके पूर्व भी नष्ट हो जाता है । इसलिए उन अकृताभ्यागम आदि दोषोकी सम्भावना वहाँ नहीं रहती । हाँ, जिस प्रकार असाध्य रोगमे यह क्रम सम्भव नहीं है—वह समयपर ही नष्ट होता है—उसी प्रकार असाध्य कर्म भी समयपर ही नष्ट हुआ करता है । इस प्रकार रोगके समान कर्मको भी साध्य व असाध्यके भेदसे दो प्रकारका जानना चाहिए ॥२०४-२०५॥

आगे इस साध्य व असाध्यके स्वरूपको ही प्रकट किया जाता है—

प्रकृतमे उपक्रम सहित कर्मको साध्य और इतर—उस उपक्रमसे रहित—को असाध्य जानना चाहिए । यह कर्मका साध्य व असाध्य रूप विभाग जिनदेवके द्वारा कहा गया जानना चाहिए ॥२०६॥

आगे इस सबका निष्कर्ष प्रकट किया जाता है—

प्रकृतमें आयुका उपक्रम जिनागमसे सिद्ध है, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए । कारण यह है कि छद्मस्थ ( अल्पज्ञ ) जीव केवलज्ञानके विषयभूत पदार्थोको समीचीनतया नहीं जानता है ॥२०७॥

अब आगे इसका प्रकृतसे सम्बन्ध जोडा जाता है—

इस उपक्रमका जो हेतु है—दण्ड आदिके द्वारा प्राणीको पीडा पहुँचानेवाला है—वह वधक ( हत्यारा ) है । इसलिए उस वधकी निवृत्ति बाँझ स्त्रीके पुत्रके माँके भक्षणकी निवृत्तिके समान कैसे हो सकती है ।

१. अ आउस्सवक्कमणसिसिद्ध जणवयणठ य सेद्धेय । २. अ प्रकृतियोजनामाह ( अतोऽग्रे 'यद्यस्मात् छद्मस्थ' इत्येतावानधिक पाठ लिखितोऽस्ति पूर्वगाथागतटीकाया ) । ३. अ वहगो जेण तं निवित्तैव ।

४ अ पिसियासिणिनिवित्तितुल्ला ।

एतस्य चोपक्रमस्य यो हेतुर्दण्डादिपीडाकरणेन स वधकः असौ हन्ता येन कारणेन तन्निवृत्तिः वधनिवृत्तिः एवं<sup>३</sup> वध्यासुतपिञ्जिताशननिवृत्तितुल्या कथं भवति सविषयत्वाद्वधनिवृत्तेरिति ॥२०८॥

अधुनान्यद्वादस्थानकम्—

अन्ने भणंति कम्मं जं जेण कयं स भुज्जइ तयं तु ।

चित्तपरिणामरूपं अणेगसहकारिसाविकखं ॥२०९॥

अन्ये भणन्ति—कर्म ज्ञानावरणादि । यद्येन कृतं प्राणिना । स भुङ्क्ते तदेव चित्रपरिणामरूपं कर्मानेकसहकारिसापेक्षम् अस्मादिदं प्राप्तव्यमित्यादिरूपमिति ॥२०९॥

तक्कयसहकारित्तं पवज्जमाणस्स को वहो तस्स ।

तस्सेव तओ दोसो जं तह कम्मं कयमणेणं ॥२१०॥

तत्कृतसहकारित्व व्यापाद्यकृतसहकारित्वम् । प्रपद्यमानस्य को वधस्तस्य व्यापादकस्य । तस्यैव व्यापाद्यस्यासौ दोषो यत्तथा कर्म अस्मान्मया मर्तव्यमिति विपाकरूपम् । कृतमनेन व्यापाद्येनेति ॥२१०॥

एतदेव समर्थयति—

जइ तेण तहा अकए तं वहइ तओ सतंतभावेण ।

अन्नं पि किं न एवं वहेइ अणिवारियप्पसरो ॥२११॥

विवेचन—प्रकृतमे वादोने अकालमरणको असम्भव बतलाकर प्राणिवधकी निवृत्तिको बन्ध्यापुत्रके मासके भक्षणकी निवृत्तिके समान अज्ञानतापूर्ण कहा था ( गा १९२ ) । उसका निराकरण करते हुए यहाँ यह सिद्ध किया गया है कि उपक्रमके द्वारा जब आयुका विनाश पूर्वमें भी सम्भव है तब अकालमरणको असम्भव नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार जब अकालमरण प्रमाणसे सिद्ध है तब उस वधको निवृत्ति कराना सर्वथा उचित है—उसे बन्ध्यापुत्रके मासके भक्षणकी निवृत्तिके समान अज्ञानतापूर्ण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह निर्विषय नहीं है, यह सिद्ध किया जा चुका है । जो व्यक्ति उस आयुके उपक्रमका कारण होता है—लाठी व छुरी आदिके द्वारा प्राणीको पीडा पहुँचाता है—वह वधक कहलाता है । उसके इस क्रूरतापूर्ण क्रृत्यसे पापका संचय होता है । इससे उसे प्राणिवधका परित्याग कराना योग्य ही है ॥२०८॥

अब आगे चार ( २०९-२१२ ) गाथाओमें अन्य किन्हीं वादियोंके अभिमतको दिखलाते हैं—दूसरे कितने ही वादी यह कहते हैं कि जिस जीवने जिस कर्मको किया है वह नियमसे अनेक प्रकारके परिणामस्वरूप उप कर्मको अनेक सहकारी कारणोकी अपेक्षासे भोगता है ॥२०९॥

वध्यमान उस जीवके द्वारा की गयी सहकारिताको प्राप्त होनेवाले वधकके उस वध्यमान जीवके वधका कौन-सा दोष है ? उसका उसमें कुछ भी दोष नहीं है । वह दोष तो उस वध्यमान प्राणीका ही है, क्योंकि उसने उस प्रकारके—उसके निमित्तसे मारे जानेरूप—कर्मको किया है ॥२१०॥

यदि तेन व्यापाद्येन । तथा तेन प्रकारेण अस्मान्तं व्यमित्यादिलक्षणेन । अकृते अनुपात्ते, कर्मणीति गम्यते । तं व्यापाद्यम् । हन्ति व्यापाद्यति । तको वधकः । स्वतन्त्रभावेन स्वयमेव कथंचित् । अत्र दोषमाह—अन्यमपि देवदत्तादिकम् । किं न एवं हन्ति यथा तम्, निमित्ताभावस्या- विशेषात् । अनिवारितप्रसरः स्वातन्त्र्येण व्यापादनशील इति ॥२११॥

न यं सन्वो सन्वं चियं वहेइ निययस्सभावओ अहं नं ।

वज्झस्स अफलकम्मं वहगसहावेण मरणाओ<sup>३</sup> ॥२१२॥

न च सर्वो व्यापादकः । सर्वमेव व्यापाद्यं हन्ति, अदर्शनात् । नियतस्त्रभावतोऽथ न अर्थैवं मन्यसे नियतहन्तृत्वभावात् न सर्वान् हन्तीत्येतदशङ्क्याह—वधप्रस्य व्यापाद्यस्याफलं कर्म । कुतो वधकस्वभावेन मरणात् । यो हि यद्व्यापादनस्वभावः स तं व्यापाद्यतीति निःफलं कर्मापद्यते । न चैतदेवम् । तस्मात्तस्यैवासौ दोषो यत्तथा कर्म कृतमनेनेति । वधकोऽनपराध इति एष पूर्वपक्षः ॥२१२॥

वध्यमान प्राणीके द्वारा उस प्रकारके कर्मके न किये जानेपर भी यदि वह स्वतन्त्रतासे उसे मारता है तो फिर वैसे अवस्थामे वह उस प्रकारसे अन्य भी किसी प्राणीको बिना रुकावटके ( स्वतन्त्रतासे ) क्यों नहीं मारता है ? अन्य किसी भी प्राणीको मार सकता था ॥२११॥

पर सब ( वधक ) सभीका वध नहीं करते हैं । इसपर यदि यह कहा जाये कि नियत स्वभाववाले होनेसे सब वधक सबको नहीं मारते हैं, नियत प्राणीको ही मारते हैं तो वैसे अवस्थामे वध्य ( मारे जानेवाले ) प्राणीका वह कर्म निष्फल हो जायेगा, क्योंकि वह वधकके स्वभावसे मरणको प्राप्त होता है, न कि स्वकृत कर्मके प्रभावसे ॥२१२॥

विवेचन—इन वादियोंका अभिप्राय यह है कि जिम जीवने जिस प्रकारके कर्मको किया है उसे उस कर्मके विपाकके अनुसार उसके फलको भोगना ही पडता है । वध करनेवाला प्राणी तो उसके इस वधमें निमित्त मात्र होता है । वह भी इसलिए कि उसने 'मैं इसके निमित्तसे मरूँगा' ऐसे ही कर्मको उपाजित किया है । इस प्रकार वध करनेवालेको जब उसके ही कर्मके अनुसार उसके वधमे सहकारी होना पडता है तब भला इसमे उम बेचारे वधकका कौन-सा अपराध है ? उसका कुछ भी अपराध नहीं है । कारण यह कि वध्यमान प्राणीने न वैसे कर्म किया होता न उसके हाथो मरना पडता । प्रकृत वादियोंके द्वारा अपने उपर्युक्त अभिमतको पुष्ट करते हुए कहा जाता है कि मरनेवाले प्राणीने यदि 'मैं अमुकके निमित्तमे मरूँगा' इस प्रकारके कर्मको नहीं किया है तो फिर जब वधक इस वधकार्यमें स्वतन्त्र है तब क्या कारण है जो वह उसी प्राणीको तो मारता है और अन्य प्राणीको नहीं मारता है । परन्तु यह प्रत्यक्षमे देखा जाता है कि सब सभी प्राणियोंको नहीं मारते हैं, किन्तु वधक किसी विशेष प्राणीका ही वध करता है, अन्यका नहीं । इससे सिद्ध होता है कि जिसने अमुक प्राणीके द्वारा मारे जानेपर कर्मको बांधा है वही उसके द्वारा मारा जाता है, अन्य नहीं मारा जाता । इसपर यदि प्रतिवादी यह कहे कि वधक अपने नियत स्वभावके अनुसार विवक्षित प्राणीका ही वध करता है, अन्यका वध वह नहीं करता है, सो यह भी युक्तिसगत नहीं है । कारण यह है कि वैसे माननेपर मारे जानेवाले प्राणीका वह कर्म निरर्थक सिद्ध होगा । इसका भी कारण यह है कि प्रतिवादीके उक्त अभिमतके अनुसार वह अपने द्वारा उपाजित कर्मके उदयसे तो नहीं मारा गया, किन्तु वधकके नियत स्वभावके अनुसार मारा

अत्रोत्तरमाह—

नियकयकम्भुवभोगे वि संकिलेसो धुवं 'वहंतस्स ।

तत्तो वंधो तं खलु तच्चिरईए विवज्जिज्जा ॥२१३॥

निजकृतकर्मोपभोगेऽपि व्यापाद्यव्यापत्तौ स्वकृतकर्मविपाकेऽपि सति । तस्य संक्लेशो-  
ऽकुशलपरिणामो ध्रुवमवश्यं घ्नतो व्यापादयतस्ततस्तस्मात्संक्लेशाद्वन्धस्तं खलु तमेव बन्धम् ।  
तद्विरत्या वधविरत्या वर्जयेदिति ॥२१३॥

तत्तु च्चिय मरियव्वं इय वद्धे आउयंमिं तच्चिरई ।

नणु किं साहेइ फलं तदारओ कम्मखवणं तु ॥२१४॥

तत एव देवदत्तादे' सकाशात् । मर्तव्यम् इय एवमनेन प्रकारेण । वद्धे आयुषि उपात्ते  
आयुष्कर्मणि व्यापाद्येन । वधविरतिर्ननु किं साधयति फलम्, तस्यावश्यभावित्वेन तदसंभवात्  
विरत्यसंभवात् ? न किंचिदित्यभिप्रायः । अत्रोत्तरम्—नदारतः कर्मक्षपणं तु मरणकालादारतः  
वधविरतिः कर्मक्षयमेव साधयतीति गार्थार्थः ॥२१४॥

एतदेव भादयति—

तत्तु च्चिय सो भावो जायइ सुद्धेण जीववीरिएणं ।

कस्सइ जेणं तयं खलु अवहित्ता गच्छई मुक्खं ॥२१५॥

गया है । इससे यही सिद्ध होता है कि मारे जानेवाले प्राणीने जिस प्रकारके कर्मको उपार्जित  
किया है तदनुसार ही वह अमुक वधके द्वारा मारा जाता है । इसलिए इसमें जब मारनेवालेका  
कुछ अपराध नहीं है तब उक्त प्रकारसे वधकी निवृत्ति कराना व्यर्थ है । इस वादीने उपर्युक्त  
चार गाथाओमें अपने पूर्व पक्षको स्थापित किया है ॥२०२-२१२॥

आगे वादीके इस अभिमतका निराकरण किया जाता है—

स्वकृत कर्मके उपभोगमें भी वध करनेवालेके परिणाममें निश्चयसे जो संक्लेश होता है  
उससे उसके कर्मका बन्ध होता है । उसे उस वधका व्रत करानेसे छुड़ाया जाता है ।

विवेचन—जो प्राणी किसी वधकके हाथों मारा जाता है वह यद्यपि अपने द्वारा किये गये  
कर्मके ही उदयसे मारा जाता है व तज्जन्य दुखको भोगता है, फिर भी इस क्रूर कार्यसे मारने-  
वालेके अन्तःकरणमें जो संक्लेश परिणाम होता है उससे निश्चित ही उसके पाप कर्मका बन्ध  
होनेवाला है । उपर्युक्त उस वधविरतिके द्वारा उसे इस पाप कर्मके बन्धसे बचाया जाता है जो  
उसके लिए सर्वथा हितकर है ॥२१३॥

आगे वादीकी ओरसे प्रसंगप्राप्त शंकाको उठाकर उसका समाधान किया जाता है—

वादी पूछता है कि मरनेवाले प्राणीने जब उसके निमित्तसे ही मारे जाने रूप आयु कर्मको  
बाँधा है तब उसके होते हुए वधकी विरति करानेसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होता है ? उसका कुछ  
भी फल नहीं है । कारण यह कि उक्त प्रकारसे बाँधे गये कर्मके अनुसार उसे उसीके हाथों मरना  
पड़ेगा । वादीकी इस शंकाके उत्तरमें यहाँ यह कहा गया है कि मरणकालके पूर्वमें ग्रहण करायी  
उस वधकी विरतिसे उसके कर्मका क्षय होनेवाला है, यही उस वधविरतिके फल है ॥२१४॥

इसे आगे स्पष्ट किया है—

१ अ नियकम्मं कम्मवि भोग वि संकिलेसे साहुव । २, अ आउयमि । ३, अ जायइ सुद्धेण जीवविरिएण ।

तत एव वधविरतेः । स भावः चित्तपरिणामलक्षणः । जायते शुद्धेन जीववीर्येण कर्मानभि-  
भूतेनात्मसामर्थ्येन । कस्यचित्प्राणिनः । येन भावेन । तर्कं व्यापाद्यम् । अवधित्वा अहत्त्वैव । गच्छति  
मोक्षं प्राप्नोति निर्वाणमिति ॥२१५॥

इय तस्स तयं कम्मं न जहकयफलं ति पावई अह तु ।

तं नो अज्झवसाणा ओवट्टणमाइभावाओ ॥२१६॥

इय एवमुक्तेन न्यायेन । तस्य व्यापाद्यस्य तत्कर्म अस्मान्मर्तन्वप्रमित्यादिलक्षणम् । न  
यथाकृतफलमेव ततो मरणाभावात्प्राप्नोत्यापद्यते । अथ त्वमेव मन्यसे इत्याशङ्क्याह—तत्र  
तदेतन्न, अध्यवसायात्तथाविधचित्तविशेषादपवर्तनादिभावात्तथा ह्यास-संक्रमानुभवश्रेणिवेदनादिति  
गाथार्थः ॥२१६॥

सकयं पि अपेगविहं तेण पगारेण भुंजिउं सव्वं ।

अपुव्वकरणजोगा पावइ मुक्खं तु किं तेण ॥२१७॥

किं च स्वकृतमप्यात्मोपात्तमप्यनेकविधं चतुर्गतिनिबन्धनम् । तेन प्रकारेण चतुर्गतिवेद्य-

उस वधविरतिसे किसी जोवके निर्मल आत्माके सामर्थ्यसे वह परिणाम प्रादुर्भूत होता है  
कि जिसके आश्रयसे वह उस प्राणीका घात न करके मोक्षको प्राप्त कर लेता है ।

विवेचन—यह ऐकान्तिक नियम नहीं है कि जिसने अमुक ( देवदत्त आदि ) के हाथसे  
मारे जानेरूप आयु कर्मको बाँधा है वह उसीके द्वारा मारा जाये । कारण यह कि उस वधकके  
ग्रहण करायी गयी वधकी विरतिसे कदाचित् निर्मल आत्मपरिणामके बलसे वह भाव उत्पन्न  
होता है कि जिसके प्रभावसे वह उस वध्य प्राणीका घात न करके मुक्तिको प्राप्त कर लेता  
है ॥२१५॥

इसपर वादीके द्वारा जो आशंका उठायी गयी है उसका निराकरण किया जाता है—

वादी कहता है कि इस प्रकारसे तो उस वध्य प्राणीके द्वारा जिस प्रकारके फलसे युक्त  
कर्मको किया गया है उसके उस प्रकारके फलसे रहित हो जानेका प्रसंग प्राप्त होगा । इसके  
समाधानमे यहाँ यह कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अध्यवसायके वश—उस प्रकारकी  
चित्तकी विशेषतासे—प्राणीके उक्त कर्मके विषयमे अपवर्तन आदि सम्भव है ।

विवेचन—वादीके कहनेका अभिप्राय यह था कि वध्य प्राणीने 'मैं अमुकके हाथो मारा  
जाऊँगा' इस प्रकारके कर्मको बाँधा था, पर वधकी विरतिके प्रभावसे जब वह उसके द्वारा नहो  
मारा गया तब वह उसका कर्म निरर्थकताको क्यों न प्राप्त होगा ? इसका समाधान करते हुए  
यहाँ यह कहा गया है कि प्राणी जिस प्रकारके विपाद्यसे युक्त कर्मको बाँधता है उसमे आत्माके  
परिणाम विशेषसे अपकर्षण, उत्कर्षण और सक्रमण आदि भी सम्भव हैं । अतएव जो कर्म जिस  
रूपसे बाँधा गया है उसकी स्थितिमे हीनाधिकता हो जानेस अथवा उसके अन्य प्रकृतिरूप परिणत  
हो जानेके कारण यदि उसने वैसा फल नहीं दिया तो इसमे कोई विरोध सम्भव नहीं है ॥२१६॥  
इसके अतिरिक्त—

स्वकृत भो जो अनेक प्रकारका कर्म है उस सबको उस प्रकारसे न भोगकर अपूर्वकरणके  
सम्बन्धसे जीव मोक्षको पा लेता है । फिर भला उस कर्मसे क्या होनेवाला है ? कुछ भी नहीं ।

विवेचन—पूर्व गाथामे यह कहा जा चुका है कि मारे जानेवाले प्राणीने 'मैं अमुक ( देवदत्त

त्वेन । अभुवत्वा सर्वमननुभूय निरवशेषम् । अपूर्वकरणयोगात् क्षपकश्रेण्यारम्भकादपूर्वकरण-  
सबन्धात् । प्राप्नोति मोक्षमेवासादयति निर्वाणमेव । किं तेन व्यापादकभावनिवन्धनत्वपरिकल्पि-  
तेन कर्मणेति ॥२१७॥

स्यात्तस्मिन् सति न चरणभाव एवेति । अत्राह—

परकयकम्मनिबंधा चरणाभावंसि पावइ अभावो ।

सकयस्स निष्फलत्ता सुहदुहससारसुक्खाण ॥२१८॥

परकृतकर्मनिबन्धाद्वाद्यापाद्यकृतकर्मनिबन्धनेन व्यापादकस्य चरणाभावे अस्पृपगम्यमाने ।  
प्राप्नोत्यभावः सुख दुःख-ससार-मोक्षाणामिति योगः । कुतः ? स्वकृतस्य निःफलत्वान्ति-फलत्वं  
चान्यकृतेन प्रतिबन्धादिति ॥२१८॥

अकयागमकयनासा सपरेगत्तं च पावई एवं ।

तच्चरणाउ च्चिय तओ खओ वि अणिवारियप्पसरो ॥२१९॥

आदि ) प्राणीके हाथसे मारा जाऊँगा' इस प्रकारके फलयुक्त जिस कर्मको बाँधा था वह अध्य-  
वसाय विशेषसे सक्रमण आदिको प्राप्त होता हुआ उस प्रकारके फलको नहीं भी देता है । अब  
यहाँ यह कहा जाता है कि वधक प्राणीके द्वारा भी जो चतुर्गतिके कारणभूत अनेक प्रकारके  
कर्मको बाँधा गया है उसे वह उस रूपमें नहीं भी भोगता है और क्षपकश्रेणिपर आरूढ होता  
हुआ अपूर्वकरण परिणामके वश मोक्षको प्राप्त कर लेता है । तात्पर्य यह है कि कर्म चाहे स्वकृत  
हो या परकृत हो वह जिस रूपमें बाँधा जाता है, अध्यवसाय-विशेषके वश वह अपकर्षण, उत्कर्षण  
और सक्रमणदि रूप अवस्थान्तरको प्राप्त होता हुआ उस प्रकारके फलको नहीं भी देता है ।  
ऐसी परिस्थितिमें जो वधको विरति करायी जाता है वह निरर्थक न होकर प्राणीके लिए 'हितकर  
ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए ॥२१७॥

परकृत कर्मके वश चारित्रिके अभावमें क्या अनिष्ट हो सकता है, इसे आगे स्पष्ट किया  
जाता है—

परकृत—वध्य प्राणीके द्वारा किये गये—कर्मके कारण वधकके चारित्रिका अभाव माननेपर  
स्वकृत कर्मके निष्फल हो जानेसे सुख, दुःख, ससार और मोक्षके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा ।

विवेचन—अभिप्राय यह है कि मारणोन्मुख प्राणीन अमुक प्राणीके निमित्तसे मारे जाने-  
रूप जिस कर्मको बाधा है उसके प्रभावसे यदि दूसरेके—उसके मरनेमें निमित्त बननेवाले  
वधकके—वधको विरतिरूप चारित्रिका प्रतिबन्ध होता है तो वैसी अवस्थामें उसके स्वकृत कर्मके  
निष्फल हो जानेसे सुख, दुःख, ससार और मोक्ष आदिके अभावका भी प्रसंग दुर्निवार होगा ।  
इससे यही सिद्ध होता है कि प्राणी स्वकृत कर्मके अनुसार ही यथासम्भव सुख-दुःख आदिका  
उपभोक्ता होता है, न कि परकृत कर्मके वशीभूत होकर, अन्यथा उपर्युक्त अनिष्टका प्रसंग अनिवार्य  
प्राप्त होगा ॥२१८॥

उपर्युक्त मान्यतामें जो अन्य दोष सम्भव हैं उन्हें भी आगे प्रकट किया जाता है—

इस प्रकारसे—परकृत कर्मके प्रभावसे—चारित्रिका लोप होनेपर अकृतागम व कृतनाश  
दोषोंके साथ स्व और परमें अमेदका भी प्रसंग प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त उसके चारित्रसे  
ही—वध्यके चारित्रसे ही—वधकके कर्मक्षय भी वे-रोक टोक हो सकता है ।

अकृतागमकृतनाशौ—तेनाकृतमपि तस्य प्रतिबन्धकमित्यकृतागमः, शुभपरिणामभावेऽपि च ततः प्रतिबन्धात्तत्फलमिति कृतनाशः । स्वपरैकत्व च प्रतिबन्धकाविशेषात् प्राप्नोत्येवं तच्चरणत एव । ततः क्षयोऽप्यनिवारितप्रसरस्तस्येत्युपसहरन्नाह ॥२१९॥

एवंपि य वहविरई कायव्वा चैव सव्वजत्तेणं ।

तदभावंमि पमाया वधो भणिओ जिणिदेहिं ॥२२०॥

एवमपि चोक्तप्रकाराद् । वधविरति. कर्तव्यैव सर्वयत्नेनाप्रमादेनेत्यर्थः । तदभावे च विरत्यभावे च । प्रमादाद्बन्धो भणितो जिनेन्द्रैरिति ॥२२०॥

इदानीमन्यद्वादस्थानकम्—

कैइ बालाइवहे बहुतरकम्मस्सुवक्कमाउ त्ति ।

मन्नन्ति पावमहियं बुड्ढाईसुं विवज्जासं ॥२२१॥

केचिद्वादिनो बालादिवधे बाल-कुमार-युवव्यापादने । बहुतरकर्मण उपक्रमणात्कारणान्-मन्यन्ते पापमधिकम् । वृद्धादिषु विपर्यास, स्तोकरस्य कर्मण उपक्रमादिति ॥२२१॥

अत्रोत्तरमाह—

एयं पि न जुत्तिखमं जं परिणामाउ पावमिह वुत्तं ।

दव्वाइभेयभिन्ना तह<sup>३</sup> हिंसा वन्नियां ससए ॥२२२॥

विवेचन—इसके अतिरिक्त उक्त मान्यताके अनुसार वधकने चारित्रिके रोधक जिस कर्मको नहीं किया है वह उसका रोधक हो जाता है, अतः अकृताभ्यागम दोषका प्रसंग प्राप्त होता है । साथ ही उसने चारित्रिके उत्पादक शुभ परिणामको तो किया है, पर वध्यके द्वारा किये गये कर्मके प्रभावसे उसके चारित्रिका प्रादुर्भाव हो नहीं सका अतः 'कृतनाश' दोष भी प्रसक्त होता है । इस प्रकार वध्य और वधकमें विशेषता न रहनेसे दोनोंमें अभेद प्राप्त होता है । और जब दोनोंमें भिन्नता न रही तब उसके चारित्रसे कर्मक्षयके प्रसारको भी नहीं रोका जा सकता है ॥२१९॥

अब इस प्रकरणका उपसहार किया जाता है—

इस प्रकार—वादीके द्वारा वधविरतिमें प्रदर्शित दोषोका निराकरण हो जानेपर—पूर्ण प्रयत्नके साथ उस वधकी विरतिको करना ही चाहिए । कारण यह कि उक्त वधविरतिके अभावमें प्रमादके वश जिनेन्द्र देवके द्वारा बन्धका सद्भाव कहा गया है ॥२२०॥

आगे अन्य किन्ही वादियोंके अभिमतको प्रकट किया जाता है—

कितने ही वादी यह मानते हैं कि बाल आदि—बालक, कुमार, युवा और वृद्ध—इनका वध करनेपर अधिकाधिक कर्मका उपक्रम होनेसे क्रमसे अधिक पाप होता है । इसका विपरीत वृद्ध आदि—वृद्ध, युवा, कुमार और बालक—इनका वध करनेपर अतिशय स्तोत्र कर्मका उपक्रम होनेसे क्रमसे उत्तरोत्तर अल्प पाप होता है ॥२२१॥

आगे इस अभिमतका निराकरण करते हैं—

यह भी—वादीका उपर्युक्त अभिमत भी—युक्तिसंगत नहीं है । कारण इसका यह है कि यहाँ पापका उपाज्जन परिणामके अनुसार कहा गया है । तथा आगममें हिंसाका वर्णन द्रव्य-क्षेत्रादिके भेदसे भिन्न-भिन्न रूपमें किया गया है ।



एतदपि न युक्तिक्रम यद्यस्मात्परिणामात्पापमिहोक्तम् । स च न नियतो बाल-वृद्धादिवु  
विलुप्येतररूपः । द्रव्यादिभेदभिन्ना तथा हिंसा वर्णिता समये । यथोक्तम्—द्ववउ णामेगे हिंसा  
ण भावउ इत्यादि ॥२२२॥

प्रथमहिंसाभेदमाह—

उच्चालियंमि पाए हरियासमियस्स संकमड्ढाए ।

वावज्जिज्ज कुलिंगी मरिज्ज तं जोगमासज्ज ॥२२३॥

उच्चालिते उद्विग्नो पादे संक्रमार्थं गमनार्थमिति योगः । ईर्यासमित्तस्योपयुक्तस्य साधोः ।  
किम् ? व्यापद्येत महतीं वेदनां प्राप्नुयात् त्रियेत प्राणत्याग कुर्यात् । कुलिङ्गी कुत्सितलिङ्गवान्  
द्वीन्द्रियादिसत्त्वः । त योगमासाद्य तथोपयुक्तसाधुव्यापारं प्राप्येति ॥२२३॥

न य तस्स तन्निमित्तो बंधो सुहुमो वि देसिओ समए ।

जम्हा सो अपमत्तो स उ पमाउ त्ति निदिट्ठो ॥२२४॥

विवेचन—यहां उक्त अभिमतका निराकरण करते हुए कहा गया है कि बालक आदिके  
वधमे अधिक और वृद्ध आदिके वधमे अल्प पाप होता है, यह जो वादीका अभिमत है वह युक्ति-  
को सहन नहीं करता—युक्तिसे विचार करनेपर वह विघटित हो जाता है । इसका कारण यह  
है कि पापका जनक सकलेश है, वह बाल व कुमार आदिके वधमे अधिक है । और वृद्ध व युवा  
आदिके वधमे अल्प हो, ऐसा नियम नहीं है—कदाचित् बालके वधमें अधिक और कुमारके वधमें  
कम भी संकलेश हो सकता है । कभी परिस्थितके अनुसार इसके विपरीत भी वह हो सकता है ।  
इसके अतिरिक्त आगममे द्रव्य व क्षेत्र आदिके अनुसार हिंसा भी अनेक प्रकारकी निर्दिष्ट की  
गयी है । यथा—कोई हिंसा केवल द्रव्यसे होती है, भावसे वह नहीं होती । कोई हिंसा भावसे  
ही होती है, द्रव्यसे नहीं होती । जो हिंसा भावके बिना केवल द्रव्यसे होती है वह सकलेश  
परिणामसे रहित होनेके कारण पापकी जनक नहीं होती । जैसे—ईर्यासमित्तसे गमन करते हुए  
साधुके पाँवके नीचे आ जानेसे चोटो आदि क्षुद्र जन्तुका विघात । इसके विपरीत जो किसीको  
शत्रु मानकर उसके वधका विचार तो करता है, पर उसका घात नहीं कर पाता । इसमे घातरूप  
द्रव्य हिंसाके न होनेपर भी सकलेश परिणामरूप भावहिंसाके ;सद्भावमे उसके पापका संचय  
अवश्य होता है ॥२२२॥

अब आगमोक्त उन हिंसाके भेदोमे प्रथम भेदभूत हिंसाका स्वरूप दिखलाते हैं—

ईर्यासमित्तके परिपालनमे उद्यत साधुके गमनमे पाँवके उठानेपर उसके सम्बन्धको पाकर  
क्षुद्र द्वीन्द्रिय आदि किन्ही प्राणियोंको पीड़ा हो सकती है व कदाचित् वे मरणको भी प्राप्त हो  
सकते हैं ॥२२३॥

फिर भी वह हिंसाका भागो नहीं होता, यह आगे स्पष्ट किया जाता है—

परन्तु उसके निमित्तसे ईर्यासमित्तमें उद्युक्त उस साधुके आगममे सूक्ष्म भी कर्मका बन्ध  
नहीं कहा गया है । इसका कारण यह है कि वह प्रमादसे रहित है—प्राणिरक्षणमे सावधान होकर  
ही गमन कर रहा है । और प्रमाद ही ही हिंसाका निर्देश किया गया है ॥२२४॥

न च तस्य साधोस्तन्निमित्तः कुलिङ्गिव्यापत्तिकारणो बन्धः सूक्ष्मोऽपि देहितः समये ।  
किमिति ? यस्मात्सोऽप्रमत्तः, सूत्राज्ञया प्रवृत्तेः । सा च हिंसा प्रमाद इत्येवं निर्दिष्टा तीर्थकर-  
गणधरैरिति इयं द्रव्यतो<sup>१</sup> हिंसा, न भावतः ॥२२४॥

सांप्रतं भावतो न द्रव्यत इत्युच्यते—

मंदपगासे देसे रज्जुं किह्लाहिसरिसयं दठ्ठुं ।

अच्छिन्तु तिकखखग्गं वहिज्ज तं तप्परीणामो<sup>२</sup> ॥२२५॥

मन्दप्रकाशे देशे ध्यामले निम्नादौ । रज्जुं धर्मादिविकाररूपाम् । कृष्णाहिसहशीं कृष्ण-  
सर्पतुल्याम् । दृष्ट्वा आकृष्य तीक्ष्णखड्गं वधेत् ताम् हन्यादित्यर्थः । तत्परिणामो वधपरिणाम  
इति ॥२२५॥

सप्पवहाभावंमि वि वहपरिणामाउ चेव एयस्स ।

नियमेण संपराइयवंधो खलु होइ नायव्वो ॥२२६॥

सर्ववधाभावेऽपि तत्त्वतः वधपरिणामादेवैतस्य व्यापादकस्य । नियमेन सांपरायिको<sup>३</sup>  
बन्धो भवपरपराहेतुः कर्मयोगः । खलु भवति ज्ञातव्य इति ॥२२६॥

विवेचन—कर्मबन्धका कारण सकलेश और विशुद्धि है । सकलेशसे प्राणीके जहाँ पापका  
बन्ध होता है वहाँ विशुद्धिसे उसके पुण्यका बन्ध होता है । इस प्रकार जो साधु ईर्यासमित्तसे—  
चार हाथ भूमिको देखकर सावधानीसे—गमन कर रहा है उसके पाँवोंके धरने-उठानेमें कदाचित्  
जन्तुओका विघात हो सकता है, फिर भी आगममें उसके तन्निमित्तक किंचित् भी कर्मबन्ध नहीं  
कहा गया है । कारण इसका यही है कि उसके परिणाम प्राणिपीडनके नहीं होते, वह तो उनके  
सरक्षणमें सावधान होकर ही गमन कर रहा है । उधर आगममें इस हिंसाका लक्षण प्रमाद  
( असावधानी ) ही बतलाया है ( त सू ७।१३ ) । इसीलिए प्रमादसे रहित होनेके कारण  
गमनादि क्रियामें कदाचित् जन्तुपीडाके होनेपर भी साधुके उसके निमित्तसे पापका बन्ध नहीं  
कहा गया है । यह द्रव्यहिंसाका उदाहरण है ॥२२३-२२४॥

आगे द्रव्यसे हिंसा न होकर भावसे होनेवाली हिंसाका स्वरूप दिखलाया जाता है—

मन्द प्रकाशयुक्त देशमें काले सर्प-जैसी रस्सीको देखकर व तीक्ष्ण खड्गको खींचकर  
उसके मारनेका विचार करनेवाला कोई व्यक्ति उसका घात करता है ॥२२५॥

इस प्रकारसे सर्पके वधके न होनेपर भी हिंसाजनित पापका वह भागी होता है, इसे आगे  
प्रकट किया जाता है—

तदनुसार सर्पवधके बिना भी उसके केवल सर्पघातके परिणाममें ही नियमसे साम्परायिक  
—संसारपरम्पराका कारणभूत—बन्ध होता है, यह जानना चाहिए ॥२२६॥

विवेचन—अब यहाँ हमारे प्रकारकी हिंसाका स्वरूप दिखलाते हुए दृष्टान्त द्वारा यह स्पष्ट  
किया गया है कि कोई मनुष्य अंधेरेमें पड़ी हुई रस्सीको भ्रमवश काला सर्प समझकर उसे मार  
डालनेके विचारसे उसके ऊपर शस्त्रका प्रहार करता है । परन्तु यथार्थमें वह सर्प तो था नहीं,  
इसीलिए सर्पके घातके न होनेपर भी उस व्यक्तिके सर्पघातरूप हिंसासे जनित पापका बन्ध  
अवश्य होता है । इस प्रकार यहाँ द्रव्यसे हिंसाके न होनेपर भी भावहिंसारूप उस हिंसाके दूसरे  
भेदका उदाहरण दिया गया है ॥२२५-२२६॥

तृतीयं हिंसाभेदमाह—

मिगवहपरिणामगओ आयण्ण कड्ढिऊणं कोदंडं ।

मुत्तूणमिसुं उभओ वहिज्ज त पागडो एस ॥२२७॥

मृगवधपरिणामपरिणतैः सन्नाकर्णभाक्कष्य । कोदण्डं धनुर्मुक्त्तेशुं वाणम् । उभयतो वधेत् हन्यात् द्रव्यतो भावतश्च । त मृगम् । प्रकट एष हिंसक इति ॥२२७॥

चतुर्थं भेदमाह—

उभयाभावे हिंसा धणिमित्तं भंगयाणुपुव्वीए ।

तहवि य दसिज्जंती सीसमइविगोवणमदुट्ठां ॥२२८॥

उभयाभावे द्रव्यतो भावतश्च वधाभावे । हिंसा ध्वनिमात्रम्; न विषयतः भङ्गकानुपूर्व्यायाता । तथापि च दर्शयमाना शिष्यमतिविक्रोपतं विनेयबुद्धिविकाशयादुष्टैवेति ॥२२८॥

इय परिणामा वंधे वालो बुद्धुत्ति थोवमियमित्थ ।

वाले वि सो न तिव्वो कयाइ बुद्धे वि तिव्वुत्ति ॥२२९॥

आगे तीसरे प्रकारकी हिंसाको दिखलाते हैं—

कोई मनुष्य मृगघातके विचारमें मग्न होकर कान पर्यन्त धनुषको खीचता हुआ उसके ऊपर बाणको छोडता है । इस प्रकार वह प्रकटमें दोनो रूपमें—द्रव्यसे व भावसे भी—उस मृगका वध करता है ।

विवेचन—एक व्याध मृगके घातके विचारसे धनुषकी डोरीको खीचकर उसके ऊपर बाणको छोड देता है, जिससे विद्ध होकर वह मरणको प्राप्त हो जाता है । यहाँ व्याधने मृगके वधका जो प्रथम विचार किया, यह तो भावहिंसा हुई, साथ ही उसने बाणको छोडकर उसका जो वध कर डाला, यह द्रव्यहिंसा हुई । इस प्रकारसे वह व्याध द्रव्य और भाव दोनो प्रकारसे हिंसक होता है ॥२२७॥

अब उक्त हिंसाके चौथे भेदको दिखलाते हैं—

द्रव्य और भाव दोनो प्रकारसे वधके न होने पर भंगकानुपूर्वीसे—उस प्रकारके वाक्यके उच्चारण मात्रसे—ध्वनि ( शब्द ) मात्र हिंसा होती है । यह वस्तुतः हिंसा नहीं है, फिर भी शिष्यकी बुद्धिके विकासके लिए वह केवल दिखलाई जाती है, अतएव वह दोषसे रहित है ।

विवेचन—अभिप्राय यह है कि कभी-कभी गुरु शिष्यकी बुद्धिको विकसित करनेके लिए—उसे सुयोग्य विद्वान् बनानेके विचारसे—केवल शब्दों द्वारा मारने-ताडने आदिके विचारको प्रकट करता है, पर अन्तरगमें वह दयालु रहकर उसके हितको ही चाहता है । इस प्रकार द्रव्य व भाव दोनो प्रकारसे हिंसाके न होनेपर भी वैसे शब्दोंके उच्चारण मात्रसे हिंसा होती है जो यथार्थमें हिंसा नहीं है, क्योंकि इस प्रकारके आचरणमें न तो मारण-ताडन किया जाता है और न गुरुका वैया अभिप्राय भी रहता है ॥२२८॥

आगे हिंसाकी तर तमताकी कारण बाल व वृद्ध आदि अवस्था नहीं है, यह अभिप्राय प्रकट किया जाता है—

१. अ मिगविहपरिणामो गओ याग्नन् कड्ढिऊण । २. अ परिणामगत । ३. अ विगोविणुमदुट्ठा ।

४. अ कयात्ति बुद्धे ।

इय एव परिणामादबन्धे सति बालो वृद्ध इति स्तोकमिदमत्र हिंसाप्रक्रमे । किमिति ? बालेऽप्यसौ न तीव्रः परिणामः कदाचिद्वृद्धेऽपि तीव्र इति, जिघांसतामाशयवैचित्र्यादिति ॥२२९॥

अह परिणामाभावे वहे वि बंधो न पावई<sup>१</sup> एवं ।

कह न वहे परिणामो तब्भावे कह य नो बंधो<sup>२</sup> ॥२३०॥

अथैवं मन्त्रसे परिणामाभावे सति वधेऽप्यबन्ध एव प्राप्नोत्येवं परिणामवादे एतदा-  
शङ्क्याह—कथं न वधे परिणामः ? किं तर्हि ? भवत्येवादुष्टाशयस्य तत्राप्रवृत्तेः । तद्भावे  
वधपरिणामभावे । कथं च वधे न बन्धो बन्ध एवेति ॥२३०॥

सिय न वहे परिणामो अन्नाण-कुसत्थभावणाओ य ।

उभयत्थ तदेव तओ किलिद्वबंधस्स हेउ त्ति ॥२३१॥

स्यान्न वधे परिणामः क्लिष्टः । अज्ञानात् अज्ञानं व्यापादयतः, कुशास्त्रभावनातश्च  
यागादावेतदाशङ्क्याह—उभयत्र तदेवाज्ञानमसौ परिणामः क्लिष्टबन्धस्य हेतुरिति सांपरायिक-  
स्येति ॥२३१॥

जम्हा सो परिणामो अन्नाणादवगमेण नो होइ ।

तम्हा तयभावत्थी नाणाईसुं सइ अइज्जा ॥२३२॥

इस प्रकार—पूर्वप्रदर्शित युक्तिसंगत विचारके अनुसार—परिणामसे बन्धके सिद्ध होनेपर  
बाल अथवा वृद्ध यह इस प्रसंगमे स्तोक मात्र है—वे हिंसाकी हीनाधिकताके कारण नहीं हैं ।  
कारण यह है कि बालकके वधमे भी कदाचित् वह तीव्र संकलेश परिणाम न हो और कदाचित्  
वृद्धके वधमे वह तीव्र संकलेश परिणाम हो सकता है । यह सब मारनेका विचार करनेवाले  
व्यक्तियोंके अभिप्राय विशेषपर निर्भर है ॥२२९॥

आगे प्रसंगानुरूप शंकाको उठाकर उसका समाधान किया जाता है—

इस प्रसंगमे यदि यह कहा जाये कि इस परिस्थितिमे परिणामके अभावमे—वधके संकल्प-  
के बिना—वधके करनेपर भी बन्ध नहीं प्राप्त होता है—उसके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा, इस  
शंकाके समाधानमे पूछा जाता है कि जीवघातके करनेपर तद्विषयक परिणाम ( संकल्प ) कैसे न  
रहेगा ? वह अवश्य रहनेवाला है । क्योंकि दुष्ट अभिप्राय बिना प्राणी कभी जीववधमे प्रवृत्त नहीं  
होता । और जब वैसा परिणाम रहेगा तब उसके रहते हुए वह बन्ध कैसे नहीं होगा ? अवश्य  
होगा ॥२३०॥

आगे प्रसंगप्राप्त दूसरी शंकाको उठाकर उसका भी निराकरण किया जाता है—

यदि यहाँ यह कहा जाये कि वध करनेवाला चूँकि अज्ञानतासे अथवा मिथ्यात्वके पोषक  
कुशास्त्रोके विन्तनसे उस वधमे प्रवृत्त होता है, अतः उसका उसमे परिणाम नहीं रहता है । इससे  
उसके बन्ध नहीं होना चाहिए । इसके उत्तरमे कहा गया है कि दोनो जगह—अज्ञानता या  
कुशास्त्रके विचारसे किये जानेवाले वधमे—जो अज्ञान है वही उस संसारपरम्पराके कारणभूत  
क्लिष्ट बन्धका कारण होता है ॥२३१॥

इसीलिए आगे ज्ञानके विषयमे प्रयत्नशील रहनेकी प्रेरणा की जाती है—

१. अ भावे हि वधो त्ति पावती । २. अ कह ण विहे परिणामो तहवे कह ये णो वधो ।

यस्मादसौ वधपरिणामो अज्ञानाद्यपगमेन हेतुना न भवति, सति त्वज्ञानादौ भवत्येव, वस्तुतस्तस्यैव तद्रूपत्वात् । तस्मात्तदभावार्थी वधपरिणामाभावार्थी । ज्ञानादिषु सदा यतेत, तत्प्रति-पक्षत्वात् इति ॥२३२॥

एव वस्तुस्थितिमभिधायाधुना परोपन्यस्तहेतोरनेकान्तिकत्वमुद्भावयति—

बहुतरकर्मोवचकमभावो वेगंतिओ न जं केइ ।

वाला वि य थोवाऊ हवंति<sup>१</sup> वुडहा वि दीहाऊ ॥२३३॥

बहुतरकर्मोपक्रमभावोऽपि वालादि-वृद्धादिष्वेकान्तिको न । यद्यस्मात्केचन वाला अपि स्तोकायुषो भवन्ति वृद्धा अपि दीर्घायुषस्तथा लोके दर्शनादिति ॥२३३॥

तम्हा सन्वेसिं चिय वहंमि पावं अपावभावेहिं ।

भणियमहिगाइभावो परिणामविसेसओ पायं ॥२३४॥

यस्मादेव तस्मात् । सर्वेषामेव वालादीना वधे पापमपापभावेर्वीतरागैर्भणितम् । अधिकादि-भावस्तस्य पाप्मनः परिणामविशेषतः प्रायो भणित इति वर्तते । प्रायोग्रहणं तपस्वीतरादिभेव-संग्रहार्थमिति ॥२३४॥

चूँकि जीववधका वह परिणाम उक्त अज्ञानादिके अभावसे नहीं होता है—किन्तु उक्त अज्ञानादिके रहते हुए ही होता है, इसीलिए जो जीववधके परिणामको नहीं चाहता है उसे निरन्तर ज्ञान आदि ( समीचीन शास्त्रके अध्ययन आदि ) मे प्रयत्नशील रहना चाहिए ॥२३२॥

आगे वादोके द्वारा निर्दिष्ट हेतुकी अनेकान्तिकता को प्रकट करते हैं—

बहुतर कर्मका उपक्रमपना ऐकान्तिक नहीं है—वह बाल आदिमे बहुतर और वृद्ध आदिमे हीनतर हो, ऐसा सर्वथा नियम नहीं है, क्योंकि कोई-कोई बालक भी अल्पायु होते हैं और वृद्ध भी दीर्घायु होते हैं ।

विवेचन—वादीने पूर्व ( २२१ )मे यह कहा था कि बाल आदिके वधमे बहुतर कर्मका उपक्रम होनेसे अधिक पाप और वृद्ध आदिके वधमे वह होन होता है । इसको दूषित करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि बाल आदिके वधमे बहुतर कर्मका ही उपक्रम हो, ऐसा ऐकान्तिक नियम नहीं है । कारण इसका यह है कि कोई बालक भी अल्पायु और वृद्ध भी दीर्घायु देखे जाते हैं । अतः बाल आदिके वधमे अधिक पापकी सिद्धिमें जो बहुतर कर्मका उपक्रम रूप हेतु वादोके द्वारा प्रयुक्त किया गया था वह विपक्षमे भी सम्भव होनेसे अनेकान्तिक दोषसे दूषित है ॥२३३॥

अब प्रकृतवादका उपसंहार किया जाता है—

इसलिए पाप परिणामसे रहित ( वीतराग ) जिनदेवके द्वारा बाल व वृद्ध आदि सभी जीवोके वधमे पाप कहा गया है । उस पापकी अधिकता आदि प्रायः परिणाम विशेषके अनुसार जानना चाहिए ।

विवेचन—बाल आदि वधमें कर्मका अधिक उपक्रम होनेसे अधिक और इसके विपरीत वृद्ध आदिके वधमे अल्प पाप होता है, इस मान्यताका निराकरण करते हुए यह कहा जा चुका है कि कर्मका बन्ध वधकतके परिणाम विशेषके अनुसार होता है, न कि बाल-वृद्धादि अवस्था विशेषके आधारपर । इन सबका उपसंहार करते हुए यह कहा गया है कि वीतराग जिनेन्द्रने सभी जीवोके वधमे पाप बतलाया है । इसमें जो अधिकता और हीनता होती है वह वधकतके

सांप्रतमन्यद्वावस्थानकम्—

संभवइ वधो जेसिः जुज्जइ तेसिं निवित्तिकरणं पि ।

आवडियाकरणंमि य सत्तिनिरोहा<sup>३</sup> फलं तत्थ ॥२३५॥

संभवति वधो येषु कृमि-पिपीलिकादिषु । युज्यते तेषु निवृत्तिकरणमपि, विषयाप्रवृत्तेः । आपत्तिताकरणे<sup>३</sup> च पर्युपस्थितानासेवने च सति । शक्तिनिरोधात्फलं तत्र, युज्यत इति वर्तते । अविषयशक्त्यभावयोस्तु कुतः फलमिति ॥२३५॥

तथा चाह—

नो अविसेए पविच्ची तन्निवित्तिइ अचरणेपाणिस्स ।

झसनायधम्मतुल्लं तत्थ फलमवहुमयं केइ ॥२३६॥

नोऽविषये नारकादौ । प्रवृत्तिर्वधक्रियायाः । ततश्च तन्निवृत्त्या अविषयप्रवृत्तिनिवृत्त्या । अचरणपाणेः छिन्नगोदुरकरस्य क्षपज्ञातधर्मतुल्य छिन्नगोदुरकरस्य मत्स्यनाशे धर्म इत्येवं कल्पम् । तत्र निवृत्तौ । फलं<sup>४</sup> अबहुमतं विदुषामश्लाघ्यं केचन मन्यन्त इत्येष पूर्वपक्षः ॥२३६॥

परिणाम विशेषके अनुसार हुआ करता है—यदि वधकर्ताका परिणाम अतिशय संक्लिष्ट है तो उसमें अधिक पाप होगा और उसका परिणाम मन्द सक्लेशरूप है तो पाप कम होगा । गाथामे जो 'प्रायः' शब्दको ग्रहण किया गया है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी तपस्वी अथवा लोकोपकारक गुणो पुरुषका वध किया जाता है तो उससे प्रचुर मात्रामे पापका बन्ध होनेवाला है और यदि किसी साधारण प्राणीका वध किया जाता है तो उस गुणो जनके वधको अपेक्षा इसमें कम पापका बन्ध होगा ॥२३४॥

आगे अन्य वादियोंके अभिमतको प्रकट किया जाता है—

किन्ही वादियोंका कहना है कि जिन प्राणियोंका वध सम्भव है उनके वधविषयक निवृत्ति-का कराना योग्य है, क्योंकि आपत्तितके न करनेमे—उपस्थितका सेवन न करनेपर—शक्तिका निरोध होता है, अतः उसका वहाँ फल सम्भव है ॥२३५॥

आगे इसीका स्पष्टीकरण किया जाता है—

जो नारक व देव आदि वधके विषय नहीं हैं उनके वधमे चूँकि प्रवृत्ति सम्भव नहीं है, अतएव उनके वधकी निवृत्तिसे सम्भाव्य फल हाथ-पाँवसे रहित प्राणीके मछलीके वधको निवृत्तिसे होनेवाले धर्मके उदाहरणके समान बहुतोको सम्मत नहीं है ।

विवेचन—किन्ही वादियोंका अभिमत है जिन चीटो आदि क्षुद्र जन्तुओ अथवा हिरण व कबूतर आदि पशु-पक्षियोंके वधकी सम्भावना है उनके वधकी निवृत्ति कराना उचित है । कारण यह कि उनके वधका अवसर प्राप्त होनेपर उस वधसे निवृत्त हुआ पुरुष अपनी उस वधशक्तिको रोककर उनके वधसे विमुख रहता है, अतः उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होनेवाला है । किन्तु जो नारक व देव आदि उस वधके विषयभूत नहीं हैं उनके वधकी निवृत्ति कराना उचित नहीं है, क्योंकि उनके वधकी निवृत्तिसे कुछ फलको प्राप्ति सम्भव नहीं है । इसका भी कारण यह है कि

१. अ संभवउ । २ अ किरणमि य सत्त सत्तिनिरोहा । ३ अ करणमविषयाप्रवृत्ते सपत्तिता । ४ अ णा अणविषये पवच्ची य मिव्वत्ती अचरणं । ५. अ अचलनप्राणा. छिन्नगोदुरकरस्य । ६. अ छिन्नगोदुरकरस्य मत्स्यमाशे मत्स्यनिवृत्तौ धम्म इत्येव फल ।

अत्रोत्तरमाह—संभवति वधो येष्वित्युक्तं अथ कोऽयं संभव इति ?

किं ताव त्व्वहु च्चिचय उयाहु कालंतरेण वहणं तु ।

किंवावहु च्चि कि वा सत्ती को सभवो एत्य ॥२३७॥

किं तावत्तद्वध एव तेषां उपापाद्यमानानां वधस्तद्वधः क्रियारूप एव । उताहो कालान्तरेण हननं जिघांसनमेव या । किं अवधो अद्यापादनमित्यर्थः । किं वा शक्तिः व्यापादकस्य व्यापाद्य-विषया । कः सभवोऽत्र प्रक्रम इति । सर्वेऽप्यमी पक्षा दुष्टाः ॥२३७॥

तथा चाह—

जइ ताव त्व्वहु च्चिचय अलं निवित्तिइं अवि सयाए उ ।

कालंतरवहणंमि वि किं तीए नियमभगाओ ॥२३८॥

यदि तावत्तद्वध एव तेषां व्यापाद्यमानवधक्रियैव संभव इति । अत्र वोपमाह—अलं निवृत्त्या न किञ्चिद्वधनिवृत्त्याविषययोः हेतुः, 'निमित्त-कारण हेतुषु सर्वासा प्रायो दर्शनम्' इति वचनात् । अविषयत्व च वधक्रियाया एव संभवत्वात्, सभवे च सति निवृत्त्यभ्युपगमात्, ततश्च वधक्रिया-

उनका जब वध करना ही सम्भव नहीं है तब उसमें शक्तिके निरोधकी कल्पना ही नहीं होती । उदाहरणार्थ जो प्राणी हाथ और पाँवसे रहित है वह यदि मछलीके वधसे निवृत्त होकर उस अनिवृत्तके फलकी अभिलाषा करता है तो जिस प्रकार यह हास्यास्पद है उसी प्रकार वधके विषयभूत नारकादिके वधको निवृत्तिसे फलकी प्राप्तिकी सम्भावना करना भी विद्वज्जनोंके लिए हास्यास्पद है । इस प्रकार कितने वादा अपने पूर्व पक्षको स्थापित करते हैं ॥२३५-२३६॥

आगे इस अभिमतका निराकरण करते हुए प्रथमतः 'सम्भव' शब्दसे वादीको क्या अभिप्रेत है, यह पूछते हैं—

जिनका वध सम्भव है, यह जो वादीके द्वारा कहा गया है उसमें 'सम्भव' से उसे क्या अभीष्ट है, इसमें चार विकल्प उठाये जाते हैं—क्या वध्य प्राणीका क्रियात्मक वध करना यह 'सम्भव' से अभीष्ट है, अथवा भविष्यमे उसका वध करना यह क्या 'सम्भव'का अर्थ है, अथवा वध न करना यह 'सम्भव' से अभिप्रेत है, अथवा वध्य प्राणीके वधविषयक शक्ति उस 'सम्भव' से इष्ट है, इस प्रकार वादीको 'सम्भव'से इन विकल्पोंमें कौन-सा विकल्प अभीष्ट है, यह प्रश्न यहाँ पूछा गया है ॥२३७॥

अब इन विकल्पोंको दूषित ठहराते हुए उनमेंसे प्रथम दो विकल्पोंमें दोष दिखलाते हैं—

यदि वादीको वध्य प्राणीका वध ही 'सम्भव'से अभीष्ट है तो विषयसे रहित उस निवृत्तिसे वध हो—वह तब निरर्थक सिद्ध हाती है । कालान्तरमें वधरूप दूसरे विकल्पमें भा उस निवृत्तिसे क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? तब भी वह निरर्थक रहनेवाला है, क्योंकि वैसी परिस्थितिमें नियम भंग होनेवाला है ।

विवेचन—उपर्युक्त चार विकल्पोंमें वध्य प्राणीकी वधक्रियारूप प्रथम विकल्प तो नहीं बनता, क्योंकि वधक्रियाको सम्भव स्वीकार करनेपर उस वधको निवृत्तिकी विषय ही कुछ नहीं रहता, अतः वह निरर्थक सिद्ध होती है । अभिप्राय यह है कि जिस वधको निवृत्ति करायी जाती है वह वध तो पूर्वमें ही किया जा चुका, तब वैसी अवस्थामें उस वधको निवृत्तिका प्रयोजन ही

नियमभावे अविषया<sup>१</sup> वधनिवृत्तिरिति । कालान्तरहननेऽपि नियमतः संभवेऽभ्युपगम्यमाने । किं तथा निवृत्त्या ? न किञ्चिदित्यर्थः । कुत इत्याह—नियमभङ्गात् संभव एव सति निवृत्त्यभ्युपगमः, संभवश्च कालान्तरहननमेवेति नियमभङ्ग इति ॥२३८॥

चरमविकल्पद्वयाभिधत्सयाह—

अत्रहे वि नो प्रमाणं सुदुह्यरं अत्रिसओ य विसओ से ।

सत्ती उ कज्जगम्मा सइ तंमि किं पुणो तीए ॥२३९॥

अवधेऽपि न प्रमाणं यद्यवधः संभवः इत्यत्रापि प्रमाणं न ज्ञायते एतेषामस्मादवध इति । सुदुह्यरं अतितराम् । अविषयश्च विषयः सेतस्या निवृत्तेः । अविषयत्व तु तेषां वधासंभवात्, अवधस्यैव, संभवत्वात्, अस्मिन् सति निवृत्त्यभ्युपगमादिति । शक्तिस्तु कार्यगम्या वधशक्तिरपि संभवो न युज्यते, यतोऽसौ कार्यगम्यैवेति न वधमन्तरेण ज्ञायते । सति च तस्मिन्वधे किं पुनस्तथा निवृत्त्या, तस्य संपादितत्वादेवेति ॥२३९॥

संभवमधिकृत्य पक्षान्तरमाह—

जज्जाईओ अ हओ तज्जाईएसु संभवो तस्स ।

तेसु सफला निवित्ती न जुत्तमेयं पि वभिचारा ॥२४०॥

क्या रह जाता है ? कुछ भी नहीं । इससे यदि सम्भवका अर्थ कालान्तरमें उस वध प्राणिका वध ही वादीको अभोष्ट हो तो वह भी उचित न होगा, क्योंकि कालान्तरमें वधके करनेपर पूर्वमें जो उस वधका नियम किया गया था वह नियमसे भग हो जानेवाला है, क्योंकि वादीने भविष्यमें किये जानेवाले उस वधको ही सम्भव माना है ॥२३८॥

आगे अन्तिम दो विकल्पोंमें भी दोष दिखलाये जाते हैं—

तीसरे विकल्पभूत अवधमें कोई प्रमाण नहीं है, इस प्रकार जो वधका अतिशय अविषय है वही उस वधको निवृत्तिका विषय ठहरता है । तब सम्भवसे यदि शक्तिको ग्रहण किया जाता है तो वह शक्ति तो कार्यसे जानी जा सकती है, इस प्रकार कार्य हो जानेपर उस निवृत्तिका प्रयोजन ही क्या रह जाता है ? कुछ भी नहीं ।

विवेचन—तीसरे विकल्पभूत सम्भवका अर्थ यदि अवध किया जाता है तो इसमें 'ये प्राणी अमुक प्राणीसे अवध्य हैं' इसका ज्ञान कैसे हो सकता है ? वह अशक्य है । इसके अतिरिक्त जिसके द्वारा जिनका वध नहीं हो सकता है उनके अवधको सम्भव स्वीकार करते हुए तदनुसार जो वधके विषय नहीं हैं वे ही उस वधनिवृत्तिके विषय ठहरते हैं । इस प्रकार इस तीसरे विकल्पमें अविषयको विषय करनेके कारण वह वधनिवृत्ति निष्फल ही सिद्ध होती है । तब अन्तिम विकल्पका आश्रय लेकर यदि सम्भव शब्दसे वधशक्तिको ग्रहण किया जाता है तो उस वधशक्तिका परिचय वधरूप कार्यसे ही हो सकता है । इस प्रकार उस शक्तिको ज्ञात करनेके लिए यदि वध ही कर दिया जाता है तो वैसी स्थितिमें उस वधको निवृत्तिसे कुछ प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं है । इस प्रकार विचार करनेपर जब 'सम्भव' का अर्थ ही घटित नहीं होता तब 'जिन प्राणियोंका वध सम्भव है उन्हींके वधको निवृत्ति कराना चाहिए' यह जो वादीके द्वारा कहा गया है वह असंगत ही ठहरता है ॥२३७-२३९॥

इस प्रकार उक्त चार विकल्पोंमें सम्भवके घटित न होनेपर वादीके द्वारा स्थापित सम्भवके अन्य पक्षको दिखलाते हुए उसका निराकरण किया जाता है—



यज्जातीय एव हतः स्यात् कृम्यादिस्तज्जातीयेषु संभवस्तस्य वधस्य । अतस्तेषु सफला निवृत्तिः, सविषयत्वादिति एतदाशङ्क्याह—न युक्तमेतदपि, व्यभिचारात् ॥२४०॥  
व्यभिचारमेवाह—

वावाइज्जइ कोई हए वि मनुयंमि अन्नमणुएणं ।

अहए वि य सीहाओ दीसइ वहणं पि' वभिचारा ॥२४१॥

व्यापाद्यते कश्चिदेव हतेऽपि मनुष्ये सकृत् अन्यमनुष्येण, तथा लोके वर्शनात् । अतो यज्जातीयस्य हतस्तज्जातीयेषु संभवस्तस्येति नैकान्तः, तेनैव अन्यमनुष्येणैव व्यापादनात् । तथा अहतेऽपि च सिंहादी आजन्म दृश्यते हनन कादाचित्कमिति व्यभिचार इति ॥२४१॥

नियमो न संभवो इह हंतव्वा किं तु सत्तिमित्तं तु ।

सा जेण कज्जगम्मा तयभावे किं न सेसेसु ॥२४२॥

जिस जातिका प्राणी मारा जा चुका है उस जातिके प्राणियोमे उस वधकी सम्भावना है, अत एसे प्राणियोके वधकी निवृत्ति सफळ हो रहती है । यह भी वादोका कहना युक्तिसगत नहीं है, क्योंकि उसमे व्यभिचार ( दोष ) सम्भव है ॥२४०॥

आगे उसी व्यभिचारको दिखलाया जाता है—

मनुष्यके मारे जानेपर कोई प्राणी अन्य मनुष्यके द्वारा मारा जाता है । तथा सिंहादिके न मारे जानेपर भी उनका मारा जाना देखा जाता है, इससे इस पक्षमें व्यभिचार सम्भव है ।

विवेचन—वादोका अभिप्राय यह है कि किसी मनुष्यके द्वारा एक मृगका वध करनेपर यह ज्ञात हो जाता है कि मृगजातिके सभी प्राणी मनुष्यके द्वारा वध्य हैं, अत. उसे मृगोके वधकी जब निवृत्ति करायी जाती है तो वह सफळ ही रहती है, ऐसी अवस्थामें उसे निष्फल कहना उचित नहीं, वादीके इस कथनमें यहाँ दोष दिखलाते हुए यह कहा गया है कि वादीका वैसा कहना युक्तिसगत नहीं है, क्योंकि उसमें व्यभिचार ( अनैकान्तिकता ) देखा जाता है । जैसे—किसी सर्पने मनुष्यको डँस लिया, जिससे वह मरणको प्राप्त हो गया । इसे देखते हुए भी यह नियम नहीं बन सकता कि सर्प मनुष्य जातिके सभी प्राणियोका वध कर सकता है, क्योंकि अन्य मनुष्यके द्वारा उस सर्पका भी मारा जाना देखा जाता है । इसके अतिरिक्त किसीने कभी सिंहका वध नहीं किया था, पर अन्तमे कभी उसके द्वारा सिंहका वध करते भी देखा जाता है । इससे यह नियम नहीं बन सकता कि सिंह मनुष्यके द्वारा अवध्य है । इस कारण वादीका यह कहना कि जिस जातिका प्राणी मारा गया है उस जातिके सभी प्राणी उसके द्वारा वध्य हैं, युक्तिसगत नहीं है, क्योंकि उस प्रकारके नियममें ऊपर दोष दिखलाया जा चुका है ॥२४०-२४१॥

आगे वादीके द्वारा प्रकट किये जानेवाले 'सम्भव'के अन्य अभिप्रायका भी निराकरण किया जाता है—

वादी कहता है कि उस जातिके सभी वध्य हैं, ऐसे नियमका नाम सम्भव नहीं है, किन्तु वधकी शक्ति मात्रका नाम सम्भव है । इस अभिप्रायका भी निराकरण करते हुए कहा गया है कि यह कहना भी योग्य नहीं है, क्योंकि वह शक्ति कार्यके होनेपर ही जानी जा सकती है । यदि कहो कि वधरूप कार्यके बिना भी उस शक्तिका बोध हो सकता है तो उस अवस्थामे शेष प्राणियो-

नियमो न संभव इहावश्यता<sup>१</sup> न संभव इहोच्यते, यद्गत यज्जातीय एको हतस्तज्जातीयाः सर्वेऽपि हन्तव्याः, यज्जातीयस्तु न हतस्तज्जातीया न हन्तव्या एव । किन्तु शक्तिमात्रमेव तज्जातीयेतरेषु व्यापादनशक्तिमात्रमेव संभवः । तत्कथं दोषोऽनन्तरोदितो नैवेत्यभिप्राय इति एतदाशङ्क्याह—सा येन कार्यगम्येति सा शक्तिर्यस्मात्कार्यगम्या वर्तते अतो दोष इति, वधमन्तरेण तदपरिज्ञानात् । सति च तस्मिन् किं तयेत्यभिहितमेवैतत् । अथ सा कार्यमन्तरेणाप्यभ्युपगम्यते इति एतदाशङ्क्याह—तदभावे कार्याभावे । किं न शेषेषु सत्त्वेषु साम्युपगम्यते ? तथा च सत्यविशेषत एव निवृत्तिसिद्धिरिति ॥२४२॥

स्यादेतन्न सर्वसत्त्वेषु सा अतो नाम्युपगम्यत इति । आह च—

नारगदेवाईसुं असंभवा समयमाणसिद्धीओ ।

इत्तु च्चिय तस्सिद्धी असुहासयवज्जणमदुद्धा ॥२४३॥

नारक-देवादिष्वसंभवाद्वाद्यापादनशक्तेरिच्छक्रमायुषस्त इति आदिशब्दाद्देवकुरुनिवास्यादिपरिग्रहः<sup>२</sup> कुत एतदिति चेत् समयमानसिद्धेरागमप्रामाण्यादिति । एतदाशङ्क्याह—अत एव

के विषयमे भी उस शक्तिकी सम्भावना क्यो नही हो सकती है ? उनके वधविषयक शक्तिकी भी सम्भावना की जा सकती है ।

विवेचन—जिस जातिका एक प्राणी मारा गया है उस जातिके सब प्राणियोंके वधकी शक्ति है, इसे वादोने सम्भव बतलाया था, जिसका निराकरण करते हुए उसे व्यभिचरित ठहराया गया था । इस व्यभिचार दोषको असम्भव बतलाते हुए यहाँ वादी कहता है कि जिस जातिका प्राणी मारा गया है उस जातिके सभी प्राणी वध्य हैं तथा जिस जातिका प्राणी नहीं मारा गया है उस जातिके सब वध्य नहीं है, इस प्रकारके नियमको हम सम्भव नहीं कहते, जिसके आश्रयसे व्यभिचार दोष दिया गया है । किन्तु विवक्षित वधकके द्वारा जिस जातिका एक प्राणी मारा गया है उस जातिके सब प्राणियोंके वधविषयक शक्ति उसमे है । अतः उस शक्तिके निरोधके लिए उसे उनके वधकी निवृत्ति कराना उचित व सफल है । इससे जो पूर्वमें ( २४० ) व्यभिचार दोष दिया गया है वह दोष लागू नहीं होता । वादोके इस कथनको असंगत ठहराते हुए यहाँ पुनः यह कहा गया है कि उस शक्तिका बोध वधरूप कार्यके बिना नहीं हो सकता है । और यदि वधरूप कार्यके बिना भी उस शक्तिका परिज्ञान सम्भव है तो फिर विवक्षित जातिके अतिरिक्त अन्य प्राणियोंके वधविषयक शक्तिकी भी सम्भावना उसमें क्यो नही की जा सकती है ? उनके विषयमे भी वह सम्भव है । इसलिए सामान्यसे सभी प्राणियोंके वधविषयक निवृत्ति कराना चाहिए, न कि किसी विशेष जातिके ॥२४२॥

इसपर वादी पुनः कहता है—

नारक व देव आदिके विषयमें वधशक्ति सम्भव नहीं है, यह आगमप्रमाणसे सिद्ध है । इसके उत्तरमे कहा जाता है कि उस आगम प्रमाणसे तो समस्त प्राणियोंके वधकी निवृत्ति भी सिद्ध है । सामान्यसे की जानेवाली वधकी निवृत्तिमे चूंकि अशुभ अभिप्रायका परित्याग किया जाता है, इसीलिए वह निर्दोष है ।

विवेचन—वादो कहता है कि जब नारक व देव आदिके वधकी शक्ति किसीमे नहीं है तब उनके भी वधकी निवृत्ति कराना असंगत है । उक्त नारक आदि किसीके द्वारा नहीं मारे जा

समयमानसिद्धेः तत्सिद्धिः सर्वप्राणातिपातनिवृत्तिसिद्धिः “सर्वं भंते पाणाइवायं पचचखामि” इत्यादिवचनप्रामाण्याद् । आगमस्याप्यविषयप्रवृत्तिर्दुष्टैवेति एतदाशङ्क्याह—अशुभाशयवर्जनमिति कृत्वा अदुष्टा तद्वधनिवृत्तिः, अन्तःकरणादिसंभवालंबनत्वाच्चेति वक्ष्यतीति ॥२४३॥

आवडियाकरणं पि हु न अप्पमायाओ नियमओ अन्नं ।

अन्नत्ते तन्भावे वि हंत विहला तई होइ ॥२४४॥

आपत्तिताकरणमपि पूर्वपक्षवाद्युपन्यस्तम् । नाप्रमादास्त्रियमतोऽन्यत्, अपि त्वप्रमाद एव तदिति । अन्यत्वेऽप्रमादादर्थान्तरत्वे आपत्तिताकरणस्य । तद्भावेऽप्यप्रमादभावेऽपि हंतं विफलासी निवृत्तिर्भवति, इष्यते चाविप्रतिपत्त्या अप्रमत्ततायां फलमिति ॥२४४॥

सकते हैं, यह आगमप्रमाणसे सिद्ध है, क्योंकि परमागममे उन्हे निरूपक्रमायुष्क कहा गया है । वादीके इस अभिमतका निराकरण करते हुए यहाँ यह भी कहा गया है कि जिस आगममें उक्त देव-नारक आदिको निरूपक्रमायुष्क कहा गया है उसी आगममे समस्त प्राणियोंके वधके प्रत्याख्यानको भी विधेय कहा गया है । तदनुसार सामान्य सब ही प्राणियोंके वधकी निवृत्तिको क्यों न उचित माना जाये ? उसे ही उचित मानना चाहिए । इसपर वादो पुनः यह कहता है कि आगमकी इस अविषय प्रवृत्तिको निर्दोष नहीं कहा जा सकता । इसको लक्ष्यमे रखकर यहाँ कहा गया है कि सब प्राणियोका वध सम्भव हो या न भी हो तो भी सामान्यसे समस्त प्राणियोंके वधकी निवृत्तिको स्वीकार करनेपर प्रत्याख्यान करनेवालेका अभिप्राय निर्मल रहता है, अतः समस्त प्राणियोंके ही वधविषयक निवृत्तिको उचित माना गया है ॥२४३॥

आगे वादीके द्वारा जिस आपत्तिताकरणका पूर्वमे ( २३५ ) निर्देश किया गया है उसका यथार्थ अभिप्राय क्या है, यह दिखलाते हैं—

आपत्तिताका अकरण—वधकी निवृत्तिके स्वीकार करनेपर वधविषयक शक्तिके होते हुए भी अवसर प्राप्त होनेपर उसे न करना—भी अप्रमादसे कुछ भिन्न नहीं है, किन्तु वह अप्रमाद ( प्रमादके अभाव ) स्वरूप ही है । यदि ऐसा न मानकर उक्त आपत्तिताके अकरणको उससे ( प्रमादके अभावसे ) भिन्न माना जाता है तो आपत्तिताके न करनेपर भी खेद है कि वह निवृत्ति निष्फल हो रहनेवाली है ।

विवेचन—वादीने अपने पक्षको स्थापित करते हुए यह कहा था कि जिन प्राणियोका वध किया जा सकता है उन्हीके वधकी निवृत्ति करना योग्य है, क्योंकि तब निवृत्तिको स्वीकार करनेवाला आपत्तिताके अकरणमें—उपस्थित वध प्राणीके वधका अवसर प्राप्त होनेपर भी वह अपनी वधविषयक उस शक्तिको रोककर उसका वध नहीं करता है । इसलिए यहाँ उस वधकी निवृत्तिको सफलता देखी है । पर जिन नारक और देवादिका वध शक्य ही नहीं है उनके वधकी निवृत्तिका कुछ फल सम्भव नहीं है, क्योंकि वहाँ उस अविद्यमान शक्तिका निरोध सम्भव नहीं है । इस प्रकार वादीने जिस आपत्तिताकरणको सम्भवका अर्थ प्रकट किया था उसके यथार्थ अभिप्रायको व्यक्त करते हुए सिद्धान्त पक्षकी ओरसे कहा गया है कि उपर्युक्त आपत्तिताकरण अप्रमादसे कुछ भिन्न नहीं है, किन्तु वह उस अप्रमाद—प्रमादके अभावस्वरूप ही है । इसके विपरीत यदि उसे अप्रमादसे भिन्न-प्रमादस्वरूप माना जाता है तो उस आपत्तिताकरणके होते हुए भी उस निवृत्तिका कुछ फल सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रमादके रहनेपर किया जानेवाला

अह परपीडाकरणे ईसिवहसत्तिविष्फुरणभावे ।

जो तीइ निरोहो खलु आवडियाकरणमेयं तु ॥२४५॥

अथैवं मन्येत परः—परपीडाकरणे व्यापाद्यपीडासंपादने सति । ईषद्वधशक्तिविष्फुरण-  
भावे व्यापादकस्य मनाग्वधसामर्थ्यविजृभणसत्तायां सत्याम् । यस्तस्याः शक्तेर्निरोधो दुष्करतरं  
आपतिताकरणमेतदेवेति एतदाशङ्क्याह ॥२४५॥

विहितोत्तरमेवेयं अपेण सत्ती उ<sup>३</sup> कज्जगम्मत्ति ।

विष्फुरणं पि हु तीए बुहाण नो बहुमयं लोए ॥२४६॥

विहितोत्तरमेवेदम् । केनेति अत्राह—अनेन शक्तिस्तु कार्यगम्येति । विष्फुरणमपि तस्याः  
शक्तेर्बुधानां न बहुमतं लोके मरणाभावेऽपि परपीडाकरणे बन्धादिति ॥२४६॥

एवं च जानिविती सा चेव वहोऽहवावि<sup>३</sup>वहहेऊ ।

विसओ वि सु च्चिय फुडं अणुबंधा होइ नायव्वा ॥२४७॥

कोई भी प्रत्याख्यान सफल नहीं हो सकता । इस प्रकार वह अप्रमादभाव जिस प्रकार शक्य वध-  
वाले प्राणियोंके [विषयमे रह सकता है उसी प्रकार अशक्य वधवाले प्राणियोंके विषयमे भी वह  
सम्भव है । अतएव सामान्यसे समस्त प्राणियोंके वधविषयक निवृत्ति ही उचित ठहरती  
है ॥२४४॥

आगे वादी प्रकारान्तरसे उस आपतिताकरणके अभिप्रायको व्यक्त करता है—

वह कहता है कि वधके योग्य अन्य प्राणीको पीडित करनेपर जिस वधविषयक उस  
शक्तिका कुछ परिचय प्राप्त होता है उस शक्तिको रोकना—उसका वध न करना, यही निश्चयसे  
वह आपतिताकरण है । इस प्रकार वादीकी ओरसे यह शंका की गयी है ।

विवेचन—वधक किसी जातिके एक प्राणीको जो पीड़ा पहुँचाता है उससे उस जातिके  
समस्त प्राणियोंके वधविषयक शक्तिका परिचय वधक्रियाके न करनेपर भी प्राप्त हो जाता है ।  
अवसर प्राप्त होनेपर इस शक्तिको रोकना, यही उस आपतिताकरणका अभिप्राय है । तदनुसार  
पूर्वोक्त दोषकी सम्भावना नहीं रहती ॥२४५॥

इस अभिप्रायका निराकरण करते हुए यहाँ यह कहा जाता है—

‘वह शक्ति वधरूप कार्यसे ही जानी जा सकती है’ यह जो पूर्वमे (२४२) कहा जा चुका है  
उसीसे इसका उत्तर हो जाता है । इसके अतिरिक्त प्राणीको पीडा पहुँचाकर जो उस शक्तिके  
विकासका परिचय पाना है वह भी लोकमे विद्वज्जनको बहुमत नहीं है, किन्तु घृणास्पद ही है;  
किन्तु मारनेके बिना भी जो प्राणीको पीडा पहुँचायी जाती है उससे भी सक्लेशके कारण कर्मका  
बन्ध होनेवाला ही है ॥२४६॥

अब इस प्रकरणका उपसंहार किया जाता है—

इस प्रकार—उपर्युक्त व्यवस्थाके अनुसार जो वधसे अनिवृत्ति है वही वध अथवा वधका  
हेतु है, वधका विषय भी स्पष्टतया वही अनिवृत्ति है, क्योंकि वधकी निवृत्तिके न होनेपर उसकी  
प्रवृत्तिका सम्बन्ध बना ही रहता है ।

१. अ हु करतर । २. अ सत्ती ए । ३. अ<sup>०</sup>त्ती सब्बे वहो हवावि ।

एवं च व्यवस्थिते सति । या अनिवृत्तिः सैव वधो निश्चयतः, प्रमादरूपत्वात् । अथवापि वधहेतुरनिवृत्तितो वधप्रवृत्तेः । विषयोऽपि वस्तुतो गोचरोऽपि सैवानिवृत्तिबंधस्य । स्फुट व्यवहृतम् । अनुबंधात्प्रवृत्त्यध्यवसायानुपरमलक्षणाद्भवति ज्ञातव्या अस्या एव वधसाधकत्वप्राधान्यख्यापनायं हेतुविषयाभिधानमदुष्टमेवेति ॥२४७॥

अमुमेवार्थं समर्थयन्नाह—

हिंसाइपायगाथो अप्पडिविरयस्स अत्थि अणुबंधो ।

अत्तो<sup>२</sup> अणिवत्तीओ<sup>३</sup> कुलाइवेरं व नियमेण ॥२४८॥

हिंसादिपातकादादिशब्दात् मृषावादादिरिग्रहः । अप्रतिविरतस्यानिवृत्तस्यास्त्यनुबन्धः प्रवृत्त्यध्यवसायानुपरमलक्षणः । उपपत्तिमाह—अत एवानिवृत्तेः प्रवृत्तेः कुलादिवैरवसिय-मेनावश्यंतयेति ॥२४८॥

दृष्टान्तं व्याचिख्यासुराह—

जेसि मिहो कुलवेरं अप्पडिविरईउ तेसिमन्नोन्नं ।

वहकिरियाभावंमि वि न तं सयं चैवं उवसमइ ॥२४९॥

विवेचन—यहां वधकी निवृत्तिको आवश्यक बतलाते हुए सर्वप्रथम उस वधविषयक अनिवृत्ति—उसके प्रत्याख्यान न करने—को ही वध कहा गया है । कारण इसका यह है कि जब-तक जीव वधकी निवृत्तिको स्वीकार नहीं करता तबतक प्रमाद वना ही रहता है, और जबतक प्रमाद है तबतक तज्जन्य कर्मका बन्ध भी सम्भव है । यही कारण है जो जन्तुपीडाके परिहारमें सदा सावधान रहनेवाले साधुके गमनागमनादि रूप प्रवृत्तिमे प्राणिपीडाके सम्भव होनेपर भी उसके अहिंसा महाव्रतमें कोई दोष नहीं लगता । इसीसे उसके प्रमादजनित बन्ध भी नहीं होता है । आगे चलकर वधकी अनिवृत्तिको उस वधका कारण भी कहा गया है । इसका भी कारण यह है कि जबतक उस वधकी निवृत्तिको स्वीकार नहीं किया जाता तबतक उसका परिहार सम्भव नहीं है—तदनु रूप परिस्थितिके निर्मित होनेपर वह वधमे प्रवृत्त हो सकता है । इसके अतिरिक्त चूँकि उसको निवृत्तिके बिना वधविषयक सकल्पका अन्त होता नहीं है, अतएव उस वधविषयक अनिवृत्तिको वधका विषय भी बतलाया गया है । इस प्रकार जब यह वधविषयक अनिवृत्ति स्वयं वधस्वरूप, वधकी कारण और उस वधकी विषय भी है तब उस वधकी निवृत्तिको आवश्यक और कल्याण करनेवाली समझना चाहिए ॥२४७॥

आगे इसीका समर्थन करते हैं—

जो हिंसा व असत्यभाषण आदि पापोसे विरत नहीं है उसके इस अनिवृत्तिसे कुलादि वैरके समान तद्विषयक अनुबन्ध—उससे सम्बन्ध रखनेवाली प्रवृत्तिके परिणामसे अविरक्त—नियमसे बनी ही रहती है ॥२४८॥

आगे उक्त दृष्टान्तको स्पष्ट किया जाता है—

जिन मनुष्योंमें परस्पर कौटुम्बिक वैर रहता है उनके मध्यमें परस्पर वधरूप कार्यके न होनेपर भी वधक्रियासे निवृत्त न होनेके कारण वह वैरभाव स्वयं उपशान्त नहीं होता ।

१. अ हिंसाएपाएगाउ अप्पडि<sup>०</sup> । २. अ एत्तो । ३. म अणिवत्तीओ । ४. विरतअत्थिअणुबधोस्सा-प्रवृत्त्यव्यवसाया<sup>०</sup> । ५. अ वि णियवस चैव ।

येषां पुरुषाणाम् । मिथः परस्परम् । कुलवैरमन्वयासंखटम् । अप्रतिविरतेः कारणात् । तेषाम् अन्योन्यं परस्परम् । वधक्रियाभावेऽपि सति न तत्स्वयमेवोपशाम्यति किं तूपशमितं सदिति ॥२४९॥

ततो य तन्निमित्तं इह बंधणमाइ जह तहा बंधो ।

सन्वेसु नाभिसंधी जह तेसु<sup>२</sup> तस्स तो नत्थि ॥२५०॥

ततश्च तस्मादनुपशमात् । तन्निमित्तं वैरनिबन्धनमिह बन्धनादि बन्धवधादि यथा भवति तेषां तथेतरेषामनिवृत्तानां तन्निबन्धनो बन्ध इति । अत्राह—सर्वेषु प्राणिषु । नाभिसंधि-

विवेचन—अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार परस्पर वैरके वशीभूत हुए दो कुटुम्बोमे एक दूसरेका घात तो करना चाहते हैं, पर तदनुकूल अवसर न मिलनेसे उनमे कोई किसीका घात नहीं कर पाता है । फिर भी जबतक उनका वह वैरभाव शान्त नहीं हो जाता है तबतक वे एक दूसरेके अनिष्टका चिन्तन किया ही करते हैं । इससे वे निरन्तर सक्लिष्ट परिणामके वशीभूत होनेसे पाप कर्मको बांधते ही रहते हैं । ठोक इसी प्रकारसे गृहस्थ जबतक हिंसादि पापोका परित्याग नहीं करता है तबतक वह उनसे निवृत्त न होनेके कारण समय आनेपर वह हिंसादि पापोमे प्रवृत्त भी हो सकता है । अतः कर्मबन्धके कारणभूत संक्लेश परिणामसे बचनेके लिए उन हिंसादि पापोका प्रत्याख्यान करना ही श्रेयस्कर है । प्राणोके प्राणोका विघात करना ही हिंसा नहीं है, किन्तु जैसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है उसके विषयमे राग-द्वेषादि रूप परिणामोका बना रहना ही वस्तुतः हिंसाका लक्षण है । आचार्य अमृतचन्द्रने अहिंसा और हिंसाका लक्षण इसी प्रकारका निर्दिष्ट किया है । यथा—

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिरहिसेति जिनागमस्य सक्षेपः ॥ पु. सि, ४४ ॥

अर्थात् राग-द्वेषादि परिणामोके उत्पन्न न हाने देनेका नाम अहिंसा और उन्हीकी उत्पत्तिका नाम हिंसा है । सक्षेपमे यह परमागमका रहस्य है ॥२४९॥

आगे उस कुलादि वैरका क्या परिणाम होता है, इसे स्पष्ट करते हुए वादोके द्वारा फिरसे की गयी शंकाको व्यक्त करते हैं—

एक कुलादि वैरके स्वयं शान्त न होनेसे उसके निमित्तसे यहाँ जिस प्रकार उनके वध-बन्धन आदि होते हैं उसी प्रकार पापकी निवृत्तिसे रहित जीवोके संक्लेश परिणामके निमित्तसे कर्मका बन्ध हुआ करता है । यहाँ वादी पुनः आशंका करता है कि जिस प्रकार जिन दो कुलोमें वैरभाव होता है उन्हीके मध्यमे परस्पर दुष्ट अभिप्राय रहता है, न कि सभी जीवोके विषयमें, अतः उतने मात्रके आश्रय ही उनके बन्ध सम्भव है । इसी प्रकार प्रत्याख्यान करनेवाले जीवके भी समस्त प्राणियोके आश्रयसे बन्ध नहीं होता है, किन्तु वध करने योग्य जिन प्राणियोके वध-विषयक निवृत्ति नहीं की गयी है मात्र उनके आश्रयसे ही बन्ध सम्भव है ।

विवेचन—यहाँ ऊपर दिये गये कुलवैरके आश्रयसे वादी अपना अभिमत प्रकट करते हुए कहता है कि जिस कुलके मनुष्योंसे दूसरे कुलके मनुष्योंसे वैरभाव है वे केवल उसी कुलके मनुष्यों-

१. अ तन्निमित्तो बहवधणमाति जह । २. अ एत्ति । ३. अ<sup>०</sup>मिह बंधवधादियथा भवति तथा ( अतोऽप्रेऽत्र पूर्वगाथा २४९ गत 'वधक्रियाभावमि' इत्यादिसदभोऽग्निमगाथा २५० गत 'सन्वेसु नाभि' पर्यन्त. पुनर्लिखितोऽस्ति । तदप्रे च 'कितु' लिखित्वा 'वैरिद्रगनिवासिनामेव' प्रभृतिरग्निमसंदर्भो लिखितोऽस्ति ।

व्यापादनपरिणामः । यथा तेषु द्रगनिवासिषु वैरवत इति । तस्य प्रत्याख्यातुस्ततो नास्ति बन्धः इति । तथाहि—तेऽपि न यथादर्शनमेव प्राणिना बन्धादि कुर्वन्ति, किंतु वैरिद्रगनिवासिनामेव । एवं प्रत्याख्यातुरपि न सर्वेषु वधाभिसधिरिति तद्विषये बन्धाभाव इति ॥२५०॥

एतदाशङ्क्याह—

अतिथिचिचय अभिसंधी अविसेसपवित्तिओ जहा तेसु ।

अपवित्ती य विणिवित्तीजो उं तेसिं व दोसो उ ॥२५१॥

अस्त्येवाभिसधिरनन्तरोदतलक्षणः सर्वेषु । कुतोऽविशेषप्रवृत्तितः सामान्येन वधप्रवृत्तेः । यथा तेषु रिपुद्रागनिवासिषु वैरवतः । ततश्चाप्रवृत्तावपि वधे अनिवृत्तिज एव तेषामिव वैरवता दोष एवमनिवृत्तस्य गर्भार्थो भावित एवेति ॥२५१॥

अदृष्टान्त एवायम्, सर्वसत्त्वैर्वैरासभवादिति आशङ्क्याह—

सन्वेसिं विराहणओ परिभोगाओ य हत वेराई ।

सिद्धा अणाइनिहणोज ससारो विचित्तो य ॥२५२॥

सर्वेषा प्राणिनाम् । विराधनात्तन तेन प्रकारेण परिभोगाच्च स्रक्चन्दनोपकरणत्वेन । हन्त वेरादयः सिद्धाः हत सप्रषणे<sup>२</sup> स्थानान्तरप्रापणे सति वैरोन्माथकादयः कूटयन्त्रकादयः

के मारण-ताडन आदिका अभिप्राय रखते हैं, न कि विश्वके सभी प्राणियोंके विषयमे । इसलिए केवल उनके निमित्तसे ही उनमे कर्मका बन्ध सम्भव है, न कि समस्त प्राणियोंके निमित्तसे । इसी प्रकारसे विशेष रूपमे शक्य वधवाले प्राणियोंके वधकी निवृत्तिको स्वीकार करनेवालेका दुष्ट अभिप्राय जब अशक्य वधवाले अन्य समस्त प्राणियोंके विषयमें नहीं रहता है तब उनके निमित्तसे उसके कर्मका बन्ध क्यों होगा ? वह नहीं होना चाहिए ॥२५०॥

आगे वादीकी इस शकाका उत्तर दिया जाता है—

सामान्यसे सब जीवोंके वधके विषयमे निवृत्तिको स्वीकार न करनेवाले मनुष्यका वधविषयक अभिप्राय रहता ही है, क्योंकि वह सामान्यसे प्रवृत्ति करता है । जिस प्रकार कुलवैरवालेका अभिप्राय सामान्यसे उस कुलमे वर्तमान सभी मनुष्योंके वध-बन्धनादि-विषयक रहा करता है । इस प्रकार सबके वधमे प्रवृत्त न होनेपर भी उसके अनिवृत्तिजनित दोष होता ही है ॥२५१॥

कुलवैरका जो दृष्टान्त दिया गया है वह वस्तुतः दृष्टान्त नहीं है क्योंकि कुलवैरवालोका विश्वके सब प्राणियोंसे वैर सम्भव नहीं है, वादीकी इस आशंकाको हृदयगम कर आगे यह कहा जाता है—

सभी जीवोंकी विराधना करनेके कारण तथा माला व चन्दन आदि सबका उपभोग करनेके कारण सबके साथ वैर आदि सिद्ध हैं, क्योंकि ससार अनादि-निधन व विचित्र है ।

विवेचन—वादीकी उक्त शकाको हृदयगम कर यहाँ यह कहा गया है कि ससार चूँकि अनादि व अनन्त है, अतएव वह इस ससार परम्परामें व्यक्ति जब तब जिस किसीके वध-बन्धनादिका विचार कर सकता है । इससे वैर-विरोधादिको असम्भव नहीं कहा जा सकता है । इसके

प्रतिष्ठिताः सर्वसत्त्वविषया इति । उपपत्त्यन्तरमाह—अनादिनिघ्नो यत्संसारो विचित्रश्चातो  
युज्यते सर्वमेतदिति ॥२५२॥

उपसंहरन्नाह—

ता बंधमणिच्छंतो कुञ्जा सावज्जजोगविनिवृत्ति ।

अविसयंअनिवृत्तीए सुहभावा ददयरं स भवे ॥२५३॥

यस्मादेवं तस्माद् । बन्धमनिच्छन्नात्मनः कर्मणाम् । कुर्यात्सावद्ययोगनिवृत्तिमोघत. सपाप-  
व्यापारनिवृत्तिमित्यर्थः । अविषयानिवृत्त्या नारकादिवधाभावेऽपि तदनिवृत्त्या । अशुभभावाद-  
विषयेऽपि वधविरति न करोतीत्यशुभो भावस्तस्मात् । दृढतरं सुतरा स भवेद्बन्धो भावप्रधान-  
त्वात्तस्येति ॥२५३॥

इतो य इमा जुत्ता जोगतिगनिबंधणा पवितीओ ।

जं ता इमीइ विसओ सन्वु च्चिय होई विन्नेओ ॥२५४॥

इतश्चेयं निवृत्तिर्युक्ता । योगत्रिकनिबन्धना मनोवाक्काययोगपूर्विका प्रवृत्तिर्यद्यस्मादस्या

अतिरिक्त उपभोगमे भी वह जीवोकी विराधना कर सकता है तथा कूटयन्त्र ( पशु-पक्षियोंको पकडनेके लिए मास आदिसे सलग्न यन्त्रविशेष आदिको प्रतिष्ठित कर प्राणियोंको पीडित किया जा सकता है । इस कारण सामान्यसे सर्वसावद्यसे की जानेवाली निवृत्ति ही संगत व उपयोगी सिद्ध होती है ॥२५२॥

अब इसका उपसंहार किया जाता है—

इस कारण जो आत्महितैषी बन्धकी इच्छा नहीं करता है उसे सामान्यसे समस्त सावद्य योगसे निवृत्ति करना चाहिए । कारण यह है कि जो नारक-देवादि वधके विषय नहीं हैं उनके वधविषयक अनिवृत्तिसे होनेवाले अशुभ परिणामसे वह दृढतर कर्मबन्ध होनेवाला है ।

विवेचन—अभिप्राय यह है कि कुछ नारक व देव आदि निरूपकमायुष्क जीव भले ही उस वधके विषय न हो, फिर उनके वधको निवृत्ति न करनेसे परिणामोमे क्लृप्तता सम्भव है, जो दृढ कर्मबन्धकी कारण हो सकती है, क्योंकि कर्मबन्धका कारण जीवका परिणाम है जो वध्य-  
अवध्य सभी प्राणीके विषयमे सम्भव है । समस्त प्राणियोंके वधविषयक निवृत्तिको स्वीकार न करना, यह प्राणीकी आत्मदुर्बलता ही समझी जायेगी जो अशुभाशयसे भिन्न नहीं हो सकती । सामान्यसे वधका प्रत्याख्यान करनेपर जिन प्राणियोंका वध सम्भव नहीं उनके विषयमे तो और भी निर्मल परिणाम रह सकते हैं । इसलिए कर्मबन्धके अनिच्छुक भव्य जीवको सामान्यसे हिंसादिरूप समस्त ही सावद्य परित्याग करना उचित है ॥२५३॥

आगे सामान्यसे की जानेवाली वधनिवृत्तिका अन्य कारण भी बतलाते हैं—

चूँकि जीवकी प्रवृत्ति मन, वचन और कायरूप तीनों योगोके कारणसे हुआ करती है, इसलिए भी सामान्यसे वधकी निवृत्ति करना योग्य है । इस प्रकार जब कि उस अनिवृत्तिका विषय सभी है तब निवृत्तिका विषय भी सब ही समझना चाहिए ।

विवेचन—अभिप्राय यह है कि जीवकी जो प्राणिवधादिमें प्रवृत्ति होती है वह मन, वचन व काय इन तीनों योगोके आश्रयसे हुआ करती है । इसलिए जिन नारक आदिका वध कायसे



अनिवृत्तेर्विषयः । सर्व एव भवति विज्ञेयः । पाठान्तरं योगत्रिकनिबन्धना निवृत्तिर्यस्मात्संगतार्थं-  
मेवेति ॥२५४॥

तथा चाह—

किं चित्तेऽ न मणसा किं वायाए न जंपए पावं ।

न य इत्तो वि न बंधो ता विरई<sup>१</sup> सव्वहा कुज्जा ॥२५५॥

किं चिन्तयति न मनसा, अनिरुद्धत्वात्सर्वत्राप्रतिहृतत्वात् तस्य । किं वाचा न जल्पति  
पापम्, तस्या अपि प्रायोऽनिरुद्धत्वादिति । न चातोऽपि योगद्वयव्यापारान्न बन्धः, किं तु बन्ध  
एव । यस्मादेवं तत्तस्माद्विरतिं सर्वथा कुर्यात् अविशेषेण कुर्यादित्यर्थः ॥२५५॥

एवं मिच्छादंसणवियप्पवसओऽसमंजसं केई ।

जंपंति जं पि अन्नं तं पि असार मुणेयव्वं ॥२५६॥

एवमुक्तप्रकारम् । मिथ्यादर्शनविकल्पसामर्थ्येन । असमंजसमघटमानकम् । केचन  
कुवादिनो जल्पन्ति यश्च्यव्यक्तिकचित्तद्वयसारं मुणितव्यमुक्तन्यायानुसारत एवेति ॥२५६॥

उक्तमानुषङ्गिकम्, अधुना प्रकृतमाह—

पडिवज्जिऊण य वयं तस्सइयारे जहाविहिं नाउं ।

संपुन्नपालणद्वा परिहरियव्वा पयत्तेणं ॥२५७॥

सम्भव नहीं है उनका वह वध मन व वचनसे सम्भव है—मनसे उनके वधका चिन्तन किया जा  
सकता है तथा वचनसे वैसा सम्भाषण भी किया जा सकता है । अतएव सामान्यसे सब ही  
प्राणियोंके वधकी निवृत्ति करना योग्य है, ऐसा करनेसे परिणामोंमें निर्मलता अधिक ही रहने-  
वाली है । इस गाथामे टीकाकारके अनुसार 'पवित्तोओ' के स्थानमे 'निवित्तोओ' पाठान्तर भी  
पाया जाता है । तदनुसार गाथाका अभिप्राय यह होगा—निवृत्ति चूँकि तीनों योगोके आश्रयसे  
हुआ करती है, इसलिए उसका विषय जब सब ही होती है तब नारक, देवादिके उस वधके  
विषय न होनेपर भी सामान्यसे सब ही प्राणियोंके वधकी निवृत्ति करना योग्य है ॥२५४॥

आगे इसे ही स्पष्ट किया जाता है—

जोव क्या मनसे पापका विचार नहीं करता है ? करता ही है, क्योंकि उसकी सर्वत्र है ।  
तथा वह क्या पापयुक्त भाषण नहीं करता है ? उसे भी वह करता है, क्योंकि उसे भी प्रायः  
रोका नहीं जा सकता है । तब वैसी परिस्थितिमें उन दोनोंके निमित्तसे बन्ध न होता हो, यह भी  
सम्भव नहीं है—उन दोनोंके निमित्तसे कर्मका बन्ध अवश्य होनेवाला है । इसीलिए विरति—  
सावद्य योगका प्रत्याख्यान—सर्वथा ( सामान्यसे ) करना योग्य है ॥२५५॥

इस प्रकार यहाँ कुछ वादियोंके अभिमतको दिखलाकर उसका निराकरण करते हुए अब  
उसका उपसंहार किया जाता है—

इस प्रकार मिथ्यादर्शनजनित विचारके वश कितने वादी अन्य जो कुछ भी असमजस—  
युक्ति व आगमसे असगत—कथन करते हैं उसे भी नि सार समझना चाहिए ॥२५६॥

इस प्रकार आनुसंगिक चर्चा करके अब प्रकृत विषयका विचार करते हैं—

प्रतिपद्य चाङ्गीकृत्य च व्रतम् । तस्य व्रतस्यातिचारा अतिक्रमणहेतवो यथाविधि यथाप्रकारम् । ज्ञात्वा परिहर्तव्याः सर्वैः प्रकारैर्वर्जनीयाः प्रयत्नेनेति योगः । किमर्थम् ? संपूर्णपालनार्थम् । न ह्यातिचारवतः संपूर्णा तत्पालना, तद्भावे तत्खंडनादिप्रसंगादिति ॥२५७॥

तथा चाह—

बंधवहृच्छविच्छेए अहभारे भक्तपाणवुच्छेए ।

कोहाइदूसियमणो गो-मणुयाईण नो कुज्जा ॥२५८॥

तत्र बन्धनं बन्धः संयमन रज्जु-दामनकादिभिः । १ । हननं वधस्ताडनं केशादिभिः । २ । छविः शरीरम्, तस्य छेदः पाटनं करपत्रादि । ३ । भरणं भारः, अतिभरणं अतिभारः, प्रभूतस्य पूगफलादेः स्कन्धपृष्ठारोपणमित्यर्थः । ४ । भक्तमज्ञानमोदनादि, पान पेयमुदकादि, तस्य व्यवच्छेदो निरोधः, अदानमित्यर्थः । ५ । एतान् समाचरन्नतिचरति प्रथमाणु व्रतम् । एतान् क्रोधादिदूषितमना न कुर्यादिति अनेनापवादमाह—अन्यथाकरणेऽप्रतिषेधावगमात् ।

तदत्रायं पूर्वाचार्योक्तविधिः—बंधो दुविहो दुपयाणं चउप्पयाणं च अट्टाए अणट्टाए न वट्टए बंधिउं । अट्टाए दुविहो सावेक्खो निरवेक्खो य । निरवेक्खो निच्चलं धणियं जं बंधइ, सावेक्खो जं दामगंठिणा, जं च सक्केइ पलिवणगादिसु मुंचिउं छिदिउं वा । ण संसरपासएणं बंधेयव्वं । एयं ताव चउप्पयाणं । दुपयाणपि दासो दासी वा चोरो वा, पुत्तो वा ण पढंतगाइ जइ बज्झंति तो सावेक्खा बंधेयव्वा रक्खियव्वा य जहा अग्गिभयादिसु ण विणसंति । ताणि किर दुपय-चउप्पयाणि सावगेणं गेल्लियव्वाणि जाणि अबद्धाणि चैव अच्छति । वहो वि तह चैव । वहो

व्रतको स्वीकार करके और आगमोक्त विधिके अनुसार उसके अतिचारोको जानकर स्वीकृत व्रतके पूर्णतया परिपालनके लिए प्रयत्नपूर्वक उन अतिचारोका परित्याग करना चाहिए ।

विवेचन—स्वीकृत व्रतके देशत भंग होनेका नाम अतिचार है । जिस व्रतको स्वीकार किया है आगमोक्त विधिके अनुसार उसका पूर्णतया निर्दोष परिपालनके लिए व्रतको भंग करने-वाले अतिचारोको जानकर उनका सर्वथा परित्याग करना उचित है ॥२५७॥

अब प्रकृतस्थूलप्राणिवधविरति नामक प्रथम अणुव्रतके अतिचारोका निर्देश किया जाता है—

प्रथम अणुव्रतका धारक श्रावक क्रोधादि कषायोसे मनको कलुषित कर गाय आदि पशुओ और मनुष्यो आदिका बन्ध, वध, छविछेद, अतिभार और भक्त-पानव्युच्छेद न करे ।

विवेचन—प्रकृत गाथामे अबसरप्राप्त उस स्थूलप्राणातिपात अणुव्रतको मलिन करनेवाले पांच अतिचारोके परित्यागकी प्रेरणा करते हुए उनके नामोका निर्देश किया गया है । (१) उनमे प्रथम अतिचार बन्ध है । बन्धका अर्थ है गाय-भैंस आदि पशुओ और मनुष्योको रस्सी आदिसे बांधकर रखना । यह बन्धन दो पांववाले मनुष्यो आदिका तथा चार पांववाले गाय, भैंस और घोडा आदिका किया जाता है । वह सार्थक और अनर्थकके भेदसे दो प्रकारका है । इनमेंसे अणुव्रती श्रावक अनर्थक—प्रयोजनके बिना—कभी बन्धनमे प्रवृत्त नहीं होता । सार्थक बन्धन भी सापेक्ष और निरपेक्षके भेदसे दो प्रकारका है । मनुष्य व पशुओको जो प्रयोजनके वश बांधा जाता है वह सार्थक बन्ध तो है, पर यदि इसमें उनकी सुरक्षाकी ओर ध्यान न देकर उन्हें अतिशय दृढ़तापूर्वक बांधा जाता है तो यह निरपेक्ष सार्थक बन्धन कहलाता है । इसमेंसे

नाम तालणं । अणट्टाए णिरवेक्खो निद्वयं तालेइ । सावेक्खो पुण पुव्वमेव भीयपरिसेण होयव्वं । जइ न करेज्ज तो मम्मं मोत्तुं ताहे लयाए दोरेण वा एककं दो तिन्नि वा वारे तालेइ । छविच्छेओ अणट्टाए तहेव, णिरवेक्खो हत्य-पाय-फन्न होट्ट-णक्काइ निद्वयाए छिदइ । सावेक्खो गडं वा अरइयं वा छिद्वेज्ज वा दहेज्ज वा । अइभारो ण आरोधेयव्वो । पुव्वि चैव जा वाहणाए जीविया सा मुत्तव्वा । न होज्ज अन्ना जीविया, ताहे दुपशे ज सय चैव उप्पिखवइ उत्तारेइ वा भारं एवं वहाविज्जइ । वइल्लाणं जहा साभावियाओ वि भाराओ अणओ कोरइ । हल-सगडेसु वि वेलाए चैव मुचइ । आस हत्थीसु वि एस चैव विहो । भत्तपाणओच्छेओ ण कस्सइ फायव्वो तिक्खच्छुहो मा मरेज्ज तहेव अणट्टाए दोसा परिहरेज्जा । सावेक्खो पुण रोगनिमित्तं वा

अकस्मात् आग वगैरह लगने या अन्य किसी उपद्रवके उपस्थित होनेपर बन्धनबद्ध प्राणीका छुटकारा पाना दुष्कर हो जाना है । अतः ऐसा निरपेक्ष सार्थक बन्धन सर्वथा हेय है । सापेक्ष सार्थक बन्धनमे प्राणीको इक्ष प्रकारको शिथिल गांठ आदि लगाकर बांधा जाता है कि जिससे कभी अग्नि वगैरहके प्रव्वलित होनेपर या अन्य किसी उपद्रवके उपस्थित होनेपर वह सरलतासे छूटकर या छुड़ाया जाजर आत्मरक्षा कर सकता है । यह सापेक्ष सार्थक बन्धन प्रयोजनके वश गाय-भैंस आदि चतुष्पदोके समान दासी-दास, चोर व पढनेमें आलसी पुत्र आदि द्विपदोका भी किया जाता है । पर वह उनकी सुरक्षाका ध्यान रखकर दयार्द्र अन्तःकरणमे ही विधेय माना गया है । विशेष रूपमे श्रावकको ऐसे ही द्विपदो व चतुष्पदोको ग्रहण करना चाहिए जो बिना बन्धनके ही रह सकते हो । (२) दूसरा उसका अतिचार वध है । वधका अर्थ ताडन है, न कि प्राणवियोजन, क्योंकि प्राणवियोजन तो स्पष्टन. अनाचार है, न कि अतिचार । पूर्वोक्त बन्धनके समान यह वध भी निरर्थक व सार्थकके साथ निरपेक्ष और सापेक्षके भेदसे दो प्रकारका है । निरतिचार अणुव्रतका पालन करनेवाला गृहस्थ कभी प्रयोजनके बिना प्राणीको लाठी या चाबुक आदिसे पीडित नहीं करता । प्रयोजनके वश भी जब ताडित करना आवश्यक हो जाता है तब वह निरपेक्ष होकर निर्दयतापूर्वक ताडित नहीं करता । प्रथमतः तो वह भय दिखलाता है । पर जब भयसे काम नहीं निकलता तब वह मर्मस्थानको छोडकर लता या रस्सी आदिसे दो-तीन बार ताडित करता है । (३) तीसरा अतिचार छविच्छेद है । छविका अर्थ शरीर है । उसका छेद भी निरर्थक व सार्थकके रूपमे सापेक्ष व निरपेक्ष दृष्टिसे किया जाता है । अणुव्रती श्रावक निष्प्रयोजन निरपेक्ष दृष्टिसे कभी प्राणीके हाथ, पाँव, कान, ओष्ठ व नाक आदिका छेदन नहीं करता । प्रयोजनके वश भी वह उसके नाक, कान व फोडे आदिको सापेक्ष होकर दयाभाव ही छेदता है या दागता है । (४) चौथा अतिचार अतिभारारोपण है । इस अतिचारसे रहित व्रती श्रावक मनुष्य या पशुके ऊपर अधिक बोझ नहीं लादता, वह उनके ऊपर उतना ही बोझ लादता है, जिसे मनुष्य स्वाभाविक रूप उठा सकें या रख सकें । सर्वोत्तम तो यही है कि जहाँ तक सम्भव हो व्रती श्रावक भाडेसे फी जानेवाली आजोविकाको ही छोड दे । पर यदि वह सम्भव नहीं है तो फिर उक्त रीतिसे अधिक बोझा न लादकर उनकी शक्तिके अनुसार ही बोझा लादना चाहिए । इसी आदिके अपर भी अस्वाभिक बोझ नहीं लादना चाहिए तथा हलमें या गाडीमे जोतनेपर उन्हें यथासमय छोड देना चाहिए । यही प्रक्रिया हाथी व घोडा आदिके विषयमे समझना चाहिए । (५) पाँचवाँ अतिचार भक्त-पानव्युच्छेद है । अन्न-पानका निरोध भी श्रावकको निष्प्रयोजन सर्वथा नहीं करना चाहिए । प्रयोजनके वश भी द्विपद या चतुष्पदोके भोजन-पानका निरोध कुछ ही समयके लिए करना चाहिए, जिसमे उन्हें अधिक व्याकुलताका अनुभव न हो या भूख-प्यासे

वाधाए वा भणेज्जा अज्जं ण ते देमि' त्ति, संतिणिमित्तं वा उववासं कारावेज्जा । सव्वत्थ विजयणा जहा थूलगपाणाइवायस्स अइयारो न भवइ तथा पइयव्वंति ॥२५८॥

आह च—

परिशुद्धजलग्रहणं दारुय-धन्नाइयाण तह चैव ।

गहियाण वि परिभोगो विहीइ तसरक्खणट्ठाए ॥२५९॥

परिशुद्धजलग्रहणम्, वस्त्रपूतत्रसरहितजलग्रहणमित्यर्थः । दारु-धान्यादीनां च तथैव परिशुद्धानां ग्रहणं अनीलाजीर्णानां दारुणाम्, अकीट-विशुद्धस्य धान्यस्य, आदिशब्दात्तथाविधोपस्करपरिग्रहः । गृहीतानामपि परिभोगो विधिना कर्तव्यः परिमितप्रत्युपेक्षितादिना । किमर्थम् ? त्रसरक्षणार्थं द्वीन्द्रियादिपालनार्थमिति ॥२५९॥

उक्तं सातिचारं प्रथमाणुव्रतम् अधुना द्वितीयमुच्यते—

पीडित होकर वे कदाचित् मृत्युको प्राप्त न हो जाये । पुत्र आदिके हितकी दृष्टिसे वचनके द्वारा ही यह कहना चाहिए कि यदि पूरा नहीं होता है तो आज तुम्हे भोजन नहीं प्राप्त होगा । रोगसे पीडित होनेपर भी वचनसे सान्त्वना देना कि आज तुम्हे भोजन करना हितकर नहीं है । शान्तिके निमित्त उपवास भी कराया जा सकता है । पर यह सब यत्नाचारपूर्वक ही होना चाहिए, जिससे कि स्थूल प्राणातिपात व्रतके उक्त अतिचारोसे व्रतको सुरक्षित रखा जा सके । गाथामे जो 'क्रोधादिदूषितमन' यह विशेषण दिया गया है कि उसका भी अभिप्राय यही है कि उपर्युक्त सब कार्य सद्भावनाके साथ यत्नाचारपूर्वक प्रयोजन वश ही करना चाहिए, न कि निष्प्रयोजन व निर्दयताके साथ । इस प्रकारसे ही प्रकृत स्थूल प्राणातिपात अणुव्रतका निर्दोष पालन हो सकता है ॥२५८॥

आगे उस यत्नाचारका स्पष्टीकरण किया जाता है—

त्रस जीवोकी रक्षाके लिए निर्मल जल और विशुद्ध लकड़ी एवं धान्य आदिका भी ग्रहण करना चाहिए । इसके अतिरिक्त ग्रहण किये हुए पदार्थोंका उपभोग भी विधिपूर्वक करना चाहिए ।

विवेचन—स्थूल प्राणातिपात अणुव्रतके धारक श्रावककी सभी प्रवृत्ति यत्नाचारपूर्वक होना चाहिए । उसमे त्रसजीवोका विघात न हो, इसके लिए वह सदा सावधान रहता है । आवश्यकतानुसार जब वह जलको ग्रहण करता है तो वह उसे त्रसजीवोसे रहित दोहरे छन्नेसे छानकर ग्रहण करता है । दो मुहूर्तके पश्चात् वह उसका उपयोग पुनः छानकर करता है । लकड़ियोकी जब वह जलानेके लिए ग्रहण करता है तब वह उन्हें बिना धुनी जीव-जन्तुओंसे रहित देखकर ही ग्रहण करता है व उनका उपयोग करता है । इसी प्रकार वह गेहूँ, चावल, उडद व मूँग आदि धान्यविशेषोको निर्धुन व जन्तुओंसे रहित ग्रहण करता है व उनका उपयोग भी अतिशय सावधानतापूर्वक करता है । रात्रिमे पिसाने, भोजन बनाने व खानेका भी वह परित्याग करता है । ये कुछ ही यहाँ उदाहरण दिये गये हैं । उसका सभी आचरण प्राणिरक्षाकी सद्भावनासे होता है । इसके बिना उसका वह स्थूल प्राणातिपात निर्दोष नहीं रह सकता है ॥२५९॥

इस प्रकार अतिचार सहित प्रथम अणुव्रतका विवेचन करके अब द्वितीय अणुव्रतके स्वरूप को दिखलाते हैं—

शूलमुसावायस्स उ विरई दुच्चं' स पंचहा होइ ।

कन्ना-गो-भ्रुआलियनासहरणकूडसक्खिज्जे ॥२६०॥

स्थूलमृषावादस्य तु विरतिद्वितीयमणुव्रतमिति गम्यते । मृषावादो हि द्विविधः स्थूलः सूक्ष्मश्च । तत्र परिस्थूलवस्तुविषयोऽतिदुष्टविवक्षासमुद्भवः स्थूलो विपरीतस्त्वितरः । न च तेने-हाधिकारः, श्रावकधर्माधिकारत्वात्स्थूलस्यैव प्रक्रान्तत्वात् । तथा चाह—स पञ्चहा भवति स स्थूलो मृषावादः पञ्चप्रकारो भवति—कन्या-गो-भूम्यनृत-न्यासहरण-कूटसाक्षित्वानि । अनृतशब्दः पदत्रये प्रत्येकमभिसंबध्यते । तद्यथा—कन्यानृतमित्यादि । तत्र कन्याविषयमनृतं कन्यानृतम्—अभिन्नकन्यकामेव<sup>१</sup> भिन्नकन्यकां वक्षित विपर्ययो वा । एवं गवानृतम्—अल्पक्षीरामेव बहुक्षीरां वक्षित विपर्ययो वा । एवं भूम्यनृतम्—परसत्कामेवात्मसत्कां वक्षित, व्यवहारे वा नियुक्तो-ऽनाभवद्व्यवहारेणैव कस्यचिद्रागाद्यभिभूतो वक्षित अस्येयमाभवतीति<sup>२</sup> । न्यस्यते निक्षिप्यत इति न्यासो रूपकाद्यर्पणम्, तस्यापहरणं न्यासापहारः । अदत्तादानरूपत्वादस्य कथं मृषावादत्व-मिति ? उच्यते—अपलपतो मृषावाद इति । कूटसाक्षिकं उत्कोचमत्सराद्यभिभूतः प्रमाणीकृतः<sup>३</sup> सन् कूटं वक्षतीति ॥२६०॥

स्थूल मृषावाद ( असत्य भाषण ) की विरतिका नाम द्वितीय अणुव्रत है, जिसे सत्याणुव्रत कहा जाता है । यह मृषावाद पाँच प्रकारका है—कन्याअलीक, गवालीक, भूमिअलीक, न्यासहरण और कूटसाक्ष्य ।

विवेचन—स्थूल और सूक्ष्मके भेदसे असत्यभाषण दो प्रकारका है । दूषित मनोवृत्तिसे स्थूल वस्तुविषयक जो असत्यभाषण किया जाता है यह स्थूल मृषावाद कहलाता है । उदाहरणार्थ जो वस्तु अपने पास नहीं है व जिसे दिया नहीं जा सकता है उसके विषयमे यह कहना कि 'मैं उसे कल दूँगा ।' इसी प्रकार आवश्यकता पडनेपर किसीके पाससे रुपया-पैसा या अन्य कोई वस्तु लेना और वापस करते समय 'मैंने उसे लिया ही नहीं है, तुम झूठ बोलते हो' इत्यादि कहकर उसका अपलाप करना, इत्यादि सब उस स्थूल मृषावादके अन्तर्गत है । सक्षेपमे उसे पाँच रूपमें व्यक्त किया गया है—(१) कन्याअलीक—कन्याके विषय बोलना । जैसे—किसी एक कन्याको दिखलाकर विवाहादिके समय वही कन्या बतलाकर दूसरीको उपस्थित करना । (२) गवालीक—कम दूध देनेवाली गायको अधिक दूध देनेवाली या अधिक दूध देनेवालीको कम दूध देनेवाली बतलाकर व्यवहार करना । (३) भूमिविषयक अलीक—जो भूमि अपनी नहीं है उसे अपनी बतलाकर और जो अपनी है उसे दूसरेकी बतलाकर बेचने व लेने आदिका व्यवहार करना । इसी प्रकार जो भूमिविषयक व्यवहार अपने सामने नहीं हुआ है उसे अपने सामने हुआ बतलाना । (४) न्यासहरण—आवश्यकतानुसार दूसरे द्वारा सुरक्षा आदि उद्देश्यसे रुपये-पैसे या सोना-चाँदी रखा जाता है 'उसे मेरे पास नहीं रखा' इत्यादि कहकर उसका अपहरण कर लेना । जब कि इसे अदत्तादान समझकर चोरीमे गंभित किया जा सकता था, पर चूँकि उसके सम्बन्धमे वैसा भाषण भी किया जाता है तथा बिना दिये ग्रहण भी नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे न्यासाप-हार मृषावाद समझना चाहिए । (५) कूटसाक्ष्य—राग, द्वेष अथवा मत्सरता आदिके वश जो कृत्य अपने सामने नहीं हुआ है उसके विषयमे असत्य साक्षी देना आदि । इस पाँच प्रकारके

१. अ विरती दोच्चं । २. अ कूटसापेयकानि अनृत शब्द । ३. अ कन्याविषयमनृतमेवात्मसत्का कन्यां नृत अभिन्नकन्यकामेव । ४ अ 'माभवतिविति । ५ अ 'प्रमाणीकृतः' इत्येतन्नास्ति ।

वज्जणमिह पुव्वुत्तं आह कुमाराइगोयरो कह णु ।

एयग्गहणाउ च्चिय गहिओ नणु सो वि दिट्ठव्वो ॥२६१॥

वर्जनमिह मृषावादे । पूर्वोक्तं “उवउत्तो गुरुमूले” इत्यादिना ग्रन्थेन । आह परः—  
कुमारादिगोचरः कथं नु ? अकुमारं कुमारं ब्रुवतः, आदिशब्दादविधवाद्यनृतपरिग्रहः । अतिदुष्ट-  
विवक्षासमुद्भवोऽप्येष भवति, न तु सूत्रे उपात्तः । तदेतत्कथम् ? आचार्य आह—एतद्ग्रहणादेव  
च कन्यानृतादिग्रहणादेव च । ननु गृहीतोऽसावपि कुमारादिगोचरो मृषावादो द्रष्टव्यः, उपलक्षण-  
त्वादिति ॥२६१॥

पडिवज्जिऊण य वयं तस्सइयारे जहाविहिं नाउं ।

संपुन्नपालणड्ढा परिहरियव्वा पयत्तेणं ॥२६२॥

असत्य भाषणका परित्याग करना, इसे सत्याणुव्रत कहा जाता है । यद्यपि कन्याके समान कुमार  
और गायके समान भैंस आदिके विषयमें भी असत्य सम्भाषण सम्भव है, फिर भी उन्हे यथा-  
सम्भव इन पांचके ही अन्तर्गत समझना चाहिए ॥२६०॥

आगे इस द्वितीय अणुव्रतके पालन करनेकी विधिका संकेत करते हुए कन्यालीक आदिके  
साथ कुमारादिविषयक अलीकको भी क्यों नहीं ग्रहण किया, इसे स्पष्ट किया जाता है—

पूर्वमें अहिंसाणुव्रतके परिपालनकी जो विधि निर्दिष्ट की गयी है ( १०८ ) तदनुसार ही इस  
द्वितीय सत्याणुव्रतमें भी असत्यभाषणका परित्याग करते उसका पालन करना चाहिए । यहाँ  
शंकाकार कहता है कि उपर्युक्त कन्यालीक आदिके साथ कुमारादिविषयक अलीकको भी क्यों  
नहीं ग्रहण किया गया ? इसके उत्तरमें यहाँ कहा गया है कि उक्त कन्यालीक आदिके ग्रहणसे ही  
कुमारादिविषयक अलीकको भी ग्रहण किया गया समझ लेना चाहिए ।

विवेचन—जैसा कि पूर्वमें ( १०८ ) स्थूलप्राणातिपात अणुव्रतके प्रसंगमें कहा गया है  
तदनुसार इस द्वितीय अणुव्रतमें भी आचार्यके समक्षमें प्रमादको छोड़कर मोक्षकी अभिलाषासे  
चातुर्मासदिरूप कुछ नियत कालके लिए अथवा जावनपर्यन्तके लिए असत्यभाषणका परित्याग  
करना चाहिए और उसका स्मरण रखते हुए विशुद्ध पारणामोके साथ पालन भी करना चाहिए ।  
यहाँ शंका उपस्थित होती है कि जिस प्रकार असत्य वचनके अन्तर्गत कन्यालीकको ग्रहण किया  
गया है उसी प्रकार कुमारादि विषयकअलीकको ग्रहण करना चाहिए था, क्योंकि लोके दुष्ट  
बुद्धिसे कुमार और विधवा आदिके विषयमें असत्य भाषण करते हुए देखा जाता है । किन्तु  
उसको जो यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है उसका क्या कारण है ? इसके उत्तरमें यहाँ कहा गया है  
कि कन्या व गोपद आदि यहाँ उपलक्षण हैं । उनसे कुमार आदि द्विपदोको व भैंस आदि चतुष्पदो-  
को भी ग्रहण कर लिया गया समझ लेना चाहिए । जिस प्रकार लोकव्यवहारमें ‘बिल्लासे दूधका  
बचाना’ ऐसा कहनेपर दूधके भक्षक सभी प्राणियोंसे उसके संरक्षणका अभिप्राय रहता है उसी  
प्रकार प्रकृतमें भी कन्यालोक व गवालोक आदि पदोका भी अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए । यहाँ  
कारण है जो कुमार व विधवा आदि द्विपदोको तथा भैंस आदि चतुष्पदोको पृथक्से नहीं ग्रहण  
किया गया । अतएव तद्विषयक असत्यभाषणके परित्यागको भी इस द्वितीय अणुव्रतके अन्तर्गत  
समझ लेना चाहिए ॥२६१॥

आगे प्रकृत व्रतको स्वीकार कर व उसका निर्दोष परिपालन करनेके लिए उसके अति-  
चारीको जानकर उनके परित्यागके लिए प्रेरणा की जाती है—

पूर्ववत् ॥२६२॥

सहसा अभ्यख्यानं रहसा य सदारमंतभेयं च ।

मौसौवएसयं कूडलेहकरणं च वज्जिज्जा ॥२६३॥

सहसानालोच्याभ्याख्यानं सहसाभ्याख्यानम् । अभ्याख्यानमभिशपनमसदध्यारोपणम् । तद्यथा—चौरः त्वं पारवारिको वा—इत्यादि । १ । रहः एकान्तस्तत्र भवं रहस्यं तेन तस्मिन् वाभ्याख्यानं रहस्याभ्याख्यानम् । एतदुक्तं भवति—एकान्ते मन्त्रयमाणान् वषत्येते हीद चेदं च राजापकारित्वादि मन्त्रयन्ते इति । २ । स्वदारमन्त्रभेदं च स्वकलत्रविश्रब्धभाषितान्यकथन चेत्यर्थं । ३ । मृषोपदेशमसदुपदेशमिदमेव चैव च कुवित्यादिलक्षणम् । ४ । कूटलेखकरणमन्यमुद्राक्षरविभ्वसरूपलेखकरणं च वजयेत् । ५ । यत एतानि समाचरन्नतिचरति द्वितीयमणुव्रतमिति ॥२६३॥

बुद्धोह् निएऊण भासिज्जा उभयलोगयरिसुद्धं ।

स-परोभयाण ज खलु न सव्वहा पीडजणग तु ॥२६४॥

बुद्ध्या निरोक्ष्य, सम्यगालोच्येति भावः । भाषेत ब्रूयात् । उभयलोकपरिशुद्धं इहलोक-

व्रतको स्वीकार करके व आगमोक्त विधिके अनुसार उसके अतिचारोको जानकर उसके सम्पूर्ण परिपालनके लिए उन्हे प्रयत्नपूर्वक छोड़ना चाहिए ॥२६२॥

अब इस सत्याणुव्रतके उन अतिचारोका निर्देश किया जाता है—

सहसा अभ्यख्यान, रहस्याभ्याख्यान, स्वदारमन्त्रभेद, मृषोपदेश और कूटलेखकरण ये उस स्थूल मृषावाद अणुव्रतके पांच अतिचार हैं । उनका परित्याग करना चाहिए ।

विवेचन—(१) सहसा अभ्यख्यान—किसी प्रकारका विचार न करके 'तू चोर है, परदारगामी है' इत्यादि प्रकारसे वचन बोलकर दोषारोपण करना । यह उसका प्रथम अतिचार है । (२) रहस्याभ्याख्यान—रहस्य नाम एकान्त है, उसमें किये आचरणको रहस्य कहा जाता है । दूसरेके द्वारा एकान्तमें किये गये व्यवहारको अन्य जनोसे कहना, यह रहस्याभ्याख्यान नामका उसका दूसरा अतिचार है । जैसे—यदि कुछ व्यक्ति एकान्तमें कुछ विचार-विमर्श कर रहे हो तो उनके विषयमें कहना कि ये राजाके विरुद्ध गुप्त विचार कर रहे हैं इत्यादि । (३) स्वदारमन्त्रभेद—अपनी पत्नीके द्वारा विश्वस्तरूपमें कहे गये वचनोको दूसरोसे कहना, स्वदारमन्त्रभेद नामका प्रकृत व्रतका तीसरा अतिचार है । (४) मृषोपदेश—अप्रशस्त उपदेशका नाम मृषोपदेश है । अभिप्राय यह है कि जो वस्तुस्वरूप जिस प्रकारका नहीं है उसे उस प्रकारका बतलाकर प्राणियोंको अहितकर कार्योंमें प्रवृत्त करना तथा प्रमादके वश ऐसा वचन बोलना कि जिससे दूसरोको कष्ट हो—जैसे गधे व ऊँटपर अधिक बोझा लादना चाहिए, इत्यादि प्रकारके वचनको मृषोपदेशके अन्तर्गत समझना चाहिए । (५) कूटलेखकरण—दूसरेकी मुहर या हस्ताक्षर बनाकर असमीन प्रवृत्त करना, इत्यादिका नाम कूटलेखकरण है । इन अतिचारोके द्वारा प्रकृत व्रत मलिन होता है, अतः स्थूलमृषावाद अणुव्रतके धारक श्रावकको इन अतिचारोका तथा इनके जैसे अन्य दोषोका भी परित्याग अवश्य करना चाहिए ॥२६३॥

आगे सत्याणुव्रती श्रावकको किस प्रकारका वचन बोलना चाहिए, इसे स्पष्ट किया जाता है—

सत्याणुव्रतीको बुद्धिसे सोच-विचार करके ऐसा भाषण करना चाहिए जो उभय लोकोमें

परलोकाविरुद्धम्<sup>१</sup> । स्व-परोभयानां यत् खलु न सर्वथा पीडाजनकम्—तत्र स्वपीडाजनकं पिङ्गलस्थ-पतिवचनवत्, परपीडाजनकं चौरस्त्वमित्यादि, एवमुभयपीडाजनकमपि द्रष्टव्यमिति ॥२६४॥

उक्तं द्वितीयाणुव्रतम्, सांप्रतं तृतीयमाह—

थूलमदत्तादाणे विरई तच्चं दुहा य तं भणियं<sup>२</sup> ।

सचित्ताचित्तगयं समासओ वीयरगोहिं ॥२६५॥

इहादत्तादानं द्विधा स्थूल सूक्ष्मं च । तत्र परिस्थूलविषयं चौर्यारोपणहेतुत्वेन प्रसिद्धमति-दुष्टाध्यवसायपूर्वकं स्थूलम् । विपरीतमितरत् । तत्र स्थूलादत्तादानविषया विरतिनिवृत्तिस्तृतीय-मणुव्रतमिति गम्यते । द्विधा च तददत्तादानं भणितम्, समासतः संक्षेपेण । वीतरागैरहंद्भिरिति योगः । सचित्ताचित्तगतमिति सचित्तादत्तादानम् अचित्तादत्तादानं च । तत्र द्विपदादेर्वस्तुनः क्षेत्रादौ सुन्यस्त-दुर्न्यस्त-विस्मृतस्य<sup>३</sup> स्वामिना अदत्तस्य चौर्यबुद्ध्या ग्रहणं सचित्तादत्तादानं, तथा वस्त्र-कनकादेरचित्तादत्तादानमिति ॥२६५॥

भेएण लवण-घोडग-सुवन्न-रूप्याइयं<sup>४</sup> अणेगविहं ।

वज्जणमिमस्स सम्मं पुवुत्तेणेव विहिणा उ ॥२६६॥

भेदेन विशेषेणादत्तादानं लवण-घोटक-रूप्य-सुवर्णाद्यनेकविधमनेकप्रकारम् । लवण-घोटक-ग्रहणात्सचित्तपरिग्रहः, रूप्य-सुवर्णग्रहणादचित्तपरिग्रह इति वर्जनमस्यादत्तादानस्य । सम्यक् पूर्वोक्तेन विधिना उपयुक्तो गुरुमूले इत्यादिनेति ॥२६६॥

परिशुद्ध हो—इस लोक व परलोकमे हितकर हो, तथा जो पिंगल बढईके समान स्वको, परको और उभयको सर्वथा पीडाका कारण न हो ॥२६४॥

अब क्रमप्राप्त तीसरे अणुव्रतका निर्देश किया जाता है—

बिना दो हुई स्थूल वस्तुके ग्रहणविषयक विरतिका नाम तीसरा अणुव्रत है, जिसे अचौर्याणुव्रत कहा जाता है । सचित्त और अचित्त वस्तुसे सम्बद्ध होनेके कारण वह वीतराग जिनके द्वारा दो प्रकारका कहा गया है ।

विवेचन—स्वामीके द्वारा नहीं दो गयी वस्तुके ग्रहणका नाम अदत्तादान है । वह स्थूल और सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारका है । उनमे जिस स्थूल वस्तुके ग्रहणपर चोरीका आरोप सम्भव है उसे दूषित चित्तवृत्तिसे ग्रहण करना, इसे स्थूल अदत्तादान कहा जाता है । इसके विपरीत जिस जल और मिट्टी आदिके ग्रहण करनेपर चोर नहीं समझा जाता है उसका नाम सूक्ष्म अदत्तादान है । यह सूक्ष्म अदत्तादान स्थूल अदत्तादान व्रतीके लिए अपरिहार्य है । उक्त अदत्तादान सचित्त और अचित्त वस्तुके सम्बन्धसे भी दो प्रकारका है । किसी विशिष्ट क्षेत्र आदिमें जिस किसी भी प्रकारसे रखे गये दासी-दास एव हाथी व घोड़े आदि किन्ही द्विपद प्राणियोंका स्वामीकी आज्ञाके बिना चोरीके विचारसे ग्रहण करना, यह सचित्तादान कहलाता है । वस्त्र, सोना एव चांदी आदि अचित्त वस्तुओको चोरीके अभिप्रायसे ग्रहण करना, इसे अचित्तादान कहा जाता है ॥२६५॥

आगे प्रकृत स्थूल अदत्तादानका उदाहरणपूर्वक कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है—

विशेष रूपसे वह अदत्तादान नमक, घोड़ा, सुवर्ण व चांदी आदि रूपसे अनेक प्रकारका है । इसका परित्याग पूर्वोक्त ( १०८ ) विधिके अनुसार ही समीचीन रूपसे करना चाहिए । उक्त

१. अ इहलोकपरिशुद्धाविरुद्धं । २. अ दुहा ए य भणिय । ३. अ सुन्यस्तविस्मृतस्य । ४. अ सुवन्नरूपाइयं ।



पडिवज्जिऊण य वयं तस्सइयारे जहाविहिं नाउं ।

संपुन्नपालणट्ठा परिहरियन्वा पयत्तेणं ॥२६७॥

पूर्ववत् ॥२६७॥

अतिचारानाह—

वज्जिज्जा तेनाहडतक्करजोगं विरुद्धरज्ज च ।

कूडतुल-कूडमाणं तप्पडिरुवं च ववहारं ॥२६८॥

वर्जयेत् स्तेनाहृत स्तेनाश्चौरास्तेराहृतमानीत किञ्चित्कुमादि देशान्तरात् तत्समर्थमिति लोभान्न गृह्णीयात् । १। तथा तस्करप्रयोग तस्कराश्चौरास्तेषा प्रयोगो हरणक्रियाया प्रेरणसम्बन्धुज्ञा हरत यूयमात् तस्करप्रयोगः । एनं च वर्जयेत् । २। विरुद्धराज्यमिति च सूचनाद्विरुद्धराज्यातिक्रमं च वर्जयेत्—विरुद्धनूपयो राज्य विरुद्धराज्यम्, तत्रातिक्रमो न हि ताभ्या तत्र तदागमनमनुज्ञातमिति । ३। तथा कूटतुला-कूटमाने तुला प्रतीता, मानं कुडवादि, कूटत्वं न्युनाधिकत्वम्—न्यूनया

वस्तुओमे नमक और घोड़ा आदि सचित्त वस्तुओके उपलक्षण हैं तथा सुवर्ण व चांदी आदि अचित्त वस्तुओके उपलक्षण हैं । इन सबके ग्रहणका परित्याग पूर्वोक्त विधिके अनुसार गुरुके षादमूलमें करना चाहिए, यह प्रकृत गाथाका अभिप्राय है ॥२६६॥

अब उसके अतिचारोका निर्देश करते हुए उनके परित्यागके लिए प्रेरणा की जाती है—

प्रकृत व्रतको स्वोकार करके और आगमोक्त विधिके अनुसार उसके अतिचारोको जानकर उसका पूणतया परिपालन करनेके लिए उन अतिचारोका प्रयत्नपूर्वक परित्याग करना चाहिए ॥२६७॥

आगे उन अतिचारोका नामनिर्देश किया जाता है—

स्तेनाहृत, तस्करप्रयोग, विरुद्ध राज्य, कूटतुला-कूटमान और तत्प्रतिरूप व्यवहार, ये उसके पांच अतिचार हैं, जिनका अचौर्याणुव्रतोको परित्याग करना चाहिए ।

विवेचन—इन अतिचारोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—(१) स्तेनाहृत—स्तेनका अर्थ चोर होता है । चोरो द्वारा अन्य देशसे चोरीचोरी लायी गयी केसर व कस्तूरी आदि मूल्यवान् वस्तुओको लोभके वश ग्रहण करना । यह उसका प्रथम अतिचार है । (२) तस्करप्रयोग—तस्करका अर्थ भी चार होता है । चोरोको चोरीके कार्यमें प्रेरित करते हुए 'तुम इस-इस प्रकारसे चोरी करो' इत्यादि रूपसे अनुज्ञा करना, इसे तस्करप्रयोग कहा जाता है । यह उसका दूसरा अतिचार है । (३) विरुद्ध राज्य—विरुद्ध राज्य शब्दसे यहाँ विरुद्धराज्यातिक्रमका अभिप्राय रहा है । दो राजाओके राज्यको विरुद्ध राज्य कहा जाता है । प्रत्येक राज्यमें दूसरे राज्यमें वस्तुओके आने-जानेके लिए कुछ नियम निर्धारित रहते हैं । उनका उल्लंघन करके चोरीसे कर ( टैक्स ) आदिको बचाकर एक राज्यसे दूसरे राज्यमें वस्तुका ले जाना व वहाँसे अपने यहाँ ले आना, यह विरुद्ध राज्यातिक्रम नामका उसका तीसरा अतिचार है । (४) कूटतुला-कूटमान—तुलाका अर्थ तराजू या काँटा तथा मानका अर्थ मापने-तोलनेके प्रस्थ, आढक एव बाँट ( सेर व किलोमीटर आदि ) होता है । इनको देनेके लिए और लेनेके लिए अधिक प्रमाणमें रखना, इसे कूटतुला कूटमान कहते हैं । यह उस व्रतका चौथा अतिचार है । (५) प्रतिरूपक-व्यवहार—प्रतिरूपका अर्थ

ददाति, अधिकया<sup>१</sup> गृह्णाति । ४ । तथा तत्प्रतिरूपव्यवहरणं<sup>२</sup> तेनाधिकृतेन प्रतिरूपं सदृशं तत्प्रति-  
रूपम्, तेन व्यवहरणम्—यद्यत्र घटते व्रीह्यादि-घृतादिषु पलञ्जी-वसादि तस्य तत्र प्रक्षेपेण  
विक्रयस्तं च वर्जयेत् । ५ । यत एतानि समाचरन्नतिचरति तृतीयाणुव्रतमिति ॥२६८॥

उचियं मुत्तूण कलं दव्वाइकमागयं च उक्करिसं ।

निवडियमवि जाणंतो परस्स संत न गिन्दिज्जा ॥२६९॥

उचितां मुक्त्वा कलां पञ्चकशतवृद्ध्यादिलक्षणां । द्रव्यादिक्रमायातं चोत्कर्षम् यदि  
कथंचित्पूगफलादे क्रय संवृत्त इत्यष्टगुणो लाभकः, अक्रूराभिसधिना ग्राह्य एवेत्यर्थः । आदिशब्दः  
स्वभेदप्रख्यापकः । तथा निपतितमपि जानातः परस्य सत्कं न गृह्णीयात्, प्रयोजनान्तरं  
चोद्दिश्य समर्पिते प्रतिबुध्यतीत्यादि गृह्णीत्वा प्रत्यप्येदपोति ॥२६९॥

उक्त तृतीयाणुव्रतम्, सांप्रतं चतुर्थमाह—

परदारपरिच्चाओ सदारसंतोस मो वि य चउत्थं ।

दुविहं परदारं खलु उराल-वेउच्चिभेएणं<sup>३</sup> ॥२७०॥

सदृश होता है । अधिक मूल्यवाली विक्रेय वस्तुमे उसीकी जैसी अल्प मूल्यवाली वस्तुको मिलाकर  
बेचना, इसे प्रतिरूपक व्यवहार कहा जाता है । जैसे धानमे पलंजी आदिको मिलाकर और घोमे  
चर्बी आदिको बेचना । यह प्रकृत अचौर्याणुव्रतका पांचवां अतिचार है । अचौर्याणुव्रतीको इन  
पांचो अतिचारका परित्याग करना चाहिए, अन्यथा व्रत मलिन होनेवाला है ॥२६८॥

अचौर्याणुव्रतीको और कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे भी आगे स्पष्ट किया  
जाता है—

उसे उचित कलाको—पांच प्रतिशत आदि व्याजको—छोडकर दूसरेके द्रव्यको नहीं लेना  
चाहिए, द्रव्यादिके क्रमसे आगत लाभको भी उत्कृष्ट नहीं ग्रहण करना चाहिए, तथा दूसरेकी गिरी  
हुई वस्तुको जानकर नहीं ग्रहण करना चाहिए ।

विवेचन—अभिप्राय यह है कि यदि कभी किसीको प्रयोजनवश किसीसे रुपया-पैसा लेना  
पड़े तो उसे उचित व्याजके साथ ही लेना चाहिए । यदि कभी सुपारी आदि क्रय-विक्रयमे विशेष  
लाभ हुआ तो उसे अभिमानके साथ ग्रहण नहीं करना चाहिए । अथवा कभी प्राकृतिक उपद्रवके  
कारण उक्त सुपारी आदि किन्हीं द्रव्योके विनष्ट हो जानेपर आगे इसका संचय करनेसे अठगुणा  
लाभ हो सकता है, इस प्रकारके दुष्ट अभिप्रायसे उनका सचय करना व्रतको दूषित करनेवाला है ।  
इसी प्रकार यदि कभी किसी व्यक्तिकी कोई वस्तु गिर गयी हो तो उसे जानकर ग्रहण न करना  
चाहिए । हां, इस प्रयोजनसे कि जिसकी वह वस्तु है उसे खोजकर दे दूंगा, उसके ग्रहण  
करनेपर भी व्रत दूषित नहीं होता । पर उसे निश्चित ही उसके स्वामीको समर्पित कर देना  
चाहिए ॥२६९॥

अब क्रमप्राप्त चतुर्थ अणुव्रतके स्वरूपका निर्देश किया जाता है—

परस्त्रीका परित्याग और स्वस्त्रीसन्तोष, इसका चतुर्थ अणुव्रत ( ब्रह्मचर्याणुव्रत ) है ।  
इनमे परस्त्री औदारिक और वैकियिकके भेदसे दो प्रकारकी है ।

१. अ कुडवादिक्कूत्रापि क्रमो न हि ताम्या तत्र तदागमन अधिकतया । २. अ तत्प्रतिरूप च व्यवहरण ।

३. अ सदृश तेन व्यवहरण । ४. अ वेउच्चिभेदेण ।

परदारपरित्यागः परकलत्रपरिहारः, न वेश्यापरित्यागः। स्वदारसंतोषश्च स्वकलत्रसेवन-  
मेव, न वेश्यागमनमपि चतुर्थमित्येतच्चतुर्थमणुव्रतं। परदारमपि द्विविधमौदारिक वैक्रियभेदेन।  
औदारिकं स्त्र्यादिषु वैक्रियं विद्याधर्यादिष्विति ॥२७०॥

वज्जणमिह<sup>१</sup> पुव्वुत्तं पावमिणं जिणवरेहिं पन्नत्तं।

रागाईण नियाणं भवपायववीयभूयाण ॥२७१॥

वर्जनमिह पूर्वोक्तं उपयुक्त इत्यादिना ग्रन्थेन। किमेतद्वर्ज्यंते इत्याशङ्क्याह—पापमिद  
परदारासेवनं जिनवरैः प्रज्ञप्तं तीर्थकरणघरै प्ररूपितमिति। किंविशिष्टं रागादीनां निदानं  
कारणम्। किंविशिष्टानां भव-पावपबीजभूतानां रागादीनामिति<sup>२</sup> ॥२७१॥

पडिवज्जिऊण य वयं तस्सइयारे जहाविहिं नाउं।

संपुन्नपालणट्ठा परिहरियव्वा पयत्तेणं ॥२७२॥

पूर्ववत् ॥२७२॥

अतीचारानाह—

<sup>३</sup>इत्तरियपरिग्गहियापरिग्गहियागमणणंगकीडं च।

परविवाहक्करणं<sup>४</sup> कामे तिब्वाभिलासं च<sup>५</sup> ॥२७३॥

विवेचन—परस्त्रीके परित्यागसे यहाँ अन्यकी स्त्रीके परित्यागका अभिप्राय रहा है,  
वेश्याके परित्यागका अभिप्राय नहीं रहा। पर स्वस्त्रीसन्तोषसे यहाँ वेश्याके परित्यागका अभिप्राय  
तो रहा ही है, साथ ही अपनी पत्नीसे भिन्न अन्य सभी स्त्रियोंके परित्यागका रहा है। इसमें जो  
कुछ विशेषता है उसका स्पष्टीकरण अतिचारोके प्रसंगमे किया जायेगा। औदारिक और वैक्रियरु-  
के भेदसे परस्त्रीके यहाँ दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं। जो परस्त्रियाँ औदारिक शरीरकी धारक  
होती हैं वे औदारिक परस्त्री मानी गयी हैं। तथा जो विद्याधरी आदि विक्रियानिर्मित शरीरकी  
धारण करनेमे समर्थ होती हैं उन्हें वैक्रियरु परस्त्री कहा जाता है। परस्त्रीका परित्याग करने-  
वाला ब्रह्मचर्याणुव्रती इन दोनों प्रकारकी परस्त्रियोंका त्यागी होता है ॥२७०॥

आगे इस परस्त्रीसमागमको पाप समझकर छोड़ देनेकी प्रेरणा की जाती है—

जो रागादिक संसाररूप वृक्षके बीजभूत हैं—उसकी परम्पराको वृद्धिगत करनेवाले हैं—  
उनके कारणस्वरूप परस्त्रीसमागमको जिनेन्द्र देवने पाप कहा है। अतः आत्महितैषी ब्रह्मचर्याणु-  
व्रतीको इसका पूर्व गा. १०८ में निर्दिष्ट की गयी विधिके अनुसार परित्याग करना चाहिए ॥२७१॥

अब उसके अतिचारोंके छोड़ देनेकी प्रेरणा करते हुए उसके पाँच अतिचारोका निर्देश  
किया जाता है—

व्रतको स्वीकार करके व उसके अतिचारोको जानकर आगमोक्त विधिके अनुसार उसका  
पूर्णतया परिपालन करनेके लिए प्रयत्नपूर्वक उनका परित्याग करना चाहिए ॥२७२॥

वे अतिचार ये हैं—

इत्वरपरिगृहीतागमन, अपरिगृहीतागमन, अनगक्रोडा, परविवाहकर और कामविषयक  
तीव्र अभिलाषा।

१ म वज्जणमिह (अ अतोऽग्रे टीकागत 'वर्जनमिह' पर्यन्त पाठ स्वलितोऽस्ति। २ अ भवपावपदपबीजभूता-  
नामिति। ३. अ इत्तरपरिग्रहियाअपरिग्रहिया यणगकाढा य। ४ अ परवीवाहक्करण। ५ अ लासो या।

इत्वरपरिगृहीतागमनं स्तोककालपरिगृहीतागमनम्, भाटीप्रदानेन कियन्तमपि कालं स्ववशीकृतवेश्यामैथुनासेवनमित्यर्थः । १। अपरिगृहीतागमनं अपरिगृहीता नाम वेश्या अन्यसक्ता-गृहीतभाटी कुलाङ्गना वा अनार्थेति, तद्गमनं यथाक्रमं स्वदारसंतोषवत्-परदारवर्जिनोरती चारः । २। अनङ्गक्रीडा नाम कुच-कक्षोरु-वदनान्तरक्रीडा, तीव्रकामाभिलाषेण वा परिसमाप्तसुर-तस्याप्याहार्यैः स्थूलकादिभिर्योषिदवाच्यप्रदेशासेवनमिति । ३। परविवाहकरणमन्यापत्यस्य कन्य-फललिप्सया स्नेहसंबन्धेन वा विवाहकरणम् । स्वापत्येष्वपि सङ्घ्याभिग्रहो न्याय्य इति । ४। कामे तीव्राभिलाषश्चेति सूचनात्काम-भोगतीव्राभिलाषः—कामा शब्दादयः, भोगा रसादयः, एतेषु तीव्राभिलाषः अत्यन्ततदव्यवसायित्वम् । ५। एतानि समाचरन्तिचरति चतुर्थमणुव्रतमिति ॥२७३॥

वज्जिज्जा मोहकरं परजुवद्दंसणाइ सवियारं ।

एए खु मयणवाणा चरित्पाणे विणासंति ॥२७४॥

विवेचन—इन अतिचारोका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—( १ ) इत्वरपरिगृहीतागमन—इत्वरका अर्थ अल्पकाल होता है, भाड़ा देकर कुछ कालके लिए ग्रहण की गयी वेश्याको अपने अधीन करके उसके साथ मैथुन सेवन करना, यह ब्रह्मचर्याणुव्रतका इत्वर परिगृहीतागमन नामका प्रथम अतिचार है । यद्यपि वेश्या परस्त्री ही है, पर उसे भाड़ा देकर कुछ कालके लिए ग्रहण कर लिया गया है, इसलिए उसके साथ विषय-सेवन करनेसे चूँकि कथंचित् स्वस्त्रीकी कल्पना की गयी है, पर वस्तुतः वह परस्त्री ही है, अतएव गृहीत व्रतके कथंचित् भंग और कथंचित् अभंग रहनेके कारण इसे स्वदारसन्तोषव्रतके लिए अतिचार समझना चाहिए । ( २ ) अपरिगृहीता-गमन—अपरिगृहीता नाम वेश्याका है, क्योंकि वह दूसरेके द्वारा यथाविधि ग्रहण नहीं की गयी है । उसने किसी अन्यमे आसक्त होकर यदि उसमे भाड़ा ग्रहण नहीं किया है तो उसके साथ अथवा किसी अनार्थ कुलाङ्गनाके साथ विषय-सेवन करनेपर यह परदार परित्यागी अणुव्रतके लिए अति-चार होता है, क्योंकि वह दूसरेके द्वारा ग्रहण नहीं की गयी है, इसलिए भले ही उसे परस्त्री न समझा जाये, पर वस्तुतः वह परस्त्री ही है, अतः इसे व्रतके कथंचित् भंग व अभंगकी अपेक्षा अतिचार समझना चाहिए । ( ३ ) अनङ्ग-क्रीडा—कामसेवनके अङ्गोंसे भिन्न, स्तन, कांख, ऊरु और मुखके भीतर क्रीडा करना अथवा तीव्र कामविषयक अभिलाषासे सम्भोग-क्रियाके समाप्त हो जानेपर भी स्थूलकादिके द्वारा—लकड़ी, वस्त्र व फल-आदिके द्वारा निर्मित जननेन्द्रियसे—स्त्रीके अवाच्य प्रदेशका सेवन करना; इत्यादिको ब्रह्मचर्याणुव्रतका अनङ्गक्रीडा नामका तीसरा अतिचार जानना चाहिए । ( ४ ) परविवाहकरण—अपनी सन्तानको छोड़कर कन्याविषयक फलकी इच्छासे अथवा स्नेहके वश अन्यकी सन्तानके विवाह करनेका नाम परविवाहकरण है । यह ब्रह्मचर्याणुव्रतका चौथा अतिचार है । ब्रह्मचर्याणुव्रतकी अपनी सन्तानके विषयमे भी सख्या-का नियम करना चाहिए । ( ५ ) कामतीव्राभिनिवेश—कामविषयक तीव्र अभिलाषाकी जो सूचना की गयी है उसमे कामसे शब्द आदिको और भोगसे रस आदि विषयोको ग्रहण करना चाहिए । इन सबके विषयमे आसक्तिपूर्ण अतिशय प्रवृत्त रहना, यह उस ब्रह्मचर्याणुव्रतका पाँचवाँ अति-चार है । इन अतिचारोंसे स्वीकृत व्रत मलिन होता है । विशेषके लिए देखिए तत्त्वार्थाधिगमकी टीका ७-२३, योगशास्त्रका स्वोपज्ञ विवरण ३-२४ और सागारधर्मावृतकी स्वो. टीका ४-५८ आदि ॥२७३॥

वर्जयेन्मोहकरं परयुवतिदर्शनम्, आविशब्दात्संभाषणादिपरिग्रहः । किंभूतम् ? सविकारं सविभ्रमम् । एते दर्शनादयो यस्मान्मदनबाणाश्चारित्रप्राणान् विनाशयन्तीति । उक्तं च—

अनिशमशुभसंज्ञाभावनासन्निहत्याः कुस्त कुशलपक्षप्राणरक्षा नयज्ञाः ।

हृदयमितरथा हि स्त्रीविलासाभिधाना मदन-शबरबाणश्रेणयः काणयन्ति ॥

इति ॥२७४॥

उक्तं चतुर्थमणुव्रतमधुना पञ्चममाह—

सचित्ताचित्तेसुं इच्छापरिमाणमो य पंचमयं ।

भणियं अणुव्वयं खलु समासओ णंतनाणीहिं ॥२७५॥

सचित्ताचित्तेषु द्विपदादि-हिरण्यादिषु । इच्छायाः परिमाणमिच्छापरिमाण, एतावता-मूर्ध्वमग्रहणमित्यर्थः । एतत्पञ्चममुपन्यासक्रमप्रामाण्याद्भणितमणुव्रतं खलु समासतः सामान्येना-नन्तज्ञानिभिस्तीर्थकरैरिति ॥२७५॥

२भेएण खित्तवत्थृहिरण्णमाईसु होइ नायव्वं ।

दुपयाईसु य सम्मं वज्जणमेयस्स पुव्वुत्तं ॥२७६॥

आगे प्रकृत अणुव्रतकी सुरक्षाकी दृष्टिसे रागपूर्ण दृष्टिसे परयुवतीके देखनेका भी निषेध किया जाता है—

रागादिरूप विकारके साथ परयुवतीका देखना और उसके साथ सम्भाषण करना आदि मोहको उत्पन्न करनेवाला है, अतः उसका परित्याग करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे काम-बाण हैं जो संयमीके चारित्ररूप प्राणोको नष्ट कर दिया करते हैं ।

कहा भी है—आहार व मैथुन आदि अशुभ संज्ञाओकी भावनाको छोडकर नीतिमान् पुरुषोको अपने समयरूप प्राणोका सरक्षण करना चाहिए । अन्यथा, कामरूप भोलके बाणोकी पक्तिर्यां, जिन्हे स्त्रीविलास कहा जाता है, हृदयको व्यथित कर देनेवाली हैं ॥२७४॥

आगे क्रमप्राप्त पांचवें अणुव्रत ( इच्छापरिमाणव्रत ) का स्वरूप दिखलाया जाता है—

मनुष्य, स्त्री, पुत्र व दासी-दास आदि द्विपद और हाथी-घोडा आदि चतुष्पद इन सचित्त वस्तुओंके विषयमें तथा सुवर्ण व चांदी आदि अचित्त वस्तुओंको विषयमें जो इच्छाका प्रमाण किया जाता है कि मैं उनमें अमुक-अमुक वस्तुको इतने प्रमाणमे ग्रहण करूँगा, इससे अधिकको नहीं ग्रहण करूँगा, इसे संक्षेपमें अनन्तज्ञानियो ( वीतराग सर्वज्ञ ) के द्वारा पांचवां अणुव्रत ( परिग्रहपरिमाण ) कहा गया है ॥२७५॥

आगे इसे विशेष रूपसे स्पष्ट किया जाता है—

विशेष रूपसे क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य आदि अचित्त वस्तुओके विषयमें तथा स्त्री-पुत्रादि द्विपद सचित्त वस्तुओंके विषयमे पूर्वोक्त ( १०८ ) विधिके अनुसार प्रकृत अणुव्रतके विषयका समीचीन-तया परित्याग करना; इसे पांचवां अणुव्रत जानना चाहिए ।

भेदेन विशेषेण । क्षेत्र-वास्तु-हिरण्यादिषु भवति ज्ञातव्यम् । किम् ? इच्छापरिमाणमिति व्रतंते । तत्र क्षेत्रं सेतु केतु च उभयं च । वास्तुवगारं खातमुच्छ्रितं खातोच्छ्रितं च । हिरण्यं रजतमघटितमादिशब्दाद्धन-धान्यादिपरिग्रहः । एतदचित्तविषयम् । द्विपदादिषु चेत्येतत्सचित्त-विषयम्—द्विपद-चतुःपदापदादिषु दासी-हस्ति-वृक्षादिषु सम्यक् प्रवचनोक्तेन विधिना । वर्जन-मेतस्य पञ्चमाणुव्रतविषयस्य पूर्वोक्तम् । “उपयुक्तो गुरुमूले” इत्यादिना ग्रन्थेनेति ॥२७६॥

पडिवज्जिऊण य वयं तस्सइयारे जहाविहिं नाउं ।

संपुन्नपालणट्टा परिहरियच्वा पयत्तेणं ॥२७७॥

पूर्ववत् ॥२७७॥

खित्ताइ-हिरन्नाई-धणाइ-दुपयाइ-कुवियगस्स तथा ।

सम्मं विसुद्धचित्तो न पमाणाइक्कमं कुज्जा ॥२७८॥

विवेचन—इनमे क्षेत्र ( खेत ) सेतु, केतु और उभयके भेदसे तीन प्रकारका है । जो खेत अरहट व नहर आदिके द्वारा सिंचित होकर धान्यको उत्पन्न किया करते हैं वे सेतु क्षेत्र कहलाते हैं । जो केवल स्वामाविक वर्षाके जलसे सिंचित होकर धान्यको उत्पन्न किया करते हैं उन्हें केतु क्षेत्र कहा जाता है तथा जो स्वाभाविक वर्षाके, अरहट व नहर आदिके जलसे सिंचित होकर धान्यको उत्पन्न करते हैं उन्हें उभय ( सेतु-केतु ) क्षेत्र कहते हैं । इसी प्रकार खात, उच्छ्रित और खातोच्छ्रितके भेदसे वास्तु भी तीन प्रकारका है । वास्तु नाम गृहका है । इनमे भूमिके भीतर तलघरके रूपमें जो मकान बनाये जाते हैं उन्हें खात वास्तु कहते हैं, जिन भवनोका निर्माण भूमिके ऊपर कराया जाता है वे उच्छ्रित वास्तु कहलाते हैं । तथा भूमिगत तलघरके ऊपर जो भवन निर्मित होते हैं उनका नाम खातोच्छ्रित वास्तु है । हिरण्य नाम चांदीका है । वह घटित और अघटितके भेदसे दो प्रकारकी है । इनमे जो आभूषणोके रूपमे परिणत होती है उसे घटित चांदी कहा जाता है तथा जो अवस्था विशेषसे रहित चांदी सामान्य स्वरूपमे अवस्थित होती है उसे अघटित कहा जाता है । ‘हिरण्यादि’म यहां आदि शब्दसे धन-धान्यादिको ग्रहण करना चाहिए । यह सब क्षेत्रादि रूप परिग्रह अचित्तके अन्तर्गत है । गाथोक्त ‘द्विपदादि’ पदसे अचित्त परिग्रहकी सूचना की गयी है । वह द्विपद, चतुष्पद और अपदके भेदसे तीन प्रकारकी है । दासी-दास आदि द्विपद सचित्त परिग्रह हैं । हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस और बकरी आदि चतुष्पद सचित्त परिग्रह हैं । इनके अतिरिक्त पाँवोसे रहित वृक्ष-बेल आदिको अपद सचित्त परिग्रह समझना चाहिए । पाँचवें अणुव्रतके धारक श्रावकको उपर्युक्त सभी सचित्त-अचित्त वस्तुओका परिमाण आगमोक्त (१०८) के अनुसार समीचीनतया करना चाहिए ॥२७६॥

आगे व्रतको स्वीकार कर उसके पूर्ण रूपसे परिपालनके लिए प्रेरणा की जाती है—

व्रतको स्वीकार करके और उसके अतिचारोको आगमोक्त विधिके अनुसार जान करके उसके पूर्णतया परिपालनके लिए प्रयत्नपूर्वक उन अतिचारोका परित्याग करना चाहिए ॥२७७॥

उक्त क्षेत्र आदिके स्वीकृत प्रमाणका अतिक्रमण करनेपर वे व्रतको मलिन करनेवाले अतिचार होते हैं, इसकी सूचना की जाती है—

क्षेत्र आदि, हिरण्य आदि, धन आदि, द्विपद आदि और कुप्य इनके प्रमाणका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए ।

क्षेत्रादेरनन्तरोदितस्य तथा 'हिरण्यादेर्घनादेर्द्विपदादेः कुप्यस्य तथा आसन-शयनादेरुप-  
स्करस्य । सम्यक् विशुद्धचित्तोऽनिर्मायोऽप्रमत्तः सन् न प्रमाणातिक्रमं कुर्यादिति ॥२७८॥

भाविज्ज य संतोषं गृहियमियाणि अजाणमाणेणं ।

थोवं पुणो न एवं गिल्हिससामोत्ति [न] चित्तिज्जा ॥२७९॥

भावपेच्च संतोषं किम् ? अनेन वस्तुना । परिगृहीतेन । तथा गृहीतमिदानीमजानानेन  
स्तोकमिच्छापरिमाणमिति । पुनर्नैवमन्यास्मिश्चतुर्मासके गृहोण्यामीति न चिन्तयेदतिचार एव  
इति गायार्थः ॥२७९॥

उक्तान्यगुणव्रतानि सांप्रतमेवामेवाणुव्रताना परिपालनाय भावनाभूतानि गुणव्रतान्यभिधीयन्ते ।

विवेचन—प्रकृत क्षेत्र आदिके प्रमाणको जिस रूपमे किया गया है उसका प्रमाद व  
विस्मरण आदिके वश उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे व्रतको मलिन करनेवाले अतिचार  
होते हैं । यहाँ क्षेत्रादिसे क्षेत्र-वास्तु, हिरण्यादिसे हिरण्य-सुवर्ण, घनादिसे घन-धान्य और द्विपदादि-  
से द्विपद-चतुष्पदोका ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकारसे पाँच अतिचार ये होते हैं जिनका  
परित्याग पाँचवें अणुव्रतो श्रावकको करना चाहिए—१ क्षेत्र-वास्तु प्रमाणातिक्रम, २ हिरण्य-सुवर्ण  
प्रमाणातिक्रम, ३ घन-धान्य प्रमाणातिक्रम, ४ द्विपद-चतुष्पद प्रमाणातिक्रम और ५ कुप्यप्रमाणाति-  
क्रम । यहाँ घनसे अभिप्राय गाय, भैंस, हाथी व घाड़ा आदि पशुघनका तथा धान्यसे गेहूँ, जुवार  
व चावल आदिका रहा है । कुप्य शब्दस चाँदी-सोनेको छोड़ शेष कांसा-पीतल आदि धातुओ एव  
आसन, शयन व वस्त्र आदिको ग्रहण करना चाहिए ॥२७८॥

आगे प्रकृत पारग्रह पारमाण अणुव्रतोको गृह्यत प्रमाणसे सन्तोष करते हुए कैसा विचार  
नही करना चाहिए, इसे स्पष्ट किया जाता है—

प्रमाणरूपमे जिस वस्तुका ग्रहण किया गया है उससे सन्तोषकी भावना भाना चाहिए ।  
इसके अतिरिक्त 'मैंने बिना जान-समझे इस समय अल्प प्रमाणको ग्रहण किया है, अब आगे अन्य  
चातुर्मासमे इस प्रकारस अल्प प्रमाणका ग्रहण नही करूँगा' इस प्रकारके विचारको नही करना  
चाहिए ॥२७९॥

इस प्रकार अणुव्रतोकी प्ररूपणा करके उनके परिपालनके लिए भावनाभूत तीन गुणव्रतो-  
का निरूपण करते हुए उनमे दिग्ब्रत गुणव्रतका स्वरूप दिखलाते हैं—

ऊपरकी, नाचेकी और तिरछा इन तीन दिशाओमे जो प्रमाण किया जाता है उसे श्रावक  
घमंमे वीर जिनेन्द्रके द्वारा प्रथम दिग्ब्रत नामक गुणव्रत कहा गया है ।

विवेचन—शास्त्रमे दिशाएँ अनेक प्रकारकी निर्दिष्ट की गयी है । उनमे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम  
और उत्तर ये चार प्रमुख तिरछा दिशाएँ हैं । इनमे जिस ओरसे सूर्य उदित होता है वह पूर्व  
दिशा कहलाती है । उसके प्रदक्षिण क्रमसे शेष तीन दिशाएँ ये हैं—दक्षिण, पश्चिम और उत्तर ।  
इनके मध्यमे क्रमसे आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान ये चार विदिशाएँ मानी गयी हैं । इस  
प्रकार तिरछा दिशाएँ आठ हैं । इनमें एक ऊपरकी और एक नीचेकी इन दो दिशाओके मिलनेसे  
दिशाएँ दस हो जाती हैं । इनके विषयमे नियमित प्रमाणको करके उससे आगे न जाना-आना,

१. अ हिरण्यादेर्घान्यादेर्द्वि । २. अ अजाणेण । ३. अ. एव । गिल्हिससामोण चित्तिज्जा । ४. अ मजानेन ।

५. अ इति नास्ति ।

तानि पुनस्त्रीणि भवन्ति । तद्यथा—दिग्ब्रतमुपभोगपरिभोगपरिमाण अनर्थदण्डपरिवर्जनमिति । तत्राद्यगुणव्रतस्वरूपाभिधित्सयाह—

उद्धमहे तिरियं पिं य दिसासु परिमाणकरणमिह पढमं ।

भणियं गुणव्वयं खलु सावगधम्मम्मि वीरेण ॥२८०॥

ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् । किम् ? दिक्षु परिमाणमिति । दिशो ह्यनेकप्रकारा वर्णिताः शास्त्रे— तत्र सूर्योपलक्षिता पूर्वा, शेषाश्च दक्षिणादिकास्तदनुक्रमेण द्रष्टव्याः । तत्रोर्ध्वदिक्परिमाणमूर्ध्वदिग्ब्रतम्—एतावती दिग्ूर्ध्वं पर्वताद्यारोहणादवगाहनीया<sup>१</sup>, न परत इति । एवंभूतमधोदिक्परिमाणं अधोदिग्ब्रतम्—एतावत्यधोदिक् इन्द्रकूपाद्यवतरणादवगाहनीया, न परत इति । एवंभूतं तिर्यग्दिक्परिमाणकरणं तिर्यग्दिग्ब्रतम् । एतावती दिग्ूर्ध्वेणावगाहनीया, एतावती दक्षिणेनेत्यादि; न परत इत्येवमात्मकम्, एतदित्यं त्रिधा दिक्षु परिमाणकरणम् । इह प्रवचने । प्रथममाद्यं सूत्रक्रमप्रामाण्यात् । गुणाय व्रतं गुणव्रम्, इत्यस्मिन् हि सत्यवगृहीतक्षेत्राद्बहिः स्यावर-जंगमप्राणिगोचरो दण्डः परित्यक्तो भवतीति गुणः । श्रावकधर्म इति श्रावकधर्मविषयमेव<sup>२</sup> । केन भणितमिति आह वीरेण—

विदारयति यत्कर्म तपसा च विराजते ।

तपोवीर्येण युक्तश्च तस्माद्धीर इति स्मृतः ॥

तेन इति चरमतीर्थकृता ॥२८०॥

गुणव्रतमित्युक्तमतो गुणदर्शनायाह,<sup>३</sup> अथवा गुणव्रताकरणे दोषमाह—

तत्तायगोलकप्पो पमत्तजीवोऽनिवारियप्पसरो ।

सव्वत्थ किं न कुज्जा पावं तक्कारणाणुगओ ॥२८१॥

इसे दिग्ब्रत कहा जाता है । उदाहरणार्थ उपरिम दिशाको लक्ष्य करके 'मैं पर्वत आदिके ऊपर इतनी दूर तक जाऊंगा, इससे आगे न जाऊंगा' इस प्रकारसे ऊर्ध्व दिशाका प्रमाण किया जाता है । इसी प्रकार अधोदिशामे 'मैं सुरग, कुआं एवं कोयलेकी खदान आदिमे इतने नीचे तक जाऊंगा, उससे आगे न जाऊंगा' इस प्रकारसे अधोदिशाका प्रमाण किया जाता है । इसी प्रकारसे पूर्वादि दिशाओके भी प्रमाणको करना चाहिए । इन सब दिशाओमे यथासम्भव प्रमाणको करके जीवनपर्यन्त प्रयोजनके होते हुए भी उससे आगे न जानेपर प्रकृत दिग्ब्रतका परिपालन होता है । इसके पालनसे नियमित प्रमाणके आगे न जानेसे वहां त्रस-स्थावर जीवोका सरक्षण होता है । यहां टीकाकारने किसी एक प्राचीन श्लोकको उद्धृत करके 'वीर' का इस प्रकारसे निरुक्तार्थ किया है—जो कर्मका विदारण करता है, तपसे विराजमान ( सुशोभित ) होता है, अथवा तपके सामर्थ्यसे युक्त होता है उसे 'वीर' माना गया है । यह अन्तिम तीर्थकरका सार्थक नाम है ॥२८०॥

आगे इस व्रतके परिपालनसे होनेवाले गुण (लाभ या उपकार) को अथवा उसके न पालनसे सम्भव दोषको दिखलाते हैं—

प्रमादसे युक्त जीव तपे हुए लोहेके गोलेके समान प्रमादके सामर्थ्यको न रोक सकनेके

१. भ मि । २. अ अतोऽग्रे 'सत्यवगृहीतक्षेत्राद्बहिः'पर्यन्तः पाठस्त्वंवविधोऽस्ति—<sup>०</sup>गाहनीया एतावती दक्षिणेनेत्यादि न परत इत्येवमात्मक ती क्षेत्राद्बहिःस्यावर । ३. अ गुणश्रावकधर्मविषयमेव । ४. अ 'अथवा गुणव्रताकरणे दोषमाह' इत्येतावान् पाठो नास्ति ।



तन्मायोगोलकल्पस्तप्तलोहपिण्डसदृशः । कोऽसौ ? प्रमत्तजीवः प्रमादयुक्त आत्मा । असाव-  
निवारितप्रसरोऽनिवृत्त्या अप्रतिहृतप्रमादसामर्थ्यः सन् तयागते । सर्वत्र क्षेत्रे किं न क्रुर्यात् ? क्रुर्यादिव  
पापम् अपुण्यम् । तत्कारणानुगतः प्रमादपापकारणानुगत इति ॥२८१॥

पटिवन्नस्मि य विहिणा इमस्मि तन्वज्जणं गुणो नियमा ।

अङ्गाररहियपालणभावस्स वि तप्पमूर्द्धो ॥२८२॥

प्रतिपन्ने चाङ्गीकृते च । विधिना सूत्रोक्तेन । अस्मिन् गुणव्रते । तद्वर्जनम् । प्रमाद-  
पापवर्जनम् । गुणो नियमादात्मोपकारोऽवश्यभावी । न चैवं मंतव्यं एतदर्थपरिपालनभाव एव  
ज्यायान्, न त्वेतत्प्रतिपत्तिः । कथम् ? अतिचाररहितपालनभावस्यापि निरतिचारपालनभाव-  
स्यापि । तत्प्रसूतेर्गुणव्रतादेवोत्पादात्तथाप्रतिपत्तौ हि तथाप्रतिपन्ने इति ॥२८२॥

इदमतिचाररहितमनुपालनीयमतोऽर्थेवातिचारानभिधिसुराह—

उद्धमहे तिरियं पि य न पमाणाङ्कमं सया कुञ्जा ।

तह चैव खित्तनुद्धि कट्ठिचि सइत्तरद्धं च ॥२८३॥

कारण सर्वत्र—समस्त क्षेत्रमें—प्रपादके कारणोका अनुसरण करता हुआ क्या पापको नहीं करता  
है ? अवश्य करता है ।

विवेचन—जिस प्रकार सन्तप्त लोहेको पानीमें डालनेपर सब ओरसे वह पानीके परमाणुओ-  
को खींचता है उसी प्रकार प्रमाद (कपाय) से सन्तप्त प्राणी व्रतसे रहित होनेके कारण उस प्रमादके  
सामर्थ्यको नष्ट नहीं कर पाता है, जिसके आश्रयसे वह पापाचरण करता है और कर्मको बाँधता  
है । इसलिए पापाचरणसे बचनेके लिए यहाँ दिग्ब्रतके ग्रहणकी प्रेरणा की गयी है । इस दिग्ब्रतके  
स्वीकार कर लेनेपर व्रतो श्रावक चूँकि स्वीकृत प्रमाणके बाहर नहीं जाता है, इसीलिए वह वहाँ  
अहिसामहाव्रती जैसा हो जाता है । इसीसे वह जिस प्रकार शीतल लोहपिण्डके जलमे डालनेपर  
भी वह जलीय परमाणुओके ग्रहणमे असमर्थ रहता है उसी प्रकार वह दिग्ब्रती श्रावक प्रमादके  
अभावमे पापप्रवृत्तिसे रहित होता हुआ कर्मबन्धसे रहित होता है ॥२८१॥

अब इस दिग्ब्रतसे होनेवाले गुण ( उपकार ) दिखलाते हुए अतिचाररहित उसके पालनकी  
प्रेरणा की जाती है—

आगमोक्त विधिके अनुसार इस व्रतके स्वीकार कर लेनेपर पापके कारणभूत उस प्रमादका  
जो परिहार हो जाता है, वह नियमसे आत्माका उपकार करनेवाला गुण है । कारण यह कि  
अतिचाररहित उस व्रतके पालनका परिणाम भी यथाविधि उस व्रतके स्वीकार कर लेनेपर ही  
उत्पन्न होता है । अभिप्राय यह है कि आगमोक्त विधिके अनुसार जबतक गुरुके समक्ष विवक्षित  
व्रतको स्वीकार नहीं किया जाता तबतक उसके परिपालनका परिणाम भी स्थिर नहीं रह  
सकता ॥२८२॥

आगे इस व्रतके निरतिचार परिपालनके लिए उसके अतिचारोका निर्देश किया जाता है—

ऊर्ध्वदिशाप्रमाणातिक्रम, अधोदिशाप्रमाणातिक्रम, तिर्यग्दिशाप्रमाणातिक्रम तथा क्षत्र-  
वृद्धि और किसी भी प्रकारसे स्मृतिके अन्तर्धान इन पाँच अतिचारोको नहीं करना चाहिए ।

ऊर्ध्वमघस्तिर्यगपि च न प्रमाणातिक्रमं सदा कुर्यादिति ऊर्ध्वदिक्प्रमाणातिक्रमो यावत्-परिमाणं गृहीतं तस्य अतिलंघनम् तत्र कुर्यात् । १ । एवमघोदिक्तिर्यग्दिक्प्रमाणातिक्रमयोरपि भावनीयम् । २, ३ । तथैव क्षेत्रवृद्धि न कुर्यात् । यथेदं अतिचारत्रयं क्षेत्रवृद्धिश्च—एकतो योजन-शतमभिगृहीतमग्यतो दशयोजनानि, ततस्तस्यां दिशि समुत्पन्ने कार्ये योजनशतमध्यादपनीया-न्येषां दशादियोजनानां तत्रैव स्वबुद्ध्या प्रक्षेपो वृद्धिकरणमिति । ४ । कथंचित् स्मृत्यन्तर्धानम्, न कुर्यादिति वर्तते, स्मृतेर्भ्रंशोऽन्तर्धानं स्मृत्यन्तर्धानम्—किं मया परिगृहीतं कया वा मर्यादये-त्येवमनुस्मरणमित्यर्थः । स्मृतिमूलं हि नियमानुष्ठानम्, तद्भ्रंशे तु नियमत एव तद्भ्रंश इति अतिचारतेति । ४।

तत्र वृद्धसंप्रदायः—उद्धं जं पमाणं गहियं तस्स उव्वरि पव्वयसिहरे खखे वा पक्खी वा मक्कडो वा सावगस्स वत्थं वा आभरण वा गिण्हउ पमाणाइरेणं भूमि वच्चेज्जा । तत्थ से ण कप्पए गंतुं । जाहे तं पडियं अन्नेण वा आणियं ताहे कप्पइ । एयं पुण अट्ठावय-उज्जतादिसु हवेज्जा । एवं अहे कुवियाईसु विभासा । तिरियं जं पमाणं गहियं तं तिविहेण वि करणेण णाइवकमियव्वं । खेत्तबुद्धी ण कायव्वा सो पुव्वेणं भंडं गहाय गओ जाव तं परिमाणं, तओ परेण तं भंडं अगघइत्ति काउं अवरेण जाणि जोयणाणि ताणि पुव्वदिसाए ण छुभेज्जा, सिय वोलोणो होज्जा णियत्तियव्वं । विस्सरीए वा ण गंतव्वं, अन्नो वि न विसज्जियव्वो । अणाणाए कोई गओ होज्जा जं विसुमारियखेत्तगएण लद्धं अणाणाहिगएणं वा तं ण गिह्तिज्जई ॥२८३॥

विवेचन—अभिप्राय यह है कि स्वीकृत व्रतके लिए उक्त पांच अतिचारोका परित्याग अवश्य करना चाहिए—( १ ) ऊर्ध्वदिशाप्रमाणातिक्रम—ऊर्ध्वदिशामे पर्वत आदिके ऊपर जितने कोश आदि तक जानेका प्रमाण स्वीकार किया है उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए । उदाहरणार्थ पर्वत शिखर अथवा वृक्ष आदिके पक्षी व बन्दर आदि श्रावकके वस्त्र अथवा आभरण आदिको ले गया है तो उसे उसके लिए स्वीकृत प्रमाणके आगे नहीं जाना चाहिए । हां, यदि कोई अन्य उसकी अनुमतिके विना लाकर दे देता है तो उसे वह ग्रहण कर सकता है । ऐसा न करनेपर उसका वह व्रत इस प्रथम अतिचारसे दूषित होता है । ( २ ) अधोदिशाप्रमाणातिक्रम—इसी प्रकार अधोदिशागत प्रमाणके विषयमे भी समझना चाहिए । ( ३ ) तिर्यग्दिक्प्रमाणातिक्रम—तिर्यग्दिशाओमे पूर्वादिशाओमे भी जितने योजनादि रूप प्रमाणको ग्रहण किया है उसका उल्लंघन करनेपर यह तीसरा अतिचार होता है । ( ४ ) क्षेत्रवृद्धि—स्वीकृत क्षेत्रके बढा लेनेपर यह चौथा अतिचार होता है । उदाहरणार्थ—यदि कोई बन्दर या चोर आदि किसी वर्तन आदि को लेकर चला गया है तो जितना प्रमाण विवक्षित पूर्व आदि दिशाके विषयमे स्वीकार किया है उसके आगे वह वर्तन आदि चूँकि व्रती श्रावकको ग्रहण करनेके योग्य नहीं है, इस विचारसे पश्चिम दिशामे जितने योजनोका प्रमाण ग्रहण किया है उन्हे विवक्षित पूर्व दिशामे नहीं जोडना चाहिए । यदि कदाचित् वह गृहीत प्रमाणके आगे उसे लेकर चला गया है तो स्वीकृत प्रमाणके आगे न जाकर लौट आना चाहिए । ( ५ ) स्मृत्यन्तराधान—'मैंने अमुक दिशामे कितने प्रमाणको ग्रहण किया है अथवा किस मर्यादासे ग्रहण किया है' इत्यादिका ठीक-ठीक स्मरण नहीं रहना, इसका नाम स्मृत्यन्तराधान अतिचार है । विस्मृत क्षेत्रके भीतर न स्वयं जाना चाहिए और न किसी अन्यको भी भेजना चाहिए । हां, यदि कोई विना अनुमतिके विस्मृत क्षेत्रमे जाकर उसे ले

उत्तं सात्तिचारं प्रथमं गुणव्रतम्, अधुना द्वितीयमुच्यते—

उपभोगपरिभोगे वीर्यं परिमाणकरणमो नेयं ।

अणियमियवाविदोसा न भवन्ति कयम्मि गुणभावो ॥२८४॥

उपभोगपरिभोगयोरिति उपभोगपरिभोगविषये यत्परिमाणकरणं तदेव द्वितीयं गुणव्रतं विज्ञेयमिति पदघटना । पदार्थस्तु—उपभुज्यत इत्युपभोगः, अशनादिः, उपशब्दस्य सकृदर्थत्वात्सकृद्भुज्यत इत्यर्थः । परिभुज्यत इति परिभोगो वस्त्रादिः, पुनः पुनः भुज्यत इति भावः । परिशब्दस्याभ्यावृत्त्यर्थत्वादयं चात्मक्रियारूपोऽपि भावतो विषये उपचरितो विषय-विषयिणोरभेदोपचारात् । अन्तर्भोगो वा उपभोगः, उपशब्दस्यान्तर्वचनत्वात् । बहिर्भोगो वा परिभोगः, परिशब्दस्य बहिर्वाचकत्वात् । एतत्परिमाणकरणं एतावदिदं भोक्तव्यमुपभोक्तव्यं वा अतोऽन्यन्तेत्येवंरूपम् । अस्मिन् कृते गुणमाह—अनियमिते असंकल्पिते ये व्यापिनस्तद्विषयं व्याप्तुं शीला दोषास्ते न भवन्ति कृतेऽस्मिस्तद्विरतेरिति गुणभावोऽयमत्र गुण इति ॥२८४॥

सांप्रतमुपभोगादिभेदमाह—

सो दुविहो भोयणओ कम्मयओ चैव होइ नायव्वो ।

अइयारे वि य इत्थं वुच्छामि पुढो समासेणं ॥२८५॥

आता है तो ले लेना चाहिए । पर आज्ञाके अनुसार जानेपर उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए । इसके विरुद्ध आचरण करनेपर व्रतको दूषित करनेवाला यह स्मृत्यन्तराधान नामका पांचवां अतिचार होता है, क्योंकि व्रत-नियमानुष्ठानका प्रमुख कारण स्मृति है, उसके भ्रष्ट होनेपर व्रत नियमसे मलिन होनेवाला है ॥२८३॥

आगे क्रमप्राप्त द्वितीय गुणव्रतका स्वरूप कहा जाता है—

उपभोग और परिभोगके विषयमे जो प्रमाण किया जाता है उसे उपभोग-परिभोग प्रमाण-व्रत नामक दूसरा गुणव्रत जानना चाहिए । उनके प्रमाणके कर लेनेपर अनियमित रूपसे व्याप्त होनेवाले दोष नहीं होते हैं, यह उसका गुण ( उपकार ) है ।

विवेचन—‘उपभुज्यते इति उपभोग’ इस निरुक्तिके अनुसार उपभोग शब्दका अर्थ एक बार भोगा जानेवाला पदार्थ होता है । जैसे—भोजन आदि, क्योंकि ये एक ही बार भोगे जा सकते हैं । ‘परिभुज्यते इति परिभोगः’ इस निरुक्तिके अनुसार ‘परिभोग’ का अर्थ बार-बार भोगा जानेवाला पदार्थ होता है । जैसे—वस्त्र आदि, क्योंकि उन्हें बार-बार भोगा जा सकता है । यद्यपि भोग और उपभोग क्रिया आत्मस्वरूप है तो भी यहाँ विषयमे विषयीके अभेदोपचारसे उनसे क्रमशः एक बार भोगे जानेवाले और बार-बार भोगे जानेवाले पदार्थोंको ग्रहण करना चाहिए । अथवा उपभोग शब्दके अन्तर्वाची होनेसे उससे अन्तर्भोगको और परिभोग शब्दके बहिर्वाची होनेसे उससे बाह्य भोगको ग्रहण करना चाहिए । ‘उनके विषयमे मैं इतने प्रमाणमें उनका उपभोग और परिभोग करूँगा’ इससे अधिकका नहीं करूँगा, इस प्रकारका प्रमाण करके उससे अधिक उपभोग-परिभोग-की इच्छा न करना, इसे उपभोग-परिभोग परिमाण गुणव्रत कहा जाता है । इस प्रकारका प्रमाण कर लेनेसे असीमित अवस्थामें जो दोष उत्पन्न हो सकते थे उनका उससे निरोध हो जाता था ॥२८४॥

आगे उपर्युक्त उपभोग और परिभोगके भेदोका निर्देश किया जाता है—

स उपभोगः परिभोगश्च । द्विविधो द्विप्रकारः । भोजनतो भोजनमाश्रित्य । कर्मतश्चैव भवति ज्ञातव्यः, कर्म चाङ्गीकृत्येत्यर्थः । तत्र भोजनतः श्रावकेणोत्सर्गतो निरवद्याहारभोजिना भवितव्यम् । कर्मतोऽपि प्रायो निरवद्यकर्मनुष्ठानयुक्तेन । विचित्रत्वाच्च देशविरतेश्चित्रोऽत्रापवादा इत्यत एवेदमेवेदमेवेति वा सूत्रे<sup>२</sup> न नियमितमतिचाराभिधानाच्च विचित्रस्तद्विधिः स्वधियावसेय इति । तथा च बृद्धसंप्रदायः—भोजनतो सावगो उत्सग्णेण फामुयं एसणियं आहारं आहारेज्जा । तस्सासति अणेसणीयमविसचित्तवज्जं । तस्सासति अणंतकायं बहुबोयाणि परिहरेज्जा—असणे अत्लग-मूलग-मंसादि, पाणे मंसरस-मज्जाइ, खाइमे पंचुवरिगादि, सादिमे महुमाइ । एवं परिभोगे वि वत्थाणि थूल-धवलप्पमुत्तलाणि परिमियाणि परिभुजेज्जा सासण-गोरवत्थसुचरिओ (?) वरसिभाषा याव देवदूसाइ परिभोगेण वि परिमाणं करेज्जा । कम्मओ वि अकम्मो ण तरइ जीविउं ताहे<sup>३</sup> अचवन्तसावज्जाणि परिहरेज्जा । एत्थं पि एक्कसिं चैव जं कोरइ कम्मं पहरववहरणावि विवक्खाए तमुवभोगो, पुणो पुणो य जं तं पुण परिभोगो त्ति । अन्ने पुण कम्मपक्खे उवभोगपरिभोगजोयणं ण करिंति । उवन्नासोय एयस्सुवभोगपरिभोगकारण-भावेणति । इति कृतं प्रसङ्गेन ।

इहेदमपि चातिचाररहितमनुपालनीयमिति तदभिधित्साह—अतिचारानपि चैतयो-भोजन-कर्मणोः वक्ष्येऽभिधास्ये पृथक् प्रत्येकम् । समासेन संक्षेपेणेति ॥२८५॥

उस उपभोग और परिभोगको भोजन और कर्मकी अपेक्षा दो प्रकारका जानना चाहिए । आगे इनके अतिचारोका भी निर्देश पृथक् पृथक् संक्षेपमे इस प्रकारसे किया जाता है ।

विवेचन—प्रकृत उपभोग-परिमाणव्रतमे श्रावकको भोजनकी अपेक्षा सामान्यसे निर्दोष आहारको ग्रहण करना चाहिए । कर्मकी अपेक्षा भी उसे प्रायः निर्दोष कर्मके अनुष्ठानसे युक्त होना चाहिए । देशविरति अनेक प्रकारकी है, अतः उसके विषयमे अपवाद भी सम्भव है । इसीसे 'यह इसी प्रकारका है अथवा यह इसी प्रकारका है ऐसा सूत्रमे नियम नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त उसके अतिचार भी कहे गये हैं, इसलिए उसके विधानका निश्चय अपनी बुद्धिके अनुसार करना चाहिए ।

यहाँ टीकाकारने 'बृद्धसंप्रदाय' के अनुसार उसका स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा है कि श्रावकको सामान्यसे प्रासुक ( जीव-जन्तुओसे रहित ) और एषणीय ( ग्रहण करने योग्य ) आहारका उपभोग करना चाहिए । यदि प्रासुक व एषणीय आहारको प्राप्ति सम्भव न हो तो सचित्तको छोडकर अनेषणीयको भी ग्रहण कर सकता है । पर यदि अचित्त भी उक्त भोजन न प्राप्त हो सके तो सचित्तमे अनन्तकाय ( साधारण वनस्पति ) और बहुबोजको छोडना चाहिए । चार प्रकारके आहारमे-से अशनमे आर्द्रक ( अदरख ), मूली और मास आदिको; पानमे मांसरस और मद्य आदि, खाद्यमे पांच उदुम्बर फल आदि और स्वाद्यमे मधु आदिको छोडना चाहिए । इस प्रकारसे यह भोगके विषयमे निर्देश किया गया है । इसी प्रकार परिभोगमें भी श्रावकको स्थूल, धवल और अल्प मूल्य वाले वस्त्रोका परिमित रूपमे परिभोग करना चाहिए ।... ..(?) देवदूष्य वस्त्र तक परिभोगसे भी प्रमाण करना चाहिए । कर्मकी अपेक्षा श्रावक चूँकि कर्मके विना जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए कर्म करते हुए उसे अत्यन्त सावद्य कर्मोंको छोडना चाहिए । यहाँ (कर्ममे) भी जो कर्म पहर-व्यवहारादिकी विवक्षासे एक ही बार किया जाता है उसे

१. अ सो दुविहो स उपभोग परिभोगश्च । २. अ इत्येत एवेदमूले ति वा सूत्रे । ३. अ ताहि ।

तत्र भोजनतोऽभिधित्तसाह—

सचित्ताहारं खलु तप्पडिवद्धं च वज्जए सम्मं ।

अप्पोलिय-दुप्पोलिय-तुच्छोसहिभक्खणं चैव ॥२८६॥

सचित्ताहारं खलु सचेतनं मूल-कन्दविकम् । तत्प्रतिवद्धं च वृक्षस्यगुन्द-पक्वफलादि-  
लक्षणम् । वर्जयेन्निहरेत् सम्यक् प्रवचनोक्तेन विधिना । तथा अपक्व- दुःपक्व तुच्छौषधिभक्षणं  
च, वर्जयेदिति वर्तते । तत्रापक्वाः प्रसिद्धाः दुःपक्वास्त्वर्धस्विन्नाः, तुच्छास्त्वसारा मुद्गफली-  
प्रभृतय इति ॥२८६॥

उक्ता भोजनातिचाराः, सांप्रतं कर्माश्रित्याह—

इंगाली-वण-साडी-भाडी-फोडीसु वज्जए कम्मं ।

वाणिज्जं चैव दंत-लक्ख-रस-केस-विसविसयं ॥२८७॥

अङ्गार-वन-शकट-भाटक-स्फोटनेषु एतद्विषयम् । वर्जयेत् कर्म न कुर्यात् । तत्राङ्गार-

उपभोग और जो पुन-पुनः किया जाता है उसे परिभोग कहा जाता है । अन्य कितने ही आचार्य  
कर्मपक्षमे प्रकृत उपभोग-परिभोगकी योजना नहीं करते हैं । इसका उपन्यास उपभोग-परिभोगके  
कारण स्वरूपसे किया गया है । इस व्रतका भी परिपालन अतिचारोमे रहित करना चाहिए, इसी  
अभिप्रायसे गाथाके उत्तरार्धमे भोजन और कर्म इन दोनोंके पृथक्-पृथक् अतिचारोके सक्षेपमे  
कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है ॥२८५॥

उनमें आगे भोजनकी अपेक्षा उसके अतिचारोका निर्देश किया जाता है—

सचित्त आहार, सचित्त प्रतिवद्धाहार, अपक्वभक्षण, दुष्पक्वभक्षण और तुच्छ औषधि-  
भक्षण, ये भोजनकी अपेक्षा उसके पांच अतिचार कहे गये हैं । इनका आगमोक्त विधिके अनुसार  
परित्याग करना चाहिए ।

विवेचन—(१) कन्द व मूली आदि जो भोज्य पदार्थ चेतनासे सहित होते हैं उनका नाम  
सचित्त आहार है । (२) वृक्षसे सम्बद्ध गोद और पके फल आदिको सचित्त वृक्षसे सम्बद्ध होनेके  
कारण सचित्त समझना चाहिए । वृक्षसे विभक्त होनेपर वे अचित्त माने गये हैं । (३) जो भोज्य  
पदार्थ पका न हो—कच्चा हो—उसे अपक्व आहार जानना चाहिए । (४) जो भोज्य पदार्थ  
अधपका हो वह दुष्पक्व कहलाता है । (५) मूँगकी फलियो आदिको तुच्छ औषधि—निःसार  
वस्तु—समझना चाहिए । ये भोजनकी अपेक्षा उपभोग परिभोगपरिमाणव्रतके पांच अतिचार माने  
गये हैं । आगममे जिस प्रकारसे इनके स्वरूपका विधान किया गया है तदनुसार ही उनका परि-  
त्याग करना चाहिए । अन्यथा, स्वीकृत वह व्रत नियमसे मलिन होनेवाला है ॥२८६॥

आगे उक्त उपभोग-परिभोग परिमाणव्रतके विषयमें जो कर्मविषयक १५ अतिचार कहे गये  
हैं उनमे प्रथमतः १० अतिचारोका निर्देश किया जाता है—

अंगारकर्म, वनकर्म, शकटकर्म, भाटककर्म, स्फोटनकर्म, दन्तवाणिज्य, लाक्षावाणिज्य,  
रसवाणिज्य, केशवाणिज्य और विषविषयक वाणिज्य; इनका परित्याग करना चाहिए ।

विवेचन—इनका स्वरूप वृद्धसम्प्रदायके अनुसार इस प्रकार है—(१) अंगारकर्म—अग्निको  
प्रज्वलित कर कोयला, लोहे आदिके उपकरण बनाये जाते हैं । इनमे छह कायके जोवोका घात

कर्मागारकरणविक्रयविषया । एवं शोषेष्वप्यक्षरगमनिका कार्या । तथा वाणिज्यं चैव, दन्त-लाक्षा-  
रस-केश-विषविषयं दन्तादिगोचरम् । वर्जयेत् परिहरेदिति ॥२८७॥

एवं खु जंतपीलणकम्मं निल्लंछणं च दवदाणं ।

सर-दह-तलायसोसं असईपोसं च वल्लिज्जा ॥२८८॥

होता है, इसीलिए श्रावकको ऐसा सावध कर्म करना उचित नहीं है । (२) वनकर्म—जो जंगलको खरीदकर या ठेकेपर लेकर उसमें स्थित वृक्षोंको कटवाता है, और उनके मूल्यसे आजीविका करता है, इसके अतिरिक्त पत्तियो आदिको तुड़वाकर उनसे आजीविका चलाता है, इसे वनकर्म कहा जाता है । प्राणिविघातका कारण होनेसे यह कर्म भी श्रावकके लिए निषिद्ध है । (३) शकटकर्म—शकट नाम बैलगाड़ीको चलाकर उसके आश्रयसे जीविका करना, इसे शकटकर्म कहा जाता है । इस क्रियामे बैलोंको बांधना, उन्हें गाड़ीमें चलाना एव ताड़ित आदि करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त गाड़ीके चलाते समय उसके नीचे दबकर कितने ही त्रस जीवोका घात होता है, इसीलिए श्रावकके लिए यह कर्म निषिद्ध माना गया है । इसी प्रकार गाड़ीको बनाकर या दूसरोसे बनवाकर उसे बेचने आदिको भी निषिद्ध समझना चाहिए । (४) भाटक कर्म—गाड़ी आदिके द्वारा बोझा ढोकर भाडेके आश्रयसे आजीविका करना, इसे भाटककर्म कहते हैं । श्रावक अपनी गाड़ी आदिके द्वारा निजके बोझे आदिके ढानेका काम कर सकता है, पर दूसरेके बोझे आदिको ढोकर उससे भाड़ा कमाना उसे उचित नहीं है । इसी प्रकार दूसरोसे बैलोको मागकर उनके आश्रयसे जीविकाका उपार्जित करना भी हेय माना गया है । (५) स्फोटककर्म—सुरग आदिमे बारूदके आश्रयसे पत्थरोका तोड़ना, हल-बखर आदिके द्वारा भूमिको जोतना व बखरना आदि क्रियायें इस स्फोटक कर्मके अन्तर्गत मानी जाती हैं । अनेक प्राणयोका नाशक होनेसे यह कर्म भी श्रावकके लिए उचित नहीं माना गया । (६) दन्तवाणिज्य—हाथीके दांतोंको देनेके लिए पहलेसे मूल्य देकर उनसे मँगाना और उनके आश्रयसे व्यापार करना, यह दन्तवाणिज्य कहलाता है । व्यापारी उन दांतोंको लेनेके लिए शीघ्र आयगा, इस विचारसे भील, हाथीको मारकर उसके दांतोंको प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार शंखोंके लिए मूल्य देकर उन्हें धोवरोसे मँगाना, यह कार्य भी जीववधका कारण होनेसे योग्य नहीं है । हाँ, यदि भील और धोवर श्रावकको अनुभूतिके विना प्रथम मूल्य न लेकर स्वयमेव उन्हें लाते हैं तो यह श्रावकके लिए दाषका कारण नहा है । (७) लाक्षावाणिज्य—लाखके द्वारा व्यापार इसका नाम लाक्षावाणिज्य है । लाख वृक्षासे निकाला जाती है, इसमें कितने ही सूक्ष्म त्रस जीव अनन्तकाय जीवोका विघात होता है, इस लाखके व्यापारके तथा ऐसे ही जीवविघातक अन्य चीजोंके भी व्यापारका परित्याग करना उचित है । (८) रसवाणिज्य—का अभिप्राय कलालके व्यापारसे है । इस व्यापारमें विभिन्न प्रकारके मद्यका क्रय-विक्रय हुभा करता है । मद्यके पानेमें मारना, गालो देना आर हत्या आदि करना जैसे बहुतसे दोष देखे जाते हैं । इसीलिए श्रावकको कलालका व्यापार करना उचित नहीं है । (९) केश-वाणिज्य—केशवाली दासियोंको ले जाकर अन्यत्र जहाँ अच्छा मूल्य प्राप्त किया जा सक, बेचना, इसका नाम केशवाणिज्य है । इस व्यापारमें बेची गयी दासियाको परतन्त्रता, मारन-ताड़न एव बल पूर्वक अनेक उचित-अनुचित कार्योंका करना, इत्यादि अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं । इसालए श्रावकको इस निकृष्ट व्यापारका परित्याग करना ही उचित है । (१०) विषेली वस्तुओंक क्रय-विक्रयका नाम विषवाणिज्य है । इन वस्तुओंके उपयोगसे बहुतसे जीवोंकी विराधना देखा जाता है । इसलिए व्रतो श्रावकको इस घृणित व्यापारको भी छोड़ना चाहिए ॥२८७॥

एवमेव शास्त्रोक्तेन विधिना । यन्त्रपीडनकर्म निलंछनं<sup>१</sup> च कर्म दवदानं सरोहृद-  
तडागशोष असतीपोषं च वर्जयेदिति गाथाद्वयाक्षरार्थः । भावार्थस्तु वृद्धसप्रदायादेव अवसेयः ।  
स चायम्—

इंगालकम्मति इंगाले<sup>२</sup> दहिउं विक्किणइ तत्थ छण्हं कायाणं व्हो, तं<sup>३</sup> न कप्पइ । वणकम्म  
जो वणं किणइ पच्छा र्वखे छिदिउं मुल्लेण जीवइ । एवं पत्तिगाइविं<sup>४</sup> पडिसिद्धा भवंति ।  
साडीकम्मं सागडियत्तणेण जीवइ । तत्थ बंध-वहाई बहुदोसा<sup>५</sup> । भाडीकम्मं सएण भडोवक्खरेण  
भाडएण वहइ, परायण ण कप्पइ । अन्नेसि वा सगडे वइल्लयवेइ, एवमाइ ण कप्पइ । फोडीकम्मं  
उडत्तणं<sup>६</sup> ह्लेण वा भूमि फाडेउं जीवइ । दतवाणिज्ज पुव्वं चेव पुल्लिदाण मुल्ल देइ वंते  
देज्जाहित्ति, पच्छा पुल्लिदा हत्थि घाएत्ति<sup>७</sup> अचिरा सो वाणियओ एत्तित्ति काउं । एवं धोवराण  
सखमुल्लं देइ । एवमाइ न कप्पइ । पुव्वाणीयं किणइ । लक्खवाणिज्जे वि एए चेव दोसा  
तत्थ किमिया होति । रसवाणिज्जं कत्तावालगत्तणं । तत्थ सुरादिपाणे बहुदोसा मारण-अक्कोस-  
वहाई । तम्हा न कप्पइ । केसवाणिज्जं दासीओ गहाय अन्नत्थ विक्किणइ जत्थ अग्घेति । एत्थ  
वि अणेगे दोसा परवसत्तादयो । विसवाणिज्ज विसविक्कओ, सो ण कप्पइ । तेण व्हण जीवाण  
विराहणा । जतपीलणकम्म तेल्लियजत वुच्चुजत चक्कमादो, तं न कप्पइ । निल्लंछणकम्मं  
वड्ढेउं वल्लद्दाइ न<sup>८</sup> कप्पइ । दवग्गिदावणयाकम्मं वणदवं देइ छेत्रक्खणनिमित्तं, जहा  
उत्तरावहे, पच्छा दड्ढे तरुणगतण उट्ठेइ । तत्थ सत्ताणं सयसहस्साण व्हो । सरदहतलायसोसण-  
याकम्मं सर-दह तलाईणि सोसेइ पच्छा वाविज्जइ, एयं ण कप्पइ । असईपोसणयाकम्म असईओ

अब उनमे शेष पांच कर्मोंका भा निर्देश किया जाता है—

इसी प्रकार यन्त्र पीडन कर्म, निर्लाछन कर्म, दवदान, सर-द्रह-तडागशोषण और असती-  
पोष इस भोगोपभोग परिमाण त्रतीको कर्म विषयक इन शेष पांच अतिचारोका भी परित्याग  
करना चाहिए ।

विवेचन—इन कर्मोंका भी स्पष्टीकरण इस प्रकार है । (११) यन्त्रपीडन कर्म—तेलके यन्त्र  
( कोल्हू ), ईखके यन्त्र और चक्र आदि कर्मोंको भी हेय जानकर इनका भी श्रावकको परित्याग  
करना चाहिए । कारण यह कि इन यन्त्रोंके द्वारा तेल व ईखके रस आदिके निकालनेमें प्राणियो-  
को पीडा हुआ करती है । (१२) निर्लाछन कर्म—इस कर्ममें बैलोंका बधिया—सन्तानोत्पत्तिके  
अयोग्य किया जाता है, इससे उनको भारी कष्ट पहुँचता है । इसके अतिरिक्त उसकी नासिकाको  
छेदकर उसके भीतर रस्सी डाली जाती है व उन्हें नियन्त्रणमें रखनेके लिये उसे इधर-उधर  
खींचा जाता है । बहुतसे पशुओंके कान आदि अवयवोंको छेदा जाता है । इन सब क्रियाओंसे  
प्राणियोंको बहुत कष्ट पहुँचता है । इसीलिए श्रावकको इसका परित्याग करना ही श्रेयस्कर है ।  
(१३) दवदान—क्षेत्रकी रक्षाके लिए कहीं-कहीं वनमें आग लगाई जाती है, जिससे असंख्य  
प्राणियोंका मरण होता है । खेतको उपजाऊ बनानेके लिए उसमें भी कभी आग लगायी जाती है ।  
जैसे उत्तर भारतमें वृक्षोंको उत्पन्न करनेके लिए आग लगायी जाती है, जिससे वृक्षसमूह  
अंकुरित होता है । यह कर्म भी प्राणिपीडाका कारण होनेसे श्रावकके लिए हेय है । (१४) सर-  
द्रह तडागशोषण—तालाब आदि जलाशयोंके पानीको निकालकर व उन्हें सुखाकर धान्य  
आदिको बोया जाता है, इसे सर-द्रह-तडागशोषण कर्म कहा जाता है । इससे जल-जन्तुओंके साथ

१ अ निलाछन । २ अ अगाले । ३ अ तन्न । ४ अ पुन्नगाइवि । ५ अ वधवहोय च दोसा । ६ अ  
वइल्लेयवेइ । ७ अ उडत्तण । ८ अ घणत्ति । ९ अ वड्ढेउं वल्लद्दाही ण ।

पोसेइ, जहा गोल्लविसए जोणिपोसगा दासीण भणियं भाडिं गेह्लंति । प्रदर्शनं चैतद्बहुसाव-  
धाना कर्मणामेवजातीयानाम्, न पुन' परिगणनमिति ॥२८८॥

उक्तं सातिचारं द्वितीयं गुणव्रतम्, सांप्रतं तृतीयमाह—

विरई अणत्थदंडे तच्च स चउव्विहो अवज्झाणो ।

पमायायरिय-हिंसपयास-पावोवएसे य ॥२८९॥

विरतिनिवृत्तिरनर्थदण्डे अनर्थदण्डविषया इह लोकमप्यङ्गीकृत्य निःप्रयोजनभूतोपमर्द-  
निग्रहविषया तृतीयम्, गुणव्रतमिति गम्यते । स चतुर्विधः सोऽनर्थदण्डः चतुःप्रकारः । अपध्यान  
इति अपध्यानाचरितोऽप्रशस्तध्यानेनासेवितः । अत्र देवदत्तश्रावक-कोड्डुणार्यकसाधुप्रभृतयो  
ज्ञापकम् । प्रमादाचरितो मद्यादिप्रमादेनासेवितः । अनर्थदण्डत्वं चास्योक्तशब्दार्थद्वारेण स्वबुद्ध्या  
भावनीयम् । हिंसाप्रदानं इह हिंसाहेतुत्वादायुधानल-विषादयो हिंसोच्यते, कारणे कार्योपचारात् ।

अन्य भी अनेक जीवोका विनाश होता है । इसलिए यह कर्म भी निषिद्ध माना गया है ।  
(१५) असतीपोष—भाड़ा ग्रहणकी इच्छासे असतीजन—दुराचारिणी स्त्रियोका पोषण करना,  
जैसे गोल्ल देशमे योनिपोषक दासियोको कथित भाड़ेके लिए ग्रहण किया करते हैं । सा ध. ५-२२  
की स्वी टीकामे भाड़ा ग्रहण करनेके लिए हिंसक प्राणियोके पोषणको असतीपोष कहा गया है ।  
इस प्रकार इन दो ( २८७ २८८ ) गाथाओमे निर्दिष्ट पन्द्रह कर्मविषयक अतिचारोका उपभोग-  
परिभोगपरिमाणव्रतीको परित्याग करना चाहिए । यहां जो केवल इन पन्द्रह कर्मोंका ही निषेध  
किया गया है उसे प्रदर्शन मात्र समझना चाहिए । कारण इसका यह है कि उक्त १५ कर्मोंके  
अतिरिक्त अन्य कितने ही पापोत्पादक कर्म हैं, जिनकी गणना करना अशक्य है । इसलिए व्रती  
श्रावकको अपनी विवेकबुद्धिसे विचारकर यथायोग्य सावद्य कर्मोंका परित्याग करना योग्य है ।  
लगभग यही अभिप्राय सागार धर्माभूत ( ५, २१-२३ ) मे प्रकट किया गया है ॥२८७-२८८॥

आगे क्रमप्राप्त तीसरे गुणव्रतका स्वरूप कहा जाता है—

अनर्थदण्डके विषयमे जो निवृत्ति की जाती है उसे अनर्थदण्डव्रत नामका तीसरा गुणव्रत  
कहा जाता है । वह चार प्रकारका है—अपध्यान, प्रमादाचरित; हिंसाप्रदान और पापोपदेश ।

विवेचन—अर्थ शब्द प्रयोजन और दण्ड शब्दका अर्थ पीडन है । तदनुसार अनर्थ—प्रयो-  
जनके विना—जो जीवोको पीड़ा पहुँचायी जाती है उसका नाम अनर्थदण्ड है । ऐसे अनर्थदण्डका  
परित्याग करना इसे अनर्थदण्डव्रत कहते हैं । उक्त गुणव्रतोमे यह तीसरा है । वह अनर्थदण्ड चार  
प्रकारका है—अपध्यान, प्रमादाचरित, हिंसाप्रदान और पापोपदेश । (१) अपध्यान—आर्त-रीद्र-  
स्वरूप दुष्टचिन्तनका नाम अपध्यान है । इस प्रकारके अपध्यानके वश होकर जो भी प्रवृत्ति की  
जाती है उसे अपध्यान ( अपध्यानाचरित ) कहते हैं । इसमे देवदत्त श्रावक और कोकण आर्यक  
साधुके दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं । (२) प्रमादाचरित—मद्यादिजनित प्रमादके वश होकर जो प्राणियोको  
पीडा पहुँचायी जाती है उसका नाम प्रमादाचरित है । रत्नकरण्डक (८०) मे इसके लक्षणका  
निर्देश करते हुए कहा गया है कि पृथिवी, जल, अग्नि और वायुका निरर्थक आरम्भ करना तथा  
वनस्पतियोका छेदना; इत्यादि कार्य जो बिना किसी प्रयोजनके किये जाते हैं उन्हे प्रमादचर्या या  
प्रमादाचरित कहा जाता है । निरर्थक हाथ-पांव आदिका व्यापार करना तथा हिंसक जीवोका  
पालन करना इत्यादि कार्य भी इसी प्रमादचर्याके अन्तर्गत आते हैं । लगभग यही अभिप्राय



तेषां प्रदानं अन्यस्मै क्रोधाभिभूतायानभिभूताय वेति । पापोपदेशश्चेति सूचनात्सूत्रमिति न्यायात्पापकर्मोपदेशः, पापं यत्कर्म कृष्यादि तदुपदेशो यथा कृष्यादि कुवित्यादि ॥२८९॥

अनर्थदण्डस्यैव बहुबन्धहेतुतां ख्यापयन्नाह—

अद्वेण तं न बध्द्व जमणट्टेणं तु थैव-बहुभावा ।

अट्टे कालाईया नियामगा न उ अणट्टाए ॥२९०॥

अर्थेन कुटुवादिनिमित्तेन प्रवर्तमानस्तन्न वध्नाति तत्कर्म नादत्ते यदनर्थेन यद्विना प्रयोजनेन प्रवर्तमानः । कुत. ? स्तोत्रबहुभावात् रत्नाकभावेन स्तोत्रं प्रयोजन परिमितत्वात्, बह्वप्रयोजन प्रसादापरिमितत्वात् । तथा चाह—अर्थे प्रयोजने । कालादयो नियामकाः कालाद्य-पेक्षं हि कृष्याद्यपि भवति, न त्वनर्थाय प्रयोजनमन्तरेणापि प्रवृत्तौ सदा प्रवृत्तेरिति ॥२९०॥

इदमपि चातिचाररहितमेवानुपालनीयमिति अतः तानाह—

सागार धर्माभूत ( ५, १०-११ ) मे भी प्रकट किया गया है । प्रमादका अर्थ प्रायः असावधानी होता है । तदनुसार इसे अनर्थदण्ड कहना भी सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें उपयुक्त कार्य असावधानीसे निरर्थक ही किये जाते हैं । (३) हिंसाप्रदान—आयुध, अग्नि और विष आदि हिंसोपकरणोंको कारणमे कार्यका उपचार करके हिंसा कहा जाता है । इनको क्रोधाभिभूत अथवा उससे रहित भी किसी अन्यको देना, इसे हिंसादान कहा जाता है । (४) पापोपदेश—पाप शब्दसे यहाँ पापोत्पादक कार्यकी सूचना की गयी है । ऐसे कार्य यहाँ तिर्यंच आदि जीवोंको कष्ट पहुँचाने-वाले कृषि व वाणिज्य आदि हो सकते हैं । इनका विना किसी अपने प्रयोजनके दूसरोंको उपदेश देना, यह पापोपदेश कहलाता है ॥२८९॥

आगे ये अनर्थक ही कार्य बन्धके हेतु हैं, इसे स्पष्ट किया जाता है—

प्रयोजनके वश प्रवर्तमान जीव उस कर्मको नहीं बाँधता है, जिसे कि विना किसी भी प्रयोजनके प्रवर्तमान जीव बाँधता है । उसका कारण प्रयोजनकी हीनाधिकता है । प्रयोजनके होनेपर काल आदि नियामक हैं, जबकि उस प्रयोजनके विना उसमें कालादि कोई भी नियामक नहीं रहते ।

विवेचन—इसका अभिप्राय यह है कि जीव किसी कौटुम्बिक प्रयोजनके वश जब किसी कृषि आदि कार्यमें प्रवृत्त होता है तब वह आवश्यक प्रयोजनके पूर्ण होने तक ही उसमें प्रवृत्त रहता है, प्रयोजनके पूर्ण हो जानेपर वह उससे विरत होता है । इसीलिए उसके तज्जन्य कर्मका बन्ध नहीं होता, क्योंकि काल आदि नियामक रहते हैं । इसके विपरीत जो विना किसी प्रयोजनके अनर्थक कार्यमें प्रवृत्त होता है, उसे उससे रोकनेके लिए काल आदिका कुछ नियम नहीं रहता । इस प्रकार कोई सीमा न रहनेसे वह प्रमादके वशोभूत होकर अपरिमित पापकार्योंको निरर्थक ही किया करता है, अतः उससे उसके बहुतर कर्मका बन्ध अवश्यम्भावी है । यही कारण है जो प्रकृत तृतीय गुणव्रतमे श्रावकको ऐसे कितने ही अनर्थदण्डोंका परित्याग कराया गया है ॥२९०॥

इसके भी अतिचार रहित पालनके लिए आगे उसके अतिचारोंका निर्देश किया जाता है—

कन्दर्पं कुक्कुच्यं मोहरियं संजुयाहिगरणं च ।

उवभोगपरीभोगादरेयगयं चित्थ वज्जइ ॥२९१॥

इति पदघटना । पदार्थस्तु कन्दर्पः कामस्तद्धेतुर्विशिष्टो वाक्प्रयोगोऽपि कन्दर्प उच्यते, रागोद्रेकात्प्रहासमिश्रो मोहोद्दीपको नर्मेति भावः । इह च सामाचारी—सावगस्स अट्टट्टहासो न वट्टइ, जइ नाम हसियव्वं तउ ईसि चैव हसियव्व ति ॥१॥ कौत्कुच्यं कुत्सितलंकोचनादिक्रिया-युवतः कुत्कुचः, तस्य भावः कौत्कुच्य अनेकप्रकारमुख-नयनौठ-कर-चरण-भ्रूविकारपूर्विका परिहासादिजनिका भांडादीनामिव विडम्बनेक्रियेत्यर्थः । एत्थ सामाचारी—तारिसगाणि भासिउं न कप्पंति जारिसेहि लोगस्स हासो उपज्जइ । एवं गतोए ठाणेण वा ठाइउं ति ॥२॥ मौखर्यं घाष्टर्चात्प्रायोऽसत्यासंबद्धप्रलापित्वमुच्यते मुद्देण वा अरिमाणेइ जहा कुमारासच्चेणं सो वारहडो विसज्जिओ रत्तो णिवेदियं ताए जीवियाए वित्ती दिन्ना अन्नदा रूढेण मारिओ कुमारासच्चो ॥३॥ संयुक्ताधिकरणम् अधिक्रियते नरकादिष्वनेनेत्यधिकरणं वारयुद्धखल-शिलारपुत्रकं गोधूमयंत्र-कादिषु संयुक्तार्थक्रियाकरणयोग्यम्, संयुक्तं च तदधिकरणं चेति समासः । एत्थ सामाचारी—सावगेणं संजुत्ताणि चैव सगडाईणि न वरेयव्वाणि । एवं वामी-परसुमाइ विभासा ॥४॥ उवभोग-परिभोगादरेयगयति—उपभोगपरिभोगशब्दार्थो निरूपित एव, तदतिरेकस्तदधिकभावः, एत्थ वि

कन्दर्पं, कौत्कुच्यं, मौखर्यं, संयुक्ताधिकरण और उपभोग-परिभोगपरिमाणातिरेकता ये पांच प्रकृत अनर्थदण्डव्रतके अतिचार हैं, जिनका परित्याग करना चाहिए ।

विवेचन—(१) कन्दर्पं नाम कामका है, उसके आश्रयसे जो विशिष्ट वचनोंका प्रयोग किया जाता है उसे कन्दर्पं कहा जाता है । अभिप्राय यह है कि रागकी उत्कटतासे कामोद्दीपक हास्यमिश्रित, अशिष्ट वचन बोलना, इसका नाम कन्दर्पं है, दूसरे नामसे इसे नर्म भी कहा जाता है । यहाँ सामाचारी—श्रावकको ठहठहा मारकर जोरसे हँसना नहीं चाहिए । यदि हँसना ही है तो मन्दरूपमे हँसना योग्य है, जिसे स्मित कहना चाहिए । ऐसा न करनेपर व्रत इस कन्दर्पं नामक प्रथम अतिचारसे दूषित होता है । ( २ ) कौत्कुच्यं—भांडो आदिके समान अनेक प्रकारसे मुख, नेत्र, ओष्ठ, हाथ-पांव, और भ्रू आदिको विकारयुक्त करके जो परिहासादिजनक शरीरकी चेष्टा ( विडम्बना ) की जाती है उसे कौत्कुच्यं कहा जाता है । यह अनर्थदण्डव्रतका दूसरा अतिचार है । यहाँ सामाचारी—श्रावकको ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए जिनसे लोगोको हास्य उत्पन्न हो । इसी प्रकारसे ऐसी गति, स्थिति और बैठने आदिकी क्रियाको भी नहीं करना चाहिए । ( ३ ) मौखर्यं—ढीठपनेसे प्रायः जो असत्य, असम्बद्ध और अनर्थक बकवाद किया जाता है; इसे मौखर्यं कहते हैं । यह अनर्थदण्डव्रतका तीसरा अतिचार है । [ यहाँ सामाचारी— ] अथवा मुखसे 'शत्रुको लाओ,' जैसे कुमारासत्त्यने उम वारहडको विदा किया और राजासे निवेदन किया कि उसे जीविकाके लिए वृत्ति दो । दूसरे दिन क्रोधित होकर राजाने कुमारासत्त्यको मार डाला ? ( ४ ) संयुक्ताधिकरण—'अधिक्रियते नर-नारकादिष्वनेनेत्यधिकरणम्' इस निरुक्तिके अनुसार जो मनुष्य व नारक आदि गतियोमे अधिकृत किया करता है, उमका नाम अधिकरण है । बसूला, उदूखल ( ओखली ), शिलारपुत्रक और गेहूँका यन्त्र ( हल-बखर आदि ); इनको अर्थक्रियाके योग्य बँट और मूसल आदि उपकरणोसे जोडकर रखना; इसका नाम संयुक्ताधिकरण है । यह

१. अ संजुत्ताइकरण वा । २. अ परिभोगरेवय चैव वज्जेज्जा ( अस्या गायया सस्कृतछायाप्यत्रोपलभ्यते ।

३ अ हासादिजनितादीडादीनामिव । ४ अ विसज्जन्न रत्तो णिविदिय । ५ अ पुत्रकगोधूम ।

सामाचारी—उवभोगातिरिक्तं जइ तेल्लामलए बहुए गेण्हइ तो बहुगा ण्हायगा वच्चंति तस्स लोलियाए । अन्ने वि ण्हायगा ण्हायंति—पच्छा पूयरगमाउकायादिवहो होइ । एवं पुप्फ-तंबोला-दिमुं विभासा । एव न वट्टइ । का विहो सावगस्स उवभोगे ण्हाणे ? घरे ण्हाइयव्व, नत्थि ताहे तेल्लामलएहिं सीसं घसित्ता सव्वे साडविऊ णंताहे तलागाईं तडे निविट्ठो अंजलीहिं ण्हाइ । एवं जेसु य पुप्फेसु पुप्फकुथू ताणि परिहरइ ॥५॥ ॥२९१॥

उक्तं सातिचार तृतीयगुणव्रतम् । गुणव्रतानन्तरं शिक्षापदव्रतान्याह तानि चत्वारि भवन्ति । तद्यथा—सामायिकं देशावकाशिकं पौषधोपवास. अतिथिसंविभागश्चेति । तत्राद्यमाह—  
सिक्खापयं च पढमं सामाइयमेव तं तु नायच्चं ।

सावज्जेयरजोगाण वज्जणासेवणारूवं ॥२९२॥

शिक्षा परमपदप्रापिका क्रिया, तस्याः पदं शिक्षापदम् । तच्च प्रथममाद्यं सूत्रक्रम-प्रामाण्यात् । सामायिकमेव—समो राग-द्वेषवियुक्तो यः सर्वभूतान्यात्मवत्पश्यति, आयो लाभः

प्रकृत व्रतका चौथा अतिचार है । उनके संयुक्त रहनेपर कोई भी उन्हें अनायास मांगकर ले जा सकता है । रत्नकरण्डक ( ८१ ) और सागारधर्मामृत ( ५-१२ ) आदिमें इस अतिचारको 'असमीक्ष्याधिकरण' के नामसे निर्दिष्ट किया गया है । उसका अभिप्राय है कि प्रयोजनका विचार न करके लकड़ी, ईंट व पत्थर आदिको आवश्यकतासे अधिक मँगवाना या तैयार कराना । सागार-धर्मामृतमें तो श्रावक प्रज्ञप्तिके अन्तर्गत कुछ स्पष्टीकरणके साथ अभिप्रायको भी अन्तर्गत कर लिया है । यहाँ सामाचारी—श्रावकको गाड़ी आदि उपकरणोको सयुक्त—जुड़े हुए उपकरणोके साथ—नहीं घरना चाहिए । इसी प्रकार बसूला और फरसा आदिके विषयमें भी समझना चाहिए । ( ५ ) उपभोग-परिभोगातिरेकता—उपभोग और परिभोगके साधनोको आवश्यकतासे अधिक मात्रामे रखना, यह इस व्रतका पांचवां अतिचार है । यहाँ सामाचारी—उदाहरणार्थ—स्नानके लिए तालाब आदिपर जाते समय तेल, आँवले आदिको अधिक मात्रामे ले जाना । ऐसा करनेपर दूसरे भी कितने ही मनुष्य लोलुपताके वश नहानेके लिए साथमें जाते हैं । इससे पूयरग (?) और जलकायिक आदि जीवोका वध होता है । इसी अभिप्रायको फूल और पान आदिके विषयमें भी समझना चाहिए । इस प्रकारकी प्रवृत्ति उचित नहीं है । तब फिर श्रावकके लिए उपभोग व नहानेकी क्या विधि है, इस प्रश्नके उत्तरमें कहा गया है कि श्रावकको प्रथम तो घरमें ही नहाना चाहिए । यदि घरमें नहाना नहीं हो सकता है तो तेल और आँवलोसे सिर घिसकर और उसे अलग करके तब कहीं तालाब आदिके तटपर जाना चाहिए और वहाँ बैठकर अजुलियोसे नहाना चाहिए । इसी प्रकार जिन फूओमें पुष्पकोट आदि हो उनको छोड़ना चाहिए ॥२९१॥

इस प्रकार अतिचारोके साथ अन्तिम तीसरे गुणव्रतका निरूपण करके तत्पश्चात् सामायिक, देशावकाशिक, पौषधोपवास और अतिथिसंविभाग इन चार शिक्षापदव्रतोकी प्ररूपणा करते हुए प्रथमतः सामायिक शिक्षापदव्रतका स्वरूप कहा जाता है—

उक्त चार शिक्षापदोमें प्रथम सामायिक शिक्षापदको ही जानना चाहिए । वह क्रमसे सावद्य योगके परित्याग और इतर—निष्पाप योगके आसेवन रूप है ।

विवेचन—मोक्षपदको प्राप्त करानेवाली क्रियाका नाम शिक्षा है, उस शिक्षाके पद (स्थान) को शिक्षापदव्रत कहा जाता है । सूत्रक्रमके अनुसार सामायिक यह प्रथम शिक्षापद है । सामायिक

प्राप्तिरिति पर्यायाः, समस्यायः समायः । समो हि प्रतिक्षणमपूर्वेज्ञानं दर्शन-चारित्रपर्यायैरूपम-  
सुखहेतुभिरघःकृतचिन्तामणिकल्पद्रुमोपसैर्युज्यते । स एव समायः प्रयोजनमस्य क्रियानष्ठान-  
स्येति सामायिकम् । समाय एव वा भवं सामायिकमिति शब्दार्थः । एतत्स्वरूपमाह—तत्तु सामा-  
यिकं ज्ञातव्यं विज्ञेयम् । स्वरूपतः कौदुगिति आह—सावद्येतरयोगानां यथासंख्यं वर्जनासेवन-  
रूपमिति । तत्रावद्यं गहितं पापम्, सहावद्येन सावद्यम्, योगा व्यापाराः कायिकावयः तेषां<sup>१</sup>  
वर्जनारूपं परित्यागरूपमित्यर्थः । कालावधिनैवेति गम्यते । मा भूत्सावद्ययोगपरिवर्जनामात्रमपाप-  
व्यापारासेवनाशून्यमेव सामायिकमिति, अत आह—इतरयोगासेवनारूपं निरवद्ययोगप्रतिसेवना-  
रूपं चेति । सावद्ययोगपरिवर्जनवन्निरवद्ययोगपरिसेवनेऽपि अहर्निशं यत्नः कार्यं इति दर्शनार्थ-  
मेतदिति । एत्थं पुन सामायारी—सामाड्यं सावगेणं कहं कायव्वं ति ? इह सावगो दुविहो  
इड्ढिपत्तो अणिड्ढिपत्तो य । जो सो अणिड्ढिपत्तो सो चेड्ढियघरे साहुसमीवे घरे वा पोसहसालाए  
वा जत्थ वा वीसमई अचछइ वा निव्वावारो सव्वत्थ करेइ सव्वं चउसु ठाणेषु णियमा कायव्वं  
चेड्ढियघरे साहुमूले पोसहसालाए घरे आवस्सगं करोति त्ति । तत्थ जइ साहुसगासे करेइ तत्थ  
को विही ? जइ परंपरभयं णत्थि, जइ विय केणइ समं विवाओ णत्थि, जइ कस्मइ न घरेइ,  
मा तेण अचछवियगिच्छत्थि कड्ढिहिइ य, धारणगं दट्ठूण गेण्हइ, मा भज्जिहिइ, जइ वावारं ण  
करेइ ताहे घरे चेव सामाड्यं काऊण वच्चइ पंचसमिओ तिगत्तो इरियाउवउत्तो जहा साहु भासाए  
सावज्जं परिहरंतो एसणाए कट्ठं लेट्ठुं वा पडिलेहिउं पमज्जिउं । एवं आयाणे निक्खिवणे खेरु-

शब्दका निरुक्त अर्थ करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि जो राग-द्वेषसे रहित होकर समस्त प्राणियोंको अपने समान ही देखता है उसका नाम 'सम' है, 'आय' शब्दका अर्थ प्राप्ति है. तदनुसार सम जीव जो प्रतिसमय अनुपम सुखकी कारणभूत अपूर्व ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूप पर्यायोसे संयुक्त होता है उसे समाय ( सम+आय ) कहा जाता है । यह समाय ही जिस क्रिया—अनुष्ठान-का प्रयोजन हो उसका नाम सामायिक है । अथवा 'समाये भवस् सामायिकम्' इस विग्रहके अनुसार समाय ही जानेपर जो अवस्था होती है उसे सामायिकका लक्षण समझना चाहिए । यह सामायिक शब्दकी सार्थक सज्ञा है । अभिप्राय इसका यह हुआ कि श्रावक जो नियत समय तक सर्वसावद्ययोगके परित्यागपूर्वक निरवद्य योग—निष्पाप व्यापार—का परिपालन करता है; यह श्रावकका सामायिक नामक प्रथम शिक्षापदत्रत है ।

यहाँ सामाचारी—श्रावकको सामायिक कैसे करना चाहिए, इसके उत्तरमे यहाँ कहा गया है कि श्रावक दो प्रकारका होता है—ऋद्धिप्राप्त और अनृद्धिप्राप्त । इनमे जिसे ऋद्धि प्राप्त नहीं हुई है वह चैत्यगृहमे, साधुके समीपमे, घरमे, प्रौषधशालामे, अथवा जहाँ भी वह व्यापारसे रहित होकर विश्रामपूर्वक स्थित रह सकता है वहाँ सर्वत्र सब कर सकता है । पर चैत्यगृह, साधुके मूलमें, प्रौषधशालामे व घरमे इन चार स्थानोमे वह सब आवश्यक करता है । इनमे-से यदि वह साधुके समीपमे करता है तो क्या विधि है, इस प्रश्नके उत्तरमे कहा जा रहा है कि यदि दूसरेमे भय नहीं है, यदि किसीके साथ विवाद नहीं है, यदि कोई पकड़-धकड़ नहीं करता है, धृणा नहीं करता है, कर्षण नहीं करता है तथा पकड़ते हुए देखकर ग्रहण नहीं करता है, भागता नहीं है । यदि व्यापार नहीं करता है तो घर पर ही सामायिक करके पांच समितियोंसे सहित, तीन गुप्तियो-

१. सु व्यापारा तेपा । २. अ वीसइ । ३. अ णत्थि जइ सत्यए न घरेइ मा तेण अचछवियछ कज्जिहिइ जइय धारणग दट्ठूण ण गेण्हइ भिज्जिहिइ जइ ।

सिंघाणए न विंगिचइ, विंगिचंतो वा पडिलेहेइ पमज्जिय । जत्य चिट्ठइ तत्य तिगुत्तिणिरोहं करेइ । एयाए विहीए गता तिविहेण नमिऊण साहुणो पच्छा सामाइय करेइ, करेमि भते सामाइयं, सावज्जं जोगं पच्चवखामि दुविहं तिविहेण जाव साहुं पज्जुवात्तामिति काऊण पच्छा इरियावहियं पडिक्कमइ । पच्छा आलोएत्ता वंदइ आयरिआइ जहारायणियाए । पुणो वि गुरुं वंदित्ता पडिलेहित्ता निविट्ठो पच्छइ पइइ वा । एवं चेइएसु वि । जया सगिहे पोसहसालाए वा तत्य नवरि गमण णत्थि । जो इइट्ठिपत्तो सो सव्विइट्ठोए एइ । तेण जणस्स आढो होइ आढियाय साहुणो सुपुरिसपरिगहेण । जइ सो<sup>१</sup> कयसामाइओ एइ ताहे आस-हत्थिमाइजणेण य अधिगरणं वइइ ताहे ण करेइ । कयसामाइएण य पाएहि आगंतव्वं तेण ण करेइ आगओ साहुसमीवे करेइ । जइ सो सावगो तो ण कोइ उट्ठइ । अह अहामइओ जइपूया कया होउत्ति भणंति ताहे पुच्चरइयं, आसणं कीरइ आयरिया उट्ठिया य अच्छति तत्य उट्ठितमणुट्ठिते दोसा विभासियव्वा । पच्छा सो इइट्ठिपत्तो<sup>३</sup> सामाइयं करेइ । अणेण विहिणा करेमि भते सामाइय सावज्जं जोगं पच्चवखामि दविहं तिविहेणं जाव णियम पज्जुवापामिति । एवं सामाइयं काउ पडिक्कंतो वंदित्ता पुच्छइ तो य फिर मामाइयं करंतो नउडं अवणेइ, कुंडलाणि णाममुदं पुप्फंतवोलं पावारगमाइ वा वोसिरइ । एसो विही सामाइयस्स ॥२१२॥

से संगक्षित, साधुके समान ईर्यामे उपयुक्त—सावधानीसे गमन करता हुआ भावासे सावधका परिहार करे व एषणामे काण्ठ अथवा लोण्ठ आदिका प्रतिलेखन व प्रमार्जन करे । इसी प्रकार आदान-निक्षेपणमे ध्वेल (कफ) व नामिकामरुको न गिरावे, यदि गिराना पडे तो प्रतिलेखन व प्रमार्जन करके गिरावे । जहांपर स्थित हो वहां तीन गुप्तियोंका निरोध करे । इस विधिसे जाकर तीन प्रकारसे साधुको नमस्कार करे तत्पश्चात् सामायिक करे—जबतक साधुकी उपासना करता है 'हे भगवन्, मैं सामायिक करता हूँ, दो प्रकारके सावध योगका तीन प्रकारसे प्रत्याख्यान करता हूँ' ऐसा करके पश्चात् ईर्यापथका प्रतिक्रमण करता है, पश्चात् आलोचना करके ज्येष्ठताके क्रमसे फिरसे भी गुरुकी वन्दना करके प्रतिलेखनापूर्वक बैठकर पूछे व पडे । इसी प्रकार चैत्यगृहोंमें भी करना चाहिए । विशेषता इतनी है कि अपने घर अथवा प्रौषधशालामे गमनक्रिया नहीं है । यह अनृद्धिप्राप्त श्रावकके लिए सामायिकका विधान है । यदि श्रावक ऋद्धिप्राप्त है तो सब ऋद्धिके साथ वह आता है । इससे वह उत्तम पुरुषके ग्रहणसे आदरका पात्र होता है । यदि वह सामायिकको करके आता है तो घोडा और हाथी आदिके परिकरसे अधिकरण ( असयम ) बढ़ता है । इसलिए उस समय सामायिक न करे, प्रायः सामायिक करके ही आवे । इसीलिए नहीं करता है । यदि वह आ करके साधुके समीपमे सामायिकको करता है और यदि श्रावक है तो कोई न उठे । यदि अभद्र है तो यतिपूजा करना चाहिए, ऐसा कहते हैं । तत्र पूर्वरचित आमन क्रिया जाता है । आचार्य उतियत ही रहते हैं, वहां उतियत और अनुतियतके दोषोको कहना चाहिए । पश्चात् वह ऋद्धिप्राप्त सामायिकको इस विधिसे करता है—हे भगवन्, मैं सामायिकको करता हूँ, दो प्रकारके सावध योगका तीन प्रकारसे तबतक प्रत्याख्यान करता हूँ जबतक कि साधुकी उपासना करता हूँ । इस प्रकार सामायिक करके प्रतिक्रमण करता हुआ वन्दना करता है व पूछता है । वह सामायिक करता हुआ मुकुटको दूर कर देता है तथा कुण्डलो, नाममुद्रा, पुष्प, पान और वस्त्र आदिको भी हटा देता है । यह सामायिककी विधि है ॥२१२॥

१. अ सो वट्ठिए ए तेण जणस्स अढा । २ अ जया सो । ३ अ दोसा भाभियव्वा इच्छा सो अइट्ठिपत्तो ।

अत्राह—

कयसामइओ सो साधुरेव ता इत्तरं न किं रुव्वं ।

वज्जेइ य सावज्ज तिविहेण वि सभवाभावा ॥२९३॥

कृतसामायिकः प्रतिपन्नसामायिकः सन्नसौ श्रावको वस्तुतः साधुरेव सावद्योगनिवृत्तेः । यस्मादेवं तस्मात्, साधुवदेवेत्वरमल्पकालम् । न किं किं न सर्वं निरवशेष । वर्जयति ? परिहरत्येव । सावद्यं सपापम्, योगमिति गम्यते । त्रिविधेनापि मनसा वाचा कायेन चेति । अत्रोच्यते— सभवाभावात् श्रावकमधिकृत्य त्रिविधेनापि सर्वसावद्ययोगवर्जनासभवादिति ॥२९३॥

असंभवमेवाह—

आरमाणुमईओ कणगाइलु अग्गहाणिविच्चीओ ।

शुज्जो परिभोगाओ भेओ एसिं जओ भणिओ ॥२९४॥

आरम्भानुमतेः श्रावकस्यारम्भेष्वनुमतिरव्यवच्छिन्नैव, 'तथा तेषां प्रवर्तितत्वात् । कनकादिषु द्रव्यजातेषु । आग्रहानिवृत्तेरोत्तमीयाभिमानानिवृत्तेरनिवृत्तिश्च भूयः परिभोगादन्यथा सामायिकोत्तरकालमपि तदपरिभोगप्रसङ्गः, सर्वथा त्यक्तत्वात् । भेदश्चैतयोः साधु-श्रावकयोः । यतो भणित उक्तैः परममुनिभिरिति ॥२९४॥

भेदाभिधित्तयाह—

आगे यहाँ प्रसंगसे सम्बद्ध शकाको उठाकर उसका समाधान किया जाता है—

जो सामायिकको स्वीकार करता है इसलिए वह साधु हा है कारण यह कि वह क्या कुछ कालके लिए समस्त सावद्य योगको तीन प्रकारसे मन, वचन व कायसे—नही छोड़ देता है—अवश्य छोड़ देता है । इस शकाके उत्तरमें कहा गया है कि श्रावकको तानो प्रकारसे समस्त सावद्य योगका परित्याग करना सम्भव नहीं है ।

विवेचन—शकाकारका अभिप्राय यह है कि श्रावक जब सामायिक करता है तब वह नियत काल तक चूँकि समस्त सावद्य योगका मन, वचन व काय इन तानो योगोसे परित्याग करता है अतः वह साधु ही है । इस शकाके समाधानमें यह कहा गया है कि श्रावकके लिए तानो योगोसे समस्त सावद्य योगका परित्याग करना सम्भव नहीं है, इसलिए उसे उतने समयके लिए भी यथार्थमें साधु नहीं कहा जा सकता ॥२९३॥

आगे उसके लिए समस्त सावद्य योगका त्याग करना सम्भव क्यों नहीं है, इसे ही स्पष्ट किया जाता है—

श्रावककी आरम्भकार्यमें अनुमति रहती ही है, कारण यह है कि 'ये सुवर्णादि द्रव्य मेरे हैं' इस प्रकारसे उन द्रव्योके विषयमें उसका आग्रह ममत्वबुद्धि नहीं छूटता है—वह बराबर बना ही रहता है । इसका भी कारण यह है कि वह सामायिकक पश्चात् उनका पुनः उपभोग करता ही है । यदि ऐसा न होता तो वह सामायिकके पश्चात् भी उनका उपभोग नहीं करता, पर पश्चात् उनका उपभोग करता तो है ही, क्योंकि उन्हें उसने सर्वदाके लिए नहीं छोड़ा है । यही कारण है जो साधु और श्रावक इन दोनोमें भेद बतलाया गया है ॥२९४॥

आगे उनमें जिन अधिकारोके आश्रयसे भेद बतलाया है उनका निर्देश किया जाता है—

सिक्खा दुविहा गाहा उववायड्ढिइगईकसाया य ।  
बंधंता वेयंता पडिवज्जाइक्कमे पंच ॥२९५॥

शिक्षाकृतः साधु-श्रावकयोर्भेदः । सा च द्विविधा ग्रहणासेवनारूपेति वक्ष्यति । तथा गाथा भेदिका, सामाह्यमि उ कए इत्यादिरूपेति वक्ष्यत्येव । तथोपपातो भेदकः, स्थितिर्भेदिका, गति-भेदिका, कषायाश्च भेदकाः, बन्धश्च भेदकः, वेदना भेदिकाः, प्रतिपत्तिर्भेदिका, अतिक्रमो भेदक इत्येतत् सर्वमेव प्रतिद्वार स्वयमेव वक्ष्यति ग्रन्थकारः पञ्चाथवा किं चेति पाठान्तरार्थसहितमपि इति द्वारगाथासमुदायार्थः ॥२९५॥

अधुनाद्यद्वारावयवार्थप्रतिपादनायाह —

ग्रहणासेवरूपा सिक्खा भिन्ना य साहु-सड्ढाणं ।

पवयणमाईचउदसपुण्वता पठमिया जइणो ॥२९६॥

ग्रहणासेवनरूपा शिक्षति शिक्षाम्यासः, सा द्विप्रकारा ग्रहणरूपासेवनरूपा च । भिन्ना चेय साधु श्रावकयोः अन्यथारूपा साधोरन्यथारूपा श्रावकस्येति । तथा चाष्टप्रवचनमात्रादिचतुर्दश-पूर्वान्ता प्रथमा यत्तोरिति ग्रहणशिक्षामधिकृत्य साधुः सूत्रतोऽर्थतश्च जघन्येनाष्टौ प्रवचनमातर-स्त्रिगुप्तिपञ्चसमितिरूपा उत्कृष्टतस्तु बिन्दुसारपर्यन्तानि चतुर्दशपूर्वाणि गृह्णातीति ॥२९६॥

पवयणमाईछज्जीवणियता उभयओ वि इयरस्स ।

पिण्डेसणा उ अत्थे इत्ता इयर पवक्खामि ॥२९७॥

प्रवचनमातृषड्जीवनिकायान्ता उभयतोऽपि सूत्रतोऽर्थतश्चेतरस्य श्रावकस्य । पिण्डे-षणार्थतः, न सूत्रत इति । एतदुक्त भवति—श्रावकः सूत्रतोऽर्थतश्च जघन्येन ता एव प्रवचनमातर उत्कृष्टतस्तु षड्जीवानकायं यावदुभयतः । अर्थतस्तु पिण्डेषणाम्, न तु तामपि सूत्रत इत्येता-वद्गृह्णाति उक्ता ग्रहणशिक्षा, अत ऊर्ध्वमितरामासेवनशिक्षा प्रवक्ष्यामि यथासौ भेदिका एतयो-रिति ॥२९७॥

ग्रहण और आसेवनारूप दो प्रकारकी शिक्षा, गाथा “सामाह्यमि उ कए” इत्यादि गाथा (२९९), उपपात, स्थिति, गति, कषाय, बन्ध, वेदना, प्रतिपत्ति और अतिक्रम; इन सबके द्वारा उक्त साधु और श्रावक इन दोनोमे भेद किया जाता है । इन सब द्वारोका विवेचन—ग्रन्थकार आगे स्वयं क्रमसे करनवाल हैं । गाथामे टीकाकारने ‘पचाथवा’ किंच ऐसा पाठान्तर सहित अर्थ भी सुझाया है (?) ॥२९५॥

आगे मुनिको लक्ष्य करके ग्रहणरूप शिक्षाका निर्देश किया जाता है—

साधु और श्रावककी ग्रहण और आसेवनरूप शिक्षा (अम्यास) भिन्न है । उनमे प्रवचन-मातासे लेकर चौदह पूर्व पर्यन्त यत्तिकी प्रथम (ग्रहण) शिक्षा है । अभिप्राय यह है कि साधु सूत्र और अर्थसे कमसे कम तीन गुप्तियो और पांच समितियो रूप आठ प्रवचनमाताओको ग्रहण करता है और अधिकसे अधिक यह बिन्दुसार पर्यन्त चौदह पूर्वोको ग्रहण किया करता है ॥२९६॥

अब श्रावकको लक्ष्य करके उक्त ग्रहणरूप प्रथम शिक्षाका निर्देश किया जाता है—

इतर—साधुसे भिन्न श्रावक—उक्त प्रवचनमाताओको आदि लेकर छह जीवनिकाय पर्यन्त शिक्षाको सूत्र और अर्थ दोनोसे ही ग्रहण करता है । किन्तु भिक्षा ग्रहणकी विधिस्वरूप

संपुत्रं परिपालइ सामायारिं सदेव साहु त्ति ।

इयरो तक्कालम्मि वि अपरिन्नाणाइओ न तथा ॥२९८॥

संपूर्ण निरवशेषाम् । परिपालयत्यासेवते । सामाचारिं मुखवस्त्रिकाप्रत्युपेक्षणादिकां क्रियाम् । सदैव सर्वकालमेव । साधुरित्या जन्म तथाप्रवृत्तेः । इतरः श्रावकस्तत्कालेऽपि सामायिक-समयेऽपि । अपरिज्ञानादेरपरिज्ञानादभिव्यङ्गानिवृत्त्या असभवादनभ्यासाच्च । न तथा पालयत्येव-मासेवनाशिक्षापि भिन्नैव तयोरिति द्वारम् ॥२९८॥

सूत्रप्रामाण्याच्च विशेष इति गाथेत्युपलक्षिता, तामाह—

सामाहयम्मि उ कए समणो इव सावओ हवइ जम्हा ।

एएण कारणेणं बहुसो सामाहयं कुज्जा ॥२९९॥

सामायिके प्राङ्गिरूपितशब्दार्थे । तुशब्दोऽवधारणार्थः—सामायिक एव कृते, न शेष-कालम् । श्रमण इव साधुरिव । श्रावको भवति यस्मादेतेन कारणेन बहुगोऽनेकशः सामायिकं कुर्यादिति । अत्र श्रमण इवोक्तं, न तु श्रमण एवेति । यथा समुद्र इव तडागम्, न तु समुद्र एवेत्यभिप्राय इति द्वारम् ॥२९९॥

पिण्डैषणाको वह केवल अर्थसे ग्रहण करता है, सूत्रसे नहीं । अभिप्राय यह है कि श्रावक जघन्यसे उक्त आठ प्रवचनमाताओको और उत्कर्षसे छह जीवनिकायो तक सूत्र और अर्थ दोनोसे ग्रहण करता है ॥२९७॥

आगे उन दोनोमे भेदको प्रकट करनेवाली आसेवनारूप शिक्षाका निर्देश किया जाता है—

साधु सदा ही सम्पूर्ण सामाचारीका पालन करता है । परन्तु श्रावक उस सामायिकके समयमे भी अपरिज्ञानादिके कारण उस प्रकारसे पालन नहीं करता है ।

विवेचन—प्रतिसेवनारूप दूसरी शिक्षाकी अपेक्षा साधु सम्पूर्ण सामाचारीका—साधुके योग्य सभी आचारविषयक क्रियाकलापका—निरन्तर पालन करता है, परन्तु श्रावक सामायिकके समयमे भी तद्विषयक ज्ञानके न होने, आसक्तिकी अनिवृत्ति, असम्भवावना और अनभ्यासके कारण साधुके समान उस सामाचारीका पालन नहीं करता है । इस प्रकार प्रतिसेवनारूप शिक्षाकी अपेक्षा भी उन दोनोमे भेद है ॥२९८॥

अब जिस गाथासूत्रकी अपेक्षा उन दोनोमे भेद है उस गाथासूत्रको दिखलाते हैं—

सामायिकके करनेपर जिस कारण श्रावक श्रमणके समान होता है इस कारणसे उसे बहुत बार सामायिक करना चाहिए ।

विवेचन—आगम ( २९२ ) में सामायिकके स्वरूपको दिखलाते हुए यह कहा गया है कि श्रावक नियत कालके लिए तीन प्रकारसे समस्त सावद्य योगका परित्याग करता है, इसलिए वह साधु जैसा ही होता है । प्रकृत गाथा ( २९९ ) मे चूँकि श्रावकको श्रमणके समान ही कहा गया है, न कि स्वयं श्रमण कहा गया है, इसीसे श्रावककी श्रमणसे भिन्नता सिद्ध होती है । उदाहरणके रूपमे जब यह कहा जाता है कि 'यह तालाव तो समुद्रके समान है' तब उसे स्वयं समुद्र न समझकर यही समझा जाता है कि वह समुद्रके समान गम्भीर व विस्तृत है । इसी प्रकार प्रकृतमे भी श्रावकको साधुके समान कहनेका यही अभिप्राय है कि वह स्वयं साधु न होकर सामायिकके



उपपातो विशेषक इत्येतदाह—

अविराहियसामन्नस्स साहुणो सावगस्स यं जहन्नो ।

सोहमे उववाओ भणिओ तेलुक्कदसीहिं ॥३००॥

अविराधितश्रामण्यस्य प्रव्रज्यादिवसादारभ्याखण्डितश्रमणभावस्य साधोः । श्रावकस्य च, अविराधितश्रावकभावस्येति गम्यते । जघन्यः सर्वस्तोकः । सौधर्मे प्रथमदेवलोके । उपपातो भवति जन्म भणित उक्तः त्रैलोक्यदर्शभिः सर्वज्ञैरिति ॥३००॥

उक्कोसेण अणुत्तरअच्चुयक्कप्पेसु तत्थ तेसि ठिई<sup>१</sup> ।

<sup>३</sup>तित्तीससागराहं त्वावीस चैव उक्कोसा ॥३०१॥

उत्कृष्टतोऽनुत्तराच्युतकल्पयोरिति—साधोरनुत्तरविमानेषु, श्रावकस्याच्युतकल्प उपपात इति द्वारम् । तत्र तयोरिति तत्रानुत्तरविमानाच्च्युतयोस्तयोः साधु-श्रावकयोः स्थितिर्विशिष्ट-प्राणसंधारणात्मिका यथासङ्ख्यं त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमणि द्वाविंशतिरित्युत्कृष्टा—साधोस्त्रय-स्त्रिंशदनुत्तरेषु, श्रावकस्य तु द्वाविंशतिरच्युत इति गाथार्थः ॥३०१॥

पल्लिओवमप्पुहुत्तं तहेव पल्लिओवमं च इयरा उ ।

दुह्म पि जहासख भणियं तेलुक्कदंसीहिं ॥३०२॥

पल्योपमपृथक्त्व<sup>४</sup> तथैव पल्योपम चेतरा जघन्या सौधर्मे एव साधोः पल्योपमपृथक्त्वं स्थितिः । द्विप्रभूतरा नवभ्यः पृथक्त्वम् । श्रावकस्य तु पल्योपममिति । अत एवाह द्वयोरपि साधु-श्रावकयोर्भणिता त्रैलोक्यदर्शभिः, स्थितिर्गम्यते इति द्वारम् ॥३०२॥

कालमे समस्त सावद्य योगका त्याग कर देनेके कारण साधु जैसा है । इस प्रकार इस गाथासूत्रसे भी श्रावक और साधुमे भेद सिद्ध है ॥ २२९ ॥

आगे जघन्यस उपपातकी अपेक्षा भी साधु और श्रावकमे भेद दिखलाया जाता है—

जिसने श्रमणाचारकी विराधना नहीं की है वह श्रमण तथा जिसने श्रावकाचारकी विराधना नहीं की है वह श्रावक भा जघन्यसे सौधर्म कल्पमे उत्पन्न होता है । इस प्रकार त्रिलोक-दर्शियो ( सर्वज्ञो ) के द्वारा उन दोनोका उपपात जघन्यसे सौधर्म कल्पमे कहा गया है ॥३००॥

आगे उत्कर्षसे उनके उपपातको दिखलाते हुए वहाँ उनका उत्कर्षसे कितने काल तक उनका अवस्थान रहता है, इसका भी निर्देश किया जाता है—

उत्कर्षसे उनका उपपात क्रमसे अनुत्तर और अच्युत कल्पोमे होता है, अर्थात् अविराधित श्रमणाचारका पालन करनेवाला साधु उत्कर्षसे अनुत्तर विमानोमे तथा निरतिचार श्रावकाचारका पालन करनेवाला श्रावक उत्कर्षसे अच्युत कल्पमे उत्पन्न होता है । वहाँ उनकी उत्कृष्ट आयु-स्थिति यथाक्रमसे तैंतीस सागरापम और बाईस सागरोपम काल तक होती है ॥३०१॥

आगे वहाँ उनकी जघन्य आयुका निर्देश किया जाता है—

उपर्युक्त साधु और श्रावकको जघन्य आयु उक्त सौधर्म कल्पमें त्रिलोकदर्शियो ( सर्वज्ञो ) के द्वारा यथाक्रमसे पल्योपमपृथक्त्व और पल्योपम मात्र कही गयी है । दोसे लेकर नौ पर्यन्तकी संख्याका नाम पृथक्त्व है ॥३०२॥

१ अ 'य' नास्ति । २ अ कप्पेसु तत्थेसु ठिती । ३ अ तैवीस सागराह । ४. अ अतोऽप्रेऽग्निम 'पृथक्त्व' पर्यन्त. पाठ स्वलितोऽस्ति ।

तथा गतिभेदिकेत्याह—

पंचसु व्यवहारेणं जइणो सड्हस्स चउसु गमणं तु ।

गइसु चउपंचमासु चउसु यं अन्ने जहाकमसो ॥३०३॥

व्यवहारेण सामान्यतो लोकस्थितिमङ्गीकृत्य पञ्चसु यतेः साधोः, श्रावकस्य चतसृषु गमन-  
मिति । कामु ? गतिषु नारकतिर्यङ्गनरामरसिद्धिरूपासु । चउ पंचमासु चउसु य अन्ने जहाकमसो—  
अन्ये त्वभिदधति साधोः सुरगतौ मोक्षगतौ च श्रावकस्य चतसृष्वपि भवान्तर्गतिष्विति  
द्वारम् ॥३०३॥

कषायाश्च भेदका इत्याह—

चरमाण चउन्हं ३पि हु उदओऽणुदओ व हुज्जं साहुस्स ।

इयरस्स कसायाणं दुवालसट्ठाणमुदओ उं ॥३०४॥

संज्वलनानां<sup>१</sup> चतुर्णामपि क्रोधादीनां कषायाणामुदयोऽनुदयो वा भवेत्साधोरुदयश्चतुस्त्रि-  
द्वयेकभेदः, अनुदयोऽप्येव लघ्वस्थ वीतरागादेर्भावनीयः । इतरस्य श्रावकस्य । कषायाणां द्वादशा-  
नामशाना चोदय एवेति—यदा द्वादशानां तदा अनन्तानुबन्धिवर्जा गृह्यन्ते, एते<sup>२</sup> चाविरतस्य  
विजेयाः । यदा त्वद्वानां तदानन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानवर्जाः, एते च विरताविरतस्येति द्वारम् ॥३०४॥

अब गतिकी अपेक्षा साधु और श्रावकमे भेद दिखलाया जाता है—

व्यवहारसे साधुका गमन पांचो—नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव और सिद्ध इन पांचों—  
गतियोमे तथा श्रावकका सिद्धगतिको छोडकर चार गतियोमे होता है । अन्य कितने ही आचार्यों-  
के मतानुसार साधु और श्रावकका गमन यथाक्रमसे चौथो ( देवगति ) व पांचवी ( सिद्धगति ) मे  
तथा चारो ही गतियोमे होता है । अभिप्राय यह कि उनके मतानुसार साधु देवगतिमें जाता है  
अथवा मुक्तिको प्राप्त कर लेता है । परन्तु श्रावक अपने परिणामके अनुसार यथासम्भव नारक  
आदि चारो गतियोमे जा सकता है ॥३०३॥

आगे कषायकी अपेक्षा उन दोनोमे भेद प्रकट किया जाता है—

साधुके अन्तिम चारो ही का—संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ का—उदय अथवा  
अनुदय होता है । परन्तु श्रावकके बारह और आठ कषायोंका उदय होता है ।

विवेचन—इसका अभिप्राय यह है कि प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरणसंयत तक इन  
गुणस्थानोमे संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारो अन्तिम कषायोका उदय रहता है ।  
आगे अनिवृत्तिकरणसंयत नामक नौवें गुणस्थानमे किसीके उक्त चारो संज्वलन कषायोका,  
किसीके क्रोधको छोडकर शेष तीनका, किसीके संज्वलन माया और लोभ इन दोका तथा किसीके  
एक संज्वलन लोभका ही उदय रहता है । आगे दसवें गुणस्थानमे सूक्ष्ममाम्परायसंयतके एक-  
मात्र संज्वलन लोभका उदय रहता है । ग्यारहवें गुणस्थानमें उपशान्त कषाय संयतके उनका  
उपशम हो जानेके कारण चारोका ही अनुदय रहता है । आगे क्षीणकषाय, सयोगकेवली और  
अयोगकेवलीके उनका क्षय—निर्मूल विनाश—हो जानेके कारण चारोका अनुदय रहता है ।

१. अ चउपंचमासु य चउसु य । २. अ भयातगतास्वितिद्वारं । ३. अ चरिमाण चउन्हं । ४. अ होज्ज ।  
५. अ सट्ठाण तो उदड । ६. अ चरिमाणं [ चरमाण ] संज्वलनाना । ७. अ यदा द्वादशादयरचतु-  
स्त्रिद्वयेकभेद सगुदयोप्येव एते ।

तथा बन्धश्च भेदक इत्येतदाह—

मूलपयडीसु जङ्गो सत्तविहङ्गविह-छन्विह्विकविहं<sup>१</sup> ।

बंधंति न बंधंति य इयरे उ सत्तविहबंधा<sup>२</sup> ॥३०५॥

मूलप्रकृतिषु ज्ञानावरणादिलक्षणसु विषयभूतासु तस्मिन् विषय इति । के ? यतय इति साधवः । सप्तविधाष्टविध षड्विधैकविधबन्धकाबन्धकाश्च भवन्ति, एतद्भावविषयति<sup>३</sup> । इतरे श्रावकाः । सप्तविधबन्धका । तुशब्दादष्टविधबन्धकाश्रायुष्कबन्धकाल इति ॥३०५॥

एतदेव विवृण्वन्नाह—

सत्तविहबंधगा हुंति पाणिणो आउवज्जियाणं<sup>४</sup> तु ।

तह सुहुमसंपराया छन्विहबंधो विणिदिट्ठा ॥३०६॥

सप्तविधबन्धका भवन्ति । प्राणिनो<sup>५</sup> जीवाः । आयुर्वर्जितानामेव ज्ञानावरणीयादिप्रकृतीनां समानामिति । तथा सूक्ष्मसंपरायाः श्रेणिद्वयमध्यवर्तिनः तथाविधलोभाणुवेदकाः । षड्विधबन्धका विनिदिष्टास्तोयंक्कुरिरिति ॥३०६॥

परन्तु श्रावकके यदि वह अविरतमम्यग्दृष्टि—चतुर्थं गुणस्थानवर्ती—है तो अनन्तानुबन्धचतुष्टय-को छोड़ शेष बारह कषायोंका उदय रहता है । उसके संयतासयत—पंचम गुणस्थानवर्ती—होनेपर उसके चार प्रत्याख्यानावरण और चार सज्वलन इन आठ कषायोंका उदय रहता है । इस प्रकार कषायकी अपेक्षा भी साधु और श्रावक दोनोंमें भेद जानना चाहिए ॥३०४॥

आगे क्रमप्राप्त बन्धकी अपेक्षा भी उन दोनोंमें भेद दिखलाया जाता है—

साधु ज्ञानावरणादि आठ मूल प्रकृतियोंमें सात ( आयुको छोड़कर ) प्रकारकी, आयुके साथ आठ प्रकारकी छह प्रकारकी और एक प्रकारकी प्रकृतियोंको बाँधते हैं, तथा नही भी बाँधते हैं । पर चतुर्थ और पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक सात प्रकारकी प्रकृतियोंको बाँधते हैं । गाथामे उपयुक्त 'उ' शब्दसे यह भी सूचित किया गया है कि आयुबन्धके समयमें वे आठ प्रकारकी प्रकृतियोंको भी बाँधते हैं ॥३०५॥

आगे प्रकृत गाथाके अभिप्रायको स्पष्ट करते हुए सात प्रकारके बन्धक कौन और छह प्रकारके बन्धक कौन हैं, इसे स्पष्ट करते हैं—

प्राणी आयुको छोड़कर सात प्रकारके बन्धक होते हैं तथा सूक्ष्मसाम्परायिक संयत छह प्रकारके बन्धक कहे गये हैं ।

विवेचन—कर्मकी मूल प्रकृतियाँ ये आठ हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । इनमें प्रथम गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक जब आयु-कर्मका बन्ध नहीं होता है तब जीव उस आयुके बिना शेष सात प्रकृतियोंके बन्धक होते हैं तथा आयुबन्धके समय वे आठों ही मूल प्रकृतियोंके बन्धक होते हैं । यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि तीसरे ( मिश्र ) गुणस्थानमें आयुका बन्ध सम्भव नहीं है, अतः इस गुणस्थानवर्ती सम्पद्गमिथ्या-दृष्टि जीव सदा सात प्रकृतियोंके ही बन्धक होते हैं । आयुका बन्ध ज्ञानावरणादिके समान सदा नहीं होता । आयुकी अपेक्षा जीव दो प्रकारके हैं—सोपक्रमायुष्क और निरुपक्रमायुष्क । कर्मभूमिज

१-अ च्छन्विह्वेकविह । २ अ न ष वधति उ इति यरे सत्तविहवधाउ । ३ अ षड्विधैकविध बधन्ति न बधन्त्येतद् भावविषयति । ४. अ आउवज्जगाण । ५. अ जीवायुर्वज्जिता ।

मोहालवज्जाणं पयडीणं ते उ बंधगा भणिया ।

उवसंतखीणमोहा केवलिणो एगविहंबंधा ॥३०७॥

मोहायुर्वर्जानां प्रकृतीनां ज्ञानावरणादिरूपाणां ते तु सूक्ष्मसंपराया बन्धका भणिताः । मोहनीयं न बध्नन्ति, निदानाभावात्तस्य किञ्चिच्छेषमात्रत्वावस्थिनावप्यसमर्थत्वात्, आयुष्कं न बध्नन्ति, तथाविधपरिणामोपात्तस्य वेदनास्थानाभावात् । उपशान्त-क्षीणमोहाः श्रेणिद्वयो-परिवर्तिनः उपशान्त-क्षीणच्छन्नस्थवीतरागाः केवलिनश्च सयोगिभवस्था एकविधबन्धका इति ॥३०७॥

ते पुण दुसमयठिइस्स बंधगा न उण संपरायस्स ।

सेलेसीपडिवन्ना अबंधगा हुंति नायव्वा ॥३०८॥

तिर्यंच और मनुष्योमे जो जीव सोपक्रमायुष्क—आयुके विघातक उपक्रमसे सहित—होते हैं वे अपनी भुज्यमान आयुके दो त्रिभागके वीत जानेपर आयुबन्धके योग्य होते हैं । आयुबन्धके योग्य इस कालमे कितने ही जीव आठ बार, कितने ही सात बार, छह बार, पांच बार, चार बार, तीन बार, दो बार और कितने ही एक बार उस आयुको बांधा करते हैं । उनमे जिसने अपनी भुज्यमान आयुके तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमे उसका बन्ध प्रारम्भ किया है वह उसे अन्तर्मुहूर्त-मे समाप्त करके आठवें अपकर्षकाल तक बांधी गयी समस्त आयुस्थितिके नौवें और इसी क्रमसे सत्ताईसवें आदि भागके शेष रहनेपर फिरसे भी उस आयुबन्धके योग्य हुआ करता है । परन्तु जिस जीवके उन आठ अपकर्षकालोमे-से एक बार भी उसका बन्ध नहीं होता है वह उसे असंक्षेपाद्वा-काल ( आवलीके असंख्यातवें भाग ) में नियमसे उसको बांधता है । निरुपक्रम—आयुविघातक उपक्रमसे रहित—असंख्यातवर्षायुष्क भोगभूमिज मनुष्य व तिर्यंच तथा देव व नारकी जीव अपनी भुज्यमान आयुके छह मास मात्र शेष रह जानेपर उसके तृतीय त्रिभाग, नौवें और सत्ता-ईसवें आदि भागमे परभव सम्बन्धी आयुके बन्धके योग्य हुआ करते हैं ( विशेषके लिए देखिए पु १० पृ. २३३ व २३८ तथा पु ६, पृ १७० ) । आठवें और नौवें गुणस्थानवर्ती जीव आयुके बिना सात मूल प्रकृतियोंके बन्धक हैं । इसका कारण यह है कि आयुका बन्ध सातवें गुणस्थान तक ही होता है, उसके आगे नहीं होता । सूक्ष्मसाम्पराय नामक दसवें गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय और आयुके बिना छह प्रकृतियोंके बन्धक हैं ॥३०६॥

आगे सूक्ष्मसाम्परायकी उक्त छह प्रकृतियोंका निर्देश करते हुए एकविधबन्धक कौन हैं, उनका भी उल्लेख किया जाता है—

उपर्युक्त सूक्ष्मसाम्परायिक संयत मोह और आयुको छोड़कर शेष छह मूल प्रकृतियोंके बन्धक कहे गये हैं । क्रमसे उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणिपर आरूढ़ उपशान्तमोह व क्षीणमोह तथा सयोगिकेवली ये एकविध बन्धक है—एकमात्र वेदनीय कर्मके बन्धक हैं । कारण यह है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, नाम, गोत्र और अन्तराय इन पांच प्रकृतियोंका बन्ध दसवें गुणस्थान तक ही होता है ॥३०७॥

आगे उक्त उपशान्तकषायादिकी बन्धस्थितिका दिग्दर्शन कराते हुए यह दिखलाते हैं कि अयोगिकेवली बन्धक नहीं हैं—

१. अ मोहउयवज्जाण पयडीए उ । २. अ एगविध । ३. अ 'न' नास्ति । ४. अ किञ्चिद्विशेषं ।

ते पुनरुपशान्तमोहादयस्तस्यैकविधस्य द्विसमयस्थितेरीर्यापथस्य बन्धकाः, न पुनः साप-  
रायिकस्य पुनर्भवहेतोरिति । शैलेशीप्रतिपन्ना अयोगिकेवलिनोऽबन्धका भवन्ति ज्ञातव्याः  
सर्वथा निदानाभावादिति द्वारम् ॥३०८॥

तथा वेदना भेदिकेत्याह—

अट्ठण्हं सत्तण्हं चउण्हं वा वेयगो हवइ साहू ।

कम्मपयडीण इयरो नियमा अट्ठण्हइ विन्नेओ ॥३०९॥

अष्टानां सप्तानां चतसृणा<sup>१</sup> वा वेदको भवति साधु । कासां ? कर्मप्रकृतीनामिति ।  
तत्राष्टानां यः कश्चित्, सप्तानामुपशान्त क्षीणमोहच्छद्मस्य वीतरागो मोहनीयरहितानाम्, चत-  
सृणामुत्पन्नकेवलो वेदनीय-नाम गोत्रायूरूपाणाम् । इतरः श्रावको देगविरतिपरिणामवर्ती नियता  
दष्टाना<sup>२</sup> विज्ञेयो वेदक इति द्वारम् ॥३०९॥

प्रतिपत्तिकृतो भेद इति अत्र आह—

पंच महव्वय साहू इयरो इक्काइणुव्वए अहवा ।

सइ सामइयं साहू पडिबज्जइ इत्तरं इयरो ॥३१०॥

पञ्चमहाव्रतानि प्राणातिपातादिविरमणादीनि संपूर्णान्येव साधुः प्रतिपद्यत इति योगः ।  
इतरः श्रावकः एकादीनि अणुव्रतानि प्रतिपद्यत इत्येकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च चेति । अथवा  
सकृत्सामायिक साधुः प्रतिपद्यते सर्वकालं च धारयति । इत्वरमितरः श्रावकोऽनेकशो न च  
सदा पालयतीति द्वारम् ॥३१०॥

उपशुंक् उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय और सयोगिकेवली ये दो समय स्थितिवाले एक  
वेदनीय कर्मके ईर्यापथबन्धक हैं । वे साम्परायिक—पुनर्जन्मके कारणभूत—उस वेदनीय कर्मके  
बन्धक नहीं हैं । अभिप्राय यह है कि इनके जो एक मात्र वेदनीय कर्मका बन्ध होता है वह भी  
दो समयकी स्थितिसे अधिक नहीं होता । शैलेशी—शैलेश ( सुमेरु पर्वत ) के समान स्थिरता—  
को प्राप्त अयोगिकेवलियोंको अबन्धक जानना चाहिए—उनके उक्त आठ मूल प्रकृतियोंमेंसे  
किसीका भी बन्ध नहीं होता है; इसीलिए यहाँ उन्हें अबन्धक कहा गया है ॥३०८॥

अब क्रमप्राप्त वेदना ( उदय ) की अपेक्षा भी उन दोनोंमें भेद प्रकट किया जाता है—

साधु आठ, सात अथवा चार मूल कर्म प्रकृतिका वेदक होता है । परन्तु दूसरा ( श्रावक )  
नियमसे आठो ही कर्मप्रकृतियोंका वेदक होता है, यह जानना चाहिए ।

विवेचन—साधुओमें छठे प्रमत्तसयतसे लेकर सूक्ष्मसाम्पराय सयत तक आठो कर्मप्रकृतियों-  
के वेदक होते हैं । उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय ये दो मोहनीयके बिना शेष सातके वेदक होते  
हैं । सयोगिकेवली और अयोगिकेवली ये चार घातिया कर्मोंसे रहित वेदनीय, आयु, नाम और  
गोत्र इन चार अघातिया कर्मोंके वेदक होते हैं । परन्तु श्रावक सब ही नियमसे आठो मूल कर्म-  
प्रकृतियोंके वेदक होते हैं ॥३०९॥

आगे प्रतिपत्तिकी अपेक्षा उन दोनोंमें भेद दिखलाते हैं—

साधु पांचो ही महाव्रतोंको स्वीकार करता है, परन्तु श्रावक एक आदि—एक, दो, तीन,  
चार अथवा पांचो ही—अणुव्रतोंको स्वीकार करता है । अथवा साधु एक ही बार सामायिकको

१. अ चतिसृणा । २. अक्ष इति परिणाममिति नियमादष्टाना । ३. अ प्रतिपत्तयोग इत्यत आह ।

अतिक्रमो भेदक इति एतदाह—

इक्कस्सइक्कमे खलु वयस्स सव्वाणइक्कमो जइणो ।

इयरस्स उ तस्सेव य पाठंतरमो हवा किंच ॥३११॥

एकस्यातिक्रमे केनचित्प्रकारेण व्रतस्य । सर्वेषामतिक्रमो यतेस्तथाविधैकपरिणामत्वात् । इतरस्य तु श्रावकस्य । तस्यैवाधिकृतस्याणुव्रतस्य, न शेषाणाम्, विचित्रविरतिपरिणामात् । पाठान्तरमेवाथवा द्वारगाथायाम् । तच्चेदं किं च “सव्व ति भाणिऊणं” इत्यादिग्रन्थान्तरापेक्ष-  
मन्यत्रेति ॥३११॥

उक्तमानुषङ्गिकम्, प्रकृतं प्रस्तुमः । इदमपि च शिक्षापदव्रतमतिचाररहितमनुपालनीयमिति तानाह—

मण-वयण-कायदुप्पणिहाणं सामाहयम्मि वज्जिज्जा ।

सइअकरणयं अणवट्ठियस्स तह करणय चेव ॥३१२॥

मनोवाक्कायदुःप्रणिधानं<sup>१</sup> मनोदुष्टचिन्तनादि । सामायिके कृते सति वर्जयेत्, स्मृत्य-  
करणता अनवस्थितस्य तथा करणं चैव वर्जयेत् । तत्र स्मृत्यकरणं नाम सामायिकविषया या  
स्मृतिस्तस्या अनासेवनमिति । एतदुक्तं भवति प्रबलप्रमादानैव स्मरत्यस्यां वेलायां सामायिकं  
कर्तव्यम्, कृतं न कृतमिति वा । स्मृतिमूलं च मोक्षसाधनानुष्ठानमिति । सामायिकस्यानवस्थितस्य  
करणं अनवस्थितमल्पकालं<sup>३</sup> करणानन्तरमेव त्यजति यथाकर्थाञ्चद्वानवस्थितं करोतीति ॥३१२॥

स्वीकार करता है—किन्तु पालन उसका वह सदा काल करता है । इसके विपरीत श्रावक उसे  
अनेक बार स्वीकार करता है और पालन उसका वह सदा नहीं करता है । इस प्रकार प्रतिपत्ति  
( व्रतकी स्वीकृति ) की अपेक्षा भी उन दोनोंमें भेद है ॥३१०॥

अब अतिक्रमकी अपेक्षा भी उन दोनोंमें भेद प्रकट किया जाता है—

यार्तिके किसी एक व्रतका अतिक्रम ( खण्डन ) होनेपर सब ही व्रतोंका अतिक्रम होता है,  
क्योंकि वह उस प्रकारके एक ही परिणामसे सहित होता है । पर श्रावकके जिस अणुव्रतका  
अतिक्रम होता है उसीका वह अतिक्रम होता है, शेष व्रतोंका अतिक्रम उसके नहीं होता, क्योंकि  
विरतिका परिणाम उसके विचित्र हुआ करता है । अथवा ‘द्वारगाथा ( २५५ ) में ‘पच’ के  
स्थानमें ‘किंच’ पाठान्तर है, तदनुसार अर्थ सहित ग्रहण करना चाहिए ॥३११॥

इस सामायिकके प्रसंगसे कुछ आनुषंगिक विवेचन करके उसके भी निरतिचार परिपालनके  
लिए अतिचारोंका निर्देश किया जाता है—

मनका दुष्प्रणिधान, वचनका दुष्प्रणिधान, कायका दुष्प्रणिधान, स्मृतिकी अकरणता और  
अनवस्थित सामायिकका करना; ये पाँच उक्त सामायिकको दूषित करनेवाले उसके अतिचार  
हैं । उनका परित्याग करना चाहिए ॥३१२॥

१. मुद्रितप्रती पादटिप्पणके इय गाथा उद्धृता दृश्यते—सव्व ति भाणिऊण विरई खलु जस्स सव्विया नत्थि ।  
सो सव्वविरइवाई चुक्कइ देस च सव्व च ॥ २. अ अतोऽग्रे प्रकृतगाथाया उत्थानिकागत ‘अपङ्गिकं  
प्रकृतं प्रस्तुमः’ इत्यत आरभ्य गायान्तर्गत ‘सइअकरणयं’ पर्यन्तं सदर्मं. पुनरपि लिखितोऽस्ति, तदग्रे  
च ‘तत्र स्मृत्यकरणं नाम’ इत्यादि प्रकृतगाथाटीकाभागे लिखितोऽस्ति । ३. अ स्थितकल्पकाल ।

एतदेव अतिचारजातं विधि-प्रतिषेधाम्यां स्पष्टयति—

सामाह्यं ति काउं परचितं जो उ चितई सड्ढो ।

अड्ढवसड्ढोवगओ निरत्थयं तस्स सामह्यं ॥३१३॥

सामायिकमित्थेवं कृत्वा आत्मानं संयम्य । परचिन्ता संसारे इतिकर्तव्यताविषयाम् । यस्तु चिन्तयति श्रावकः । आर्तवशात्तश्च स उपगतश्चेति समासः, आर्तध्यानसामर्थ्यनातः, उप सामीप्येन गतो भवस्येति भावार्थः । निरर्थक तस्य सामायिकं अनात्मचिन्तावतो निःफलं सामायिकमित्यर्थः । आत्मचिन्ता च सद्ध्यानरूपेति (१) ॥३१३॥

उक्तो मनोदुःप्रणिधानविधिः, सांप्रतं<sup>१</sup> वाग्दुःप्रणिधानमाह—

कयसामहओ पुण्वि बुद्धीए पेहिऊण भासिज्जा ।

सह अणवज्जं वयणं अन्नह सामहय न भवे ॥३१४॥

कृतसामायिकः सन् श्रावकः । पूर्वमाद्यम् । बुद्ध्या प्रेक्ष्यालोच्य । भाषेत ब्रूयात् । सदा निरवद्यवचनम्, प्रणालिकयापि न कस्यचित्पीडाजनकम् । अन्यथानालोच्य भाषमाणस्य । सामायिकम् न भवेत्, वाग्दुःप्रणिहितत्वादिति (२) ॥३१४॥

भणितो वाग्दुःप्रणिधानातिचारः, सांप्रतं काय[दुः]प्रणिधानमुररीकृत्याह—

अनिरिक्खियापमज्जिय थडिल्ले ठाणमाइ सेवंतो ।

हिंसामावे वि न सो कडसामहओ पमायाओ ॥३१५॥

आगे इन अतिचारोको स्पष्ट करते हुए प्रथमतः मनके दुष्प्रणिधानका निषेध किया जाता है—

‘सामायिक’ इस प्रकार करके—अपनेको संयमित करके—जो श्रावक आर्त-रौद्ररूप दुर्ध्यानके वशीभूत होकर परचिन्ताको—अन्य सासारिक करणीय कार्योंका—चिन्तन करता है उसकी सामायिक निरर्थक है ।

विवेचन—सामायिकमे सर्वसावद्य योगका त्याग करना आवश्यक है । पर यदि कोई श्रावक उस सामायिकमे स्थित होकर क्रोध, लोभ व ईर्ष्या आदिके वश होता हुआ आत्मस्वरूपसे भिन्न अन्य आरम्भादि विषयक सावद्य कार्यका चिन्तन करता है तो यह मनदुष्प्रणिधान नामक प्रथम अतिचार होगा, जिसका त्याग करना आवश्यक है । यदि वह आर्त व रौद्र ध्यानके वश मनदुष्प्रणिधानको नहीं छोड़ सकता है तो उसका सामायिक करना व्यर्थ होगा ॥३१३॥

अब क्रमप्राप्त दूसरे वचनदुष्प्रणिधानके स्वरूपको दिखलाते हुए उसके परित्यागकी ओर ध्यान दिलाया जाता है—

जो सामायिकके करनेमे उद्यत है उसे पूर्वमे बुद्धिसे विचार कर सदा निर्दोष भाषण करना चाहिए । अन्यथा—यदि वह निरवद्य वचनका उच्चारण नहीं करता है तो—वह उसकी यथार्थ सामायिक न होकर वचन दुष्प्रणिधान नामक दूसरे अतिचारसे मलिन होगी ॥३१४॥

आगे कायदुष्प्रणिधानसे भी सामायिककी निरर्थकता प्रकट की जाती है—

१. अ अतोऽग्नेऽग्निमगाथया ( ३१५ ) उत्थानिकागत‘सांप्रत’ पर्यन्त, संदर्भों न लिखितोऽस्ति ।

अनिरीक्ष्य चक्षुषा । अप्रमृज्य च मृदुवस्त्रान्तेन । स्थण्डिले कल्पनीयभूभागे । स्थानादि कायोत्सर्ग-निषीदनादि । सेवमानः सन् । हिंसाभावेऽपि प्राण्यभावेन कथञ्चिद्व्यापत्यभावेऽपि । नासौ कृतसामायिकः । कुतः प्रमादात्काये दुःप्रणिधानाविति (३) ॥३१५॥

प्रतिपादितः कायदुःप्रणिधानमार्गः सांप्रतं स्मृत्यकरणमधिकृत्याह—

न सरइ पमायजुत्तो जो सामइयं कया उ कायव्वं ।

कयमकयं वा तस्स उ कयं पि विफलं तयं नेयं ॥३१६॥

न स्मरति प्रमादयुक्तः सन् यः सामायिकं कदा तु कर्तव्यं कोऽस्य काल इति, कृतमकृतं वा न स्मरति । तस्येत्यंभूतस्य<sup>३</sup> । कृतमपि सद विफलं तत् ज्ञेयम्, स्मृतिमूलत्वाद्धर्मानुष्ठानस्य, तदभावे तदभावात्<sup>४</sup> (४) ॥३१६॥

व्याख्यातं स्मृत्यकरणमधुनानवस्थितकरणमाह—

काऊण तक्खणं चिय पारेइ करेइ वा जहिच्छाए ।

अणवट्ठियसामइयं अणायराओ न तं सुद्धं ॥३१७॥

कृत्वा तत्क्षणमेव करणानन्तरमेव । पारयति करोति वा यदृच्छया यथाकथञ्चिदेवमन-वस्थितं सामायिकमनादरादबहुमानाघैतच्छुद्धं भवति<sup>५</sup> न निरवद्यमिति ॥३१७॥

उक्तं सातिचारं प्रथमं शिक्षापदमधुना द्वितीयमाह—

जो श्रावक सामायिकके योग्य शुद्धि भूमिको आंखोसे न देखकर और कोमल वस्त्र आदिसे उसका परिमार्जन न करके स्थान आदिका सेवन करता है—कायोत्सर्गं या पद्मासनादिसे स्थित होता है वह प्रमादके वशीभूत होनेसे जीवहिंसाके न होनेपर वस्तुतः सामायिक करनेवाला नहीं होता—उसकी वह सामायिक वचनदुष्प्रणिधान नामक तोसरे अतिचारसे दूषित होती है ॥३१५॥

अब स्मृति अकरणतासे सामायिककी निष्फलताको दिखलाते हैं—

जो श्रावक 'सामायिकको कब करना चाहिए, अथवा सामायिक में कर चुका हूँ या अभी नहीं को है' इसका प्रमादसे युक्त होकर स्मरण नहीं करता है उसके द्वारा की गयी भी उस सामायिकको निष्फल जानना चाहिए । उपर्युक्त स्मृतिके अभावमें उसकी सामायिक स्मृति-अकरणता नामक चौथे अतिचारसे मलिन होती है ॥३१६॥

अब अनवस्थितकरणसे सामायिक शुद्ध नहीं रहती, यह सूचित करते हैं—

जो श्रावक सामायिकको करके तत्क्षण ही उसे समाप्त कर देता है अथवा यदृच्छासे—मनमाने ढगसे अनादरपूर्वक—करता है उसकी वह अनवस्थित सामायिक अनादरके कारणसे शुद्ध नहीं रहती है । अभिप्राय यह है कि श्रावकको प्रमादके वश न होकर सामायिकको आदर-पूर्वक करना चाहिए, तभी उसकी सामायिक सफल कही जावेगी, अन्यथा वह अनवस्थितकरण नामक पाँचवें अतिचारसे दूषित होनेवाली है ॥३१७॥

इस प्रकार प्रथम शिक्षापदभूत सामायिकका निरूपण करके अब क्रमप्राप्त दूसरे शिक्षापद-व्रतका स्वरूप कहा जाता है—

१. अ हिंसासावे प्राण्यभावेन । २. अ स्मृत्यतरद्धानमाह । ३. अ तस्येवभूतस्य । ४. अ 'तदभावात्' नास्ति । ५. अ 'मनादराद्बहु । ६. 'भवति' नास्ति ।



दिसिवयगहियस्स दिसापरिमाणस्सेह पइदिणं जं तु ।  
परिमाणकरणमेयं वीयं सिक्खावयं भणिय ॥३१८॥

दिग्ब्रतं प्राङ्निरूपितस्वरूपम्, तद्गृहीतस्य । दिग्परिमाणस्य योजनशतादेर्दीर्घकालिकस्य । इह लोके । प्रतिदिनं यदेव परिमाणकरणमेतावदेव गन्तव्यम्, न परत इति । एतद्वितीयं शिक्षापद भणितमिह प्रवचने इति । प्रतिदिवसग्रहणं प्रतिप्रहराद्युपलक्षणम्—प्रतिप्रहरं प्रतिघटिकमिति ॥३१८॥

देसावगासियं नाम सप्पविसनायओऽपमायाओ<sup>२</sup> ।  
आसयसुद्धीइ हिय पालेयव्वं पयत्तेणं ॥३१९॥

दिग्ब्रतगृहीतदिग्परिमाणैकदेशो देशस्तस्मिन्नवकाशो गमनादिचेष्टास्थानम्, तेन निर्वृतं देशावकाशिकमिति नामेति संज्ञा । एतच्च सर्पविषजातात् सर्पोदाहरणेन विषोदाहरणेन<sup>३</sup> च । जहा सप्पस्स पुव्व बारस जोययाणि विसओ आसीदिट्ठीए, पच्छा विज्जावाइएण ओसारत्तेणं<sup>४</sup> जोयणे ठविओ । एवं सावगो दिसिग्गयाहिगारे बहुयं अवरज्झियाइओ, पच्छा देसावगासिएण त पि ओसारइ । अहवा विसदिट्ठतो अगएण एगाए अगुलीए ठविय । एव विभासा । एवमप्रमादात्प्रतिदिनादिपरिमाणकरणे अप्रमादस्तथा चाशयशुद्धिः चित्तवैमल्यम् । ततो हितमिदमिति पालयितव्यं प्रयत्नेनेति ॥३१९॥

दिग्ब्रतमें ग्रहण किये गये दिशाओके प्रमाणको यहाँ—इस दूसरे शिक्षापदमे—प्रतिदिन जो प्रमाण किया जाता है, इसे दूसरा शिक्षापद कहा गया है ।

विवेचन—दिग्ब्रत नामक प्रथम गुणव्रतमे जो दिशाओमे जानेका प्रमाण किया जाता है वह कुछ त्रिस्तृत प्रमाणमे और जीवन पर्यन्तके लिए किया जाता है । प्रकृत देशावकाशिक नामके इस दूसरे शिक्षापद व्रतमे प्रतिदिन घड़ी व प्रहर आदि कालके प्रमाणपूर्वक उसमे संक्षेप किया जाता है । इस प्रकारके प्रमाण कर लेनेपर उसके आगे प्रयोजनके होते हुए भी न जानेके कारण वहाँ श्रावक हिंसादि पापोसे बचता है ॥३१८॥

इस देशावकाशिक व्रतका किस प्रकारसे पालन करना चाहिए, इसे आगे स्पष्ट किया जाता है—

सर्पके और विषके उदाहरणके अनुसार प्रमादसे रहित होकर अन्तःकरणकी शुद्धिपूर्वक इस हितकर देशावकाशिक नामक व्रतका प्रयत्नके साथ पालन करना चाहिए ।

विवेचन—अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सर्पका दृष्टिविष जो पूर्वमे बारह योजन प्रमाण था पीछे उसे विद्यावादी ( मान्त्रिक ) के द्वारा क्रमसे उतारते हुए एक योजनमें स्थापित कर दिया जाता है । इसी प्रकार श्रावक दिग्ब्रतमे गृहीत विशाल देशमे बहुत अपराध आदिको कर सकता था । उसे इस देशावकाशिकव्रतमे और भी सीमित कर देनेके कारण अधिक अपराधसे बच जाता है । अथवा दूसरा उदाहरण विषका दिया जाता है—जिस प्रकार विषले किसी सर्प आदिके काट लेनेपर उसका विष समस्त शरीरमे फैल जाता है, फिर भी मान्त्रिक अपनी मन्त्रशक्तिके द्वारा उसे क्रमशः उतारते हुए केवल अगुलिमे स्थापित कर देता है, उसी प्रकार देशावकाशिकव्रतों दिग्ब्रतमे स्वीकृत विशाल देशको कालप्रमाणके आश्रयसे प्रतिदिन सक्षिप्त किया करता है । ऐसा

१. सिक्खावणियं । २. अ विसणाउ पमाणाउ । ३. अ 'विषोदाहरणेन' नास्ति । ४. विद्याएण उसारत्तेण ।

इदमपि चातिचाररहितमनुपालनीयमिति अतस्तानाह—

वज्जिज्जा आणयणप्पओगपेसप्प ओगयं चैव ।

सदाणुरुववायं तह बहिया पुग्गलक्खेवं ॥३२०॥

प्रतिपन्नदेशावकाशिकः सन् वर्जयेत् । किम् ? आनयनप्रयोगं प्रेष्यप्रयोगं चैव शब्दानुपातं रूपानुपातं च तथा बहिर्वा पुद्गलक्षेपं वर्जयेदिति पदघटना । भावार्थस्तु इह विशिष्टावधिके भूदेशाभिग्रहे परतः स्वयं गमनायोगाद्योऽन्यः सचित्तादिद्वयानयने प्रयुज्यते संदेशकप्रदानादिना 'त्वयेदक्षानेयम्' इति अयमानयनप्रयोगः । १। तथा प्रेष्यप्रयोगः बलाद्विनियोज्यः प्रेष्यस्तस्य प्रयोगो यथाभिगृहीत-प्रविचारदेशव्यतिक्रमभयात् "त्वयावश्यमेव गत्वा मम गवाहानेयमिदं वा तत्र कर्तव्यमेव" एवंभूतः तथा शब्दानुपातः स्वगृहवृत्तिप्राकारादिव्यवच्छिन्नभूप्रदेशाभिग्रहे बहिः प्रयोजनोत्पत्तौ तत्र स्वयं गमनायोगाद्वृत्ति-प्राकारप्रत्यासन्नवर्तिनो बुद्धिपूर्वकमभ्युक्तासितादिकशब्दकरणेन समवसितकान् बोधयतः शब्दानुपातनमुच्चारणं तादृशेन परकीयश्रवणविवरमनुपनत्यसाविति तथा रूपानुपातो गृहीतदेशाद्बहिः प्रयोजनभावे शब्दमनुच्चारयत एव परेषां समीपानयनार्थं स्वशरीररूपप्रदर्शनं रूपानुपातः तथा बहिः पुद्गलक्षेपोऽभिगृहीतदेशाद्बहिः प्रयोजनभावे परेषां प्रबोधनाय लेष्ट्वाविक्षेपः पुद्गलप्रक्षेप इति भावना देशावकाशिकमेतदर्थमभिगृह्यते मा भूद्बहिर्गमनागमनादिव्यापारजनितः

करनेसे प्रमादसे रहित होनेके कारण उसका चित्त भी निर्मल होता है । इसीलिए प्रयत्नपूर्वक उसके पालनके लिए यहाँ प्रेरणा की गयी है । 'देश' का अर्थ है दिग्गतमे गृहीत देशका एक अंश, उसमें अवकाश ( जानेकी प्रवृत्ति ) होनेसे इस व्रतकी देशावकाशिक यह सार्थक संज्ञा समझना चाहिए ॥३१९॥

आगे उसके निरतिचार पालन करानेके लिए अतिचारोका निर्देश किया जाता है—

आनयनप्रयोग, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और बलि पुद्गलक्षेप ये उसके पांच अतिचार हैं, जिनका परित्याग करना चाहिए ।

विवेचन—(१) आनयन—इस व्रतमें स्वीकृत प्रमाणके बाहर जाना निषिद्ध है, ऐसा समझकर परिमित देशके बाहरसे किसी सचित्त आदि वस्तुके लानेके लिए 'तुम्हें वहाँसे अमुक वस्तु लाना है' ऐसा सन्देश देकर जो उसे वहाँसे मँगाया जाता है, यह उसका आनयन प्रयोग नामका प्रथम अतिचार है । (२) प्रेष्यप्रयोग—प्रेष्य नाम दास'या सेवकका है । सीमित देशके बाहर जाना उचित न जानकर 'तू अमुक देशमें जाकर मेरी गाय आदिको ले आ' इस प्रकारसे जो देशावकाशिकव्रतीके द्वारा सेवकको अभोष्ट कार्यमें प्रयुक्त किया जाता है, इसका नाम प्रेष्य-प्रयोग है । यह उसका दूसरा अतिचार है । (३) शब्दानुपात—मर्यादित देशके बाहर प्रयोजनके उपस्थित होनेपर वहाँ जाना निषिद्ध समझकर जो उक्त अपने गृह आदि मर्यादित क्षेत्रके भीतर स्थित रहता हुआ भी उसके बाहर अवस्थित जनोके सम्बोधनार्थ जो खाँसी आदि रूप शब्दो-च्चारण किया जाता है उसे शब्दानुपात नामक तीसरा अतिचार जानना चाहिए । (४) रूपानु-पात—स्वीकृत देशके बाहर प्रयोजनके उपस्थित होनेपर शब्दोच्चारण न करता हुआ भी देशावकाशिकव्रती जो मर्यादित क्षेत्रके बाहर स्थित किसीको समीपमें बुलानेके लिए अपने शरीरको दिखलाता है, इसका नाम रूपानुपात है । यह प्रकृतव्रतका चौथा अतिचार है । (५) मर्यादित क्षेत्रके बाहर प्रयोजनवश वहाँ अवस्थित अन्य किसीको प्रबोधित करनेके लिए जो

प्राण्युपमर्दं इति । स च स्वयं कृतोऽन्येन वा कारितः इति न कश्चित्फले विशेषः, प्रत्युत गुणः, स्वयं गमन ईर्यापथविशुद्धे, परस्य पुनरनिपुणत्वात्तद्दुद्धिरिति ॥३२०॥

ध्याख्यातं सातिचारं द्वितीयं शिक्षापदमधुना तृतीयमुच्यते—

आहारपोषहो खलु शरीरसत्कारपोषहो चैव ।

बंभवावारेसु य तद्दयं सिक्खावयं नाम ॥३२१॥

आहारपोषधः खलु शरीरसत्कारपोषधश्चैव ब्रह्माध्यापारयोश्चेति ब्रह्मचर्यपोषधोऽध्यापार-  
पोषधश्चेति । इह पोषधशब्दः रूढ्या पर्वसु वर्तते । पर्वणि चाष्टम्यादित्थियः, पूरणात्पर्व धर्मोप-  
चयहेतुत्वादिति । तत्राहारः प्रतीतः, तद्विषयस्तन्निमित्तो वा पोषधः आहारपोषधः । आहारादि-  
निवृत्तिनिमित्तं धर्मपूरणं पर्वतिभावना । एवं शरीरसत्कारपोषधः । ब्रह्मचर्यपोषधः—अत्र चरणीयं  
चर्यम् 'अतो यत्' इत्यस्मादधिकारात् 'गद-मद-चर-यमश्चानुपसर्गः' इति 'यत्' ब्रह्म कुशलानुष्ठा-  
नम् । यथोक्तम्—ब्रह्म वेदो ब्रह्म तपो ब्रह्म ज्ञानं च शाश्वतम् । ब्रह्मवत् चर्यं चेति समासः, शेषं  
पूर्ववत् । तथाध्यापारपोषधः तृतीयं शिक्षाव्रतं नामेति । सूचनात्सूत्रमिति न्यायात्तृतीयं शिक्षापद-  
व्रतमिति ॥३२१॥

एतदेव विशेषेणाह<sup>३</sup>—

कंकड आदि फेंके जाते हैं, इसे पुद्गल क्षेप कहा जाता है । यह उसका पांचवां अतिचार है । ये पांचो अतिचार परित्याज्य हैं । देशावकाशिकव्रतको इसलिए ग्रहण किया जाता है कि मर्यादित देशके बाहर न जानेसे वहाँ स्थित जीवोको पीडा न पहुँचे । पर स्वीकृत क्षेत्रके बाहर स्वयं जाकर कार्य किया या किसी दूसरेसे कराया, इसमें कुछ अन्तर नहीं है । प्रत्युत इसके, दूसरोको भेजने आदिकी अपेक्षा स्वयके जानेमें यह एक विशेषता भी है कि वह ईर्यापथकी शुद्धिपूर्वक जायेगा जो प्रायः दूसरोसे सम्भव नहीं है, क्योंकि वे उस प्रकारसे प्राणियोके सरक्षणमे सावधान नहीं रह सकते ॥३२०॥

अब क्रमप्राप्त तीसरे शिक्षापदके स्वरूपका निर्देश किया जाता है—

आहारपोषध, शरीरसत्कारपोषध, ब्रह्मचर्यपोषध और अध्यापारपोषध; इन सबका नाम तृतीय ( पोषध ) शिक्षापदव्रत है ।

विवेचन—यहाँ 'पोषध' शब्द पर्वके अर्थमें रूढ है । पर्वसे अभिप्राय अष्टमी व चतुर्दशी आदि धार्मिक तिथियोका है, क्योंकि इनके आश्रयसे धर्मकी पूर्ति ( उपचय ) हुआ करती है । आहारके निमित्तसे—उसके परित्याग ( अनशन आदि ) से जो धर्मका उपचय होता है उसे आहार पोषध कहा जाता है । शरीरविषयक सत्कार—स्नान आदिसे उसके सुसज्जित करने—के त्यागसे जो धर्मका संचय होता है उसका नाम शरीरसत्कारपोषध है । ब्रह्मचर्यपोषधसे अभिप्राय कुशल अनुष्ठानका है । अमुक-अमुक व्यापारको मैं नहीं कहूँगा, इस प्रकारके व्रतको अध्यापारपोषध समझना चाहिए ( गाथागत 'बंभवावारेसु' में ग्रन्थकारको व्यापारपोषध अभीष्ट है या अध्यापारपोषध, यह स्पष्ट नहीं है, टीकासे भी उसका कुछ स्पष्टीकरण नहीं होता ) । इस प्रकारके सब पोषधको यहाँ तीसरा शिक्षापदव्रत कहा गया है ॥३२१॥

आगे इसीको कुछ विशेष रूपसे स्पष्ट किया जाता है—

देसे सव्वे य दुहा इक्किको इत्थं होइ नायव्वो ।

सामाइए विभासा देसे इयरम्मि नियमेण ॥३२२॥

देश इति देशविषयः, सर्वं इति सर्वविषयश्च, द्विधा द्विप्रकार एकैक आहारपौषधादिरत्र प्रवचने भवति ज्ञातव्यः । सामायिके विभाषा कदाचित्क्रियते कदाचिन्नेति देशपौषधे । इतरस्मिन् सर्वपौषधे । नियमेन सामायिकम्, अकरणादात्मवंचनेति ।

भावत्यो पुण इसो—आहारपोसहो दुविहो देसे सव्वे य । देसे अमुगा विगती आयंबिलं वा एक्कसिं वा दो वा । सव्वे चउव्विहो आहारो अहोरत्तं पचचक्खाओ । सरीरसक्कारपोसहो न्हाणुव्वट्टण-वन्नग विलेवण-पुप्फ-गन्ध-तंबोलाणं वत्थाहरणपरिच्चागो य । सो दुविहो देसे सव्वे य । देसे अमुगं सरीरसक्कारं न करेमि, सव्वे सव्वं न करेमि ति । बंभचेरपोसहो वि देसे सव्वे य । देसे दिवा रत्ति वा एक्कसिं वा दो वारे ति, सव्वे अहोरत्तं बंभचारी भवति । अव्वापारपोसहो वि दुविहो देसे सव्वे य । देसे अमुगंमि वावारंमि, सव्वे सव्वं वावारं चैव हल-सगड-घर-कम्माइयं ण करेमि ।<sup>३</sup> एत्थ जो देसपोसहं करेइ सो सामायिकं करेइ वा ण वा । जो सव्वपोसहं करेइ सो नियमा कयसामाइओ । जइ ण करे तो णियमा वंचिज्जइ । कर्हि ? चेइयघरे साहुमूले वा घरे वा पोसहसालाए वा । उम्मुक्कमणि-सुवन्नो पढंतो पोत्थगं वा वायंतो धम्मज्झाणं वा झायइ जहा एए साहुगुणा अहमसत्थो मंदभग्नो [ ग्गो ] धारेउ विभासा ॥३२२॥

यहाँ ( आगममे ) उक्त आहार पौषधादिमे प्रत्येक देशविषयक और सर्वविषयकके भेदसे दो प्रकारका है, यह जानना चाहिए । देशविषयक आहारपौषधादिमे सामायिक विषयक विकल्प है—कदाचित् वह की जाती है और कदाचित् नहीं भी की जाती है, परन्तु सर्वविषयक पौषधमे वह नियमसे की जाती है ।

विवेचन—अभिप्राय इसका यह है कि आहारपौषधमे जो आहारका परित्याग किया जाता है वह देश या सर्वरूपसे किया जाता है । इनमे देशरूपमे जैसे—मैं अमुक विकृति ( घृतादि ) या आचाम्ल ( भातका माड ) मे एक या दो को लूंगा, अथवा एक बार या दो बार लूंगा, इस प्रकारसे जो आहारविषयक नियम किया जाता है उसे देशविषयक आहारपौषध समझना चाहिए । चारो प्रकारके आहारका जो दिन-रातके लिए प्रत्याख्यान किया जाता है, यह सर्वविषयक आहारपौषध कहलाता है । शरीरसत्कारपौषधमे स्नान, उद्वर्तन ( उबटन ), विलेपन, पुष्प, गन्ध व ताम्बूल आदि तथा वस्त्राभरण आदिका परित्याग किया जाता है । वह भी देश अथवा सर्वरूपमे किया जाता है । उक्त शरीर संस्कारोमे मैं अमुक शरीर सत्कारको नहीं करूंगा, इस प्रकारसे किसी विशेष शरीर सत्कारका त्याग करना, यह देशशरीर संस्कार पौषध कहलाता है । समस्त शरीर सत्कारोके त्यागको सर्वरूपमे शरीर सत्कार पौषध जानना चाहिए । ब्रह्मचर्य पौषधमे मैं दिनमे, रात्रिमे अथवा एक या दो बार भोग करूंगा, इस प्रकारके नियमको देश ब्रह्मचर्य पौषध कहा जाता है । दिन-रात ब्रह्मचर्यके पाछनका नाम सर्वब्रह्मचर्य पौषध है । अव्यापार पौषध भी देश और सर्वके भेदसे दो प्रकारका है । उनमे अमुक व्यापारको मैं नहीं करूंगा, इस प्रकारके नियमका नाम देश अव्यापार पौषध और हल व गाड़ी आदि किसी भी कर्मको मैं नहीं करूंगा, इस प्रकारके नियमका नाम सर्व अव्यापार पौषध है । चार प्रकारके पौषधमे जो श्रावक देश पौषधको करता है वह सामायिक करे अथवा नहीं भी करे, इसका नियम

१ अ एक्केक्को एत्थ । २. अ अमुगा विपती आयविवला एक्कसि । ३ अ घरकरिकम्मा ण ।

इदमपि च शिक्षापदव्रतमतिचाररहितमनुपालनीयमिति । अत आह—  
अप्पडिदुप्पडिलेहियसिज्जासंधारय विवज्जिज्जा ।

अपमज्जियदुपमज्जिय तह उच्चाराइभूमि च ॥३२३॥

अप्रत्युपेक्षित-दुःप्रत्युपेक्षितशय्या-सस्तारकौ वर्जयेत् । इह संस्तीर्यन्ते यः प्रतिपन्नपोषधोप-  
वासेन दर्भ-कुश कम्बल वस्त्रादिः स सस्तारकः, शय्या प्रतीता । अप्रत्युपेक्षणं गोचरापन्नस्य  
शय्यादेः चक्षुषानिरीक्षणम् । दुष्टमुद्भ्रान्तचेतसः प्रत्युपेक्षणं दुष्प्रत्युपेक्षणम् । ततश्चाप्रत्युपेक्षित-  
दुष्प्रत्युपेक्षितौ च शय्या-संस्तारकौ चेति समासः । शय्यैव वा सस्तारक इति । एवमन्यत्रापि  
क्षरगमनिका कार्येति । उपलक्षणं च शय्या-संस्तारकावुपयोगिनः पीठ फलकादेरपि ।

एत्थं सामागारी—कडपोसहो णो अप्पडिलेहिय सेज्जं दुरुहइ सथारग वा दुरुहइ पोसहसालं  
वा सेवइ दग्ग वत्थं वा सुद्धवत्थं वा भूमोए संधारेइ । काइयभूमोउ वा आगओ पुणरवि पडिलेहइ,  
अन्नहातियारो । एवं पीठ-फलगादिमु वि विभासा ।

नही रहता । किन्तु जो सर्वपौषधको करता है वह नियमसे सामायिक करता है, यदि वह नहीं  
करता है तो वह स्वीकृतव्रतसे वंचित होता है । पौषधोपवासव्रतको चैत्यगृहमे, साधुके समीपमे,  
घरमे अथवा पौषधशालामे कही भी मणि-सुवर्ण आदिको छोडकर सामायिक करते हुए पढना  
चाहिए, पुस्तकका वाचन करना चाहिए अथवा धर्मध्यान करना चाहिए । उसे विचार करना  
चाहिए कि ये श्रेष्ठ गुण हैं, मैं अभागा उन्हें धारण करनेके लिए असमर्थ हूँ, जो अनिवार्य रूपसे  
उनका परिपालन नही कर पाता ॥३२३॥

आगे इसे निरतिचार पालनके लिए उसके अतिचारोका निर्देश किया जाता है—

पौषधोपवासव्रती श्रावकको अप्रत्युपेक्षित-दुष्प्रत्युपेक्षित शय्या-संस्तारक, अप्रमाजित-  
दुःप्रमाजित शय्या-संस्तारक, अप्रत्युपेक्षित-दुष्प्रत्युपेक्षित उच्चारादिभूमि और अप्रमाजित दुष्प्र-  
माजित उच्चारादि भूमिका परित्याग करना चाहिए ।

विवेचन—प्रकृत गाथामें इस व्रतके चार अतिचारोका निर्देश किया गया है । वे इस प्रकार  
हैं—(१) अप्रत्युपेक्षित-दुष्प्रत्युपेक्षित शय्या-संस्तारक—शय्यासे अभिप्राय चारपाई या पलंग  
आदिका तथा आसनसे अभिप्राय डाभके आसन व कम्बलवस्त्र आदिका है । इनका उपयोग  
आँखोसे देखे बिना अथवा असावधानी या अधीरतासे देखकर करना । (२) उक्त शय्या व सस्तारक-  
का उपयोग कोमल वस्त्र आदिसे झाडे-पोछे बिना अथवा व्याकुल चित्तसे झाड-पोछकर करना,  
यह अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित शय्या-सस्तारक नामका दूसरा अतिचार है । (३) उच्चार नाम  
मलका है, आदि शब्दसे मूत्र व कफ आदिको ग्रहण करना चाहिए । मलमूत्रादिके विसर्जनके  
समय भूमिको बिना देखे ही अथवा अधीरतासे देखकर उनका विसर्जन करना, यह अप्रत्युपेक्षित-  
दुष्प्रत्युपेक्षित उच्चारादिभूमि नामका तीसरा अतिचार है । (४) इसी प्रकार उक्त मल-मूत्रादि  
विसर्जनकी भूमिको कोमल वस्त्र आदिसे झाडने-पोछनेके बिना या दुष्टतापूर्वक झाड-पोछकर वहाँ  
मल-मूत्रादिको विसर्जित करना, यह उक्त व्रतका अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित उच्चारादिभूमि नामका

१. अ °मन्यत्राप्यक्षरगम' इत्यतोऽग्रे 'णो अप्पडिले' पर्यन्त पाठ स्वलितोऽस्ति । ( अग्रे एक-दोपक्तय  
उपरिमा लिखिता, तत्पश्चाच्च एक-दोपक्तयोऽवस्तना लिखिता, एव मुहुर्मुहु पक्तिव्यत्यास कृत । एव च  
सति समस्तोऽपि सदर्थोऽस्तव्यस्तो जात ) ।

तथा अप्रमार्जित-दुःप्रमार्जितशय्या-संस्तारकावेव । इहाप्रमार्जनं शय्यादेरासेवनकाले वस्त्रोपान्तादिनेति, दुष्टमविधिना प्रमार्जनम् । शेषं भावितमेव । एवमुच्चारप्रस्रवणभुवमपि । उच्चारप्रस्रवणं निष्ठचूत-स्वेदमलाद्युपलक्षणम् । शेषं भावितमेव ॥३२३॥ गाथा—

तह चैव य उज्जुत्तो विहीइ इह पोसहम्मि वज्जिज्जा ।

सम्मं च अणणुपालणमाहाराईसु सव्वेसु ॥३२४॥

तथैव च यथानन्तरोदितमुद्युत्तो विधिना प्रवचनोक्तक्रियया निःप्रकम्पेन मनसा । इह पौषधे पौषधविषयं वर्जयेत् । किम् ? सम्यगनुपालनं चेति । क्व ? आहारादिषु सर्वेषु सर्वाहारादि-विषयमिति गाथाक्षरार्थः ।

एत्थ भावणा—कयपोसहो अथिरचित्तो आहारे ताव सव्वं देसं वा पत्थेइ ? बोयदिवसे पारणगस्स वा अप्पणोट्टाए आढात्ति करेइ कारवेइ वा इम इमं वत्ति करेह ? न वट्टइ सरीरसक्कारे—सरीरमुव्वट्टेइ, दाढियाउ केसे वा रोमाइं वा सिगाराभिप्पाएण सठवेइ, दाहे वा सरीर सिचइ, एवं सव्वाणि सरीरविभूसाकाराणि परिहरइ । बभचेरे इहलोइए वा परलोइए भोगे पत्थेइ सवाहेई वा अहवा सद-फारिस रस-रुव गधे वा अभिलसइ कइया बंभचेर-

चोथा अतिचार है । यहाँ टीकाकार हरिभद्र सूरिने 'शय्या-सस्तारक' मे प्रथमतः द्वन्द्व समासके आधारसे शय्या और सस्तार इन दोको पृथक्-पृथक् ग्रहण किया है । पश्चात् विकल्प रूपमे उन्होने कर्मधारय समासके आधारसे शय्याको ही सस्तारकके रूपमे ग्रहण कर लिया है । यहाँ 'एत्थ सामायारी' ऐसा निर्देश करते हुए कहा गया है कि जिसने पौषध व्रतको स्वीकार किया है उसे सावधानीसे देखे बिना शय्या अथवा आसनपर आरूढ नही होना चाहिए, इसी प्रकार बिना देखे या व्यग्रतासे देखकर पौषधशालाका सेवन नही करना चाहिए, दर्भवस्त्रको या शुद्ध वस्त्रको भूमिपर नही बिछाना चाहिए, कायिक भूमिसे आकर फिरसे देख लेना चाहिए । यहि वह ऐसा नही करता है तो स्वीकृत व्रत अतिचरित ( मलिन ) होनेवाला है । इसी प्रकार पीठ फलकादि ( चौकी आदि ) के विषयमे विकल्प करना चाहिए ॥३२३॥

आगे उसके पांचवें अतिचारका निर्देश करते हुए उसे छोड़नेकी प्रेरणा की जाती है—

इसी प्रकारसे विधिपूर्वक व्रतमे उद्युक्त हुए श्रावकको समस्त आहारादि विषयक पौषधके अननुपालनको सम्यक् प्रकारसे छोड़ देना चाहिए—प्रयत्नपूर्वक आगमोक्त विधिके अनुसार उसका परिपालन करना चाहिए ।

विधेचन—यहाँ टीकामे 'एत्थ भावणा' ऐसा सकेत करते हुए कहा गया है कि जिस श्रावक-ने पौषध व्रतको स्वीकार किया है वह अस्थिर चित्त होकर आहारके विषयमे सबकी अथवा एक देशकी प्रार्थना करता है, दूसरे दिन अथवा पारणाके समय न स्वयं आदर करता है और न कराता है, यह करो, यह करो ऐसा बोलता भी नही है । वह शरीरके सत्कारमे—उसके सुसज्जन करनेमे—प्रवृत्त नही होता, वह न शरीरका उपटन करता है और न श्रुगारके अभिप्रायसे दाढी, बाल और रोमोको व्यवस्थित करता है, शरीरमे दाह होनेपर—उष्णताकी वेदना होनेपर—शरीरका सिंचन नही करता है; इस प्रकारसे वह शरीरके विभूषित करनेके सभी कारणोको छोड़ता है । वह ब्रह्मचर्यके पालनमे उद्यत होकर इस लोक सम्बन्धी व परलोक सम्बन्धी भोगोकी

पोसहो पूरिहिइ चइयामो बंभचरेणंति ।<sup>१</sup> अठ्वावारे सावज्जाणि वावारेइ कयमकयं वा चित्तेइ एवं पंचातियारसुद्धो अणुपालेयव्वोत्ति गाथाद्वयभावार्थः ॥३२४॥

उक्तं सात्तिचारं तृतीयं शिक्षापवव्रतमधुना चतुर्थमुच्यते—

नायागयाण अन्नाइयाण तह चैव कप्पणिज्जाणं ।

देसद्धसद्धसक्कारकमज्जुय परमभत्तीए ॥३२५॥

न्यायागतानामिति—न्यायो<sup>१</sup> द्विज-क्षत्रिय विद्-शूद्राणं स्ववृत्त्यनुष्ठानम् । स्ववृत्तिश्च प्रसिद्धैव प्रायो लोकहेर्या, तेनेदृशन्यायेनागताना प्राप्तानाम् । अनेनान्यायागताना प्रतिषेधमाह । अन्नादीना द्रव्याणाम्, आदिग्रहणात्पान-वस्त्र पात्रीषध-भेषजादिपरिग्रहः<sup>२</sup> । अनेनापि हिरण्यदिव्य-वच्छेदमाह । कल्पनीयानामिति उद्गमादिदोषपरिर्वजितानाम् । अनेनाकल्पनीयानां निषेधमाह । देश-काल-श्रद्धा सत्कार-क्रमयुक्तम्—नानात्रीहि-कोद्रव कज्जु-गोधूमादिनिष्पत्तिभाग्देशः, सुभिक्ष-दुर्भिक्षादिः कालः, विशुद्धचित्तपरिणामः श्रद्धा, अम्युत्थानासनदान वदनाद्यनुव्रजनादि. सत्कारः, पाकस्य पेयादिपरिपाट्या प्रदानं क्रमः, एभिर्देशादिभिर्युक्त समन्वितम् । अनेनापि विपक्षव्यवच्छेद-माह । परमया प्रधानया भक्त्या इत्यनेन फलप्राप्तौ भक्तिकृतमतिशयमाहेति ॥३२५॥

आयाणुग्गहवुद्धीइ संजयाणं जमित्थं दाणं तु ।

एयं जिणेहि भणियं गिहीण सिक्खावयं चरिमं ॥३२६॥

प्रार्थना [ नहीं ] करता और [न] उनको धारण करता है; अथवा वह शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्धकी भी अभिलाषा [नहीं] करता है, इस प्रकारसे वह ब्रह्मचर्यं पोषधका पालन करता है व उससे च्युत नहीं होता है । अव्यापार पोषधमें वह सावद्य कर्मोंमें व्यापून नहीं होता तथा कृत-अकृतका विचार करता है । इस प्रकार पांच अतिचारोंसे शुद्ध होकर व्रती श्रावक प्रकृत पोषध-व्रतका परिपालन करता है । इससे इन दो ( ३२३-३२४ ) गाथाओंका भावार्थ प्रकट किया गया है ॥३२४॥

इस प्रकार अतिचार सहित तीसरे शिक्षापदका निरूपण करके अब चौथे शिक्षापदके स्वरूपको दिखलाते हुए क्या देना चाहिए व उसे किस प्रकारसे देना चाहिए, इसका निर्देश किया जाता है—

न्यायसे उपाजित तथा कल्पनीय ( सयतके लिए देने योग्य ) अन्न आदि—अन्न, पान, वस्त्र, पात्र व औषध आदि—को जो देश, काल, श्रद्धा, सत्कार और क्रमसे युक्त अतिशय भक्तिके साथ दिया जाता है; यह चौथा शिक्षापद व्रत है ॥३२५॥

आगे इसे स्पष्ट करते हुए उन वस्तुओंको किनके लिए व किस बुद्धिसे दिया जाता है, इसकी सूचना की जाती है—

पूर्वगाथामें निर्दिष्ट उन कल्पनीय अन्नपानादिकोंका जो अपने अनुग्रहकी बुद्धिसे सयतोंके लिए दान किया जाता है, इसे जिन भगवान्ने गृहस्थोंका अन्तिम ( चौथा ) अतिथिसविभाग नामका शिक्षापद कहा है ।

१. अ पूरिहिइ चइयं बंभचरेणंति । २. अ कप्पणिज्जाणे । ३. अ 'द्विज' इत्यतोऽग्रे 'प्राप्तानामनेनान्या-यागताना प्र'पर्यन्त पाठ स्थलितोऽस्ति । ४. अ परिग्रह ( अतोऽग्रेऽस्या गाथायाष्टीकाया सर्वोऽपि पाठो-ऽस्तव्यस्तोऽस्ति—अथ उपरि यत्र कुत्रापि किञ्चिल्लिखितमस्ति । ५. अ तमेत्थ ।

आत्मानुग्रहबुद्ध्या, न पुनर्यत्पुन्यनुग्रहबुद्धयेति । तथाहि—आत्मपरानुग्रहपरा एव यतयः संयता मूलोत्तरगुणसंपन्नाः साधवस्तेभ्यो दानमिति । एतज्जिनैस्तीर्थकरैर्भणितम् । गृह्णिणः श्रावकस्य । शिक्षापदमिति शिक्षापदव्रतम् । चरमं अतिथिसंविभागाभिधानम् । इह भोजनार्थं भोजनकालो-पस्थाप्यतिथिरुच्यते । आत्मार्थनिष्पादिताहारस्य गृह्णिणो व्रती साधुरेवातिथिः । यत उक्तम्—

तिथिः पर्वोत्सवाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना ।

अतिथिं तं विजानीयाच्छेषमभ्यागतं विदुः ॥

तस्य संविभागो अतिथिसंविभागः । संविभागग्रहणात्पश्चात्कर्मादिपरिहारमाहेति ।

एत्थ सामायारी—सावगेण पोसह पारतेण नियमा साधूणमदाउं न पारेयव्वं, दाउं पारेयव्वं । अन्नया पुण अनियमो दाउं वा पारेइ, पारिए वा देइ त्ति । तम्हा पुव्वं साहूणं दाउं

विवेचन—अतिथिसंविभाग नामक इस चौथे शिक्षापद व्रतमे यहाँ दाता, देय, द्रव्य और दानके पात्र आदिका विचार करते हुए यह कहा गया है कि श्रावक मूल और उत्तर गुणोसे सम्पन्न मुनि जनके लिए जिन आहार, पान, वस्त्र, पात्र और औषध आदि वस्तुओको देना है वे न्यायसे उपाजित की गयी होनी चाहिए—अन्यायोपाजित नहीं होनी चाहिए । न्यायसे अभिप्राय यहाँ उस आजीविकासे है जो लोकमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके लिए नियत है । तदनुसार नीतिपूर्वक आजीविकाको करते हुए जो आहारादिके योग्य वस्तुएँ प्राप्त की गयी हैं तथा साधुके लिए देनेके योग्य है उन्हें ही देना चाहिए । गाथा ( ३२६ ) मे जो 'कल्पनीय' पदको ग्रहण किया गया है उसका अभिप्राय यह है कि शरीरको स्थिर रखने व धर्मके परिपालनके लिए अन्न, पान, वस्त्र, पात्र और औषध आदि वस्तुएँ ही साधुके लिए आवश्यक हैं; अतः साधुके लिए ऐसी ही आवश्यक वस्तुओको देना चाहिए । इससे सुवर्ण-चाँदी आदि मुनिधर्मकी विघातक अनावश्यक वस्तुओके देनेका निषेध प्रकट कर दिया गया है । कारण यह कि मुनिधर्मको स्वीकार करते हुए साधु उन्हें पूर्वमे ही छोड़ चुका है । इसके अतिरिक्त उक्त कल्पनीय पदके ग्रहणसे यह भी समझ लेना चाहिए कि उपर्युक्त अन्नादि वस्तुएँ भी पिण्डनिर्युक्ति निर्दिष्ट उद्गम व उत्पादन आदि दोषोसे रहित होनी चाहिए । इसके साथ दाता श्रावकको देश, काल, श्रद्धा, सत्कार और क्रमसे युक्त होना चाहिए । भिन्न-भिन्न देशमें प्राय. विविध प्रकारका अनाज—जैसे धान, कोदो, कागनी व गेहूँ आदि—तथा अनेक प्रकारकी शाक व फल आदि उत्पन्न हुआ करते हैं । अतएव जो वस्तु जिस देशमे प्रमुखतासे उत्पन्न हुआ करती है तदनुसार ही भोव्य वस्तुकी सदोषता व निर्दोषताका विचार करते हुए दाताको तदनुरूप ही वस्तु साधुके लिए देनी चाहिए । कालकी अपेक्षा सुभिक्ष व दुर्भिक्ष आदिका विचार करना भी आवश्यक है । चित्तकी निर्मलताका नाम श्रद्धा है । सत्कारसे अभिप्राय विनयका है—जब साधु आहारग्रहणके लिए आता है तब दाताको खड़े होकर वन्दनापूर्वक आसन आदि प्रदान करना चाहिए तथा साधुके वापस जानेपर यथा-सम्भव कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाना चाहिए; यह सब सत्कारके अन्तर्गत है । पेय आदिकी परिपाटीके अनुसार अन्न-पान आदिके प्रदान करनेका नाम क्रम है । इस सबके परिज्ञानके साथ तदनुरूप ही श्रावककी प्रवृत्ति होनी चाहिए । दान भी अतिशय भक्तिके साथ—साधुके गुणोमे अनुराग रखते हुए—देना चाहिए । इसके अतिरिक्त साधुको आहार आदि देते हुए श्रावकको यह अनुभव करना चाहिए कि यह मेरे लिए आत्मकल्याणकारी सुयोग प्राप्त हुआ है । इस प्रकार



पच्छा पारेयव्वं । कह ? जाहे देसकालो<sup>१</sup> ताहे अप्पणो सरोरस्स विभूसं काउं साहुपडिस्सयं गुंतुं णिमतेइ भिक्ख गेण्हह त्ति । साहूणं का पडिवत्ती ? ताहे<sup>२</sup> अन्नो पडलय अन्नो मुहणतगं अन्नो<sup>३</sup> भायण<sup>४</sup> पडिलेहेइ मा अतराइयदोसा ठवणा दोसो<sup>५</sup> य भविस्सन्ति । सो जइ पढमाए पोरिसीए णिमतेइ अत्थि णमोक्कारसहियाइत्ता तो गच्छइ, अह नत्थि न गच्छइ, त ठवियव्वं होइ जइ घण लगेज्जा ताहे गेण्हइ सवित्ताविज्जइ जो व उग्घाडाए पोरिसीए पारेइ पारणाइत्तो अन्नो वा तस्स दिज्जइ<sup>६</sup> सामन्नेणं नाए कहिए पच्छा तेण सावगेण समं गम्मइ सघाडगो वच्चइ एगो न वट्टइ पट्टवेउ । साहू पुरओ सावगो मग्गओ घरं णेऊण आसणेण उवणिमंतिज्जइ । जइ णिविट्ठो लहुय<sup>७</sup> अह ण णिविसत्ति<sup>८</sup> तहा वि विणओ<sup>९</sup> पयत्तो । ताहे भत्तपाणं देइ सय चेव, अहवा भाणं धरेइ भज्जा से देइ । अहव ठिओ अच्छइ जहा दिन्नं । साहुवि सावसेत्तं<sup>१०</sup> दव्वं गेल्लइ । पच्छाकम्म-परिहरणट्ठा दाउ वदिऊण विसज्जेइ । विसज्जिता अणुगच्छइ पच्छा समं भुंजइ । जं च

आत्मोपकारकी दृष्टिसे ही दान देना चाहिए, न कि साधुके उपकार करनेकी बुद्धिसे । कारण यह कि साधु मूल व उत्तर गुणोसे संयुक्त होते हुए निरन्तर अपने व अन्यके उपकारमे निरत होते है, इसीलिए उन्हें सयत कहा जाता है । ऐसे संयतोके लिए आहारादि प्रदान करनेसे श्रावकका पुण्योपाजनरूप आत्मकल्याण होता है । यहाँ प्रकृत 'अतिथिसविभागव्रत' के अन्तर्गत 'अतिथि' शब्दसे यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए कि जिन महापुरुषोने तिथि व पर्व आदि सब उत्सवोका परित्याग कर दिया है उन्हें अतिथि जानना चाहिए । शेष जनोको अभ्यागत कहा जाता है, न कि अतिथि । ऐसे सयत आहारके ग्रहणार्थ जो गृहस्थके घरपर उपस्थित होते हैं वे अपने निमित्तसे निर्मित ( उद्दिष्ट ) भोजनको कभी नहीं ग्रहण किया करते हैं, किन्तु जिसे गृहस्थ अपने उद्देश्यसे तैयार करता है उस अनुद्दिष्ट भोजनको ही परिमित मात्रामें ग्रहण किया करते हैं । ऐसे अतिथिके लिए श्रावक अपने निमित्तसे निर्मित भोजनमे-से जो विभाग करता है यह उस अतिथि-सविभाग शिक्षापदका लक्षण है । 'सविभाग' पदसे यह भी प्रकट है कि श्रावक यथाविधि साधुके लिए जो अपने भोजनमे-से विभाग करता है उससे उसके पुरातन कर्मका भी विभाग ( निर्जरा ) होता है ।

'एत्थ सामायारी' ऐसी सूचना करते हुए टोकामे प्रकृत पोषधव्रतको विधि आदिके विषयमे विशेष प्रकाश डाला गया है । यथा—पोषधको समाप्त करते हुए श्रावकको नियमसे साधुओको दिये बिना पारण नही करना चाहिए, किन्तु उन्हे देकर ही पारणा करना चाहिए । दूसरे समयमे इसका कुछ नियम नही है—वह उन्हे देकर भी पारणा कर सकता है, अथवा पारणा करनेके बाद भी दे सकता है । इसलिए पूर्वमे साधुओको देकर तत्पश्चात् पारणा करना चाहिए । जब गोचरीका समय हो तत्र देश-कालके अनुसार अपने शरीरको विभूषित करके साधुओके प्रतिश्रय ( उपाश्रय ) मे जावे और 'भिक्षा ग्रहण कीजिए' इस प्रकार कहकर उन्हे निमन्त्रित करे । साधुओकी क्या प्रतिपत्ति है ? उस समय अन्य पटलक, अन्य मुहणतक ( मुखवस्त्रिका ) और अन्य पात्रका 'आन्तरायिक अथवा स्थापनादोष न हो' इस विचारसे प्रतिलेखन करे । वह यदि प्रथम पौरुषोमें

१ अ जा देसकालो । २. अ ताहि । ३ अ 'पडलय अन्नो मुहणतग अन्नो' इत्येतावान् पाठो नास्ति । ४. अ भोयण । ५ अ अतराइयदोसा ठविगदोसा । ६ अ ताहे गम्मइ सवित्तावित्तइ जो व उग्घोडाए पोरिसीए पारणाए पारणा इत्तो वा तस्स दिज्जइ । ७. ७. अ पट्टवेइउ साहु । ८. अ जए णिविट्ठो लव्वय । ९. अ णवसत्ति । १०. अ घणओ । ११ अ ट्ठिओ अत्तए जाव दिन्न साहु वि साविसेस ।

किरं साहूण ण दिन्नं तं सावणेण न भोत्तव्वं । जइ पुण साहू णत्थि ताहे देसकालवेलाए दिसालोओ कायव्वो । विसुद्धभावेण चित्तिव्वं साहूणो जइ होता नाम नित्थारिओ होंतो त्ति विभासां ॥३२६॥  
इदमपि<sup>३</sup> शिक्षापदव्रतमतिचाररहितमनुपालनीयमिति एतदाह—

सच्चित्तनिक्खवणय<sup>४</sup> वज्जे सच्चित्तपिहणयं चैव ।

कालाङ्ककमदानं परववएसं च मच्छरियं<sup>५</sup> ॥३२७॥

विवर्जयेत्—तत्र<sup>६</sup> सच्चित्तनिक्षेपणं सच्चित्तेषु त्रीह्यादिषु निक्षेपणमन्नादेरदेयबुद्ध्या मातृ-स्थानतः । १ । एव सच्चित्तपिधानं सच्चित्तेन फलादिना पिधानं स्थगनमिति समासः, भावार्थः प्राग्वत् । २ । कालातिक्रम इति । कालस्यातिक्रमः कालातिक्रमः उचितो यो भिक्षाकालः साधूनां तमतिक्रम्य उल्लङ्घ्य भुक्ते । तदा च किं तेन लब्धेनापि, कालातिक्रान्तत्वात्तस्य । उक्तं च —

काले दिन्नस्स पहेणयस्स अग्घो ण तीरए<sup>७</sup> काउ ।

तस्सेवकाले परिणामियस्स गिण्हतया नत्थि । ३ ।

निमन्त्रित करता है तो नमस्कार सहित होनेपर जावे, अन्यथा न जावे । तब उसे ठप्प कर दे । यदि अतिशय लगाव या प्रेरणा हो तो ग्रहण करे व सविभाग करावे । यदि उद्घाटित पीरुखीमें पारणा करता है तो पारणा व्यापृत अथवा दूसरा कोई सामान्यसे ज्ञात कहनेपर उसे दे । पश्चात् उस श्रावकके साथ जाता है, सघाटक जाता है, एक नहीं पठानेके लिए प्रवृत्त होता है । साधु आगे और श्रावक पीछे चलकर घर ले जाता है और आसनपर बैठनेके लिए उपनिमन्त्रित करता है । वह यदि आसनपर विराजमान हो जाता है तो दण्डवत् नमस्कार करता है, और यदि आसनपर नहीं बैठता है तो भी विनत रहता है । उस समय वह स्वयं ही भक्त-पान देता है, अथवा पात्रको धरता है और पत्नी उसे देती है, अथवा खडा रहे । जैसा कुछ दिया जा रहा है, साधु भी सावशेष ( परिमित मात्रामे ) द्रव्यको ग्रहण करता है । इस प्रकार पश्चात्कर्मके परिहाराथं देकर व वन्दना करके साधुको विदा करता है । उसे विदा करके पीछे जाता है । तत्पश्चात् श्रावक स्वयं भोजन करता है । जो भोज्य वस्तु साधुको नहीं दी गयी है उसे श्रावकको नहीं खाना चाहिए । यदि साधुका लाभ नहीं होता तो देश व काल-वेलाके अनुसार दिशावलोकन करे—साधुके आनेकी प्रतीक्षा करे और विशुद्ध भावसे यह विचार करे कि यदि साधु होते तो मेरा निस्तार ( उद्धार ) होता । यह साधुके लिए भोजन देनेकी विधि है ॥३२५-३२६॥

इस व्रतका परिपालन भी निरतिचार ही करना चाहिए, इस उद्देश्यसे आगे उसके अति-चारोका निर्देश किया जाता है—

सच्चित्तनिक्षेप, सच्चित्तपिधान, कालातिक्रमदान, परव्यपदेश और मात्सर्य ये इस व्रतके पांच अतिचार है । व्रती श्रावकको उनका परित्याग करना चाहिए ।

विवेचन—(१) यदि न देनेके विचारसे अन्न आदिको जहां रखा हुआ है वहांसे हटाकर सच्चित्त त्रीही ( धान्य ) आदिमे स्थापित करता है तो यह सच्चित्तनिक्षेप नामका उस व्रतका प्रथम अतिचार होता है । यह स्मरणोय है कि सच्चित्तपर रखी हुई किसी भोज्य वस्तुको नहीं ग्रहण किया करते हैं । (२) देय भोज्य वस्तुको सच्चित्त फल या पत्ते आदिसे ढककर रखनेपर

१ भुजइ किं च किर । २. अ जइ हंता णाम णित्थारओ होत्ति त्ति भास । ३ अ इहमपि । ४ अ सच्चित्ते णिक्खवणं । ५ अ कालाङ्ककमपरववदेसमच्छरियं चैव सच्चित्तपक्षेपणं । ६. अ 'तत्र' नास्ति । ७ अ सच्चित्तनिक्षेपणं । ८. अ °स्स अप्पाण तीए । ९. अ तस्सेवाकालपरिं ।

परव्यपदेश इति—आत्मव्यतिरिक्तो योऽन्यः स परस्तद्व्यपदेश इति समासः, साधो पौष-  
घोपवासपारणकाले भिक्षायै समुपस्थितस्य प्रकटमन्त्रादि पश्यत श्रावकोऽभिघत्ते परकीयमिदमिति  
नात्मीयमतो न ददामि किञ्चिद्वाचितो वाभिघत्ते विद्यमान एवामुकस्येदमस्ति तत्र गत्वा मार्ग्य  
तद्युयमिति । ४ । मात्सर्यमिति—याचितः कुप्यते, सदापि न ददाति, परोन्नतिवैमनस्यं च मात्सर्य-  
मिति । तेन तावद्द्रमकेण याचितेन दत्तम्, किमहं ततोऽपि न्यूनः इति मात्सर्याद्ददाति कषाय-  
कलुषितेन वा चित्तेन ददतो मात्सर्यमिति (५) ॥३२७॥

उक्तं च सातिचारं चतुर्थं शिक्षापद्व्रतम्, अधुनैषामणुव्रतादीनां यानि यावत्कथिकानि  
यानि चैत्वराणि तदेतदाह—

इत्थ उ समणोवासगधम्मे अणुव्वय-गुणव्वयाइं च ।

आवकहियाइ सिक्खावयाइं पुण इत्तराइं ति ॥३२८॥

अत्र पुनः श्रमणोपासकधर्मं । तुगब्दः पुनःशब्दार्थः, स चावधारणे अत्रैव न शाक्याद्युपासक-  
धर्मं, तत्र सम्यक्त्वाभावेन अणुव्रताद्यभावात् । उपास्ते इत्युपासकः, सेवकः इत्यर्थः । श्रमणानामु-  
पासकस्तस्य धर्मं इति समासः । अणुव्रतानि गुणव्रतानि चेति पञ्चाणुव्रतानि प्रतिपादितस्वरूपाणि

सचित्तपिधान नामका यह दूसरा अतिचार होता है । इसे भी यदि न देनेके विचारसे वैसा किया  
जाता है तमी अतिचार समझना चाहिए । (३) साधुओकी भिक्षाके योग्य जो समय है यदि उसे  
बिताकर भोजन करता है तो यह प्रकृत व्रतका कालातिक्रम नामका तीसरा अतिचार होता है ।  
कारण यह कि उस समय साधुका लाभ होनेपर भी उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं  
है, क्योंकि गोचरीके कालके निकल जानेपर साधु ग्रहण नहीं किया करते हैं । समयपर देनेपर ही  
उसका मूल्य होता है—वह तमी श्रेयस्कर होता है । असमयमे निर्मित भोजनको ग्रहण करनेवाले  
साधु उपलब्ध ही नहीं होते । (४) अपनेसे भिन्न जो अन्य है उसका व्यपदेश करनेपर—उसका  
नाम बतलानेपर—परव्यपदेश नामक चौथा अतिचार होता है । इसका अभिप्राय यह है कि साधु  
जब पौषघोपवासकी पारणाके समयमे भोजनके लिए उपस्थित होता है और प्रत्यक्षमे अन्न आदिकी  
रखा हुआ देखता है तब यदि श्रावक यह कहता है कि यह दूसरेका है मेरा स्वयंका नहीं है,  
इसलिए नहीं देता हूँ । अथवा कुछ याचना करनेपर देय वस्तुके विद्यमान होते हुए भी यदि 'यह  
अमुक व्यक्तिकी है, वहाँ जाकर आप माँग लें' ऐसा कहता है तो उसका प्रकृत व्रत परव्यपदेश  
नामक इस चौथे अतिचारसे मलिन होता है । (५) माँगनेपर यदि श्रावक क्रोधित होता है, वस्तुके  
होते हुए भी नहीं देता है, अथवा 'अमुक दरिद्र व्यक्तिने तो याचना करनेपर दिया है, क्या मैं  
उससे भी हीन हूँ' इस प्रकार दूसरेकी उन्नतिको देखकर विमनस्क होते हुए मत्सरतासे या कषायसे  
कलुषितचित्त होकर देता है तो उसका व्रत मात्सर्य नामक इस पाँचवें अतिचारसे दूषित होता है ।  
इसलिए पौषघोपवासव्रती श्रावकको इन पाँचो अतिचारोका परित्याग करना चाहिए ॥३२७॥

अब उक्त अणुव्रतादिकोमे जो यावत्कथिक हैं और जो अल्पकालिक हैं उनका निर्देश किया  
जाता है—

पूर्वोक्त श्रमणोपासक ( श्रावक ) धर्ममे अणुव्रत और गुणव्रत तो यावत्कथिक—जीवन  
पर्यन्त पालन करने योग्य—हैं, पर शिक्षाव्रत इत्वर ( अल्पकालिक ) हैं ।

विवेचन—श्रमण नाम साधुका है, उन श्रमणोकी जो उपासना या सेवा किया करता है  
वह श्रमणोपासक कहलाता है । दूसरे शब्दसे उसे श्रावक कहा जाता है । ( इसका लक्षण पीछे

श्रीणि गुणव्रतानि उक्तलक्षणान्येव यावत्कथिकानीति सकृद्गृहीतानि यावज्जीवमपि भावनीयानि, न तु नियोगतो यावज्जीवमेवेति गुरवो व्याचक्षते । प्रतिचातुर्मासिकमपि तद्ग्रहणम्, वृद्धपरंपरा-याततया सामाचार्युपलब्धेः । शिक्षापदव्रतानि पुनरित्वराणि—शिक्षा अम्यासस्तस्याः पदानि स्थानानि तान्येव व्रतानि शिक्षापदव्रतानि, इत्वरानीति तत्र प्रतिदिवसानुष्ठेये सामायिक-देशावकाशिके पुनः पुनरुच्चार्येते इति भावना । पौषघोषवासतिथिसंविभागो तु प्रतिनियतदिव-सानुष्ठेयो, न प्रतिदिवसाचरणीयाविति ॥३२८॥

श्रावकधर्मं च प्रत्याख्यानभेदानां सप्तचत्वारिंशदधिकं भङ्गशतं भवति, चित्रत्वाद्देशविरतेः । तदाह—

सीयालं भंगसयं गिहिपञ्चकक्षाणभेयपरिमाणं<sup>१</sup> ।

तं च विधिणा इमेणं भावेयन्वं पयत्तेणं ॥३२९॥

सप्तचत्वारिंशदधिकं भंगशतं<sup>२</sup> गृहिप्रत्याख्यानभेदानां परिमाणमियत्ता । तच्च विधिना अनेन वक्ष्यमाणेन भावयितव्यं प्रयत्नेनावहितचेतोभिरिति ॥३२९॥

विधिमाह—

तिन्नि तिया तिन्नि दुया तिन्निक्किक्का य हुंति जोगेसु ।

ति दु एक्कं ति दु एक्कं ति दु एक्कं चैव करणाइं<sup>३</sup> ॥३३०॥

गाथा २ मे कहा जा चुका है ) । उसके धर्ममे जिन पांच अणुव्रतो, तीन गुणव्रतो और चार शिक्षापदोका निरूपण पीछे किया जा चुका है ( गा ६ ) उनमे पांच अणुव्रत और तीन गुणव्रत तो ऐसे हैं जिन्हे एक वार ग्रहण करके जीवनपर्यन्त पाला जाता है । यहाँ टीकामें गुरुओकी व्याख्याके अनुसार इतना विशेष कहा गया है कि उनका परिपालन जीवनपर्यन्त भी किया जाता है । पर यह नियम नहीं है कि जीवनपर्यन्त ही उनका पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि वृद्धपरम्परागत सामाचारोके अनुमार उनका ग्रहण प्रत्येक चातुर्मासमे भी सम्भव है । परन्तु शिक्षापदोका परिपालन जीवनपर्यन्त नहीं होता, उनका पालन नियत समयमें सम्भव है । यथा—सामायिक और देशावकाशिक इन दो शिक्षापदोका अनुष्ठान प्रतिदिन किया जाता है व पुनः-पुनः उनका उच्चारण किया जाता है—प्रतिदिन उन्हे धारण किया जाता है । पौषघोषवाम और अतिथिसंविभाग ये दो शिक्षापद प्रतिनियत दिनोमे—जैसे अष्टमी व चतुर्दशी आदिमे—अनुष्ठेये हैं, उनका आचरण प्रतिदिन नहीं किया जाता । अणुव्रतो, गुणव्रतो और शिक्षापदोका निरूपण पूर्वमें विस्तारसे किया जा चुका है ॥३२८॥

अब श्रावकधर्ममें प्रत्याख्यानके भेदोकी सख्याका निर्देश किया जाता है—

गृहस्थके प्रत्याख्यान सम्बन्धी भेदोका प्रमाण एक सौ सैंतालीस भंगरूप है । उसका विचार आगे कही जानेवालो इस विधिसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए ॥३२९॥

वह विधि इस प्रकार है—

काय, वचन और मनके व्यापारस्वरूप योगोमें तीन त्रिक (३), तीन द्विक (२) और तीन एक-एक तथा मन, वचन और कायरूप करण तीन, दो, एक, तीन, दो, एक, तीन, दो और एक होते हैं ।

१. क्ष परिमाणा । २. म<sup>०</sup> दधिक शत । ३. अ ति नि एक्क त दु एक्कं ति चैव करणाइं ।

प्रयस्त्रिकास्त्रयो द्विकास्त्रय एककाश्च भवन्ति योगेषु कायवाग्मनोदयापारलक्षणेषु । त्रीणि द्वयमेकं ३ चैव करणानि मनोवाक्कायलक्षणानीति पदघटना । भावार्थस्तु स्थापनया निर्विश्यते । सा चैव—

योगाः	३	३	३	२	२	२	१	१	१
करणानि	३	२	१	३	२	१	३	२	१
	१	३	३	३	९	९	३	९	९

कात्र भावना ? न करेइ, न कारवेइ, करंतपि अन्नं न समणुजाणइ मणेणं वायाए काएण । एको भेओ ३ । १। इयाणि बिइओ—ण करेइ, न कारवेइ, करंतपि अन्नं न समणुजाणइ मणेणं वायाए एक्को ३, मणेणं काएण ३, तहो वायाए काएण ३; वीओ मूलभेओ गओ । २। इयाणि तइयओ—ण करेइ ण करावेइ करंतं पि अन्नं न समणुजाणइ मणेणं ३, वायाए ३, काएणं ३; । ३। इदानीं चतुर्थः—न करेइ न कारवेइ मणेणं वायाए काएणं ३, णं करेइ करंतं पि नाणुजाणइ ३, णं कारवेइ करंतं पि नाणुजाणइ तइओ ३; चउत्थो मूलभेओ । ४। इदानीं १० पंचमो—न करेइ न कारवेइ मणेणं वायाए एक्को ३, न करेइ करंतं नाणुजाणइ ३, णं कारवेइ करंतं नाणुजाणइ ३ ए ३ । तिन्नि वि भंगा मणेणं वायाए लद्धा । अन्ने वि तिन्नि मणेणं काएण य एवमेव

विवेचन—अभिप्राय यह है कि प्राणिघातादिका जो प्रत्याख्यान किया जाता है वह तीनों योगोंसे, दो योगोंसे और केवल एक योगसे भी किया जाता है, किया व कराया जाता है तथा करने व करानेके साथ अनुमोदन भी किया जाता है । इस प्रकारसे उस प्रत्याख्यानके भग ( भेद ) उनचास हो जाते हैं जो निम्न सदृष्टि या स्थापनासे जाने जा सकते हैं—

योग	३	३	३	२	२	२	१	१	१
करण	३	२	१	३	२	१	३	२	१
भग	१	३	३	३	९	९	३	९	९

उनका उच्चारण इस प्रकारसे किया जा सकता है—१ मन, वचन व कायसे न करता है, न कराता है और न करते हुए अन्यका अनुमोदन करता है । २ मन व वचनसे न करता है, न कराता है और करते हुए अन्यका अनुमोदन करता है । ३ मन-कायसे न करता है, न कराता है, न करते हुएका अनुमोदन करता है । ४ वचन-कायसे न करता है, न कराता है, न करते हुएका अनुमोदन करता है । ५ मन से न करता है, न कराता है, न करते हुएका अनुमोदन करता है । ६ वचनसे न करता है, न कराता है, न करते हुएका अनुमोदन करता है । ७ कायसे न करता है, न कराता है, न करते हुए का अनुमोदन करता है । ८ मन-वचन-कायसे न करता है, न कराता है । ९ मन-वचन-कायसे न करता है, न अनुमोदन करता है । १० मन-वचन-कायसे न कराता है, न अनुमोदन करता है । ११ मन-वचनसे न करता है, न कराता है । १२ मन-वचनसे न करता है,

१. अ भेक चैव । २ अ 'योगा करणानि' नास्ति । ३ अ भेओ इयाणि । ४. अ एक्को मणेण । ५ अ मणकाएण २ तहा । ६ अ वायाए काएण २ वीओ । ७. अ मणेण १ वायाए २ काएण ३ इदानीं । ८ अ काएण ण । ९. अ नाणुजाणइ २ ण । १०. अ तइय चतुर्थो मूलभेउ इदानीं । ११. अ एक्को न । १२. नाणुजाणइ न । १३. अ नाणुजाणइ ३ ए ।

लब्धमिति ३३३३३३ । तथा अवरे वि वायाए काएण य लब्धमिति ३३३३३३३ । एवमेव एते सव्ये नव । पंचमोऽप्युक्तो मूलभेदः । ५ । इयाणि छट्टो—ग करेइ ण कारवेइ मणेणं एक्को ३३३३३३ । तथा ण करेइ करंत पि नाणुजाणइ मणेणं ३३३३३३, णं कारवेइ करंतं नाणुजाणइ मनतैव तृतीयः ३३३३३३ । एवं वायाए ३३३३३३३३; काएण य ३३३३३३३३ । सव्ये नव । उक्तो षष्ठो मूलभेदः । ६ । इदानीं सप्तमोऽभिधीयते, ण करेइ मणेणं वायाए काएण य एक्को ३३३३३३३३ । एव णं कारवेइ मणाईहि ३३३३३३३३, करत पाणुजाणइ ३३३३३३३३; ७ । इदानीमष्टमो भण्यते—न करेइ मणेण वायाए एक्को ३३३३३३३३, तर्ही मणेण काएण य ३३३३३३३३, तथा वायाए काएण य ३३३३३३३३ । एवं न कारवेइ ३३३३३३३३३; करंतं १० नाणुजाणइ ३३३३३३३३३ । सव्ये वि णव । ८ । इदानीं नवमो भण्यते न करेइ मणेण ३३३३३३३३ नं कारवेइ ३३३३३३३३, करंतं नाणुजाणइ ३३३३३३३३ । ११ एवं वायाए वि ३३३३३३३३; काएणं वि ३३३३३३३३३ । सव्ये वि नव नवमा मूलभेदः । ९ । ११ आगतगुणनेवार्तो क्रियते—

न अनुमोदन करता है । १३ मन-वचनसे न कराता है, न अनुमोदन करता है । १४ मन-कायसे न करता है, न कराता है । १५ मन-कायसे न करता है, न अनुमोदन करता है । १६ मन-कायसे न कराता है न अनुमोदन करता है । १७ वचन-कायसे न करता है, न कराता है । १८ वचन-कायसे न करता है, न अनुमोदन करता है । १९ वचन-कायसे न कराता है, न अनुमोदन करता है । २० मनसे न करता है, न कराता है । २१ मनसे न करता है, न अनुमोदन करता है । २२ मनसे न कराता है, न अनुमोदन करता है । २३ वचनसे न करता है, न कराता है । २४ वचनसे न करता है, न अनुमोदन करता है । २५ वचनसे न कराता है, न अनुमोदन करता है । २६ कायसे न करता है, न कराता है । २७ कायसे न करता है, न अनुमोदन करता है । २८ कायसे न कराता है, न अनुमोदन करता है । २९ मन-वचन-कायसे स्वयं करता नही । ३० मन-वचन-कायसे कराता नही । ३१ मन-वचन-कायसे अनुमोदन नही करता । ३२ मन-वचनसे कराता नही । ३३ मन-वचनसे कराता नही । ३४ मन-वचनसे अनुमोदन नही करता । ३५ मन-कायसे कराता नही । ३६ मन-कायसे कराता नही । ३७ मन-कायसे अनुमोदन नही करता । ३८ वचन-कायसे कराता नही । ३९ वचन-कायसे कराता नही । ४० वचन-कायसे अनुमोदन नही करता । ४१ मनसे कराता नही । ४२ मनसे कराता नही । ४३ मनसे अनुमोदन नही करता । ४४ वचनसे कराता नही । ४५ वचनसे कराता नही । ४६ वचनसे अनुमोदन नही करता । ४७ कायसे कराता नही । ४८ कायसे कराता नही । ४९ कायसे अनुमोदन नही करता । इस प्रकार मन, वचन और कायके व्यापाररूप तीन योगों तथा अन्वय मन, वचन और काय इनके परस्परक मन्दागम ४९ भग हो जाते हैं । उपर्युक्त ४९ प्रकारके प्रत्याख्यानमें-उ प्रत्येकका नूत, भावपूर्ण और वतमान इन वाक्योंसे सम्बन्ध होनेके कारण ४९ को ३ म गुणित करायपर समस्त भग एक का मन्दागम ( ४९ × ३ = १४७ ) हो जाते हैं । अभिप्राय यह है कि मूलवाक्यमें जो प्राणवैशालतादरूप अवस्था

लद्धफलमाणमेय भगाउ भवति अउणपन्नास ।  
 तीयाणागयसंपयगुणियं कालेण होइ इमं ॥  
 सीयाल भगसयं कह कालतिएण होइ गुणणाउं ।  
 तीयस्स पडिक्कमण पच्चुप्पन्नस्स सवरण ॥  
 पच्चक्खाण व तहा होइ य एस्सस्स एस गुणणाओ ।  
 कालतिएण य भणिय जिणगणहरवायगेहि च ॥ इति ॥३३०॥

उक्तभङ्गकानामाद्यभङ्गस्वरूपाभिधित्सयाह—

न करइ न करावेइ य करंतमन्नं पि नाणुजाणेइ ।

मणवयकायेणिको एवं सेसा वि जाणिज्जा ॥३३१॥

न करोति स्वयं न कारयत्यन्यैः कुर्वन्तमन्यमपि स्वनिमित्तं स्वयमेव नानुजानाति ।  
 कथम् ? मनोवाक्कायैर्मनसा वाचा कायेन चेत्येवमेको विकल्पः । एवं शेषानपि द्वयादीन् जानीयात्  
 यथोक्तान् प्रागिति ॥३३१॥

अत्राह—

न करेईच्चाइतियं गिहिणो कह होइ देसविरयस्स ।

भन्नइ विसयस्स वहिं पडिसेहो अणुमईए वि ॥३३२॥

न करोतीत्यादित्रिकं अनन्तरोक्तम् । गृहिणः श्रावकस्य । कथं भवति देशविरतस्य  
 विरताविरतस्य, सावद्ययोगेऽनुमतेरव्यवच्छिन्नत्वात् । नैव भवतीत्यभिप्रायः । एवं चोदकाभि-

किया गया है, कराया गया है या अनुमोदित हुआ है उसका प्रतिक्रमण किया जाता है, वर्तमानमे  
 उसे रोका जाता है और भविष्यमे सम्भव उसका प्रत्याख्यान किया जाता है । इसी कारण—तीन  
 कालसे सम्बद्ध होनेके कारण—उसे उक्त प्रकार तीन कालोसे गुणित किया गया है । यह  
 प्रत्याख्यानविषयक व्याख्यान वीतराग जिन, गणधर और वाचक ( द्वादशागका वेत्ता ) इनकी  
 परम्परासे समागत है ऐसा निश्चय करना चाहिए ॥३३०॥

आगे उपर्युक्त भगोमे-से प्रथम भगका निर्देश स्वयं ग्रन्थकारके द्वारा किया जाता है—

मन, वचन और कायसे न स्वयं करता है, न अन्यसे कराता है और न करते हुए अन्यका  
 अनुमोदन भी करता है । इस प्रकार उक्त एक सौ सैंतालोस भगोमे यह प्रथम है । इसी प्रकार  
 शेष भंगोको भी जानना चाहिए ॥३३१॥

अब यहाँ शकाकारके द्वारा उठायी गयी शंकाको प्रकट करके उसका समाधान किया  
 जाता है—

यहाँ शकाकार पूछता है कि देशविरत श्रावकके 'न स्वयं करता है' इत्यादि तीन कैसे  
 सम्भव हैं । इसके समाधानमे कहा गया है कि विषयके बाहर उसके अनुमत्तिका भी प्रतिषेध  
 सम्भव है ।

विवेचन—शकाकारका अभिप्राय है कि आरम्भ कार्योंमें निरत गृहस्थ स्थूल रूपमे  
 प्राणातिपातादिका परित्याग करता है, अतः उसके करने व करानेका प्रतिषेध तो सम्भव है, किन्तु  
 उसके लिए अनुमत्तिका निषेध करना शक्य नहीं है । इसके उत्तरमे यहाँ यह कहा गया है कि

प्राथमाशङ्क्यं गुरुराह—भण्यते तत्र प्रतिवचनम् । विषयाद्बहिः प्रतिषेधोऽनुमतेरपि, यत आगतं भाण्डाद्यपि न गृह्णातोत्यादाविति ॥३३२॥

अत्रैवं व्यवस्थिते सति—

केई भणति गिहिणो तिविहं तिविहेण नत्थि संवरणं ।

तं न जओ निदिट्ठं<sup>१</sup> पन्नत्तीए विसेसेउं ॥३३३॥

केचनाहंनमतानुसारिण एवापरिणतसिद्धान्ता भणन्ति<sup>२</sup> । किम् ? गृहिणः त्रिविधं न करोतीत्यादि । त्रिविधेन मनसेत्यादिना । नास्ति संवरणं न विद्यते प्रत्याख्यानम् । तत्र तदेतदयुक्तम् । किमिति ? यतो निदिष्टं<sup>३</sup> प्रज्ञप्तौ भगवत्याम् । विशेषः 'अविषये "तिविहं पि" इत्यादिनेति ॥३३३॥ आह—

ता कह निज्जुत्तीए णुमतिनिसेहु त्तिसे सविसयम्मि ।

सामन्ने वान्तथ उ तिविहं तिविहेण को दोसो ॥३३४॥

यद्येव तत्कथं निर्युक्ती प्रत्याख्यानसंज्ञितायाम् अनुमतिनिषेध इति "दुविह तिविहेण पदमउ" इत्यादिवचनेन ? अत्रोच्यते—स स्वविषये यत्रानुमतिरस्ति तत्र तन्निषेधः, सामान्ये वा

जिस कार्यसे उसका कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसे अपने अविषयभूत सावद्य कार्यके विषयमे वह अपनी अनुमतिका परित्याग कर सकता है, उसमे कुछ बाधा नहीं है ॥३३२॥

आगे इस विषयमे अन्य किन्ही आचार्योंके अभिमतको दिखलाते हुए उसका भी निषेध किया जाता है—

यहाँ कितने ही जैन मतानुयायी कहते हैं कि गृहस्थके तीन प्रकारसे—मन, वचन और कायसे—कृत, कारित व अनुमत तीन प्रकारके सावद्यका प्रत्याख्यान सम्भव नहीं है । इसके समाधानमे यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रज्ञप्ति ( व्याख्याप्रज्ञप्ति ) मे विशेष करके वैसा कहा गया है, अर्थात् भगवतीसूत्रमे यह निर्देश किया गया है कि गृहस्थ भी विषयके बहिर्भूत कृत-कारितादिरूप तीन प्रकारके सावद्य कर्मका तीन प्रकारसे प्रत्याख्यान कर सकता है ॥३३३॥

आगे इस प्रसंगमे शंकाकारके द्वारा उद्भावित शंकाको प्रकट करते हुए उसका समाधान किया जाता है—

शंकाकार कहता है कि जब व्याख्याप्रज्ञप्ति ( भगवतीसूत्र ) में अनुमतिका निषेध नहीं किया है तब फिर निर्युक्ति ( प्रत्याख्याननिर्युक्ति ) मे अनुमतिका निषेध कैसे किया गया है ? इस शंकाके उत्तरमें कहा जा रहा है कि वहाँ उसका निषेध स्वविषयमे किया गया है । अथवा सामान्य प्रत्याख्यानमे उसका निषेध किया गया है । अन्यत्र ( अविषयमें ) कृत-कारितादिरूप तीन प्रकारके सावद्यका प्रत्याख्यान तीन प्रकारसे करनेमे कौन-सा दोष है ? कुछ भी दोष नहीं है ।

विवेचन—शंकाकारका अभिप्राय है कि व्याख्याप्रज्ञप्तिमे जब यह कहा गया है कि गृहस्थ कृत, कारित एव अनुमत इस तीन प्रकारके सावद्यका प्रत्याख्यान मन, वचन व काय इन तीनोंसे करता है तब क्या कारण है जो प्रत्याख्याननिर्युक्तिमे अनुमतिका निषेध करते हुए दो ही प्रकारके

१. अ भवतीत्यभिप्रायमाशक्य । २ अ 'तत्र' नास्ति । ३. अ प्रतिषेधे । ४. अ तत्त जतो न दिट्ठ ।

५. अ एव परिणतसद्भातामणित कि । ६. अ ( विशिष्य ! ) नास्ति ।



प्रत्याख्यानं स इति । अन्यत्र तु विशेषे स्वयंभूरमणजलधिमत्स्यादौ । त्रिविधं त्रिविधेन कुर्वतः को दोषः ? न कश्चिदिति—परिहारान्तरमाह ॥३३४॥

पुत्राद्दसंतद्दनिमित्तमित्तमेगारसिं पवन्नस्स ।

जंपंति केद्दि गिहिणो दिक्खाभिग्गुहस्स त्रिविहं पि ॥३३५॥

पुत्राविसन्ततिनिमित्तमात्रम्—प्रव्रजितोऽस्य पितेत्येवं विज्ञाय परिभवन्ति केचन तत्सुतम्, अप्रव्रजिते तु न, एतावद्भिद्दश्चाहोभिरसौ मानुषीभवत्येवेति । तत ऊर्ध्वं गुणमुपलभ्य एतन्निमित्तं प्रव्रजिष्णुरपि कश्चित्पर्यन्तवर्तिनीमुपासकप्रतिमां प्रतिपद्यत इति तदाह—एकादशीं प्रपन्नस्य श्रवणभूताभिधानामुपासकप्रतिमामाश्रितस्य । जल्पन्ति केचन गृहिणो दीक्षाभिमुखस्य त्रिविधमपि प्रत्याख्यानमिति ॥३३५॥

प्रत्याख्यानका तीन प्रकारसे करनेका निर्देश किया गया है ? इस शंकाका समाधान करते हुए यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्याख्यान निर्युक्तिमे जो अनुमतिका निषेध किया गया है वह अपने व्यवहार कार्यको लक्ष्यमे रखकर किया गया है, क्योंकि आरम्भ कार्य करते हुए गृहस्थको कभी-कभी अनुमति देना आवश्यक हो जाता है । किन्तु जो गृहस्थके व्यवहारका विषय नहीं है वहाँ गृहस्थ कृत, कारित व अनुमत तीनो प्रकारके सावद्यका मन, वचन व काय तीनो प्रकारसे प्रत्याख्यान करता है । उदाहरणार्थ स्वयंभूरमण समुद्रवर्ती मत्स्यादि गृहस्थके व्यवहारके विषयभूत नहीं है, अतः ऐसे अविषयमें वह अनुमतिके साथ तीन प्रकारके सावद्यका तीनो प्रकारसे त्याग करता है । इस प्रकार उक्त व्याख्याप्रज्ञप्तिके विशेष आशयके समझ लेनेपर प्रकृत प्रत्याख्याननिर्युक्तिके इस कथनसे कुछ भी विरोध नहीं रहता । अथवा प्रत्याख्याननिर्युक्तिमें सामान्य प्रत्याख्यानकी विवक्षामे अनुमतिका निषेध किया गया है, विशेष प्रत्याख्यानमे व्याख्याप्रज्ञप्तिके समान ही प्रत्याख्याननिर्युक्तका अभिप्राय समझना चाहिए ॥३३४॥

आगे उपर्युक्त शंकाका समाधान अन्य प्रकारसे किया जाता है—

जो गृहस्थ दीक्षाके अभिमुख होता हुआ पुत्रादिके निमित्त मात्रसे ग्यारहवी प्रतिमाको स्वीकार करता है उसके तीनो प्रकारका प्रत्याख्यान होता है, इस प्रकारसे अन्य कितने ही उक्त शंकाके समाधानमे कहते हैं ।

विवेचन—पूर्वमें ( ३३२ ) में जो यह शंका उठायी गयी थी कि देशत्रती गृहस्थके 'न करता है, न कराता है और न अनुमति देता है' इस प्रकारसे तीन प्रकारका प्रत्याख्यान कैसे सम्भव है ? इसका समाधान यद्यपि इसके पूर्व किया जा चुका है, फिर भी प्रकारान्तरसे यहाँ उसका समाधान करते हुए यह कहा गया है कि 'पुत्र आदिके निमित्तसे यह दोक्षित हुआ है' इस प्रकार कहते हुए कोई उसके पुत्रको लज्जित न करे, इस विचारसे जिस गृहस्थने मुनिदीक्षाके अभिमुख होकर भी उसे स्वीकार न कर श्रमणभूत—श्रमणके समान अनुष्ठानवाली—ग्यारहवी प्रतिमाको स्वीकार किया है उसके अपने विषयमे भी अनुमतिका निषेध होता है—वह किसी भी व्यवहार कार्यमे अपनी अनुमति नहीं देता । इस प्रकार उक्त गृहस्थके कृत, कारित व अनुमत तीन प्रकारके सावद्यका प्रत्याख्यान मन, वचन व काय इन तीनोसे बन जाता है ॥३३५॥

आह कहां पुण मणसा करणं कारावणं अणुमई य ।

जह वइतणुजोगेहिं करणाई तह भवे मणसा ॥३३६॥

आह चोदकः—कथं पुनर्मनसा करणं कारणमनुमतिश्चान्त-अर्थापारत्वेन परैरनुपलक्ष्यमा-  
णत्वादनूपपत्तिरित्यभिप्रायः । गुरुराह—यथा वाक्तनुयोगाभ्यां करणावयः करण-कारणानुमोद-  
नानि । तथा भवेद् मनसापीति ॥३३६॥

कथमित्याह—

तयहीणत्ता वय-तणुकरणाईण अहवा उ मणकरणं<sup>२</sup> ।

सावज्जजोगमणणं पन्नत्तं वीयरगेहिं ॥३३७॥

तदधीनत्वादिति मनोयोगाधीनत्वात् वाक्तनुकरणादीनाम्, तेन ह्यालोच्य वाचा कायेन वा  
करोति कारयति चेत्यादि अभिसधिमन्तरेण प्रायस्तदनुपपत्तेः । प्रकारान्तरं चाह—अथवा  
मनःकरणम् । किम् ? सावद्ययोगमननं करोम्यहं एतदिति सपापव्यापारचिन्तनं प्रज्ञप्तं वीतरागै-  
रिति ॥३३७॥

कारवणं पुण मणसा चित्तेइ करेउ एस<sup>३</sup> सावज्जं ।

चित्तेई य कए पुण सुट्ठुकयं अणुमई होइ ॥३३८॥

कारवणं पुनर्मनसा चिन्तयति करोतु एष सावद्यं असावपि चेद्भित्तोऽभिप्रायात्प्रवर्तत  
एव । चिन्तयति च कृते पुनः सुष्ठुकृतमनुमतिर्भवति मानसी अभिप्रायज्ञो विजानात्यपीति ॥३३८॥

आगे प्रसंगानुरूप अन्य शंकाको उद्भावित करते हुए उसका समाधान किया जाता है—

इस प्रसंगमे कोई कहता है कि मनसे करना, कराना और अनुमति कैसे सम्भव है ? इसके  
उत्तरमे कहा गया है कि जैसे वचन और काय योगोसे उक्त करना आदि होते हैं वैसे ही मनसे भी  
वे होते हैं ॥३३६॥

आगे इसे ही स्पष्ट किया जाता है—

वचन और शरीरसे सम्बद्ध करना आदि—करना, कराना और अनुमति—चूँकि उक्त  
मनके अधीन हैं, अर्थात् मनसे विचार किये बिना वचनसे व कायसे उक्त करना आदि सम्भव नहीं  
हैं, इसीलिए वचन और कायके समान मनसे भी उक्त करने आदि तीनको समझना चाहिए ।  
अथवा सावद्ययोगका जो मनन है—‘मैं करता हूँ’ इस प्रकारका जो मनसे चिन्तन—होता है उसे  
वीतराग भगवान्ने मन करण कहा है ॥३३७॥

आगे उसे और भी स्पष्ट किया जाता है—

‘यह मेरे सावद्य कार्यको करे’ इस प्रकारका जो मनसे चिन्तन किया जाता है, यह मनसे  
कराना है । अभीष्ट कार्यके कर देनेपर फिर जो ‘ठीक किया’ ऐसा मनसे विचार करता है, यह  
मनसे अनुमति है ॥३३८॥

विवेचन—शंकाकारका अभिप्राय था कि जिस प्रकार वचन और शरीरका व्यापार दूसरो-  
के द्वारा देखा जाता है उस प्रकार अन्तःकरण होनेसे मनके द्वारा क्या किया-कराया है, यह  
दूसरोके लिए उपलक्ष्य नहीं है; अतः मनके द्वारा कृत, कारित व अनुमत सावद्यको कैसे समझा

१. अ कथमित्यादि । २. अ<sup>०</sup>त्ता वत्तित्तणुकरणादीणमहव मणकरण । तु । ३. अ करेइ उ एस ।

४. अ चंतिवज्जो ।

उक्तः प्रत्याख्यानविधिरघुना श्रावकस्यैव निवासादिविषयां सामाचार्यं प्रतिपादयन्नाह—  
निवसिञ्ज तत्थ सड्ढो साहूणं जत्थ होइ संपाओ ।

चेइयघराइ जत्थ य तयन्नसाहम्मिया चेव ॥३३९॥

निवसेत्तत्र नगरादौ श्रावकः, साधूनां यत्र भवति संपातः—संपतनं संपातः, <sup>२</sup>आगमन-  
मित्यर्थः । चैत्यगृहाणि च यस्मिंस्तदन्यसाधर्मिकाश्चैव श्रावकादय इति गाथासमासार्थः ॥३३९॥  
अधुना प्रतिद्वारं गुणा उच्यन्ते तत्र साधुसंपाते गुणानाह—

साहूण वंदणेणं नासइ पावं असंकिया भावा ।

फासुयदाणे निञ्जर उवग्गहो नाणमाईणं ॥३४०॥

साधूनां वन्दनेन करणभूतेन । किम् ? नश्यति पापम् गुणेषु बहुमानात् । तथा अशङ्कित  
भावास्तत्समीपे श्रवणात् । प्रासुकदाने निर्जरा । कुतः । उपग्रहो ज्ञानादीनां ज्ञानादिमन्त एव  
साधव<sup>३</sup> इति ? उक्तः साधुसंपाते गुणाः ॥३४०॥

जाये ? इस शंकाके उत्तरमे प्रथम तो यही कहा गया है कि जैसे वचन और काय योगोके द्वारा  
वे करना-कराना आदि होते हैं वैसे ही वे मन योगसे होते हैं । इसे स्पष्ट करते हुए आगे कहा गया  
है कि वचन और काय के द्वारा जो किया जाता है, कराया जाता है और अनुमोदन किया जाता  
है; यह सब उस मनके अधीन है । कारण यह कि प्रथमतः मनसे ही उक्त करने, कराने और  
अनुमोदनका विचार किया जाता है । तत्पश्चात् प्रयोजनके अनुसार प्राणी वचनसे व कायसे करता  
है, कराता है व अनुमोदन करता है । मनसे विचार करनेके बिना वे वचन और कायसे सम्भव  
नहीं हैं, इसलिए वचन और कायके समान ही उन तीनोंको मनसे भी समझना चाहिए । आगे  
प्रकारान्तरसे पृथक्-पृथक् उनके स्वरूपको दिखलाते हुए कहा गया है कि प्राणी 'मैं अमुक सावद्य  
कार्यको करता हूँ' इस प्रकारका जो विचार करता है, यह 'मनकृत' का लक्षण है । 'यह अमुक  
कार्य कर दे' इस प्रकारसे जो मनमें विचार किया जाता है, इसे 'मनकारित' समझना चाहिए ।  
इसी प्रकार जब दूसरा चेष्टासे उसके अभिप्रायको समझ कर इच्छित कार्यको कर देता है तब प्राणी  
जो यह सोचता है कि 'इसने मेरा कार्य ठीकसे कर दिया है' इसे 'मनसे अनुमत' जानना  
चाहिए ॥३३६-३३८॥

अब आगे श्रावककी निवासादि विषयक सामाचारीका निरूपण करते हुए प्रथमतः उसे  
कैसे स्थानमें निवास करना चाहिए, इसे स्पष्ट किया जाता है—

श्रावकको वहाँ—ऐसे नगर आदिमें—रहना चाहिए जहाँ साधुओंका आगमन होता हो,  
चैत्यगृह ( जिनभवन ) हो तथा अन्य साधर्मिक जन भी रहते हो ॥३३९॥

आगे साधुसमागमसे होनेवाले लाभको दिखलाते हैं—

साधुओंकी वन्दनासे पाप नष्ट होता है, परिणाम शकासे रहित होते हैं, उन्हें प्रासुक आहार  
आदिके देनेसे निर्जरा होती है, तथा आदिका उपग्रह होता है ।

विवेचन—जहाँ साधुओंका समागम होता है, ऐसे स्थानपर श्रावकके रहनेसे उसे क्या  
लाभ होता है, इसे स्पष्ट करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि साधुओंके आनेसे श्रावकको उनकी  
वन्दना आदिका अवसर प्राप्त होता है जिससे उसके पापका विनाश होता है । उनसे जिनागमके

चैत्यगृहे गुणानाह—

मिच्छादंसणमहणं सम्मदंसणविसुद्धिहेउं च ।

चिइवंदणाइ विहिणा पन्नत्तं वीयरारोहिं ॥३४१॥

मिथ्यादर्शनमथनम्—मिथ्यादर्शनं विपरीतपदार्यश्रद्धानरूप मथयते विलोड्यते येन तत्तथा । न केवलमपायनिवन्धनकदर्थनमेव, किन्तु कल्याणकारणोपकारि चेत्याह—सम्यग्दर्शन-विशुद्धिहेतु च सम्यगविपरीतं तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं दर्शनं सम्यग्दर्शनं मोक्षादिसोपानम्, तद्विशुद्धि-करणं च । किं ? तच्चैत्यवन्दनादि । आदिशब्दात् पूजादिविग्रहः । विधिना सूत्रोक्तेन । प्रज्ञप्तं प्ररूपितं वीतरागैरहंद्भिः, स्याने शुभाध्यवसायप्रवृत्तेरेतच्च चैत्यगृहे सति भवतीति गार्थार्थः ॥३४१॥

उक्ताश्चैत्यगृहगुणाः, सांप्रतं समानधार्मिकगुणानाह—

साहम्मियथिरकरणं वच्छल्ले सासणस्स सारो त्ति ।

मग्गसहायत्तणओ तथा अणासो य धम्माओ ॥३४२॥

समानधार्मिकस्थिरोकरणमिति—यदि कश्चित्कर्यंचिद्धर्मात् प्रचयवते ततस्तं स्थिरीकरोति, महंश्चायं गुणः । तथा वात्सल्ये क्रियमाणे शासनस्य सार इति सार आसेवितो भवति । उक्तं च “जिणसासणस्स सारो” इत्यादि । सति च तस्मिन् वात्सल्यमिति । तथा तेन तेनोपबृंह-

श्रवणसे तत्त्वविषयक शंका न रहनेके कारण नि.शंकित परिणति होती है । उन्हे प्रासुक भोजन एवं औषधि आदिके प्रदान करनेसे पूर्वसंचित कर्मको निर्जरा होती है । इसके अतिरिक्त साधु स्वयं ज्ञान दर्शनादि गुणोसे सयुक्त होते हैं, अतः उनके आश्रयसे श्रावकके ज्ञानादि गुणोमे वृद्धि होती है । इस प्रकार साधुसेवासे श्रावकको महान् लाभ होता है, अतः श्रावकको ऐसे ग्राम-नगरादिमे ही निवास करना चाहिए जहाँ साधुओका सदा समागम होता रहे ॥३४०॥

आगे वहाँ चैत्यगृहके रहनेसे होनेवाले लाभको दिखलाते हैं—

विधिपूर्वक जो जिनवन्दना व जिनपूजा आदि की जाती है उससे मिथ्यादर्शन—तत्त्व-विषयक विपरीत श्रद्धान—का निर्मथन ( विनाश ) होता है, साथ ही सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि—यथार्थ तत्त्व श्रद्धान व हिताहितका विवेक—भी उससे उदित होता है । इसीलिए वीतराग जिनेन्द्रने उक्त चैत्यवन्दना आदिको मिथ्यादर्शनके निर्मूलन और सम्यग्दर्शनकी निर्मूलताका कारण कहा है । यह चूँकि चैत्यगृहके रहनेपर ही सम्भव है, इसीलिए जहाँ चैत्यगृह ही वहाँ श्रावकके लिए रहनेकी प्रेरणा की गयी है ॥३४१॥

अब वहाँ साधमिक जनके रहनेसे होनेवाले लाभको प्रकट किया जाता है—

साधमिक जनके रहनेसे यदि कोई किसी प्रकार धर्मसे च्युत हो रहा है तो उसे उसमे स्थिर किया जाता है, यदि स्वयं उस धर्मसे च्युत हो रहा है तो अन्य साधमिक अपनेको उसमे स्थिर कर सकते हैं । इस प्रकार परस्परमे वात्सल्यभाव—धर्मनिरागके होनेपर—(जनागमके सार ( रहस्य ) का आसेवन होता है । तथा मोक्षमार्गमे सहायक होनेमे धर्मम विनाश नहीं

१. अ मिथ्यादर्शनमिति मिथ्यादर्शनं विं । २. अ किंचित् चैत्यवन्दनाद्यादिशब्दात् । ३. अ धम्मातो । ४. अ आसेवेति । ५. अ 'अ' नास्ति । ६. अ मुद्रितप्रतिटिप्पण्ये अ सार आसेवितो भवति उक्तविधना-सगत्ता सारो इत्यादि । ७. अ सारस्य सेवेतो भवता उत्तापनागण नासप सरो इत्यादि । ८. अ इत्यादि स च ।

णादिना प्रकारेण । सम्यग्दर्शनादिलक्षणमार्गसहायत्वादानाशश्च भवति । कुतो धर्मात्त एवेति गाथार्थः ॥३४२॥

उक्ताः समानधार्मिकगुणाः । सांप्रतं तत्र निवसतो विधिरुच्यते, तत्रापि च प्रायो भावसुप्ताः श्रावकाः ये प्राप्यापि जिनमतं गार्हस्थ्यमनुपालयन्त्यतो निद्रावबोधद्वारेणाह—

नवकारेण विवोहो अणुसरणं सावओ वयाइंमि ।

जोगो चिइवंदणमो पच्चक्खाणं च विहिपुव्वं ॥३४३॥

नमस्कारेण विवोघ इति सुप्तोत्थितेन नमस्कारः पठितव्यः । तथानुस्मरणं कर्तव्यं श्रावको-  
ऽहमिति । व्रतादौ विषये—ततो योगः कायिकादिः । चैत्यवन्दनमिति प्रयत्नेन चैत्यवन्दनं कर्तव्यम् ।  
ततो गुर्वादीनभिवन्द्य प्रत्याख्यानं च विधिपूर्वकं सम्यगाकारशुद्धं ग्राह्यमिति ॥३४३॥

गोसे सयमेव इमं काउं तो चेइयाण पूयाई ।

साहुसगासे कुज्जा पच्चक्खाणं अहागहियं ॥३४४॥

गोसे प्रत्युषसि । स्वयमेवेदं कृत्वा गृहादौ । ततश्चैत्यानां पूजादीनि संमार्जनीपलेप-पुष्प-  
धूपानि संपादनादि कुर्यात् । ततः साधुसकाशे कुर्यात् । किम् ? प्रत्याख्यानं यथागृहीतमिति ॥३४४॥

अत्र केचिद्वनधिगतसम्यगागमा ब्रूवत इति चोदकमुखेन तदभिप्रायमाह—

पूयाए कायवहो पडिक्कुट्ठो सो अ नेव पुज्जाणं ।

उवगारिणि त्ति तो सा नो कायव्व त्ति चोएइ ॥३४५॥

पूजाया भगवतोऽपि किल क्रियमाणायाम् । कायवधो भवति, पृथिव्याद्युपमदमन्तरेण  
तदनुपपत्तेः । प्रतिक्रुष्टः स च कायवधः, सव्वे जीवा न हंतव्वेत्यादि वचनात् । किं च न च  
पूज्यानामर्हतां तच्चैत्यानां वा उपकारिणी पूजा, अर्हतां कृतकृत्यत्वात् तच्चैत्यानामचेतनत्वात् ।  
इतिशब्दो यस्मादर्थे—यस्मादेवं ततस्तस्मादेव । पूजा न कर्तव्येति चोदक इति ॥३४५॥

होता—उसका परिपालन भी होता है । इस कारण जहाँ अन्य साधमिक जन रहते हो वहाँ  
श्रावकका रहना श्रेयस्कर होता है ॥३४२॥

उक्त स्थानमें रहते हुए श्रावकको प्रातःकालमें प्रबुद्ध होकर क्या करना चाहिए, इसे  
दिखलाते हैं—

सोतेसे उठकर श्रावकको नमस्कारके साथ प्रबुद्ध होना चाहिए—शय्याको छोड़ते हुए पंच-  
नमस्कार मन्त्रका उच्चारण करना चाहिए, 'मैं श्रावक हूँ' ऐसा स्मरण करना चाहिए, व्रत आदि-  
में योजित करना चाहिए—उसके विषयमें मन, वचन व कायसे प्रवृत्त होना चाहिए, चैत्यवन्दन  
करते हुए गुरु आदिके समक्ष विधिपूर्वक प्रत्याख्यानको ग्रहण करना चाहिए ॥३४३॥

तत्पश्चात् उसे क्या करना चाहिए, यह आगे दिखलाते हैं—

प्रातःकालमें उठते हुए स्वयं ही यह करके तत्पश्चात् चैत्योकी पूजा आदि करे । फिर जिस  
प्रकारसे प्रत्याख्यानको ग्रहण किया गया है उस प्रकारसे उसे साधुके समीपमें ग्रहण करे ॥३४४॥

आगे पूजाके प्रसंगमें आगमसे अनभिज्ञके द्वारा जो शंका की जाती है उसे प्रकट करते हैं—

पूजामे, कायवध—पृथिवीकायिक आदि जीवोका घात—होता है, उसका आगममें 'समस्त  
जीवोका घात नही करना चाहिए' इस प्रकारसे निषेध किया गया है । इसके अतिरिक्त जो

अत्राह—

आह गुरु पूयाए कायवहो होइ जइ वि हु जिणाणं<sup>२</sup> ।

तहं वि तई<sup>३</sup> कायव्वा<sup>४</sup> परिणामविशुद्धि हेउओ ॥३४६॥

आह गुरुरित्युक्तवानाचार्यः । पूजायां क्रियमाणायाम् । कायवध. पृथिव्याद्युपमर्दो यद्यपि भवत्येव । जिनाना रागादिजेतूणामित्यनेन तस्याः सम्यग्विषयमाह । तथाप्यसौ पूजा कर्तव्यैव । कुतः ? परिणामविशुद्धिहेतुत्वादिति ॥३४६॥

अरहन्त व उनकी प्रतिमा आदि पूज्य माने जाते हैं उनका उस पूजासे कोई उपकार होनेवाला नहीं है, इसीलिए उसे नहीं करना चाहिए । इस प्रकार इस प्रसंगमें शंका की जाती है ॥३४५॥

इस शंकाके समाधानमें कहा जाता है—

गुरु कहते हैं कि जिनोकी—अरहन्त व उनकी प्रतिमाओ आदिकी—पूजा करते समय यद्यपि पृथिवीकायिक आदि जीवोका वध होता है, तो भी परिणामोकी विशुद्धिकी कारण होनेसे उसे करना ही चाहिए ॥३४६॥

विवेचन—यहां पूजाके प्रसंगमें यह आशंका की गयी है कि जिन व जिनप्रतिमाओ आदिकी पूजामें पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक व वनस्पतिकायिक इन स्थावर जीवोके साथ कुछ द्वीन्द्रिय व श्रीन्द्रिय आदि क्षुद्र त्रस जीवोका भी विघात होता है । उधर परमागममें 'अहिंसा परमो धर्म.' आदिके रूपमें समस्त प्राणियोके संरक्षणका विधान किया गया है, ऐसी स्थितिमें उपर्युक्त चैत्यपूजा आदिका विधान युक्ति और आगमसे संगत नहीं दिखता । इसके अतिरिक्त यदि यह भी विचार किया जाय कि उससे जिन पूज्य अरहन्त आदिकी पूजा की जाती है उनका कुछ उपकार होता हो सो भी सम्भव नहीं है, क्योंकि राग-द्वेषके विजेता अरहन्त तो कृत-कृत्य हो चुके हैं, अतः उन्हें उस पूजासे कुछ प्रयोजन रहा नहीं है तथा पाषाणस्वरूप जिनप्रतिमायें अचेतन—जड़ होकर विवेकसे रहित हैं, इसलिए उन्हें भी उस पूजाके करने व न करनेसे कुछ हर्ष-विषाद होनेवाला नहीं है । इस कारण निरर्थक होनेसे श्रावकको उस पूजाका करना उचित नहीं है । इस प्रकार आगमके रहस्यसे अनभिज्ञ कुछ लोग कुशंका किया करते हैं । उनकी उक्त आशंकाके समाधानमें यहाँ यह कहा गया है कि यह सत्य है कि पूजाके करनेमें कुछ प्राणियोको कष्ट पहुँचता है, फिर भी उससे पूजाके परिणामोमें जो विशुद्धि होती है उससे उसके पुण्यबन्ध होनेके साथ पूर्वसंचित पापकर्मकी स्थिति व अनुभागका ह्रास भी होता है । इसलिए आरम्भकार्य-में रत रहनेवाले गृहस्थको वह पूजा करना ही चाहिए । इस प्रसंगमें स्वामी समन्तमद्रने जो यह कहा है वह विशेष ध्यान देने योग्य है—

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनाति चित्तं दुःखिताञ्जनेभ्यः ॥

पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्यराशी ।

दोषाय नालं कणिका विषस्य न दूषिका शीतशिवाम्बुराशी ॥

—स्वयम्भूस्तोत्र ५७-५८

१. अ चोदक इत्यत्र । २. अ ०वहो जइ वि होइ उ जिणाण । ३. अ 'तह' नास्ति । ४. अ ततो । ५. अ कायव्वा ।

न चाय हेतुरसिद्ध इति परिहरति—

भणिय च कूबनायं द्रव्यैत्यवगोयरं इहं सुत्ते ।

निययारंभवपवत्ता जं च गिही तेण कायव्वा ॥३४७॥

भणित च प्रतिपादितं च । कूपजात कूपोवाहरणम् । किं विषयमित्याह—द्रव्यस्तव-  
गोचरं द्रव्यस्तवविषयम् । इह सूत्रे जिनागमे । द्रव्यैत्ये कूयविद्धतो इति वचनात् । तृडप-  
नोदार्थं कूपखननेऽधिकतरपिपासाश्रमादिसंभवेऽप्युद्भवति तत एव प्राचिच्छिरा यदुदकाच्छेयकाल-  
मपि तृडाद्यपगम इति, एव द्रव्यस्तवप्रवृत्तो सत्यपि पृथिव्याद्युपमर्दे पूज्यत्वाद्भूगवत् उपाप-  
त्वात्पूजाकरणस्य श्रद्धावतः समुपजायते तथाविधः शुभः परिणामो यतोऽशेषकर्मक्षपणमपीति ।  
उपपत्त्यन्तरमाह—नियतारम्भप्रवृत्ता यच्च गृहिण इत्यनवरतमेव प्रायस्तेषु परलोकप्रतिकूले-  
ष्वारम्भेषु प्रवृत्तिदर्शनात् । तेन कर्तव्या पूजा, कायवधेऽपि उक्तवदुपकारसम्भवाद् तावन्तो  
वेलामधिकतराधिकरणाभावाविति ॥३४७॥

अर्थात् हे वासुपूज्य जिनेन्द्र ! जिस कारण आप राग-द्वेषसे रहित हो चुके हैं, इसलिए  
आपको अपनी पूजासे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा—उससे प्रसन्न होकर आप पूजकका कुछ भला  
नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त आपने चूँकि वैरभावका वमन कर दिया—उसे नष्ट कर दिया है,  
इसालये यदि आपको कोई निन्दा करता है तो उससे भी आपको कुछ प्रयोजन नहीं रहा, क्योंकि  
द्वेषवृद्धिसे रहित हो जानेके कारण आप रष्ट होकर निन्दकका कुछ अनिष्ट करनेवाले भा नहीं हैं ।  
इस वस्तुस्थितिके होते हुए भी पूजामे आपके पवित्र गुणोंके स्मरणसे पूजकके परिणामोमे जो  
निर्मलता होती है वह उसे पापकर्मोंकी कालिमासे बचाती है—उससे उसका उद्धार करती है ।  
यह सच है कि पूज्य जिनदेवकी पूजा करनेवाले जनके पूजा करते हुए कुछ थोडा सा पाप अवश्य  
होता है, पर वह उस पूजासे संचित उसके पुण्यकी महती राशिमे दोषजनक इस प्रकार नहीं है  
जिस प्रकार कि शीतल व कल्याणकर जलसे परिपूर्ण समुद्रकी जलराशिमें डाला गया विषका  
कण दोषजनक नहीं है—उसे दूषित ( विषेला ) नहीं करता ॥३४५-३४६॥

पूजाको जो परिणाम विशुद्धिका हेतु कहा गया है उसका भागे समर्थन किया जाता है—

यहां परमागममे द्रव्यस्तवके विषयमें कुँका उदाहरण कहा गया है । इसके अतिरिक्त  
गृहस्थ चूँकि निरन्तर आरम्भमें प्रवृत्त रहते हैं, इसलिए उन्हें पूजा करनी ही चाहिए ।

विवेचन—आगममे द्रव्यस्तवके विषयमे जो कुँका दृष्टान्त दिया गया है उसका अभिप्राय  
यह है कि जिस प्रकार प्यासको शान्त करनेके लिए जो कुआँ खोदा जाता है उसके खोदनेमें  
यद्यपि खोदनेवालोको बहुत परिश्रम करना पड़ता है तथा उससे उत्पन्न प्यास आदिको वेदना भी  
सहनी पड़ती है, फिर भी उसमें कोई ऐसा पानीका स्रोत निकलता है जिसके आश्रयसे पीछे  
शीतल जलको पीकर जनसमुदाय बहुत समय तक अपनी प्यासको शान्त करता है । इसी प्रकार  
द्रव्यस्तव स्वरूप जिनपूजा आदिके करते समय यद्यपि गृहस्थके द्वारा पृथिवीकायिक आदि कितने  
ही जीवोंको पीडा पहुँचती है, फिर भी उसके निमित्तसे श्रद्धालु गृहस्थके जो निर्मल परिणाम  
उत्पन्न होता है उससे वह समस्त कर्मोंका क्षय भी कर सकता है, फिर भला स्वर्ग आदिकी  
प्राप्तिकी तो बात ही क्या है ? वे तो अनायास ही प्राप्त हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त गृहस्थ प्रायः  
निरन्तर परलोकके प्रतिकूल आरम्भ कार्योंमे प्रवृत्त रहते हैं, क्योंकि हिंसाजनक व्यापारादि  
कार्योंके बिना उनका गृहस्थ जीवन बनता नहीं है । इस प्रकारसे जो उनके पापका बन्ध होता है  
उसके निराकरणके लिए उन्हें जिनपूजा आदि पुण्यवर्धक कार्योंका करना भी आवश्यक होता है ।

यदुक्तं न च पूज्यानामुपकारिणीत्येतत्परिजिहीर्षयाह—

उवगाराभावंमि वि पुञ्जाणं पूयगस्स उवगारो ।

मंताइसरण-जलणाइसेवणे जह तहेहं पि ॥३४८॥

उक्तन्यायादुपकारामावेऽपि पूज्यानामहंदादीनाम् । पूजकस्य पूजाकर्तुरूपकारः । दृष्टान्त-  
माह—मन्त्रादिस्मरण-ज्वलनादिसेवने यथेति । तथाहि—मन्त्रे स्मर्यमाणे न कश्चित्तस्योपकारोऽय  
च त्मर्तुर्भवत्येव ज्वलने सेव्यमाने न कश्चित्तस्योपकारोऽय च तत्सेवकस्य भवति, शीतापनोदादि-  
दर्शनात् । आदिशब्दाच्चिन्तामण्यादिपरिग्रहः । तथेहापीति यद्यप्यहंदादीनां नोपकारः तथापि  
पूजकस्य शुभाध्यवसायादिर्भवति, तथोपलब्धेरिति ॥३४८॥

किं च—

देहाइनिमित्तं पि हु जे कायवहंमि तह पयट्टति ।

जिणपूयाकायवहमि तेसिं पडिसेहणं मोहो ॥३४९॥

देहादिनिमित्तमप्यसारशरीरहेतोरपीत्यर्थः<sup>३</sup> । ये कायवधे पृथिव्याद्युपमर्दं । तथा प्रवर्तते,  
तथेति झटिति कृत्वा । जिनपूजाकायवधे तेषा प्रतिषेधन मोहो अज्ञानम्, न हि ततो भगवत्पूजा  
न शोभनेति ॥३४९॥

जितने समय वे उक्त पूजा आदि शुभ कार्योंमे सलग्न रहते हैं उतने समय वे अन्य आरम्भ कार्योंसे  
विरत रहते हैं । इस प्रकार पूजा करते हुए उनके परिणामोमे जो निर्मलता होती है उससे होने-  
वाला पुण्यका बन्ध उस जीववध जनित स्वल्प पापको अपेक्षा अधिक होता है । इसलिए पूज्योकी  
पूजा करना ही चाहिए ॥३४७॥

पूजासे पूज्योका कुछ उपकार भी नहीं होता जो शंकाकारने कहा था, उसका भी आगे  
समाधान किया जाता है ।

पूज्य अरहंत आदिकोका कुछ उपकार न होनेपर भी उस पूजासे पूजकका तो उपकार  
होता ही है । जिस प्रकार मन्त्र आदिके स्मरण और अग्नि आदिके सेवनेसे यद्यपि उस मन्त्र और  
अग्नि आदिका कुछ उपकार नहीं होता है फिर भी मन्त्रका स्मरण करनेवालेको विपादिकी  
वेदनाके निराकरण और अग्निके सेवनेसे सेवकको शीतताके अपहरण रूप फल प्राप्त होता ही है ।  
इसी प्रकार अरहत आदिकी पूजासे यद्यपि उनका कुछ उपकार नहीं होता है फिर भी उनके  
आश्रयसे पूजकको अपने परिणामोकी निर्मलता रूप फल प्राप्त होता ही है । इस प्रकार पूजाको  
सार्थकता ही अधिक है ॥३४८॥ इसके अतिरिक्त—

जो अपने शरीर आदिके निमित्त भी प्राणिवधमें उस प्रकारसे प्रवृत्त होते हैं उनका जिन  
पूजाके आश्रयसे होनेवाले स्वल्प प्राणिवधके कारण उस पूजाका प्रतिषेध करना मोह ही है—वह  
उनकी अज्ञानताका ही सूचक है । अभिप्राय यह है कि जो गृहस्थ अपने शरीरके निमित्त भी—  
उसके सस्कारके लिए—पृथिव्योकायिकादि जीवोको पीडा पहुँचाया करता है वह जिनपूजाके निमित्त  
से होनेवाले थोड़ेसे प्राणिवधसे उस पूजाका—जो इह लोक व परलोक दोनोंके लिए हितकर है—  
निषेध करे, इसे उसका अविवेक ही कहा जायेगा ॥३४९॥



निगमयन्नाह—

सुत्तभणिण्ण विहिणा गिहिणा निव्वाणमिच्छमाणेण ।

लोगुत्तमाण पूया णिच्चंचिय होइ कायव्वा ॥३५०॥

सूत्रभणितेनागमोक्षतेन विधिना यतनालक्षणेन । गृहिणा श्रावकेन । निर्वाणमिच्छता मोक्ष-  
मभिलषता । लोकोत्तमानामर्हदादीनाम् । पूजा अभ्यर्थनादिरूपा । नित्यमेव भवति कर्तव्या,  
ततश्च न युक्तः प्रतिषेध इति ॥३५०॥

अवसितमानुषङ्गिकम्, साप्रतं यदुक्तं साधुसकाशे कुर्यात्प्रत्याख्यानं यथागृहीतमित्यत्र  
तत्करणे गुणमाह—

गुरुसक्खिओ उ धम्मो संपुन्नविही कयाइ य विसेसो ।

तित्थयरारणं य आणा साहुसमीवमि वोसिरउ ॥३५१॥

गुरुसाक्षिक एव धर्म इत्यतः स्वयं गृहीतमपि तत्सकाशे ग्राह्यमिति, तथा संपूर्णविधि-  
रित्यमेव भवतीत्यभिप्राय । कदाचिच्च विशेषः प्रागप्रत्याख्यातमपि किञ्चित्साधुसकाशे सवेगे  
प्रत्याख्यातीति । तीर्थकराणां चाज्ञा सपादिता भवतीत्येते गुणाः साधुसमीपे व्युत्सृजत. प्रत्याख्यानं  
कुर्वत इति ॥३५१॥

सामाचारीशेषमाह—

सुणिऊण तओ धम्मं अहाविहारं च पुच्छिउमिसीणं ।

काऊण य करणिज्जं भावम्मि तहा ससत्तीए ॥३५२॥

श्रुत्वा ततो धर्मं क्षान्त्यादिलक्षणम्, साधुसकाशे इति गम्यते । यथाविहारं च तथाविध-  
चेष्टारूपम् । पृष्ट्वा ऋषीणां संबन्धिनम् । कृत्वा च करणीयं ऋषीणामेव संबन्धि । भाव  
इत्यस्तिताया करणीयस्य । स्वभावत्या स्वविभवाद्यौचित्येनेति ॥३५२॥

आगे इसका उपसंहार करते हुए उस पूजाकी अवश्यकरणीयताको प्रगट करते हैं—

जो गृहस्थ निर्वाणकी इच्छा करता है उसे आगमोक्त विधिके अनुसार निरन्तर लोकोत्तमों  
की—अरहत, सिद्ध एवं साधु आदि पूज्य महात्माओंकी पूजा करना ही चाहिए ॥३५०॥

अब पूर्वमें जो यह कहा था कि साधुके समीपमे प्रत्याख्यान करना चाहिए, उससे होनेवाले  
लाभको दिखलाते हैं—

धर्म गुरुकी साक्षीमे ही होता है, विधिकी परिपूर्णता तभी होती है, कदाचित् गुरुके समक्षमे  
प्रत्याख्यानके ग्रहणसे उसमे विशेषता भी सम्भव है—उससे धर्मानुराग विशेष ही सकता है, तथा  
साधुके समीपमें प्रत्याख्यानके तीर्थकरोकी आज्ञाका परिपालन भी होता है; इस प्रकार स्वयं ग्रहण  
करनेपर भी गुरुकी साक्षीमे उस प्रत्याख्यानके ग्रहण करनेमें अनेक लाभ हैं ॥३५१॥

आगे श्रावककी विशेष सामाचारीका निरूपण करते हुए साधुके समीपमे धर्मको सुनकर  
और क्या करना चाहिए, इसे स्पष्ट करते हैं—

तत्पश्चात् धर्मको सुनकर व प्रवृत्तिके अनुसार ऋषियोसे पूछकर उनके करणीय कार्यको  
अपनी शक्तिके अनुसार भावपूर्वक करना चाहिए ॥३५२॥

१. अ तित्यगरारण । २ अ 'प्रागप्रत्या' इत्यतोऽग्रेऽग्निम 'प्रत्या-' पर्यन्तपाठ स्वलितोऽस्ति । ३. अ सवधे  
भावमित्यस्थिताया करणीयसा ।

ततो अणिदियं खलु काऊण जहोचियं अणुट्ठाणं<sup>१</sup> ।

भुत्तूणं जहाविहिणा पच्चक्खणं<sup>३</sup> च काऊण ॥३५३॥

ततस्तदनन्तरमनिन्द्यं खलु इहलोक-परलोकानिन्द्यमेव । कृत्वा यथोचितमनुष्ठानं<sup>२</sup> यथा वाणिज्यादि । तथा भुक्त्वा यथाविधिना अतिथिसंविभागसंपादनादिना । प्रत्याख्यानं च कृत्वा तदनन्तरमेव पुनर्भोगेऽपि ग्रन्थिसहितादीनि ॥३५३॥

सैविज्ज तओ साहू करिज्ज पूयं च वीयरागाणं<sup>५</sup> ।

चिइवंदण सगिहागम पइरिक्कमि य तुयट्ठिज्जा<sup>६</sup> ॥३५४॥

सेवेत ततः साधून् पयुं पासनविधिना । कुर्यात् पूजां च वीतरागाणा स्वविभवौचित्येन । ततश्चैत्यवन्दनं कुर्यात्, ततः स्वगृहागमनं, तथैकान्ते तु त्वगवर्तनं कुर्यात्स्वपेदिति ॥३५४॥

कथमित्याह—

उत्सग्गवंभयारी परिमाणकडो उ नियमओ चेव ।

सरिऊण वीयरागे सुत्तविबुद्धो विचित्तिज्जा<sup>७</sup> ॥३५५॥

उत्सर्गतः प्रथमकल्पेन ब्रह्मचारी आसेवनं प्रति कृत्परिमाणस्तु नियमादेव, आसेवन-परिमाणाकरणे महामोहदोषात् । तथा स्मृत्वा वीतरागान् । सुप्तविबुद्धः सन् विचिन्तयेद्वक्ष्य-माणमिति ॥३५५॥

भूएसु जंगमत्तं तेसु वि पंचेन्द्रियत्तमुक्कोसं ।

तेसु वि अ माणुसत्तं मणुयत्ते आरिओ देसो ॥३५६॥

भूतेषु प्राणिषु । जंगमत्वं द्वीन्द्रियादित्वम् । तेष्वपि जगमेषु पञ्चेन्द्रियत्वमुत्कृष्टं प्रधानम्

पश्चात् वह क्या करे, इसे आगे स्पष्ट करते हैं—

तत्पश्चात् यथोचित अनिन्दित अनुष्ठान—आजीविकाके अनुरूप यथायोग्य निर्दोष व्यापारादि कार्यको—करके विधिपूर्वक, अर्थात् अतिथिसंविभाग आदिके साथ, भोजन करे और प्रत्याख्यान करे ॥३५३॥ पश्चात्—

तत्पश्चात् साधुओकी उपासना करे, वीतराग जिनोकी पूजा करे, पश्चात् चैत्यवन्दन करे व फिर घरपर आकर एकान्तमे त्वगवर्तन करे—सो जावे ॥३५४॥

सोते समय क्या करे, यह आगे प्रगट किया जाता है—

सामान्य रूपसे ब्रह्मचारी रहना चाहिए, यदि प्रमाण कर चुका है तो नियमसे उसका पालन करना चाहिए । फिर वीतराग जिनोका स्मरण करके सोतेसे जागनेपर इस प्रकार चिन्तन करना चाहिए ॥३५५॥

उसे उस समय किस प्रकार चिन्तन करना चाहिए, इसे स्पष्ट करते हुए आगेकी चार गाथाओ ( ३५६-३५९ ) द्वारा उत्तरोत्तर त्रस पर्याय आदिकी दुर्लभता प्रकट की जाती है—

प्राणियोमे जगमता—चलने-फिरनेमे समर्थ द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीवोकी अवस्था—उत्कृष्ट

१ अ अणुट्ठाणे । २ अ भोत्तूण । ३ अ तु । ४ अ यथोक्तमनुष्ठान । ५ अ वीयरागेण । ६ अ सगहाग-मपहरीक्कमि तु यदेज्जा । ७ अ सुत्तविबुद्धो विचित्तज्जा । ८ अ प्रकृतिकृत । ९ अ 'जगमेषु' नास्ति ।

तेष्वपि च पञ्चेन्द्रियेषु मानुषत्वम्, उत्कृष्टमिति वर्तते । मनुजत्वे आर्यो देश उत्कृष्ट इति,  
देशे कुलं पहाणं कुले पहाणे य जाइ उक्कोसो<sup>१</sup> ।

तीइवि रूवसमिद्धी<sup>२</sup> रूवे य वलं पहाणयरं ॥३५७॥

देशे आर्ये कुल प्रधानं उपावि । कुले प्रधाने च जातिरुत्कृष्टा मातृसमुत्था । तस्यामपि जातो  
रूपसमृद्धिरुत्कृष्टा, सकलाङ्गनिष्पत्तिरित्यर्थः । रूपे च सति वलं प्रधानतर सामर्थ्यमिति ॥३५७॥

होइ चले वि य जीयं जीए वि पहाणयं तु विन्नाणं ।

विन्नाणे सम्मत्तं सम्मत्ते सीलसंपत्ती ॥३५८॥

भवति वलेऽपि च जीवितं प्रधानतरमिति योगः । जीवितेऽपि च प्रधानतरं विज्ञानम्,  
विज्ञाने सम्यक्त्वम्, क्रिया पूर्ववत् सम्यक्त्वे शीलसंप्राप्तिः प्रधानतरेति ॥३५८॥

सीले खाइयभावो खाइयभावे य केवल नाणं ।

केवलिए पडिपुन्ने पत्ते परमक्खरे मुक्खो<sup>३</sup> ॥३५९॥

शीले क्षायिकभावः, प्रधानः क्षायिकभावे च केवलज्ञानम्, प्रतिपक्षयोजना सर्वत्र कार्येति ।  
कैवल्ये प्रतिपूर्णे प्राप्ते परमाक्षरे मोक्ष इति ॥३५९॥

हे, उन त्रस जीवोमे भी पचेन्द्रिय अवस्था उत्कृष्ट है, पंचेन्द्रियोमे भी मनुष्यकी पर्याय उत्कृष्ट है,  
मनुष्य पर्यायमें भी आर्यदेश उत्कृष्ट है ॥३५६॥

आर्य देशमे भी कुल प्रधान है—उत्तम उग्र व इक्ष्वाकु आदि वंश उत्कृष्ट हैं, प्रधान कुलमे  
भी जाति—माताका वंश—उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट जातिमे रूप समृद्धि—समस्त अवयवोंकी परिपूर्णता—  
उत्कृष्ट है, रूपमे बल—शारीरिक सामर्थ्य उससे उत्कृष्ट है ॥३५७॥

बलमें भी जीवित—आयुको दीर्घता—उत्कृष्ट है, जीवितमे भी विशिष्ट ज्ञान ( विवेक )  
प्रधान है, विशिष्ट ज्ञानमे सम्यक्त्व—यथार्थ तत्त्वश्रद्धान—प्रधान है, सम्यक्त्वके होनेपर शीलकी  
प्राप्ति उत्कृष्ट है ॥३५८॥

शीलकी प्राप्तिके होनेपर क्षायिक भाव प्रधान है, क्षायिक भावमें केवलज्ञान प्रधान है,  
परिपूर्ण व परमाक्षर—अतिशय अविनश्वर—केवल ज्ञानके होनेपर मोक्ष प्रधान है ॥३५९॥

विवेचन—यहाँ श्रावकके लिए यह प्रेरणा की गयी है कि वह सोतेसे उठकर यह विचार  
करे कि जीव अनादि कालसे निगोद पर्यायमे रहता है जहाँसे निकलना अतिशय दुर्लभ है । यदि  
किसी प्रकार वहाँसे निकलता तो वह पृथिवीकायिकादि अन्य स्थावर जीवोंमें परिभ्रमण करते  
हुए बड़ी कठिनाईसे त्रस पर्याय प्राप्त कर पाता है । इस त्रस पर्यायमें परिभ्रमण करते हुए उसे  
पचेन्द्रिय पर्यायकी प्राप्त दुर्लभ रहती है । यदि जिस किसी प्रकारसे पंचेन्द्रिय अवस्था भी प्राप्त  
हो गयी तो उसमें मनुष्य पर्याय, उसमे आर्यदेश, आर्यदेशमें उत्तम कुल, उसमें उत्तम जाति,  
अवयवोंकी परिपूर्णता, शरीरकी स्वस्थता, दीर्घ जीवन, विशिष्ट ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सदाचार,  
क्षायिक भाव तथा क्षायिक भावोंमें केवलज्ञान ये उत्तरोत्तर अतिशय दुर्लभ रहते हैं । इस प्रकारका  
निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे धर्ममे अनुराग और संसारसे वैराग्य होता है जिसके आश्रयसे  
वह उस दुर्लभ केवलज्ञानकी प्राप्त करके शीघ्र मुक्त हो सकता है ॥३५६-३५९॥

१ म 'च' नास्ति । २ अ आर्योपदेश । ३ अ पहाणो य जाइमुक्कोसो । ४ अ ताए रूवसमिद्धी ।  
५ अ 'तु' नास्ति । ६ अ पडिबन्ने । ७ अ मोक्खो ।

न य संसारम्मि सुहं जाइ-जरा-मरणदुखखगहियस्स ।

जीवस्स अत्थि जम्हा तम्हा मुखो उवादेओ<sup>१</sup> ॥३६०॥

न च संसारे सुखं जातिजरामरणदुःखगृहीतस्य ।

जीवस्यास्ति यस्मादेव<sup>२</sup> तस्मान्मोक्ष उपादेयः ॥३६०॥ किंविशिष्ट इत्याह—

जच्चाइदोसरद्विओ अच्चावाहसुहसंगओ इत्थ ।

तस्साइणसामग्गी पत्ता य मए बहू इन्हि<sup>३</sup> ॥३६१॥

जात्याद्विदोषरहितोऽव्यावाधसुखसंगतोऽत्र संसारे<sup>४</sup> ।

तत्साधनसामग्री प्राप्ता च मया बह्वीदानीम् ॥३६१॥

ता इत्थे जं न पत्तं तयत्थमेवुज्जमं करेमि त्ति ।

विबुधजणनिंदिएणं किं संसाराणुबंधेणं ॥३६२॥

तदत्र सामग्र्या<sup>५</sup> यत्न प्राप्तं तदर्थमेवोद्यमं करोमीति ।

विबुधजननिन्दितेन किं संसारानुबन्धेन ॥

इति निगदसिद्धो गाथात्रयाथः ॥३६२॥ इत्थं चिन्तनफलमाह—

वेरग्गं<sup>६</sup> कम्मक्खय विसुद्धनाणं च चरणपरिणामो ।

थिरया आउ य वोही इयं चिंताए गुणा हुंति ॥३६३॥

अब वह मोक्ष क्यो उपादेय है, इसका हेतु दिखलाते हैं—

जन्म, जरा और मरणके दुःखको सहते हुए प्राणीको चूँकि संसारमे सुख नही उपलब्ध होता, इसीलिए मोक्ष उपादेय है—प्राप्त करनेके योग्य है ॥३६०॥

आगे सासारिक क्षणिक सुखकी अपेक्षा मोक्षसुखकी उत्कृष्टता प्रकट की जाती है—

मोक्षको प्राप्त होकर जीव वहाँ जन्म, जरा और मरणके दोषसे रहित होता हुआ निर्बाध, सुखसे युक्त हो जाता है। वह ( मुमुक्षु ) विचार करता है कि मैंने इस समय उस मोक्ष सुखकी साधनभूत सब सामग्री—उपर्युक्त मनुष्य पर्याय, आर्यदेश, उत्तम कुल और शारीरिक बल आदि—को प्राप्त, कर लिया है ॥३६१॥

इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए वह विचार करता है—

इसलिए जिसे मैंने अब तक प्राप्त नहीं किया है उसके लिए—अप्राप्त केवलज्ञानादिकी प्राप्तिके लिए—मैं उद्यम ( प्रयत्न ) करता हूँ। विद्वानोके द्वारा निन्दित संसारके अनुबन्धसे—उसकी परम्परासे—मुझे क्या लाभ होनेवाला है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वह तो दुःखप्रद ही रही है ॥३६२॥

इस चिन्तनसे श्रावकको क्या लाभ होनेवाला है, इसे आगे प्रकट किया जाता है—

१ अ मुखो उवाएउ । २ अ यस्मात्तस्मान्मोक्ष । ३ अ एण्हि । ४ अ 'ससारे' इति कोष्ठकान्तर्गतोऽस्ति । ५ अ एत्थ । ६ अ सामग्र्यं च 'सामग्र्या' इति कोष्ठकान्तर्गतोऽस्ति । ७ अ वेरग्ग । ८ अ वोही य इय ।

इत्थं चिन्तयतो वैराग्यं भवत्यनुभवसिद्धमेवैतत् । तथा कर्मक्षयः तत्त्वचिन्तनेन, प्रति-  
पक्षत्वात् । विशुद्धज्ञानं च, निबन्धनहानेः । चरणपरिणामः, प्रशस्ताध्यवसायत्वात् । स्थिरता धर्मं,  
प्रतिपक्षासारदर्शनात् । आयुरिति कदाचित्परभवायुष्कवन्धस्ततस्तच्छुभत्वात्सर्वं कल्याणम् ।  
बोधिरित्थं तत्त्वभावनाभ्यासादेवं चिन्तायां क्रियमाणाया गुणा भवन्त्येवं चिन्तया वेति ॥३६३॥

गोसम्मि पुण्वभणिओ नवकारेणं विवोहमाईओ ।

इत्थ विही गमणम्मि य समासओ संपवक्खामि ॥३६४॥

गोसे प्रत्युषसि<sup>१</sup> पूर्वभणितो नमस्कारेण विवोधादिः ।

अत्र विधिः ( इति ) गमने च समासतः संप्रवक्ष्यामि ॥

विधिमिति ॥३६४॥

अहिगरणखामणं खलु चेइय-साहूण वंदणं चेव ।

संदेसम्मि विभासा जइ-गिहि-गुण-दोसविक्खाए ॥३६५॥

अधिकरणक्षामणं खलु माभूत्तत्र मरणादौ वैरानुबन्ध इति । तथा चैत्य-साधूनामेव च  
वन्दनं नियमतः कुर्यात्, गुणदर्शनात् । सदेशे विभाषा यति-गृहिगुण-दोषापेक्षयेति । यतेः सदेशको  
नोपयते, न सावद्यो गृहस्थस्य इति ॥३६५॥

चैत्य-साधूना वन्दनं चेति यदुक्तं तद्विस्फारयति—

साहूण सावगाण य सामायारी विहारकालंमि ।

जत्थत्थि चेइयाइं वंदावंती<sup>३</sup> तहिं संघं ॥३६६॥

वैराग्य, कर्मोका क्षय, निर्मल ज्ञान, चारित्रकी ओर परिणति, धर्ममें स्थिरता, आयु—  
परमविक शुभ आयुका बन्ध और रत्नत्रय बोधिकी प्राप्ति ये उसके गुण हैं—उस चिन्तनसे  
होनेवाला यह एक बड़ा भारी लाभ है ॥३६३॥

आगे पूर्वप्ररूपित प्रातःकालीन विधिकी ओर संकेत करते हुए सक्षेपमें गमनविषयक  
विधिके निरूपणकी प्रतिज्ञा करते हैं—

प्रातःकालमे पंचनमस्कारमन्त्रके उच्चारणके साथ उठते हुए जो क्रिया की जानी चाहिए  
उसका निरूपण किया जा चुका है । अब यहाँ संक्षेपसे अन्यत्र जानेसे सम्बन्धित विधिका कथन  
करता हूँ ॥३६४॥

अब अन्यत्र जाते समय प्रारम्भमें क्या करे, इसका निर्देश किया जाता है—

अन्यत्र जाते समय मरणके समय वैरकी परम्परा न चले, इस उद्देश्यसे जिनके साथ वैर-  
विरोध रहा है उनसे क्षमा करे-करावे तथा चैत्य व साधुओकी वन्दना भी करना चाहिए । यति  
और गृहस्थके गुण-दोषकी अपेक्षा सन्देशके विषयमें विकल्प है—यतिका सन्देश निर्दोष होनेसे ले  
जानेके योग्य है, किन्तु गृहस्थका वह सदोष होनेसे ले जानेके योग्य नहीं है ॥३६५॥

आगे चैत्य व साधुओकी वन्दनाके विषयमे जो पूर्वमे निर्देश किया गया है उसका स्पष्टी-  
करण अगली चार ( ३६६-३६९ ) गाथाओ द्वारा किया जाता है—

१. अ म गोसे (प्रत्युषसि) । २. अ विधि धरिति । ३. अ वदावित ।

साधूनां श्रावकाणां चोक्तशब्दार्थानाम् । सामाचारो व्यवस्था । कदा ? विहरणकाले विहरणसमये । किंविशिष्टेत्याह यत्र स्थाने सन्ति चैत्यानि वन्दयन्ति तत्र संघं चतुर्विधमपि प्रणिधानं कृत्वा स्वयमेव वन्दत इति ॥३६६॥

पठमं तओ य पच्छा वंदंति सयं सिया ण वेल त्ति ।

पठमं चिय पणिहाणं करंति संघंमि उवउत्ता ॥३६७॥

प्रथममिति पूर्वमेव सङ्घं वन्दयन्ति<sup>२</sup> । ततः पश्चात्सङ्घवन्दनोत्तरकालम् । वन्दन्ते<sup>३</sup> स्वयमात्मना आत्मनिमित्तमिति । स्यान्न वेलेति स्तेनादिभय-सार्थगमनादौ तत्रापि प्रथममेव वन्दने प्रणिधानं कुर्वन्ति संघविषयमुपयुक्ताः संघं प्रत्येतद्वन्दनं संघोऽयं वन्दत इति ॥३६७॥

पच्छा कयपणिहाणा विहरंता साहूमाइ दट्टूण ।

जंपंति अमुगठाणे देघे वंदाविया तुब्भे ॥३६८॥

पश्चात्तदुत्तरकालम् । कृतप्रणिधानाः सन्तस्तवर्थस्य संपादितत्वाद्बिहरन्तः सन्तः साध्वादीन् दृष्ट्वा साधुं साध्वीं श्रावकं श्राविकां वा । जल्पन्ति व्यक्तं च भणन्ति । किम् ? अमुकस्थाने मथुरादौ । देवान् वन्दितार्थं यूयमिति ॥३६८॥

ते वि य कयंजलिउडा सद्धा-संवेगपुलइयसरीरा ।

अवणामिउत्तमंगा तं बहु मन्नंति सुहझाणा ॥३६९॥

तेऽपि च साध्वादयः । कृताञ्जलिपुटा रचितकरपुटाञ्जलयः । श्रद्धा-संवेगपुलकितशरीराः श्रद्धाप्रधानसवेगतो रोमाञ्चितवपुषोऽवनामितोत्तमाङ्गाः सन्तस्तद्वन्दनं बहु मन्यन्ते शुभध्यानाः प्रशस्ताध्यवसाया इति ॥३६९॥

उभयोः फलमाह—

१

विहारके समयमे साधुओ' और श्रावकोकी सामाचारो—विधिव्यवस्था—यह है कि जहाँ चैत्य हो वहाँ संघको वन्दना कराते हैं ॥३६६॥ किस क्रमसे वन्दना करे-करावे—

प्रथमतः संघको वन्दना कराते है और तत्पश्चात् स्वयं वन्दना करते हैं । यदि समय न हो—चोर आदिका भय हो अथवा सार्थ ( संघ ) जा रहा हो—तो उपयोग युक्त होकर संघके विषयमे प्रथम ही प्रणिधान करते हैं—यह संघ वन्दना कर रहा है, ऐसा अन्तःकरणमे विचार करते हैं ॥३६७॥

पश्चात् प्रणिधान करके—उधर ध्यान देते हुए साधु आदि—साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका—को देखकर यह कहे कि अमुक ( मथुरा ) स्थानमे तुम्हे देवोकी वन्दना करायी गयी है ॥३६८॥ तब—

वे भी हाथोको जोड़कर श्रद्धा और सवेगसे रोमाचित शरीरसे संयुक्त होते हुए मस्तकको नमाते हैं और प्रशस्त ध्यानसे युक्त होकर उस वन्दनाको बहुत मानते हैं ॥३६९॥

आगे वन्दनाके निवेदक और तदनुसार उसमे उपयोग लगानेवाले दोनोको उससे जो फल प्राप्त होता है उसका निर्देश किया जाता है—

तेसिं पणिहाणाओ इयरेसिं पि य सुभाउ ज्ञाणाओ ।

पुन्नं जिणेहिं भणियं नो सकमउ त्ति ते मेरा ॥३७०॥

तेषामाद्यानां वन्दननिवेदकानाम् । प्रणिधानात्तथाविधकुशलचित्तात् । इतरेषामपि च वन्द्यमानानाम् । शुभध्यानात्तच्छ्रवणप्रवृत्त्या । पुण्यं जिनैर्भणितं अर्हद्भिरुक्तम् । न च सक्रमत इति न निवेदकपुण्यं निवेद्यसंक्रमेण यत्तश्चैवमतो मर्यादियमवश्यं कार्येति ॥३७०॥

विपर्यये दोषमाह—

जे पुणऽकयपणिहाणा वदित्ता नेव वा निवेयंति ।

परुचक्खमुसावाई पावा हुं जिणेहिं ते भणिया ॥३७१॥

ये पुनरनाभोगादितो अकृतप्रणिधानाः । वन्दित्वा, नेव वा वन्दित्वा निवेदयन्ति अमुकस्थाने देवान् वन्दिता यूयमिति । प्रत्यक्षमृषावादिनोऽकृतनिवेदनात् । पापा एव जिनैस्ते भणिता मृषावादित्वादेवेति ॥३७१॥

जे वि य कयंजलिउडा सद्धा-संवेगपुलइयसरीरा ।

बहु मन्थंति न सम्मं वंदणगं ते वि पाव त्ति ॥३७२॥

येऽपि च साध्वादयो निवेदिते सति कृताञ्जलिपुटाः श्रद्धासंवेगपुलकितशरीरा इति पूर्ववन्न बहु मन्थन्ते त सम्यक् वन्दनक कुर्वन्ति । तेऽपि पापाः, गुणवति स्थानेऽज्ञाकरणादिति ॥३७२॥

वचिद्वेलाभावेऽपि विधिमाह—

जइ वि न वंदणवेला तेणाइभएण चेइए तहवि ।

दट्ठणं पणिहाणं नवकारेणावि संघंमि ॥३७३॥

वन्दनाके उन निवेदकोको तो वन्दना विषयक चित्तकी एकाग्रतासे तथा दूसरोको—उनके निवेदनसे उक्त वन्दनामे उपयोग लगानेवालोको—उस वन्दनाविषयक उत्तम ध्यानसे पुण्यका लाभ होता है, ऐसा जिनैन्द्रके द्वारा कहा गया है । परन्तु एकका पुण्य दूसरेमे संक्रान्त नहीं होता है—निवेदकका पुण्य निवेद्यकोको नहीं प्राप्त हो सकता है, इसलिए उक्त मर्यादाका पालन अवश्य करना चाहिए ॥३७०॥

आगे इसके विपरीत आचरण करनेपर होनेवाले दोषको दिखलाते हैं—

परन्तु जो चित्तकी एकाग्रताके विना वन्दना करके अथवा नहीं भी करके 'अमुक स्थानमें तुम्हें देवकी वन्दना करायी गयी है' ऐसा निवेदन करते हैं उन्हें जिन भगवान्ने प्रत्यक्षमें असत्य-भाषी और पापी कहा है ॥३७१॥

आगे निवेद्यमान भी यदि वन्दनाका बहुमान नहीं करते हैं तो वे भी पापी है, यह निर्देश किया जाता है—

उपर्युक्त निवेदन करनेपर जो साधु-साध्वी आदि हाथ जोड़कर श्रद्धा और संवेगसे रोमांचित शरीरसे युक्त होते हुए उस वन्दनाके प्रति भलीभांति आदर व्यक्त नहीं करते हैं वे भी पापी होते हैं ॥३७२॥

समय न रहनेपर क्या करना चाहिए, इसे आगे व्यक्त किया जाता है—

१. अ खु । २. अ गुणवस्थानेवज्ञाकरणा (अतोऽग्नेऽग्निमगाथागत 'नवकारेणा' पर्यन्त' पाठ स्वलितोऽस्ति) ।

यद्यपि ध्वञ्चिच्छून्यादौ न वन्दनवेला स्तेन-श्वापदादिभयेषु चैत्यानि तथापि दृष्ट्वा अव-  
लोकननिबन्धनमपि प्रणिधानं नमस्कारेणापि संघ इति 'संघविषयं कार्यमिति ॥३७३॥

तंमि य कए समाणे वंदावणगं निवेइयव्वं ति ।

तयभावंमि पमादा दोसो भणिओ जिणिदेहि ॥३७४॥

तस्मिन्नपि एवभूते प्रणिधाने कृते सति । वन्दनं निवेदयितव्यमेव, वस्तुतः संपादितत्वात् ।  
तदभावे तथाविधप्रणिधानाकरणे । प्रमादाद्धेतोर्दोषो भणितो जिनेन्द्रविभागायातशक्यकुशला-  
प्रवृत्तेरिति ॥३७४॥

उपसंहरन्नाह—

एयं सामायारिं नारुण विहीइ जे पउंजंति ।

ते हुंति इत्थ कुसला सेसा सव्वे अकुसला उ ॥३७५॥

एतामनन्तरोदिताम् । सामाचारीं व्यवस्थाम् । ज्ञात्वा विधिना ये प्रयुंजते, यथावच्छे  
कुर्वन्तीत्यर्थः । ते भवन्त्यत्र विहरणविधौ कुशलाः, शेषा अकुशला एवानिपुणा एव । न चेषमयुक्ता,  
संदिष्टवन्दनकथन-तीर्थस्नपनादिदर्शनादिति ॥३७५॥

श्रावकस्यैव विधिशेषमाह—

अन्ने अभिग्रहा खलु निरईयारेण हुंति कायव्वा ।

पडिमादओ वि य तथा विसेसकरणिज्जजोगाओ ॥३७६॥

अन्ये चाभिग्रहा. खलु अनेकरूपा लोचकृत-घृतप्रदानादयः । 'निरतिचारेण सम्यक् भवन्ति  
कर्तव्या आसेवनीया इति । प्रतिमादयोऽपि च तथा षोषकरणीययोगा इति—प्रतिमा दर्शनादिरूपा,  
यथोक्तम्—दसणवयेत्यादि । आदिशब्दादनित्यादिभावनापरिग्रह इति ॥३७६॥

यदि कही चोर आदिके भयसे वन्दनाके लिए समय नहीं है तो भी चैत्योको देखकर  
नमस्कारके साथ संघके विषयमें प्रणिधान करना चाहिए—उस ओर नमस्कार करते हुए चित्तको  
एकाग्र करना चाहिए ॥३७३॥

इस वन्दनाका निवेदन भी करना चाहिए, अन्यथा दोषका भागी होता है, यह आगे निर्दिष्ट  
किया जाता है—

उक्त प्रकार नमस्कार पूर्वक प्रणिधानके कर चुकनेपर वन्दना विषयक निवेदन करना  
चाहिए, क्योंकि ऐसा न करनेपर जिनेन्द्रके द्वारा प्रमाद जन्य दोष निर्दिष्ट किया गया है ॥३७४॥

अब इस प्रसंगका उपसंहार किया जाता है—

इस सामाचारीको जानकर जो विधिपूर्वक उसका प्रयोग करते हैं वे उक्त विहारकी विधि-  
में कुशल ( निपुण ) होते हैं, इसके विपरीत शेष सबको अकुशल समझना चाहिए ॥३७५॥

आगे श्रावकका अन्य करणीय कार्यको ओर भी ध्यान दिलाया जाता है—

अन्य भी जो लोच व घृतप्रदान आदि अभिग्रह हैं उन्हें भी निरतिचार करना चाहिए ।  
तथा विशेष करणीय कार्यसे सम्बद्ध होनेके कारण दर्शन व व्रत आदि ग्यारह प्रतिमाओ आदिका  
भी निर्दोष रीतिसे पालन करना चाहिए ॥३७६॥

१. अ 'संघ इति' नास्ति । २. अ तमि वि कए समाणा । ३. अ णवेदयव्वं । ४. अ पमाया । ५. अ  
जिणदेहि । ६. अ नवेदयितव्यमेव । ७. अ शब्दादिनित्यत्वादिभावना ।



एवं च विहरिऊणं दिक्खाभावंमि चरणमोहाओ ।

पत्तमि चरमकाले करिज्ज कालं अहाकमसो ॥३७७॥

एवं यथोक्तविधिना । विहृत्य नियतानियतेषु क्षेत्रेषु कालं नीत्वा । दीक्षाभाव इति प्रव्रज्याभावे सति । चरणमोहादिति चारित्रमोहनीयात्कर्मणः । प्राप्ते चरमकाले क्षीणप्राये आयुषि सतीत्यर्थः । कुर्यात्कालं यथाक्रमशो यथाक्रमेण परिकर्मादिनेति ॥३७७॥

भणिया अपच्छिमा मारणांतिया वीयरागदोसेहिं ।

संलेहणाद्धोसणमो आराहणयं पवक्खामि ॥३७८॥

भणिता चोक्ता च । कैर्वीत-रागद्वेषैरर्हद्भिरिति योगः । का ? अपच्छिमा मारणान्तिकी संलेखनाजोषणाराधनेति । पश्चिमैवानिष्टाशयपरिहारायापश्चिमा । मरणं प्राणपरित्यागलक्षणम् । इह यद्यपि प्रतिक्षणमावीचीमरणमस्ति, तथापि न तद्गृह्यते । किं तर्हि ? सर्वायुष्कक्षयलक्षणमिति । मरणमेवान्तो मरणान्तः, तत्र भवा मारणान्तिकी बद्ध्वच इति ठञ् । संलक्ष्यते-ऽनया शरीर-कषायादीति संलेखना तपोविशेषलक्षणा, तस्या जोषणं सेवनम् । मो इति निपातस्तत्कालश्लाघ्यत्वप्रदर्शनार्थः । तस्या आराधना अखण्डना, कालस्य करणमित्यर्थः । तां प्रवक्ष्यामीति । एत्थ सामायारी—आसेवियगिहिघम्मणेण किल सावगेण पच्छा णिवकमियव्वं । एवं सावगधम्मो उज्जमिओ होइ । ण सक्कइ ताहे भत्तपच्चक्खाणकाले संथारगसमणेण होयव्वति, ण सक्कइ ताहे अणसण कायव्वति विभासा ॥३७८॥

अत्राह—

आगे संलेखनाको ओर ध्यान दिलाया जाता है—

इस प्रकारसे विहार करके—नियत व अनियत क्षेत्रोंको यात्रा करके—चारित्र मोहका उदय रहनेसे दीक्षाके अभावमे अन्त समय ( मरण ) के प्राप्त होनेपर यथाक्रमसे—आगे कही जाने-वालो विधिके अनुसार कालको करना चाहिए—मरणको प्राप्त होना चाहिए ॥३७७॥

अब उस संलेखनाके कथनकी प्रतिज्ञा की जाती है—

राग-द्वेषसे विनिर्मुक्त अरहन्त भगवान्के द्वारा मरण समयमे होनेवाली जिस अन्तिम संलेखनाका निर्देश किया गया है उसके सेवन व आराधनाकी विधि कही जाती है ।

विवेचन—उक्त प्रकारसे बारह व्रतों एवं प्रतिमाओ आदिका पालन करके श्रावकको अन्तमे मुनिदीक्षाको स्वीकार करना चाहिए । परन्तु यदि चारित्र मोहनीयका उदय रहनेसे वह दीक्षाको ग्रहण नहीं कर सकता है तो फिर मरण समयके उपस्थित होनेपर उसे संस्तारक श्रमण हो जाना चाहिए । पर यदि यह शक्य नहीं है तो संलेखनाका अनुष्ठान करते हुए उत्तरोत्तर क्रमसे चार प्रकारके आहारका परित्याग करना चाहिए । संलेखना एक प्रकारका वह तप है जिसके आश्रयसे शरीर, कषाय और आहार आदिको उत्तरोत्तर कृश किया जाता है । उक्त शरीर व कषाय आदिके संलेखन—यथाविधि कृशीकरण—का नाम ही संलेखा है । इसका निरूपण ग्रन्थकार आगे कर रहे हैं ॥३७८॥

श्रावक क्या करता है—

१ अ<sup>०</sup>कमसं । २. अ संलेहणसोसणमो । ३ अ पश्चमैवानिष्टशब्दपरि<sup>०</sup> । ४. अ बहुइइ पद । ५ अ श्लाघ्यत्वदर्शनास्तस्याराधन खडना ।

काळण विगिद्धुतवं जहासमाहीइ वियडणं दाउं ।

उज्जालियं अणुव्वय ति-चउद्धाहारवोसिरणं ॥३७९॥

कृत्वा विकृष्टतपः षष्ठाष्टमादि यथासमाधिना शुभपरिणामपातविरहेण । तथा विकट-  
नामालोचनां दत्त्वा उज्ज्वालय पुनःप्रतिपत्त्या निर्मलतराणि कृत्वा । अणुव्रतानि प्रसिद्धानि ।  
अणुव्रतग्रहणं गुणव्रताद्युपलक्षणमिति । त्रिविध-चतुर्विधाहारव्युत्सर्जनमिति कदाचित्त्रिविधाहार-  
परित्यागं करोति, कदाचिच्चतुर्विधाहारमिति ॥३७९॥

अत्र प्रागुक्तमेव लेशतः सम्पगनवगच्छन्नाह—

चरमावस्थाए तहा सव्वारंभकिरियानिविचीए ।

पव्वज्जा चेव तओ न पव्वज्जइ<sup>३</sup> केण कज्जेण ॥३८०॥

चरमावस्थायां मरणावस्थायामित्यर्थः । तथा तेन प्रकारेणाहारपरित्यागादिनापि सर्वांरम्भ-  
क्रियानिवृत्तेः कारणात् । प्रवज्यामेवासौ श्रावको न प्रतिपद्यते । केन कार्येण केन हेतुना ॥३८०॥

इत्यत्रोच्यते—

चरणपरिणामविरहा नारंभादप्पवित्तिमित्तो सो ।

तज्जुत्तवसग्गसहाण जं न भणिओ तिरिक्खाणं ॥३८१॥

चरणपरिणामविरहादित्युक्तमेव,<sup>४</sup> स एव तथानिवृत्तस्य किं न भवतीत्याशङ्क्याह—  
नारम्भाद्यप्रवृत्तिमात्रोऽसौ चरणपरिणाम इति । कुतः ? तद्युक्तोपसर्गसहानां<sup>५</sup> यन्न भणितस्तिरश्चा-  
मिति । तथाहि—आरम्भाद्यप्रवृत्तियुक्तानामपि पिपीलिकाद्युपसर्गसहानां चण्डकौशिकादीनां न  
चारित्रपरिणामः । अतोऽयमन्य एवात्यन्तप्रशस्तोऽचिन्त्यचिन्तामणिकल्प इति ॥३८१॥

वह दो-तीन आदि उपवास रूप विकृष्ट तपको करता है, समाधिके अनुसार—चित्तकी  
एकाग्रतापूर्वक—विकरण ( आलोचना ) देकर अणुव्रतको उज्ज्वल करता है व तीन अथवा चारो  
प्रकारके आहारका परित्याग करता है । अणुव्रतके ग्रहणसे यहाँ गुणव्रतो व शिक्षापदोका भी ग्रहण  
कर लिया गया समझना चाहिए ॥३७९॥

उक्त परिस्थितिमें शंकाकार कहता है—

इसके अतिरिक्त वह मरणके समयमे समस्त आरम्भकार्यका परित्याग भी करता है । तब  
ऐसी स्थितिमे वह दीक्षाको ही किस कारणसे स्वीकार नहीं करता है ? शंकाकारका अभिप्राय  
यह है कि श्रावक जब इतना सब कुछ मुनिके समान ही करता है तब दीक्षा ग्रहण केरके मुनिधर्म-  
को ही स्वीकार कर लेना चाहिए ॥३८०॥

आगे इस शंकाका समाधान किया जाता है—

उक्त शंकाके उत्तरमें यहाँ यह कहा जा रहा है कि चारित्रका परिणाम न होनेसे श्रावक  
उपर्युक्त कठोर अनुष्ठानको करता हुआ भी दीक्षाको स्वीकार नहीं करता है । कारण इसका  
यह है कि आरम्भ आदिमे प्रवृत्त न होने मात्रको वह चारित्र परिणाम नहीं कहा जा सकता ।  
यही कारण है जो आरम्भ आदिमे न प्रवृत्त रहकर उपसर्गके सहनेवाले तिर्यंचोके वह चारित्र  
परिणाम नहीं कहा गया । अभिप्राय यह है कि यदि आरम्भ आदिसे निवृत्त होना ही चारित्र

१ म<sup>०</sup> वत्याइ । २ अ णिविचीउ । ३ अ पव्वज्ज । ४. <sup>०</sup>दिति उक्तमेव । ५. अ इति कृतस्वद्युपसर्ग<sup>०</sup> ।

पुनरपि केषांचिन्मतमाशक्यते—

केई भणंति एसा संलेहणा मो दुवालसविहंमि ।

भणिया गिहत्थधम्ममे न जओ तो संजए तीए ॥३८२॥

केचनागीतार्था भणन्ति—एषा अनन्तरोदिता सलेखना । द्वादशविधे पंचाणुव्रतादिख्ये भणिता गृहस्थधर्मे श्रावकधर्म इत्यर्थः, न यतस्ततस्तस्मात्कारणात्संयतः प्रव्रजित एव तस्या-  
मिति ॥३८२॥

अत्रोच्यते न भणितेत्यसिद्धम्—

भणिया तयणंतरमो जीवंतस्सेस चारसविहो उ ।

एसा य चरमकाले इत्तरिया चेव ता ण पुढो ॥३८३॥

भणिता तदनन्तरमेव द्वादशविधश्रावकधर्मानन्तरमेव तन्मध्य एवाभणने कारणमाह—  
जीवत एष द्वादशविधः प्रदीर्घकालपरिपालनीयः । एषा संलेखना । चरमकाले क्षीणप्राये आयुषि  
सति क्रियते । इत्तरा चैयमल्पकालावस्थायिनी । यस्मादेवं तस्मान्न पृथगियं श्रावकधर्मा-  
दिति ॥३८३॥

उपपत्त्यन्तरमाह—

जं चाइयारसुत्तं समणोवासगपुरस्सरं भणियं ।

तम्हा न इमीइ जई परिणामा चेव अवि य गिही ॥३८४॥

यच्च यस्माच्च । अतिचारसूत्रमस्याः । श्रमणोपासकपुरःसरं भणितमागमे । तच्चेदम्—  
इमीए समणोवासएणं इमे पंचइयारा जाणियच्चा, न समायरियच्चा । तं जहा । इहलोगासंसप्प-

होता तो वह चीटियो आदिके उपद्रवको सहनेवाले चण्डकौशिक सर्प आदि तिर्यंचोके भी हो  
सकता था । परन्तु आगममे उनके वह चारित्रपरिणाम नहीं कहा गया । इससे यह निश्चित  
है कि चारित्रमोहनोयका अनुदय होनेपर जब कोई उक्त आरम्भ आदिसे निवृत्त होता है तभी  
उसके वह चारित्रपरिणाम होता है ॥३८१॥

अब यहां आशकाके रूपमें किन्ही दूसरोंके अभिप्रायको प्रकट करते हैं—

आगमके रहस्यको न समझनेवाले कितने ही वादी यह कहते हैं कि इस सलेखनाको चूँकि  
बारह प्रकारके गृहस्थधर्ममे नहीं कहा गया है, इसीलिए उसमें संयतको अधिकृत समझना चाहिए,  
अर्थात् उसका आराधक संयत होता है, न कि गृहस्थ ॥३८२॥

आगे उस शंकाका समाधान किया जाता है—

वह सलेखना उस बारह प्रकारके गृहस्थधर्मके अनन्तर ही कही गयी है । उसके मध्यमें न  
कहनेका कारण यह है कि वह बारह प्रकारका गृहस्थधर्म जीवित रहते हुए गृहस्थके होता है व  
उसका परिपालन दीर्घकाल तक किया जाता है जबकि यह सलेखना अन्तिम समयमें—आयुके  
कुछ ही शेष रहनेपर—होती है वह आराधन उसका कुछ थोड़े समय किया जाता है, इसीलिए  
वह उस गृहस्थधर्मसे पृथक् नहीं—उसीके अन्तर्गत है, न कि मुनिधर्मके अन्तर्गत ॥३८३॥

आगे उसके लिए दूसरी भी युक्ति दी जाती है—

इसके अतिरिक्त चूँकि उस सलेखनाके अतिचारों विषयक सूत्र ( 'इमीए समणोवासएणं

ओगेत्यादि—तस्मान्नास्यां संलेखनायां यतिरसौ श्रावक, अपि च गूहीति संबन्धः । किं तु श्रावक एवेत्यर्थः । कुत इत्याह—परिणामादेव तस्यामपि देशविरतिपरिणामभवादनशनप्रतिपत्तावपोषन्ममत्वापरित्यागोपलब्धेः सर्वविरतिपरिणामस्य दुरापत्वात्सति तु तस्मिन् स्यात् यतिरिति । सूत्रान्तरतश्च, यत उक्तं सूत्रकृतांगे<sup>१</sup> इत्यादीति ॥३८४॥

इयमपि चातिचाररहिता सम्यक्पालनीयेति तानाह—

इह-परलोकाशंसप्रयोग तद् जीय-मरण-भोगेषु ।

वज्जिज्जा भाविज्ज य असुहं संसारपरिणामं ॥३८५॥

इह लोको मनुष्यलोकः तस्मिन्नाशंसाभिलाषः तस्याः प्रयोग इति समासः, श्रेष्ठो स्याम-मात्यो वेति । १। एवं परलोकाशंसाप्रयोगः । परलोको देवलोकः<sup>३</sup> । २। एवं जीविताशंसाप्रयोगः—जीवितं प्राणधारणं तत्राभिलाषप्रयोगः “यदि बहुकालं जीवेयम्” इति । इयं च वस्त्र-माल्य-पुस्तक-वाचनादिपूजादर्शनाद्वहूपरिवारदर्शनाच्च लोकश्लाघाश्रवणाच्चैवं मन्यते “जीवितमेव श्रेयः प्रत्याख्याताशनस्यापि, यत एवंविधा मद्गृहेऽनेयं विभूतिर्वर्तते” । ३। मरणाशंसाप्रयोगः—न कश्चित्तं प्रतिपन्नानशनं गवेषते, न सपर्यायामाद्रियते, न कश्चिच्छ्लाघते, ततस्तस्यैवंविधचित्तपरिणामो भवति यदि शीघ्रं म्रियेऽहम् अपुण्यकर्मति मरणाशंसा । ४। कामभोगाशंसाप्रयोगः—जन्मान्तरे

इमे पंच अइयारा' इत्यादि ) उस श्रावकका निर्देश करते हुए उसके ही आश्रयसे कहा गया है, इसलिए उसमें प्रवृत्त गृहस्थ परिणामसे यति नहीं होता, किन्तु गृहस्थ ही रहता है ।

विवेचन—दूसरी युक्ति यहाँ यह दी गयी है कि आ- में संलेखनाके अतिचारो विषयक सूत्रका निर्देश करते हुए उसमें यह स्पष्ट कहा गया है । के उपासक श्रावकको इहलोकाशंसाप्रयोग आदि संलेखनाके पांच अतिचारोको जानना चाहिए व उनका आचरण नहीं करना चाहिए—उनका परित्याग करना चाहिए । इससे सिद्ध है कि संलेखनाका आराधक श्रावक श्रावक ही रहता है, मुनि नहीं होता । इसका कारण यह है कि संलेखनामें अधिष्ठित श्रावकके परिणाम अनशनादिको स्वीकार करनेपर भी देशविरतिरूप ही रहते हैं, न कि सर्वविरतिरूप, क्योंकि वह कुछ अंशमें ममत्व परिणामको नहीं छोड़ पाता है ॥३८४॥

अब उसके अतिचारोका निर्देश करते हुए उनके छोड़ देनेकी प्रेरणा की जाती है—

इहलोकाशंसाप्रयोग, परलोकाशंसाप्रयोग, जीविताशंसाप्रयोग, मरणाशंसाप्रयोग और भोगाशंसा प्रयोग ये पांच संलेखनाके अतिचार हैं । उनका परित्याग करके अशुभ संसारपरिणाम—जन्म-मरणादिस्वरूप संसारके स्वभाव—का चिन्तन करना चाहिए ।

विवेचन—(१) इहलोकसे यहाँ मनुष्यलोक विवक्षित है, उसमें 'मैं सेठ हो जाऊँ या अमात्य हो जाऊँ' इस प्रकारकी अभिलाषामें प्रवृत्त होना, इसका नाम इहलोकाशंसाप्रयोग है । (२) इसी प्रकारसे परलोकके विषयमें 'मैं अगले जन्ममें देव हो जाऊँ' इस प्रकारकी अभिलाषा रखना, इसका नाम परलोकाशंसा प्रयोग है । (३) संलेखनामें अधिष्ठित होनेपर वस्त्र, माला और पुस्तक-वाचन आदि रूप पूजाको देखकर, बहुतसे परिवारको देखकर तथा लोगोंके द्वारा की जानेवाली प्रशंसाको सुनकर यह सोचना कि भोजनका परित्याग कर देनेपर भी बहुत समय तक जीवित रहना श्रेयस्कर है, क्योंकि मेरे उद्देशसे यह विभूति वर्तमान है, इस प्रकारके विचारको जीविताशंसा कहा जाता है । (४) अनशनके स्वीकार करनेपर भी जब कोई उसको नहीं खोजता है, न

१. अ सूत्रांगे । २. अ यज्जेज्जा भावेज्ज य अगुभं परिणाम । ३. अ लोको । ४. अ लोका एव ।

चक्रवर्ती स्याम्, वासुदेवो महामण्डलिकः सुभगो रूपवानित्यादि । एतद्वर्जयेद्भावयेच्चाशुभं जन्म-  
परिणामादिरूपं ससारपरिणाममिति ॥५॥३८५॥ तथा—

जिणभासियधम्मगुणे अन्वावाहं च तत्फलं परमं ।

एव उ भावणाओ जायइ पिच्चा वि बोहि त्ति ॥३८६॥

जिनभाषितधर्मगुणानिति क्षान्त्यादिगुणान् भावयेद्व्यावाहं च मोक्षसुखं च तत्फलं क्षान्त्या-  
दिकार्यं परमं प्रधान भावयेत् एवमेव भावनातः चेतोभ्यासातिशयेन जायते प्रेत्यापि जन्मान्तरेऽपि  
बोधधर्मप्राप्तिरिति ॥३८६॥

कुसुमेहि वासियाणं तिलाण तिल्लं पि जायइ सुयंधं ।

एतोवमा हु बोही पन्नत्ता वीयरगेहिं ॥३८७॥

कुसुमैर्मालतीकुसुमादिभिर्वासितानां भावितानां तिलानां तैलमपि जायते सुगन्धि तद्गन्ध-  
वदित्यर्थः । एतदुपमैव बोधिरिति—अनेनोक्तप्रकारेणोपमा यस्याः सा तथा प्रज्ञप्ता वीतरागैरर्हद्भि-  
रिति ॥३८७॥

कुसुमसमा अब्भासा जिणधम्मस्सेह हुंति नायन्वा ।

तिलतुल्ला पुण जीवा तिल्लसमो पिच्चं तब्भावो ॥३८८॥

कुसुमसमाः कुसुमतुल्या अभ्यासा जिनधर्मस्य क्षान्त्यादेरिह जन्मनि भवन्ति ज्ञातव्याः  
तिलतुल्याः पुनर्जीवा, भाव्यमानत्वात् । तैलसमः प्रेत्य तद्भावो जन्मान्तरे बोधिभाव इति ॥३८८॥

पूजाके द्वारा आदर व्यक्त करता है, और न प्रशंसा करता है; तब मनमें जो यह विचार उत्पन्न  
होता है कि 'मैं अभागा यदि शीघ्र मर जाऊँ तो अच्छा है' इसका नाम मरणाशंसा है । (५)  
पर भवमें मैं चक्रवर्ती, वासुदेव, महामण्डलिक और सुन्दर होऊँ, इत्यादि प्रकारका जो विचार  
किया जाता है, इसे भोगाशंसा प्रयोग कहते हैं । ये संलेखनाको मलिन करनेवाले उसके ये पाँच  
अतिचार हैं, उनका सदा परित्याग करना चाहिए ॥३८५॥

आगे जिनोपदिष्ट धर्मके गुणोंके चिन्तनसे क्या लाभ होता है, इसे दिखलाते हैं—

जिन भगवान्के द्वारा प्ररूपित धर्मके गुणों और उसके फलस्वरूप बाधारहित उत्कृष्ट मोक्ष-  
सुखका चिन्तन करना चाहिए, इस प्रकारकी भावनासे अगले भवमें बोधि—रत्नत्रय स्वरूप धर्म-  
का लाभ होता है ॥३८६॥

आगे इसके लिए तिलतेलकी उपमा दी जाती है—

सुगन्धित मालती आदिके फूलोंसे सुवासित तिलोका तेल भी सुगन्धित होता है, वीतराग  
भगवान्के उक्त बोधिको इस उपमासे युक्त कहा गया है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार  
सुगन्धित फूलोंसे सुसंस्कृत तिलके दानोका तेल भी सुगन्धित हुआ करता है उसी प्रकार रत्नत्रय  
स्वरूप धर्मके चिन्तनसे—इस भवमें आत्माको उससे सुसंस्कृत करनेसे—पर भवमें भी उस रत्नत्रय  
स्वरूप धर्म या बोधिका लाभ होता है ॥३८७॥

आगे इस उपमाको उपमेयसे योजित किया जाता है—

उपर्युक्त उपमामें इस जन्ममें किये गये जिनधर्मके अभ्यासको फूलोंके समान, जीवोंको-  
तिलोंके समान और परलोकमें उस बोधिके लाभको तेलके समान जानना चाहिए ॥३८८॥

बोधिफलमाह—

इय अप्परिवडियगुणाणुभावओ बंधहासभावाओ ।

पुव्विल्लस्स य खयओ सासयसुक्खो धुव्वो मुक्खो ॥३८९॥

एवमुक्तेन प्रकारेण । अप्रतिपतितगुणानुभावतः सततसमवस्थितगुणसामर्थ्येन । बन्धहासात् प्रायो बन्धाभावादित्यर्थः । प्राक्तनस्य च बन्धस्य क्षयात्तेनैव सामर्थ्येन । एवमुभयथा बन्धाभावे शाश्वतसौख्यो ध्रुवो मोक्षोऽवश्यंभावीति ॥३८९॥

एतदेव सूत्रान्तरेण भावयन्नाह—

सम्मत्तामि य लद्धे पलियपहुत्तेण सावओ हुज्जा ।

चरणोवसम-खयाणं सागरसंखंतरा हुंति ॥३९०॥

सम्यक्त्वे च लब्धे तत्त्वतः पल्योपमपृथक्त्वेन श्रावको भवति । एतदुक्तं भवति—यावति कर्मण्यपगते सम्यक्त्वं लभ्यते तावतो भूयः पल्योपमपृथक्त्वेऽपगते देशविरतो भवति । पृथक्त्वं द्विःप्रभृतिरानवम्य इति । षिलष्टेतरविशेषाच्च द्व्यादिभेद इति । चरणोपशम-क्षयाणामिति चारित्र्योपशमश्रेणि-क्षपकश्रेणीनाम् । सागराणीति सागरोपमाणि । संख्येयान्यन्तरं भवन्ति । एतदुक्तं भवति—यावति कर्मणि क्षीणे देशविरतिरवाप्यते तावतः पुनरपि संख्येयेषु सागरोपमेवपगतेषु चारित्र्यं सर्वविरतिरूपमवाप्यते । एवं श्रेणिद्वये भावनीयमिति ॥३९०॥

एवं अप्परिवडिए संमत्ते देव-सणुयजंमैसु ।

अन्नयरसेट्ठिवज्जं एगभवेणं च सव्वाइं ॥३९१॥

आगे बोधिके फलको दिखलाते हैं—

इस प्रकार अप्रतिपतित—निरन्तर अवस्थित रहनेवाले—गुणोके प्रभावसे, बन्धके उत्तरोत्तर ह्रास ( हानि ) से तथा पूर्वबद्ध कर्मके क्षयसे—सवर और निर्जरासे—अविनश्वर सुखसे युक्त मोक्ष होता है ॥३८९॥

इस अभिप्रायको आगे अन्य गाथा सूत्रके द्वारा पुष्ट किया जाता है—

सम्यक्त्वके प्राप्त हो जानेपर पल्योपमपृथक्त्वसे श्रावक हो जाता है, तत्पश्चात् चारित्र्यके उपशम व क्षयके सख्यात सागर होते हैं—संख्यात सागरोपमोमे चारित्र्यका उपशम अथवा क्षय होता है ।

विवेचन—इसका अभिप्राय यह है कि जब जीवके ससार परिभ्रमणका काल उपाधंपुद्गल परावर्त मात्र शेष रह जाता है तब वह सम्यक्त्व ग्रहणके योग्य होता है, इससे अधिक समयके शेष रहनेपर जीव उस सम्यक्त्वके ग्रहण योग्य नहीं होता है । उसके योग्य हो जानेपर जीव जब कर्मोंकी स्थितिकी उत्तरोत्तर हीन करते हुए उसे अन्तःकोड़ा-कोडी प्रमाण करके उसे भी पल्योपमके असख्यातर्वे भागसे हीन कर देता है तब वह सघन राग-द्वेषस्वरूप ग्रन्थिकी भेदकर उस सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । इस सम्यक्त्वके प्राप्त हो जानेपर वह उक्त कर्मस्थितिके पल्योपम-पृथक्त्वसे—दो पल्योपमोसे लेकर नौ पल्योपमोसे—हीन हो जानेपर श्रावक होता है । पश्चात् उक्त कर्मस्थितिके सख्यात सागरोपमोसे हीन हो जानेपर उपशमश्रेणिपर आरूढ होकर औपशमिक चारित्र्यको प्राप्त करता है । फिर संख्यात सागरोपमोसे हीन उक्त कर्मस्थितिके हो जानेपर वह क्षपक श्रेणिपर आरूढ होकर क्षायिक चारित्र्यको प्राप्त करता है ॥३९०॥

सम्यक्त्वके अवस्थित रहनेपर क्या-क्या प्राप्त हो सकता है, इसे आगे अभिव्यक्त करते हैं—

एवमप्रतिपत्तिते सम्यक्त्वे सति देव-मनुजजन्मसु चारित्रादेर्लाभः, उक्तपरिणामविशेषतः पुनस्तथाविधकर्मविरहादन्यतरक्षेत्रेणिवर्जमेकभवेनैव सर्वाण्यवाप्नोति सम्यक्त्वादीनीति ॥३९१॥

यदुक्तं शाश्वतसौख्यो मोक्ष इति तत्प्रतिपादयन्नाह—

रागार्इणमभावा जम्माईणं असभवाओ य ।

अव्यावाहाओ खलु सासयसुक्खं तु सिद्धाण ॥३९२॥

रागादीनामभावाज्जन्मादीनामसभवाच्च । तथा अव्यावाधातः खलु शाश्वतसौख्यमेव सिद्धाना इति गाथाक्षरार्थः ॥३९२॥

भावार्थमाह—

रागो दोसो मोहो दोसाभिस्संगमाइलिंग ति ।

अइसंकिलेसरूवा हेऊ वि य सकिलेसस्स ॥३९३॥

रागो द्वेषो मोहो दोषा अभिष्वङ्गाविलिङ्गा इति । अभिष्वङ्गलक्षणो रागः, अप्रीतिलक्षणो द्वेषः, अज्ञानलक्षणो मोह इति । अतिसक्लेशरूपास्तथानुभवोपलब्धेः । हेतवोऽपि च संक्लेशस्य,<sup>३</sup> विलिष्टकर्मबन्धनिबन्धनत्वादिति ॥३९३॥

एएहभिभूआणं ससारीणं कुओ सुहं किंचि ।

जम्मजरामरणजलं भवजलहिं परियडताणं ॥३९४॥

एभो रागादिभिरभिभूतानामस्वतन्त्रीकृताना संसारिणा सत्त्वानाम् । कुतः सुख किंचित् ? न किंचिदित्यर्थः । किंविशिष्टानाम् ? जन्म जरा-मरणजलं भवजलं च संसारारणं पर्यटतां भ्रमता-मिति ॥३९४॥

इस प्रकार देव व मनुष्य जन्मोमे सम्यक्त्वके तदवस्थ रहनेपर जीव किसी एक श्रेणिको छोडकर एक भवमे ही सबको—सम्यक्त्व, श्रुत, देशविरति और सर्वविरतिको पा लेता है ॥३९१॥

जिस शाश्वत सुखका पूर्वमें निर्देश किया गया है वह किनके किस प्रकारसे होता है, इसका आगे निर्देश किया जाता है—

रागादिकोका सर्वथा अभाव हो जानेसे, जन्म-मरणादिकी सम्भावना न रहनेसे तथा सब प्रकारकी विघ्न-बाधाओके हट जानेसे सिद्ध—कर्मोंसे विनिर्मुक्त—जीवोके निश्चयसे वह शाश्वत सुख होता है ॥३९२॥

इसीको आगे स्पष्ट किया जाता है—

राग, द्वेष और मोह ये अभिष्वग (आसक्ति) के हेतु हैं—राग आसक्तिस्वरूप, द्वेष वैरभाव-रूप और मोह अज्ञानस्वरूप है । ये स्वयं अतिशय सक्लेशरूप होते हुए उस सक्लेशके—अति-शय विलिष्ट कर्मबन्धके—कारण भी हैं ॥३९३॥

इनसे अभिभूत (आक्रान्त) होकर जन्म, जरा व मरणरूप जलसे परिपूर्ण संसाररूप समुद्रमे पडते हुए—वहाँ परिभ्रमण करनेवाले ससारी जीवोके वह सुख कहीं किंचित् भी हो सकता है ? नहीं हो सकता । इसके विपरीत वे वहाँ सदा दुखी ही रहते हैं ॥३९४॥

१. अ तदुक्त सास्वत । २. अ 'अतिसक्लेशरूपास्तथानुभवोपलब्धे हेतवोऽपि च' इत्येतावान् पाठः स्वलितोऽस्ति । ३. अ असक्लेशस्य । ४. अ एएभिभूयाण ।

एतदभावे सुखमाह—

रागाद्विरहो जं सुखं जीवस्स तं जिणो मुणइ ।

न हि सन्निवायगहिओ जाणइ तदभावजं सातं ॥३९५॥

रागाद्विरहतो रागद्वेषमोहाभावेन । यत्सौख्यं जीवस्य सकलेश्वरजितम् । तज्जिनो मुणति अर्हन्नेव सम्यग्विजानाति, नान्यः । किमिति चेन्न हि यस्मात्सन्निपातगृहीतः सत्येव तस्मिन् । जानाति तदभावजं सन्निपाताभावोत्पजम् । सातं सौख्यमिति । अतो रागाद्विरहात्सिद्धाना सौख्यमिति स्थितं जन्मादीनामभावाच्चेति यथोक्तं तथावस्थाप्यते ॥३९५॥

तत्रापि जन्माद्यभावमेवाह—

दड्ढंमि जहा बीए न होइ पुण अंकुरस्स उप्पत्ती ।

तह चेव कम्मवीए भवंकुरस्सावि पडिकुट्ठा ॥३९६॥

दग्धे यथा बीजे शाल्यादौ । न भवति पुनरङ्कुरस्योत्पत्तिः शाल्यादिरूपस्य । तथैव कर्मबीजे दग्धे सति । भवांकुरस्याप्युत्पत्तिः प्रतिकुष्टा, निमित्ताभावादिति ॥३९६॥

जंमाभावे न जरा न य मरणं न य भयं न संसारो ।

एएसिमभावाओ कहां न सुखं परं तेसिं ॥३९७॥

जन्माभावे न जरा वयोहानिलक्षणा, आश्रयाभावात् । न च मरणं प्राणत्यागरूपम् तदभावादेव । न च भयमिहलोकादिभेदम्, निबन्धनाभावात् । न च संसारः, कारणाभावादेव । एतेषां जन्मादीनामभावात्कथं न सौख्यं परं तेषां सिद्धानाम् ? किन्तु<sup>३</sup> सौख्यमेव, जन्मादीनामेव सुखरूपत्वादिति ॥३९७॥

अव्याबाधमिति यदुक्तं तदाह—

अव्वावाहाउ च्चिय सयल्लिदियविसयभोगपज्जंते ।

उस्सुक्कविणिवत्तीइ संसारसुहं व सद्धेयं ॥३९८॥

उक्त राग, द्वेष एवं मोहके हट जानेसे जो जीवको सुख प्राप्त होता है जिन—राग-द्वेषके विजेता अरहन्त—ही जानते हैं । ठीक ही है, सन्निपात रोगसे ग्रस्त जीव उसके बने रहनेपर उसके दूर हो जानेसे प्राप्त होनेवाले सुखको नहीं जान पाता है—उसका अनुभव तो उस रोगके दूर हो जानेपर ही उसे हो सकता है ॥३९५॥

जिस प्रकार बीजके जल जानेपर अंकुरको उत्पत्ति फिर नहीं हो सकती है उसी प्रकार कर्मरूप बीजके जल जानेपर—उसके आत्मासे पृथक् होकर निर्जीर्ण हो जानेपर—संसाररूप अंकुरकी उत्पत्ति भी निषिद्ध है—कर्मरूप निमित्तके न रहनेपर संसार-परिभ्रमण भी सम्भव नहीं रहता ॥३९६॥

जन्मका अभाव हो जानेपर न जरा ( बुढ़ापा ) सम्भव है, न मरण सम्भव है, न भय सम्भव है, और न संसार सम्भव है । इन जन्म, जरा, भय और संसारका अभाव हो जानेपर उन सिद्धोके वह उत्कृष्ट—निर्वाध व अविनश्वर—सुख कैसे न होगा ? अवश्य होगा ॥३९७॥



इय एवमुक्तेन प्रकारेणानुभवयुक्तिहेतुसंगतमिति—अत्रानुभवः संवेदनम्, युक्तिरूपपत्ति-  
हेतुरन्वय-व्यतिरेकलक्षणः, एभिर्घटमानकम् । हंतीत्युपप्रदर्शने । एवं गृहाण नानिष्ठितार्थानां सिद्धा-  
नामस्ति सुखं विद्यते सात्म् । श्रद्धेयं प्रतिपत्तव्यम् । तथा जिनचन्द्रागमाच्चाहं द्वचनाद्वेति ॥४००॥

अधुना आचार्योऽनुद्धतत्वमात्मनो दर्शयन्नाह, अथवा प्रकरणविहितार्थं विशिष्टश्रमण-  
पर्यायप्राप्यं सत्क्रियया सर्वेषामासन्नीकृत्यात्मनोऽपराधस्थानमाशंक्याह—

ज उद्धियं सुयाओ पुव्वाचरियकयमहव समईए ।

खमियव्व सुयहरेहि तहेव सुयदेवयाए य ॥४०१॥

यदुद्धृतं सूत्रात्सूत्रकृतादेः कालान्तरप्राप्यं पूर्वाचार्यकृतं वा यदुद्धृतं अथवा स्वमत्या  
तत्क्षन्तव्यं श्रुतधरेस्तथैव श्रुतदेवतया च क्षन्तव्यमिति वतन्ते ॥४०१॥

इति दिवप्रदा नाम श्रावकप्रज्ञप्तिटीका समाप्ता ।

इस प्रकार कृतकृत्य हुए उन सिद्धोका सुख अनुभव, युक्ति और अन्वय-व्यतिरेकरूप हेतुसे  
सगत है—घटित होता है तथा जिन-चन्द्रागम—सर्वज्ञ जिनप्रणीत परमागम—से जाना जाता  
है, ऐसी श्रद्धा करना चाहिए ॥४००॥

अब अन्तमें ग्रन्थकार अपनी निरभिमानताको प्रकट करते हुए, अथवा श्रमणपर्यायसे प्राप्य  
इस प्रकरणमें ग्रथित अर्थको सत्क्रिया द्वारा सबके निकट करके अपने अपराधस्थानकी आशकासे  
यह कहते हैं—

इस श्रावक प्रज्ञप्ति ग्रन्थमें जो श्रुतसे उद्धृत किया गया है, अथवा पूर्वाचार्यकृत है, अथवा  
अपनी बुद्धिसे जो कहा गया है उसके विषयमें श्रुतके धारक—परमागमके ज्ञाता—तथा श्रुत-  
देवता भी क्षमा करे ॥४०१॥

१. प प्रति के अनुसार इसके आगे इस प्रति में 'कृति सितपटाचार्य जिनमद्र [ट्ट] पादसेवकस्याचार्यहरि-  
भद्रस्येति' यह वाक्य भी उपलब्ध होता है ।

# परिशिष्ट

## १. गाथानुक्रमणिका

गाथा	गाथांक	गाथा	गाथांक	गाथा	गाथांक
[ अ ]				[ इ ]	
अकयागमकयनासा	२१९	अक्वाबाहाउच्चिय	३९८	इक्कस्स इक्कमे खलु	३११
अच्चतदारुणाई	१०२	अह उ अणन्नो देह	१७९	इत्तरियपरिग्गहिया	२७३
अज्झीणे पुव्वत्रए	१९३	अह उ तद्दामावमि हु	१६१	इत्तुच्चिय अफलत्ता	१४९
अट्टण्ह सत्तण्हं	३०९	अह उमयक्खयहेक	१४५	इत्तो य इमा जुत्ता	३५४
अट्टेण त न वधइ	२९०	अह त अहेउग चिय	१४८	इत्थ उ समणोवासग	३२८
अण अप्पच्चक्खाणा	१७	अह त सयचिय तमो	१५२	इत्थ य परिणामो खलु	५४
अणिवित्ती वि हु एव	१७३	अह परपीडाकरणे	२४५	इत्थ वि समोहया मूढ	१५७
अणुक्कमिओ नासइ	२०५	अह परिणामामावे	२३०	इत्थीपुरिसनपुसग	१८
अतसवहनिवित्तीए	१२६	अह सगय वहण चिय	१४४	इत्थीपुरिसनपुसग	७७
अत्थिच्चिय अमिसधी	२५१	अहिरणखामण खलु	३६५	इय अणुभवलोगागम	१७४
अनिरिक्खियापमज्जिय	३१५	[ आ ]		इय अणुहवजुत्तीहेउ	४००
अन्नकयफलुवभोगे	१८७	आइज्जमणाइज्ज	२४	इय अविसेसा तसपाण	१२१
अन्नाणकारण जइ	१४१	आइल्लाण तिन्हु	२८	इय अहिए फलमावे	११२
अन्नुन्नाणुगमाओ	१९०	आउस्स उवक्कमणं	२०७	इय एव पुव्वावर	१६३
अन्ने अकालमरणस्स-	१९२	आउ च एत्थ कम्म	१९	इय तस्स तय कम्म	२१६
अन्ने अमिग्गहा खलु	३७६	आऊ य नाम गोय	११	इय परिणामा वधे	२२९
अन्ने आगतुगदोस-	१६४	आगम मुक्खाउ ण कि	४२	इयमित्तरा निवित्ती	३९९
अन्ने उ दुहियसत्ता	१३३	आयवउज्जोवविहाय	२२	इयरस्स किं न कीरइ	१५३
अन्ने भणति कम्म	२०९	आयाणुग्गहवुद्धीइ	३२६	इहे अप्परिवडियगुणाणु-	३८९
अन्ने वि य अइयारा	९४	आरमाणुमईओ	२९४	इहपरलोगाससप्पओग	३८५
अपइट्टाणमि वि स-	१३८	आवडियाकरणपि हु	२४४	इह लोगमि वि दिट्ठे	९१
अप्पडिदुप्पडिलोहिय-	३२३	आसवनिरोहसवर	८१	इगालीवणसाही-	२८७
अरहत्ते वदित्ता	१	आह कह पुण मणसा	३३६		
अवहे वि नो पमाण	२३९	आह गुरु पूयाए	३४६	[ उ ]	
अविराहियसामन्नस्स	३००	आह सुहे परिणामे	९७	उक्कोसेण अणुत्तर	३०१
अविहीए होइच्चिय	११५	आहारपोसहो खलु	३२१	उच्चिय मुत्तूण कलं	३६९

अव्यावाधत एव अव्यावाधादेव सकलेन्द्रियविषयभोगपर्यन्ते अशेषचक्षुरादीन्द्रियप्रकृष्ट-  
रूपादिविषयानुभवचरमकाले औत्सुक्यनिवृत्तेरभिलाषव्यावृत्तेः कारणात् । संचारमुखमिव श्रद्धेयम्,  
तस्यापि तत्त्वतो विषयोपभोगतस्तदीत्सुक्यविनिवृत्तिरूपत्वात्तदर्थं भोगक्रियाप्रवृत्तेरिति ।  
उक्तं च—

वेणु-वीणा-मृदंगादिनादयुक्तेन हारिणा ।  
श्लाघ्यस्मरकथावद्भगीतेन स्तिमित सदा ॥१॥  
कुट्टिमादौ विचित्राणि दृष्ट्वा रूपाण्यनुत्सुक. ।  
लीचनानन्ददायीनि लीलावन्ति स्वकानि हि ॥२॥  
अंबरागुरु-कर्पूर-धूप-गन्धान्वितस्ततः ।  
पटवासादिगन्धाश्च व्यपतमाघ्राय निस्पृहः ॥३॥  
नानारससमायुक्तं भुक्त्वान्निमिह मात्रया ।  
पोत्वोदकं च तूमात्मा स्वादयन् स्वादिम शुभम् ॥४॥  
मृदुतूलीसमाक्रान्तविषयपर्यंकसंस्थितः ।  
सहस्रांभोदसंशब्द श्रुतेर्भयघन<sup>२</sup> भृशम् ॥५॥

जिस प्रकार समस्त इन्द्रिय विषयोके भोगके अन्तमे उत्सुकताके विनष्ट हो जानेसे संसारमें वाधा रहित सुखकी प्रतीति हुआ करती है उसी प्रकार कर्मके अभावमें उत्सुकताके दूर हो जाने-पर सिद्धोके वह निर्वाध सुख उत्पन्न होता है जो पुनरागमन सम्भव न रहनेसे सदा ही अवस्थित रहता है, ऐसी श्रद्धा करना चाहिए ।

विवेचन—प्रकृत गायामे उत्सुकताके नष्ट हो जानेपर कुछ समयके लिए सत्सारमें भी जो निर्वाध सुख प्राप्त होता है, उसका उदाहरण यहां सिद्धोके शाश्वतिक सुखकी पुष्टिमें दिया गया है । उसकी पुष्टि टीकामे उद्धृत कुछ प्राचीन पद्योके द्वारा की गयी है, जिनका अभिप्राय इस प्रकार है—प्राणी श्रोत्रइन्द्रियके वशीभूत होकर जब चित्ताकर्षक गानके सुननेके लिए उत्सुक होता है तब यदि उसे बांसुरी, वीणा एव मृदग आदिकी ध्वनिसे सयुक्त और प्रशसनीय कामकथासे सम्बद्ध मनोहर गीत सुननेको मिल जाता है तब उसकी वह उत्सुकता शान्त हो जाती है, इस प्रकार कुछ समयके लिए वह निराकुल सुखका अनुभव करता है । इसी प्रकार मनुष्य जब चक्षु इन्द्रियके वशीभूत होकर रत्नमय भूमि आदिमे नेत्रोको आनन्द देनेवाले अपने लीलायुक्त अनेक प्रकारके रूपोको देखता है तब उसकी वह उत्सुकता समाप्त हो जाती है, इसलिए वह तबतक निर्वाध सुखका अनुभव करता है । घ्राण इन्द्रियके वशीभूत होकर वह अम्बर ( वस्त्र ) अगुरु, कपूर और धूप आदिकी गन्धसे युक्त होता हुआ जब सुवासित वस्त्रोको अनेक प्रकारकी गन्धोको भी सूँघता है तब उसकी उत्सुकता नष्ट हो जाती है, इसीलिए वह उतने समयके लिए निस्पृह होकर निराकुल सुखका अनुभव करता है । वह रसना इन्द्रियके वशी होकर जब अनेक रसोसे युक्त भोजनको परिमित मात्रामे ग्रहण करके पानीको पीता है तथा उत्तम स्वादिष्ट लाडू आदिकी चखता है तब उसकी आत्मा सन्तोषका अनुभव करती है । इस प्रकार वह तबतक निर्वाध सुखका अनुभव करता है । स्पर्शन इन्द्रियके वशी मनुष्य जब कोमल रुईसे भरी हुई गादीसे संयुक्त पलगपर स्थित होता हुआ सहसा भयप्रद मेघकी गर्जनाके शब्दको सुनकर भयभीत हुई प्रिय

इष्टभार्यापरिष्वक्तः तद्गतान्तेऽथवा नरः ।  
 सर्वेन्द्रियार्थसंप्राप्त्या सर्ववाधानिवृत्तिजम् ॥६॥  
 यद्वेदयति संहृद्यं प्रशान्तेनान्तरात्मना ।  
 मुक्तात्मनस्ततोऽनन्तं सुखमाहुर्मनीषिणः ॥७॥

इत्यादीति ॥३९८॥

संसारसुखमभ्योत्सुक्यविनिवृत्तिरूपमेवेत्युक्तमिह विशेषमाह—

इयमित्तरा निवृत्ती सा पुण आवकहिया मुणेयव्वा ।

भावा पुणो वि नेयं एगंतेणं तई नियमा ॥३९९॥

इयमिन्द्रियविषयभोगपर्यन्तकालभाविनी । इत्तरा अल्पकालावस्थायिनी । निवृत्तिरौत्सुक्य-  
 व्यावृत्तिः । सा पुनः सिद्धानां संबन्धिनी औत्सुक्यविनिवृत्तिर्यावत्कथिका सार्वकालिकी । मुणितव्या  
 ज्ञेया, पुनरप्रवृत्तेस्तथाभावात्पुनरपि प्रवृत्तेः भूयोऽपि । नेयमिन्द्रियविषयभोगपर्यन्तकालभाविनी,  
 एकान्तेन सर्वथा निवृत्तिरेवौत्सुक्यस्य बीजाभावेन पुनस्तत्प्रवृत्त्यभावात् असौ सिद्धानां संबन्धिनी  
 औत्सुक्यविनिवृत्तिः नियमादेकान्तेन निवृत्तिरेव ततश्च महदेतत्सुखमिति ॥३९९॥

उपसंहरन्नाह—

इय अणुहवजुत्तीहेउसंगयं हंदि निद्वियट्टाणं ।

अत्थि सुहं सद्धेयं तह जिणचंदागमाओ य ॥४००॥

पत्नीसे आलिङ्गित होता है तब वह परिमित समयके लिए निराकुल सुखका अनुभव करता है ।  
 इस प्रकार सब ( पाँचो ) इन्द्रियोके विषयोको प्राप्त करके सब प्रकारकी बाधासे रहित हो जानेपर  
 जिस निराकुल सुखका अनुभव मनुष्य करता है उसकी अपेक्षा मुक्तात्माके अनन्तगुणा सुख होता  
 है । इसका कारण यह है कि संसारी प्राणीको अभीष्ट इन्द्रियविषयोंके उपभोगसे जो सुख प्राप्त  
 होता है वह उन विषयोके संयोग तक सीमित है, तत्पश्चात् उन अभीष्ट विषयोका वियोग हो जाने-  
 पर वह पुनः उनकी प्राप्तिके लिए व्याकुल होता है । इस प्रकार संसारी जीवोका वह सुख साता  
 वेदनोय आदि पुण्य प्रकृतियोके उदय तक रहता है, पश्चात् वह नियमसे विनष्ट होता है । परन्तु  
 समस्त कर्मोंसे निर्मुक्त हुए सिद्धोका वह निर्बाध सुख अविनश्वर होकर अनन्तकाल तक रहता  
 है ॥३९८॥

ऊपर संसारसुखको जो उत्सुकताकी निवृत्तिरूप कहा गया है उसके विषयमे आगे कुछ  
 विशेषता प्रकट की जाती है—

सासारिक सुखकी जनक यह जो उत्सुकताकी निवृत्ति है वह इत्तरा—विषयोपभोगके  
 अन्त तक कुछ थोडे समय तक ही रहनेवाली है, परन्तु सिद्धोके सुखसे सम्बद्ध जो वह उत्सुकताकी  
 निवृत्ति है वह यावत्कथिक—सदा रहनेवाली—जानना चाहिए । कारण यह कि सासारिक  
 सम्बन्धी वह उत्सुकता पुनः प्रवृत्त होती है, परन्तु यह सिद्धोके सुखसे सम्बद्ध यह उत्सुकता  
 नियमतः फिरसे प्रवृत्त नहीं होती, क्योंकि सिद्धोके उस उत्सुकताका बीजभूत कर्म नष्ट हो चुका है ।  
 इसीलिए सिद्धोके सुखको ही यथार्थ सुख समझना चाहिए ॥३९९॥

आगे इसका उपसंहार किया जाता है—

इय एषधुमनेन प्रकारेणानुभवयुक्तिहेतुसंगतमिति—अत्रानुभवः मयैवम्, पृथिव्यपत्ति-  
हेतुरन्वय इत्यतिरेकशङ्काः, एभिर्घटमानकम् । एषोऽनुभवप्रधाने । एवं गूढं नानिच्छित्कार्यानां सिद्धा-  
नामन्ति मुल विद्यते गाम् । अथैवं प्रतिपत्तयम् । तथा जिनचन्द्रागमाच्चार्हं जनादिति ॥४००॥

अपुना जानावोऽनुवृत्तस्यमात्मनो वर्तयन्नाह, अथवा प्रत्ययविक्रियायं विनिश्चयन-  
पर्यायप्राप्यं सतिप्रथया सर्वेषामात्मनोऽपराधस्यानमात्रं यथा—

ज उद्विष्यं मुयाओ पुन्याचरिण्यकयमहच समईए ।

यमियन्व न्यहरेहि तहेत्र मुयदेवयाए य ॥४०१॥

यद्दुष्कृतं पुन्याचरणादेः कालान्तरप्राप्य पूर्वाचार्यं कुत वा यद्दुष्कृतं अथवा स्वमन्या  
सतश्चान्तस्य श्रुतपरैस्तथैव श्रुतदेवताया न क्षम्यत्यमिति वर्तते ॥४०१॥

एति दिवप्रता नाम ध्यायकप्रज्ञप्तिटीका समाप्तौ ।

इस प्रकार हनुमन्त रूप तन सिद्धोक्त मुग अनुभव, युक्ति और अन्वय-व्यतिरेकरूप हेतुमे  
संगत है—घटित होता है तथा जिन चन्द्रागम—सर्वेश्वर जिनप्रतीक परमागम—मे जाना जाता  
है, ऐसी श्रद्धा करना चाहिए ॥४००॥

अब अन्तमें ग्रन्थकार अपनी निरभिमानताको प्रकट करते हुए, अथवा क्षमणपर्यायसे प्राप्त  
इस प्रकरणमें गणित अर्थही गणित्या क्षम सर्वके निषेध करके अपने अपराधस्यानको माफ़नासे  
यह कहते हैं—

इय ध्यायक प्रज्ञप्ति ग्रन्थमें जो श्रुतमे उद्भूत किया गया है, अथवा पूर्वाचार्यकुत है, अथवा  
अपनी बुद्धिमे जो कहा गया है उसके विषयमें श्रुतमे पारक—परमागमके जाता—तथा श्रुत-  
देवता भी क्षमा करे ॥४०१॥

१. प प्रति के अनुसार इसके आगे इस प्रति में 'कृति. शितपटाचार्यं जिनमद्र [ट्ट] पादमेवकस्याचार्यहरि-  
मद्रस्येति' यह वाक्य भी उपलब्ध होता है ।

# परिशिष्ट

## १. गाथानुक्रमणिका

गाथा	गाथांक	गाथा	गाथांक	गाथा	गाथांक
[ अ ]				[ इ ]	
अकयागमकयनासा	२१९	अन्वाबाहाउच्चिय	३९८	इक्कस्स इक्कमे खलु	३११
अच्चतदारुणाइ	१०२	अह उ अणन्नो देह	१७९	इत्तरियपरिग्गहिया	२७३
अज्झीणे पुव्वए	१९३	अह उ तद्भाभवमि हु	१६१	इत्तुच्चिय अफलत्ता	१४९
अट्टण्हं सत्तण्ह	३०९	अह उभयक्खयहेऊ	१४५	इत्तो य इमा जुत्ता	३५४
अट्टेण त न वधइ	२९०	अह त अहेउग चिय	१४८	इत्थ उ समणोवासग	३२८
अण अप्पच्चक्खाणा	१७	अह त सयच्चिय तओ	१५२	इत्थ य परिणामो खलु	५४
अणिवित्ती वि हु एव	१७३	अह परपीडाकरणे	२४५	इत्थ वि समोहया मूढ	१५७
अणुवक्कमिओ नासइ	२०५	अह परिणामाभावे	२३०	इत्थीपुरिसनपुसग	१८
अतसवहनिवित्तीए	१२६	अह सगयं चहण चिय	१४४	इत्थीपुरिसनपुसग	७७
अत्थिच्चिय अभिसघी	२५१	अहिगरणखामण खलु	३६५	इय अणुभवलोगागम	१७४
अनिरिक्खियापमज्जिय	३१५	[ आ ]		इय अणुहवजुत्तीहेउ	४००
अन्नकयफलुवभोगे	१८७	आइज्जमणाइज्ज	२४	इय अविसेसा तसपाण	१२१
अन्नाणकारण जइ	१४१	आइल्लाण तिन्ह	२८	इय अहिए फलभावे	११२
अन्तुन्नाणुगमाओ	१९०	आउस्स उवक्कमण	२०७	इय एव पुव्वावर	१६३
अन्ने अकालमरणस्स-	१९२	आउ च एत्थ कम्म	१९	इय तस्स तयं कम्म	२१६
अन्ने अभिग्गहा खलु	३७६	आऊ य नाम गोय	११	इय परिणामा वधे	२२९
अन्ने आगतुगदोस-	१६४	आगम मुक्खाउ ण किं	४२	इयमित्तरा निवित्ती	३९९
अन्ने उ दुहियसत्ता	१३३	आयवउज्जोवविहाय	२२	इयरस्स किं न कीरइ	१५३
अन्ने भणति कम्म	२०९	आयाणुगहदुद्धीइ	३२६	इहं अप्परिवडियगुणाणु-	३८९
अन्ने वि य अइयारा	९४	आरमाणुमईओ	२९४	इहपरलोगाससप्पओग	३८५
अपइट्टाणमि वि स-	१३८	आवडियाकरणंपि हु	२४४	इह लोगम्मि वि दिट्ठो	९१
अप्पडिडुप्पडिलोहिय-	३२३	आसवनिरोहसवर	८१	इगालीवणसाढी-	२८७
अरहते वदित्ता	१	आह कहं पुण मणसा	३३६		
अवहे वि नो पमाण	२३९	आह गुरू पूयाए	३४६	[ उ ]	
अविराहियसामन्नस्स	३००	आह सुहे परिणामे	९७	उक्कोसेण अणुत्तर	३०१
अविहीए होइच्चिय	११५	आहारपोसहो खलु	३२१	उच्चियं मुत्तूण कलं	३६९

उच्चालियंमि पाए	२२३	[ ओ ]		[ च ]	
उद्धमहे तिरिय पि य	२८०	ओवमे तादये	१२४	चरणपरिणामविरहा	३८१
उद्धमहे तिरिय पि य	२८३	ओवमे देसो खलु	१२५	चरमाण चरन्न पि हु	३०४
उदयवखयखओवसमो-	१९७			चरमावत्याइ तथा	३८०
उदयाभावे हिंसा	२२८	[ क ]		चारियकहिए वज्झा	११७
उवउत्तो गुरुमूले	१०८	फत्यइ जीवो बलीओ	१०१	चिट्टउ ता इह अन्नं	१४०
उवगाराभावमि वि	३४८	कम्मोवक कामिज्जइ	१९४		
उवभोगपरीभोगे	२८४	कयसामइओ पुंवि	३१४	[ ज ]	
उवसमगसेडिगयस्स	४५	कयसामइओ सो साहु-	२९३	जइ ताव तव्वहु च्चिय	२३८
उस्सग्गवभयारी	३५५	कदप्प कुक्कुइय	२९१	जइ तेण तथा अकए	२११
[ ऊ ]		काऊण तक्खण चिय	३१७	जइयाणुभूइओ च्चिय	१९८
ऊसरदेस दहदित्तलय व	४७	काऊण विगिदुत्तवं	३७९	जइ वि न वदणवेला	३७३
[ ए ]		कायवयमणोफिरिया	७९	जच्चाइदोसरहिओ	३६१
एएण कारणेण	१६०	कारवण पुण मणमा	३३८	जच्चाईओ अहओ	२४०
एएहभिभूआण	३९४	कि इय न तित्यहाणी	१६९	जग्हा सो परिणामो	२३२
एगसहावो निच्चो	१७७	कि च सरीरा जीवो	१७८	जह कषणस्स कचण	१८४
एगतेण सरीरा-	१८६	किचिदकाले वि फल	२००	जह वा दीहा रज्जू	२०३
एगाइ तिल्लिसमया	६९	कि चितेइ न मणसा	२५५	ज उद्विय सुयाओ	४०१
एत्तोच्चिय ववहारी	१८३	कि चेहुवाहिभेया	५२	ज चाइयारमुत्त	३८४
एयमिह ओहविसय	३८	कि ताव तव्वहु च्चि	२३७	ज जह भणिय त तह	४९
एयमिह सइहतो	८४	कि वा तेणावहिओ	१७०	ज जीवकम्मजोए	८
एयस्स एगपरिणाम	२७	कुसुमसमा अभासा	३८८	ज नेरइओ कम्म	१५९
एयस्स मूलवत्थू	७	कुसुमेहि वासियाण	३८७	जमाभावे न जरा	३९७
एयस्स य जो हेऊ	२०८	केइ बालाइवहे	२२१	ज मोण त सभम	६१
एय पि न जुत्तिखम	२२२	केई भणति एसा	३८२	ज साइयारमेयं	९६
एव अप्परिवडिए	३९१	केई भणति गिहिणो	३३३	जिणभासियधम्मगुणे	३८६
एव कखाईसु वि	९२	[ ख ]		जीवाजीवासववध	६३
एव खु जतपीलण	२८८	खित्ताइहिरिणाई	२७८	जीवो अणाइनिहणो	९
एव च जानिवित्ती	२४७	खीणमि उइत्तमि	४६	जे नियमवेयणिज्जस्स	१००
एव च जीवदव्वस्स	१८५	खीणे दसणमोहे	४८	जे पुणऽकयपणिहाणा	३७१
एवं च मुत्तबघादओ	१६२	[ ग ]		जे वि य कयजलिउडा	३७२
एव च विहरिऊण	३७७	गहणमणताण न कि	४१	जेसिमवड्ढो पुग्गल-	७२
एवं ठिइयस्स अया	३१	गहणासेवणरूवा	२९६	जेसि मिहो कुलवेर	२४९
एव पि य वहविरई	२२०	गुरुसक्खिओ च घम्मो	३५१	[ त ]	
एव मिच्छादसण	२५६	गोय च दुविहभेय	२५	तव्वकयसहकारित्त	२१०
एवविहपरिणामो	६०	गोसम्मि पुव्वभणिओ	३६४	तग्गहणउ च्चि तओ	११३
एव सामायारि	३७५	गोसे सयमेव इमं	३४४	तत्तत्तयसइहाण	६२

तत्तायगोलकप्पो	२८१	तीत्यकरभक्तीए	१०५	न य सव्वो सव्व चिय	२१२
तत्तु च्चिय मरियव्व	२१४	ते पुण दुसमयठिइस्स	३०८	न य ससारम्मि सुह	३६०
तत्तु च्चिय सो भावो	२१५	ते वि य कयजलिउडा	३६९	नरगाउववविरहा	१३७
तत्तो अण्णिय खलु	३५३	तेसि पणिहाणाओ	३७०	नरविबुहेसरसुक्ख	५६
तत्तो णतगुणा खलु	१०३	तेसि वहिज्जमाण वि	१३६	नव नव सवेगो खलु	३
तत्तो तित्थुच्छेओ	१६६	[ थ ]		न वि तं करेइ देहो	४
तत्तो य तन्निमित्त	२५०	थावरसभारकडेण	१३०	न सरइ पमायजुत्तो	३१६
तप्पज्जायविणासो	१९१	थूलगपाणाइवाय	११४	न हि दीहकालियस्स वि	१९५
तब्भावमिअ ज किचि	१४७	थूलगपाणिवहस्सा-	१०७	नागरगमि वि गामा	१३१
तम्हा ते वहमाणो	१३९	थूलमदत्तादाणे	२६५	नाणाभवानुभवणा-	१९९
तम्हा निचवसईए	१०४	थूलमुसावायस्स उ	२६०	नाणावरणादुदया	९८
तम्हा नेव निवित्ती	१६७	[ द ]		नामस्स य गोयस्स य	२९
तम्हा पाणवहोवज्जिय-	१५०	दट्ठण पाणिनिवह	५८	नामं दुच्चत्तमेय	२०
तम्हा विमुद्धचित्ता	१७५	दहढमि जहा बोए	३९६	नायागयाण अत्ताइयाण	३२५
तम्हा विसेसिऊण	१२३	दिसिवयगहियस्स दिसा	३१८	नारगदेवाईसु	२४३
तम्हा सव्वोसि चिय	२३४	दुन्ह वि य मुसावाओ	११०	नारयतिरियनरामर	५७
तयहीणत्ता वयतणु	३१७	दुविह च मोहणिय	१५	नारयदेवा तिरिमणुय	७०
तवसा उ निज्जरा इह	१८२	दुविह चरित्तमोह	१६	नासइ इमीए नियमा	९०
तव्विहखओवसमओ	५१	दुहिओ वि नरगगामी	१५५	निच्चस्स सहावतर	१८२
तसपाणघायविरई	११९	देवा नेरइया वा	७४	निच्चाण वहाभावा	१७६
तसभूयपाणविरई	१२२	देवीतुट्ठो राया	११६	निच्चानिच्चो जीवो	१८०
तसभूयावि तसच्चिय	१२९	देसविरइपरिणामे	१०९	निच्चाणिच्चो ससार	१८१
तह चैव य उज्जुत्तो	३२४	देसावगासिय नाम	३१९	निहानिहानिहा	१३
तह तुल्लमि वि कम्मे	२०२	देसे कुल पहाण	३५७	नियकयकम्मवभोगे	२१३
तह वन्नगघरमफास	२१	देसे सव्वे य दुहा	३२२	नियमो न सभवो इह	२४२
तह वहभावे पाव-	१३५	देहाइनिमित्त पि हु	३४९	निस्समसुक्खो मुक्खो	१५४
त उवसमसवेगाइ	५३	[ ध ]		निवसिज्ज तत्थ सड्ढो	३३९
त जाविह सपत्ती	३४	धम्माधम्मागासा	७८	नीसेसकम्मविगमो	८३
त दाणलाभभोगो	२६	[ न ]		नेगतेण चिय जे	९९
तमि य कए समाने	३७४	न करइ न करावेइ य	३३१	नेरइयाण वि तह देह-	१५६
ता इत्थ ज न पत्त	३६२	न करेइ च्चाइतिय	३३२	नो अविसेए पवित्ती	२३६
ता कह निज्जुत्तीए	३३४	नणु त न जहोवचिय	२०४	नो खलु अप्परिवडिए	९५
ता तिव्वरागदोसा	१५८	न य चैयणा वि अणु	१८८	[ प ]	
तादत्थे पुण एसो	१०७	न य तस्स तन्निमित्तो	२२४	पच्चक्खायमि इह	१२०
ता पाणवहनिवित्तो	१३४	नयनेयरोहि केवल	१४	पच्छाकयपणिहाणा	३६८
ता वधमणिच्छतो	२१३	न य सह तसभावमि	१३२	पडिवज्जिऊण य वयं	२५७;
तिन्नि तिया तिन्नि दुया	३३०				२६२, २६७,
तोइ वि य थोवमित्ते	३२				२७२, २७७



पडिवन्मि य विहिणा	२८२	[ म ]	सकय पि अणेगविह	२१७
पढम नाणावरण	१०	मणेवयणकायहुप्पणि-	सकसायत्ता जीवो	८०
पढमतवो य पच्छा	३६७	मन्नइ तमेव सच्च	सगचदणविससत्याइ	१८९
पढम पचवियप्प	१२	मंदपगासे देसे	सचित्ताचित्तेसु इच्छा	२७५
पत्तेय साहारण	२३	मिगवहपरिणामगवो	सचित्ताहार खलु	२८६
पयईइ व कम्माणं	५५	मिच्छत्त जसुदिन्नं	सच्चित्तनिक्खवणय	३२७
परकयकम्मनिवघा	२१८	मिच्छादसणमहणं	सत्तविहवघगा हुति	३०६
परदारपरिच्चाओ	२७०	मुत्ता अणेगभेया	सप्पवहाभार्वमि वि	२२६
परपासडपससा	८८	मुत्ताण कम्मवघो	सम्मत्तस्सइयारा	८६
परिसुद्धजलगहण	२५९	मूलपयडीसु जइणो	सम्मत्त पि य तिविह	४३
पलिओवमप्पुहत्त	१०२	मोक्खोऽसखिज्जाओ	सम्मत्तमि य लद्धे	३९०
पत्ते महइ महल्ले ३५, ३६, ३७		मोहाऊवज्जाण	सयमवि य अपरिभोगो	१७२
पवयणमाईछज्जीव	२९७		सयमिह मिच्छदिट्ठी	५०
पच उ अणुव्वयाइ	१०६	[ र ]	सव्वपवित्तिअभावो	१७१
पच महव्वय साहू	३१०	रागाइविरहओ ज	सव्ववहसमत्थेण	१६५
पचसु ववहारेण	३०३	रागाईणमभावा	सव्व च पएसतया	१९६
पचेव अणुव्वयाइ	६	रागो दोसो मोहो	सव्वेसि विराहणओ	२५२
पायमिह कूरकम्मा	७३	रायामच्चो विज्जा	सहसा अब्भक्खाण	२६३
पावइ वघाभावो	३९	रायासड्ढो वणिया	सकाए मालिन्न	८९
पुत्ताइसतइनिमित्त	३३५		सते विय परिणामे	१११
पूयाए कायवहो	३४५	[ व ]	सपत्तदसणाई	२
[ ब ]		वज्जणमिह पुव्वुत्त	सपुन्न परिपालइ	२९८
बहुतरकम्मोवक्कम	२३३	वज्जणमिह पुव्वुत्त	सभवइ वहो जेसि	२३५
वघवहच्छविच्छेए	२५८	वज्जिज्जा आणयण-	ससयकरण सका	८७
बुद्धीए निएऊण	२६४	वज्जिज्जा तेणाहड	ससारिणो य मुत्ता	६४
[ भ ]		वज्जिज्जा मोहकर	सामाइयम्मि उ कए	२९९
भणिय च कूवनाय	३४७	वहमाणो ते नियमा	सामाइय ति काउ	३१३
भणिया अपच्छिमा	३७८	वावाइज्जइ कोई	साहम्मियथिरकरण	३४२
भणिधा तयणतरमो	३८३	विग्गहगइमावन्ना	साहूण वदणेण	३४०
भव्वा जिणेहि भणिया	६६	विरई अणत्त्यदडे	साहूण सावगाण य	३६५
भव्वाहारगपज्जत्त	६५	विवरीयसइहाणे	सिक्खा दुविहा गाहा	२९५
भाविज्ज य सतोस	२७९	विवरीया उ अब्भवा	सिक्खापय च पढम	२९२
भिन्नमि तमि लाभो	३३	विहिउत्तरमेवेय	सिय जीवजाइमहि-	१२८
भिन्नो जहेह कालो	२०१	वेयणिस्स य बारस	सिय न वहे परिणामो	२३१
भूएसु जगमत्त	३५६		सोयालं भगसय	३२९
भेएण खित्तवत्थू-	२७६	[ स ]	सीले खाइयभावो	३५९
भेएण लवणघोडग-	२६६	सग्ग कम्मक्खया	सीहवहरक्खिओ सो	१६८
			सुणिऊण तओ धम्म	३५२



पडिवन्नन्मि य विहिणा	२८२
पढम नाणावरण	१०
पढमतओ य पच्छा	३६७
पढम पच्चवियप्प	१२
पत्तेय साहारण	२३
पयईइ व कम्मार्णं	५५
परकयकम्मनिवघा	२१८
परदारपरिच्चाओ	२७०
परपासडपससा	८८
परिसुद्धजलग्गहणं	२५९
पलिओवमप्पुहुत्तं	१०२
पल्ले महइमहल्ले	३५, ३६, ३७
पवयणमाईछज्जीव	२९७
पच उ अणुव्वयाइ	१०६
पच महव्वय साहू	३१०
पचसु ववहारेण	३०३
पचेव अणुव्वयाइ	६
पायमिह कूरकम्मा	७३
पावइ वघाभावो	३९
पुत्ताइसतइनिमित्त	३३५
पूयाए कायवहो	३४५

[ व ]

वहुतरकम्मोववकम	२३३
वधवहच्छविछेए	२५८
वुद्धीए निएऊण	२६४

[ म ]

मणिय च कूवनाय	३४७
मणिया अपच्छिमा	३७८
मणिया तयणतरमो	३८३
मव्वा जिणेहि मणिया	६६
मव्वाहारगपज्जत्त	६५
माविज्ज य सतोष	२७९
मिन्नमि तमि लाभो	३३
मिन्नो जहेह कालो	२०१
भूएसु जगमत्त	३५६
भेएण खित्तवत्थू-	२७६
भेएण लवणघोडग-	२६६

[ म ]

मणवयणकायदुप्पणि-	३१२
मन्नइ तमेध सच्च	५९
मंदपगासे देसे	२२५
मिगवहपरिणामगओ	२२७
मिच्छत्त जसुदिन्नं	४४
मिच्छादसणमहण	३४१
मुत्ता अणेगभेया	७६
मुत्ताण कम्मबघो	१४२
मूलपयडीसु जइणो	३०५
मोवखोऽसखिज्जाओ	४०
मोहाऊवज्जाण	३०७

[ र ]

रागाइविरहओ ज	३९५
रागाईणमभावा	३९२
रागो दोसो मोहो	३९३
रायामच्चो विज्जा	९३
रायासइढो वणिया	११८

[ व ]

वज्जणमिह पुव्वुत्त	२६१
वज्जणमिह पुव्वुत्तं	२७१
वज्जिज्जा आणयण-	३२०
वज्जिज्जा तेणाहड	२६८
वज्जिज्जा मोहकर	२७४
वहमाणो ते नियमा	१४३
वावाइज्जइ कोई	२४१
विग्गहगइमावन्ना	६८
विरई अणत्यदडे	२८९
विवरीयसइहाणे	८५
विवरीया उ अभव्वा	६७
विहिउत्तरमेवेय	२४६
वेयणित्त य बारस	३०

[ स ]

सग्ग कम्मवक्खय	३६३
----------------	-----

सकय पि अणेगविह	२१७
सकसायत्ता जीवो	८०
सगचदणविससत्थाइ	१८९
सवित्ताचित्तेसु इच्छा	२७५
सचित्ताहार खलु	२८६
सच्चित्तनिक्खवणय	३२७
सत्तविहवघगा हुंति	३०६
सप्पवहाभावमि वि	२२६
सम्मत्तस्सइयारा	८६
सम्मत्त पि य तिविह	४३
सम्मत्तमि य लद्धे	३९०
सयमवि य अपरिभोगो	१७२
सयमिह मिच्छदिट्ठी	५०
सव्वपचित्तिअभावो	१७१
सव्वव्हसमत्थेण	१६५
सव्व च पएसतया	१९६
सव्वेसि विराहणओ	२५२
सइसा अममक्खण	२६३
सकाए मालिन्न	८९
सत्ते विय परिणामे	१११
सपत्तदसणाई	२
सपुन्न परिपालइ	२९८
सभवइ वहो जेसि	२३५
ससयकरण सका	८७
ससारिणो य मुत्ता	६४
सामाइयम्मि उ कए	२९९
सामाइय ति काउ	३१३
साहम्मियधिरकरण	३४२
साहूण वदणेण	३४०
साहूण सावगाण य	३६९
सिक्खा दुविहा गाहा	२९५
सिक्खापय च पढम	२९२
सिय जीवजाइमहि-	१२८
सिय न वहे परिणामो	२३१
सीयाल भगसय	३२९
सीले खाइयभावो	३५९
सीहवहरक्खिओ सो	१६८
सुणिऊण तओ घम्म	३५२



## २. संस्कृतटीकान्तर्गतग्रन्थान्तरवाक्यानुक्रमणिका

ग्रन्थान्तर्गत वाक्यांश	गाथांक	अन्यत्र कहीं
अइसकिलिट्टुकम्माणु-	१३	
अतो [चो] यत्	३२१	अष्टाध्यायी ३।१।९७
अनिशमशुभसज्ञा	२७४	
अपमत्तसजयाण	४२	
अम्बरागुरुकर्पूर	३९८	
असस्तुतेषु प्रसभ भयेषु	८८	
इमीए समणोवासएण	३८४	
इष्टभार्यापरिष्वक्त	३९८	
एकस्मिन्नप्यर्थे	८९	
एक द्वौ वानाहारक	६९	तत्त्वार्थाधिगमसूत्र २-३१
कहन्न भते जीवे अट्टकम्म	९८	
कार्मणशरीरयोगी	६९	प्रशमरति हरिभद्र वृत्ति २७५-७६ में उद्धृत
काले दिन्नस्स पहेणयस्स	३२७	आवश्यकचूर्णि, पृ. ३०६
कुट्टिमादौ विचित्राणि	३९८	
कृत्स्नकर्मक्षयान्मोक्ष	८३	त. सूत्र १०-१
गतमदचरयमश्चानुपसर्गे	३२१	अष्टाध्यायी ३।१।१००
गठित्ति सुदुब्भेओ	३२	विशेषा भा ११९२
गाहावइसुयचोर	११५	सूत्रकृताग २,७,७५
गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः	२	अष्टाध्यायी ५।१।१२४
जइ जिणमय पवज्जइ	६१	समय प्रा (आत्मख्याति) में उद्धृत
जलरेणुपुढविपन्वय	१७	स सूत्र ३-६ कर्मग्रन्थ १-१९
जहा सप्पस्स पुव्व बारस	३१९	
ज मोणंति पास-हा [ ज समति पास हा ]	६१	आचाराग सू. १५६, पृ १९२
जाव ण अय जीवे एयई	४१	
जिणसासणस्स सारो	३४२	
जिणतरे साह्वोच्छेओ	७६	
जीवाना पुद्गलाना च	७८	
जो जह्वाय ण कुणइ	६१	
तत्त्वार्थश्रद्धान् सम्यग्दर्शनम्	६१	त. सूत्र १-२
त च पचहा सम्मत्त	४३	

तित्थं भते तित्थं तित्थगरे	७६	
तिथिपूर्वोत्सवा सर्वे	३२६	सा धर्माभूत स्वो. टीका ५-४२ में उद्धृत
'तिविह पि' इत्यादिनेत्याह	३३३	भगवती***
दब्बउ णामेगे हिंसा ण भावउ	२२२	
दब्बत्थवे कूवदिट्ठतो	३४७	
दसणवयेत्यादि	३७६	चारित्रप्राभूत २२
दाहिणदिसि गामिए	७३	
दुविह ति विहेण पढमउ	३३४	प्रत्याख्यान नि.
नानारससमायुक्त	३९८	
नाभूतं मूर्ततां याति	१९०	
निमित्तकारणहेतुषु सर्वासा	२३८	
निसग्गुवएसरुई	५२	प्रज्ञापना गा. ११५, उत्तरा २८-१६
पक्खचउम्मास	१७	
पच्चवखाण व तहा	३३०	
परस्परोदीरितदु'खा	१३७	त सूत्र ३-४
परिणामो ह्यर्थान्तर	१८३	
पुढविकाइया आउकाइया	६४	
वत्तीसा अडयाला	७७	धवला पु ३, पृ. ९३ उद्धृत
वह्वच् इति ठम्	३७८	अष्टाध्यायी ४।४।६४
ब्रह्मवेदो ब्रह्म तपो-	३२१	
भग्वा वि न सिज्जिस्सति केई	६६	
माणुमती केरिसा तुम्हे	११४	
मायावलेहिगोमुत्ति	१७	
मिथ्यादर्शनाविरति	९	त. सूत्र ८-१
मूलं द्वार प्रतिष्ठान	७	
मृदुत्तलीसमाक्रान्त	३९८	
यद् वेदयति सहृद्यं	३९८	
यस्य हल	२	अष्टाध्यायी ६।४।४९
यस्येत्यकारलोप	२	अष्टाध्यायी ६।४।१४८
लद्धफलमाणमेय	३३०	
विदारयति यत् कर्म	२८०	
वेणुवोणामृदंगादि	३९८	
धेयासि बहुविप्नानि	१	
पिद्गोरादिभ्यश्च	२	अष्टाध्यायी ४।१।४१
सह भुज्जइ त्ति भोगो	२६	
सम्मत्तम्मि उ लद्धे	४२	
सव्यत्पोवा तित्थगरिसिद्धा	७७	सिद्धप्राभूत १००
सज्जति भाणिळ्ळ	३११	

सव्व भते पाणाइवाय	२४३	
सव्वे जीवा न हंतव्वेत्यादि	३४५	
स समितिगुप्तिघमनिनुप्रेक्षा	८१	त. सूत्र
सीयाल भगसय	३३०	
सीसमुरोदरपिड्डी	२०	
सुहपडिबोहा निदा	१३	
स्पर्शरसगन्धवर्ण	७८	

इनके अतिरिक्त गाथा ९१ और ९३ को टीकामें क्रमसे शका, काक्षा, विचिकित्सा या विद्वज्जुगुप्सा, परपाषण्डप्रशसा और परपाषण्डसस्तव इन सम्यक्त्वके अतिचारोके स्पष्टीकरणमें जो कथाएँ दी गयी हैं वे किसी प्राचीन ग्रन्थसे लेकर दी गयी दिखती हैं। उनका सन्दर्भ अत्यन्त अशुद्ध दिखता है।

इसी प्रकार प्राणातिपातविरमण आदि व्रतोके अतिचारोके स्वरूपको स्पष्ट करते हुए किसी प्राचीन आचारविषयक ग्रन्थसे 'तदत्राय पूर्वाचार्योक्तविधि' इत्यादि प्रकारसे सूचना करते हुए कुछ सन्दर्भ दिये गये हैं। यथा—

गाथांक	सन्दर्भकी सूचना
२५८	तदत्राय पूर्वाचार्योक्तविधि ***
२८३	तत्र वृद्धसप्रदाय ***
२८५	तथा च वृद्धसप्रदाय.***
२८८	भावार्थस्तु वृद्धसप्रदायादेव अवसेय । स चायम्***
२९१	इह च सामाचारी***
२९१	एत्था सामायारी***
२९१	× × × ( मुहेण व अरिमाणेह*** )
२९१	एत्थ सामाचारी***
२९१	एत्थ वि सामायारी***
२९२	एत्थ पुण सामायारी**
३१९	सर्पोदाहरणेन विषोदाहरणेन च***
३२२	भाधर्त्या पुण इमो***
३२३	एत्थ सामायारी***
३२४	एत्थ भावणा***
३२६	एत्थ सामायारी****

### ३. मूल-गाथागत शब्दानुक्रमणिका (संस्कृत)

शब्द	गाथांक	शब्द	गाथांक	शब्द	गाथांक
[ अ ]		अधिकरणक्षामण	३६५	अपघ्नान्	२८९
अकालमरण	१९२	अनङ्गक्रीडा	२७३	अपरिगृहीतागमन	२७३
अकृतागम	१९४, २०४, २१९	अनन्त	४०, ४१	अपर्याप्त	२२, ७०, ७१
अगुरुलघु	२१	अनन्तानुबन्धी	१७	अपवर्तना	२१६
अग्निक रोगी	१९५	अनभिनिवेश	८५	अपार्धपुद्गलपरावर्त	७२
अगार कर्म	२८७	अनयन दर्शनावरण	१४	अपूर्वकरण	२१७
अङ्गोपाङ्ग	२०	अनर्थदण्ड	२८९	अप्रतिलेखित	३२३
अचरण-पाणि	२३६	अनवद्य	३१४	अप्रतिष्ठान	१३८
अचित्त	२६५, २७५	अनवस्थितकरण	३१२	अप्रत्याख्यानावरण	१७
अच्युत कल्प	३०१	अनवस्थित सामायिक	३१७	अप्रमत्त	२२४
अजीव	६३, ७८	अनादेय	२४	अप्रमत्तस्यत	३७
अज्ञान	२३१	अनाहार	३६८	अप्रमाद	२४४, ३१९
अणुव्रत	६, १०६, १६५, २७५, ३१०, ३२८, ३७९	अनित्यत्व	१८५	अप्रमाजित	३२३
अतिक्रम	२९५, ३११	अनिवृत्ति	१७३	अबन्धक	३०८
अतिचार	८९, ९२, ९४, ९६, ९७, ९९, २०४, २५७, २८२, २८५	अनुकम्पा	५८	अभव्य	६७
अतिचार सूत्र	३८४	अनुत्तर	३०१	अभिग्रह	३७६
अतिप्रसंग	१४६, १८७	अनुदित	४४	अभिनिवेश	९०
अतिभार	२५८	अनुपक्रम	२०५	अभिसन्धि	२५०, २५१
अतीर्थ	७६	अनुपवृहण	९४, ९५	अमूर्त	१८७
अतीर्थकर	७६	अनुबन्ध	२४७	अयश कीर्ति	२४
अदत्तादान	२६५	अनुभव	१९९, २०२, २०४, ४००	अयोगी	६८
अद्धा	३२५	अनुभाग	८०	अरति	१८
अधर्म	७८	अनुभाव	१९६	अरहत	१
अध प्रमाणातिक्रम	२८३	अनुष्ठान	३५३	अवधिज्ञानावरण	१२
		अनेक	७७	अवधिदर्शनावरण	१४
		अन्तराय	११	अविरत	६५
		अन्तर्मुहूर्त	४६	अविपयानिवृत्ति	२५३
		अन्यलिङ्ग	७६	अव्यापारपीषध	३२१
		अपक्व	२८६	अव्याबाध	३८६, ३९२
				अव्याबाध सुख	३६१



अद्युम	२३	उत्तम पुरुष	७४	कर्म	५५, १०१-१०३, १५०,
असह्यवर्षायु	७०, ७४	उत्तर गुण	१०५		१५९, १९४, १९७,
असह्येय	४०	उत्तर प्रकृति	११		२०९-२१०, २३३, २९६
असयत	३५, ३८	सत्सर्ग ब्रह्मचारी	३५५	कर्मक्षपण	१३८, २१४
अमातावेदनीय	१४	सदय	१९७	कर्मक्षय	३६३
असाध्य	२०५, २०६	सदीर्घ	४४, ४६	कर्मक्षयोपशम	१११
अस्थितिकरण	९४	सद्योत	२२	कर्म प्रकृति	३०९
[ आ ]		सपक्रम	१५२, १९३, २०५,	कर्मबन्ध	१४२
आकाश	७८, १४८		२०६, २२१, २२३	कला	२६९
आगम	४१, ४२, १७४	सपक्रमण	२०७	कल्पनीय	३२५
आचार्य	४०१	सपक्रामण	१९७	कपाय	२९५, ३०४
आतप	२२	सपग्रह	३४०	कपायवेदनीय	१.
आदेय	२४	सपघात	२१	कामतीक्ष्णाभिलाष	२७३
आनयनप्रयोग	३२०	सपपात	७०, ७१, २९५, ३००	कायदु प्रणिधान	३१२
आनुपूर्वी	२१	सपभोग	२८४	कायवध	३४६, ३४९
आपतिताकरण	२३५, २४४,	सपभोग-परिभोगातिरेक	२९१	कारक मम्यत्त्व	४३, ४९
	२४५	सपभोगान्तराय	२६	कालातिक्रमदान	३२७
आयु	११, २९, २०७, २१४,	सपशम	५३, ५५	काशा	५९, ८६-८७, ९२-९३
	३०६, ३०७, ३६३	सपशमश्रेणि	४५	कूप्यक	२७८
आराधना	३७८	सपशमसम्यक्त्व	४६, ४७	कुमारादि-अलीक	२६१
आर्तध्यान	१३५, १३९	सपशान्त	४४	कुम्भ	३५-३७
आर्तवशातोपगत	३१३	सपशान्तमोह	३०७	कुल	३५७
आर्यदेश	३५६	सभयलोक	२६४	कुलवैर	२४८-२४९
आलोचन	१७३	ऊर्ध्वप्रमाणातिक्रम	२८३	कुलिगो	२२३
आसेवनरूपा शिक्षा	२९६	[ ए ]		कुशास्त्र	२३१-२३२
आस्रव	६३, ७९	एकसिद्ध	७७	कूटतुला	२६८
आहारक	६५, ६८, ६९	एकादशी	३३५	कूटमान	२६८
आहारपीपघ	३२१	[ ओ ]		कूटलेखकरण	२६३
[ इ ]		ओष	३८, ५२	कूटसाक्षित्व	२६०
इत्वर	३२८	ओदारिक	२७०	कूपज्ञात	३४७
इत्वरपरिगृहीतागमन	२७३	ओषशमिक	४३, ४५	कृतनाश	१९४, १९६, २१९
इत्वर निवृत्ति	३९९	[ क ]		कृतपरिमाण	३५५
इहलोकार्शसाप्रयोग	३८५	कन्दर्प	२९१	कृष्णपाक्षिक	७२
ईर्यासमित	२२३	कन्यालीक	२६०	केवलज्ञान	३५९
[ उ ]		करण	३३०, ३३६	केवलज्ञानावरण	१२
उच्छ्वगोत्र	२५			केवलदर्शानावरण	१४
उच्छ्वास	२१			केवलिक	२०७
				केवली	६८, ३०७

केशकर्म	२८७
कौत्कुच्य	२९१
क्रम	३२५
क्रोध	१७
किलिष्ट बन्ध	२३१
क्षय १५८, १९७, २१९, ३८९	
क्षयोपशम ४४, ५१, १९७	
क्षायिक ४३, ४८	
क्षायिक भाव ३५९	
क्षायोपशमिक ४३	
क्षीण ४४, ४६	
क्षीणमोह ३०७	
क्षेत्र २७६	
क्षेत्रवृद्धि २८३	

[ ग ]

गति २०, १९८, २९५, ३०३	
गन्व २१	
गर्भज ७०	
गाथा २७५	
गुण २८२, ३६३	
गुणमात्र २८४	
गुणव्रत ६, २८०, ३२८	
गुप्ति ८१	
गुरु १, १०९	
गृहपतिमुत्तचोरग्रहण- मोचना ११५	
गृहस्थधर्म ३८२	
गृहिप्रत्याख्यान ३२९	
गृहिलिङ्ग ७६	
गृही ३४७, ३५०, ३६५, ३८४	
गो-अलीक २६०	
गोत्र ११, २५, २९-३०	
ग्रन्थि ३२	
ग्रन्थिभेद ७	
ग्रहणरूपा शिक्षा २९६	

[ घ ]

घर्षण-घूर्णन ३१	
-----------------	--

[ च ]

चतुर्दश पूर्व २९६	
चतुर्विध आहार ३७९	
चरण २१८-२१९	
चरणक्षय ३९०	
चरणपरिणाम ३६३, ३८१	
चरणमोह ३७७	
चरणोपशम ३९०	
चरमशरीर ७४	
चाणक्य ९३	
चारित्र्यमोहनीय १५-१६	
चिन्ता ३६३	
चेतना १८८	
चैत्य ३४४, ३६६, ३७३	
चैत्यगृह ३३९	
चैत्यवन्दन ३४३, ३५४, ३६५	
चैत्यवन्दनादि ३४१	

[ छ ]

छद्मस्थ २०७	
छविछेद २५८	

[ ज ]

जन्म ३९४, ३९७	
जरा ३६०, ३९४, ३९७	
जाति २०, ३५७, ३६०-३६१	
जिन ३२	
जिनधर्म ३८८	
जिनपूजा ३४९	
जीव ९, ६३	
जीवसमाप्त ७७	
जीविताशसाप्रयोग ३८५	
जुगुप्सा १८	
ज्ञान २३२, ३६३	
ज्ञानावरण ९-१०, ९८	
ज्ञानावरण क्षयोपशम ३	
ज्ञानी १५९	

[ झ ]

झषज्ञातधर्म २३६	
-----------------	--

[ त ]

तथागशोषण २८८	
तत्त्वार्थ ६२-६३	
तप ८२	
तस्करयोग २६८	
तिर्यक् ७०-७१, ७३	
तिर्यक्प्रमाणातिक्रम २८३	
तिर्यगायु १९	
तीर्थ ७६, १६६, १६९	
तीर्थंकर २४, ७६, ३५१	
तीर्थंकरभक्ति १०५	
तुच्छोपधिमक्षण २८६	
त्रस २२, १२९	
त्रसकाय ६४	
त्रसप्राणघातविरति ११९, १२१	
त्रसभूतप्राणविरति १२२	
त्रसरक्षण २५९	
त्रिगुप्तिगुप्त १५९	
त्रिविध आहार ३७९	

[ द ]

दन्तकर्म २८७	
दर्शन २	
दर्शनचतुष्क १२	
दर्शनमोह ४८	
दर्शनमोहनीय १५	
दर्शनावरण १०	
दवदान २८८	
दानान्तराय २६	
दिग्गत ३१८	
दिशा २८०	
दीक्षा ३७७	
दीपक सम्यक्त्व ५०	
दीर्घायु २३३	
दुर्भग २३	
दुष्पक्व २८६	
दुष्प्रमाजित ३२१	
दुःख १०३	

दु प्रतिलेखित	३२३	निद्रानिद्रा	१३	पापोपदेश	२८९
दु स्वर	२३	निद्रापचक	१२-१३	पारिणामिक ( परिणाम )	६६
देव ७०, ७४, २४३, ३६८		नियम	२४२, २४४	पिण्डैषणा	२९७
देवायु	१९	नियमभंग	२३८	पुण्य ७९, १५१, १५४, ३७०	
देश	३२२, ३२५	निरतिचार	३७६	पुण्यबन्ध	१४०
देशविरत	३३२	निरवद्य योग	२९२	पुद्गल	३९, ७८
देशविरति	१०९	निरुपक्रम	७४-७५	पुद्गलक्षेप	३२०
देशावकाशिक	३३१९	निर्जरा	६३, ८२	पुरुष	७७
द्रव्य	१८५	निर्माण	२४	पुरुषवेद	१८
द्रव्यस्तव	३४७	निर्युक्ति	३३४	पूजक	३४८
द्रव्यादि	२२२, २६९	निर्लाञ्छनकर्म	२८८	पूजा ३४४-३४६, ३५०, ३५४	
द्रव्यादि पच	१९७	निर्वाण	३५०	पूज्य	३४५, ३४८
द्विपद	२७६, २७८	निर्वेद	५७	पृथक्त्व	३०२
द्विसमयस्थिति	३०८	निर्वेदगुण	८४	पृथिवीकायिक	६४
द्वेष	१५८, ३९३	निवृत्ति	२३८, २४०	पेयापेय उदाहरण	९१
[ घ ]		निश्चय	६१	पौषध	३२४
धन	२७८	निष्ठितार्थ	४००	प्रकृति	८०
धर्म	३८, ७८, ३४२, ३५१-३५२	नोचगोत्र	२५	प्रचला	१३
ध्यान	३६९-३७०	नोकपायवेदनीय	१६	प्रचलाप्रचला	१३
[ न ]		न्यासहरण	२६०	प्रज्ञप्ति	३१३
नपुसक	७७	[ प ]		प्रतिपत्ति	२९५
नपुसकवेद	१८	परदारपरित्याग	२७०	प्रतिमा	३७६
नमस्कार	३४३, ३६४, ३७३	परपाषण्डप्रशसा	८६, ८८	प्रतिरूपव्यवहार	२६८
नयनदर्शनावरण	१४	परमाक्षर	३५९	प्रत्याख्यान ३४३-३४४, ३५३	
नरक	१५५, १६९	परमाधार्मिक सुर	१२६	प्रत्याख्यानावरण	१७
नागरकवधनिवृत्ति ज्ञात	११९	परलोकाशसाप्रयोग	३८५	प्रत्येक	२३
नाम	११, २०, २९-३०	परविवाहकरण	२७३	प्रत्येकविबुद्ध	७६
नारक	७०, ७३, १५६, १५९, २४३	परव्यपदेश	३२७	प्रदेश	८०, १९६
नारकन्याय	१३५	पराघात	२१	प्रमत्त जीव	२८१
नारकायु	१९, १३७	परिभोग	२५२, २५९, २८४	प्रमत्त सयत	३६
नालि	३५-३६	पर्याप्त	२२, ६५, ७१	प्रमाण	२३९
नित्य	१७७, १८२	पर्याय	१८५	प्रमाद	२२०, २२४, ३१५-३१६, ३७४
नित्यत्व	१८५	पत्य	३५	प्रमादाचरित	२८९
निद्रा	१३	पत्यपृथक्त्व	३९०	प्रवचनमातृ	२९६-२९७
		पत्योपम	३०२	प्रव्रज्या	३८०
		पाप ७९, १५१, १५४, २२१-२२२, २३४, २५५		प्रशमादि गुण	८४
				प्राणवध	१५०

प्राणवधनिवृत्ति	१३४
प्रासुकदान	३४०
प्रेष्यप्रयोग	३२०

[ ब ]

बन्ध	६३, ८०, १३५-१३६
	१५८, १८६, १९९,
	२१३, २२०, २२४,
	२२९-२३०, २५०,
	२५३, २५५, २५८,
	२९५, ३०५-३०७, ३८९

बन्धक	३०६-३०८
बन्धन	२०, २५०
बन्ध्यासुत	२०८
बादर	२२
बालादिवध	२२१
बुधबोधित	७६
बोधि	३६३, ३८६-३८७
ब्रह्मपौषध	३२१

[ भ ]

भक्तपानव्युच्छेद	२५८
भय	१८, ३९७
भवसिद्धिक	७३
भव्य	६५-६६
भंगकानुपूर्वी	२२८
भाटिकर्म	२८७
भावना	३८६
भिन्न मूर्हर्त	३०
भू-भ्रलीक	२६०
भोगान्तराय	२६
भोगागताप्रयोग	३८५

[ म ]

मतिज्ञानावरण	१२
मन	२५५
मन पर्ययज्ञानावरण	१२
मनुज	७०-७१, ७३
मनुष्यायु	१९

मनोदु प्रणिधान	३१२
मन्त्र	३४८
मरण	३६०, ३९४, ३९७
मरणाशसाप्रयोग	३८५
महाव्रत	३१०
मात्सर्य	३२७
मान	१७
माया	१७
मारणान्तिकी	३७८
मिथ्यात्व	९, ४४
मिथ्यात्व वेदनीय	१५
मिथ्यादर्शन	२५६, ३४१
मिथ्यादृष्टि	५०
मिश्रवेदनीय	१५
मुक्त	६४, ७६, १४२, १६२
मुक्ति	१४२, १५१
मूल प्रकृति	११, ३०५
मृषावाद	२६०
मृषावादी	३७१
मृषोपदेश	२६३
मोक्ष	४०-४१, ६३, ८३, १५४,
	१९४, १२९, २१५,
	२१८, ३६०, ३८९
मोह	३०७, ३४९, ३९३
मोहनीय	१०, २८
मौन	६१
मौख्य	२९१

[ य ]

यति	२, २९६, ३०३,
	३११, ३६५, ३८४
यन्त्रपीडनकर्म	२८८
यश कीर्ति	२४
यावत्कथिक	३२८
यावत्कथिका निवृत्ति	३९९
युगप्रधान	१६५
युक्ति	४००
योग	७९, २५४, ३३०, ३४३

[ र ]

रति	१८
रस	२१
रसकर्म	२८७
रहस्य-अभ्याख्यान	२६३
राग	१५८, ३९३
राजामात्य	९३
रूपानुपात	३२०
रोचक सम्यक्त्व	४९
रौद्रध्यान	१३६

[ ल ]

लब्धि	७१
लाक्षाकर्म	२८७
लाभान्तराय	२६
लोभ	१७

[ व ]

वचन	२५५
वचनदु प्रणिधान	३१२
वध	१९१, २१०, २४७, २५८
वधक	२०८, २१२
वधनिवृत्ति	१९२
वधपुण्यान्तराय	१४३
वधविरति	१७५-१७६, २२०
वधहेतु	२४७
वध्य	२१२
वनकर्म	२८७
वर्ण	२१
वास्तु	२७६
विकटना	३७९
विकृष्ट तप	३७९
विग्रहगति	६८
विचिकित्सा	८६-८७
विज्ञान	३५८
विद्यासाधक	९३

विपाक	५५, ९८	शुभ	२३	सम्यक्त्ववेदनीय	१५
विरति	२५५	शैलेशी	३०८	सम्यक्त्वहेतु	८५
विराघन	२५२	शोक	१८	सम्यक्त्वातिचार	८६
विषकर्म	२८७	श्रद्धा	३२५, ३६८, ३७२	सम्यक्दर्शन	३४१
विसूचिका	१७१	श्रमण	२९९	सम्यग्दृष्टि	५, ६०, ८४
विहायोगति	२२	श्रमणोपासक	३८४	सहकारित्व	२१०
विहारकाल	३६६	श्रमणोपासकधर्म	३२८	सहकारी	२०९
वीतराग	२५, ३५४	श्राद्ध	११८, २९६, ३०३,	सर शोषण	२८८
वीर	२८०		३१३, ३३९	सर्पविषज्ञात	३१९
वीर्यान्तराय	२६	श्रामण्य	३००	सर्व	३२२
वृद्धादि	२२१	श्रावक	२, २९९-३००, ३४३,	सहसा-अभ्याख्यान	२६३
वेदक	३०९		३६६, ३९०	सक्रम	२२३
वेदना	२९५	श्रावकधर्म	६, २८०	सघ	३६६-३६७, ३७३
वेदनीय	१०, ३०	श्रावकसुता	९३	सघात	२०
वेद्यमान	४४	श्रुत	४०१	सज्वलन	१७
वैक्रिय	२७०	श्रुतज्ञानावरण	१२	सदेश	३६५
वैराग्य	३६३	श्रुतदेवता	४०१	संनिपात	३९५
घृत	२५७, ३११	श्रुतघर	४०१	सयत	३६-३७, ३२६,
व्यभिचार	२४०-२४१	श्रेणि	३९१		३८२
व्यवहार (द्वतर)	६१			सयुक्ताधिकरण	२९१

[ ष ]

षड्जीवनिकाय २९७

[ श ]

[ स ]

शकटकर्म	२८७	सचित्त	२६५, २७५	सलेखना	३७८, ३८२
शङ्का	८६-८७, ८९, ९१	सचित्तनिक्षेपण	३२७	सवर	६३, ८१, १५०
शब्दानुपात	३२०	सचित्तपिधान	३२७	सवरण	३३३
शरीर	२०	सचित्तप्रतिबद्ध	२८६	सवेग	३, ४, ५३, ५६,
शरीरसत्कारपौषध	३२१	सचित्ताहार	२८६		३६९, ३७२
शाक्य	८८	सत्कार	३२५	ससार ४१, ७२, १८१-१८२,	२१८, २५२, ३६०,
शाश्वत सौख्य	३८९, ३९२	समयभिन्न	७७		३९७
शासन	३४२	समवहृत	६८	ससारसुख	३५८
शास्त्र	२०१	समाधि	३७९	ससारी	६४
शिक्षा	२९५-२९६	समिति	८१	सस्तव	८६, ८८
शिक्षापद	६, २९२, ३१८,	सम्पूर्ण विधि	३५१	सस्थान	२०
	३२१, ३२६, ३२८	सम्भव	२३७, २४०	सहनन	२०
शील	३५८	सम्यक्त्व	७, ३३, ४३, ६१,	सागर	३०१, ३९०
शुक्ल	६५		६२, १६९, ३५८, ३९०-	सात	३९५
शुक्लपाक्षिक	७२		३९१	सातवेदनीय	१४
				साधर्मिक	३३९, ३४२
				साधारण	२३

साधु	२९६, २९८, ३००, ३०४, ३०९, ३३९- ३४०, ३४४, ३५१, ३५४, ३६६, ३६८	सुस्वर	२३	स्थूलप्राणिवध-अविरति	१०७
साधुपर्युपासना	१०५	सूक्ष्म	२२	स्थूलप्राणिवधविरमण	१०६
साधुबन्धन	३६५	सूक्ष्मसाम्पराय	३०६	स्फोटनकर्म	२८७
साध्य	२०५-२०६	सूत्र	१७, ३४, ४२, ३४७, ३५०	स्मृत्यकरणता	३१२
साध्यरोग	२०४	सोपक्रम	७५	स्मृत्यन्तर्धान	२८३
सामाचारी	२, २९८, ३६६, ३७५	सोपक्रमायु	६५	स्वदारमन्त्रभेद	२६३
सामायिक	२९२, २९९, ३१०, ३१२- ३१४, ३१६	सौषर्म	३००	स्वदारसन्तोष	२७०
साम्परायिक	३०८	सौराष्ट्र श्रावक	९३	स्वय विबुद्ध	७६
साम्परायिक बन्ध	२२६	स्तेनाहृत	२६८	स्वलिङ्ग	७६
सावद्य	२९३, ३३८	स्तोकायु	२३३		
सावद्य योग	२५३, २९२	स्त्यानगृद्धि	१३	[ ह ]	
सावद्ययोगमनन	३३७	स्त्री	७७	हास्य	१८
सिद्ध	६८, ३९२	स्त्रीवेद	१८	हिरण्य	२७६, २७८
सुभग	२३	स्थावर	२२, ११९, १३०	हिंसा	२२२, २२८, ३१५
		स्थावरकाय	१२१	हिंसादिपातक	२४८
		स्थिति	२७, ३०, ८०, २९५	हिंसा प्रदान	२८९
		स्थिर	२३	हेतु	४००
		स्थूरकप्राणातिपात	११४	हृदशोषण	२८८

□

## ४. दिक्प्रदा-टीकान्तर्गत शब्दानुक्रमणिका

शब्द	गाथा	शब्द	गाथा	शब्द	गाथा
[ अ ]		अतिप्रसंग	१४६-१४७, १८६-१८७	अनुदित	४४
अकल्पनीय	३२५	अतिमरण	२५८	अनुदीर्ण	४४
अकालमरण	१०२	अतीर्थकरसिद्ध	७६	अनुदीर्णता	४४
अकृतागम	१९४, २०४, २१९	अतीर्थसिद्ध	७६, ७७	अनुपक्रम	२०५
अकृताम्यागम	१९३	अत्रसवघनिवृत्ति	१२५	अनुपवृहण	८६, ९४
अक्षापाद	८७	अदत्तादान	२६५	अनुप्रेक्षा	८१
अगुहलघु	२१	अघर्म	७८	अनुबन्ध	२४७, २४८
अग्निकरोगी	१९५	अघर्मास्तिकाय	७८	अनुभवविरुद्ध	१७४
अङ्ग	२०	अधिकरणक्षामण	३६५	अनुभवश्रेणिवेदन	२१६
अङ्गारकर्म	२८८	अध्यवसाय	१८७	अनुभवसिद्ध	१८५
अङ्गारमर्दक	५०	अनध्यवसाय	८५	अनुभाव	१९६
अङ्गोपाङ्ग	२०	अनन्त	१०१-१०२	अनुभावबन्ध	८०
अचक्षुदर्शनावरण	१४	अनन्तकाय	२८५	अनुभूति	१९८
अचरणप्राणि	२३६	अनन्तज्ञानी	२७५	अनुमति	११४, ११५
अचरमशरीर	७५	अनन्तानुबन्धी	१७, ४५, ६२, ३०४	अनुयोगघर	१६५
अचित्त	२६५, २७५	अनर्थदण्ड	२८९	अनुराग	५
अचेतन	१८७	अनशन	८२, ३७८, ३८४	अनुष्ठान	३१२
अच्युतकल्प	३०१	अनादिपारिणामिक	६६	अनुद्धिप्राप्त	२९२
अजीव	६३	अनादेयनाम	२४	अनेकसिद्ध	७७
अजीवसमाप्त	७७	अनाभोग	३७१	अनेकान्तिकत्व	२३२
अज्ञान	१४१, २३१-२३२	अनालोचित	९३	अन्तराय	११, २८
अणुव्रत	१, ६, ४३, १०५-१०६, ११५, ३१०, ३२८, ३७९	अनाहारक	६८, ६९	अन्तर्मुहूर्त	३०, ४६, ५५, ६९
अतिक्रम	३११	अनित्य	१७६, १७७	अन्नदान	१७१
अतिचार	१५, ४८, ८६, ८९, ९४, २९७	अनित्यादिभावना	३७६	अन्न्यलिङ्गसिद्ध	७६
अतिचार सूत्र	३८४	अनुकम्पा	५३	अन्वय	१८४, ४००
अतिथि	३२६	अनुत्तम पुरुष	७५	अपघ्नान	२८९
अतिथिसविभाग	३२६, ३२८, ३५३	अनुत्तर	३०१	अपर्याप्त	७०
		अनुदय	४४, ३०४	अपर्याप्तक	७१
				अपर्याप्तकनाम	२२
				अपवर्ग	४, ६१, ६९, ७६

अपवर्तन	२१६	अव्याबाध	३९७, ३९८	आरम्भ	१०७
अपवाद	२८५	अशन	२८५	आर्तव्यान	१३५, १३९, ३१३
अपूर्वकरण	३३, २१७	अशुभनाम	२३	आर्यदेश	३५६
अप्याय	२९१	अष्टकर्मप्रकृति	९८	आर्हन्मतानुसारी	३३३
अप्यायिक	६४	अष्टमी	३२१	आलोचन	१०३, १७३
अप्रतिक्रान्त	९३	अष्टापद	३८३	आलोचना	३७९
अप्रतिष्ठान	१३८	असतीपोषणकर्म	२८८	आवरण	१०
अप्रत्याख्यान	१७	असख्येय	४०	आवश्यक	२९२
अप्रथमसमयसिद्ध	७७	असख्येयवर्षायुष्	७०, ७४	आवोचोमरण	३७८
अप्रमत्त	३७, ४२, २२४	असयत	३५, २८-३९	आशातना	११३
अप्रमत्तता	२४४	अमात वेदनीय	१४	आसेवन	३५५
अप्रमाद	२४४	असाध्य	२०६	आसेवना शिक्षा	२९७
अप्रशस्तविहायोगति	२२	अस्थिर नाम	२३	आस्तिक्य	५३
अबन्धक	३०५, ३०८	अस्थिरीकरण	८६, ९४	आस्रव	६३, ७९
अभय	९३	अहिंसा	८७	आहार	६८, २८५, ३७९
अभय्य	५०, ६७			आहारक	६८
अभिगमरुचि	५२	[ आ ]		आहारदान	९३
अभिग्रह	३७६	आकाश	७८, १४८	आहारपर्याप्ति	७०
अभिसन्धि	२५०-२५१, २६९	आगन्तुकदोष	१६४, १७१-१७२	आहारपौषध	३२१, ३२२
अमूर्त	२६, १९०	आगम	४१, ८७		
अमूर्तता	१९०	आगमविरुद्ध	१७४	[ इ ]	
अम्बादि	१३६	आचाराङ्ग	६१	इच्छापরিमाण	२७५
अयश कीर्ति	२४	आचार्य	७६, १०८-१०९, १२३, १६५	इत्वर	३२८
अयोगिकेवली	६८, ६९, ३०८	आज्ञारुचि	५२	इन्द्र	५६
अरति	१८	आतप नाम	२२	इन्द्रनाग	८५
अर्थ	२९६, २९७	आत्मा	१८३	इन्द्रिय पर्याप्ति	७०
अर्थक्रिया	११	आदाननिक्षेपण	२९२	इष्टविरोध	१८०
अर्थोपनय	३५-३७, ४७, २०१	आदेय नाम	२४		
अर्धपुद्गलपरिवर्त	७२	आनुपूर्वीनाम	२१	[ ई ]	
अर्हच्चैत्य	३४५	आन्तरायिक दोष	३२६	ईर्या उपयुक्त	२९२
अर्हच्छासन	६१	आपत्तिताकरण	२३५, २४४-२४५	ईर्यापथ	३०८
अर्हत्	१, ४३, ८७, ८९, ३५०	आस	८९	ईर्यापथविशुद्धि	३२०
	३७८, ३९५	आभीर	९३	ईर्यापथिक	२९२
अवीघ्नानावरण	१२	आयुष्	२०७, ३०७	ईर्यासमित	२२३
अवधिदर्शनावरण	१४	आयुष्क	११		
अविरत	३५, ३०४	आयुष्कबन्धकाल	३०५	[ उ ]	
अविशुद्धावधि	९३	आयुष्कर्म	१९३	उच्चैर्गोत्र	२५
अव्यापारपौषध	३२१, ३२२			उच्छ्वासनाम	२१
				उज्जमिय	३२८



उत्कृष्ट स्थिति	२७, ३३	उपासक	३२८	कर्म	९, १९
उत्तम पुरुष	७४	उपासक प्रतिमा	३३५	कर्मक्षपण	९७, १३८
उत्तर गुण	६, १०६, ३२६	[ ऊ ]		कर्मक्षपणक	९७
उत्तर गुणश्रद्धा	१०५	ऊर्जन्त	२८३	कर्मक्षय	१३९-१४०, १४२-१४३
उत्तर प्रकृति	११	[ ऋ ]		कर्मपुद्गल	३९-४१
उत्तरापथ	२८८	ऋद्धिप्राप्त	२९२	कर्मप्रकृतिसग्रहणी	९
उत्सर्गान्नहा चारी	३५५	ऋपि	३५२	कर्मबन्ध	१४२
उदय	६२, ३०४	[ ए ]		कर्मबीज	३९६
उदयावलिका	४४	एकभवमोक्षयायी	७३	कर्मभाव	१४५
उदासीन	१८७	एकसिद्ध	७७	कर्मभूमिज	७५
उदीर्ण	४४	एकान्तनित्य	१८३	कर्मोपक्रमभाव	२३३
उदीर्णक्षय	४४	एकेन्द्रियत्व	२०	कला	२६९
उदीर्णोपशम	४४	एपणा	२९२	कल्पनीय	३२५
उद्गमादि दोष	३२५	[ ऐ ]		कल्लावालगतण	२८८
उद्योत नाम	२२	ऐहलौकिक	३२४	कपाय	३०४
उपक्रम १५२-१५४, १९३, १९५, १९७, २०४, २०८		[ ओ ]		कपायवेदनीय	१६
उपक्रमकर्मभोग	१९५	ओजाहार	६८	कायवध	३४५, ३४९
उपक्रमण	१९८, २२१	ओघ	३८, ४२-४३, ५२, २५३	कायिकभूमि	३२३
उपक्रम प्रायोग्य	२०४	[ औ ]		कारक	४३
उपक्रमहेतु	२००	औद्ययिक	२०, ४४, १९७	कारक सम्यक्त्व	४९
उपघातनाम	२१	औदारिक	७२, २७०	कारित	१४४
उपचार	४४, ५०, ६१	औपशमिक	४३, ४५-४७, ५१	कार्मणशरीरयोगी	६९
उपदेशरुचि	५२	[ क ]		काल	१९७, ३२५
उपघान	४४	कणभक्ष ( कणाद )	८७	कालचतुर्दशी	९३
उपधि	७६	कनकावली	८७	काश्मीर	१५३
उपपात ७०-७१, २९९, ३०१		कन्दर्प	२९१	काक्षा	५९, ८६-८७
उपवृहण	९४, ३४२	कन्यानृत	२६०	कीर्ति	२४
उपभोग	२६, २८४	कपिल	८७	कुमारामात्य	२९१
उपभोगान्तराय	२६	करकण्ठ	७६	कुमारानृत	२६१
उपशम	४३-४५, ५३	करण	३३०	कुम्भ	३५-३७
उपशमक श्रेणि	४५	करणकर्तृ	१८६	कुल	३५७
उपशान्त	४४, ४७	कर्तृभाव	१४५	कुलवैर	२४९
उपशान्तमोह	३०७, ३०९			कुलादि	२४८
उपाङ्ग	२०			कुलिङ्गी	२२३-२२४
उपाधि	५२			कुवादी	२५६
उपार्धपुद्गलपरिवर्त	६०			कुशास्त्रभावना	२३१
उपार्धपुद्गलपरिवर्त	७२			कुष्ठ	१०३
				कूटयन्त्र	२५२

कूटसाक्षित्व	२६०
कूपोदाहरण	३४६
कृत	११४
कृतकृत्य	३४५
कृतनाश	१९३-१९४, १९६, २१९

कृषि	१०७
कृष्णपाक्षिक	७३
केतु	२७६
केवल	३०९
केवलज्ञान	२०७, ३५९
केवलज्ञानावरण	१२
केवलदर्शनावरण	१४
केवली	६८-६९, ७६, ३०७

केशवाणिज्य	२८८
कैवल्य	३५९
कोङ्कणार्पक साधु	२८९
कोटिकोटि	३१
कौत्कुच्य	२९१
कौमुदी	११५
कौमुदीचार	९३
क्रियासचि	५२
क्रोध	१७
क्लिष्टवन्ध	२३१

[ क्ष ]

क्षत्रिय	३२५
क्षपकश्रेणि	४८, १९६, २०२, २१७
क्षपण	१३७, १४३
क्षय	४४, १९४
क्षयोपशम	४३-४४, ५१, ६२
क्षायिक	४३, ५१
क्षायिक भाव	३५९
क्षायिक सम्यवत्त्व	४८
क्षायोपशमिक	४३-४४, ४७, ५१

क्षीणमोह	३०७, ३०९
क्षीरविकृति प्रत्याख्याता	१२२
क्षेत्र	१९७, २७६

[ ख ]

खादिम	२८५
-------	-----

[ ग ]

गणघर	२, ७६, ३३०
गति	३०३
गतिनाम	२०
गन्व	२१
गभंज	७०, ७१
गवानृत	२६०
गाथा	२९८
गार्हस्थ्य	३४२
गुण	८७
गुणन	३३०
गुणव्रत	६, ४३, २८०, २८४, ३२८, ३७९
गुणस्थान	३५
गुप्ति	८१, १५९
गुह	१, ९७, १०८-१०९, ३२८
गृहपतिमुत्तचोर	११५
गृहिधर्म	३७८
गृहिप्रत्याख्यान	३२९
गृहिलिङ्गसिद्ध	७६
गृही	३२६, ३४७, ३६५, ३८४
गोच्छक	७६
गोत्र	११, २५, २९-३०
गौतम	९८
ग्रन्थि	३२, ३४, ४२, ३५३
ग्रन्थिभेद	७

[ घ ]

घर्षण-घूर्णन	३१
घृतप्रदान	३७६

[ च ]

चक्रवर्ती	५६, ७४, ३८५
चक्षुर्दर्शनावरण	१४
चण्डकौशिक	३८१
चतुर्मासक	२७९
चन्द्रगुप्त	९३
चरणपरिणाम	३८१
चरमशरीर	७४
चाणक्य	९३
चातुर्मास	१०८
चातुर्मासक	३२८
चातुर्वर्ण	७६
चारित्र	१५, ४३, ८१
चारित्रक्षपकश्रेणि	३९०
चारित्रपरिणाम	३८१
चारित्रमोहनीय	१५, ३७७
चारित्रोपशमश्रेणि	३९०
चिन्तामणि	३४८, ३८१
चेतना	१८८
चैत्य	२९२, ३६५-३६६
चैत्यगृह	२९२, ३२२, ३३९, ३४१
चैत्यपूजा	३४१
चैत्यवन्दन	३४१, ३४३, ३५४

[ छ ]

छद्यस्थ	११३, २०७, ३०४, ३०७, ३०९
छविछेद	२५८
छिन्नगोदुकर	२३६

[ ज ]

जघन्यस्थिति	२७
जन्म	३९४
जरा	३९४, ३९७
जल्लगन्ध	९३
जगमत्त्व	३५६
जाति	३५७

जातिनाम	२०	तीर्थसिद्ध	७६	दृष्टिविरोध	१८०
जातिस्मरण	७६	तीर्थकरितीर्थ	७७	देव	७०
जात्यनुच्छेद	१२८	तीर्थकरिसिद्ध	७७	देवकुरु	२४३
जितशत्रु	११५	तीर्थप्रभावना	९४	देवगति	१७
जिन	८९, ३३०, ३४६	तीर्थसिद्ध	७७	देवदत्त श्रावक	२८९
जिनधर्म	३८८	तीर्थस्नपन	३७५	देवदूष्य	२८५
जिनपूजा	३४९	तीर्थहानि	१६९	देवायुष्क ( अमरायुष्क )	१९
जिनमत	३४२	तीर्थकर	१	देश	३२२, ३२५
जिनवचन	९०	तीर्थकरभक्ति।	१०५	देशकाक्षा	८७
जिनशासन	३४२	तीर्थोच्छेद	६१, १६६	देशपीपध	३२२
जीव	९, ६३	तेजस्कायिक	६४	देशप्रत्याख्यान	१७
जीवजाति	१२८	अस	१२५	देशविरत	३३२, ३९०
जीवद्रव्य	१८५	असकाय	६४, ११९, १२१	देशविरति	१७, १०९-१११, २८५, ३०९, ३८४, ३९०
जीवनिकाय	२९७	असनाम	२२	देशशुका	८७
जीवसमाप्त	७७	असप्राणघातविरति	११९, १२१	देशावकाशिक	३१९, ३२८
जुगुप्सा	१८	असभूत	१२५, १२९	देह	४
जोषणाराधना	३७८	त्रिगुप्त	२९२	द्रङ्गनिवासी	२५०
ज्ञानावरण	१०, २८, ९८, २०९	त्रिगुप्ति	२९६	द्रमक	३२७
ज्ञानी	१५९	त्रिगुप्तिनिरोध	२९२	द्रव्य	५८, ८७, १८०, १९०, १९७, २२२
ज्वर	१०३	त्रिदण्डविरति	११४	द्रव्यत हिंसा	२२४
		त्रिपुञ्ज	४५	द्रव्यलिङ्ग	७६
		त्रिपुञ्जिन्याय	४४	द्रव्यस्तव	३४७
				द्वारगाथा	३११
[ क्ष ]				द्विज	३२५
क्षपशातधर्म	२३६	[ द ]		द्विसमयसिद्ध	७७
		दन्तवाणिज्य	२८८	द्विन्द्रिय	११४
		दर्शन	२, १०, १५, ७२, ८७	द्विन्द्रियादि	३५६
		दर्शनमोहनीय	१५, ४५, ९८	द्वीप	७३
		दर्शनादि	३७६	द्वेष	३९३
		दर्शनावरण	१३, २८, ९८		
		दवाग्निदापन कर्म	२८८	[ घ ]	
		दानान्तराय	२६	धर्म	१, ७८, ८१, ९३-९४, १०८, ३५१-३५२
		दिग्गत	२८०, ३१९	धर्मकथा	५०, ९४
		दिशालोक	३२६	धर्मध्यान	३२२
		दीपक	५०	धर्मद्वि	५२
		दुर्भंग नाम	२३		
		दुर्भिक्ष	९३, ३२५		
		दु ख	५८		
		दु.स्वर नाम	२३		
तीर्थकरनाम	२४				
तीर्थकरसिद्ध	७६				

धर्मानुष्ठान	३१६	निरतिचार	५१, ३७६	परलोक	५७, १६७,
धर्मास्तिकोय	७८, ८७, १४८	निरपेक्ष बन्ध	२५८		१७९, ३४७
धारिणी	११५	निरवद्य	२८५, २९२	परलोकार्थी	१३४
धार्मिक वात्सल्य	९४	निरुपक्रम	७५, २०२, २०६	परिकर्म	३७७
नन्दोश्वरवर	८३	निरुपक्रमायुष्	७४, २४३	परिणाम	१८३
नपुसकलिह्वग	७७	निर्गुण	३४, ३५	परिणामी	१८३
नपुसकलिङ्गसिद्ध	७७	निर्जारा	३५, ६३, ८२, ३४०	परिमोग	२८४
नपुसकवेद	१८	निर्माण	२४	परिव्राजक	७६, ८८
नमस्कार	९३, ३२६, ३४३,	निर्लाञ्छन कर्म	२८८	परिपहज्य	८१
	३६४, ३७३	निर्वाण	२१७, ३५०	पर्याप्त	७०, ७१
नय	१९०, २७४	निर्वृति	५	पर्याप्तक	७१
नयनदर्शनावरण	१४	निर्वेद	५३, ५७	पर्याप्तकनाम	२२
नरक	७३	निर्वेदगुण	८४	पर्याप्तकलब्धि	७१
नरकपृथिवी	१३८	निवृत्ति	२५४, ३९९	पर्याप्ति	२१, ७०
नरकवेदनीय	१३८	निवृत्तिवादी	१६६	पर्याप्तिनाम	२१
नरकवेदनीय कर्म	१५६	निश्चय	६१	पर्याय	१८०
नरकसंवलनीय कर्म	१५५	निश्चयनय	९५	पर्युपासनविधि	३५४
नरकायु	१३७	निसर्गरुचि	५२	पर्व	३२१
नरकोद्वर्तन	१३७	नोचैर्गौत्र	२५	पलिमन्यदोष	१०९, ११२
नरकगति	१७	नोकपाय वेदनीय	१६	पल्य	३५
नरायुष्क	१९	नोतीर्थकरसिद्ध	७७	पल्योपम	३२, ३०२
नागरकभाव	१३१	नोतीर्थसिद्ध	७७	पल्योपमपृथक्त्व	३९०
नागरकवधनिवृत्ति	११९	नोतीर्थकरिसिद्ध	७७	पञ्चसमित	२९२
नाम	११, २९-३०	न्याय	१४१, १८५, २८९	पञ्चसमिति	२९६
नारक	७०, ७३, १३७, १५६,	न्यासापहरण	२६०	पञ्चाणुव्रत	३८२
	१५९			पञ्चेन्द्रियत्व	३५६
नारकगति	१७			पञ्चोदुम्बरिक	२८५
नारकन्याय	१३५			पाटलिपुत्र	९३
नारकायुष्क	१९			पाठान्तर	३११
नालि	३५, ३६			पान	२८५
निगोद	१०३			पाप	७९, १३३, १५१
नित्य	१७६-१७७, १८२			पापकर्मोपदेश	२२१, २२२
नित्यानित्य	१८०, १८१				२८९
निदर्शन	१९९			पापक्षपण	१३३
निदान	४८, ३०७-३०८			पापक्षय	१३४-१३५
निद्रा	१३			पापोपदेश	२८९
निद्रावेदनीय	१९७			पारलौकिक	३२४
निपात	१९, ३७८			पाषण्ड	८८

[ ५ ]

पक्ष	१७
पङ्का पृथिवी	१३७
पडलय	३२६
परघातनाम	२१
परदारपरित्याग	२७०
परपाषण्डप्रशसा	८६-८८
परपाषण्डसस्तव	९३
परमपुरुष	६४
परमाक्षर	१५९
परमाधार्मिक	१३७
परमाधार्मिक सुर	१३६

पाषाणप्रतिमा	१८८
पासहा	६१
पिण्डपणा	२९७
पिंगलस्थपति	२६४
पुण्य	७९, १४३, १५१
पुण्यबन्ध	१४२
पुद्गल	२६, ३९, ७२, ७८
पुद्गलपरिवर्त	७२
पुष्पकुन्धु	२९१
पुरुष	१८६-१८७
पुरुषवेद	१८
पुल्लिङ्ग	७७
पुल्लिङ्गसिद्ध	७७
पूजक	३४८
पूजा	३४४-३४५
पूर्व	२९६
पूर्वपक्षवादी	१२३
पृथक्त्व	३०२
पृथिवी	११९, १२१, १३०, ३४५, ३४९
पृथिवीकायिक	६४
पोत्त	९३
पोरुपी	१२६
पौषध	३२१
पौषधशाला	२९२, ३२२
पौषधोपवास	३२२, ३२८
प्रकृति	१८६-१८७
प्रकृतिबन्ध	८०
प्रक्षेपाहार	६८
प्रचला	१३
प्रचलाप्रचला	१३
प्रज्ञप्ति	३३३
प्रज्ञापना	५२, ९८
प्रतिक्रमण	३३०
प्रतिपत्ति	२९५, ३०९, ३२६
प्रतिमा	३७६
प्रशियद्गुपमा	३५, ५४

प्रत्याख्याता	११२, १२३, १६६, १७५
प्रत्याख्यान	१७, १२२, ३३०, ३३४-३३५, ३४३-३४४
प्रत्याख्याननिर्युक्ति	३३४
प्रत्याख्यानावरण	१७
प्रत्याख्यापयिता	११२, १२३, १६६, १७५
प्रत्येकनाम	२३
प्रत्येकबुद्ध	७६-७७
प्रत्येकबुद्धसिद्ध	७६-७७
प्रथमसमयसिद्ध	७७
प्रदेशता	१९६
प्रदेशबन्ध	८०
प्रदेशानुभव	४४, ४७
प्रधान	१८७
प्रमत्त	२८१
प्रमत्तसयत	३६
प्रमाद	१७०, २२०, २२४, २८९, ३१२, ३७४
प्रमादाचरित	३८९
प्रवचन	९४, १७५, २८०, ३२४
प्रवचनमातृ	२९६-२९७
प्रव्रजित	३३५, ३८२
प्रयज्या	१३४, ३७७, ३८०
प्रथम	६०-६१, ९७
प्रशमगुण	८४
प्रशस्तविहायोगति	२२
प्रहर	२०१
प्रहरण	२८५
प्राण	१०७
प्राणातिपात	१२३
प्राणापान पर्याप्ति	७०
प्रावरण	७६
प्राणुक	८७, ९३
प्राणुकपिण्ड	५८
प्राणुक	३४०

[ ब ]

बन्ध	३७, ४०-४१, ६३, ८०, १३५-३६, १५८, १८६, २२०, २२४, २५८, ३८९
बन्धक	४२, ३०५, ३०७-३०८
बन्धननाम	२०
बहुबीज	२८५
बादरनाम	२२
बिन्दुसार	२९६
बीजरुचि	५२
बुद्ध	७६
बुद्धबोधितसिद्ध	७६
बुद्धिप्रतिबिम्बोदय	१८७
बोधि	७६, १६८, १८६-१८८
ब्रह्म	३२१
ब्रह्मचर्य पौषध	३२१-३२२

[ भ ]

भक्तपानव्यवच्छेद	२५८
भक्तप्रत्याख्यान	३७८
भगवती	३३३
भङ्ग	३२९
भय	१८
भव	४८, १९७
भवन	७३
भवसिद्धिक	७३
भव्य	५०, ६६
भव्यभाव	६६-६७
भस्मक व्याधि	१९५
भाटीकर्म	२८८
भाव	५८, १९३
भावत हिंसा	२२४
भाषा	२९२
भाषापार्याप्ति	७०
मिदुक्	९३
मिदु मुहूर्त	३०, ४२
निर्भागिण	१८०
नूम्यनूत	२६०

भोग	२६, १८७
भोगान्तराय	२६
[ म ]	
मतिज्ञानावरण	१२
मत्स्यबन्ध	१५५
मथुरा	३६८
मन पर्ययज्ञानावरण	१२
मन पर्यागित	७०
मनुष्य	७०-७१
मनुष्यलोक	३८५
मन्त्र	३४८
मरण	३७८, ३९४, ३९७
मरुदेवी	७६
महामण्डलिक	३८५
महाव्रत	१०५-१०६, ३१०
मातृस्थान अनुष्ठान	५०
मान	१७
मानस दुःख	५८, १०३
मानुषत्व	३५६
माया	१७
मास	१७
मिथ्यात्व	४४, ४७, ६१, ९८, १६३
मिथ्यात्व मोहनीय	४४, ८७
मिथ्यात्व वेदनीय	१५
मिथ्यादर्शन	२५६, ३४१
मिथ्यादृष्टि	२, ३५, ३८, ५०, ६१, ९७
मिथ्याभाव	८५
मिश्रवेदनीय	१५
मुक्त	७६, १४२, १६२, १८६-८७
मुक्तात्मा	३९८
मुक्ति	८७, १५१
मुखवस्त्रिका	२९८
मुनि	६१

मुहणतय	३२६
मुहूर्त	३०
मूर्त	१९०
मूर्तता	१९०
मूलगुण	३२६
मूल प्रकृति	११, ३०५
मृषावाद	२६०-२६१
मृषावादी	३७१
मोक्ष	४२-४३, ४८, ६३, ८३, १५१, १५४, १९४,

मोक्षगति	३०३
मोक्षसाधन	३१२
मोह	१९२, ३०७, ३४९, ३९३
मोहनीय	१०, १५, २८, ३०, ४४
मोक्षार्थ	२९१
मौन	६१

[ य ]

यति	११३, ३६५, ३८४
यतिपूजा	२९२
यन्त्रपीडनकर्म	२८८
यशस्	२४
यश कीर्तिनाम	२४
याग	२३१
यावत्कथिक	१०८, ३२८, ३९९
युगप्रधान	९३, १६५
योग	५३, ७९, ३३०
योनिपौषक	२८८

[ र ]

रक्तभिक्षु	८८
रजनी-उत्सव	११५
रजोहरण	७६
रति	१८
रस	२१
रसपरित्याग	३८०

रसवाणिज्य	२८८
राग	३९३
राजगृह	९३
राजमयूर	१७३
राजामात्य	९२
रोचक	४३
रोचक सम्यक्त्व	४९
रौद्रध्यान	१३६, १६०

[ ल ]

लब्धि	७०-७१
लाक्षावाणिज्य	२८८
लाटदेश	१२५
लाभान्तराय	२५
लिङ्ग	७६
लिङ्गप्रतिपत्ति	७६
लोकविरुद्ध	१७४
लोकव्यवहार	१८१
लोकहेयी	३२५
लोचकृत	३७६
लोभ-	१७
लोभाणुवेदक-	३०६
लोमाहार	६८

[ व ]

वध	१९१, २५८
वनकर्म	२८८
वनस्पतिकायिक	६४
वन्दन	३७३
वन्दनक	३७२
वन्दावनक	३७४
वन्ध्यासुत	१९२
वन्ध्यासुतपिशिताशन	२०८
वर्णनाम	२१
वल्गुली व्याधि	९१
वसन्तपुर	११५
वस्तु	७
वाचक	३३०



समय	४१, १६४, १७४	संख्येयवर्षायुष्	७०-७१, ७४-७५	साधुवर्मदेशना	११५
समाचार	२	सग	८७	साध्य	२०६
समाधि	५, ३७९	संघ	३६७	साध्यरोग	२०४
समानधार्मिक	९४	संघवन्दना	३६७	साध्वी	९४, ३६८
समिति	८१	संघाटक	३२६	सापेक्षबन्ध	२५८
समुद्घात	६८-६९	संघातनाम	२०	सामाचारी	२, ३, १८०, २९१, २९२, २९८, ३२३, ३२८, ३३८, ३६६, ३७५, ३७८
समुद्र	७३	सज्वलन	१७	सामान्य केवली	७६
सम्बन्ध	१	समूच्छर्जन	७१	सामायिक	२९२, २९९, ३१०, ३१२, ३२२, ३२८
सम्भव	२३७	समूच्छिम	७०	साम्परायिक	३०८
सम्यक्त्व	७, ३३, ४३-४४, ४७, ५०, ५२, ६१, ८५- ८६, ८९, १६९, ३२८, ३५८, ३९०-३९१	संमोह	१५८	साम्परायिक बन्ध	२२६, २३१
सम्यक्त्वपुद्गल	९८-९९	संमोहभाव	१६१	सावद्य	११४, २८५
सम्यक्त्व-मिथ्यात्ववेदनीय	१५	सयत	३६-३७, ३२६, ३८२	सावद्य योग	२९२, ३३२, ३३७
सम्यक्त्ववेदनीय	१५	संयुक्ताधिकरण	२९१	सावद्ययोगनिवृत्ति	२५३
सम्यक्त्वातिचार	९५	सलेखना	३७८, ३८२	सासादन	४३
सम्यक्त्वाध्यवसाय	९०	संवत्सर	१७	सिद्ध	६८-६९, ७६, ३९२, ३९५
सम्यग्ज्ञान	१५८	सवर	६३, ८१, १५०	सिद्धप्राभृत	७७
सम्यग्दर्शन	३३, ४९, ३४१,	सवेग	३, ५३, ५६, ९७, १५९, ३५१, ३६९, ३७२	सिद्धान्त	१३७, १७४, ३३३
सम्यग्दृष्टि	५, ३६, ६०, ८४, ९४, ९७	ससार	४१, १८१-१८२, ३६०	सुख	३९८
सम्यङ्मिथ्यात्व	४५	ससारमोचक	१३३, १३९, १६३	सुगत	८७
सयोगिभवस्थ	३०७	ससारी	६४, ३९४	सुभगनाम	२३
सरोद्रहतडाकशोषणकर्म	२८८	सस्तव	८६, ८८	सुभिक्ष	३२५
सर्पोदाहरण	३१९	सस्तारक श्रमण	३७८	सुरलोक	९५
सर्व	३२२	संस्थाननाम	२०	सुस्वरनाम	२३
सर्वकाक्षा	८७	सहननाम	२०	सूक्ष्मनाम	२२
सर्वज्ञ	८८, ९०, ३००	सागरोपम	२८, ३२, ३९०	सूक्ष्मप्राणातिपात	११४
सर्वपीपघ	३२२	सागरोपम कोटाकोटी	५५	सूक्ष्मम्पराय	३०६-३०७
सर्वप्रत्याख्यान	१७	सातवेदनीय	१४	सूय	४२, ४९, २२४, २८०, २९६-२९७, ३४७, ३५०, ४०१
सर्वप्राणातिपातनिवृत्ति	२४३	सातिचार	५१, ९६-९७	सृष्टि	११५, ३८४
सर्वविरति	३८४, ३९०	साधार्मिक	३३९	सृष्टिगति	५२
सर्वशका	८७	साधारणनाम	२३		
सर्वसंवर	८१	साधु	२, ३७, ८७, ९३-९४, ११५, १६९, २९६, ३२६, ३४०, ३६५-३६६		
नक्त्य	१०७	साधुगुण	३२२		
संग्रह	२१६, ३७०	साधुजनपर्युपासना	१०५		
सक्षेपसिद्धि	५२	साधुवर्म	११५		



सूत्रविरोध	३४	स्थावरकाय	१२१	स्मृति	१०८
सेतिका	३५	स्थावरनाम	२२	स्वदारसन्तोष	२७०
सेतिकापलभोग	१९५	स्थावरवध	१२५	स्वयम्भूरमण	३३४
सेतु	२७६	स्थिति	२७, ३०१	स्वयम्बुद्ध	७६
सोपक्रम	७५, २०६	स्थितिबन्ध	८०	स्वयबुद्धसिद्ध	७६
सौगत दर्शन	८७	स्थिरनाम	२३	स्वलिङ्गसिद्ध	७६
सौघर्म	३००	स्थूरक	१०७	स्वसवेदन	१८४
स्तव	८८	स्थूरक प्राणवधविरति	१०७	स्वादिम	२८५
स्त्यानगृद्धि	१३	स्थूरकप्राणिप्राणवध-		[ ह ]	
स्त्रीलिङ्ग	७७	विरमण	१०६	हास्य	१८
स्त्रीवेद	१८	स्थूरमृषावाद	१०६	हिंसा	२२४
स्थापनादोष	३२६	स्पर्श	२१	हिंसाप्रदान	२८९
स्थावर	११९, १३०	स्फोटीकर्म	२८८	हेतु	४००



## ५. पाठान्तर

ग्रन्थकारके समक्ष कुछ पाठभेद भी रहे हैं। यथा—

गाथा ३११ में द्वारगाथा २९५ में उपयुक्त 'पच' पदके स्थानमें 'किं च' पाठ-भेद इस प्रकार सुझाया गया है—पाठतरमो हवा किंच ॥ इसे उक्त गाथा ३११ की टीकामें इस प्रकारसे स्पष्ट किया गया है—  
पठान्तरमेवाथवा द्वारगाथायाम् । तच्चेदम् 'किंच' सन्वंति भाण्डुणं इत्यादिग्रन्थान्तरापेक्षमन्यत्रेति ।

इससे यह निश्चित प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थमें ग्रन्थान्तरगत अन्य भी कितनी ही गाथाओंको ग्रन्थनाम निर्देशके बिना सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त द्वारगाथा ( २९५ ) इसी प्रकारकी है।

इसी प्रकार टीकाकारके समक्ष भी मूलग्रन्थगत कुछ पाठभेद रहा है। उन्होंने गाथा २५४ में एक पाठभेद इस प्रकार प्रकट किया है—पाठान्तरं योगत्रिक्रमिबन्वना निवृत्तिर्यस्मात् सगतार्थमेवेति । इस गाथामें मूलमें 'पविच्छीओ' पाठ है जो अर्थकी दृष्टिसे सगत नहीं प्रतीत होता। इसीलिए सम्भवतः टीकामें 'पविच्छीओ' पाठके स्थानमें 'निवृच्छीओ' इस पाठान्तरकी सूचना करके अर्थकी सगति बैठायी गयी है।



## ६. मतभेद

मूल ग्रन्थकारके समक्ष कुछ मतभेद भी रहे हैं। यथा—

१. गाथा ३०३ में प्रथमतः यह निर्देश किया गया है कि व्यवहारसे साधु मोक्ष सहित पाँचों गतियों और श्रावक उस मोक्षके बिना चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् आगे वहाँ 'चट-पंचमागु चउसु य जहा कमसो' ऐसा निर्देश करके मतान्तरसे साधुके चौथी (देवगति) और पाँचवी (मोक्षगति) इन दो ही गतियों में उत्पन्न होनेकी तथा श्रावकके चारो गतियोंमें उत्पन्न होनेकी सूचना की गयी है।

२. गाथा ३३३ में किन्हीके अभिमतानुसार गृहस्थके तीन प्रकारके प्रत्याख्यानको असम्भव कहा गया है। इस मतका निराकरण करते हुए आगे इसी गाथामें पन्नत्ती (व्याख्याप्रज्ञप्ति) के अनुसार विशेष रूपसे उक्त तीन प्रकारसे तीन प्रत्याख्यानको सम्भव निर्दिष्ट किया गया है। इसपर आगे गाथा ३३४ में यह शका उठायी गयी है कि तो फिर निर्युक्ति (प्रत्याख्याननिर्युक्ति) में अनुमतिका निषेध कैसे किया गया। इसका समाधान करते हुए वहीपर यह कहा गया है कि अनुमतिका निषेध वहाँ स्वविषयमें किया गया है। अथवा सामान्य प्रत्याख्यानमें उसका निषेध किया गया है, अन्यत्र तीन प्रकारसे तीन प्रकारका प्रत्याख्यान सम्भव है।

३. गाथा ३७८ में वारह प्रकारके गृहस्थधर्ममें गृहस्थके लिए अपविचम मारणान्तिकी सल्लेखनाके आराधनका विधान किया गया है। आगे गाथा ३८२ में किन्हीके अभिमतको दिखलाते हुए यह कहा गया है कि चूँकि उस सल्लेखनाका विधान बारह प्रकारके गृहस्थधर्मके अन्तर्गत नहीं किया गया है, इसलिए संयत (साधु) उसमें अधिकृत है, न कि गृहस्थ। इस अभिमतका निराकरण करते हुए आगे गाथा ३८३-३८४ में कहा गया है कि वह वारह प्रकारके गृहस्थधर्मके अन्तर्गत ही कही गयी है तथा उसका अतिचारसूत्र भी श्रमणोपासकपुरासर कहा गया है, इसलिए उसमें गृहस्थ ही अधिकृत है, न कि संयत। वारह प्रकारके गृहस्थधर्मसे उसके पृथक् कहनेका अभिप्राय यह है कि वारह प्रकारके उस गृहस्थधर्मका परिपालन श्रावक जीवित रहते हुए बहुत समय तक करता है जबकि उस सल्लेखनाका आराधन उसके द्वारा मरणसमयमें किया जाता है, इसलिए वह आयुके प्राय क्षीण होनेपर कुछ थोड़े ही समय रहती है।

इस प्रकारका मतभेद सम्भवतः वाचक उमास्वातिके समक्ष नहीं रहा।

टीकाकारके समक्ष मतभेद—

१ गाथा ४७ की टीकामें क्षायोपशमिकसे औपशमिकके भेदको दिखलाते हुए कहा गया है कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमें उपशमप्राप्त मिथ्यात्वका प्रदेशानुभव होता है, पर औपशमिकमें वह नहीं होता। यहाँ मतान्तरको प्रकट करते हुए यह कहा गया है कि अन्य आचार्य उसके व्याख्यानमें यह कहते हैं कि श्रेणिसम्यगत उस औपशमिक सम्यक्त्वमें ही उक्त मिथ्यात्वका प्रदेशानुभव नहीं होता, किन्तु द्वितीयमें वह होता है। फिर भी उसमें सम्यक्त्व परमाणुओके अनुभवका अभाव ही है, यह उन दोनोंमें विशेषता है।

२ गाथा २८५ की टीकामें वृद्ध सम्प्रदायके अनुसार यह मतान्तर व्यक्त किया गया है कि अन्य आचार्य उपभोग-परिभोगकी योजना कर्मपक्षमें नहीं करते हैं।

## ७. ग्रन्थोल्लेख

गाथा	ग्रन्थान्तर
३३३	पन्नत्ती ( भगवती )
३३८	निर्युक्ति ( प्रत्याख्याननिर्युक्ति )
३८४	अतिचारसूत्र ( इसे स्पष्ट करते हुए टोकामें 'इमीण समणोवासणं इमे पंचाह्यारा जाणियन्वा' इत्यादि सूत्रको उद्धृत किया गया है जो सम्भवतः उवासगदसाधो का हो सकता है ।

### टोकामें—

गाथा	ग्रन्थान्तर
५२ व ९८	प्रज्ञापना
६१	आचाराग
६१	तत्त्वार्थसूत्र ( वाचकमुख्येनोक्तम् )
७७	सिद्धप्राभृत
११५ व १८४	सूत्रकृतांग



## द. पौराणिक उदाहरण

गाथा	उदाहरण
९१	पेयापेय ( किसी सेठके दो बालक )
९३	राजा-अमात्य, विद्यासाधक श्रावक, श्रावकमुता, चाणक्य व सीराष्ट्र श्रावक ।
११५	गाथापति सुतघोर ग्रहण-मोचन

### टीका—

गाथा	उदाहरण
५०	अगारमर्दक
७६	मरुदेवी व करकण्डु
८५	इन्द्रनाग
२६४	पिगलस्यपति

□

